FOR REFERNCE ONLY.

त्रयोदश माला, खंड 8, अंक 2

NOT TO BE ISSUED

मंगलवार, 25 जुलाई, 2000
3 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 3 61
Date 18/4/2001

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अरुणा वशिष्ट
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 2, मंगलवार, 25 जुलाई, 2000/3 श्रावण, 1922 (शक)

विषय	कालम
कैमरून के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
मंत्रियों का परिचय	3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21, 23 और 24	6–34
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 22 और 25 से 40	34–118
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 448	118–485
सभा पटल पर रखे गए पत्र	487–488
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	488–489
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
17 जुलाई, 2000 को पटना में हुई एलाइंस एयर के बोइंग-737 विमान की दुर्घटना	490–493
श्री शरद यादव	490
समिति के लिए निर्वाचन	
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद	494
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	494–495
सरकारी विधेयक–पुरःस्थापित	521–576
(एक) सूचना-स्वातंत्र्य विधेयक	521
(दो) सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक	524
(तीन) मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक	524
(चार) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक	544
(पांच) बिहार पुनर्गठन विधेयक	551
नियम 377 के अधीन मामले	570
(एक) हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले में कम शक्ति के और ट्रांसमीटर स्थापित किये जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश चन्देल	570

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय | **कालम**

(दो) देश में जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री विजय गोयल 571

(तीन) गुजरात में राधनपुर और दिशा में टी.वी. रिले केन्द्रों को शीघ्र शुरू करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी 571

(चार) गुजरात में बड़ोदरा के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को अनवरत जलापूर्ति करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनाराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 571

(पांच) प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की समग्र समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती श्यामा सिंह 572

(छह) कर्नाटक सरकार को इंजीनियरिंग कालेजों में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाने की अनुमति देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस.डी.एन. आर. वाडियार 573

(सात) स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसके कार्यनिष्पादन की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय हान्दिक 573

(आठ) केरल की कुरियरकुट्टी–करप्पड़ा जलविद्युत परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एन. कृष्णदास 574

— में विशाखापत्तनम के लिए एलाइंस एयरलाइन्स की उड़ानें नियमित रूप से चलाए जाने की आवश्यकता

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति 574

(दस) देश में आलू उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन 575

(ग्यारह) सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल 576

मोटर यान (संशोधन) विधेयक 576–600

विचार करने के लिए प्रस्ताव 576

श्री राजनाथ सिंह 576

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी 580

श्री अनादि साहू 583

श्री सुनील खां 586

श्री राजीव प्रताप रूडी 589

श्री चन्द्र भूषण सिंह 592

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर 596

श्री राजो सिंह 599

लोक सभा

मंगलवार, 25 जुलाई, 2000/3 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया पहले आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

केमरून के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम, मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से केमरून की नेशनल असेंबली के प्रेजिडेंट, महामहिम श्री कवाय येगे जिबरिल और शिष्ट मंडल के अन्य माननीय सदस्यों का, जो इस समय हमारे सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर हैं, स्वागत करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

यह शिष्ट मंडल गुरूवार, 20 जुलाई, 2000 को दिल्ली पहुंचा। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में विराजमान हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद व लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से वहां के राष्ट्रपति, नेशनल असेम्बली और मित्र जनता को अपनी बधाई और शुभकामनायें भेजते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, हमने सरकार की विनिवेश नीति पर चर्चा करने हेतु नोटिस दिए हुए हैं। वे द्वार खोल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय प्रधान मंत्री महोदय को नए मंत्रियों का सभा से परिचय कराना है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिन कंपनियों में सरकार डिसइंवैस्टमेंट करने जा रही है, उनमें करोड़ों रुपया जनता का लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमें देश को बचाना है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने एक नोटिस दिया है। उसका क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय: आपने प्रश्न काल स्थगित करने हेतु नोटिस दिया है। हम इस विषय पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण काल है। आपने प्रश्न काल स्थगित करने के लिए नोटिस दिये हैं। हम इस पर प्रश्न काल के बाद चर्चा करेंगे, परन्तु इस समय नहीं। मैं आपसे बैठ जाने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह अच्छी बात नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य: उन्होंने सरकारी क्षेत्र के कई उपक्रमों को बंद कर दिया है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने जो भी नोटिस दिए हैं, हम उन पर प्रश्न काल को स्थगित न करके उन पर प्रश्न काल के बाद चर्चा करेंगे। कृपया इस बात को समझिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मेरे नोटिस के बारे में क्या हुआ? मैंने प्रश्न काल स्थगित किए जाने और उस विषय पर चर्चा शुरू करने के लिए नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? आपने जो भी नोटिस दिये हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे, परन्तु हम ऐसा प्रश्न काल को स्थगित करके नहीं करेंगे। कृपया बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य जी, अब माननीय प्रधान मंत्री महोदय को नए मंत्रियों का सभा से परिचय कराना है। कृपया यह बात समझिए। यह क्या हो रहा है?

पूर्वाह्न 11.04 बजे

[हिन्दी]

मंत्रियों का परिचय

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जो नये मंत्री नियुक्त हुए हैं, उसका सदन से परिचय कराना चाहता हूं:-

श्री नीतीश कुमार, कृषि मंत्री

श्री अर्जुन सेठी, संसाधन मंत्री

श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी, इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री

अध्यक्ष महोदय: अब हम प्रश्न संख्या 21 को लेते हैं—श्री त्रिलोचन कानूनगो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कोई मुद्दा उठाने का यह तरीका नहीं है। आप प्रश्न काल के बाद कोई मुद्दा उठा सकते हैं। कृपया बैठ जाइए। प्रश्न संख्या 21.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के उत्तर और माननीय सदस्य के प्रश्नों के सिवाय और कुछ भी कार्यवाही-वृतांत्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया जो मंत्री महोदय कह रहे हैं, उसे सुनिए। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया यह बात समझिए कि यह सभा इस मुद्दे पर चर्चा करेगी। मंत्री महोदय जो कह रहे हैं आप उसे नहीं सुन रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के भाषण को छोड़कर अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृतांत्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन: मैंने इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सरकार ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा करने को तैयार है, जिस पर विपक्ष अथवा सत्तारूढ़ दल इस मानसून सत्र में चर्चा करना चाहता है *...(व्यवधान)* हमें यहां तक कि विनिवेश के मुद्दे पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है। महोदय, आप कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुलाइए उसमें तिथि, विषय और नियम के बारे में निर्णय कर लीजिए। सरकार इस सभा में किसी भी विषय पर चर्चा करने को तैयार है। प्रश्न काल सदस्यों का अधिकार है और इसमें केवल किसी चर्चा के नाम पर कोई व्यवधान नहीं डाला जाना चाहिए, जबकि सरकार किसी भी समय चर्चा करने को तैयार है। मेरा इन सदस्यों से यह अनुरोध है कि उन सदस्यों के अधिकारों को मत छीनिए, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं *...(व्यवधान)* मेरा यह छोटा-सा निवेदन है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य जी, आज मानसून सत्र का पहला दिन है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा के कार्य-संचालन का यह तरीका नहीं है। कृपया यह बात समझिए और बैठ जाइए। प्रश्न काल के तुरन्त बाद कृपया आप यह मुद्दा उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न काल के बाद यह मुद्दा उठा सकते हैं, न कि इस समय। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: प्रश्न काल स्थगित करने संबंधी हमारे नोटिस के बारे में क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य जी, कृपया बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है? प्रश्न काल एक महत्वपूर्ण कारण है। कृपया आप यह बात समझिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब सरकार और यह सभा भी इस विषय पर चर्चा करने को तैयार है, तो सभा के कार्य में व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रहे हो?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं पुन: आपसे अपील करता हूं कि आप बैठ जाइए। कोई मुद्दा उठाने का यह उचित तरीका नहीं है।

श्री आचार्य जी कृपया बैठ जाइए। मैं खड़ा हुआ हूं। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप इस मुद्दे को इस समय नहीं बल्कि प्रश्न काल के तुरन्त बाद उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य जी, अब सरकार और यह सभा भी इस विषय पर चर्चा करने को तैयार है। आप पुन: सभा के कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। यह कैसी प्रक्रिया है?.

आपका रवैया मेरी समझ में नहीं आया। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री कानूनगो का नाम पुकारा है। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

कोयले पर रायल्टी

***21. श्री त्रिलोचन कानूनगो:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1971, 1981, 1991 और 1994 में विभिन्न श्रेणियों के कोयले के लिए निर्धारित की गई संशोधित रायल्टी कितनी है तथा प्रति टन कोयले का खान मुहाना मूल्य कितना-कितना निर्धारित किया गया और ये संशोधन किस-किस तारीख से किए गए;

(ख) क्या कोयले वाले राज्य कोयले पर दी जाने वाली रायल्टी में वृद्धि किए जाने का कारण अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा गंवा रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या रायल्टी में वृद्धि की प्रक्रिया में कोयले की विभिन्न श्रेणियों के बीच कोई समानता नहीं बरती गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इस शिक्षा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) वर्ष 1971 में निर्धारित कोयला रायल्टी दरें निम्न गुणवत्ता कोयले के लिए 2 रुपए प्रति टन से लेकर उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के लिए पांच रुपये प्रति टन रही है। वर्ष 1981, 1991 तथा 1994 में निर्धारित कोयला रायल्टी दरें विवरण-I में दी गई हैं। 1.8.1975 से कोयले की कीमतों को केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में लाया गया। 1.8.1975 से 1994 तक के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कोल इंडिया लि. को सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. के लिए कोयला कीमतों को विभिन्न तारीखों को निर्धारित किया था, जिसका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। 1975 से 1994 तक की अवधि के दौरान कोयले का औसत पिट मुहाना मूल्य भी विवरण-III में वर्षवार दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। कोयले की रायल्टी दरों में वृद्धि करने से कोयला उत्पादक राज्यों की रायल्टी आय बढ़ी है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार को कोयले पर रायल्टी दरें बढ़ाने के संबंध में कोयला उत्पादक राज्यों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है बल्कि कुछ अभ्यावेदन मिले हैं। कोयले की रायल्टी दरों में अंतिम बार वृद्धि 11.10.1994 को की गई थी। तथापि कोयला उपभोक्ताओं के विचारों और राज्यों की अर्थव्यवस्था पर कीमतों के प्रभाव जैसे संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोयले की रायल्टी दरों में और वृद्धि नहीं की गई है।

(ङ) और (च) ताप विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न गुणवत्ता वाले कोयले की रायल्टी दरों को कम रखा गया है। तथापि केन्द्रीय सरकार का यह प्रयास रहा कि वर्ष 1994 में संशोधन के दौरान निम्न गुणवत्ता कोयले तथा उच्च गुणवत्ता कोयले की रायल्टी दरों के बीच उपयुक्त साम्य रखा जाए।

विवरण-I

वर्ष 1981, 1991 तथा 1994 में निर्धारित कोयला रायल्टी दरों का विवरण

(रुपये प्रति टन)

कोयले का ग्रुप	13.2.81 से कोयला रायल्टी दरें	1.8.91 से कोयला रायल्टी दरें	11.10.94 से कोयला रायल्टी दरें
ग्रुप-1 कोककर कोयला इस्पात ग्रेड-1 और 2, वाशरी ग्रेड-1	7.00	150.00	195.00
ग्रुप-2 कोयला ग्रेड - 2, 3 अर्द्ध-कोककर ग्रेड-1 और 2 अ-कोककर कोयला ग्रेड ए और बी	6.50	120.00	135.00
ग्रुप-3 कोककर कोयला वाशरी ग्रेड-4 अ-कोककर कोयला ग्रुप-सी	5.50	75.00	95.00
ग्रुप-4 अ-कोककर कोयला ग्रेड डी और ई	4.50	45.00	70.00
ग्रुप-5 अ-कोककर कोयला ग्रेड एफ और जी	2.50	25.00	50.00
ग्रुप-6 आंध्र प्रदेश में उत्पादित सभी कोयला	5.00	70.00	75.00

टिप्पणी - 1. वर्ष 1981 में निर्धारित कोयला रायल्टी दरें अभी भी पश्चिम बंगाल में इस आधार पर लागू हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोयले पर उपकर जारी रखा गया है जबकि अन्य राज्य सरकारों ने इस समाप्त कर दिया है।

2. आंध्र प्रदेश में कोककर कोयला उपलब्ध नहीं है। राज्य में ग्रेड "बी" से "जी" वाले अ-कोककर कोयले के भंडार हैं।

विवरण-II

1.8.1975 से 17.6.1994 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि॰ के लिए निर्धारित कोयला कीमतों की तारीखें

सी.आई.एल. के लिए संशोधित कोयला कीमतों की तारीखें	एस.सी.सी.एल. के लिए संशोधित कोयला कीमतों की तारीखें
1.8.75	1.8.75
16.7.79	17.7.79
13.2.81	13.2.81
26.5.82	27.5.82
7.1.84	8.1.84
8.1.86	1.1.85
22.12.87	9.1.86
30.12.88	24.9.88
27.12.91	24.1.89
16.2.93	28.12.91
18.6.93	17.2.93
16.6.94	19.6.93
	1.4.94
	17.6.94

1975 से 1994 के दौरान कोयले का वर्षवार औसत पिट मुहाना मूल्य

वर्ष	कोयले का औसत पिट मुहाना मूल्य
1	2
1975	70.42
1976	70.14
1977	70.63
1978	70.37
1979	90.57
1980	118.95
1981	143.49
1982	157.29
1983	166.05
1984	204.87
1985	206.88
1986	229.78
1987	230.18
1988	259.09
1989	276.83
1990	278.51
1991	277.89
1992	354.90
1993	401.16
1994	433.20

कोयले के वर्ष-वार औसत पिट मुहाना मूल्य का स्रोत: कोयला नियंत्रक का संगठन, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित कोयला सांख्यिकीय (1997-98) की वार्षिक पुनरीक्षा।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: अध्यक्ष महोदय, मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण में सच्चाई का उपहास किया गया है। मंत्री ने प्रश्न से बचने की कोशिश की है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कानूनगो की बात के अतिरिक्त अन्य किसी बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाये।

...*(व्यवधान)**

श्री त्रिलोचन कानूनगो: अध्यक्ष महोदय, मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखा गया उत्तर हास्यास्पद है। प्रश्न में जो कुछ पूछा गया है, उन्होंने उससे बचने की कोशिश की है। मैं, आपके माध्यम से उनका ध्यान उत्तर के प्रथम वाक्य की ओर दिलाना चाहता हूँ। उत्तर के प्रथम वाक्य में कहा गया है:

> ''वर्ष 1971 में निर्धारित कोयला रायल्टी दरें निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के लिये 2 रुपये प्रति टन से लेकर उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के लिए 5 रुपये प्रति टन थी।''

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लेकिन इसमें लेशमात्र भी सच्चाई नहीं है। जब 1971 में कोयला रायल्टी दरों में संशोधन किया गया था तो उस समय चयनित ग्रेड कोयला के लिये रायल्टी की दर 1.90 रुपए प्रति टन रखी गई थी, ग्रेड-एक कोयले के मामले में रायल्टी 1.75 रुपए थी, ग्रेड दो के मामले में 1.70 रुपए और ग्रेड तीन तथा ग्रेड रहित कोयले के मामले में भी रायल्टी की दर 1.70 रुपए प्रति टन निर्धारित की गई थी। अत: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि यह बात सच है अथवा नहीं। मेरे विचार में मंत्री जी को अपने मंत्रालय से सही आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। अत: उन्होंने गलत उत्तर दिया है। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: श्री कानूनगो, आपका प्रश्न क्या है? अपको सभी ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपना प्रश्न पूछिये।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: महोदय, मंत्री जी के उत्तर के ... वाक्य में यह कहा गया है कि 1971 में निर्धारित कोयला ... निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के लिये 2 रुपए प्रति टन ...कर उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के लिये 5 रुपए प्रति टन थी। अत: मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है।

अध्यक्ष महोदय: श्री कानूनगो, यदि उत्तर में कोई गलती है, तो आप मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आपको उत्तर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: महोदय, मैं तो केवल उनसे यह पूछ रहा हूं कि क्या यह सच है।

1971 में, निम्न गुणवत्ता वाले कोयले और उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की रायल्टी दरों में केवल 10.5 प्रतिशत का अन्तर था, 1981 में रायल्टी की दरों में पुन: संशोधन किया गया। उस समय यह अन्तर और भी अधिक हो गया तथा 61.5 प्रतिशत तक पहुंच गया। 1994 में यह अन्तर 74.5 प्रतिशत हो गया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि "क" श्रेणी के कोयले की रायल्टी की दरें 1.90 रुपए प्रति टन से बढ़ कर ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कानूनगो, कृपया यह समझने की कोशिश करें कि यह वाद-विवाद नहीं है। आप अपना प्रश्न पूछिये। अन्यथा मैं आपके प्रश्न के लिये अनुमति नहीं दूंगा।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: महोदय, मैं अपना प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं प्रश्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं पूछ रहा हूं। यदि आप मुझे अनुमति नहीं देंगे तो मैं चुप बैठ जाऊंगा। मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करूंगा।

"क" श्रेणी के कोयले की रायल्टी दरें 1972 में 1.90 रुपए से बढ़कर 1994 में 195 रुपए तक हो गयी हैं। इसमें 103 गुणा वृद्धि कर दी गई है। जहां तक 'च' श्रेणी के कोयले का संबंध है, इसकी रायल्टी दरों में 29 गुणा वृद्धि हुई है। इतना अन्तर क्यों है?

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री जी बोलेंगे। मंत्री जी के उत्तर के पश्चात् आप दूसरे अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एन.टी. षणमुगम: महोदय, मंत्रालय से जो ब्यौरा प्राप्त हुआ है। वह 1971 की सूचना पर आधारित है। ...*(व्यवधान)* यह देश के सामने है।

जहां तक संभव हो सका है, हमने विभाग से जानकारी प्राप्त की है। इसमें समानता भी है। कीमतों में अनेक बार वृद्धि हुई है। लेकिन 1981 से लेकर 1994 तक रायल्टी की दरों में पांच बार वृद्धि हुई है। क्योंकि विद्युत उत्पादन के लिए कम कीमत और निम्न श्रेणी के कोयले की रायल्टी दरों में वृद्धि अति आवश्यक है। यह काफी उपयोगी है। हम विद्युत उत्पादन के लिए निम्न श्रेणी के कोयले का उपयोग कर रहे हैं। यह सार्वजनिक उपयोग के लिये अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए, 1981 और 1991 की सरकारी अधिसूचनाओं के द्वारा निम्न श्रेणी के कोयले की कीमत को कम रखा गया था ...*(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो: महोदय, मंत्री के उत्तर को मत देखिये। आप कृपया प्रश्न को देखिये।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिये।

श्री एन.टी. षणमुगम: एम.एम.आर. अधिनियम के अनुसार केन्द्र सरकार रायल्टी की दरों में तीन वर्ष में एक बार वृद्धि कर सकती है। लेकिन बाजार मूल्य निर्धारित करके कीमतों में वृद्धि की जा सकती है। अब हम खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत भी कोयले का आयात कर रहे हैं। इसलिए हम कीमत में वृद्धि करते समय और कीमतों में वृद्धि करने के बाद रायल्टी की दरों में वृद्धि नहीं कर सकते क्योंकि अधिनियम में इस पर प्रतिबंध है, रायल्टी की दरों में तीन वर्ष में केवल एक ही बार वृद्धि की जा सकती है। हमें इसे भी ध्यान को रखना होता है। यही कारण है कि हमने निम्न श्रेणी के कोयले का मूल्य नहीं बढ़ाया है। 1994 में यह समानता नहीं रही थी। इस समय कोयले के मूल्य में 22.22

प्रतिशत से लेकर 33.33 प्रतिशत तक वृद्धि की गई थी। 1994 से पूर्व इसमें समानता थी ...*(व्यवधान)* हमने निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी के कोयले के मामले में असमानता को काफी हद तक कम किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप कोई विशिष्ट अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: इसमें तीन वर्षों में वृद्धि नहीं की जाती। लेकिन तीसरा वर्ष पूरा हो जाने के बाद इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। 1994 में कोयले के मूल्यों में वृद्धि की गई थी। रायल्टी की दरों में संशोधन 1997 में किया जाना था। इस बीच तीन्र वर्ष बीत गये।

वह यह कह कर अपना बचाव कर रहे हैं कि इससे विद्युत उत्पादन की लागत बढ़ेगी और इससे उपभोक्ता प्रभावित होंगे। वर्ष 1994 से लेकर आज तक कोयले, विशेष रूप से पावर ग्रेड कोयले, के मूल्यों में 45 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। लेकिन वर्ष 1997 से वर्ष 2000 तक रायल्टी की दर में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय: इस बीच तीन वर्ष बीत चुके हैं और इस कारण निर्धन राज्य, जिसमें आपका राज्य भी शामिल है, अत्यधिक प्रभावित हुए है। ऐसे छः राज्य हैं और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो इससे प्रभावित नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: श्री कानूनगो आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है। आपका अनुपूरक प्रश्न यह है कि रायल्टी की दरों में वृद्धि क्यों नहीं की गई है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: जी हां, और जबकि मूल्य में 45 प्रतिशत वृद्धि हुई है। महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक सामान्य प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: महोदय, यह एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है।

उड़ीसा में सुपर ताप विद्युत केन्द्रों और ताप विद्युत केन्द्रों के लिये कोयले की कीमत काफी कम है। यह 463 रुपए प्रति टन है। जबकि दिल्ली में कोयले की 1780 रुपए प्रति टन कीमत से विद्युत का उत्पादन हो रहा है। आन्ध्र प्रदेश में इसका मूल्य 1065 रुपए प्रति टन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो राज्य सस्ती दरों पर कोयला उपलब्ध करा रहे हैं, उन राज्यों को अधिक रायल्टी क्यों नहीं दी जाती है। निःसन्देह मध्य प्रदेस और उड़ीसा विद्युत उत्पादन हेतु सस्ती दरों पर कोयला उपलब्ध करा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री त्रिलोचन कानूनगो: कोयले के मूल्य में 45 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उढ़ीसा सस्ती दरों पर कोयले की आपूर्ति कर रहा है इसलिए, कोयले पर रायल्टी में वृद्धि क्यों नहीं की जा रही है?

अध्यक्ष महोदय: कृपया स्पष्ट उत्तर दीजिए। आप रायल्टी में वृद्धि क्यों नहीं कर रहे हैं।

श्री एन. टी. षणमुगम: महोदय, कोयले पर दी जाने वाली रायल्टी की दर के मामने में भारत विश्व के अधिकतम रायल्टी प्रदान करने वाले देशों में से एक है। कोयले को भी खुला सामान्य लाइसेंस श्रेणी के अन्तर्गत लाया गया है। और इस समय हम कोयले का आयात कर रहे हैं। घरेलू कोयले और आयातित कोयले के बीच प्रतिस्पर्धा आवश्यक है। रायल्टी में वृद्धि कर बिजली की दरों पर भी प्रभाव पड़ेगा। हम बिजली बोर्डों को निम्न श्रेणी कोयला बेच रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया प्रश्न को समझिए। कोयले की कीमतों में वृद्धि हुई है और प्रश्न यह है कि सरकार रायल्टी में वृद्धि करने जा रही है अथवा नहीं। कृपया इसका स्पष्ट उत्तर दीजिए।

श्री एन.टी. षणमुगम: महोदय, कोयले पर रायल्टी में 1994 से वृद्धि नहीं की गई है क्योंकि इसका अन्य चीजों पर भी प्रभाव पड़ता है। पहली बात यह है कि हम कोयले का आयात कर रहे हैं और हमें आयातित कोयले के मूल्य के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है। हम राज्य बिजली बोर्डों को निम्न श्रेणी के कोयले की आपूर्ति कर रहे हैं। यदि हम रायल्टी में वृद्धि करते हैं तो कीमत स्वतः बढ़ जायेगी और इसका परिणाम यह होगा कि विद्युत की उत्पादन लागत भी बढ़ जायेगी। विद्युत बोर्डों को कोयला कम्पनियों को पहले सी ही बकाया राशि का भुगतान करना है और उन्होंने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया यह बतायें कि आप रायल्टी में वृद्धि करने जा रहे हैं अथवा नहीं?

श्री एन.टी. षणमुगम: ये तथ्य हैं। हमें इन बातों पर विचार करना होता है और इस समय हम कोयले पर रायल्टी में वृद्धि की स्थिति में नहीं हैं।

श्री कमलनाथ: महोदय, प्रथम दृष्टतया मैंने यह महसूस किया है कि माननीय मंत्री एक नये मंत्री हैं और यदि वह इस समय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते और बाद में अलग से मुझे इसका उत्तर भेज सकते हैं तो मुझे प्रसन्नता होगी। मुझ से

पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि कोयला उत्पादक राज्य वास्तव में कोयला उत्पादन न करने वाले राज्यों को सहायता प्रदान कर रहे हैं और कोयले के मूल्य में वृद्धि होने के साथ-साथ रायल्टी में वृद्धि नहीं हुई है। उत्तर में एक बहुत मजेदार बात है और महोदय मैं नहीं जानता कि आपने उत्तर देखा भी है अथवा नहीं। माननीय मंत्री ने यह कहा है कि केन्द्र सरकार को शिकायतें प्राप्त नहीं हुई अपितु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सभी राज्य रायल्टी में वृद्धि की बात कर रहे हैं और यदि ये शिकायतें नहीं बल्कि अभ्यावेदन है तो मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्री को मंत्रालय द्वारा इस तरह से तैयार किये गए उत्तर के अनुसार चलना चाहिए और सभा में हमें ऐसा उत्तर देना चाहिए। महोदय मुझे इस पर घोर आपत्ति है। उत्तर में कहा गया है कि शिकायतें नहीं बल्कि अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। इसका क्या अर्थ है? मैं माननीय मंत्री से इसका सटीक उत्तर चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री वैको: महोदय, उन्हें माननीय मंत्री का इस तरह से नहीं करना चाहिए।

श्री कमलनाथ: महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि वह नए मंत्री हैं और यदि वह मुझे लिखित उत्तर भेजेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी ...*(व्यवधान)* उनका मजाक किसने उड़ाया है? ...*(व्यवधान)* मैंने उनके द्वारा दिया गया उत्तर नहीं समझा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कमलनाथ, आपने पहले ही कहा है कि वह नए मंत्री हैं।

श्री कमलनाथ: मैंने यही कहा है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछते समय इस बात का ध्यान रखें।

श्री कमलनाथ: ठीक है महोदय, यदि वह बाद में लिखित उत्तर दे पाएंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैंने तो यह सिर्फ उनकी सुविधा के लिए बोला है।

सरकार पहले ही कई घोषणाएं कर चुकी है कि वह कोयले की कीमतों को अनअधिसूचित कर रही है। आज रायल्टी बढ़ाने का एक मात्र मुद्दा है। इसे कब बढ़ाया जायेगा क्योंकि कीमतें तो बढ़ चुकी हैं? सरकार यह पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह कोयले की कीमतों को अनअधिसूचित करने जा रही है। इसका यह मतलब है कि सरकार कीमतें निर्धारित नहीं करेगी। तो फिर रायल्टी की नीति क्या होगी? क्या तब सरकार रायल्टी को मूल्य के आधार पर रखने पर विचार करेगी? मेरा यह सीधा सा प्रश्न है।

श्री एन.टी. षणमुगम: माननीय सदस्य का यह सुझाव कि रायल्टी मूल्य के आधार पर रखी जाये, बहुत अच्छा है। अब हम इसकी जांच कर रहे हैं। हमने मंत्रालय में एक आंतरिक समिति गठित की है जो इस बात की जांच करेगी कि क्या रायल्टी का मूल्यानुसार निर्धारण संभव है। हम राज्यों से भी परामर्श करेंगे। क्योंकि मानदंडों में परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद हम मूल्य के आधार पर रायल्टी, अपनाने की स्थिति में होंगे।

श्री कमलनाथ: यदि आप उत्तर नहीं दे सकते तो तो कृपया यह बतायें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: आप मंत्रियों से लिखित परीक्षा देने के लिए कहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पांडियन, यह तो ज्यादती है। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, जिन राज्यों में कोयले का उत्पादन होता है, उनके लिए आर्थिक संसाधन जुटाने का एक स्रोत कोयले की रॉयल्टी होती है। हम माननीय मंत्री जी से एक ही सवाल जानना चाहेंगे कि जो कोयले की रॉयल्टी मिलती है वह वजन के आधार पर मिलती है, क्या सरकार यह विचार करेगी कि कोयले की रॉयल्टी उसके वजन के आधार पर न देकर कोयले के मूल्यों के आधार पर राज्यों को दी जाये।

[अनुवाद]

श्री एन.टी. षणमुगम: हम मूल्यों के आधार पर रायल्टी निर्धारित करने पर विचार कर रहे हैं। हमने एक समिति गठित की है। हम माननीय सदस्य के सुझाव पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन्होंने जैसा जवाब दिया है कि किसी राज्य से कोई शिकायत नहीं आई है, जबकि तीन साल में रॉयल्टी रिवीजन करने का बात थी। मैं भी कोयला मंत्री

रह चुकी हूं और हमने 1997 में कोयले की रॉयल्टी के बारे में निर्णय किया था कि इसे कीमत के आधार पर किया जाए, लेकिन वह कैबिनेट में नहीं जा सका था। इनसे पहले माननीय रीता वर्मा जी मंत्री थीं, उन्होंने जवाब दिया था कि कोयले की रॉयल्टी ...*(व्यवधान)* हम लोग करने जा रहे थे। आज जब मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में महिला सदस्यों के भाषण में व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह: हमारे समय में हम लोगों ने इस तरह का निर्णय लिया था कि कीमत के आधार पर हम लोग रॉयल्टी फिक्स करेंगे। लेकिन इनकी सरकार के आने के बाद इन लोगों ने रोक लगा रखी है। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि किसी राज्य से कोई शिकायत नहीं मिली है। जहां तक आप यह सवाल उठाते हैं कि हम कोयले का इम्पोर्ट करते हैं, जब आपके यहां कोयले का उत्पादन होता है तो आप बाहर से कोयला क्यों ला रहे हैं। आप पूरे देश की कोयला खदानों को बंद करने जा रहे हैं और बाहर से आयात कर रहे हैं, तो क्या आप इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करके अपने यहां के कोयले के दामों को बढ़ा रहे हैं और बाहर से कोयले को लाने की परमीशन दे रहे हैं। इससे अपने यहां जो कोयले का उत्पादन हो रहा है, क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा। आप कब तक रॉयल्टी बढ़ाने जा रहे हैं, यह बताएं?

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती कांति सिंह, आपका प्रश्न क्या है, आप प्रश्न पूछिये।

श्रीमती कांति सिंह: इससे बिहार राज्य को 1500 करोड़ रुपये का सालाना घाटा होगा। इसलिए आप कीमत के आधार पर रॉयल्टी कब तक कर रहे हैं, हम यह जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री एन.टी. षणमुगम: महोदय, हम कोयले का आयात कर रहे हैं। सरकार की यह नीति है। अत:, देश के कोयले को आयातित कोयले से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। अब हम माननीय सदस्य के इस सुझाव पर विचार कर रहे हैं कि जब कभी भी मूल्य वृद्धि होगी तो हमें रायल्टी बढ़ानी होगी।

अत: हमने समिति गठित की है। हम माननीय सदस्यों के सुझाव पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, यह बड़ा अच्छा हुआ कि मंत्रिमंडल बदल गया। अब मंत्री जी बढ़िया जवाब दे रहे हैं। जो विषय माननीय रघुनाथ बाबू और पूर्व मंत्री महोदया ने उठाया है, उसी संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि आज बिहार 60 फीसदी कोयला पूरे भारतवर्ष को दे रहा है और लगभग, 7 फीसदी पावर जनरेशन बिहार के कोयले से होता है। उस प्रांत के हालात से पूरा सदन अवगत है, आप भी अवगत हैं। मंत्री जी ने जो मूल्य के आधार पर रायल्टी देने की बात रखी है, मैं जानना चाहूंगा कि जिन राज्यों में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है, उन राज्यों में कोई डिफरेंशियल सिस्टम लागू करके क्या आप उन्हें मूल्य पर आधारित रॉयल्टी देना चाहेंगे? जिन राज्यों में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है, कम से कम, पूरे भारतवर्ष से उनके नियमों को थोड़ा अलग करके, डिफरेंशियल सिस्टम लागू करके, उन्हें आप कम से कम मूल्य के आधार पर रॉयल्टी देने के प्रस्ताव पर विचार करने के बारे में सोचते हैं? यह बड़ा मूल प्रश्न है। इसमें अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बिहार प्रांत को बड़ा लाभ होगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सरकारी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। यह सरकार उसे क्यों रोके हुए है? ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं सरकारी रिपोर्ट को जानता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास जिन राज्यों में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उन राज्यों में कोई डिफरेंशियल सिस्टम लागू करके, उसे मूल्यों के साथ लिंकअप करके, और बाकी राज्यों को वजन के आधार पर छोड़ने का कोई प्रस्ताव हैं। ...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह सरकार उसे रोके हुए है। सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी है। 1997 में ...*(व्यवधान)* अभी तक सरकार उसे क्यों रोके हुए है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, यह क्या है? आप हमेशा सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालते रहे हैं। यह क्या है?

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल: जब आपके मंत्री थे तब आपने कुछ नहीं किया। ...*(व्यवधान)* अब ये बात कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमने उसे किया था। आपकी सरकार ने उसे रोक रखा है। ...*(व्यवधान)* हमसे दुश्मनी किये हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन.टी. षणमुगम: हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे ...*(व्यवधान)* हम निश्चित रूप से माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे।

राजनीतिक दलों को आवास का आवंटन

+
***23. श्री सुकदेव पासवान:**
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या सरकार को विभिन्न राजनीतिक दलों से आवास के हेतु और अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ राजनीतिक दलों के कार्यालयों को खाली करवा लिया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ दलों ने सरकार से राजधानी में वैकल्पिक आवास के आवंटन के लिये अनुरोध किया है;

(च) यदि हाँ, तो इन दलों को वैकिल्पक आवास कब तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा;

(छ) क्या सरकार ने राजनीतिक दलों को सरकारी आवास वापस करने हेतु भी नोटिस जारी किए हैं; और

(ज) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) से (ज) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 585/94 में व्यक्त अभिमत के आलोक में राजनैतिक दलों को आवास आबंटन दिशानिर्देश सरकार द्वारा संशोधित किए गए थे और लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं:-

(1) राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां जिन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा ऐसी मान्यता मिली है, को दिल्ली में अपने कार्यालय के लिए एफ आर 45 ए के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति शुल्क अर्थात् सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क पर सामान्य पूल से मकान यूनिट रख सकेंगी/आबंटन ले सकेंगी।

(2) इस प्रकार का आवास तीन वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा जिसके दौरान पार्टी सांस्थानिक क्षेत्र में भूमि का कोई प्लाट लेगी और पार्टी कार्यालय के लिए वास का निर्माण करेगी।

(3) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के पार्टी अध्यक्ष को एक रिहायशी आवास आबंटित किया/रखने दिया जाएगा यदि पार्टी अध्यक्ष के पास दिल्ली में अपना या सरकार द्वारा उन्हें किसी भी अन्य रूप में आबंटित मकान न हो।

(4) भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों को भी कार्यालयीय सुविधा दी जाएगी बशर्ते कि कैबिनेट की आवास समिति की राय में संसद से उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो और उनके मामले को आवास कैबिनेट समिति द्वारा उसकी योग्यता के आधार पर आबंटन के लिए अनुमोदित किया जाए।

(5) किसी भी राजनीतिक पार्टी को आबंटित या उनके कब्जे वाले अन्य भवनों को रद्द कर दिया गया है। तथापि, पार्टी को वैकल्पिक व्यवस्था करने और सरकारी आवास खाली करने के लिए छह माह की अवधि या किए गए आबंटन की समयावधि तक, जो भी पहले हो, तक का समय दिया जाएगा।

2. 21 राजनैतिक पार्टियों से आवास आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए। इन राजनैतिक पार्टियों के नाम अनुलग्नक-1 में दिए गए हैं।

3.1 इन 21 राजनैतिक पार्टियों में से 9 राजनैतिक पार्टियां (क्रम 13 से 21) मान्यता प्राप्त नहीं हैं और इसलिए किसी सरकारी आवास के आबंटन की पात्र नहीं हैं। संपदा निदेशालय के दिनांक 24.7.2000 के पत्र द्वारा तदनुसार उन्हें सूचना भेज दी गई है।

3.2 राज्य स्तरीय पार्टी के (क्रम 5 से 12) मामले समुचित निर्णय के लिए आवास कैबिनेट कमेटी के समक्ष रखे जा रहे हैं। इन पार्टियों से, उपर्युक्त पैरा 1 में संदर्भित नई नीति निर्णय के संदर्भ में, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने के लिए कहा गया है।

3.3 राष्ट्रीय पार्टियों में से भारतीय जनता पार्टी (बी.जे.पी.) ने सांस्थानिक (इन्स्टीटयूशनल) क्षेत्र में भूमि के समुचित आबंटन के लिए आवेदन किया है और उनका मामला प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सी पी आई (एम) की सतत मान्यता का मामला निर्वाचन आयोग (इलैक्शन कमीशन) के विचाराधीन है और निर्वाचन आयोग से सूचना प्राप्ति पर उनके अनुरोध पर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जनता दल (जनता दल सेक्यूलर) और जनता दल (यूनाइटेड) के मामले भी निर्वाचन आयोग के विचाराधीन हैं और निर्वाचन आयोग से सूचना प्राप्ति के पश्चात उनके मामलों के आगे जांच की जाएगी।

4. उपर्युक्त पैरा 1 में संदर्भित संशोधित नीति के अन्तर्गत अनुमत्य यूनिट से अधिक के आवास को वापस (सरेंडर) करने के लिए राजनैतिक पार्टियों को नोटिस जारी किए गए हैं।

5. किसी भी राजनैतिक पार्टी को किसी भी ऐसे कार्यालय से बेदखल नहीं किया गया जो उसे विधिवत आबंटित किया गया था।

6. सरकारी आवास के आबंटन/को रखने के लिए संसदीय पार्टियों के अनुरोधों पर अलग से विचार किया जा रहा है।

क्र. सं.	राजनैतिक पार्टी का नाम	मौजूदा स्थिति अर्थात् मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय अथवा मान्यताप्राप्त राज्य स्तरीय अथवा गैर-मान्यता प्राप्त पार्टी है।
1	2	3
1.	बी.जे.पी.	राष्ट्रीय पार्टी
2.	सी.पी.आई. (एम)	राष्ट्रीय पार्टी
3.	जनता दल (यूनाइटेड)	राष्ट्रीय पार्टी
4.	जनता दल (सेक्यूलर)	राष्ट्रीय पार्टी
5.	ए.आई.ए.टी.एम.के.	राज्य स्तरीय पार्टी
6.	तेलगू देशम पार्टी	राज्य स्तरीय पार्टी
7.	शिरोमणि अकाली दल	राज्य स्तरीय पार्टी
8.	एम.डी.एम.के.	राज्य स्तरीय पार्टी
9.	शिव सेना पार्लियामेंटरी पार्टी	राज्य स्तरीय पार्टी
10.	राष्ट्रीय जनता दल	राज्य स्तरीय पार्टी
11.	पी.एम.के. पार्टी	राज्य स्तरीय पार्टी
12.	लोक शक्ति	राज्य स्तरीय पार्टी
13.	राष्ट्रीय बहुजन एकता पार्टी	गैर मान्यता प्राप्त
14.	भारतीय माइनोरिटीज सुरक्षा महासंघ	गैर मान्यता प्राप्त
15.	लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी	गैर मान्यता प्राप्त
16.	लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	गैर मान्यता प्राप्त
17.	भारतीय समाज कल्याण पार्टी	गैर मान्यता प्राप्त
18.	सरपंच समाज पार्टी	गैर मान्यता प्राप्त
19.	अखिल भारतीय लोकतांत्रित कांग्रेस	गैर मान्यता प्राप्त
20.	भारतीय जनता दल	गैर मान्यता प्राप्त
21.	राष्ट्रीय संगठन	गैर मान्यता प्राप्त

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब ठीग ढंग से सभा-पटल पर नहीं रखा है। 6 मार्च, 2000 को राज्य सभा में संशोधित गाइडलाइन्स रखी गयी थीं जिनमें व्यवस्था है कि प्रत्येक राजनीतिक दल को एक कार्यालय और उस दल के अध्यक्ष को एक आवासीय इकाई दी जायेगी। सरकार के इस निर्णय के फलस्वरूप, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कर्मचारियों और अध्यक्षों को अभी तक आवास आबंटित नहीं किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इनके डिपार्टमैंट के लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय को जबरदस्ती खाली करवाकर उसका सामान उठाकर ले गये। अभी तक उन्हें कोई आवास आबंटित नहीं हुआ है। इस बारे में मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं?

श्री जगमोहन: अध्यक्ष महोदय, यह जो फैसला हुआ है कि ऑल पोलिटिकल पार्टीज को कैसे आवास दिया जाये, उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक नया डायरेक्शन आया है कि नई गाइडलाइन्स बनाई जाये। उन गाइडलाइन्स के मुताबित यह फैसला हुआ है कि जिन पोलिटिकल पार्टीज को रेजिडेंशियल एरिया में आफिस मिलेगा, उसे उतनी देर में खाली करना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

आप मेरी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* कोई भी पोलीटिकल पार्टी, जिसे लीगली ऐलॉटिड था, किसी का ऐविक्शन नहीं किया गया। जिस केस का आप जिक्र कर रहे हैं, यह हाउस तसलीमुद्दीन साहब को एज ए मिनिस्टर ऐलॉटिड था। जब उनको कैंसल हो गया फिर भी वह एज एस.पी. रहे। 26 अक्टूबर, 1999 को वे संसद सदस्य नहीं रहे और उनकी ऐलॉटमैंट लीगल नहीं रही, औथोराइण्ड नहीं रही। जो आपका डिसीजन था ...*(व्यवधान)* आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं यह चाहता हूं कि सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जाये ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। यह क्या है? आप मंत्री द्वारा उत्तर देते समय बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप बाद में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जगमोहन: 26 अक्टूबर के बाद इनका पोजैशन लीगल नहीं रहा। उसके बाद नए मंत्री कन्नप्पन साहब को यह मकान 3 नवम्बर को ऐलॉट कर दिया गया। उन्होंने उसकी ऐलॉटमैंट ऐक्सैप्ट कर ली। क्योंकि इन्होंने खाली नहीं किया। बेदखल करने की कार्यवाही लोक परिसर अधिनियम के तहत की गई। महोदया, सत्य कटु होता है। आप सच्चाई सुनना नहीं चाहती हैं।

श्रीमती कान्ति सिंह: वहां सारी राजनैतिक पार्टियों के कार्यालय खुले हुए हैं। *...(व्यवधान)*

श्री जगमोहन: सत्य कटु होता है। अत:, आप इसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

जब ऐविक्शन प्रोसीडिंग हो गई, पजैशन हो गया, उसके बाद इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कि मैंने इस मकान पर कब्जा कर लिया है। अपने आप ही कब्जा कर लिया और अब कहते हैं कि वह किसी पार्टी को ऐलॉट नहीं था। इन्होंने पहले कब्जा कर लिया जिसे ऐविक्शन प्रोसीडिंग ऐस्टेट ऑफिसर ने अंडर दी लॉ करके हटवाया। फिर उसके बाद जब भी उसका पजैशन लेने गए, उन्हें फिजीकली दो बार रोका गया। तीसरी बार उसका पजैशन लेकर कन्नप्पन साहब को दिया गया। उसमें तसलीमुद्दीन साहब की तरफ 10 लाख रुपये अभी तक ड्यू हैं।

[अनुवाद]

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद सदस्यों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है और उन्होंने परिसर पर कब्जा कर लिया तथा अब यह कह रहे हैं कि हमने उन्हें बेदखल कर दिया है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: यह सदन को जानकारी है। यह मंत्री जी क्या कह रहे हैं। *...(व्यवधान)* वहां दोहरा मापदंड है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह तो ज्यादती है कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री सुकदेव पासवान आप दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सदन को मिसलीड किया जा रहा है। *...(व्यवधान)* मैं चुनौती देता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या यहां कोई नियम नहीं है?

[अनुवाद]

इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। यह क्या है? आप अध्यक्ष पीठ की अनुमति के बिना इस प्रकार कैसे बोल सकते हैं?

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान: अध्यक्ष महोदय, आप भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के लिए, मैं आपसे भी मिला और माननीय मंत्री महोदय से भी मिला। एक बार नहीं दर्जनों बार मिला और हमेशा आश्वासन मिलता रहा। उसके बावजूद भी मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं और बॉय फोर्स हमारा ऐविक्शन कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय, जो वहां से हटवाया गया, उसके बदले अविलंब कब तक कार्यालय देने की व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री जगमोहन: जो पॉलिसी डिसीजन है, उसके मुताबिक हम इनको ऐलॉटमैंट करेंगे। इलैक्शन कमीशन से पूछा गया है। इलैक्शन कमीशन ने लास्ट वीक लिस्ट भेजी है कि कौन सी पार्टी रिकगनाइज्ड है, कौन सी स्टेट पार्टी रिकगनाइज्ड हैं या नैशनल पार्टी रिकगनाइज्ड हैं। उसके मुताबिक ऐलॉटमैंट के लिए ऐकोमोडेशन कमेटी ऑफ दि कैबिनेट के सामने केस रखा जाएगा और उसके बाद इसकी ऐलॉटमैंट का फैसला होगा। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपको मालूम है। सारी सूचना दी गई है। ...*(व्यवधान)* कार्यालय को हटवाया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह तो ज्यादती है। यह क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

क्या हाउस में आपके लिए कोई नियम नहीं है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया सभा में उचित व्यवहार करें। यह क्या है? आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और पार्टी के नेता भी हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पी.एस. गढ़वी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक बनाई गई हैं ...*(व्यवधान)* वे गाइडलाइंस कब बनाई गई और क्या इन गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जायेगा या नहीं, सरकार उन्हें एडहेयर करेगी या नहीं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पार्टीवाइज आज की तारीख में कितनी पार्टियों के पास कितनी संख्या में एकोमोडेशन हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जगमोहन: इन सभी मार्गनिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। मैंने अपने उत्तर में पहले ही बता दिया है कि ये मार्गनिर्देश क्या हैं। जहां तक पार्टियों का संबंध है, इन मार्गनिर्देशों के पहले, कई राजनीतिक पार्टियों के पास कतिपय आवास परिसर हैं। कांग्रेस (आई) के पास 16; भा.जा.पा. के पास 10; सी.पी.आई. के पास 4; सीपीआई (एम) के पास 2; बहुजन समाज पार्टी के पास 1; ज.द. (बी) के पास एक, जनता पार्टी के पास 3; समाजवादी पार्टी के पास 1; समता पार्टी के पास 1 आवास परिसर हैं? अब रा. कां. पार्टी को एक परिसर है ...*(व्यवधान)* अब तैयार किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार एक राजनीतिक पार्टी अपने कार्यालय के लिए केवल एक आवास रख सकती है। यह उन्हें सूचित कर दिया गया है। उन्हें अन्य आवासों को छः माह के भीतर खाली करने के लिए कहा गया है।

जहां तक एक कार्यालय रखने का संबंध है, इसे तीन वर्षों तक रखने की अनुमति दी गई है। इन तीन वर्षों के भीतर पार्टियों से अपने लिए संस्थागत क्षेत्रों में भूमि आवंटित कराकर ऐसी भूमि पर अपने खर्चे से भवन का निर्माण कराना होगा। अब सभी पार्टियों को तीन वर्षों की अवधि के भीतर कार्यालय को संस्थागत क्षेत्र में स्थानान्तरित करने; छः माह के भीतर अन्य आवास परिसरों को छोडने संबंधी नियम का अनुपालन करना होगा।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान: भारतीय जनता पार्टी के पास 10 कार्यालय है, यह कौन-सी गाइडलाइन में है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आर.जे.डी. को अभी तक कोई आफिस नहीं दिया गया है क्या?

श्री जगमोहन: इन्होंने पहले एप्लाई नहीं किया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री जगमोहन: जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि उन्होंने अब इसके लिए आवेदन किया है। उनके आवेदन को निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया था। उन्होंने इसे राज्य स्तरीय पार्टी बताया है। अब इस मामले को मंत्रिमंडल की आवास समिति के समक्ष रखा जायेगा। निर्वाचन आयोग से उत्तर पिछले सप्ताह ही प्राप्त हुआ है। निर्वाचन आयोग का पत्र दिनांक 17 जुलाई का है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इनसे पूछा जाये कि देने के लिए किसने कहा था? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी: महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि यह प्रश्न पूछा गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद में कार्यरत सभी राजनीतिक पार्टियों के लाभार्थ माननीय मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहूंगा।

महोदय, जैसाकि आप भली-भांति जानते हैं कि संसद में कार्यवाही मात्र घंटों सभा में बैठने से नहीं होती है। पार्टी कार्यालय में चाहे वह भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी का हो। हमारे कर्मचारी और अन्य सहायक संसद में हमारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में हमारी सहायता करते हैं।

उत्तर में उल्लिखित वक्तव्य के अंतिम भाग में माननीय मंत्री ने कहा है: "सरकारी आवास के आवंटन/प्रतिधारण के लिये संसदीय दलों के अनुरोधों पर अलग से विचार किया जा रहा है।" इस संसद भवन में पार्टियों के कार्यालय हैं जहां कर्मचारी पिछले 15 वर्ष या 20 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। मैं आपको अपनी पार्टी के बारे में बता सकता हूं। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले 17 या 18 वर्ष से कार्य कर रहे हैं और वे सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं। कुछ दो वर्ष के बाद और कुछ एक वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जायेंगे। उन्हें भी अक्टूबर माह के अन्दर ही आवास खाली करने के नोटिस मिल गये हैं। यही स्थिति सब जगह है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो। महोदय, हमने आपके समक्ष यह मुद्दा रखा था। मंत्री महोदय ने नये दिशानिर्देशों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का संदर्भ दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि संसद में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कर्मचारियों को आवास दिये जाएं, जैसा कि लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति निर्णय लें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस पर कार्यवाही की है और क्या सरकार ने आवास के आवंटन और कर्मचारियों को नोटिस भेजने के लिये नये दिशानिर्देश बनाने से पहले माननीय अध्यक्ष ...यसभा के माननीय सभापति से परामर्श किया था। मैं यह ... हूं कि इन दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन किया जाए और संसद भवन में कार्य करने वाले किसी भी राजनीतिक दल के कर्मचारी, जिसने पिछले 10, 15 या 17 वर्षों तक अपने दायित्व का वहन किया है, को आवास खाली करने के लिये नोटिस नहीं भेजा जाए। मैं, संसद में कार्य कर रही राजनीतिक पार्टियों को सुरक्षा देने हेतु आपका, सभा के संरक्षक के रूप में संरक्षण चाहता हूं।

श्री जगमोहन: महोदय, जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, जिसमें यह कहा गया है कि माननीय अध्यक्ष महोदय लोक सभा और माननीय सभापति राज्य सभा से परामर्श किया जाना चाहिये, तो उनसे परामर्श किया गया था और दोनों ही सचिवालयों से यह उत्तर प्राप्त हुआ था कि माननीय अध्यक्ष और माननीय सभापति, दोनों ही प्रशासनिक मामलों में नहीं पड़ना चाहते। अत: उन्होंने कहा था कि हम जो निर्णय लेना चाहें ले सकते हैं। अत:, निर्णय लिया गया था, जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है।

श्री जगमोहन: यह निर्देश है किन्तु बाद में परामर्श के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। अत:, यह कहा गया कि वे इस मामले में नहीं पड़ना चाहते और निष्पक्ष न्याय के आधार पर हम जो उचित समझें निर्णय ले सकते हैं। इसलिए सरकार ने शीर्षस्थ स्तर पर यह निर्णय लिया कि ये दिशानिर्देश हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिये। साथ ही, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लम्बित है जहां वे इन दिशानिर्देशों के विषय में पूछ रहे हैं और वे इन दिशानिर्देशों के संबंध में प्रश्न भी कर रहे हैं कि इन राजनीतिक दलों को वहां बने सरकारी आवास क्यों मिलने चाहिये। अत:, मामला अभी भी लम्बित है और हमने यह कहते हुए शपथपत्र दाखिल किया है कि ये दिशानिर्देश हैं। उच्च न्यायालय अन्य बातें भी पूछ रहा है। जहां तक संसदीय दलों का संबंध है, वे विट्ठलभाई पटेल भवन में स्थित हैं और हमने कहा है कि जहां तक विट्ठलभाई पटेल भवन में स्थित संसदीय दलों का संबंध है, तो माननीय सदस्य के दल से ही नहीं बल्कि अन्य दलों से आवेदन प्राप्त होने के बाद ही उन मामलों पर अलग से विचार किया जायेगा। अत: वे लोग, जिनके कार्यालय विट्ठलभाई पटेल भवन में हैं. उन्हें अभी नहीं हटाया जा रहा है। हम उनके अभ्यावेदनों पर विचार कर रहे हैं। किन्तु, चूंकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अत: हमें उच्च न्यायालय को इस बात के लिए मनाना होगा कि हम चाहते हैं कि वे वहीं रहें।

जहां तक अन्य दलों का संबंध है, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि मास्टर प्लान के अनुसार आप रिहायशी इलाके में कार्यालय नहीं खोल सकते। अत:, वे सभी बंगले, जिनमें कार्यालय हैं, खाली करने होंगे क्योंकि वे उस क्षेत्र में भूमि के निर्धारित उपयोग के अनुरूप नहीं हैं।

श्री प्रिय रंजन दासमुंशी: महोदय, क्या माननीय मंत्री इस मामले पर निर्णय लेने से पहले संसद में कार्य कर रहे दलों को विश्वास में लेंगे क्योंकि मुझे आशंका है कि कर्मचारीगण शोर मचा रहे हैं कि उन्हें नोटिस भेजे जा सकते हैं? उन्हें पहले ही नोटिस भेजे जा चुके हैं और जब वे घर जायेंगे तब तक उन्हें वहां से हटाया जा चुका होगा। अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे संसद में कार्य कर रहे दलों को विश्वास में लें।

श्री जगमोहन: सभी संसदीय दल मुझसे संपर्क बनाए हुए हैं। हम मामले पर चर्चा कर रहे हैं। अंतत: मुझे उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले को ही मानना होगा।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: महोदय, राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी आवास पर अधिकार करने का यह विशिष्ट मुद्दा कभी न खत्म होने वाली तथा बार-बार उभरने वाली समस्या बन गया है। चूंकि अब यह मामला उठाया गया है तो इस पर भली भांति विचार किया जाना चाहिये। यहां तक कि मंत्रालय को भी समय-समय पर राजनीतिक बाध्यताओं और कानूनी जटिलताओं के कारण उलझन वाली स्थिति का सामना करना पड़ता है।

एक तरफ, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश हैं और दूसरी तरफ इन दिशानिर्देशों का अनुसरण करने में राजनीतिक दलों का असहयोग है। निश्चय ही, अब सही समय है कि मंत्रालय इस विशेष पहलू पर एक नया विधेयक लाए। तब, राजनीतिक दल एक साथ बैठें और इस विशेष मुद्दे पर अपना सहयोग दें। मैं किसी दल विशेष को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। बात केवल उन आवासों की संख्या की नहीं है जिन पर राजनीतिक दलों का कब्जा है बल्कि उनके किराये के मूल्य के संबंध में, कुछ राजनीतिक दलों ने सामान्य लाइसेंस शुल्क भी नहीं अदा किया है। हर बार मंत्रालय के लिये एक उलझन वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मैं पहले उसी मंत्रालय में मंत्री के पद पर था और इसी विषय विशेष से सम्बद्ध था।

अब, मैं संपूर्ण सभा के सर्वसम्मत मत के साथ यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय इन आवासों को संस्थागत क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिये कोई अंतिम तिथि निर्धारित करेगा जहां अपनी इच्छानुसार आवास बनवाये जा सकें। यह प्रश्न है। पहले भी इस पर विचार किया गया था। किसी भी राजनीतिक दल को सामान्य पूल के सरकारी आवास पर वर्षों तक अथवा दशकों तक अधिकार नहीं करना चाहिये। यह सुविधा जो सरकार प्रदान कर रही है केवल कुछ समय के लिये है। कोई अंतिम तिथि निर्धारित की जानी चाहिए जिससे राजनीतिक दल संस्थागत क्षेत्र में जाकर अपने आवास बना सकें - चाहे एक आवास हो, दो हों या जितने भी हों। ऐसा किया जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सभी राजनीतिक दलों की सहमति से इस विशेष पहलू पर निर्णय लेना चाहती है और नये दिशानिर्देश लाना चाहती है।

श्री जगमोहन: महोदय, मैं इन टिप्पणियों के लिये माननीय मंत्री का आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय: वे एक पूर्व मंत्री हैं।

श्री जगमोहन: जी, हां महोदय, वे एक पूर्व मंत्री हैं और अब एक सम्मानित सदस्य हैं। दिशानिर्देश निर्धारित किये जा चुके हैं। तीन वर्षों का समय निर्धारित किया गया है यह समय संस्थागत क्षेत्र में स्थानांतरण के लिये दिया गया है और तीन वर्ष तक वे किसी अन्य उपयोग के लिये निर्धारित क्षेत्र में रह सकते हैं। इस अवधि के अन्दर, दलों को अपने आवासों का निर्माण करना होगा और संस्थागत क्षेत्र में जाना होगा। यह अवधि पहले ही निर्धारित की जा चुकी है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपको भी मालूम है और *...(व्यवधान)* उनके सामान को *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

श्री राशिद अल्वी: महोदय, कृपया मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दें *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय जनता दल की शिकायत को समझ सकता हूं। किन्तु माननीय सदस्य द्वारा माननीय मंत्री के प्रति प्रयोग की गई भाषा अत्यधिक आपत्तिजनक है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि उन सभी टिप्पणियों को सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। यहां ऐसी भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। आप कृपया इन टिप्पणियों को सभा की कार्यवाही से निकाल दें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये। मैं उन शब्दों को सभा की कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री नहीं हूं; मैं इस सभा का एक सदस्य हूं। माननीय सदस्य को मेरे विषय में टिप्पणी करने से पहले यह नोट करना चाहिये। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं उन लोगों के पक्ष में नहीं हूं जो झुग्गी-झोंपड़ियों में जाकर धरना देने को तैयार हैं। मंत्री महोदय एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को उनका स्वागत करना चाहिये *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. रघुवंश, यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आज आपको क्या हो गया है?

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह टिप्पणी की है कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं। जो मैं कर रहा हूं उसे

पूरा देश जानता है। मैं सही बातों पर सरकार का समर्थन करूंगा; मैं हर उस बात पर सरकार का विरोध करूंगा जो गलत है। माननीय सदस्य के पास अपने विचार और अपने हित के अनुसार सरकार का समर्थ या विरोध करने का अधिकार है। मैं अपने हित के लिये कुछ नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला आयोग

***24. श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं पर अत्याचार के संबंध में कोई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

सरकार द्वारा 1995 के दौरान महिलाओं के संबंध में ...लन में किए गए वायदों का ब्यौरा क्या है और उन्हें पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) ये सिफारिशें मौजूदा विधानों में संशोधन, नए विधान बनाने, अत्याचारों की शिकार महिलाओं को तुरन्त एवं प्रभावी न्याय दिलवाने के लिए प्रक्रिया में परिवर्तन करने, न्याय तथा विधि प्रवर्तन अभिकरणों को महिला मुद्दों के बारे में जानकारी देने तथा महिलाओं के कानूनी अधिकारों के संबंध में समर्थन और जागरूकता लाने से सम्बन्धित हैं।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में विहित प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 की वार्षिक रिपोर्टें, जिनमें उनकी सिफारिशों का उल्लेख है तथा उन पर की-गई-कार्रवाई की रिपोर्टें लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी हैं। अधिकांश सिफारिशें भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं तथा उन्हें राज्य सरकारों एवं अन्य उपयुक्त अभिकरणों के पास कार्यान्वयन हेतु भेज दिया गया है।

(घ) वर्ष 1995 में बीजिंग में आयोजित चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन के दौरान भारत सरकार ने शिक्षा, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों आदि में निवेशों में वृद्धि के सम्बन्ध में प्रतिबद्धताएं की थीं। हालांकि, इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की गई हैं, अन्य प्रतिबद्धताओं, जैसे राष्ट्रीय महिला शक्ति-सम्पन्नता नीति का निरूपण तथा राष्ट्रीय महिला अधिकार आयुक्त के कार्यालय की स्थापना करने के सम्बन्ध में अन्य मंत्रालयों/विभागों एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के परामर्श से आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

श्री थावरचन्द गेहलोत: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के भाग 'ख' और 'ग' के उत्तर में बताया है कि देश में महिलाओं पर जो अन्याय और अत्याचार की घटनाएं बढ़ी रही हैं, उन्हें रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं और उन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है। उन सिफारिशों के आधार पर कुछ कानूनों के विधान में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारी बात भी सुन ली जाये। ...*(व्यवधान)* यह सरकार ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले कानूनों में सरकार ने संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार किया है, मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन कानूनों में सरकार संशोधन करने वाली है?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: राष्ट्रीय महिला आयोग ने पिछले वर्षों में बहुत सारी सिफारिशें की हैं। उन्होंने कुल 248 सिफारिशें की थीं जिनमें तीन को छोड़कर हमने सबको स्वीकार कर लिया। सिर्फ जो दत्तक ग्रहण के लिए समान कानून या एडॉप्शन के लिए सिफारिश थी, विवाहों में अनिवार्य पंजीकरण, कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज और बाल विवाह निषेध अधिनियम के उल्लंघन में किये गये विवाहों को अमान्य करने संबंधी सिफारिशों को छोड़कर बाकी सिफारिशें हमने स्वीकार कर ली हैं और उस दृष्टि से नये कानून बनाने के लिए दंड संहिता में क्या संशोधन हो सकते हैं,

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उस पर विचार किया गया है। अन्य जो कानून हैं, जो दंड संहिता के बाहर हैं, उनके बारे में भी समीक्षा की गई है और चार-पांच कानूनों पर विचार कर लिया गया है तथा बाकी कानूनों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर सरकार विचार कर रही है। साथ ही विधि तथा गृह मंत्रालय के साथ इन कानूनों पर सरकार विचार कर रही है।

श्री थावरचन्द गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, महिला और बाल विकास के संबंध में महिलाओं को सुविधाएं और संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में निवेश में वृद्धि की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसके लिए किन-किन निवेश में वृद्धि की गई है?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: महिलाओं को संरक्षण देने की विभिन्न योजनाएं केवल हमारे ही मंत्रालय में नहीं चलतीं बल्कि एमपॉवरमेंट एंड सोशल जस्टिस मंत्रालय में भी चलती हैं और हर वर्ष हम इनके निवेश में वृद्धि करते चले जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निवेश में वृद्धि की गई है और साथ ही साथ महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय ने बहुत से कदम उठाए हैं, जैसे उनके लिए अलग से महिला थाने बनाना—उसमें वृद्धि की गई है। अनेक राज्यों में महिला थाने बनाये गये हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत: निवेश में कितनी वृद्धि की गई हैं?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: उसके लिए सैपरेट नोटिस दीजिए।

[अनुवाद]

श्रीमती मारग्रेट अल्वा: मंत्री महोदय ने आयोग की सिफारिशों के संबंध में हमें बहुत कुछ बताया है। क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि आयोग ने यह कहा है कि कर्मचारियों के अभाव और सरकार द्वारा कर्मचारियों हेत स्वीकृति न दिये जाने के कारण वे पिछले चार वर्ष से प्रारूप तैयार नहीं कर सके हैं और वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं। उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है और एक क्लर्क या टाइपिस्ट के लिये भी उन्हें सरकार के पास जाना पड़ता है। सरकार पदों के लिये स्वीकृति नहीं दे रही है और वे कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आयोग को और सहायता की आवश्यकता है और यह केवल कागजों में सहायता प्रदान की गई है। सभी की यही शिकायत है कि सरकार आयोग को कार्य नहीं करने दे रही है।

मैं राष्ट्रीय महिला आयोग पर आधे-घण्टे की चर्चा की मांग करती हूं। मैं इस संबंध मैं आधे घंटे की चर्चा की मांग करती हूं।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष महोदय, कमीशन ने 1992-93 से लेकर 1995-96 तक की रिपोर्ट्स सरकार को दी हैं। 1996-97 से रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। 1996-97 की रिपोर्ट सर्कुलेशन में हैं। इस समय कमीशन का बजट 3.5 करोड़ रुपए का है। उन्होंने बजट बढ़ाने के लिए कहा है जिस पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। ...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना

***22. श्री मानसिंह पटेल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना में देश से महिला निरक्षरता के उन्मूलन की अभिकल्पना की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य के लिए कितना-कितना धन नियत किया गया है; और

(ङ) देश के सभी जिलों में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) विशेषकर कम महिला साक्षरता दर वाले जिलों में बालिकाओं के लिए विशेष स्कूल स्थापित करने की कस्तूरबा गांधी स्वतंत्रता विद्यालय योजना सरकार के विचाराधीन है। इस योजना का लक्ष्य

बालक-बालिका की असमानताओं को दूर करना और समाज के वंचित वर्गों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना है। बजटीय प्रावधानों के साथ-साथ इस योजना की रूपरेखा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन तैयार की गई है। अपेक्षित विचार-विमर्श करने के पश्चात सरकार ने अभी हाल ही में निर्णय लिया है कि यह योजना प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग को हस्तांतरित कर दी जाए। इस योजना को अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है। उसके बजटीय प्रावधान के लिए विभाग प्रयत्नशील है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद

***25. श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री प्रभात सामन्तराय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले एक वर्ष के दौरान आज तक सुरक्षा बलों/नागरिकों के साथ आतंकवादियों/उग्रवादियों द्वारा हिंसा किए जाने की घटनाओं में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें मरने वाले/घायल होने वाले आतंकवादियों, नागरिकों और सुरक्षा बल के कर्मियों की संख्या कितनी है; और

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में उक्त उग्रवाद को रोकने के लिए कौन-सी नई रणनीतियां बनाई गई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों में कुछ वृद्धि हुई है।

वर्ष, 1999 और 2000 (12 जुलाई तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में मारे गए उग्रवादियों, सिविलियनों और सुरक्षा कर्मियों की संख्या के बारे में उपलब्ध ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्रम सं.	शीर्ष	असम		नागालैंड		मणिपुर		त्रिपुरा	
		1999	2000 (12.7)	1999	2000 (12.7)	1999	2000 (12.7)	1999	2000 (12.7)
1.	घटना	447	232	294	129	281	135	614	472
2.	मारे गए उग्रवादी	212	143	118	55	78	54	22	8
3.	मारे गए सुरक्षा कर्मी	77	43	4	4	64	26	42	14
4.	मारे गए सिविलियन	220	139	26	.7	89	31	240	201

क्रम सं.	शीर्ष	मेघालय		मिजोरम		अरूणाचल		कुल	
		1999	2000 (12.7)	1999	2000 (12.7)	1999	2000 (12.7)	1999	2000 (12.7)
1.	घटना	52	38	2	13	9	31	1699	1050
2.	मारे गए उग्रवादी	9	5	–	1	–	7	439	273
3.	मारे गए सुरक्षा कर्मी	14	3	5	7	–	–	206	97
4.	मारे गए सिविलियन	11	3	2	3	2	3	590	387

घायलों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उग्रवादी का मुकाबला करने के लिए अपनाई जा रही नई रणनीति में बेहतर आसूचना संग्रहण, बेहतर समन्वय और सुरक्षा बलों की इष्टतम तैनाती, विशेष अभियान ग्रुपों की स्थापना, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों और सेना की तैनाती के अलावा विशिष्ट जिम्मेवारी तय करके गहन सामरिक अभियान चलाना, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति, गम्भीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करना और मुख्य ग्रुपों को विधि विरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत 'विधि विरुद्ध संगठन' अधिसूचित करना शामिल है।

राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी किया गया है कि उग्रवादी ग्रुपों को बातचीत के लिए तैयार करने हेतु पहल करें।

[हिन्दी]

पाकिस्तान को गुप्त सूचना भेजा जाना

***26. श्री ताराचन्द भगोरा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में पाकिस्तान को सैन्य और सामरिक महत्व की गुप्त सूचनाएं भेजने की गतिविधियों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान आज तक पता लगी ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना से इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि विभिन्न राज्यों में पाकिस्तान को सैनिक और सामरिक महत्व की गुप्त सूचना भेजने की गतिविधियों में कोई वृद्धि हुई है। तथापि, 1999 में जासूसी के 11 मामले बयान में आये थे, जिनमें से 3 मामले दिल्ली में, 1 गुजरात में, 3 उत्तर प्रदेश में, 2 महाराष्ट्र में और एक-एक मामला पश्चिम बंगाल और बिहार में हुआ। चालू वर्ष के दौरान पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में अभी तक जासूसी के 4 मामले सूचित किए गए हैं। क्योंकि ये मामले जांच-पड़ताल/विचारण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, अत: उनके ब्यौरे प्रकट करना वांछनीय नहीं है।

(ग) महत्वपूर्ण सूचना को जासूसी से बचाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश पहले ही मौजूद हैं। राष्ट्र विरोधी तत्वों, विशेषरूप से पाक आई.एस.आई. की तरफ से आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरे के बारे में सभी संबंधितों को समय-समय पर सतर्क किया जाता है।

जासूसी के मामलों से, संगत नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत सख्ती से निपटा जाता है।

[अनुवाद]

अनधिकृत निर्माण को गिराए जाने का अभियान

***27. श्री चन्द्रकान्त खैरे:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने दिल्ली में और देश के अन्य भागों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) दिल्ली में पाए और गिराए गए गैर-कानूनी निर्माणों/झुग्गी-झोपड़ियों और दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में गैर-कानूनी विस्तारों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने केवल चुने हुए अनधिकृत निर्माण ही गिराए हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने क्या नीति अपनाई है;

(च) दिल्ली में सभी अनधिकृत निर्माणों को हटाने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(छ) क्या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को कोई वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया गया है;

(ज) यदि नहीं, तो उनके हितों की रक्षा हेतु क्या उपाय प्रस्तावित हैं;

(झ) इन अनधिकृत निर्माणों में संलिप्तता के लिए बिल्डरों, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ञ) सरकार का विचार दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों से किस तरह से निपटने का है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ङ) दिल्ली में भवन उपनियमों तथा दिल्ली मास्टर प्लान में निर्दिष्ट आयोजन मानदण्डों का उल्लंघन करके अनधिकृत निर्माण अतिक्रमण तथा संपत्तियों के दुरूपयोग की जांच करने के लिए एक अभियान चलाया गया है।

अन्य शहरी केन्द्रों के बारे में राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जानी है। इस संबंध में कोई संक्षिप्त सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री द्वारा 17 जनवरी, 2000 को बुलाई गई शहरी विकास और स्थानीय स्वशासन के राज्य मंत्रियों की बैठक में राज्यों के शहरी केन्द्रों में भूमि और भवन माफिया के बढ़ते हुए खतरे की ओर राज्य सरकारों का विशेष रूप से ध्यान दिलाया गया और उन्हें अनधिकृत भवन निर्माताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने और भवन उपनियमों तथा नियोजना मानदण्डों और विनियमों के अनुपालन के लिए कार्रवाई करने की सलाह दी गई।

(ख) और (ग) निम्नलिखित एजेंसियों द्वारा सूचित 1.1.2000 6.2000 के दौरान पता लगाए गए और गिराए गए अनधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) डी.डी.ए. द्वारा 2790 अनधिकृत निर्माण हटाए गए फ्लैटों में 70 अनधिकृत निर्माणों को भी हटाया गया।

प्लाटों पर से 107 अतिक्रमण हटाए गए हैं।

(2) एस.सी.डी. ने 12155 अस्थायी ढांचे और 2335 स्थायी ढांचे हटाए हैं। 2754 अनधिकृत निर्माणों को भी गिराया गया। 1231 मामलों में अनधिकृत निर्माण, जो चल रहा है, में कार्रवाई की जा रही है, 136 संपत्तियों को सील किया गया है, 8 संपत्तियों के मामले में अभियोजन शुरू किया गया है।

(3) एन.डी.एम.सी. ने 58 मामलों में अनधिकृत निर्माण को गिराया है; 4 अनधिकृत निर्माणों को सील किया गया है; 5 मामलों में अभियोजन की कार्रवाई की गई है; दुरूपयोग के 23 मामले पकड़े गए हैं; अनधिकृत निर्माण के 134 मामले पकड़े गए हैं।

(4) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने ग्राम सभा की लगभग 481 एकड़ भूमि पर से अतिक्रमण हटाए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(च) उक्त अधिनियमों/नियमों में व्यवस्था है तथा अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए सतत प्रक्रिया चलाई जाती है।

(छ) और (ज) जी, हाँ। एम.सी.डी. के स्लम और झुग्गी-झोंपड़ी विभाग तथा डी.डी.ए. ने सूचना दी है कि भूस्वामी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए जरूरी परियोजना स्थलों से जे.जे. कलस्टरों को पुनर्वास करने के लिए एजेंसियों से अनुरोध प्राप्त करने के आधार पर विस्थापित परिवारों को और कहीं बसाने के लिए कार्रवाई की गई है। इस नीति के तहत वर्ष के दौरान 8501 झुग्गियों को दूसरे स्थान पर बसाया गया है।

(झ) जहां कहीं मिलीभगत या ड्यूटी की लापरवाही पाई जाती है तो स्थानीय निकायों/एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जाती है। सरकार ने दिल्ली में अनेक पॉश कालोनियों में नियोजन और भवन मानदण्डों की अवहेलना करके अनधिकृत निर्माण की जांच करने के लिए जनवरी, 2000 में एक शिकायत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भी भेजी है।

(ञ) योजना/भवन मानदण्डों के अपर्याप्त परिपालन के कारण और अवस्थापना आवर्द्धना की ओर अपर्याप्त ध्यान देने के कारण शहरों का विकास अनियोजित हो गया है। इसलिए उपनियमों और अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार भवन योजनाएं स्वीकृत करते समय ऐसे सभी उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई करने और सेवाओं नामत: जल आपूर्ति, पावर, सीवरेज, ग्रीन्स, सड़कें, पार्किंग आदि सेवाओं का आवर्द्धन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित स्थानीय निकायों पर जोर दिया है। समस्या का स्थाई समाधान निकालने के लिए सरकार भी नगर नियोजन, शहरी अभिकल्पन के विशेषज्ञों, वास्तुकारों, इंजीनियरों और अन्य विशेषज्ञों रेजीडेन्ट वेलफेयर संगठनों और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सहित सभी सरकारी एजेंसियों से नियमित संपर्क में है।

अल्पसंख्यकों पर हमले

***28. श्री जे.एस. बराड़:**
श्री कमल नाथ:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से ईसाइयों पर और उनके धार्मिक स्थलों पर हमलों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो देश में 1998, 1999 और जून, 2000 तक हुई ऐसी घटनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक घटना में हुई जान-माल की हानि/क्षति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार तत्वों/संगठनों की पहचान कर ली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों को क्या अनुदेश जारी किए गए हैं;

(च) इस सिलसिले में अभी तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया/दण्डित किया गया; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा देश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। पिछले कुछेक वर्षों के दौरान देश में अल्पसंख्यकों और उनके संस्थानों के प्रति हिंसा की घटनाओं में कुल मिलाकर कोई वृद्धि नहीं हुई है। तथापि, ईसाईयों और उनके संस्थानों के प्रति हिंसा की घटनाओं में कुछ हद तक वृद्धि हुई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1998 के दौरान जून, 2000 तक की अवधि के दौरान हुई घटनाओं और मारे गए/जख्मी हुए व्यक्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं। क्षतिग्रस्त/नष्ट हुई सम्पत्ति के ब्यौरे केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा राज्य में चर्च परिसरों में हुए अनेक बम विस्फोटों के बारे में, दीनदार अंजुमन नामक संगठन के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता सिद्ध हुई है।

राज्य सरकारों से अल्पसंख्यकों और उनके संस्थानों को यथासंभव सुरक्षा प्रदान करने और उनके प्रति हिंसा करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का अनुरोध किया गया है।

(च) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। तथापि, चर्चों में हुई बम विस्फोट की हाल की घटनाओं के संबंध में, अभी तक दीनदार अंजुमन की विजयवाड़ा और हुबली शाखाओं के सचिवों सहित पांच कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।

(छ) केन्द्र सरकार ने साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर, 97 में विस्तृत संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। संबंधित राज्य सरकारों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान किया जाता है और उन्हें समय-समय पर सतर्क रहने संबंधी संदेश और सलाह भेजी जाती है। उनके विशिष्ट अनुरोध पर उन्हें केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल उपलब्ध कराये जाते हैं और केवल साम्प्रदायिक दंगों से ही निपटने के लिए त्वरित कार्य बल नामक विशेष बल का गठन किया गया है। पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है। 4.7.2000 को एक उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की पुनरीक्षा की गयी।

विवरण-I

1998, 1999 और 2000 (जून, 15 तक) के दौरान इसाईयों से संबंधित घटनाएं

राज्य का नाम	घटनाएं			मारे गए व्यक्ति			जख्मी हुए व्यक्ति		
	1998	1999	2000	1998	1999	2000	1998	1999	2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	1	2	5	–	1	–	–	–	23
अरूणाचल प्रदेश	1	–	–	–	–	–	–	–	–
असम	–	2	1	–	–	–	–	–	–
बिहार	4	4	6	1	4	1	2	–	–
दादरा और नागर हवेली	1	--	–	–	–	–	1	–	–
दिल्ली	1	1	1	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गोवा	–	–	1	–	–	–	–	–	–
गुजरात	48	31	17	–	–	–	31	10	19
हरियाणा	1	3	4	–	–	–	–	1	2
हिमाचल प्रदेश	–	–	1	–	–	–	–	–	–
जम्मू और कश्मीर	–	1	–	–	–	–	–	–	–
कर्नाटक	1	1	6	–	–	1	–	–	3
केरल	6	18	10	–	–	–	–	10	13
मध्य प्रदेश	3	9	5	–	–	–	–	–	2
महाराष्ट्र	9	7	3	–	–	–	–	–	–
उड़ीसा	4	14	8	2	4	2	–	43	8
पांडिचेरी	–	1	–	–	–	–	–	–	–
[illegible]	1	1	2	–	–	1	–	–	–
	–	3	2	–	–	–	–	–	–
सिक्किम	–	–	3	–	–	–	–	–	–
तमिलनाडु	3	14	12	–	3	1	6	25	14
उत्तर प्रदेश	2	6	11	–	–	1	5	2	6
पश्चिम बंगाल	–	2	2	–	–	–	–	–	–
कुल	86	120	100	3	12	7	45	91	90

विवरण-II

साम्प्रदायिक घटनाएं दर्शाते हुए विवरण (जनवरी 1998 से मई 2000)

राज्य का नाम	1998			1999			2000		
	घटनाएं	मारे गए	जख्मी हुए	घटनाएं	मारे गए	जख्मी हुए	घटनाएं	मारे गए	जख्मी हुए
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	19	12	123	9	2	77	1	0	14
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	6	3	3	6	4	17	1	5	1
बिहार	95	55	222	59	19	192	33	13	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली	16	3	62	14	1	40	9	3	10
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	72	14	184	72	35	296	37	5	80
हरियाणा	0	0	0	1	0	1	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1	0	2	2	1	2
जम्मू और कश्मीर	2	4	1	2	2	4	1	0	0
कर्नाटक	38	15	342	47	8	128	18	2	36
केरल	8	1	23	8	2	18	3	0	2
मध्य प्रदेश	40	15	70	43	16	111	12	5	44
महाराष्ट्र	82	22	153	95	16	275	33	5	72
मणिपुर	0	0	0	1	1	1	0	0	0
मेघालय	0	0	0	1	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	19	2	43	28	3	39	7	2	3
पंजाब	1	0	2	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	50	8	213	47	7	266	17	1	38
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	37	10	98	27	4	71	8	3	8
त्रिपुरा	2	0	2	1	1	0	1	1	2
उत्तर प्रदेश	119	41	344	102	33	346	43	7	132
पश्चिम बंगाल	39	12	235	34	9	133	8	2	12
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	645	217	2120	598	160	2017	234	55	500

दाऊद-आई.एस.आई. संबंध

***29. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में जाली करेन्सी नोटों का प्रसार कर रहे दाऊद-आई.एस.आई. से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत छ: महीनों के दौरान गिरफ्तार किए गए ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में लगी ऐसी शत्रुवत शक्तियों के प्रयासों को विफल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि जाली भारतीय मुद्रा नोटों को देश में भारत-पाक सीमा और भारत-नेपाल सीमा से चोरी-छिपे लाया जा रहा है, इसके अलावा, इन नोटों को विभिन्न तकनीकों, जिनमें प्रिंटिंग प्रैस, कलर फोटो कॉपियर्स, स्कैनर्स और कलर प्रिंटर्स शामिल हैं, का उपयोग करके देश में भी तैयार किया जा रहा है। सरकार को पाकिस्तान द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के नापाक इरादों की भी जानकारी है।

इस मामले के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना विवरण के रूप में संलग्न है। यह उल्लेख किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अत: अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच-पड़ताल करने, पता लगाने और रोकथाम करने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है और आपराधिक कृत्यों के मामले-वार ब्यौरे केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने केवल जाली मुद्रा नोटों की ही जांच-पड़ताल करने के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है। सीमा सुरक्षा बल ने अपनी अग्रिम टुकड़ियों को अधिक सतर्क रहने के लिए कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार के मुद्रा नोटों को देश में तस्करी करके न लाया जा सके।

नकली मुद्रा नोटों की समस्या से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) भारतीय मुद्रा के सुरक्षा पहलुओं से संबंधित संपूर्ण मुद्दे की जांच करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, गृह मंत्रालय/राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के प्रतिनिधियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

(2) मुद्रा और सिक्का प्रभाग ने, पूर्व में जब्त नकली नोटों की जांच करने के लिए, श्री बी.आर. गायकवाड़, उप-महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में नोट छापने/मुद्रा कागज, इत्यादि के विशेषज्ञों को शामिल करके तथ्यों का पता लगाने वाली एक छ: सदस्यीय समिति का गठन किया है ताकि सरकार मुद्रण और सुरक्षा विशेषताओं के साथ-साथ इस पर उपचारी कार्रवाई कर सके।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह दी गई है कि वह असली नोटों में समाविष्ट सुरक्षा विशेषताओं के बारे में प्रचार अभियान चलाए ताकि जनता असली और नकली नोटों में भेद कर सके।

विवरण

अभियुक्तों की संख्या सहित बरामद/जब्त जाली मुद्रा का विवरण (दिसम्बर, 1998 से मई, 2000)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बरामद (आर)		साईज (एस.)		कुल (आर+एस.)		अभियुक्तों की संख्या
		नोटों की सं०	मूल्य (रु. में)	नोटों की संख्या	मूल्य (रु. में)	कुल नोटों की संख्या	मूल्य (रु. में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	1851	429290	685	74810	2536	504100	61
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	2	1100	2	1100	0
3.	असम	704	271060	98	38860	802	309920	29
4.	बिहार	2725	460650	0	0	2725	460650	उ.न.
5.	गोवा	0	0	14	3400	14	3400	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	गुजरात	1499	419470	7734	1375760	9233	1795230	18
7.	हरियाणा	0	0	444	190400	444	190400	6
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	13	1300	13	1300	1
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	42	7000	42	7000	8
10.	कर्नाटक	2026	771570	1355	175240	3381	946810	43
11.	केरल	673	212020	93	31240	766	243260	14
12	मध्य प्रदेश	653	290490	0	0	653	290490	उ.न.
13.	महाराष्ट्र	5954	1833500	4415	760650	10369	2594150	29
14.	मणिपुर	0	0	45	4900	45	4900	3
15.	मेघालय	0	0	3	1500	3	1500	1
16.	मिजोरम	0	0	273	132500	273	132500	4
17.	नागालैंड	0	0	38	3800	38	3800	1
18.	उड़ीसा	26	8510	0	0	26	8510	0
19.	पंजाब	0	0	2800	600000	2800	600000	21
20.	राजस्थान	2586	1021150	2	600	2588	1021750	0
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	2494	589020	5054	527740	7548	1116760	0
23.	त्रिपुरा	0	0	72	7200	72	7200	8
24.	उत्तर प्रदेश	2155	613780	2103	131320	4258	745100	58
25.	पश्चिम बंगाल	5529	1327140	599	91320	6128	1418460	52
	कुल (राज्य)	28875	8247650	25884	4160640	54759	12408290	177
	संघ शासित क्षेत्र							
26.	अ. और नि. द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0
27.	चण्डीगढ़	1504	721200	18	8600	1522	729800	4
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	दमन और दीव	0	0	1	500	1	500	0
30.	दिल्ली	4460	1249700	21	9300	4481	1259000	4
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	5964	1970900	40	18400	6004	1989300	8
	कुल समस्त भारत	34839	10218550	25924	4179040	60763	14397590	185

टिप्पणी (1) उ. न. = उपलब्ध नहीं

अर्द्ध-सैनिक बलों को सुदृढ़ बनाना

***30. श्री अधीर चौधरी:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार अर्द्ध-सैनिक बलों और राज्य पुलिस को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इन संगठनों में सुधार करने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के तरीकों की खोज कर रही है:

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में आंतरिक सुरक्षा के संबंध में एक कृतिक बल का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो कृतिक बल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अर्द्ध-सैनिक बलों में सुधार के परिणामस्वरूप देश में वामपंथी अतिवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने में कितनी मदद मिलेगी?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और ख) अर्द्ध-सैनिक बलों का सुदृढ़ीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। इन बलों के कार्य निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उनकी कारगरता में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। इनमें, अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करने के साथ-साथ शस्त्रों, उपस्करों का उन्नयन और प्रशिक्षण सुविधाएं शामिल हैं।

राज्य पुलिस के सुदृढ़ीकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को उनकी पुलिस की आधारभूत संरचना में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता भी देती रही है। आतंकवाद/उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मामले में सरकार, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना के अन्तर्गत राज्य पुलिस के उपस्करों के सुदृढ़ीकरण के लिए निधियां दे रही है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) कार्य बल ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ङ) अर्द्ध-सैनिक बलों के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण का प्रयोजन इन बलों को उपयुक्त रूप से सज्जित करना है ताकि ये अर्द्ध-सैनिक बल, अन्य विधि प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ ऐसी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास कर सकें।

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन कार्यक्रम

***31. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौंवी पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि नियत की गयी है;

(ख) विभिन्न राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा गरीब लोगों के लाभार्थ चलाए जो रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ताकि उन्हें अपनी आजीविका उपार्जन करने में समर्थ बनाया जा सके;

(ग) योजनाओं में प्रशिक्षण आदि के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के वेतन पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार स्वरोजगार के अवसर सृजन करने के लिए विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का है ताकि गरीबी का उपशमन किया जा सके; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय 1.12.1997 से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) नामक गरीबी उपशमन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग ने 1009 करोड़ रुपये नियत किए हैं। नौंवी पंचवर्षीय योजना के पिछले तीन वर्षों (1997-2000) के दौरान इस कार्यक्रम हेतु नियत/जारी धनराशि और चालू वर्ष (2000-2001) हेतु अनंतिम आबंटन की राज्यवार राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। नौवीं योजना के पांचवें वर्ष अर्थात् 2001-2001 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा अभी धन का आबंटन नहीं किया गया है।

(ख) यह कार्यक्रम राज्य सरकारों की मार्फत चलाया जा रहा है। यह मरम्मत (सर्विसिंग) छोटे व्यवसाय और विनिर्माण आदि से संबंधित लघु उद्यमों की स्थापना के लिए शहरी गरीबों को मदद देता है। ऐसे कारोबार/व्यवसायों की सूची संलग्न विवरण-II पर है। शहरी गरीबों के लाभ के लिए राज्य सरकारें सहायता मुहैया कराती हैं और संबंधित व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाने में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता लेती है।

(ग) "शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम" घटक के अन्तर्गत प्रशिक्षण और अवस्थापना मदद में से राज्य सरकारें प्रशिक्षण पर 2000/-रु. (प्रति प्रशिक्षार्थी) खर्च कर सकती हैं जिसमें सामग्री लागत, प्रशिक्षक फीस, प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किए जाने वाले अन्य विविध खर्चों के साथ-साथ प्रशिक्षार्थियों को दिए जाने वाला मासिक वजीफा भी शामिल है।

(घ) और (ङ) विभिन्न व्यवसायों में कौशल विकास/उन्नयन का प्रशिक्षण जहां कहीं अपेक्षित होता है, राज्य सरकारों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में उसकी उपादेयता को ध्यान में रखकर दिया जाता है।

विवरण-I

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई) के तहत वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के दौरान जारी केन्द्रीय अंश और वर्ष 2000-2001 के लिए अंतरिम आबंटन को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997-98 के दौरान जारी	1998-99 के दौरान जारी	1999-2000 के दौरान जारी	2000-2001 के दौरान आबंटन (अंतरिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	839.66	1364.28	1398.08	1417.04
2.	अरूणाचल प्रदेश	50.99	65.01	88.65	72.82
3.	असम	540.38	823.08	191.07	864.89
4.	बिहार	506.09	779.22	408.63	808.40
5.	गोवा	20.94	34.40	28.72	35.86
6.	गुजरात	521.86	788.28	340.62	818.01
7.	हरियाणा	86.87	134.79	182.23	138.77

1	2	3	4	5	6
8.	हिमाचल प्रदेश	50.54	74.94	70.91	78.44
9.	जम्मू और कश्मीर	63.54	72.31	97.76	89.68
10.	कर्नाटक	736.46	1114.08	1340.11	1150.40
11.	केरल	202.99	377.09	448.32	389.46
12.	मध्य प्रदेश	927.18	1511.77	1836.21	1565.74
13.	महाराष्ट्र	1402.22	2043.29	715.38	2129.23
14.	मणिपुर	122.95	191.12	44.24	200.45
15.	मेघालय	73.24	118.45	27.30	123.56
16.	मिजोरम	69.63	125.64	146.30	128.15
17.	नागालैंड	53.33	84.16	82.34	85.13
18.	उड़ीसा	223.11	360.44	460.83	375.11
	पंजाब	68.33	135.22	160.99	139.42
20.	राजस्थान	329.91	620.52	330.23	643.53
21.	सिक्किम	20.51	30.98	30.02	33.48
22.	तमिलनाडु	919.50	1479.77	514.00	1529.39
23.	त्रिपुरा	93.98	157.74	82.52	162.00
24.	उत्तर प्रदेश	181.03	1988.42	2344.02	2059.40
25.	पश्चिम बंगाल	518.64	822.00	285.52	849.64
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	72.66	116.43	71.97	111.43
27.	चंडीगढ़	48.42	80.98	0.00	102.29
28.	दादरा एवं नगर हवेली	12.50	37.67	54.06	27.08
29.	दमन एवं दीयू	50.05	63.92	47.66	52.20
30.	दिल्ली	32.70	183.61	19.00	139.96
31.	पाण्डिचेरी	22.66	67.39	29.60	49.04
	योग	9862.87	15847.00	11877.29	16370.00

विवरण-II

कार्यकलापों/व्यवसायों की विस्तृत सूची

(क) नगर सेवाएं जिनके लिए विशेष कौशल जरूरी नहीं है-चाय की दुकान, समाचार पत्र/पत्रिका दुकान, आइसक्रीम विक्रेता, दुग्ध विक्रेता, पान/सिगरेट की दुकान, रिक्शा चलाना, फल/सब्जी विक्रय, लांड्री कार्य आदि।

(ख) नगर सेवाएं जिनके लिए विशेष कौशल आवश्यक है-हैटेविजन/रेडियो/फ्रिज/टाइपराइटर/कूलर/साइकल/आटोमोबाइल/डीजल मोटर/डीजल इंजन/घड़ी/बिजली के घरेलू उपकरण, खान-पान, ड्राईक्लीनिंग, कुर्सियां बुनना, मोटर वाइन्डिंग, जूते की मरम्मत, जिल्दसाजी के साथ-साथ मकान के उन्नयन/निर्माण से संबंधित कौशल जैसे नलसाजी, बढ़ईगीरी, राजगीरी, चित्रकारी और पालिश करना, टाइल लगाना, शीशा लगाना, बिजली कार्य आदि।

(ग) लघु निर्माण यूनिटें जिनके लिए कौशल आवश्यक है-वाशिंग पाउडर, अगरबत्ती, चूड़ियां, वस्त्र, प्लास्टिक के खिलौने, जूते, लकड़ी/स्टील फर्नीचर, साड़ी पर प्रिन्ट करना, बुनाई, कुम्हारी, लोहार, बर्तन/स्टील निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण बालपेन बनाना आदि।

(घ) कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापों/लघु उद्योग सेवाओं/व्यवसाय कार्यकलापों के तहत जनरल मर्चेन्ट दुकान, किरयाना दुकान, भवन निर्माण सामग्री दुकान, सिले-सिलाए वस्त्र और. डेयरी यूनिटों को भी सहायता उपलब्ध होनी चाहिए।

नि:शुल्क शिक्षा

***32. श्री सुरेश पटेल:**
प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस पर कितना अनुमानित व्यय किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और इसके अन्तर्गत कितने प्रतिशत बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है;

(घ) क्या यह कार्यक्रम लक्ष्य के अनुसार चल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां। संविधान के अन्तर्गत 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय पहले ही घोषित कर चुका है कि यह एक मौलिक अधिकार हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात को दोहराया गया है।

(ख) और (ग) नौवीं योजना के दौरान प्रारंभिक शिक्षा का केन्द्रीय योजनागत आबंटन 11,842 करोड़ रु. था। इसके अतिरिक्त, मध्याह्न भोजन योजना के लिए 4526.75 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2000-2001 की अवधि के दौरान इसके आबंटन के लिए 3608.75 करोड़ रु. की राशि नियत की गयी है। वर्ष 1998-99 में प्राथमिक कक्षाओं में 11.09 करोड़ तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 4.03 करोड़ बच्चों को प्रवेश दिया गया था। नौवीं योजना के दौरान बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा की प्रतिशतता के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना 1992 में शताब्दी के अंत तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था। जो अब तक प्राप्त नहीं हो पाया है। हाल के विभिन्न सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि बच्चों की उपस्थिति में काफी सुधार हुआ है तथा 6-14 आयु वर्ग के 70 प्रतिशत बच्चे विद्यालय जा रहे हैं।

(ङ) आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा योजना, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, शिक्षक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की योजना, महिला समाख्या, लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसी मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रयात किए जा रहे हैं। प्रस्तावित सर्व शिक्षा अभियान एक ऐसा अभियान है जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में संचालित करने की आशा है। यह प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है।

जम्मू-कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करने संबंधी संकल्प

***33. श्री जोरा सिंह मान:**
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर विधान सभा ने 1953 से पूर्व की स्थिति बहाल करके राज्य को स्वायत्तता दिए जाने का संकल्प पारित किया है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य स्वायत्तता समिति की रिपोर्ट और उस संकल्प का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उसके क्या प्रभाव होंगे;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस मामले पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा,

(च) क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी स्वायत्तता/अधिक शक्तियों की मांग की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का विचार राज्यों को और शक्तियां प्रदान करने का है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ञ) क्या सरकार का विचार राज्यों को स्वायत्तता दिये जाने मामले पर सर्वदलीय बैठक/मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने का है; और

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) राज्य स्वायत्तता समिति की रिपोर्ट में बुनियादी रूप से 1953 से पूर्व की स्थिति बनाए रखने की बात कही गई है।

(घ) सरकार ने जम्मू और कश्मीर विधान सभा द्वारा पारित किए गए "संकल्प" को स्वीकार नहीं किया है।

(ङ) इस मुद्दे की संवेदनशीलता और जटिलता को ध्यान में रखते हुए, निश्चित समय-सीमा बताना व्यवहार्य नहीं है।

(च) से (झ) राज्यों को और शक्तियां दिए जाने के संबंध में कुछ स्रोतों से मांग की जा रही थी। भारत सरकार ने केन्द्र-राज्य संबंधों से संबंधित सभी मुद्दों की जांच के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया था। सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिशें दी हैं जिन पर अंतर-राज्यीय परिषद् द्वारा विचार किया गया। आयोग द्वारा की गई 247 सिफारिशों में से, परिषद ने 171 सिफारिशों पर निर्णय लिया है। इन्हें कार्यान्वयन हेतु विभिन्न मंत्रालयों को भेजा गया है।

(ञ) और (ट) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

शुद्ध पेयजल

***34. श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पेयजल के संबंध में अपनाए गए मानदंडों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राज्यवार कितने पेयजल की आवश्यकता है;

(ख) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में पेयजल की राज्यवार कितनी कमी का पता लगाया गया है;

(ग) राज्यवार कितने गांवों को शून्य संसाधन वाले गांव घोषित किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) प्रत्येक गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(छ) सरकार द्वारा इस दिशा में कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ज) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ग) देश की ग्रामीण बसावटों को पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अपनाए गए मानदंडों के अनुसार मनुष्यों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 40 लीटर जल उपलब्ध कराया जाना है। इसके अतिरिक्त देश के 36 मरूभूमि विकास कार्यक्रम जिलों के 227 ब्लाकों में पारिस्थितिकी प्रणाली में गर्म तथा शीतल मरूभूमि पशुओं के लिए प्रतिदिन प्रति पशु 30 लीटर जल उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रत्येक 250 व्यक्तियों के लिए पेयजल स्रोत उपलब्ध कराया जाना

है तथा यह मैदानी क्षेत्रों में बसावट के 1.6 किलोमीटर के अन्दर या पर्वतीय क्षेत्रों में 100 मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए।

राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी के अनुसार उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर 1.4.2000 तक पेयजल सुविधा प्राप्त ग्रामीण बसावटों की कवरेज की अनंतिम स्थिति निम्न प्रकार है:

कवरेज	बसावटों की संख्या
कुल	1422664
पूर्णत: कवर की गयी	1172728
आंशिक रूप से कवर की गयी	222493
कवर न की गयी	27443

उपर्युक्त विवरण के अनुसार केवल 27443 ग्रामीण बसावटें हैं जिसमें 1.4.2000 तक पेयजल सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। पेयजल सुविधाओं से "कवर न की गयी" बसावटों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-I में है।

(घ) से (छ) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देती है। राज्य सरकारों को व्यक्तिगत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को बनाने, मंजूर तथा कार्यान्वित करने के लिए शक्तियां सौंपी गई हैं।

शासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में पांच वर्षों में देश में सभी ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की वार्षिक आवश्यकता को स्पष्ट रूप से बताकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोजन से कार्य-योजनाएं बनाने का अनुरोध किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी के आधार पर पेयजल आपूर्ति विभाग ने पांच वर्षों में सभी ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक कार्य-योजना बनायी है।

(ज) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कवर न की गयी बसावटों की संख्या (1.4.2000 तक)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	440
3.	असम	1623
4.	बिहार	625
5.	गोवा	16
6.	गुजरात	293
7.	हरियाणा	12
8.	हिमाचल प्रदेश	2738
9.	जम्मू व कश्मीर	2365
10.	कर्नाटक	65
11.	केरल	842
12.	मध्य प्रदेश	2700
13.	महाराष्ट्र	2597
14.	मणीपुर	74
15.	मेघालय	633
16.	मिजोरम	0
17.	नागालैंड	421
18.	उड़ीसा	448
19.	पंजाब	2050
20.	राजस्थान	7864
21.	सिक्किम	0
22.	तमिलनाडु	0
23.	त्रिपुरा	696
24.	उत्तर प्रदेश	845

1	2	3
25.	पश्चिम बंगाल	0
26.	अंडमान निको. द्वीप समूह	0
27.	दादरा व नगर हवेली	56
28.	दमन व दीव	0
29.	दिल्ली	0
30.	लक्षद्वीप	0
31.	पांडिचेरी	40
	कुल	27443

विवरण-II

1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधियों से संबंधित राज्यवार ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001*
	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8711.18	9991.36	12534.37	11600.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	2476.00	2163.82	1980.80	1746.00
3.	असम	2376.52	6417.00	2090.00	2949.00
4.	बिहार	0.00	4690.00	4690.00	0.00
5.	गोवा	196.50	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	5540.12	6951.35	7442.20	7085.00
7.	हरियाणा	2269.16	2025.04	2407.24	971.50
8.	हिमाचल प्रदेश	1680.97	2913.27	3075.09	2545.50
9.	जम्मू व कश्मीर	4676.00	4659.41	3190.72	0.00
10.	कर्नाटक	9285.00	10070.63	11409.40	5175.00
11.	केरल	3564.65	4673.49	3446.30	2883.00
12.	मध्य प्रदेश	8345.68	11061.14	12330.44	5554.50
13.	महाराष्ट्र	12087.19	16384.68	17302.37	0.00
14.	मणिपुर	907.00	666.74	0.00	0.00
15.	मेघालय	743.63	1709.00	779.20	686.50
16.	मिजोरम	583.63	1017.66	696.00	490.50

1	2	3	4	5	6
17.	नागालैंड	211.00	796.90	579.20	0.00
18.	उड़ीसा	5038.39	4793.75	4847.93	0.00
19.	पंजाब	1713.99	2205.28	2320.64	1191.50
20.	राजस्थान	10737.53	11941.63	12002.50	8180.50
21.	सिक्किम	435.60	1401.12	1045.59	325.00
22.	तमिलनाडु	5834.38	10527.51	8958.28	3654.00
23.	त्रिपुरा	762.00	2128.95	1662.00	608.00
24.	उत्तर प्रदेश	15182.66	16297.06	14825.12	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	4411.46	6426.91	5606.45	3889.81
26.	अंडमान निको. द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	पांडिचेरी	10.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	109678.81	137222.70	135220.84	59535.31

*20.07.2000

कोयले का उत्पादन

***35. श्री पी.डी. एलानगोवन:**
श्रीमती जस कौर मीणा:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला और लिग्नाइट की प्रति टन उत्पादन लागत का हिसाब लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों से कोयले का उत्पादन कम हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने कोयला खानों का कोई सर्वेक्षण कराया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक कोयले और लिग्नाइट का वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया;

(झ) क्या सरकार द्वारा कोयले की मांग संबंधी आदेश जारी किए गए हैं; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी आधार और ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ज) कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार, कोल इंडिया लि. में कोयला उत्पादन की अद्यतन लागत 532 रु. प्रति टन है। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खान-1 खान-2 में लिग्नाइट के उत्पादन की प्रति टन लागत क्रमशः 426.08 रु. तथा 368.98 रु. है।

कोयले की मांग में कमी कारण कोल इंडिया लि. की कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों के लिए वर्ष 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-2002 के लिए वार्षिक संयुक्त कुल खरीद लक्ष्यों को कम करके क्रमशः 287.31 मि.ट. से 260.65 मि. टन, 296.00 मि. ट. से 268.50 मि.ट. और 303.18 मि.ट. से 278.45 मि.ट. करना पड़ा।

सरकार द्वारा कोयलाा खानों का कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। कोयला कंपनियां स्वयं ही अपनी संबंधित कोयला खानों का आवधिक रूप से निरीक्षण करती हैं। देश में विद्यमान कोयला खानों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य	विद्यमान कोयला खानों की संख्यां
आंध्र प्रदेश	69
असम	6
बिहार	169
जम्मू एवं कश्मीर	3
मध्य प्रदेश	127
महाराष्ट्र	53
उड़ीसा	22
उत्तर प्रदेश	4
पश्चिम बंगाल	108
जोड़	561

पिछले तीन वर्षों 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कोयले तथा लिग्नाइट का राज्यवार उत्पादन नीचे दिया गया है:

(मिलियन टन में)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
आंध्र प्रदेश	28.941	27.326	29.556
असम	0.687	0.637	0.572
बिहार	81.274	76.161	76.954
जम्मू एवं कश्मीर	0.005	0.010	0.028
मध्य प्रदेश	84.753	84.937	87.941
महाराष्ट्र	26.171	25.279	27.696
उड़ीसा	42.162	43.512	43.554
उत्तर प्रदेश	15.781	15.646	16.204
पश्चिम बंगाल	17.395	18.762	17.588
कुल कोयला	297.169	292.270	300.093
लिग्नाइट			
गुजरात	4.943	5.002	4.347
राजस्थान	-	0.249	0.222
तमिलनाडु	18.109	18.168	17.552
कुल लिग्नाइट	23.052	23.419	22.121

ऊपर सारणी में वर्ष 1999-2000 के लिए कोयले तथा लिग्नाइट उत्पादन अनंतिम हैं। यह आंकड़े कोयला निर्देशिका में प्रकाशित किए गए हैं।

सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना को अंतिम रूप देते समय कोयले की माग का अनुमान लगाया जाता है जिसमें देश में उपलब्ध विभिन्न कोयला उत्पादन स्रोतों से मांग पूरी करने हेतु कोयला सप्लाई योजना तैयार की जाती है। विद्युत, सीमेंट, इस्पात तथा स्पंज लोहे के मामले में कोयले की दीर्घकालिक आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए एक स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घकालिक) हैं। यह समिति उपर्युक्त मांग की वार्षिक आधार पर समीक्षा तथा निर्धारण करती है। सीमेंट तथा विद्युत जैसे क्षेत्रों की मांग का निर्धारण करने के लिए एक तिमाही समीक्षा समिति (लघुकालिक) भी हैं।

महिलाओं और बाल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठन

***36. श्री उत्तमराव ढिकले:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिला और बाल कल्याण के लिए सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे देश के गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संगठनों को राज्य-वार और वर्ष-वार कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी;

(ग) क्या सरकार को इनमें से कुछ संगठनों द्वारा अनुदानों के किए गए दुरूपयोग की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अनुदानों का दुरूपयोग करते हुए पाये गये संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) संगठनों के नाम संलग्न विवरण-III में दिये गए हैं।

(ङ) उन मामलों में, जहां यह पाया गया कि गैर-सरकारी संगठन ने अनुदान का दुरूपयोग किया है, उन संगठनों को काली सूची में डाल दिया गया है और आगे और अनुदान हेतु अयोग्य घोषित कर दिया गया है। राशि वापस करने के लिए आदेश भी जारी कर दिये गए हैं।

विवरण-I

*1999-2000 के दौरान सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संगठनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	896
2.	अरूणाचल प्रदेश	51
3.	असम	241
4.	बिहार	35
5.	गोवा	20
6.	गुजरात	233
7.	हरियाणा	112
8.	हिमाचल प्रदेश	94
9.	जम्मू व कश्मीर	62
10.	कर्नाटक	423
11.	केरल	443
12.	मध्य प्रदेश	624
13.	महाराष्ट्र	536
14.	मणिपुर	280
15.	मेघालय	164
16.	मिजोरम	171
17.	नागालैंड	97
18.	उड़ीसा	563
19.	पंजाब	78
20.	राजस्थान	82

1	2	3
21.	सिक्किम	56
22.	तमिलनाडु	597
23.	त्रिपुरा	110
24.	उत्तर प्रदेश	443
25.	पश्चिम बंगाल	530
26.	अंडमान निको. द्वीप समूह	52
27.	चंडीगढ़	25
28.	दादरा व नगर हवेली	1
29.	दमन व दीव	-
30.	दिल्ली	221
31.	लक्षद्वीप	1
32.	पांडिचेरी	97
	कुल	7787

*महिला एवं बाल विकास विभाग तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के सम्बन्ध में।

विवरण-II

*विगत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार/वर्ष-वार ब्यौरा**

निर्मुक्त राशि (लाख रुपये में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	555.44	481.64	487.94
2.	अरूणाचल प्रदेश	9.49	10.82	56.68
3.	असम	79.78	40.51	100.09
4.	बिहार	92.74	53.27	66.11
5.	गोवा	8.63	14.04	11.41
6.	गुजरात	195.93	222.35	200.84
7.	हरियाणा	108.90	59.59	79.98
8.	हिमाचल प्रदेश	98.61	73.61	86.18
9.	जम्मू व कश्मीर	37.93	29.50	35.15
10.	कर्नाटक	279.86	261.99	229.82
11.	केरल	182.18	216.24	148.32
12.	मध्य प्रदेश	293.16	247.39	354.34
13.	महाराष्ट्र	340.08	356.02	383.79

1	2	3	4	5
14.	मणीपुर	73.46	95.72	90.19
15.	मेघालय	43.69	41.40	25.93
16.	मिजोरम	41.53	35.16	33.06
17.	नागालैंड	14.53	20.13	63.45
18.	उड़ीसा	129.37	184.88	362.26
19.	पंजाब	36.22	55.84	54.04
20.	राजस्थान	94.77	79.54	72.94
21	सिक्किम	30.86	30.07	20.12
22.	तमिलनाडु	496.80	315.13	372.10
23.	त्रिपुरा	48.50	33.78	60.34
24.	उत्तर प्रदेश	357.40	323.85	258.33
25.	पश्चिम बंगाल	328.63	328.29	229.31
26.	अंडमान निको. द्वीप समूह	20.14	18.18	21.16
27.	चंडीगढ़	12.57	7.32	14.06
28.	दादरा व नगर हवेली	2.03	–	8.58
29.	दमन व दीव	–	–	–
30.	दिल्ली	321.26	421.74	116.48
31.	लक्षद्वीप	0.76	0.84	0.45
32.	पांडिचेरी	23.59	30.74	32.88
	कुल	4051.84	4088.74	4076.33

*महिला एवं बाल विकास विभाग तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के सम्बन्ध में।

विवरण-III

सरकारी अनुदान का दुरूपयोग करने वाले संगठनों के नाम

महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पावास गृह स्कीम के अन्तर्गत बताए गए संगठन

1. मगाती रवीन्द्रनाथ चौधरी मैमोरियल सोशल सर्विस आर्गनाइजेशन, वेस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश
2. इन्दिरा विजय महिला मण्डली, वियाकलूरीपेट, आंध्र प्रदेश
3. मास्टर्ज एजूकेशनल कल्चरल एण्ड वीमैंस सोसाइटी, करीम नगर, आंध्र प्रदेश
4. गिरिजन सेवा संगम, कीटापरम, आंध्र प्रदेश
5. एक्शन कलैक्शन आफ आउट कास्ट्स एण्ड ओप्रैस्ड फार प्रोग्रेस, चिन्टापल्ली, आंध्र प्रदेश

6. पं. बचन पाण्डेय महिला विकास संस्थान, गोपालगंज, बिहार

7. भारत शिक्षण प्रसारक मंडल, किल्ली धरूर, महाराष्ट्र

8. शाहिद अब्दुल हमीद एजूकेशन सोसाइटी, धारवाड़, महाराष्ट्र

9. सावित्रीदाई फुले शिक्षण संस्थान, वैतीवाड़ी, महाराष्ट्र

10. सर्वोदय सेवा समिति, क्योंझर, उड़ीसा

11. पल्ली मंगल सेवा समिति, अरिकमा, उड़ीसा

12. श्री साई बाबा ग्रामीण विकास संस्था, चन्द्रपुर, उत्तर प्रदेश

13. केन्द्रीय एकता विकास समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

14. ग्रामोत्थान जन सेवा संस्थान जौनपुर, उत्तर प्रदेश

15. लोक सेवा मंडल, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

16. भारतोय रेड क्रास सोसाइटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

प्रारम्भिक बाल्यावस्था स्कीम के तहत जिनकी रिपोर्ट की गई

1. श्री पुत्तु लाल मैमोरियल मॉनटेसरी तथा जूनियर हाई स्कूल, फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश

2. श्री संजय गांधी जूनियर हाई स्कूल, फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश

3. वासुदेव विद्यापीठ, फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश

4. शान्ति निकेतन जूनियर हाई स्कूल, फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश

5. मेरी मदर मॉनटेसरी तथा जूनियर हाई स्कूल, फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश

6. श्री सरस्वती सदन शिक्षा प्रसार समिति फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश

7. श्री संजय गांधी शिक्षा प्रसार समिति, फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश

8. श्री पी.एन. मिश्र शिक्षा प्रसार समिति, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश

9. स्वामी आत्मदेव गोपाल नन्द शिक्षा संस्थान, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश

10. पंचाली महिला तथा बाल शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश

11. श्री सरस्वती शिक्षा प्रसार, समिति, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश

12. श्री गांधी शिक्षण संस्थान, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश

13. श्री जदुनाथ शिक्षा संस्थान, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश

14. श्री स्वामी रामप्रकाश आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश

15. इण्डियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एण्ड वीमैन रिलीफ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

16. शहीद मैमोरियल सोसाइटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

17. सेंट मेरी इन्टर कॉन्टीनेंटल चाइल्ड एण्ड वीमैन वेलफेयर आर्गनाइजेशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा बताए गए संगठन

1. श्री वेंकटेश्वर महिला मण्डली, आन्ध्र प्रदेश

2. श्री गणेश ग्रामोद्योग मंडल, मेहसाना, गुजरात

3. न्यू फादर ऐंजल स्कूल, इन्दौर, मध्य प्रदेश

4. कृषक महिला समाज, जिला छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश

5. हरिजन सेवक संघ, इन्दौर, मध्य प्रदेश

6. महिला सेवा समाजम्, अमरावती, महाराष्ट्र

7. ग्राम विकास सेवा संस्थान, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश

8. अमेठी महिला स्वैच्छिक सेवा समिति, अमेठी, उत्तर प्रदेश।

[हिन्दी]

आर.एन. मिश्र समिति

*37. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले के भंडार में हो रही कमी को रोकने हेतु गठित आर.एन. मिश्र समिति ने अपनी रिपोर्ट में कोयले के भंडार में कमी तथा इसको अधिक मात्रा में दर्शाने के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (घ) कोयला मंत्रालय द्वारा कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) के वरिष्ठ अधिकारी, श्री आर.एन. मिश्र की अध्यक्षता में तीन समितियों का गठन किया गया था। इन तीन समितियों से संबंधित सूचना नीचे दर्शायी गई है:-

(1) 1986-87 से 1992-93 की अवधि के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) के स्टॉक में कमियों की जांच-पड़ताल के लिए दिनांक 27.7.1992 को गठित समिति ने दिनांक 24.12.1993 को अपनी रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी थी। कोयला मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट को मुख्य सिफारिशों के संबंध में दी गई स्वीकृति दिनांक 22.4.1994 को कोल इंडिया लि. को भेज दी गई थी।

(2) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) में 1994 में कोयले की कम सप्लाई के संबंध में जांच पड़ताल करने के लिए दिनांक 7.10.1994 को गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट 5.1.1996 को कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी थी। कोयला मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों के संबंध में दी गई स्वीकृति दिनांक 3.6.1996 को कोल इंडिया लि. को भेज दी गई थी।

(3) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) में 1992-93 की अवधि के दौरान स्टॉक में कमी की जांच-पड़ताल करने के लिए दिनांक 19.5.1993 को गठित समिति ने दिनांक 31.1.1997 को अपनी रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी थी। कोयला मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों के संबंध में दी गई स्वीकृति दिनांक 2.1.1998 को कोल इंडिया लि. भेज दी गई थी।

इन समितियों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, कोयला स्टॉक में कमी और उत्पादन के संबंध में बढ़ाकर रिपोर्ट करने के लिए वैयक्तिक कोयला अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की थी। इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	बी.सी.सी.एल. से संबंधित आर.एन. मिश्रा समिति	सी.सी.एल. से संबंधित आर. एन. मिश्रा समिति	ई.सी.एल. से संबंधित आर. एन. मिश्रा समिति
उन मामलों की संख्या, जिनमें अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व कोयला अधिकारियों की मृत्यु हो गई अथवा वे सेवानिवृत्त हो गए	14	39	19
उन मामलों की संख्या, जिनमें ऐसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई, जिसके लिए अनुशानिक कार्यवाही की जाए	-	26	-
उन मामलों की संख्या जिनमें आरोप-पत्र जारी करने के बाद अनुशासनिक कार्यवाही बंद कर दी गई	28	2	100
उन मामलों की संख्या, जिनमें अनुशासनिक कार्यवाही पूरी कर लेने के बाद आरोपित किए गए	94	139	72
उन मामलों की संख्या, जिनमें अनुशासनिक कार्यवाही पूरी कर लेने के बाद आरोप-पत्र प्राप्त अधिकारियों को आरोप-मुक्त कर दिया गया	122	27	28
उन मामलों की संख्या, जिनमें अनुशासन संबंधी मामले अभी भी लंबित हैं	2	18	21
उन मामलों की कुल संख्या, जिन पर समिति की सिफारिशों के आधार पर संवीक्षा की गई	260	251	240

दिल्ली में अपराध

***38. श्री विजय गोयल:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मण्डलिक:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में गत वर्ष के दौरान आज तक कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) तो उक्त अवधि के दौरान दिल्ली में हुए विभिन्न अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों का अपराध-वार और माह-वार ब्यौरा क्या है:

(घ) इस अवधि के दौरान कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और कितनों को सजा हुई;

(ङ) क्या दिल्ली पुलिस अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में विफल रही है:

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

छ) दिल्ली पुलिस के आधुनिकीकरण और उसे सुदृढ़ बनाने तथा नगर में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। वर्ष 1999 के दौरान दिल्ली में सूचित किए गए भारतीय दंड संहिता से संबंधित मामलों की संख्या, पिछले वर्ष के दौरान सूचित किए गए 64,900 मामलों की तुलना में 58,701 थी। इसी प्रकार, चालू वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान सूचित किए गए ऐसे मामलों की संख्या, इससे ठीक पिछले छः महीनों के दौरान सूचित किए गए 28368 मामलों की तुलना में 27481 थी।

(ग) प्रश्नाधीन अवधि के अपराध-वार और माह-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दर्शाए गए हैं।

(घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

(छ) दिल्ली पुलिस के आधुनिकीकरण और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए तथा दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए गत दो वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों में शामिल है:-लगभग 14.21 करोड़ रु. की लागत से केन्द्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष और पी.सी.आर. वाहनों के बीच परम्परागत वी.एच.एफ. आधारित संचार तंत्र के स्थान पर अधुनातम यू.एच.एफ. डिजीटल ट्रंक्ड रेडियो सिस्टम लगाना; 47 चुनिंदा ट्रैफिक स्थानों पर स्थापित करने के लिए 3.69 करोड़ रु. की लागत से "एरिया ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम" का प्रापण; झड़ोदा कलां में उन्नत किए गए पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में, 1.62 करोड़ रु. से अधिक की लागत से अनेक आधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों को संस्थापना; 17 अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों का सृजन; ट्रैफिक यूनिट की संख्या में बढ़ोत्तरी और यातायात इकाईयों को सुदृढ़ करना।

विवरण-I

	वर्ष-2000					
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
1	2	3	4	5	6	7
(क) जघन्य अपराध						
डकैती	5	5	3	4	7	6
हत्या	55	43	59	55	46	46
हत्या का पयास	38	45	40	56	60	46
लूटमार	63	79	66	61	51	65
दंगे	20	20	18	16	8	12
बलात्कार	30	39	41	38	55	42
फिरौती के लिए अपहरण	1	3	3	2	4	4
कुल	212	234	230	232	231	221

1	2	3	4	5	6	7
(ख) जघन्य-इतर अपराध						
छीना-झपटी	18	24	65	93	94	103
चोट पहुंचाना	114	137	178	203	228	178
सेंधमारी	277	313	250	271	278	290
चोरी	1667	1775	1834	1721	1805	1693
अन्य भारतीय दंड संहिता के अपराध	1829	1983*	2153	2051	2258	2238
कुल	3905	4232	4480	4339	4663	4502
कुल आई.पी.सी.	4117	4466	4710	4571	4894	4723
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित मामले	3	1	2	शून्य	शून्य	2

*एक आतंकवाद से संबंधित मामला सम्मिलित है।

	वर्ष 1999											
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(क) जघन्य अपराध												
डकैती	8	5	6	7	5	4	5	4	4	5	8	2
हत्या	37	46	85	57	60	70	53	54	53	47	37	50
हत्या का प्रयास	43	43	49	42	45	42	54	59	60	57	46	39
लूटमार	65	72	79	62	62	53	53	55	48	48	64	65
दंगे	18	16	28	16	18	11	14	18	22	12	11	15
बलात्कार	25	32	37	37	34	29	46	33	43	37	30	19
फिरौती के लिए अपहरण	2	5	2	2	4	3	2	2	1	–	0	5
कुल	198	219	286	223	228	212	227	225	231	206	196	195
(ख) जघन्य-इतर अपराध												
छीना-झपटी	48	62	55	113	105	108	74.	81	79	82	74	31
चोट पहुंचाना	164	146	189	181	192	196	191	220	215	173	170	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सेंधमारी	458	324	304	225	258	253	228	283	270	272	243	311
चोरी	2229	2242	2642	2450	1974	1861	1885	1822	1894	1838	1692	1894
अन्य भारतीय दंड संहिता के अपराध	1929	1969	2300	2098	2047	1845	2056	2022	2001	2221	2381	2221
कुल	4830	4743	5490	5067	4576	4263	4434	4428	4459	4586	4560	4613
कुल आई.पी.सी.	5026	4962	5776	5290	4804	4475	4669	4653	4690	4792	4756	4808
विस्फोट पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत आतंवाद से संबंधित मामले	1	शून्य	1	1	शून्य	3	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*एक आतंवाद से संबंधित मामला सम्मिलित है।

विवरण-2

प्रश्नाधीन अवधि में गिरफ्तार और दंडित व्यक्तियों के ब्यौरे निम्नप्रकार हैं

वर्ष	गिरफ्तार किए गए	दोषसिद्ध ठहराए गए	दोषमुक्त	विचारण के लिए लम्बित	जांच के लिए लंबित	डिस्चार्ज किए गए
1999	61519	4778	285	28459	24411	3586
2000 (30-6-2000 तक)	27867	1505	51	7479	18303	529

ग्रामीण महिलाओं का विकास

*39. **श्रीमती शीला गौतम:**
श्री जय भगवान सिंह पवैया:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक विकास और उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं/परियोजनाओं का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी प्रत्येक योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) प्रत्येक योजना को आरंभ करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत हुई राज्यवार प्रगति का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय समाज के उपेक्षित वर्गों को विशिष्ट रोजगार सृजन कार्यक्रमों के जरिए रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाएं कार्यान्वित करता है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महिला घटक सहित कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई), सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.), इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), (पूर्ववर्ती) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) (पूर्ववर्ती), ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा) और जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) शामिल हैं। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार

हेतु सहायता कार्यक्रम (स्टेप), महिलाओं का आर्थिक कार्यक्रम (वेप) और ग्रामीण महिला विकास और अधिकारिता परियोजना (स्वशक्ति) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।

1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान प्रत्येक योजना के अन्तर्गत राज्यवार आबंटन (अथवा रिलीज) को संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है:-

(ग) योजनाओं के लिए निश्चित किए गए मानदंड निम्न प्रकार हैं-

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.) पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) का पुनर्गठित एवं व्यापक रूप है और ग्रामीण गरीब इसके लक्षित समूह हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी रोजगार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रदान किया जाता है जिसमें से 30 प्रतिशत रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के लक्षित समूह में वे गरीब परिवार शामिल हैं जिनका प्रति व्यक्ति मासिक व्यय योजना आयोग, द्वारा अनुमानित गरीबी रेखा से ज्यादा नहीं है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विशेषरूप से ग्रामीण गरीबों में से अति निर्धन समूहों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। लाभार्थियों में से 40 प्रतिशत महिलाएं होती हैं।

इंदिरा आवास योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों, मुख्यत: अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों, को रिहायशी आवास प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। दिशा-निर्देशों में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि रिहायशी आवासों का आबंटन लाभार्थी परिवार के महिला सदस्य के नाम पर किया जाए। विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं जिनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों/अन्य सामुदायिक भवनों में महिलाओं के लिए अलग से स्वच्छ शौचालयों का प्रावधान किया गया है। आवासों का डिजाइन इस प्रकार का होना चाहिए कि उनको धुआँ रहित चुल्हा, वातायन और पर्याप्त रसोई की जगह के लिए प्रावधान के जरिए महिलाओं की विशेष सुविधा उपलब्ध हो।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में ऐसे वृद्ध लोगों जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है अथवा कोई नियमित साधन नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु के मामले में और पहले दो जीवित बच्चों के जन्म तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है।

पूर्ववर्ती ग्रामीण महिला और बाल विकास योजना (डवाकरा) (जिसे अब स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया है) गरीब परिवारों की महिलाओं की आय का स्तर बढ़ाने के लिए थी जिससे कि वे आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु सामाजिक विकास में अपनी सामूहिक भागीदारी कायम कर सकें। इसमें मुख्य बल ग्राम स्तर पर गरीब परिवारों की 10-15 महिलाओं के समूहों के गठन पर था जिसमें स्व-रोजगार के लिए ऋण, कौशल प्रशिक्षण और नकद तथा संरचनात्मक सहायता जैसी सेवाएं प्रदान की जाती थीं।

स्टेप योजनाएं केन्द्र/राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाली सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वशासी निकायों और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/तदनुरूपी राज्य अधिनियमों के अधीन पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के जरिए कार्यान्वित की जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना लागत की 90 प्रतिशत तक धनराशि भारत सरकार द्वारा मुहैया करायी जाती है जबकि शेष 10 प्रतिशत राशि कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपने ही स्रोतों से अथवा भारत सरकार के अलावा अन्य स्रोतों से वहन की जाती है। कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में जारी किया जाता है।

महिलाओं के लिए आर्थिक कार्यक्रम (वेप) का लक्ष्य गरीब महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं को स्थायी रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से उनको परम्परागत और गैर-परम्परागत व्यवसायों में प्रशिक्षित करने के लिए महिला विकास निगमों, सरकारी क्षेत्र के निगमों, स्वायत्त निकायों और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण महिला विकास एवं अधिकारिता परियोजना (स्वशक्ति परियोजना) को महिलाओं को अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया (और इसके निमित्त माहौल तैयार करने हेतु) को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) योजनाओं (स्टेप, वेप और स्वशक्ति को छोड़कर) के अन्तर्गत की गई वास्तविक प्रगति के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 से 2000-2001 में आबंटित राशि (वर्ष 1997-98)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन (1997-98)										
		जे.आर. वाई.	आई.आर. डी.पी.	ई.ए.एस.	आई.ए. वाई.	एन.ओ. ए.पी.एस.	ए.एफ. बी.एस.	एन.एम. बी.एस.	डी.डब्ल्यू. सी.आर.ए.	एस.टी. ई.पी.	डब्ल्यू. ई.पी.	सेवा शक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	15528.39	4306.11	16740.00	8970.34	4361.76	2247.96	1211.18	362.25	240.58	1715.51	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	159.37	322.03	1890.00	80.71	45.86	22.88	19.34	22.55	-	9.58	-
3.	असम	5111.22	1417.12	8592.00	2952.83	656.14	646.36	292.34	143.01	-	-	-
4.	बिहार	30458.60	8377.40	18234.00	17597.09	7248.38	1934.04	940.37	383.29	103.48	-	2.00
5.	गोवा	172.20	73.29	140.00	87.63	10.30	11.44	4.37	4.54	-	-	-
6.	गुजरात	5699.44	1580.22	4320.00	3292.97	825.77	377.52	195.10	130.16	-	14.86	1.20
7.	हरियाणा	1369.22	379.83	2670.00	790.96	352.87	77.22	77.38	73.84	-	154.36	-
8.	हिमाचल प्रदेश	547.18	123.86	2550.00	276.72	108.58	21.39	22.62	38.30	111.71	27.51	-
9.	जम्मू व कश्मीर	1111.89	516.08	4760.00	562.66	248.98	52.36	62.13	110.88	-	13.47	-
10.	कर्नाटक	10427.12	2890.00	10600.00	6024.43	2959.63	649.22	402.66	195.05	25.96	178.22	-
11.	केरल	3793.66	1051.75	3989.00	2191.85	1352.52	233.80	117.16	90.72	27.92	21.01	-
12.	मध्य प्रदेश	19677.78	5457.47	21507.85	11368.58	4584.53	2808.52	790.06	352.17	108.07	8.54	-
13.	महाराष्ट्र	16927.42	4694.20	11334.51	9779.75	2347.96	1026.74	594.98	288.29	104.97	18.75	-
14.	मणीपुर	204.27	232.24	810.00	103.77	97.34	28.60	40.56	30.87	36.87	33.35	2.00
15.	मेघालय	239.02	246.68	220.00	121.07	94.54	34.32	39.31	55.44	-	-	-
16.	मिजोरम	100.69	104.25	800.00	50.73	37.44	11.44	15.91	8.57	-	-	-
17.	नागालैंड	256.21	173.40	2100.00	129.14	66.46	17.16	27.77	15.37	-	-	-
18.	उड़ीसा	12597.20	3493.81	14721.58	7277.74	2652.62	948.78	468.48	204.50	251.95	-	-
19.	पंजाब	973.75	269.39	1840.00	562.65	341.64	125.84	41.96	83.54	-	47.86	-
20.	राजस्थान	6175.55	2266.59	9265.00	4723.84	1030.50	468.16	338.68	155.99	-	10.67	-
21.	सिक्किम	93.28	28.90	220.00	47.27	22.47	5.72	9.36	21.92	-	-	-
22.	तमिलनाडु	14037.96	3893.25	18720.00	8110.20	3668.18	1904.76	906.36	245.83	-	13.72	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23.	त्रिपुरा	265.32	331.32	1440.00	134.90	146.02	51.46	60.84	11.34	78.19	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	37841.25	10494.33	31448.06	21863.19	9617.40	2923.81	2127.84	512.57	518.73	116.06	2.50
25.	पश्चिम बंगाल	13916.74	3859.71	7790.00	8039.87	3312.50	903.76	466.18	227.56	-	7263.66	-
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	94.31	73.29	80.00	47.27	2.81	2.86	1.09	7.31	-	-	-
27.	चंडीगढ़	-	-	-	-	6.06	2.86	2.65	-	-	-	-
28.	दादरा व नगर हवेली	51.18	15.49	30.00	25.37	2.81	2.86	0.47	4.02	-	-	-
29.	दमन व दीव	30.16	28.90	0.00	14.99	1.88	2.86	0.31	3.03	-	-	-
30.	दिल्ली	0.00	-	-	-	177.84	31.46	36.97	-	-	68.17	-
31.	लक्षद्वीप	47.28	7.22	0.00	24.21	0.94	2.86	0.16	4.03	-	-	-
32.	पांडिचेरी	92.34	59.87	60.00	47.27	14.04	2.86	2.96	4.03	-	-	-
	अखिल भारत	200000.00	56768.00	196872.00	115300.00	46396.79	17581.88	9317.88	3791.43	1608.43	9715.30	7.70

वर्ष 1997-98 से 2000-2001 में आबंटित (वर्ष 1998-99)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन (1998-99)										
		जे.आर. वाई.	आई.आर. डी.पी.	ई.ए.एस.	आई.ए. वाई.	एन.ओ. ए.पी.एस.	ए.एफ. बी.एस.	एन.एम. बी.एस.	डी.डब्ल्यू. सी.आर.ए.	एस.टी. ई.पी.	डब्ल्यू. ई.पी.	सेवा शक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	11703.94	3867.15	16740.00	8370.41	4361.76	3823.04	1969.19	414.29	240.58	60.09	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	257.32	201.91	2140.00	184.03	45.86	22.88	19.34	21.42	-	-	-
3.	असम	6686.18	5246.36	11018.00	4781.82	656.14	646.36	292.34	561.20	-	13.54	-
4.	बिहार	38340.77	12668.33	18596.00	27420.52	7248.38	1768.00	940.37	1357.52	103.48	6.68	98.45
5.	गोवा	172.20	8.91	180.00	19.20	10.30	13.00	0.78	1.01	-	-	-
6.	गुजरात	4405.58	1455.67	4410.00	3150.78	825.77	156.00	104.00	155.99	-	62.17	117.83
7.	हरियाणा	2591.88	856.39	1660.00	1853.66	352.87	31.20	52.00	91.73	-	20.92	101.44
8.	हिमाचल प्रदेश	1091.54	360.66	2050.00	780.64	108.58	40.04	15.60	38.56	111.71	6.50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	जम्मू व कश्मीर	1350.93	446.37	4760.00	966.16	248.98	62.40	36.40	47.88	-	58.24	-
10.	कर्नाटक	8838.13	2920.24	10350.00	6320.85	2959.63	143.53	78.00	312.98	25.96	6.55	117.53
11.	केरल	3965.64	1310.30	3861.00	2836.20	1252.37	530.40	156.00	140.36	27.92	11.46	-
12.	मध्य प्रदेश	19433.93	6421.25	22033.00	13898.74	4584.52	5106.40	1040.00	688.21	108.07	7.11	112.68
13.	महाराष्ट्र	17470.82	5772.61	8167.17	12494.77	4695.91	1026.74	312.00	618.41	104.97	13.83	-
14.	मणिपुर	448.24	351.71	890.00	320.57	97.34	28.60	40.56	37.55	36.87	0.57	-
15.	मेघालय	502.19	394.05	610.00	359.16	94.54	34.32	39.31	42.08	-	-	-
16.	मिजोरम	116.21	91.18	800.00	83.11	37.44	11.44	15.91	9.58	-	-	-
17.	नागालैंड	344.48	270.30	2100.00	246.36	66.46	17.16	27.77	28.98	-	-	-
18.	उड़ीसा	13386.90	4423.22	12752.00	9574.03	3102.62	1744.60	780.00	473.76	251.95	39.59	-
19.	पंजाब	1259.63	416.20	2720.00	9574.03	341.46	1744.60	52.00	44.60	-	29.25	-
20.	राजस्थान	6711.09	2217.44	8935.00	4799.63	1030.50	468.16	312.00	237.64	-	12.80	-
21.	सिक्किम	128.66	100.95	320.00	92.02	22.47	5.72	2.60	10.84	-	-	-
22.	तमिलनाडु	10348.85	3419.41	18720.00	7401.30	3668.19	1904.76	906.36	366.41	-	21.35	-
23.	त्रिपुरा	809.31	635.03	1440.00	578.80	146.02	93.60	101.40	68.04	78.19	78.19	-
24.	उत्तर प्रदेश	42194.35	13941.61	35153.65	30176.52	9617.40	3120.00	1300.00	1493.35	518.73	68.62	207.85
25.	पश्चिम बंगाल	14876.87	4915.53	8270.00	10639.62	3312.50	1047.70	616.15	526.68	-	19.27	-
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	117.89	69.58	40.00	44.40	2.18	2.86	1.09	2.52	-	-	-
27.	चंडीगढ़	-	-	-	-	6.06	2.86	2.65	-	-	3.03	-
28.	दादरा व नगर हवेली	77.81	41.53	30.00	43.80	2.81	2.86	0.47	2.02	-	-	-
29.	दमन व दीव	37.70	27.43	0.00	1.82	1.88	2.86	0.31	0.50	-	-	-
30.	दिल्ली	-	-	-	-	177.84	31.46	36.97	-	-	685.05	-
31.	लक्षद्वीप	59.10	6.85	100.00	3.65	0.94	2.86	0.16	0.50	-	-	-
32.	पांडिचेरी	115.42	56.83	0.00	56.57	14.04	2.86	7.54	2.52	-	-	-
	अखिल भारत	207843.56	72915.00	198845.82	148400.00	49094.58	22037.14	9259.27	7797.13	1608.43	1146.62	755.78

वर्ष 1997-98 से 2000-2001 में आबंटित राशि (वर्ष 1999-2000)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन (1999-2000)									
		जे.जी. एस.वाई.	एस.जी. एस.वाई.	ई.ए.एस.	आई.ए. वाई.ए.	एन.ओ. पी.एस	एन.एफ. बी.एस.	एन.एम. बी.एस.	एस.टी. ई.पी.	डब्ल्यू. ई.पी.	सेवा शक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	9319.52	6219.55	10288.76	11036.00	4361.76	3035.50	1590.19	151.65	86.63	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	204.90	136.74	226.21	754.00	57.12	22.8	19.34	-	-	-
3.	असम	5324.02	3553.09	5877.72	15658.00	826.98	646.36	292.34	-	4.8	-
4.	बिहार	30529.68	20374.56	33704.77	38598.00	6877.24	1700.02	823.59	-	2.75	190.45
5.	गोवा	137.12	59.78	23.72	68.00	27.94	12.22	2.58	-	-	-
6.	गुजरात	3508.04	2341.15	3872.86	3243.00	561.60	158.76	104.00	6.52	7.2	209.03
7.	हरियाणा	2063.84	1377.36	2278.48	1171.00	535.80	54.21	64.69	-	26.02	191.44
8.	हिमाचल प्रदेश	869.16	580.06	959.56	515.00	236.55	30.72	19.11	-	9.68	-
9.	जम्मू व कश्मीर	1075.71	717.90	1187.58	618.00	317.26	57.38	49.27	-	4.71	-
10.	कर्नाटक	7037.56	4696.65	7769.46	5898.00	2959.63	649.22	402.66	222.13	-	207.53
11.	केरल	3157.73	2107.37	3486.13	3552.00	1396.31	382.10	136.58	10.88	-	-
12.	मध्य प्रदेश	15474.69	10327.33	17084.06	9183.00	4585.46	3957.46	904.74	-	59.93	214.68
13.	महाराष्ट्र	13911.52	9284.1	15358.33	10585.00	4158.51	1026.74	453.49	-	44.09	-
14.	मणिपुर	356.92	238.19	394.04	693.00	103.06	28.60	40.56	51.53	7.11	-
15.	मेघालय	399.88	266.87	441.47	1057.00	111.13	34.32	39.31	-	-	-
16.	मिजोरम	92.53	61.75	102.16	260.00	37.44	11.44	15.91	-	-	-
17.	नागालैंड	274.30	183.06	302.82	653.00	80.71	17.16	27.77	28.28	-	-
18.	उड़ीसा	10659.61	7113.90	11768.22	9154.00	3120.62	1346.69	624.24	554.67	36.88	-
19.	पंजाब	1003.01	669.38	1107.32	745.00	386.79	134.16	46.98	-	-	-
20.	राजस्थान	5343.85	3566.34	5899.60	3233.00	1474.54	468.16	325.34	-	35.98	-
21.	सिक्किम	102.45	68.38	113.10	122.00	29.80	5.72	5.98	-	-	-
22.	तमिलनाडु	8240.50	5499.44	9097.50	5846.00	3276.00	1904.76	906.36	8.96	6.19	-
23.	त्रिपुरा	644.43	430.08	711.47	1433.00	178.19	72.54	81.12	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	उत्तर प्रदेश	33598.18	22422.38	37092.40	23565.00	8264.83	3021.90	1713.92	290.65	143.85	616.83
25.	पश्चिम बंगाल	11846.03	7905.68	13078.02	12064.00	3312.50	975.73	541.17	20	29.19	-
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	93.87	59.87	54.73	129.00	17.38	2.86	1.09	-	-	-
27.	चंडीगढ़	-	-	-	-	13.66	2.86	2.65	-	-	-
28.	दादरा व नगर हवेली	61.96	59.78	54.73	69.00	11.80	2.86	0.47	-	-	-
29.	दमन व दीव	30.02	59.78	1.82	27.00	2.48	2.86	0.31	-	-	-
30.	दिल्ली	-	-	-	-	249.58	31.46	36.97	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	47.06	59.78	3.65	3.00	1.86	2.86	0.16	-	-	-
32.	पांडिचेरी	91.91	59.78	69.32	67.00	49.05	2.86	5.25	-	-	-
	अखिल भारत	165500.00	110500.00	182410.01	159999.00	47625.58	19803.36	9278.14	1345.27	505.01	1629.96

1997-1998 से 2000-2001 के दौरान आबंटित धनराशि (वर्ष 2000-2001)

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन (2000-2001)						
		जे.जी.एस. वाई.	एस.जी.एस. वाई.	ई.ए.एस.	आई.ए.वाई.	रा.व. पे.यो.	रा.प.ला. योजना	रा.भा. लाभ यो.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	8727.55	3419.83	6088.20	11036.00	4361.76	3035.5	1590.19
2.	अरूणाचल प्रदेश	456.91	188.30	324.40	726.86	181.26	57.78	27.11
3.	असम	11872.04	4892.72	8432.00	16354.79	2624.34	1552.78	419.43
4.	बिहार	28590.47	11202.96	19944.25	38598.00	6877.24408	1700.02	823.59
5.	गोवा	128.41	50.00	14.03	68.00	27.94	12.22	2.58
6.	गुजरात	3285.21	1287.29	2291.72	3243.00	561.6	158.76	104.00
7.	हरियाणा	1932.75	757.33	1348.26	1171.00	535.8	54.21	64.69
8.	हिमाचल प्रदेश	813.95	318.94	567.80	515.00	236.55	30.72	19.11
9.	जम्मू व कश्मीर	1007.38	394.74	702.00	618.00	317.26	57.38	49.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	कर्नाटक	6590.54	2582.45	4596.00	5898.00	2959.63	649.22	402.66
11.	केरल	2957.15	1158.74	2062.86	3552.00	1396.31	382.1	136.58
12.	मध्य प्रदेश	14491.75	5678.49	10108.00	9183.00	4585.46	3957.46	904.74
13.	महाराष्ट्र	13027.87	5104.88	9088.04	10585.00	4158.50922	1026.74	453.49
14.	मणिपुर	795.90	328.00	565.00	866.65	327.06	65	48.80
15.	मेघालय	891.69	367.49	634.00	1151.46	352.67	72.22	52.81
16.	मिज़ोरम	206.33	85.04	148.00	276.42	98.51	21.67	14.85
17.	नागालैंड	611.66	252.08	434.26	743.31	256.13	36.11	38.43
18.	उड़ीसा	9982.52	3911.58	6963.64	9154.00	3214.22	1346.69	624.24
19.	पंजाब	939.30	368.06	655.24	745.00	386.79	134.16	46.98
20.	राजस्थान	5004.41	1960.94	3490.00	3233.00	1474.54	468.16	325.34
21.	सिक्किम	228.45	94.15	162.20	199.28	94.57	21.67	14.15
22.	तमिलनाडु	7717.07	3023.88	5383.30	5846.00	3276	1904.76	906.36
23.	त्रिपुरा	1437.02	592.23	1020.26	1681.23	565.46	122.78	84.41
24.	उत्तर प्रदेश	31464.06	12328.96	21948.82	23565.00	8264.83	3021.9	1713.92
25.	पश्चिम बंगाल	11093.58	4346.94	7738.70	12064.00	3312.5	975.73	541.17
26.	अंडमान निको. द्वीप समूह	84.64	50.00	32.38	129.00	17.38	2.86	1.09
27.	चंडीगढ़	0.00	–	–	–	13.66	2.86	2.65
28.	दादरा व नगर हवेली	55.87	50	32.38	69	11.8	2.86	0.47
29.	दमन व दीव	27.07	50.00	1.08	27.00	2.48	2.86	0.31
30.	दिल्ली	0	–	–	–	249.58	31.46	36.97
31.	लक्षद्वीप	42.43	50.00	2.16	3.00	1.86	2.86	0.16
32.	पांडिचेरी	86.00	50	41.02	67	49.05	2.86	5.25
	अखिल भारत	164550.00	64946.02	114820.00	161369.00	50792.75	20914.36	9455.80

विवरण-II

1997-98 से 1999-2000 के दौरान वास्तविक उपलब्धि (वर्ष 1997-98)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्धि (1997-98)					
		जे.आर.वाई.		आई.आर.डी.पी.		ई.ए.स.	
		सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन) कुल	सृजित रोजगार (महिलाएं)	लाभार्थी संख्या में कुल	लाभार्थी संख्या में महिलाएं	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन) कुल	सृजित रोजगार महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	310.98	109.00	162117	59455	488.26	173.79
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.88	1.00	12799	5480	43.66	14.67
3.	असम	107.69	11.00	39585	9154	207.76	15.72
	बिहार	533.04	150.00	196849	32403	420.45	114.51
5.	गोवा	2.55	0.00	897	596	2.92	1.25
6.	गुजरात	82.81	21.00	41822	15519	92.71	27.90
7.	हरियाणा	16.01	3.00	10853	4611	20.18	4.11
8.	हिमाचल प्रदेश	10.11	1.00	5548	2242	35.65	2.13
9.	जम्मू व कश्मीर	24.05	0.00	13643	207	132.17	0.00
10.	कर्नाटक	265.91	68.00	94688	35239	349.41	97.98
11.	केरल	41.82	14.00	44191	22050	47.26	16.50
12.	मध्य प्रदेश	347.15	123.00	138810	28107	447.46	149.41
13.	महाराष्ट्र	527.74	178.00	147640	61154	363.24	131.46
14.	मणीपुर	2.16	1.00	4258	1198	15.38	2.77
15.	मेघालय	4.54	1.00	5167	2306	7.72	1.28
16.	मिजोरम	1.91	1.00	2876	1088	17.88	5.97
17.	नागालैंड	9.21	4.00	3433	1201	104.54	18.38
18.	उड़ीसा	299.82	93.00	75343	25902	382.14	110.79
19.	पंजाब	12.83	0.00	6107	2429	4.55	0.38
20.	राजस्थान	196.14	68.00	60819	23484	250.06	98.42
21.	सिक्किम	2.65	1.00	1792	648	7.41	2.40

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	388.81	140.00	180696	76811	558.28	196.19
23.	त्रिपुरा	7.31	2.00	11668	3371	54.46	16.33
24.	उत्तर प्रदेश	599.49	112.00	351146	136192	522.76	76.69
25.	पश्चिम बंगाल	154.62	40.00	91733	34173	138.60	36.53
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.15	0.00	628	123	0.14	0.02
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
28.	दादरा व नगर हवेली	0.86	1	179	20	0.72	0.55
29.	दमन व दीव	0.56	0	188	74	0.37	0.31
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	1.46	0.00	27	14	1.46	0.44
32.	पांडिचेरी	0.63	0	1107	644	0.14	0.01
	अखिल भारत	3955.89	1143.00	1706609	585895	4717.74	1316.89

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.ए.वाई.		रा. वृप्रे. यो			रा.प.ला.			
		निर्मित आवास संख्या में (कुल)	निर्मित आवास सं. (महिलाएं)	व्यक्तियों की सं. (कुल)	व्यक्तियों की सं. (कुल)	व्यक्तियों की सं. (महिलाएं)	परिवारों की सं. (कुल)	परिवारों सं. सं. (महिलाओं)	बताए समूहों की सं. (कुल)	स्टैप व्यक्तियों की सं.
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	104115	0	42773	0	36760	0	378690	7178	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	932	114	277	0	21	0	94	154	–
3.	असम	17516	4114	45853	14967	3916	2252	14253	155	–
4.	बिहार	103506	23285	705445	72722	20654	1792	211711	1767	–
5.	गोवा	512	0	1758	902	123	92	88	36	–
6.	गुजरात	24439	4923	54071	33126	780	595	12030	1375	–
7.	हरियाणा	4505	1013	34212	5584	661	223	12907	553	10000
8.	हिमाचल प्रदेश	1843	0	11343	0	351	0	2478	283	–
9.	जम्मू व कश्मीर	6172	0	28580	11372	583	487	7010	695	–

1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.	कर्नाटक	43522	5283	765005	34813	1412	721	16959	2243	–
11.	केरल	12834	2961	96256	0	5100	44	27576	1355	–
12.	मध्य प्रदेश	101549	10887	828769	387754	47912	22307	152907	2717	–
13.	महाराष्ट्र	60709	10911	270660	3573	7172	1040	47004	2324	9825
14.	मणिपुर	1096	120	7456	0	एन.आर.	0	2217	247	–
15.	मेघालय	316	0	10068	0	एन.आर.	0	1649	261	–
16.	मिजोरम	302	226	3596	0	14	13	439	136	–
17.	नागालैंड	1933	0	2873	0	एन.आर.	0	831	18	–
18.	उड़ीसा	50023	9504	279473	37789	16605	2241	105642	1730	–
19.	पंजाब	3235	0	27571	5557	1364	162	8616	529	–
20.	राजस्थान	34858	27534	124194	0	एन.आर.	0	50360	251	–
	सिक्किम	590	150	0	0	एन.आर.	0	0	126	–
22.	तमिलनाडु	55830	9901	400174	0	एन.आर.	0	163189	2041	–
23.	त्रिपुरा	1665	0	15600	1668	900	0	19500	139	2500
24.	उत्तर प्रदेश	94535	49082	975527	416295	31223	19807	236820	6096	20000
25.	पश्चिम बंगाल	43931	6921	329365	80052	7422	1878	82839	1986	11000
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	6	1	303	0	एन.आर.	0	एन.आर.	28	–
27.	चंडीगढ़	–	–	1368	0	एन.आर.	0	एन.आर.	0	–
28.	दादरा व नगर हवेली	100	19	271	0	एन.आर.	0	एन.आर.	0	–
29.	दमन व दीव	38	0	95	0	30	0	7	0	–
30.	दिल्ली	–	–	19814	0	एन.आर.	0	एन.आर.	–	–
31.	लक्षद्वीप	110	0	112	59	54	0	32	6	–
32.	पांडिचेरी	214	0	1500	0	25	0	1444	14	–
	अखिल भारत	770936	166949	5093362	1106233	183082	53654	1557292	34445	53325

1997-98 से 1999-2000 के दौरान वास्तविक उपलब्धि (वर्ष 1998-99)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्धि (1998-1999)					
		जे.आर.वाई.		आई.आर.डी.		ई.एस.	
		सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन) कुल	सृजित रोजगार महिलाएं	लाभार्थी संख्या में कुल	लाभार्थी रोजगार महिलाएं	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन) कुल	सृजित रोजगार महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	224.68	76.08	140880	56683	370.67	116.54
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.96	0.00	12432	6580	38.29	12.67
3.	असम	199.57	23.96	47264	11443	147.40	12.80
4.	बिहार	584.91	159.55	176213	27194	400.89	110.62
5.	गोवा	1.70	0.73	895	454	2.66	1.14
6.	गुजरात	59.18	15.62	39598	13750	63.07	19.01
7.	हरियाणा	23.84	4.92	16743	7838	18.02	4.53
8.	हिमाचल प्रदेश	15.39	0.74	7331	2759	35.45	2.52
9.	जम्मू व कश्मीर	20.59	0.00	13992	एन.ए.	69.37	एन.आर.
10.	कर्नाटक	22.16	67.78	88007	34169	292.41	85.01
11.	केरल	39.39	13.65	39836	18594	55.75	19.14
12.	मध्य प्रदेश	319.34	109.80	126617	23392	429.43	144.78
13.	महाराष्ट्र	402.81	141.19	145667	64891	205.62	69.04
14.	मणिपुर	55.9	0.50	1638	486	16.97	1.61
15.	मेघालय	5.91	1.89	4219	1849	10.34	2.91
16.	मिजोरम	4.36	1.54	3138	1172	19.56	6.78
17.	नागालैंड	23.73	5.46	5773	1764	51.59	5.53
18.	उड़ीसा	296.84	91.55	105008	33467	340.14	101.00
19.	पंजाब	13.89	0.39	10357	3873	19.74	0.84
20.	राजस्थान	148.30	49.17	62922	22645	209.61	79.21
21.	सिक्किम	6.13	1.94	1937	467	8.20	2.45
22.	तमिलनाडु	280.97	105.36	142813	59855	457.09	166.03

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	त्रिपुरा	34.72	9.89	18816	6296	40.86	12.7
24.	उत्तर प्रदेश	691.39	157.25	391832	152300	754.31	138.27
25.	पश्चिम बंगाल	134.45	32.02	71134	24742	105.26	20.50
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.19	0.04	604	154	0.45	0.07
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
28.	दादरा व नगर हवेली	0.67	0.51	119	4	0.13	0.09
29.	दमन व दीव	0.11	0.07	71	42	0.03	0.02
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	0.42	0.18	9	5	1.62	0.50
32.	पांडिचेरी	0.03	0.00	1317	838	0.38	0.01
	अखिल भारत	3766.22	1071.78	1677182	577706.00	4165.31	1136.09

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.ए.वाई.		रा. वृप्रे.		योरा.प.ला.		रा.मा.ला.मो.		ड्वाकरा
		निर्मित आवास संख्या (कुल)	निर्मित आवास सं. (महिलाएं)	व्यक्तियों की सं. (कुल)	व्यक्तियों की सं (महिलाएं)	परिवारों की सं. (कुल)	परिवारों की सं. (महिलाएं)	व्यक्तियों सं सं. कुल	बताए गए समूहों सं.	स्टैप व्यक्तियों की सं.
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	61430	0	466001	149117	38661	11524	404039	3828	500
2.	अरूणाचल प्रदेश	470	116	486	165	41	27	59	70	–
3.	असम	20937	3578	100136	39973	5545	4345	18303	2889	–
4.	बिहार	125082	33880	705471	277377	24920	11347	197322	6174	8745
5.	गोवा	482	0	2195	1155	123	81	33	12	–
6.	गुजरात	21820	5776	66830	33456	2144	0	21460	1365	–
7.	हरियाणा	10043	2949	37700	1130	800	789	14147	480	–
8.	हिमाचल प्रदेश	3874	0	10688	2460	255	81	2011	323	2500
9.	जम्मू व कश्मीर	5400	6704	35194	7470	146	71	6508	821	–
10.	कर्नाटक	37369	6054	186825	61658	2105	1053	34670	2239	–

1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	केरल	9452	3119	118974	0	4117	920	35438	1397	600
12.	मध्य प्रदेश	102901	4170	731149	399433	54353	26678	167046	4249	–
13.	महाराष्ट्र	54532	10854	304696	27464	20841	1738	129219	4492	10475
14.	मणिपुर	1125	0	2720	1668	66	53	2510	0	1500
15.	मेघालय	734	0	8897	2943	211	95	2959	335	–
16.	मिजोरम	519	327	3360	1400	91	83	3022	60	–
17.	नागालैंड	2290	0	2251	709	0	0	673	25	–
18.	उड़ीसा	50671	19251	332290	148502	16328	7891	151406	2770	3000
19.	पंजाब	3831	नील	36500	1590	949	0	3742	338	–
20.	राजस्थान	32955	27160	240253	43428	9396	4498	48693	392	–
21.	सिक्किम	543	171	2400	1085	13	0	0	138	–
22.	तमिलनाडु	68207	12028	1407729	61086	33236	1906	26685	2917	–
23.	त्रिपुरा	3235	0	15503	5106	788	0	10156	447	4200
24.	उत्तर प्रदेश	181274	91201	981692	448326	35624	376	187924	9205	25000
25.	पश्चिम बंगाल	36246	5855	346565	109597	10827	3435	84593	1920	–
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	6	0	0	0	0	0	0	18	–
27.	चंडीगढ़	–	–	0	0	0	0	0	–	–
28.	दादरा व नगर हवेली	6	एन.आर.	0	0	0	0	5	0	–
29.	दमन व दीव	0	–	203	144	9	0	9	0	–
30.	दिल्ली	–	–	24156	1	197	0	0	–	–
31.	लक्षद्वीप	40	0	2	0	3	0	0	6	–
32.	पांडिचेरी	290	133	1500	494	24	0	473	7	–
	अखिल भारत	835764	233326	6172366	1826937	261813	76991	1553105	46917	55520

1997-98 से 1999-2000 के दौरान राज्यवार वास्तविक प्रगति (वर्ष 1999-2000)

(संख्या में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपलब्धि (1999-2000)					
		जे.जी.एस.वाई.		एस.जी.एस.वाई.		ई.ए.एस.	
		सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन) कुल	सृजित रोजगार महिलाएं	स्वरोजगारी की सं. कुल	स्वरोजगारी की सं. महिलाएं	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन) कुल	सृजित रोजगार महिलाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	96.54	33.05	146347	97102	147.41	48.63
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.02	0.97	81	12	22.27	6.87
3.	असम	120.45	13.76	17974	5850	96.77	6.95
4.	बिहार	367.74	97.41	64598	25151	311.05	8416
5.	गोवा	1.26	0.52	479	103	1.05	0.45
6.	गुजरात	30.34	7.61	7781	2927	48.49	12.97
7.	हरियाणा	18.84	3.82	17348	9527	22.65	5.29
8.	हिमाचल प्रदेश	14.43	0.82	8638	3610	25.65	1.22
9.	जम्मू व कश्मीर	9.74	0.00	5521	0	26.27	0.00
10.	कर्नाटक	175.49	50.78	21045	3796	185.95	55.33
11.	केरल	37.17	11.13	29485	15443	42.94	14.65
12.	मध्य प्रदेश	265.27	89.18	67174	16816	288.90	97.09
13.	महाराष्ट्र	341.55	117.14	87844	36255	234.67	84.01
14.	मणिपुर	0.54	0.08	0	0	4.45	2.25
15.	मेघालय	2.76	0.87	741	403	7.67	2.93
16.	मिजोरम	2.23	1.37	0	0	4.95	1.68
17.	नागालैंड	5.30	2.12	0	0	18.54	6.00
18.	उड़ीसा	211.51	60.93	74633	21713	215.42	62.41
19.	पंजाब	6.62	0.25	1694	1040	16.81	0.58
20.	राजस्थान	82.41	30.24	34120	5653	71.61	24.05

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	2.22	0.64	686	270	1.69	0.50
22.	तमिलनाडु	170.27	59.92	65427	52139	166.79	53.06
23.	त्रिपुरा	12.47	3.53	2444	2444	17.91	5.27
24.	उत्तर प्रदेश	438.89	99.26	99711	34794	485.73	72.47
25.	पश्चिम बंगाल	68.76	12.90	75578	30311	99.37	22.58
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.21	0.03	699	203	0.23	0.03
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0	0	0	0
28.	दादरा व नगर हवेली	0.01	0.00	0	0	0.00	0.00
29.	दमन व दीव	0.00	0.00	6	4	0.00	0.00
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0.11	0.02	3	0	0.87	0.18
32.	पांडिचेरी	0.03	0.00	0	0	0.29	0.11
	अखिल भारत	2486.18	698.35	829157	365566	2566.39	671.71

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.ए.वाई.		रा.वृ.पें.यो.		रा.प.ला.यो.		रा.मा.ला.यो.	स्टेप
		आवास इकाईयां (सं. में) कुल	आवास इकाईयां (सं. में) महिलाएं	सहायता प्राप्त व्यक्ति कुल	सहायता प्राप्त व्यक्ति महिलाएं	सहायता प्राप्त व्यक्ति कुल	सहायता प्राप्त व्यक्ति महिलाएं	सहायता प्राप्त व्यक्ति (सं. में) कुल	सहायता प्राप्त व्यक्ति (सं. में)
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	89823	0	466000	149120	29403	8824	334263	500
2.	अरूणाचल प्रदेश	1101	358	2347	1325	26	18	248	–
3.	असम	20412	6899	78204	38952	3882	2704	25112	–
4.	बिहार	127313	30637	714846	257096	15761	5141	93975	–
5.	गोवा	333	65	2195	1155	260	215	71	–
6.	गुजरात	26351	8690	9274	3924	622	284	11173	–
7.	हरियाणा	5711	1437	25933	1340	556	0	8309	–
8.	हिमाचल प्रदेश	3711	0	15176	6938	343	119	3100	–

1	2	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	जम्मू व कश्मीर	5830	0	21909	9834	283	81	4177	–
10.	कर्नाटक	39398	0	195416	10851	4012	619	33818	–
11.	केरल	20716	10779	119488	10380	4586	137	18021	500
12.	मध्य प्रदेश	77886	0	582749	288125	31950	16516	73559	–
13.	महाराष्ट्र	70315	14552	92601	0	12464	4678	77645	–
14.	मणिपुर	0	0	6294	1087	105	22	1403	500
15.	मेघालय	356	0	9102	3139	192	54	2996	–
16.	मिजोरम	1795	920	3440	1779	73	65	1316	–
17.	नागालैंड	6346	0	4614	380	59	0	2566	600
18.	उड़ीसा	53328	22172	361965	158731	15658	3709	98027	4000
19.	पंजाब	4154	0	15023	4060	407	0	1984	–
20.	राजस्थान	37440	24016	451325	0	4747	1436	11336	–
21.	सिक्किम	508	0	0	0	0	0	0	–
22.	तमिलनाडु	54935	11971	3475420	493632	17620	7590	21502	–
23.	त्रिपुरा	11229	0	15499	4350	400	226	6418	–
24.	उत्तर प्रदेश	96235	53537	910481	329407	20105	0	202445	–
25.	पश्चिम बंगाल	43017	8397	352928	85719	7595	1272	74811	–
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	6	4	0	0	0	0	0	–
27.	चंडीगढ़	0	0	1763	0	20	0	0	–
28.	दादरा व नगर हवेली	52	14	0	0	0	0	0	–
29.	दमन व दीव	3	3	262	198	3	3	0	–
30.	दिल्ली	0	0	24156	0	156	0	0	–
31.	लक्षद्वीप	34	0	0	0	0	0	0	–
32	पांडिचेरी	147	18	1500	0	10	0	506	
	अखिल भारत	788485	194469	7959910	1861522	171298	53713	1108781	6100

ग्रामीण विकास हेतु केन्द्रीय योजनाएं

***40. श्री नवल किशोर राय:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय स्तर पर अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) इनका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या इन योजनाओं के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाये जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं के कार्यान्वयन में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को शामिल करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (च) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं कार्यान्वित करता है:-

(1) सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.)

(2) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.)

(3) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)

(4) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)

(5) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.)

(6) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.)

(7) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)

(8) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)

(9) समेकित वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)

इन योजनाओं के अन्तर्गत वास्तविक उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:-

योजना	वास्तविक उपलब्धियां शुरूआत से लेकर अब तक (1999-2000 तक)
1. ई.ए.एस.	16150.13 लाख श्रमदिन
2. जे.सी.एस.वाई.	2486.18 लाख श्रमदिन
3. एस.जी.एस.वाई.	579502 सहायता प्राप्त व्यक्ति
4. आई.ए.वाई.	6234093 निर्मित आवास
5. ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	1398070 शामिल किए गए गांव
6. सी.आर.एस.पी.	4408005 निर्मित स्वच्छ शौचालय
7. डी.पी.ए.पी.	81.38 लाख हेक्टेयर
8. डी.डी.पी.	13.02 लाख हेक्टेयर
9. आई.डब्ल्यू.डी.पी.	8.9 लाख हेक्टेयर*

*इसमें पुराने और नए दोनों दिशानिर्देशों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं।

इन योजनाओं को और अधिक कारगर और परिणामोन्मुख बनाने के लिए पिछले वर्ष इसे पुनर्गठित किया गया। एक व्यापक निगरानी तंत्र बनाया गया है और राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर सतर्कता सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को सदस्य बनाया गया है। पंचायती राज संस्थाएं भी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

231. श्री राजनारायण पासी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को जनवरी, 2000 से 30 जून, 2000 के बीच जन प्रतिनिधियों से दिल्ली, विशेषरूप से पश्चिमी जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों के थानाध्यक्षों/सहायक थानाध्यक्षों के विरुद्ध शिकायतें, प्राप्त हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषरूप से पश्चिमी जिला पुलिस से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच किए गए अथवा जांच किए जा रहे ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्! प्रश्नाधीन अवधि के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या 1999 थी जिनमें से 26 शिकायतें पश्चिम जिले से संबंधित थी। इनमें से पश्चिम जिले से संबंधित 12 शिकायतों सहित 72 शिकायतें सतर्कता यूनिट द्वारा जांच हेतु भेजी गई थी। इन शिकायतों पर जांच की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

क्र.सं.	स्थिति	कुल	पश्चिम जिला
1.	उन शिकायतों की संख्या जिनमें आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध हो गए	20	2
2.	उन शिकायतों की संख्या जिनमें आरोप सिद्ध नहीं हुए	36	5
3.	उन शिकायतों की संख्या जिन पर जांच चल रही है	16	5

(घ) उन सभी मामलों, जिनमें अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के पूरा होने पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, में दोषी कर्मियों को समुचित सजा दी जाती है।

[अनुवाद]

अर्ध-सैनिक बलों में भर्ती

232. श्री टी. गोविन्दन:
श्री अनादि साहू:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्ध-सैनिक बलों में भर्ती राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बल सेवाओं में उड़ीसा का प्रतिनिधित्व कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त स्थिति में सुधार लाने का है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक अर्ध-सैनिक बल सेवा में वर्ष-वार कितने लोगों की भर्ती हुई;

(च) क्या भर्ती की प्रक्रिया में कुछ खामियां पाई गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल में उड़ीसा का कम प्रतिनिधित्व होने का कारण भर्ती के समय राज्य से उपयुक्त और इच्छुक उम्मीदवारों की अनुपलब्धता है।

(घ) आगामी भर्तियों में फालतू रिक्तियां आबंटित करके, राज्य के कोटे को भरने के सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल में भर्ती किए व्यक्तियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल	वर्ष		
	1997	1998	1999
सीमा सुरक्षा बल	256	263	281
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	90	170	200
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	191	--	90
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	–	--	23
असम राइफल्स	–	–	–

(च) जी नहीं, श्रीमान्।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

राजभाषा हिन्दी का प्रचार

233. श्री सुरेश रामराव जाधव: *क्या* **गृह मंत्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजभाषा हिन्दी के व्यापक प्रचार के लिए सरकार द्वारा कितने लघु दस्तावेजी फिल्में और टी.वी. स्पाट और किए गए और दूरदर्शन पर प्रसारित किये गये;

(ख) चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी लघु दस्तावेजी फिल्मों और टी.वी. स्पाट तैयार किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) देश भर में राजभाषा के व्यापक प्रचार के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) गत 3 वर्षों के दौरान कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करने के संबंध में वर्ष 1997 में एक लघु फिल्म बनवाई गई।

(ख) चालू वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई लघु वृत्तचित्र/टी.वी. स्पाट बनवाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) विगत वर्षों में राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए विभाग द्वारा 19 वृत्तचित्रों तथा 4 टी.वी. स्पाट्स का निर्माण करवाया गया है। समय-समय पर राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तथा विभिन्न प्रकार के पोस्टरों का प्रकाशन करवाया जाता है। विभाग द्वारा 'राजभाषा भारती' नामक त्रैमासिक पत्रिका तथा मासिक पत्र 'राष्ट्रीय राजभाषा समाचार' का भी प्रकाशन किया जाता है। उपर्युक्त सामग्री देशभर में स्थित भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संस्थानों आदि में वितरित की जाती है। राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए राजभाषा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा देश भर में सम्मेलन/संगोष्ठियां आदि भी आयोजित की जाती हैं। विभाग द्वारा 5 फरवरी, 2000 से 13 फरवरी, 2000 तक आयोजित विश्व पुस्तक मेले में पहली बार अपना एक स्टाल भी लगाया गया जिससे हिन्दी में, प्रकाशित स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ और लेखकों और विद्वानों को इस बात की जानकारी मिली कि सरकारी स्तर पर हिन्दी में स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है।

नेशनल सेंटर फार अंटार्कटिक एण्ड ओशन रिसर्च

234. श्री साहिब सिंह: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल सेंटर फार अंटार्कटिक एण्ड ओशन रिसर्च (एन.सी.ए.ओ.आर.) गोवा के वास्तविक और वित्तीय आयाम क्या हैं; और

(ख) ध्रुवीय दूर संवेदी तंत्र, प्राचीन जलवायुशास्त्र और भूमण्डलीय परिवर्तन, दक्षिणी महासागर विज्ञान का उपयोग करके जलवायु संबंधी माडल तैयार करने और नेशनल अंटार्कटिक डाटासेन्टर की स्थापना के लिए अनुसंधान और विकास कार्य देश की समस्याएं सुलझाने में किस प्रकार सहायक होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) महासागर विकास विभाग ने गोवा में (1) भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम संचालित करने हेतु उत्तरदायी नोडल संस्था के रूप में (2) ध्रुवीय विज्ञान के चुनिंदा क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य शुरू करने तथा अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने और (3) अंटार्कटिक में भारतीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना एवं उसके अनुरक्षण के लिए राष्ट्रीय अंटार्कटिक और समुद्री अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है। पूर्ण रूप से कार्यरत होने पर राष्ट्रीय अंटार्कटिक और समुद्री अनुसंधान केन्द्र के पास शून्य से नीचे के तापमान पर बर्फ क्रोड प्रयोगशाला, बर्फ क्रोड विश्लेषण तथा अंटार्कटिक विज्ञान एवं संभारतंत्र संबंधी आंकड़ा आधार भण्डार की सुविधाओं सहित अत्यधिक स्वच्छ रसायन विज्ञान प्रयोगशाला होंगी। वर्तमान में राष्ट्रीय अंटार्कटिक और समुद्री अनुसंधान केन्द्र को विभाग का समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान सागरकन्या का प्रबंधन कार्य दिया गया है। इस समय उक्त केन्द्र की कुल कर्मचारी संख्या 32 है जिनमें से 9 वैज्ञानिक पद हैं। उपर्युक्त कार्यक्रमों के संचालन हेतु वर्ष 1999-2000 के लिए प्राप्त सहायतानुदान 18.44 करोड़ रुपए का है।

(ख) देश के लिए राष्ट्रीय अंटार्कटिक और समुद्री अनुसंधान केन्द्र अनुसंधान और विकास कार्य का महत्व निम्नांकित ढंग से होगा:

- हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर मॉनसून का सीधा प्रभाव होता है। यह परिघटना समस्त भूमण्डलीय तन्त्र से उत्पन्न अनेक प्राचलों द्वारा नियंत्रित होती है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में ह्रासोन्मुख पैमाने पर इकट्ठे किए गए मौसम वैज्ञानिक आंकड़ों को मॉनसून पूर्वानुमान पर एक अधिक वास्तविक मॉडल का विकास करने तथा हिन्द महासागर के ऊपर जलवायुतंत्र की गतिशीलता समझने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं।
- ओजोन ह्रास पर निगरानी रखने के लिए अंटार्कटिक एकमात्र मंच उपलब्ध करवाता है। यद्यपि ओजोन छिद्र परिघटना की जानकारी वैश्विक प्रयास का हिस्सा है तथापि भारतीय वैज्ञानिकों के लिए भी अत्यन्त रुचिकर है। जिस छिद्र को कभी स्थिर माना जाता था वह गतिशील साबित हुआ है। इसका हिन्द महासागर के ऊपर मौसम प्रतिरूप पर सीधा असर पड़ेगा।
- अंटार्कटिक वैश्विक जलवायु परिवर्तन का एक ऐसा संवेदनशील संकेत है जिसके लिए किसी भी देश द्वारा उचित समय उपचारात्मक कदम उठाने हेतु प्रतिक्रिया नीति बनाने के लिए एक दीर्घकालिक निगरानी की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए अंटार्कटिक एवं हिमालय के विशाल हिमनदों का आकार संतुलन अल्पकालिक जलवायु संबंधी परिवर्तन, समुद्र स्तर चढ़ाव

और अंटार्कटिक व दक्षिणी महासागर द्वारा नियन्त्रित गलन जमाव प्रक्रियाओं के साथ इनके सम्बन्ध के बारे में संकेत उपलब्ध करवाता है।

- अंटार्कटिक हिम परत अतीत की जलवायु और पर्यावरण का भण्डार है। राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केन्द्र में स्थापित की गई सुविधाओं के माध्यम से इस ऐतिहासिक आंकड़ा समूह के पुनर्निर्माण से जलवायु मॉडल के परीक्षण तथा जलवायु प्रतिरूप का विकास समझने में सहायता मिलेगी।
- दक्षिणी महासागर वायुमण्डल की सी.ओ.-2 का प्रमुख भण्डार है। यह इस जलराशि की अधिक उत्पादकता में योगदान देता है और इसका नवीन मात्स्यिकी पर प्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरूप अंटार्कटिक समुद्र के क्रिल, फिनफिश, टूथ फिश तथा स्क्विड का भण्डार संभाव्य आर्थिक संसाधन प्रस्तुत करते हैं। अंटार्कटिक समुद्र का हिन्द महासागर क्षेत्र से सतत मात्स्यिकी उत्पादन प्राप्त होने का अनुमान है और यह खाद्य का भावी स्रोत बन सकता है।

उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन

235. श्री पवन कुमार बंसल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.सी.) ने परीक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका उद्देश्य छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के मानदण्डों से अवगत करना का है;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना लागू कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) परीक्षा सुधार एक सतत् प्रक्रिया है और तदनुसार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस संबंध में विभिन्न उपाय कर रहा है। वर्ष 1995 के बाद से केन्द्रीय माध्यमिक सिक्षा बोर्ड मूल्यांकन से मानदण्डों से छात्रों और शिक्षकों को अवगत कराने के लिए प्रति वर्ष विभिन्न विषयों में विस्तृत अंक योजना प्रकाशित कर रहा है। बोर्ड ने सूचित किया है कि छात्रों और शिक्षकों के लिए अंक योजना के संबंध में प्रकाशन पहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

[हिन्दी]

पर्यावर्ती निधि

236. श्री राजो सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने बिहार तथा महिला विकास आयोग हेतु पर्यावर्ती निधि की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार से स्वीकृति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसंधान कार्य

237. श्री अशोक अर्गल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार ने विदेशों *में अध्ययन करने के लिए छात्रों को कितनी राशि अनुदान के रूप* में उपलब्ध कराई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने छात्रों ने विदेशों में अनुसंधान कार्य शुरू किया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) यह मंत्रालय ऐसी कोई योजना संचालित नहीं करता जिसके अंतर्गत छात्रों की विदेशों में उच्च्व अध्ययन/अनुसंधान कार्य के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान किये जाते हों। तथापि, यह मंत्रालय सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रमों, कॉमनवैल्थ छात्रवृत्तियों/शिक्षावृत्तियों और सुश्री अगाथा हरीसन मेमोरियल फेलोशिप के अंतर्गत कुछ देशों से प्राप्त छात्रवृत्तियों तथा शिक्षावृत्तियों संबंधी प्रस्तावों पर

कार्रवाई करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत उच्च अध्ययन-अनुसंधान के लिए विदेश भेजे गये छात्रों की संख्या निम्नानुसार है:-

1997-98	-	84
1998-99	-	92
1999-2000	-	73

[अनुवाद]

निधियों का दुरूपयोग

238. श्री पोन राधाकृष्णन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न परियोजनाओं या योजनाओं के लिए एफसीआरए के अधीन कितने गैर-सरकारी संगठनों को निधियां मिल रही हैं;

(ख) क्या इन संगठनों द्वारा निधियों का दुरूपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) वर्ष 1997-98 में 12,198 संस्थाओं ने विदेशी अभिदान की प्राप्ति की सूचना दी। वर्ष 1998-99 के ब्यौरे संकलित किए जा रहे हैं। वर्ष 1999-2000 के लिए विवरणियां अभी प्राप्य नहीं हैं।

(ख) समय-समय पर यह रिपोर्ट प्राप्त होती है कि कुछ संगठन जो विदेशी निधियां प्राप्त करते हैं उसका उपयोग उल्लिखित उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए उचित रूप से नहीं कर रहे हैं।

(ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत उन संस्थाओं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत कवर होती हैं, को विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोगिता के बारे में चार्टर्ड एकांउटेंट द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित सूचना प्रतिवर्ष गृह मंत्रालय को भेजनी होती है। विदेशी अभिदाय की मानिटरिंग ऐसी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के माध्यम से की जाती है। केन्द्र सरकार को अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे संस्थानों के लेखे अथवा रिकार्ड का निरीक्षण करने अथवा लेखा बहियों की लेखापरीक्षा करने का आदेश देने का अधिकार भी प्राप्त है। "स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति" पर वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकारों को ऐसी संस्थाओं पर नजर रखने के लिए भेजी जाती है जिनकी प्रतिकूल कार्रवाईयां ध्यान में आती हैं।

दिल्ली में फ्लाई ओवरों का निर्माण

239. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री रामसागर रावत:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ठेकेदार दिल्ली में फ्लाई ओवरों के निर्माण स्थल पर सड़कों की मरम्मत नहीं कर रहे हैं और वहां से बिखरे हुए पत्थरों के टुकड़ों को नहीं हटा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह स्थिति मोतीबाग फ्लाई ओवर पर और भी ज्यादा खराब है;

(ग) यदि हां, तो फ्लाई ओवर की आसपास के क्षेत्र को साफ करने और सड़कों को तत्काल चलने लायक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ फ्लाई ओवरों का निर्माण कार्य रोकने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी नहीं।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड एवं नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा बिछाए गए पानी के पाइपों में लगातार रिसाव के कारण मोतीबाग में स्थिति संतोषप्रद नहीं है। दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने मोतीबाग क्रॉसिंग पर रिंग रोड के परिवहन रास्तों से पानी के कथित पाइपों को हटाकर दूर ले जाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका को जनवरी, 2000 में तथा दिल्ली जल बोर्ड को मार्च, 2000 में आवश्यक राशि का भुगतान कर दिया है। इन दो संगठनों का इंजीनियरिंग स्टाफ इन रिसावों को ठीक करता रहा है पर पानी के पाइपों (वाटर-लाइनों) पर वाहनों के चलने से होने वाले कम्पनों के कारण ये कथित रिसाव पुन: होने लगते हैं।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड एवं नई दिल्ली नगर पालिका ने रिंग रोड को क्रियाशील करने के लिए अपनी-अपनी लाइनों को हटाना शुरू कर दिया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

कम्प्लीशन सर्टिफिकेट

240. श्री सुबोध मोहिते: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्माता/मकान मालिक ''डी'' फार्म के आधार पर मकानों/भवनों के लिए कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त किए बगैर ही डी.डी.ए./एम.सी.डी./डी.वि.बो. से नियमित बिजली और जल कनैक्शन प्राप्त कर लेते हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निर्माता और मकान मालिक ''डी'' फार्म के आधार पर उक्त कनैक्शन प्राप्त करने के बाद व्यापक गैर-कानूनी/अनधिकृत निर्माण करते हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार अनधिकृत और गैर-कानूनी निर्माण और अतिक्रमण को रोकने के लिए बिजली और जल कनैक्शन को नियमित किए जाने से पहले कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य बनाने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) बिजली एवं जल कनैक्शन दिल्ली विद्युत बोर्ड/दिल्ली जल बोर्ड/डी.डी.ए. द्वारा इस बारे में अपनी नीति के अनुसार दिए जाते हैं। भवन उप-नियमों के अनुसार दखलकारी सर्टीफिकेट के पहले ही ''डी'' फार्म दे दिया जाता है।

(ग) और (च) जब कभी गैरकानूनी/अनधिकृत निर्माण की रिपोर्ट मिलती है/का पता चलता है संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा संबद्ध कानून/अधिनियम के तहत भवन निर्माताओं/भवन मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) जी, हां।

देश में बहुओं को जलाया जाना

241. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में बहुओं को जलाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है तथा यह कुरीति उन समुदायों में भी फैल रही है जो पारम्परिक रूप से दहेज लेने के विरोधी रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज किये गए दहेज मृत्यु के मामलों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	मृत्यु के मामलों की संख्या
1997	6006
1998	6975
1999	6426

दुल्हनों को जलाने के मामलों के बारे में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा अलग से कोई आँकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ख) और (ग) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को अधिक कड़ा और प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को इसके अधिदेश के अनुसार अधिनियम में संशोधन के सुझाव देने के लिए कहा गया है। इस प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रव्यापी परामर्श बैठकें आयोजित कर रहा है।

गोरखालैण्ड को राज्य और लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र की मान्यता दिए जाने की मांग

242. श्री भीम दाहाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक नए राज्य गोरखालैण्ड और लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र की मान्यता दिए जाने की मांग जोर पकड़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.एच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी.एन.एल.एफ. ब्रांच कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पृथक गोरखालैण्ड राज्य के सृजन

के लिए अनुरोध करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया।

जम्मू तथा कश्मीर राज्य विधान सभा द्वारा, 1953 से पूर्व की स्थिति की बहाली की मांग के बारे में संकल्प पारित किए जाने के परिणामस्वरूप, बताया जाता है कि लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषद ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें लद्दाख को संघ शासित क्षेत्र के रूप में जम्मू तथा कश्मीर राज्य से पूरी तरह अलग करने की मांग की गयी।

(ग) सरकार, संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से इस संबंध में कड़ी निगरानी रख रही है।

अयोध्या जांच आयोग

243. श्री मोइनुल हसन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अयोध्या कांड की जांच कर रहे लिब्रहन जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

अपराध शाखा के पास लम्बित पड़े मामले

244. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के पास कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) ये मामले कब से लम्बित पड़े हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) विभिन्न पुलिस थानों में कितने वाहनों को उनके मालिकों को सौंपा जाना हैं;

(ङ) इन वाहनों को उनके मालिकों को दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) मालिकों को उनके वाहन सुपुरदारी पर छोड़ दिए जाने और उन वाहनों की दशा को और बिगड़ने से रोकने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) 21 जुलाई 2000 की स्थिति के अनुसार दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के पास नीचे दर्शाई गई अवधियों में 507 मामले लंबित थे:-

अवधि	मामलों की संख्या
3 वर्षों से ऊपर	8
2 वर्षों से ऊपर	35
1 वर्ष से ऊपर	113
1 वर्ष से नीचे	351

(ग) किसी मामले की जांच का पूरा होना विभिन्न ऐसे कारकों पर निर्भर करता है, जो हमेशा जांच अधिकारियों के नियंत्रण में नहीं होते हैं।

(घ) 23 जुलाई, 2000 की स्थिति के अनुसार, पुलिस स्टेशनों की हिरासत में ऐसे 4198 वाहन थे।

(ङ) विलंब के कारणों में शामिल हैं, उनके बीमा दावों के निपटारे के पश्चात वाहन मालिकों द्वारा अपने वाहनों को छुड़ाने की अनिच्छा; वाहनों की क्षतिग्रस्त दशा; और विचारण के दौरान न्यायायलय में वाहनों को प्रस्तुत करने की जिम्मेवारियों से बचने के लिए अपने वाहनों को सुपुरदारी पर छुड़ाने के लिए मालिकों की अनिच्छा।

(च) वाहनों के मालिकों और बीमा कंपनियों से वाहनों का कब्जा लेने का अनुरोध करते हुए उन्हें लिखित सूचना दी जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास हेतु समिति का गठन

245. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चहुंमुखी विकास हेतु किसी समिति या आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सुनियोजित विकास में इस समिति या आयोग के किस सीमा तक सहायक होने की सम्भावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने सूचित किया है कि बोर्ड ने 12.7.2000 को नई दिल्ली में आयोजित अपनी 25वीं बैठक में 2001-2002 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की एक नई क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया है।

(ख) इस उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषयों को अभी = रूप दिया जाना है।

(ग) बोर्ड ने अपनी बैठक में इस समिति के अध्यक्ष को, समिति में प्रत्येक सहभागी राज्य/संघ शासित प्रदेश का नामिती लेने का अधिकार दिया है।

(घ) उच्च स्तरीय समिति से आशा की जाती है कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेगी और 2001-2002 तक की अवधि के लिए समूचे क्षेत्र की एक नई योजना तैयार करेगी।

[अनुवाद]

क्षारीय भूमि को उद्योग मंत्रालय को सौंपना

246. श्री किरीट सोमैया:
श्री दिलीप संघाणी:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1985 में सचिवों की समिति की एक बैठक हुई थी जिसमें मुम्बई की क्षारीय भूमि को उनके मंत्रालय से लेकर उद्योग मंत्रालय को सौंपने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इस भूमि का कब्जा ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस भूमि को किस प्रोयोजनार्थ इस्तेमाल किया गया है और उससे कितनी आय हुई है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उस भूमि पर झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों द्वारा अतिक्रमण किया गया है;

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस भूमि को अवैध कब्जा करने वालों से मुक्त कराकर विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ज) उनके मंत्रालय द्वारा अन्तरण के निर्णय को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी हाँ। सचिवों की समिति ने 24 दिसम्बर, 1985 को हुई बैठक में निर्णय लिया था कि नमक निर्माण के लिए अनुपयुक्त हो चुकी भूमि शहरी विकास मंत्रालय को अन्तरित कर दी जाए जो उसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को आबंटित करेगा। तदनुसार उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग ने 9 जनवरी 1986, 30.12.1987 और 22.2.1990 को आदेश पारित किए जिसमें ग्रेटर मुंबई में करीब 5378 एकड़ भूमि सभी परिसम्पतियों और देयताओं सहित "जैसी है, जहां है" आधार पर शहरी विकास मंत्रालय को उपयुक्त प्रयोजन के लिए अंतरित की गई।

(ग) और (घ) जी नहीं। इन भूमियों का कब्जा लेने के लिए समुचित कार्यनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) से (ज) जी हां। करीब 60 से 80 एकड़ क्षेत्र पर स्लमवासियों का अनधिकृत कब्जा है। साल्ट डिपार्टमैंट कब्जों को हटाने के लिए समय-समय पर प्रयास करता रहा है। क्षारीय भूमि का कब्जा लेने और विकास करने संबंधी मसला विचाराधीन है और भूमि का शीघ्र कब्जा लेने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

पट्टा करार का उल्लंघन

247. श्रीमती कान्ति सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1999 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि राजधानी में बहुत सारे होटलों, सिनेमाघरों और क्लबों ने पट्टा करार की शर्तों का उल्लंघन कर और सरकार को लगभग 75 करोड़ रुपये का चूना लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन स्थापनाओं के पट्टा करार रद्द करने सहित इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हाँ।

(ख) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31.3.1999 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक रिपोर्ट की टिप्पणियों के अनुसार संस्थानों के नाम और उनसे मांगी गई/वसूल की जाने वाली (सितम्बर 1997 तक) धनराशि आदि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवलण संलग्न है।

(ग) सरकारी देयताओं की समय पर वसूली की निगरानी के लिए एक विशेष सेल गठित की जा रही है। यदि कोई पट्टाधारी शर्तों के अनुपालन में असफल रहा है तो पट्टे के प्रावधान के अधीन कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पट्टे का परिसमापन भी शामिल हो सकता है।

विवरण

होटलों, सिनेमाघरों, क्लबों और पेट्रोल पम्पों के संबंध में बकाया देय राशि

क्र.सं.	होटल का नाम	स्थान	क्षेत्र (एकड़ में)	उल्लंघन के प्रकार	मांग नोटिस जारी किए गए	वसूली की अवधि	प्रिमियम (ब्याज सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारत होटल	बाराखम्बा रोड	6.0485	भूमि एवं विकास कार्यालय ने पांच सितारा होटल के निर्माण के लिए एन.डी.एम.सी. को भूमि आवंटित की थी लेकिन उन्होंने होटल के निर्माण के लिए भारत होटल के साथ करार किया	सितम्बर 1992 नवम्बर, 1996 मई, 1996	22.2.81 से 16.9.92	6.78
2.	ताज पैलेस	एस.पी. मार्ग	6000	भूमि एवं विकास कार्यालय ने पांच सतारा होटल के निर्माण के लिए डीडीए को भूमि आबंटित की थी लेकिन उन्होंने होटलों के निर्माण एवं चालू करने के लिए मैसर्स ताज पैलेस के साथ करार किया	-वही-	20.7.89 से 19.5.98	6.97

भूमि कर (ब्याज सहित)		क्षति, दुरूपयोग प्रभार (ब्याज सहित)		लाइसेंस शुल्क (ब्याज सहित)		किया गया भुगतान यदि कोई हो	सित. 1997 वसूल की जाने वाली शेष राशि
8		9		10		11	12
15.7.95 से 14.7.96	5.87	–	–	–	–	–	17.31
22.5.81 से 31.3.96	4.66	–	–	–	–	–	
–	–	4.3.81 से 9.4.85	0.96	10.4.85 से 14.7.98 10.4.85 से	3.47 2.32 9.5.98	–	13.72

	होटल का नाम	स्थान	क्षेत्र (एकड़ में)	उल्लंघन के प्रकार	मांग नोटिस जारी किए गए	वसूली की अवधि	प्रिमियम (ब्याज सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	ला मेडियन	रायसीना रोड	4.290	भूमि एवं विकास कार्यालय ने पांच सितारा होटल के निर्माण के लिए एन.डी.एम.सी. को भूमि आबंटित की लेकिन उन्होंने मैसर्स प्योर ड्रिंक्स लिमिटेड और मैसर्स सी जे इंटरनेशनल होटल के साथ करार किया	सितम्बर 1992 अप्रैल 1998	30.3.81 से 7.5.92	3.39
4.	सम्राट होटल	अशोका होटल के पास पंचशील मार्ग	3.115	पट्टाधारी द्वारा 3975.24 वर्ग गज का अतिक्रम किया	जून, 1994	–	–
5.	होटल राजदूत	13-बी जंगपुरा	0.3149	रिहायशी प्रायोजनों के लिए आबंटित की गई जबकि भूमि पर होटल का निर्माण किया गया और 110 वर्ग गज सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया	मई, 1993	–	0.15
6.	अशोका होटल	चाणक्यपुरी	21.155	1821.72 वर्ग फुट की अतिरिक्त कवरेज पर अनधिकृत निर्माण	जारी नहीं	–	0.11
	योग:						17.40

भूमि कर (ब्याज सहित)		क्षति, दुरूपयोग प्रभार (ब्याज सहित)		लाइसेंस शुल्क (ब्याज सहित)	किया गया भुगतान यदि कोई हो		सित. 1997 वसूल की जाने वाली शेष राशि
8		9		10	11		12
30.3.83 से 14.7.96	2.77	30.3.83 से 31.3.96	0.71	–	–	2.27	6.12
20.3.83 से 31.3.96	1.82						
15.1.92 से 14.7.94	0.11	1.4.89 से 14.7.94	4.27	–	–	–	4.40
1.11.91 से 14.7.94	0.02						
15.7.64 से 30.4.94	0.002	22.10.83 से 14.7.93	0.72	–	–	–	0.87
22.11.55 से 31.12.96	0.22	–	–	–	–	–	0.22
योग	15.47	15.47	6.66	–	5.79	2.27	43.05

क्र.सं.	होटल का नाम	स्थान	क्षेत्र (एकड़ में)	उल्लंघन के प्रकार	मांग नोटिस जारी किए गए	वसूली की अवधि	प्रिमियम (ब्याज सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रैसेज							
1.	नेशनल हेराल्ड	5-ए बहादुर शाहर जफर मार्ग	0.309	अनधिकृत निर्माण और उप किराएदारी आदि	मई, 88 और दिस. 96	–	–
2.	दैनिक प्रताप डेली	5, बहादुर शाह जफर मार्ग	0.364	-वही-	जुलाई, 94	–	–
3.	डेली तेज	8, बहादुर शाह जफर मार्ग	0.251	-वही-	जनवरी, 98	–	–

1	2	3	4	5	6	7	
4.	गुलाब प्रिंटर्स	6 बहादुर शाह जफर मार्ग	0.675	-वही-	जून, 92 व जून, 96	–	–
5.	यूनाइटेड इंडिया पीरिओडिकल प्रा.लि.	3 बहादुर शाह जफर मार्ग	–	–	–	–	–
क्लब्स							
1.	दिल्ली रेसकोर्स क्लब	रेसकोर्स रोड	53.25	अनधिकृत कब्जा प्रभार	फरवरी, 98	–	–
2.	दिल्ली जीम खाना क्लब	-वही-	27.3	अनधिकृत निर्माण/ दुरूपयोग प्रभार	अक्टू. 98	–	–

कर (ब्याज सहित)			क्षति, दुरूपयोग प्रभार (ब्याज सहित)	लाइसेंस शुल्क (ब्याज सहित)	किया गया भुगतान यदि कोई हो		सित. 1997 वसूल की जाने वाली शेष राशि
8			9	10	11		12
15.7.71 से 14.7.97	0.034	15.7.71 से 14.7.97	4.266	–	–	–	4.30
–	–	1.1.63 से 14.1.95	11.00	–	–	–	11.00
15-1-71 से 14-1-98	0.03	23.2.78 से 14.1.98	0.62	–	–	0.06	0.59
15.7.73 से 14.7.92	0.03	6.7.69 से 31.3.92	3.02	–	–	–	3.05
15-7-88 से 14-1-97	0.006 0.009	1-4-87 से 31-1-98	-7.035	–	–	–	7.05
26-11-79 से	0.03	1.1.1995	1.09	–	–	–	1.18

8			9	10	11		12
31.12.84		से 31.12.1997					
26-11-79 से 31.12.97	0.06	-	-	-	-	-	-
-	-	20.5.59 से 14-7-98	2.45	-	-	-	2.45

क्र.सं.	होटल का नाम	स्थान	क्षेत्र (एकड़ में)	उल्लंघन के प्रकार	मांग नोटिस जारी किए गए	प्रिमियम (ब्याज सहित)	
1	2	3	4	5	6	7	
							वसूली की अवधि
सिनेमाघर							
1.	संगम	आर.के.पुरम	4001.33	दुरूपयोग/ अनधिकृत निर्माण/ उप किराए दारी	दिसम्बर, 95	-	-
2.	अलंकार	लाजपत नगर	5043.33	-वही-	जनवरी, 90 में प्रस्तावित	-	-
पेट्रोल पम्प							
1.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन	आई. एन.ए. मार्किट के सामने	लागू नहीं	दुरूपयोग (वेल्डिंग कार्य)	1983	-	-
2.	-वही-	विकास मार्ग	-वही-	-वही-	1983	-	-
3.	-वही-	रिंग रोड आर.के.पुरम के सामने	-वही-	-वही-	मार्च, 87	-	-
4.	इंडो बर्मा पेट्रोलियम कारपोरेशन	चर्च रोड	-वही-	कोका कोला बूथ भूमि का अतिक्रमण आदि	1966 1970	-	-

भूमि कर (ब्याज सहित)			क्षति, दुरूपयोग प्रभार (ब्याज सहित)	लाइसेंस शुल्क (ब्याज सहित)	किया गया भुगतान यदि कोई हो		सित. 1997 तक वसूल की जाने वाली शेष राशि
8			9	10	11		12
15.7.75 से 14-1-86	0.04	20.8.75 से 15.1.86	1.17	–	–	–	1.21
–	–	13.9.77 से 15.12.98	0.51	–	–	–	0.51
0.04			1.68			–	1.72
–	–	अप्रैल 87	0.12	–	–	–	0.12
–	–	दिसम्बर 89	0.02	–	–	–	0.02
15-1-79 से 14-1-88	0.05	12.9.77 से 14-1-87	0.05	–	–	0.02	0.08
–	–	लागू नहीं	0.16	–	–	–	-0.16
17.40	15.759		0.35			0.02	0.38
			38.171	–	15.79	-2.35	74.77

मध्याहन भोजन

248. श्री वी.एम. सुधीरन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विशेष रूप से नगर निगम के स्कूलों में मध्याहन भोजन की योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न प्रचालनात्मक कठिनाइयों संबंधी विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) इस पर क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्याहन भोजन योजना) को सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कठिनाई के बारे में कोई विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकारों के समक्ष जब कभी भी कार्यान्वयन संबंधी कठिनाईयां आती हैं तो उन पर ध्यान देकर उनका समाधान कर दिया जाता है।

[हिन्दी]

भारत के खिलाफ जेहाद

249. श्री उत्तमराव पाटील:
डॉ. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जेहाद छेड़ रखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में युवकों को प्रशिक्षण देने आदि जैसी पाकिस्तानी गतिविधियां बढ़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने उनके अभियान को विफल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) पाकिस्तान, सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करने को उचित ठहराने के उद्देश्य से भारत के खिलाफ जेहाद को प्रोत्साहित कर रहा है। इस आशय की रिपोर्टें है कि जम्मू तथा कश्मीर से कुछ गुमराह युवकों को प्रशिक्षण के लिए लालच दिया जा रहा है।

(घ) सरकार ने उग्रवादी और आतंकवादी ग्रुपों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। सुरक्षा एजेन्सियां, किसी भी स्थिति से जहां कहीं और जब कभी उत्पन्न होती हैं, गहन सम्पर्क में कार्य कर रही हैं। इस संबंध में उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप देश में आई.एस.आई. प्रायोजित विभिन्न मोड्यूलों को निष्क्रिय किया गया है।

हमारे देश और क्षेत्र की सुरक्षा पर सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के कारण पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को उपयुक्त और प्रभावी ढंग से बताया गया है।

[अनुवाद]

बिहार में हत्याएं

250. श्री रामचन्द्र पासवान:
डॉ. मन्दा जगन्नाथ:
श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री रामजीवन सिंह:
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:
श्री उत्तमराव ढिकले:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औरंगाबाद (बिहार) के मियापुर गांव और अन्य क्षेत्रों में ग्रामीणों की हत्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने संबंधित प्राधिकारियों से घटना के संबंध में कोई रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बिहार में 'रणवीर सेना' अनेकों जनहत्याओं में संलिप्त रही है;

(च) यदि हां, तो इनमें अब तक कितने लोग मारे गये और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में इस प्रकार नरसंहार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (च) उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय बिहार में नक्सलवादियों और अन्य वामपंथी उग्रवादियों का मुकाबला करने के लिए जनवरी, 1995 में जाति आधारित एक गुट रणवीर सेना का गठन किया गया था। रणवीर सेना पर 1997 में 103 हत्याओं के साथ 41 हिंसक घटनाओं, 1998 में 15 हत्याओं के साथ 23 घटनाओं और 1999 में 46 हत्याओं के साथ 11 घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। 16 जून, 2000 तक (औरंगाबाद में मियांपुर गांव में ग्रामीणों की हत्याओं सहित) रणवीर सेना पर 47 हत्याओं के साथ 11 हिंसक घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। बिहार की राज्य सरकार ने औरंगाबाद जिले में मियांपुर गांव में ग्रामीणों के जनसंहार के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई थी। बिहार की सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि गांव मियांपुर में जनसंहार के पश्चात इस बारे में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। आठ व्यक्तियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और संदिग्ध हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ग्रामीणों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए गांव में एक पुलिस पिकेट स्थापित की गई है। भविष्य में किसी हिंसा को रोकने के लिए पड़ोस के क्षेत्रों में गहन गश्त लगाई जा रही है।

(छ) भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अतः बदलते सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था परिदृश्य के अनुरूप अपने पुलिस बलों को प्रशिक्षण देने, सुसज्जित करने और आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी मुख्यरूप से राज्य सरकार की है। तथापि, उनके पुलिस संरचनात्मक ढांचे में सुधार के लिए राज्य सरकारों के, प्रयासों में मदद के लिए केन्द्र सरकार 1969-70 से एक स्कीम अर्थात, राज्य पुलिस बलों के

आधुनिकीकरण के लिए स्कीम, क्रियान्वित करती आ रही हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1980-81 से 1999-2000 की अवधि के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत, बिहार सरकार को 5008 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की स्कीम के अधीन अब तक बिहार सरकार को 28.80 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

भारत सरकार, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल भी उपलब्ध कराती है।

स्कूलों में कम्प्यूटर लगाने हेतु आबंटन

251. **डॉ. ए.डी.के. जयशीलन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष स्कूलों को कम्प्यूटरों की खरीद के लिए राज्य-वार कितना आबंटन किया गया;

(ख) क्या स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन संबंधी संशोधित योजना के तहत लाए जाने वाले स्कूलों की संख्या और अपेक्षित निधियों का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या स्थिति है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, कम्प्यूटर खरीदने के लिए कोई भी राशि आबंटित और प्रदान नहीं की गई। स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन की संशोधित योजना विभिन्न मंत्रालयों के साथ परामर्श करके अब तैयार की जा रही है और उसके विवरण तैयार किए जा रहे हैं।

इस्पात क्षेत्र का पुनरुद्धार

252. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घाटे में चल रहे भारतीय इस्पात प्राधिका को उसके वित्तीय पैकेज और वेतन परिलब्धियों तथा विदेशी या सहित उसके खर्चों को कम करने संबंधी पुनर्गठन उपायों क्रियान्वयन में विलम्ब के लिए उसे फटकारा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस्पात क्षेत्र के कार्यकरण को सुचारू बन और इसके पुनरुद्धार के लिए किये गये नवीन प्रयासों का ब्यौ क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस्पात मंत्रालय तथा लोहा और इस्पात संबंधी कार्यका दल द्वारा सुझाए गए पुनरुद्धार पैकेज के फलस्वरूप निम्नलिखि कार्रवाई की गई है:

(1) घटती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए 2000-2001 बजट में सीमा शुल्क की उच्चतम दर को और क नहीं किया गया है।

(2) फैरो निकल, निकल ऑक्साइड सिन्टर/चार्ज्ड निक तथा रिफ्रैक्ट्री जैसे कुछ कच्चे माल पर सीमा शुल्क कमी की गई है।

(3) स्टॉकयार्ड और संवितरण प्रभारों पर उत्पाद शुल्क व वापिस ले लिया गया है।

(4) इस्पात की सभी मदों पर यथामूल्य उत्पाद-शुल्क।

(5) उक्रेन और रूस से आयातित एच.आर. क्वायलों पाटन रोधी शुल्क लगाया गया है।

(6) डी.ई.पी.बी. दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

(7) कच्चे लोहे के विनिर्माताओं को चीनी कोक आयात पर पाटन-रोधी शुल्क के भुगतान से छूट गई है।

उपर्युक्त कार्रवाई और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को स्थिर करने फलस्वरूप लोहा और इस्पात क्षेत्र में चालू वर्ष में पुनरुद्धार चिह्न दिखायी देने लगे हैं।

दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे प्रवासी

253. श्री श्रीनिवास पाटील:
श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या गृह मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने शहर में अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने का एक विशेष अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसे कितने अवैध प्रवासियों की पहचान की गई और कितने वापस भेजे गए;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस ने शहर के कुछ स्थानों विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों और कुछ वैध अप्रवासियों को परेशान और उत्पीड़ित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए; और

(ङ) दिल्ली के विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के वैध अप्रवासियों को परेशान और उत्पीड़ित करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) अवैध आप्रवासियों का पता लगाना और उन्हें वापिस भेजना एक सतत् प्रक्रिया है। दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान पता लगाए और वापिस भेजे गए ऐसे अवैध आप्रवासियों की संख्या इस प्रकार थी:-

वर्ष	संख्या
1997	97
1998	183
1999	164

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए स्थायी अनुदेश दिए गए हैं कि देश के किसी भी नागरिक को परेशान न किया जाए।

थार मरूभूमि के विकास के लिए धनराशि

254. कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान जिलेवार राजस्थान को थार मरूभूमि के विकास के लिए आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु शुरू किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) इस धनराशि से राज्य में कितने गांव लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या राज्य ने इस कार्य के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान थार मरूभूमि के विकास के लिए राजस्थान को जिला-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) समोच्च (कन्टूअर) बांध बनाना, रोक बांध और टांकों का निर्माण करना, वनीकरण, चरागाह विकास, जल संग्रहण संरचनाओं और लघु सिंचाई संरचनाओं सहित मृदा/जल संरक्षण कार्य, रेत के टीलों के स्थिरीकरण, शेल्टर बैल्ट वृक्षारोपण, फार्म वानिकी आदि कार्यकलाप आरंभ किए गए हैं। अभी तक लगभग 103 करोड़ रुपये की राशि उपयोग में लायी गई है।

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा ग्राम-वार या धानी-वार सूचना संकलित नहीं की जाती है। तथापि इन निधियों को 1171 वाटरशेड विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उपयोग में लाया गया है जिनमें लगभग उतने ही गांवों को और 5.97 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है।

(घ) से (ङ) राज्य सरकार ने कोई अतिरिक्त निधियों की मांग नहीं की है।

विवरण

थार मरूभूमि के विकास के लिए राजस्थान को जिला-वार जारी की गई निधियां

(लाख रुपये

क्र.सं.	जिला	जारी की गई निधियां			
		1997-98	1998-99	1999-2000	2000-20
1.	बाड़मेर	452.72	945.00	470.63	461.
2.	बीकानेर	0.00	468.56	482.54	543.
3.	चुरू	796.79	358.36	300.55	
4.	हनुमानगढ़	50.66	287.89	52.51	
5.	जैसलमेर	705.11	1062.50	1218.76	
6.	जालौर	252.86	45.00	399.37	
7.	झुनझुनु	100.50	147.50	95.68	93.
8.	जोधपुर	203.88	972.50	468.42	264.
9.	नागौर	412.77	97.50	679.37	
10.	पाली	162.75	542.50	198.77	
11.	सीकर	287.12	91.25	127.50	
	योग	3425.16	5018.56	4494.10	1362.

लूट-खसोट में पुलिस की मिलीभगत

255. श्री रामसागर रावत:
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस के गश्ती पर तैनात पुलिस कर्मी ही जैसा कि दिनांक 26 जून, 2000 के 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित हुआ है लोगों को लूटते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये हैं;

(ग) ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है और ऐसी घटनाओं को तत्काल रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(घ) क्या सड़कों के किनारे स्थित बूथों में तैनात पुलि किसी-न-किसी बहाने से यात्रियों से पैसे ऐंठने हेतु उन्हें रोक हैं; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन के पुलिसकर्मी गैर-कानूनी काम न करें, क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर रा (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सिनेमाघरों के लाइसेंसों को निरस्त करना

256. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी दुर्घटना की आशंका के कारण दिल्ली पुलिस ने कई सिनेमाघरों के लाइसेंस निरस्त कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सिनेमाघरों के नाम क्या हैं और किस तारीख से वे बंद बड़े हैं; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) दिल्ली सिनिमाटोग्राफी नियम, 1981 के अन्तर्गत निर्धारित सुरक्षा मानदण्डों के उल्लंघन के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न अवधियों के लिए पांच सिनेमाघरों नामत: विशाल, रेस कोर्स, विवेक, सम्राट और पालम के लाइसेंस निलम्बित कर दिए थे। तथापि, बाद में प्रथम चार सिनेमा घरों के मामले में लाइसेंस, उन कमियों को दूर कर दिए जाने के पश्चात् जिनके कारण लाइसेंस निलम्बित किए गए थे, पुन: बहाल कर दिए गए थे। पांचवें सिनेमा घर के संबंध में लाइसेंस 31 मार्च, 2000 से निलम्बित चला आ रहा है और केवल तभी बहाल किया जाएगा जबकि ध्यान में आई कमियों को दूर कर लिया जाएगा।

कॉलेजों को अनुदान

257. **श्रीमती रेणु कुमारी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कॉलेजों को किन-किन योजनाओं के लिए अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान बिहार के किन-किन कॉलेजों ने अनुदान मांगा है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) उन योजनाओं को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है, जिनके अंतर्गत पात्र कॉलेजों को अनुदान दिए जाते हैं।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने वाले बिहार स्थित कॉलेजों को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) नौवीं योजनावधि के दौरान बिहार के कॉलेजों को अनुमोदित तथा जारी किए गए अनुदानों को दर्शानेवाला विवरण-III संलग्न है।

विवरण-I

वे योजनाएं जिनके अंतर्गत पात्र कालेजों को अनुदान प्रदान किया गया

1. नौवीं योजना कॉलेज विकास (सी.डी. 9)
2. लघु अनुसंधान परियोजनाएं (मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान) (एम.आर.पी-एच)
3. लघु अनुसंधान परियोजनाएं (विज्ञान) (एम.आर.पी.-एस.)
4. टीचर फैलोशिप स्कीम (एफ.आई.पी.)
5. सेमिनार/संगोष्ठियाँ/सम्मेलन
6. महिला छात्रावास निर्माण (डब्ल्यू.एच.) (विशेष योजना)
7. स्वायत्त कॉलेज (ए.सी.)
8. कॉलेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम (सी.ओ.एस.आई.पी.)
9. कॉलेज मानविकी एवं समान विज्ञान सुधार कार्यक्रम (सी.ओ.एच.एस.एस.आई.पी.)
10. शिक्षक स्टाफ कॉलेजों के लिए पुनश्चर्या/अनुस्थापन कार्यक्रम
11. शिक्षक पुनश्चर्या/अनुस्थापन कार्यक्रम (शैक्षिक स्टाफ कॉलेज-ए.एस.सी.)
12. शिक्षक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन
13. दीर्घ अनुसंधान परियोजनाएं (विज्ञान एवं मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान)
14. विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकें तैयार करना
15. शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद को बढ़ावा देना
16. कैरियर एवार्डस/रिसर्च एवार्डस
17. कॉलेजों में कम्प्यूटर की सुविधाएं
18. महिला अध्ययन केन्द्र
19. जनसंख्या शिक्षा क्लब-यू.जी.सी.-यू.एन.एफ.पी.ए. परियोजना
20. पुस्तकों एवं उपस्करों के लिए कॉलेजों को एकमुश्त अनुदान (50, 75, 100 वर्षीय पुराने)
21. पाठ्यक्रमों का व्यावसायीकरण
22. वर्तमान पाठ्यक्रमों को पुन: तैयार करना
23. उभरते क्षेत्र एवं नवाचारी कार्यक्रम
24. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए उपचारात्मक कोचिंग
25. प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा
26. मूल्य शिक्षा/मानव अधिकार शिक्षा
27. यातायात अनुदान।

विवरण-II

बिहार के वे कालेज जिन्होंने चालू वर्ष में अनुदान की मांग की है (19 जुलाई, 2000 तक)

क्र.सं.	कालेज के नाम	योजना	टिप्पणियाँ
1	2	3	4
1.	ए.एन.एस. कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किस्त
2.	ए.एन.एस. कालेज	सेमिनार	नए प्रस्ताव
3.	ए.एस. कालेज	एम.आर.पी.	नए प्रस्ताव
4.	ए.एस. कालेज	सेमिनार	नए प्रस्ताव
5.	अन्नाडा कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किस्त
6.	अनुगढ़ नारायण स्मारक महाविद्यालय	सेमिनार	अनुवर्ती किस्त
7.	बी.डी. सांय कालेज	एम.आर.पी.	नए प्रस्ताव
	बालनाथ जालान कालेज	सेमिनार	नए प्रस्ताव
9.	भारतीय मण्डन कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किस्त
10.	भोलाराम सिवल खरखीड कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किस्त
11.	बोकारो स्टील सिटी कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किस्त
12.	सी.एम. कालेज (कला एवं वाणिज्य)	सी.डी. 9	अनुवर्ती किस्त
13.	सी.एम. विज्ञान कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किस्त
14.	सी.ए.एम. विज्ञान कालेज	एम.आर.पी. (एस.)	अनुवर्ती किस्त
15.	वाणिज्य कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किस्त
16.	वाणिज्य कालेज	सेमिनार	नए प्रस्ताव
17.	डी.ए.वी. कालेज	एम.आर.पी.	नए प्रस्ताव
18.	देवघर कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किस्त
19.	डॉ. एस.के. सिन्हा महिला कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किस्त
20.	डॉ. एस.के. सिन्हा महिला कालेज	सेमिनार	नए प्रस्ताव
21.	जी.डी.एम. कालेज	एम.आर.पी.	नए प्रस्ताव
22.	जी.एल.ए.कसकालेज	एम.आर.पी.	नए प्रस्ताव
23.	गया कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किस्त
24.	गया कालेज	सेमिनार	नए प्रस्ताव

1	2	3	4
25.	गया कालेज	डब्ल्यू.एच.	अनुवर्ती किश्त
26.	गया कालेज, गया	एम.आर.पी.	नए प्रस्ताव
27.	जी.डी. कालेज	.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
28.	गिरडीह कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
29.	गिरडीह कालेज	सेमिनार	नए प्रस्ताव
30.	गिरडीह कालेज	एम.आर.पी.	नए प्रस्ताव
31.	गोपेश्वर कालेज	एम.आर.पी. (एच.)	अनुवर्ती किश्त
32.	ग्राम भारती कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
33.	गुरू नानक कालेज	एम.आर.पी.	नए प्रस्ताव
34.	गुरू नानक कालेज	सेमिनार	अनुवर्ती किश्त
[illegible]	गुरू सहाय देव दसरण स्मारक कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
	एच.डी. जैन कालेज	सी.डी. 9	पी.जी. डिपार्टमेंट
	हरी राम कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
	जे.डी. महिला कालेज	एम.आर.पी.	नए प्रस्ताव
39.	जे.एल.एन. कालेज	सेमिनार	नए प्रस्ताव
40.	जे.एम.डी.पी.एल. महिला कालेज	डब्ल्यू.एच.	नए प्रस्ताव
41.	जगदीश नन्दन कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
42.	जगदीश नन्दन कालेज	डब्ल्यू.एच.	अनुवर्ती किश्त
43.	जगत नारायण लाल कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
44.	जगदम कालेज	एम.आर.पी.	नए प्रस्ताव
45.	जगजीवन कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
46.	जमशेदपुर महिला कालेज	एम.आर.पी.	नए प्रस्ताव
47.	जवाहर लाल नेहरू कालेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
48.	जवाहर लाल नेहरू कालेज	सेमिनार	अनुवर्ती किश्त
49.	जीवाछ महाविद्यालय	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
50.	झुमक महासेठ डॉ. धर्मप्रिया लाल	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
51.	के.एल.एस. कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त

1	2	3	4
52.	करमचन्द भगत कॉलेज	सेमिनार	नया प्रस्ताव
53.	खेमचन्द ताराचन्द कॉलेज	सेमिनार	नया प्रस्ताव
54.	किशन कॉलेज	सी.डी. 9	नया प्रस्ताव
55.	कोसी कॉलेज	सी.डी. 9	स्नातकोत्तर विभाग
56.	कुवर सिंह कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
57.	लाल सिंह त्यागी ग्रामीण महाविद्यालय	एम.आर.पी.	नया प्रस्ताव
58.	ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
59.	लंगट सिंह कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
60.	एम.जे.के. कॉलेज	एम.आर.पी	नया प्रस्ताव
61.	एम.एस. कॉलेज	एम.आर.पी.	नया प्रस्ताव
	एम.एस. कालेज	सेमिनार	नया प्रस्ताव
63.	एम.वी. कॉलेज	एम.आर.पी.	नया प्रस्ताव
64.	मदन अहला महिला कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
65.	महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मैमोरियल कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
66.	महाराजा बहादुर राम रणविजय प्रसाद	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
67.	महारानी कल्याणी महाविद्यालय	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
68.	महिला कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
69.	मारवाडी कॉलेज	एम.आर.पी.	नया प्रस्ताव
70.	मारवाडी कॉलेज, रांची	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
71.	मिलाट कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
72.	नालन्दा कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
73.	नालन्दा कॉलेज	एम.आर.पी.	नया प्रस्ताव
74.	नालन्दा कॉलेज	एम.आर.पी. (एस)	अनुवर्ती किश्त
75.	नालन्दा कॉलेज	सेमिनार	नया प्रस्ताव
76.	नेशनल इन्सटीट्यूट ऑफ फाउन्डरी एंड फोर्ज	एम.आर.पी.	नया प्रस्ताव
77.	नेतिश्वर महाविद्यालय	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
78.	निर्मल कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त

1	2	3	4
79.	आर.एल.एस.वाई. कॉलेज	एम.आर.पी.	नया प्रस्ताव
80.	आर.एल.एस.वाई. कॉलेज	सेमिनार	नया प्रस्ताव
81.	आर.एस.पी. कॉलेज	सेमिनार	नया प्रस्ताव
82.	राजा शिव प्रसाद कॉलेज	एम.आर.पी.	नया प्रस्ताव
83.	राम लखन सिंह यादव कॉलेज, बितिया	एम.आर.पी.	अनुवर्ती किश्त
84.	राम सहाय मल मोड कॉलेज	सी.डी 9	अनुवर्ती किश्त
85.	रामेश्वर दास पन्नालाल महिला कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
86.	राम लखन सिंह यादव कॉलेज, पटना	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
87.	रांची कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
88.	रांची महिला कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
89.	एस.बी. कॉलेज	एम.आर.पी.	नया प्रस्ताव
90.	एस.जी.एस.एम. महाविद्यालय	सी.डी. 9	नया प्रस्ताव
91.	एस.एन. सिन्हा कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
92.	एस.एन.एस. कॉलेज	एम.आर.पी	नया प्रस्ताव
93.	एस.पी. जैन कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
94.	एस.पी. जैन कॉलेज	एम.आर.पी.	अनुवर्ती किश्त
95.	एस.पी. जैन कॉलेज	एम.आर.पी. (एस)	अनुवर्ती किश्त
96.	एस.पी. जैन कॉलेज	एम.आर.पी.	नया प्रस्ताव
97.	एस.एस.एल.एन.टी. महिला महाविद्यालय	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
98.	सबोर कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
99.	साहिबगंज कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
100.	समस्तीपुर कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
101.	संथालपरगना कॉलेज	एम.आर.पी. (एस)	अनुवर्ती किश्त
102.	सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
103.	सरदार पटेल मैमोरियल कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त
104.	शेरशाह कॉलेज	सी.डी. 9	अनुवर्ती किश्त

विवरण-III

नौवीं योजना में कॉलेज विकास के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कॉलेजों को दिये गये अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

अवधि तक: 31 मार्च, 2000 (लाख रुपये में)

राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	कॉलेजों की संख्या यू/एस 2 (एफ) और 12 बी	सहायता प्राप्त कालेजों की संख्या	कुल अनुमोदित अनुदान (वि.अ.आ. का अंश)	9वीं योजना के अंतर्गत 1.4.97 से 31.3.2000 तक भुगतान की गयी राशि	अनुमोदित आबंटन की तुलना में जारी किये गये अनुदान की प्रतिशतता
बिहार					
भागलपुर	45	39	414.00	129.58	31.30
बी.बी.ए. बिहार	46	43	408.00	133.94	32.83
जयप्रकाश	22	21	229.00	77.50	33.84
[illegible].एन. मिथिला	75	69	791.00	301.47	38.11
मगध	71	70	879.00	335.73	38.19
पटना	9	9	133.00	47.95	36.05
रांची	65	62	782.00	227.61	29.11
के.एस.डी. संस्कृत	15	12	34.00	16.28	47.88
कुल	348	325	3670.00	1270.06	34.61

वाहनों पर बत्तियों का प्रयोग

258. **श्री बृज भूषण शरण सिंह:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों की सुरक्षा के लिये कोई प्रोटोकॉल तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसद सदस्य अपने वाहनों पर लाल या नीली बत्ती लगाने के हकदार हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार अवैध रूप से वाहनों पर लगी बत्तियों को हटाने के लिये क्या कार्रवाई कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्। माननीय संसद सदस्यों को उनके मामलों में खतरे की सम्भावनाओं के आधार पर, सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) मोटर वाहनों में बत्ती का प्रयोग (लाल या नीली बत्ती सहित) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 108 (3) द्वारा शासित होता है। वाहन के ऊपर अतिरिक्त बत्तियों जैसे लाल बत्ती/नीली बत्ती के प्रयोग की अनुमति केवल भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वाहनों के लिए दी जाती है।

(ङ) दिल्ली पुलिस द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की गयी है। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस द्वारा सरकारी वाहनों के ऊपर रंगीन बत्ती के प्रयोग के बारे में सभी संबंधितों को पत्र जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर सीमा पर बाड़ लगाना

259. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगा रही हमारी विभिन्न एजेंसियों के ठेकेदारों को रोकता रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह कार्य अर्ध सैनिक बलों को सौंपने का है; और

(ग) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का काम कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पाकिस्तान की तरफ से अकारण और निरन्तर गोलीबारी के कारण जुलाई, 1995 में बंद कर दिया गया था। सरकार ने घुसपैठ और हथियारों/विस्फोटकों इत्यादि की तस्करी को रोकने लिये जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवरोधक प्रणाली लगाने हेतु हाल ही में बहु-रूपात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। इस परियोजना का निष्पादन सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया जाएगा और इसकी लगभग $1^1/_2$ से 2 वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है।

भिन्न-भिन्न स्थानों पर बसे आदिवासी

260. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को भिन्न-भिन्न स्थानों पर बसे आदिवासियों की रहन-सहन की स्थिति तथा उनकी आर्थिक आवश्यकताओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अभ्यावेदनों में कौन-कौन से मुद्दे उठाये गये हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) भिन्न-भिन्न स्थानों पर बसे आदिवासियों की समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए किसी अधिकारी/दल को न भेजने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न स्थानों पर बसे आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय ने डॉ. पुल्लाराव से आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में भिन्न-भिन्न स्थानों पर बसे आदिवासियों के लिए पेय जल और मकान की सुविधाओं की कमी के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

(घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिन्न-भिन्न स्थानों पर बसे आदिवासियों की समस्याओं का जायजा लेने के लिए 9-11 नवम्बर, 1998 के दौरान पश्चिम गोदावरी जिले में एक अधिकारी को भेजा था।

(ङ) राज्य सरकार को भिन्न-भिन्न स्थानों पर बसे आदिवासियों के लिए उनकी जरूरतों को पूरा करने हेतु आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता में से निधियों का एक भाग का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

सब के लिए शिक्षा

261. डॉ. अशोक पटेल:
श्री अनन्त नायक:
श्री दिन्शा पटेल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी; और

(घ) बुनियादी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सरकार वर्ष 2010 तक सभी लोगों को संतोषजनक स्तर की सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान योजना का निर्धारण कर रही है। योजना बनाने के कार्यकलाप आरंभ कर दिए गए हैं और इस योजना को वर्तमान वित्तीय वर्ष में संचालित किए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

बी.सी.सी.एल. में कर्मचारी

262. श्री दिलीप संघाणी: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि. में वर्ष 1994-95 के दौरान कर्मचारियों की संख्या में भारी कमी आई;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक कितनी रिक्तियां भरी गईं; और

(घ) इस समय रिक्तियों की कमी कितनी है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, बी.सी.सी.एल. में वर्ष 1994-95 के दौरान स्टाफ संख्या में कुल मिलाकर 6604 की कमी थी। स्टाफ में विभिन्न कारणों से कमी का क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

		बिहार क्षेत्र	पश्चिम बंगाल क्षेत्र	जोड़
1.	अधिवर्षिता	2359	26	2385
2.	त्यागपत्र	220	16	236
3.	मृत्यु	1050	26	1076
4.	स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त	67	4	71
5.	स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना	4132	172	4304
6.	बरखास्त करना	603	1	604
7.	अन्य कारण	266	10	276
	जोड़	8697	255	8952

उपर्युक्त अवधि के दौरान बी.सी.सी.एल. में नई नियुक्ति, नैशनल कोल वेज एग्रीमैन्ट के अंतर्गत अनुकंपा आधार पर नियुक्ति, भू-वंचितों को रोजागर, बहाली/नियुक्ति आदि के माध्यम से 2348 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार स्टाफ में निवल कमी 6604 रही।

(ग) सरकार की स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के फलस्वरूप कमी के कराण हुई रिक्तियों को इस योजना के प्रावधानों के अनुसार भरा नहीं जाता क्योंकि स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना के अन्तर्गत आवश्यकता से अधिक और अक्षम कर्मचारियों को सेवानिवृति की अनुमति दी जाती है। चूंकि कंपनी में काफी अधिक संख्या में आवश्यकता सी अधिक स्टाफ रहा है। इसलिए सेवा निवृति के कारण हुई रिक्तियों पर भी भर्ती नहीं की जा रही है। तथापि किसी कर्मचारी की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति पर नैशनल कोल वेज एग्रीमैन्ट के अनुसार दिवंगत व्यक्ति के आश्रित को रोजगार के माध्यम से भर्ती किया जाता है। वर्ष के दौरान 898 व्यक्तियों को कर्मचारियों की मृत्यु के कारण नियुक्त किया गया।

(घ) कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार बी.सी.सी.एल. में कोई ज्यादा कमी नहीं है। कमी को आंतरिक रूप से प्रशिक्षण के बाद तैनाती के माध्यम से पूरा किया जाता है।

द्वार स्थापित किया जाना

263. श्री राशिद अलवी: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम से बिना पूर्व अनुमति लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम की कालोनियों में सरकार द्वारा निर्मित और देखरेख की जा रही सड़कों और प्रत्येक सर्विस लेन पर लोहे के प्रवेश द्वार लगाए जा रहे हैं जिससे यातायात और सार्वजनिक प्रवेश रुक जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/करने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) स्थानीय निकायों और यातायात पुलिस की अनुमति से प्रवेश द्वार लगाए जा सकते हैं यदि कहीं आपत्ति उठाई जाती है और बिना अनुमति के लगाए गए हैं, तो जिनने ये लगाए हैं उसे हटाने के लिए कहा जाता है।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर में मारे गए लोग

264. योगी आदित्य नाथ: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कश्मीर में कितने सैनिक, अर्ध-सैनिक बल कार्मिक, नागरिक और चरमपंथी मारे गए/गिरफ्तार किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सरकार द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार:

	1998	1999	2000 (जून तक)
मारे गए सुरक्षा बल कर्मी	232	356	170
मारे गए सिविलियन	867	821	361
मारे गए उग्रवादी	999	1082	663
गिरफ्तार किए गए उग्रवादी/संदिग्ध व्यक्ति	1228	744	308
सम्पत्तियों को नष्ट किए जाने की कुल घटनाएं	177	136	67

(ग) राज्य सरकार के मानदण्डों के अनुसार आतंकवादी हिंसा के कारण मृत्यु के मामले में मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को राज्य सरकार द्वारा अनुग्रहपूर्वक अदायगी के रूप में एक लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। इस बारे में राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी व्यय (एस.आर.ई.) के भाग के रूप में की जाती है।

[अनुवाद]

लड़कियों को शिक्षा

265. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने सरकार से लड़कियों को और अधिक सुविधाएं तथा प्रोत्साहन प्रदान कर उनकी शिक्षा के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उन राज्यों की संख्या कितनी है जहां इस समय लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है; और

(घ) ऐसी योजना को समूचे देश में लागू करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ताकि स्कूल शिक्षा के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित किया जा सके?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क)

और (ख) "प्राथमिक स्कूलों में प्रोत्साहन योजनाओं पर राज्य नीतियों और लड़कियों की भागीदारी के लिए उनका योगदान" शीर्षक के अन्तर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने लड़कियों की शिक्षा पर भारत सरकार और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया। इस अध्ययन के अनुसार सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रमों की वजह से नामांकन और स्कूलों में बच्चों के बने रहने की दरों में पुरूष-महिला अन्तर में कमी आई है। बालिका उन्मुख नीतियों की वजह से शैक्षिक सुविधाओं का वृहद् स्तर पर विकास और लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है।

(ग) नौ राज्यों जैसे असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा और 5 संघ राज्य क्षेत्र जैसे दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन और दीव और पांडिचेरी लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति योजना चला रहे हैं।

(घ) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई हैं। लड़कियों के लाभार्थ विभिन्न राज्यों द्वारा चलाई जा रही प्रोत्साहन योजनाएं संलग्न विवरण-II में दी गई हैं। नवोदय विद्यालयों में 30% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।

विवरण-I

(क) लड़कियों की शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सहायता योजना।

(ख) लड़कियों हेतु आवासीय सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना।

(1) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग व छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय सहायता योजना।

(2) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्संख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम।

(3) अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावासों की केन्द्रीय सहायता योजना।

(4) अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम।

(5) अनुसूचित जनजाति हेतु लड़कियों के छात्रावासों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

(6) अनुसूचित जनजाति के लिए आश्रम स्कूल।

(7) अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान।

(8) जनजातीय क्षेत्रों में लड़कियों की साक्षरता के विकास के लिए निम्न साक्षरता पॉकिटों में शैक्षिक परिसर।

विवरण-II

भारत में बालिकाओं के लाभार्थ प्रोत्साहन योजनाएँ—वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मुफ्त वर्दियां		मुफ्त पाठ्य पुस्तकें		उपस्थिति छात्रवृत्ति		मध्याह्न भोजन	
		वर्ष	%व्यय	वर्ष	%व्यय	वर्ष	%व्यय	वर्ष	%व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	1994-95	ल.न.	–	–	1995-96	7.41
2.	अरूणाचल प्रदेश	1982	3.39	1964	7.79	–	–	1995-96	3.65
3.	असम	–	–	1987	2.03	1980	0.07	1995-96	5.56
4.	बिहार	1996	0.07	1983	0.71	–	–	1995-96	3.84
5.	गोवा	1991	0.37	1974	0.44	1973	0.09	1967	0.12
6.	गुजरात	1982	ल.न.	1998	0.79	1985	0.03	1984	1.87
7.	हरियाणा	1977	0.65	1975-76	0.13	1980	0.65	1995-96	2.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	हिमाचल प्रदेश	ल.न.	0.04	1995-96	0.54	–	0.01	1995-96	1.43
9.	जम्मू और कश्मीर	1982	1.68	–	ल.न.	–	–	1995-96	2.69
10.	कर्नाटक	1986	1.24	1993	0.82	1991	0.19	1995-96	5.59
11.	केरल	–	–	1988	0.18	–	–	1995-96	0.48
12.	मध्य प्रदेश	1988	0.10	1975-76	0.65	–	–	1995-96	4.51
13.	महाराष्ट्र	1978	0.28	1977	0.24	1991	0.79	1995-96	3.01
14.	मणिपुर	–	–	1997	ल.न.	–	–	1995-96	2.21
15.	मेघालय	1967	ल.न.	1963	ल.न.	–	–	1995-96	5.33
16.	मिजोरम	ल.न.	0.05	1988	0.12	–	–	1995-96	4.05
17.	नागालैंड	–	–	1995-96	ल.न.	–	–	1995-96	2.29
18.	उड़ीसा	1978	0.10	1950-51	0.46	–	–	1995-96	3.36
19.	पंजाब	–	–	1977	2.68	1992	ल.न.	1995-96	2.39
20.	राजस्थान	1994	0.08	1994	1.44	–	–	1995-96	3.89
21.	सिक्किम	1996	7.35	1985-86	5.13	–	–	1995-96	3.80
22.	तमिलनाडु	1986	4.15	1985-86	1.42	–	–	1983	1.29
23.	त्रिपुरा	1961	0.27	1959	0.72	1962	0.11	1995-96	7.21
24.	उत्तर प्रदेश	–	–	1998	ल.न.	–	–	1995-96	1.95
25.	पश्चिम बंगाल	1976	0.36	1969	1.10	–	–	1978	4.44
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1969	ल.न.	1968	ल.न.	1974	ल.न.	1995-96	0.35
27.	चंडीगढ़	1981	2.16	1980-81	0.99	1980	0.64	1980-81	5.30
28.	दादरा और नगर हवेली	1986	4.39	1985-86	1.05	–	–	1995-96	4.82
29.	दमन और दीव	1983	4.32	1983	0.29	1984	2.20	1995-96	2.93
30.	दिल्ली	1981	0.09	1980-81	0.03	1997	1.10	1995-96	7.50
31.	लक्षद्वीप	–	–	1957	5.15	–	–	1957	1.78
32.	पांडिचेरी	1979	3.45	1958	1.73	1980	0.01	1960-61	2.09
	भारत								3.30

टिप्पणी: कोई योजना निर्दिष्ट नहीं।

कक्षा - 1 से 5 में बच्चों के लिए भारत के सभी भागों में केन्द्र सरकार की मध्याह्न भोजन योजना अब कार्यान्वित की जा रही है।

स्रोत: प्राथमिक स्कूलों में प्रोत्साहन योजनाओं से संबंधित राज्य नीतियां तथा बालिका सहभागिता पर उनका योगदान एन.सी.ई.आर.टी. एवं यूनेस्को 2000

[हिन्दी]

राज्यों को और अधिक शक्ति प्रदान करना

266. श्री रतन लाल कटारिया: क्या गृह मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राज्यों को और अधिक शक्ति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) भारत के संविधान के अन्तर्गत कानून और व्यवस्था राज्य के विषय हैं। अत: आतंकवाद को रोकने के लिए आवश्यक कोई भी उपाय करने के लिए राज्य सरकारें सक्षम हैं। भारतीय विधि आयोग ने भी आतंकवाद निवारण विधेयक, 2000 का मसौदा - किया है जिसमें कानून प्रवर्त्तन एजेन्सियों को आतंकवाद के हुए खतरे से निपटने के लिए उपयुक्त शक्तियां उपलब्ध कराने की बात कही गयी है। सरकार ने विधयेक के विभिन्न प्रावधानों पर सभी राज्य सरकारों के विचार मांगे हैं। सरकार इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व, राजनैतिक दलों, अन्य ग्रुपों इत्यादि के साथ विचार-विमर्श करेगी।

[अनुवाद]

शहरी-ग्रामीण अंतर

267. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हमेशा से चला आ रहा शहरी-ग्रामीण अंतर को पाटने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ की भागीदारी और सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण और आदिवासी लोगों को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में लाने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या दिसम्बर, 1999 में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा ग्रामीण भारत का विपणन और औद्योगिकीकरण पर एक तीन दिवसीय सेमीनार आयोजित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो सेमिनार में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सुझावों के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ङ) भारतीय उद्योग परिसंघ ने पूरी तरह अपनी पहल पर दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 को नई दिल्ली में "ग्रामीण भारत : विपणन और औद्योगीकरण संबंधी संगोष्ठी" नामक एस दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार का उद्देश्य ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में विपणन एवं औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना था ताकि देखा जा सके कि इन क्षेत्रों में उपर्युक्त क्षमता का किस प्रकार पूर्णत: दोहन किया जा सके जिससे कि ग्रामीण मनोविज्ञान, नवीनतम दृष्टिकोणों तथा एक रचनात्मक मीडिया की जानकारी प्राप्त की जा सके। इस संगोष्ठी में मूल रूप से निम्नलिखित सिफारिशें की गई:-

- रोजगार के अवसरों का सृजन
- ग्रामीण आय में वृद्धि
- कृषि उद्योग सम्पर्क का सुदृढ़ीकरण
- आयकर नीति तैयार करना
- शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल निर्माण
- उपभोक्ता समूह निर्माण को सुचारू बनाना
- ग्रामीण/जनजातीय लोगों की जरूरतों एवं पॉकिटों के अनुकूल उत्पादों की रूपरेखा तैयार करना।

जहां तक जनजातीय कार्य मंत्रालय का संबंध है, विशेष कार्यक्रमों तथा योजनाओं के माध्यम से उपायों के एक पैकेज को पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है जो जनजातियों की सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक स्थिति के उन्नयन के लिए तैयार किया गया है, जिससे उनको समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाया जा सके।

महिला साक्षरता

268. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान और नेपाल में विद्यालय न जाने वाले लड़कियों और निरक्षर महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसमें यूनेस्को द्वारा क्या सुझाव दिया गया;

(ग) भारत में अधिकतम महिला निरक्षरता के प्रमुख उत्तरदायी कारक क्या हैं; और

(घ) सरकार का महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां। "विश्व शिक्षा रिपोर्ट 2000" नामक यूनेस्को रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दक्षिण एशिया के तीन बड़े देशों अर्थात बंगलादेश, भारत तथा पाकिस्तान में आज भी विश्व की जनसंख्या का लगभग 45 प्रतिशत निरक्षर हैं। इनमें अधिकांश महिलाएं हैं।

(ख) यह सच है कि निरक्षरों तथा स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वालों/स्कूल न जाने वालों में महिलाओं तथा बालिकाओं की संख्या अधिक है। यूनेस्को रिपोर्ट में उल्लिखित चारों देशों के सन्दर्भ में कोई विशेष सुझाव नहीं दिए गए हैं। फिर भी, जो आम सुझाव दिए गए हैं उनमें ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र प्रौढ़ निरक्षर व्यक्तियों की बढ़ती हुई संख्या को शिक्षा उपलब्ध कराए जाने के राष्ट्रीय प्रयास को गतिशील बनाने की जरूरत तथा युवा पीढ़ी को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की गति को तेज करने की जरूरत है ताकि मौलिक स्तर पर ही इस समस्या का समाधान किया जा सके।

(ग) भारत में महिला निरक्षरता के लिए जो प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं, वे निम्नवत हैं:

* बालक-बालिका आधारित असमानता
* सामाजिक भेदभाव तथा आर्थिक शोषण
* बालिकाओं का घरेलू काम-काज में हाथ बंटाना
* सामाजिक तथा परंपरागत प्रतिबंध
* स्कूलों में बालिकाओं का नामांकन कम होना
* बालिकाओं को स्कूलों में बनाए रखने की दर में कमी तथा स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की दर अधिक होना।

(घ) देश में महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो प्रमुख कार्यनीतियां अपनाई गई हैं, वे निम्नवत् हैं:

(1) कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

(2) प्रारंभिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाना, जिसमें वैकल्पिक शिक्षा भी शामिल है।

त्रिपुरा में जातीय हिंसा

269. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:
श्री के. येरननायडू:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छः महीनों के दौरान त्रिपुरा में हुई जातीय हिंसा में कितने व्यक्ति मारे गए; और

(ख) सरकार द्वारा जनजातीय और गैर-जनजातीय लोगों के बीच होने वाली हिंसा में हस्तक्षेप कर उसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) पिछले 6 महीनों के दौरान, त्रिपुरा में जातीय हिंसा में 71 व्यक्ति मारे गए।

(ख) सरकार द्वारा त्रिपुरा में उग्रवाद को रोकने और जातीय हिंसा को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती, सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय और आसूचना का आदान-प्रदान, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, राज्य सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति, गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत विक्षुब्ध, क्षेत्र घोषित करना और प्रमुख उग्रवादी ग्रुपों को विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत "विधि विरुद्ध संगठन" अधिसूचित करना शामिल है।

केन्द्र सरकार द्वारा त्रिपुरा में स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी गई है। स्थिति की पुनरीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय में अनेक बैठकें की गई हैं। केन्द्रीय गृहमंत्री ने स्वयं 27-28 मार्च, 2000 को त्रिपुरा का दौरा किया। इसके बाद 7-8 जून, 2000 को केन्द्रीय गृह सचिव ने वहां का दौरा किया। इन दौरों के दौरान राज्य में स्थिति की व्यापक रूप से पुनरीक्षा की गई।

तमिलनाडु में श्रीलंकाई शरणार्थी

270. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रीलंका में आतंकवाद बढ़ने के कारण कितने श्रीलंकाई शरणार्थियों ने भारत में घुसपैठ की है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में श्रीलंकाई शरणार्थियों की घुसपैठ को रोकने के लिए क्या उपाय किए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) श्रीलंका में हाल ही में आतंकवाद बढ़ने के कारण, जनवरी, 2000 से लगभग 1200 श्रीलंकाई शरणार्थी भारत में आए हैं; और

(ख) तमिलनाडु की राज्य सरकार और तमिलनाडु में केन्द्रीय एजेंसियों का सभी संभव उपाय करने के लिए उपयुक्त सलाह दी गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, तटीय गश्त गहन करना, अग्रिम आसूचना का संग्रहण और मिलान और तमिलनाडु में नौसेना की टुकड़ियों को सुदृढ़ करना शामिल है।

महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय

271. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राज्य में विशेष रूप से महिला विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजनार्थ क्या प्रावधान किया गया है; और

(घ) योजना अवधि में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं। नौवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालयों में अभी तक 12 नए महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महिलाओं को अंशकालीन रिसर्च एसोसिएटशिप प्रदान करता है ताकि उन्हें विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में, स्वायत्त आधार पर, परियोजना कार्य आधार पर, उत्तर डाक्टोरल अनुसंधान करने में सक्षम बनाया जा सके।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं

272. श्री बृजलाल खाबरी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिए कुछ योजनाएं तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) स्थायी मानव विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने और ग्राम स्तर पर बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सरकार ने एक नई पहल अर्थात प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (जी.एम.जी.वाई.) शुरू की है। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना में वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 5000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आबंटन करने की परिकल्पना की गई है। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के दो घटक हैं अर्थात ग्रामीण सड़कें, जिसके लिए 2500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आबंटित की गई है और दूसरे कार्यक्रम अर्थात प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेय जल और पोषाहार, जिसके लिए अलग से 2500 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

गरीबी कम करने की दिशा में धीमी प्रगति

273. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि भारत में गरीबी कम करने की दिशा में हुई प्रगति में 1990 से कमी आई निर्धन राज्यों में उच्चतम विकास दरों के बावजूद इस संबंध में सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) विश्व बैंक ने "इंडिया पालिसीज टू रिड्यूस पावर्टी एण्ड एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट" शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में 1990 के दशक के मध्य में भारत में मानव विकास में सुधार तथा उच्चतर सकल घरेलू उत्पाद के बावजूद हाल के वर्षों में गरीबी उपशमन की धीमी गति के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। विश्व बैंक द्वारा की गई टिप्पणियों के संगत उद्धरण विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) शहरी गरीबी के उपशमन हेतु सरकार ने पूर्व के शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के बदले, 1.12.1997 से "स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना" (एस.जे.एस.आर.वाई.) नामक एकीकृत शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम शुरू किया है। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना के प्रोत्साहन अथवा मजदूरी रोज़गार के प्रावधान द्वारा शहरी बोरोजगारों और अल्परोजगार प्राप्त व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार मुहैया कराना है। इस योजना का वित्तपोषण केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 27:25 आधार पर किया जाता है।

अन्य मंत्रालय भी अपने-अपने गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की मार्फत गरीबी के शमन/उपशमन के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।

विवरण

विश्व बैंक "इण्डिया:-पालिसीज रिड्यूस पावर्टी एण्ड एक्सीलरेट सस्टेनबल डवलपमेंट" नामक रिपोर्ट के प्रासंगिक उद्धरण

(क) "हाल में वर्षों में गरीबी निवारण में धीमी प्रगति:

1990 के दशक के मध्य में मानव विकास में सुधार तथा सकल घरेलू उत्पाद में काफी वृद्धि के बावजूद, भारत के परिवार प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से पता चला है कि गरीबी कम करने की प्रगति हाल में मंद हो चली है। 1980 के दशक की अल्पकालीन नीतियों को स्थायी बनाने, खराब फसल और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में कमी के कारण 1990 के दशक के आरंभ में गरीबी की स्थिति और बिगड़ी। जल्दी ही गरीबी का स्तर गिरने लगा और 1993-94 तक यह 1987 के स्तर से भी कम था। तथापि 1993-94 से 1997 तक (पिछला उपलब्ध सर्वेक्षण) ग्रामीण क्षेत्रों, जहां 70% से अधिक निर्धन हैं, में सुधार सीमित रहा है। इसके अलावा विश्लेषण से पता चलता है कि उत्तर तथा पूर्व के अत्यधिक निर्धन राज्य जहाँ भारत की 40% आबादी है, 1970 के दशक के उत्तरार्ध से गरीबी कम करने की दिशा में पिछड़ रहे हैं।

समग्र गरीबी शमन में अनुमानित धीमी गति से भारत की अनेक सांख्यिकीय संगतियों में से केवल एक का पता चलता है- राष्ट्रीय खाते में खपत अनुमानों और खाद्यान्य खपत इस बात के लिये प्रेरित करती है कि सेम्पल सर्वेक्षणों की अपेक्षा अधिक तीव्र खपत होनी चाहिये जबकि सर्वेक्षणों में वितरण में कुछ गिरावट का संकेत मिलता है। नीति-निर्धारण के लिए एक सुदृढ़ आधार मुहैया कराने के लिये इन तथा अन्य आंकड़ों के सामंजस्य और गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता इस रिपोर्ट की एक प्रमुख सिफारिश है।

(ख) उपलब्धियों के बावजूद अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं

यह चिन्ता का विषय है कि 1990 के दशक में विकास भी गरीबी को कम नहीं कर सका है। इस जटिल मुद्दे पर आगे कार्य करना आवश्यक है। तथापि 1990 के दशक में कृषि विकास की विशेषताओं, निर्धन राज्यों में विकास की धीमी गति, अवस्थापना, सामाजिक सेवाओं तथा निर्धनता कार्यक्रमों की समस्याओं विशेषकर निर्धन राज्यों में दहां उनकी बढ़ती हुई वित्तीय समस्याएँ, शासन और संस्थानों में दोषपूर्ण प्रोत्साहन ढांचा और त्रुटियों जैसी समस्याएँ भी हैं, आदि के कारण गावों में निर्धनता कम करने की गति धीमी रही है। यह देखा गया है कि अलग-अलग राज्यों अथवा समूह में राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में तैयार विवरण में पुराने (1980-81 आधार) जी.डी.पी. खातों का उल्लेख है, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद की भांति उन्हें नए (1993-94 आधार) खातों पर पुन: आधारित करने पर राज्यों की विकास दरें पुराने खातों से भिन्न हो सकती हैं क्योंकि नए जी.डी.पी. खातों में राष्ट्रीय उत्पादन का अपेक्षाकृत अधिक अनुमान शामिल है। सकल घरेलू उत्पाद की नई श्रृंखला के अनुसार कृषि की औसत विकास दर 1980 से लगभग स्थिर रही है। तथापि इस क्षेत्र की उत्पादकता में यहां तक कि पंजाब और हरियाणा में भी गति धीमी रही है जहां कुछ विश्लेषकों ने पर्यावरणीय मुद्दों को चिन्ता का विषय बताया है। इसके अलावा कुछ निर्धन राज्यों में कृषि विकास दर घटी है। कृषि सार्वजनिक निवेश की बजाए सब्सिडी प्रमुख घटक हो गयी है, जिससे अक्षमता और पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं और निर्धनता पर इसका प्रभाव सीमित है। परोक्ष तथा प्रत्यक्ष सब्सिडी की बहुतायत ने सरकारी बजट में सार्वजनिक निवेश तथा सामाजिक निवेशों को सीमित कर दिया है और इससे राज्यों की वित्तीय समस्याएँ और बढ़ी हैं। कृषि में जहाँ निजी निवेश बढ़ा है लेकिन यह कुछ हद तक अक्षमता और खींचा-तानी का परिचायक है जो अंशत: सब्सिडी यथा गहरे जल स्रोतों वाले पम्प सेटों तथा नि:शुल्क घटिया किस्म की बिजली विफलता पर फ्री चलने वाले जनरेटर सेटों की खरीद बावत सब्सिडी से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पादकता में सीमित वृद्धि से सीमित मात्रा नियमन मुक्ति का भी आभास मिलता है जिससे इस क्षेत्र में अनेक विसंगतियां व्याप्त

हो गई हैं। उदारहण के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार पर प्रतिबंधों से मूल्यों में अक्सर तीव्र अस्थायी वृद्धि हो जाती है जिसकी चोट निर्धनों पर पड़ती है।

(ग) निर्धन राज्यों में कृषि विकास दर कम होने के साथ-साथ जी.डी.पी. का स्तर भी कम है। इससे उनकी संरचना का भी पता चलता है कि कृषि उनके जी.डी.पी. का अधिकांश भाग है। तथापि, निर्धन राज्यों की निम्न विकास दर से आरंभिक स्थितियों और राज्य स्तर नीतियों में अंतर अवस्थापना, मानव विकास और कुछ राज्यों में शासन, जो उन्हें 1991 के बाद के सुधारों का पूरा लाभ उठाने नहीं देता, जैसी समस्याओं का इजहार होता है। इसके अलावा, बढ़ती हुई वित्तीय समस्याओं के कारण पिछला बकाये की भरपायी की भी समस्या है—1980 के दशक में राज्यों ने अपने व्यय तथा लक्ष्य के बिना सब्सिडी (प्रत्यक्ष और परोक्ष) में अस्थायी वृद्धि करनी शुरू की जिसे कभी भी समायोजित नहीं किया गया और जिसका परिणाम बड़े मूल्य के ऋण के रूप में हुआ। सांविधानिक रूप से भारतीय राज्यों पर बाहरी ऋण लेने से रोक लगाई हुई है और उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण तक ही सीमित है। फिर भी निर्धन राज्यों सहित अनेक राज्य जिन्होंने इन ऋणों की आदायगी के लिए भी ऋण लिया है तथा, केन्द्र सरकार के कर्जदार हैं और इसकी उन्हें अदायगी करनी है। ऋणग्रस्त विशेषकर अत्यधिक कर्जदार व निर्धन राज्यों में अवस्थापना तथा सामाजिक निवेस की गति धीमी हुई है। 1997 के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र वेतन समझौते के साथ पिछले दो वर्षों में राज्यों की समस्याएँ और बढ़ी हैं।

अवैध कब्जा हटाए जाने संबंधी अभियान को रद्द करना

274. डॉ. जसवंत सिंह यादव: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डी.डी.ए. फ्लैटों में अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार डी.डी.ए. फ्लैटों में अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने डी.डी.ए. फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण के संबंध में क्या उपाय किए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) नए अवैध निर्माण के मामलों को छोड़कर डी.डी.ए. फ्लैटों में अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई 31 जुलाई, 2000 तक रोक दी गई है। ऐसा रेजीडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशनों के अनुरोध पर किया गया है, जो बड़े और छोटे अतिक्रमणों के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहते थे।

दूसरी ओर जिन लोगों को डी.डी.ए. फ्लैटों में अवैध निर्माण के कारण परेशानी हुई है, उनसे भी अभ्यावेदन मिले हैं। ये अनुरोधकर्ता कार्रवाई जारी रखवाना चाहते हैं। यह कार्रवाई निम्नलिखित के संबंध में की जा रही थी:-

(1) जहां सार्वजनिक स्थान को घेरकर निर्माण किया गया।

(2) फ्लैट/निर्माण का व्यापारीकरण कर लिया गया।

(3) जहां छत पर अतिरिक्त मंजिल अथवा कमरा बना लिया गया।

(4) जहां पड़ोसी ने अपनी सम्पति को क्षति पहुंचने पर तर्क सहित शिकायत की है।

(5) जहां दो अथवा अधिक फ्लैटों को मिला दिया गया है।

मामले पर अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए 31 जुलाई, 2000 के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी:-

(क) रेजीडेन्ट्स वेल्फेयर एसोसिएशनों द्वारा दिए जाने वाले सुझाव।

(ख) उन लोगों के अभ्यावेदन, जिन्हें अवैध निर्माण के कारण परेशानी हुई है।

(ग) व्यवसायिकों के विचार।

(घ) ग्रुप हाउसिंग फ्लैटों की इंजीनियरी सुरक्षा और वास्तु सम्पूर्णता।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में स्थानांतरण नीति

275. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षकों तथा कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी कोई नीति निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में स्थानांतरण संबंधी कितने अनुरोध केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पास लंबित हैं तथा इन अनुरोधों पर कब तक अंतिम रूप से निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इन स्थानांतरण में भ्रष्टाचार व्याप्त होने का कोई मामला केन्द्रीय विद्यालय संगठन की जानकारी में आया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में स्थानान्तरण संबंधी सुपरिभाषित दिशा-निर्देश हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

(1) स्थानान्तरण करते समय सामान्यत: अब स्थानान्तरण दिशानिर्देशों के पैरामीटरों को ध्यान में रखा जाता है। व्यापक अर्थों में ये पैरामीटर संगठनात्मक कारणों/हितों तथा स्थानान्तरण चाहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। संगठन से जुड़े कारणों/हितों पर स्थानान्तरण नीति के घटक के रूप में विचार करते समय शिक्षकों के कार्य निष्पादनों और साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह तथा सूचीबद्ध दुर्गम स्थानों से उनके स्थानान्तरण पर भी बल दिया गया है। इसी तरह, जिस आधार पर शिक्षक स्थानान्तरण चाहते हैं उसे भी निर्धारित किया गया है। ये आधार हैं:- विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कार्यकाल का पूरा होना, दृष्टिहीन एवं शारीरिक अपंगता, पति-पत्नी मामले आदि।

(2) ऐसे शिक्षक जिन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और सूचीबद्ध दुर्गम स्थानों में अपनी अवधि पूरी कर ली है तथा अन्य शिक्षक जो 5 वर्षों या इससे अधिक अवधि तक अपनी पसन्द के स्थान नहीं पा सके हैं, उन्हें समायोजित करने की दृष्टि से उन स्थानों पर स्थानान्तरित करने का एक प्रावधान किया गया है।

(3) संगठनात्मक कारणों/हितों तथा व्यक्तियों की आवश्यकताओं, जिनके आधार पर स्थानान्तरण माँगा जाता है, के लिए पात्रता मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

(4) पति-पत्नी की मृत्यु या गंभीर बीमारी की वजह से माँगे जाने वाले स्थानान्तरण के मामले उक्त स्केल पद्धति से बाहर रखे गए हैं। इन मामलों को अन्य प्राथमिकताओं की तुलना में सामूहिक रूप से उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

(5) अब इस विषय पर स्थानान्तरण यात्रा भत्ते भारत सरकार के आदेशों के अनुसार विनियमित होंगे।

(6) स्थानान्तरण के मामले में राजनीतिक और बाह्य दबाव डलवाने वाले शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने और उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए एक प्रावधान बनाया गया है।

(7) शिक्षकों के लिए यथा निर्धारित दिशानिर्देश आवश्यक परिवर्तनों सहित शिक्षणेतर स्टाफ पर भी लागू होंगे।

(ग) स्थानान्तरण के अनुरोध संबंधी लगभग, 11,319 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। यह आंकड़ा अस्थायी है तथा इसमें परिवर्तन हो सकता है जो कि प्राथमिकता सूची के प्रकाशन के तुरंत बाद कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर आधारित होंगे। 31.8.2000 तक स्थानान्तरणों को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) लागू नहीं होते।

पूर्वोत्तर परिषद्

276. श्री समर चौधरी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों से पूर्वोत्तर परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) परिषद् की बैठक कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) पूर्वोत्तर परिषद् की 43वीं बैठक 14 जुलाई, 2000 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्य

277. श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या निर्णय लिया गया;

(ग) क्या अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से राज्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कुछ टुकड़ियां तैनात करने का अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने पूर्वोत्तर परिषद् की 14-7-2000 को आयोजित बैठक में भाग लिया था।

(ख) पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो बटालियनें अरूणाचल प्रदेश की राज्य सरकार को पहले ही सौंप दी गई हैं।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना

278. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि वितरित किए जाने हेतु क्या मानदंड निर्धारत हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान उस योजना के अन्तर्गत राज्यवार तथा शीर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के दो घटक हैं। अर्थात् ग्रामीण सड़कें तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्य कार्यक्रम और प्रत्येक के लिए 2500 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। ग्रामीण सड़क घटक के अंतर्गत राज्यों को निधियों के वितरण के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया हैं क्योंकि फिलहाल प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्य कार्यक्रमों में प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल तथा पोषण शामिल हैं। इन कार्यक्रमों के लिए योजना आयोग ने राज्य द्वारा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के कार्य निष्पादन/उपलब्धियों के आधार पर राज्यों को निधियां आबंटित की गयी हैं। इस मानदंड के अनुसार बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के प्रावधान की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों को प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आबंटित की जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्य कार्यक्रमों के पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र को अपने आबंटन का कम से कम 15 प्रतिशत उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के लिए आबंटन के बकाया 25 प्रतिशत के संबंध में राज्य सरकारें अपने स्वयं की प्राथमिकताओं और विवेक के अनुसार पांच क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र को आबंटन पर सकती हैं। वर्ष 2000-2001 के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा किया गया निधियों का राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आबंटन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता 2000-2001
1	2	3
बिना विशेष श्रेणी वाले राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	14206
2.	बिहार	28275
3.	गोवा	78
4.	गुजरात	6479
5.	हरियाणा	1678
6.	कर्नाटक	7513
7.	केरल	6908
8.	मध्य प्रदेश	11377

1	2	3
9.	महाराष्ट्र	9913
10.	उड़ीसा	9855
11.	पंजाब	4040
12.	राजस्थान	9640
13.	तमिलनाडु	10479
14.	उत्तर प्रदेश	34891
15.	पश्चिम बंगाल	16782
	उप-योग	172564
विशेष श्रेणी		
1.	अरूणाचल प्रदेश	6817
2.	असम	17957
3.	हिमाचल प्रदेश	7061
4.	जम्मू व कश्मीर	17158
5.	मणिपुर	4856
6.	मेघालय	4059
7.	मिजोरम	4041
8.	नागालैंड	4113
9.	सिक्किम	2811
10.	त्रिपुरा	5083
	उप-योग	73956
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1105
2.	पांडिचेरी	477
3.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1027
4.	चंडीगढ़	456
5.	दादरा व नगर हवेली	132
6.	लक्षद्वीप	177
7.	दमन व दीव	106
	उप-योग	3480
	कुल योग	250000

दिल्ली पुलिस का सतर्कता स्कंध और अपराध शाखा

279. श्री रामजी मांझी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सतर्कता स्कंधों और अपराध शाखाओं को थाने की मान्यता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मान्यता कब तक दी जाएगी और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस की सर्तकता स्कंध अपने आप छापे नहीं मार सकती है या पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मामले दर्ज नहीं कर सकती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत तीन वर्ष के दौरान कितने पुलिस कर्मियों के पास ज्ञात आय स्रोतों से अधिक सम्पत्ति पाई गई है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान कितने पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) दिल्ली पुलिस से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) चूंकि दिल्ली पुलिस की सतर्कता ईकाई को थाना घोषित नहीं किया गया है, अत: यह स्वयं मामले दर्ज नहीं कर सकती है।

(ङ) और (च) विगत 3 वर्षों के दौरान एवं 30 जून, 2000 तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दिल्ली पुलिस के 7 अधिकारियों के विरुद्ध नियमित मामले दर्ज किए गये थे। इसके अलावा, एक अन्य अधिकारी के विरुद्ध भी प्राथमिक जांच दर्ज की गयी है। इनमें से चार अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है।

वायरलैस सेट का क्रय

280. श्री चिंतामन वनगा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 1999 में दिल्ली पुलिस ने 400 वायरलैस हैन्डसेट और इसकी अन्य सहायक सामग्री खरीदी थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की खरीद के लिए क्या दिशा-निर्देश किये गये और इन्हें कहां से खरीदा गया;

(ग) क्या यह सूचना मिली है कि इनमें से 80 प्रतिशत उपकरण खराब हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस प्रकार की खरीद में कुल कितना व्यय हुआ है;

(च) क्या खराब सेटों की जगह नये सेट आ गये हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इस मामले में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ज) दिल्ली पुलिस ने 4 जनवरी, 1999 को कर और ड्यूटी को छोड़कर 34,24,850 रु. की अनुमानित लागत से मैसर्स सिमोको टेलीकम्यूनिकेशन (साउथ एशिया) लिमिटेड, कलकत्ता को 286 हैंड सेटों की पूर्ति करने का आर्डर पुन: 2.1.99 और 19.3.99 को कर और ड्यूटी को छोड़कर 46,68,750 रु. की अनुमानित लागत पर मैसर्स मोटोरोला इंडिया लि. बंगलौर को 415 सेटों के पूर्ति करने का आर्डर दिया। मैसर्स सिमोको टेलीकम्यूनिकेशन (साउथ एशिया) लि. से अप्रैल, 1999 के दौरान 50 हैंड सेट प्राप्त हुए थे और शेष सेट जुलाई, 1999 के महीने में प्राप्त हुए। मैसर्स मोटोरोला इंडिया लि. से 305 हैंड सेट मई, 1999 में प्राप्त हुए और शेष 110 सेट जून, 1999 में प्राप्त हुए।

दिल्ली पुलिस ने सहायक उपकरणों के इन वायरलैस सेटों की खरीद की सतर्कता जांच शुरू की है।

अनुकम्पा आधार पर नौकरियां

281. डॉ. बलिराम: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मई, 2000 की स्थिति के अनुसार अनुकम्पा आधार पर नौकरी मांगने के लिए उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों के पास प्राप्त हुए आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विभिन्न संवर्गों में अनुकम्पा आधार पर नौकरी के मामलों की लम्बित अवधि क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को कब तक नौकरी उपलब्ध कराए जाने की संभवना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

लंबित होने के कारण हैं:-

(1) अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की अनुपलब्धता क्योंकि अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों के लिए रिक्तियों की संख्या को कुल सीधी भर्ती कोटा के 5% तक सीमित कर दिया गया था।

(2) आवेदक उस निश्चित स्थान पर नियुक्ति के लिए अनुरोध करते हैं जहाँ रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) अनुकम्पा आधार पर नौकरी मुहैया कराने की समय सीमा नियत करना संभव नहीं है चूंकि वास्तविक नियुक्ति अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति कोटा के तहत रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

विवरण

कार्यालय का नाम	श्रेणी	आवेदकों की संख्या	लंबित अवधि
1	2	3	4
सचिवालय	श्रेणी-सी	2	19.11.1999
	श्रेणी-डी	2	10.04.2000
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	श्रेणी-सी	246	अगस्त, 1995
	श्रेणी-डी	601	मार्च, 1993
संपदा निदेशालय	श्रेणी-डी	4	26.02.1997

1	2	3	4
मुद्रण निदेशालय	श्रेणी-सी	117	10.03.1989
	श्रेणी-डी	165	09.06.1987
भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कलकत्ता	श्रेणी-सी	6	01.12.1997
	श्रेणी-डी	9	28.01.1998
प्रकाशन विभाग	श्रेणी-सी	3	17.09.1998
	श्रेणी-डी	4	06.02.1997
नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन	श्रेणी-डी	1	29.02.2000

ग्रामीण विकास संबंधी गडकरी समिति की रिपोर्ट

282. श्री प्रियरंजन दास मुंशी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ग्रामीण विकास के संबंध में गडकरी समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति की सिफारिश पर भारत के प्रत्येक प्रखंड में ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम को ब्लैक टॉप सड़क के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विचार किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को किस प्रकार कार्यान्वित किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। अन्य बातों के साथ-साथ इस रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखकर फिलहाल देश के लिए एक ग्रामीण सड़क संपर्क कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

जल-मल व्ययन अभिक्रिया संबंधी परियोजना

283. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अहमदाबाद शहर के जल-मल व्ययन अभिक्रिया संबंधी कोई व्यापक परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस पर क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राष्ट्री नदी संरक्षण निदेशालय (एन.आर.सी.डी.) ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत साबरमती नदी के प्रदूषण को कम करने हेतु अहमदाबाद शहर में दो जल-मल व्ययन शोधन संयंत्रों, पिनारा में 106 एम.एल.डी. और वसना में 126 एम.एल.डी. को स्थापित करने की गुजरात सरकार से जून, 2000 में एक योजना प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एन.आर.सी.डी.) के परीक्षाधीन है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों का उन्नयन

284. श्री रामानन्द सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सतना स्थित केन्द्रीय विद्यालय को 10+2 तक उन्नयन करने संबंधी प्रस्ताव को क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, नहीं। सतना स्थित केन्द्रीय विद्यालय को स्तरोन्नत बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था परंतु आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण इस पर सहमति नहीं बन सकी।

[अनुवाद]

कवाडी खान दुर्घटना

285. श्री नरेश पुगलिया:
श्री माणिकराव होडल्या गावित:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लि. की कवाडी खुले मुहाने वाली खान में कोयले की दीवार गिरने से कोई दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें जान माल की कितनी हानि हुई;

(ग) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है;

(ङ) कवाडी खान दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजे के रूप में दी जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. की कोयला खानों में सुरक्षा पहलुओं की जांच हेतु कोई समिति गठित करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) महाराष्ट्र में डब्ल्यूसीएल की कवाडी ओपन कास्ट खान में ऊपरी मलबा गिरने से दिनांक 24.6.2000 को अपराह्न 3.50 पर एक दुर्घटना हुई। परन्तु यह दुर्घटना कोयले की दीवार के गिरने के कारण नहीं हुई।

(ख) अपराह्न 3.50 पर 15 कामगार ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग ऑपरेशन कार्य पर लगाए थे। क्वेरी की ऊपरी साइड से बोल्डर और अन्य सामग्री गिरने लगी। गिरने वाला मलबा उस जगह पर एकत्र होना शुरू हो गया जहां पर कामगार कार्यरत थे। संभावित खतरे को देखते हुए पांच कामगार सुरक्षित स्थान की तरफ भाग गए परन्तु दस कामगारों ने नजदीक पड़ी ड्रिल मशीन और विस्फोटक की ओट में सैलटर लेने की कोशिश की। परन्तु यह मशीन और वैन दोनों उलट गई और कामगार उसकी लपेट में आ गए।

घातक रूप से जख्मी हुए कामगारों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	दिवंगत व्यक्तियों के नाम श्री/श्रीमती	पदनाम	उम्र
1.	श्रीपत काहू	ओवरमैन*	31
2.	सुधीस्था कुमार तीवारी	माइसिंग सरदार*	44
3.	पाडुरंग पोथ्राजी	विस्फो. कैरियर	43
4.	भैराव मिलमिले	जेनरल मजदूर	30
5.	परदेशी सुखलाल	जेनरल मजदूर	23
6.	राजेन्द्र यादव	जेनरल मजदूर	48
7.	सहाती दिवान	जेनरल मजदूर	48
8.	विक्रम बोंडे	ड्रिल ऑपरेटर	35
9.	मधुकर गोंडे	ड्रिलर	41
10.	बबन नगराले	ब्लास्टिंग मजदूर	42

*पर्यवेक्षक जिन्हें डी.जी.एम.एस. से वैधानिक प्रमाण-पत्र जारी किये गए थे। 5 (पांच) कर्मचारियों को हल्की चोट आई।

क्रम सं.	घायलों का नाम सर्वश्री	पदनाम	वर्ष
1.	एम.एल. बेले	माइनिंग सरदार	42
2.	डब्ल्यू. टी. बोथाले	ड्राइवर-कम-मकैनिक	42
3.	भोनूर यादव	टिंबर हैल्पर	46
4.	कांडे राजम	यूजी लोडर	52
5.	चंद्रभान चिकांकर	ड्रिल हैल्पर	36

इसके अतिरिक्त एक एक्सकेवेटर मशीन, एक विस्फोटक वैन और एक ड्रिल मशीन भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई।

(ग) और (घ) श्रम मंत्रालय के अंतर्गत महानिदेशक खान सुरक्षा, भारत सरकार की एक संवैधानिक निकाय है जो इस दुर्घटना की विस्तृत जांच कर रही है महानिदेशक खान सुरक्षा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत सरकार उस पर कार्रवाई करेगी।

(ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया।

(च) से (ज) महानिदेशक, खान सुरक्षा से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

विवरण

क्रम सं.	दिवंगत कर्मिकों के नाम	एन.सी.डब्ल्यू.ए.-V के 9.2.7 के अंतर्गत अनुग्रह राशि	एन.सी.डब्ल्यू-V के 9.2.7 के अंतर्गत अतिरिक्त अनुग्रह राशि	कोयला मंत्रालय द्वारा घोषित एक लाख रु. की विशेष अनुग्रह राशि रु.	700 रु. के दाह-संस्कार व्यय की तुलना में 2000	20000 रु. का लाइफ कवर	कामगार मुआवजा अधि. के अंतर्गत प्राधिकारी के पास जमा मुआवजा	उपदान	सी.एम.पी.एफ. दावा	आश्रितों को रोजगार
1.	श्रीपत काहू	15000 रु. दिये	5000 रु. दिये	दिया गया	2000 रु. दिये	दिया गया	205,950	17714 दिये गये	कार्यवाई जारी	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
2.	एस.के. तिवारी	-वही-	-वही-	दिया जाना है	-वही-	दिया जाना है	175,540	77184	-वही-	-वही-
3.	पाडुरंग पोग्राजी	-वही-	-वही-	दिया गया	-वही-	दिया गया	175,540	29426 दिये गए	153653 रु. दिये गए	
4.	पैराव मिलमिले	-वही-	-वही-	दिया गया	-वही-	दिया गया	207,980	16650 दिये गये	86679 रु. दिये गये	प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ
5.	परदेशी सुखलाल	-वही-	-वही-	दिया जाना है	-वही-	दिया जाना है	221,370	7909	कार्यवाई जारी	-वही-
6.	राजेन्द्र यादव	-वही-	-वही-	दिया जाना है	-वही-	दिया जाना है	163,070	72624	कार्यवाई जारी	-वही-
7.	सोहाती दीवान	-वही-	-वही-	दिया जाना है	-वही-	दिया जाना है	163,070	57198	कार्यवाई जारी	-वही-
8.	विक्रम गोंडे	-वही-	-वही-	दिया गया	-वही-	दिया गया	199,400	23713 दिये गए	114777 रु. दिये गए	-वही-
9.	मधुकर गोंडे	-वही-	-वही-	दिया गया	-वही-	दिया गया	184,170	6161 दिये गए	212383 रु. दिये गए	**
10.	बबन नगराले	-वही-	-वही-	दिया गया	-वही-	दिया गया	181,370	51192 दिये गए	220385 रु. दिये गए	***

* श्रीमती भंतीबाई पत्नी स्वर्गीय पंडुरंग पटोरवे को आर्थिक क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव किया गया है जोकि 4000 रु. प्रतिमाह का है और उनके पुत्र को सजीव रोस्टर पर रखा गया है

** श्रीमती शोभा, पति स्वर्गीय मधुकर गोंडे को आर्थिक क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव किया गया है जोकि 4000 रु. प्रतिमाह का है और उनके पुत्र को सजीव रोस्टर पर रखा गया है।

*** श्री विनोद नागरले सुपुत्र स्वर्गीय बबन नागरले को रोजगार का प्रस्ताव किया गया।

भुगतान किया जाना है: नामित व्यक्ति शहर से बाहर है। उनके लौटने के पश्चात् उन्हें तत्काल भुगतान देने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

रस्तोगी समिति

286. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने हेतु 1998 में गठित रस्तोगी समिति द्वारा क्या-क्या सिफारिशें की गईं; और

(ख) सरकार द्वारा समिति की इन सिफारिशों पर की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए 1998 में गठित रस्तोगी समिति ने अपनी रिपोर्ट में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के समक्ष आने वाली कुछ समस्याओं का उल्लेख किया जैसे (1) बिना रिक्तियों के कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की पद-स्थापना (2) मनमाना स्थानान्तरण (3) बड़ी संख्या में विशेष छूट के आधार पर प्रवेश आदि। प्रवेश और स्थानान्तरण के मामले में पारदर्शी प्रणालियों को शुरू करते हुए केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उपचारी कदम उठाए जा चुके हैं, जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि

287. श्री आर.एल. भाटिया: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को भारत-पाक सीमा पर अपने खेतों पर काम करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश के अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर पंजाब में रह रहे लोगों को समस्याओं को कम करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे किसानों को हुई क्षति के लिए उन्हें मुआवजा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) सरकार को पंजाब के उन किसानों की समस्याओं की जानकारी हैं जिनकी भूमि भारत-पाक सीमा पर बाड़ के पार है। इन कठिनाईयों में गन्ना, बाजरा, मक्का इत्यादि जैसी लम्बे पौंधों वाली फसलों को बोने पर प्रतिबन्ध, सुरक्षा प्रवेश द्वारों के खुलने और बंद होने की सीमित समय इत्यादि जैसी समस्यायें सम्मिलित हैं।

(ग) सीमा सुरक्षा बल को यह सुनिश्चित करने के स्थायी निर्देश हैं कि सीमा पार लगाई गई बाड़ प्रवेश द्वार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दो बार खोले जायं, ताकि किसानों को खेती करने के लिए यथासंभव अधिक समय दिया जा सके। सीमा सुरक्षा बल प्राधिकारी, सुरक्षा बाड़ के कारण किसानों को होने वाली कठिनाईयों को कम करने के उद्देश्य से किसानों के प्रतिनिधियों और नागरिक प्रशासन के साथ बैठकें भी करते हैं।

(घ) और (ङ) योजना आयोग, भारत सरकार ने उन किसानों को, जिनकी भूमि सीमा बाड़ के उस पार है, मुआवजा देने के लिए 1999-2000 के दौरान पंजाब राज्य सरकार को लगभग 7.00 करोड़ रु. का विशेष अनुदान रिलीज किया है ताकि उनकी कठिनाईयों को कम किया जा सके।

जामा मस्जिद के निकट बम विस्फोट

288. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस, बम निष्क्रिय दस्ता, अभिघात संबंधी सेवा वाहन आदि 18 जून, 2000 को जामा मस्जिद के निकट बम विस्फोट स्थल पर समय से नहीं पहुंचे थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त एजेंसियों में नई जान फूंकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। बम निष्क्रिय दस्ता और एम्बुलेन्स, जो निरन्तर अत्यंत चौकस रहते हैं, बम विस्फोट के बारे में सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे।

विज़ाग इस्पात संयंत्र का निजीकरण

289. श्री के. येरननायडु: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विजाग इस्पात संयंत्र का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त संयंत्र के पुनरुद्धार हेतु धनराशि स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संयंत्र के 17,000 कर्मचारियों के रोजगार को बचाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र) ने अपने पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक समग्र परिवर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निधियों का निषेचन भी शामिल था, लेकिन सरकार द्वारा इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया। इसी दौरान, विनिवेश आयोग ने इसकी शेष 51% से अनधिक साम्या को एक नीतिपरक क्रेता के पक्ष में विनिवेश करने सहित 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार सम्पूर्ण संचित हानि को बट्टे खाते डालने की सिफारिश की है। तथापि, विनिवेश आयोग की इन सिफारिशों पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

अवैध निर्माण कार्यों में संलिप्त अधिकारी

290. श्री रामदास आठवले: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 2000 में केन्द्र सरकार ने दिल्ली में अवैध निर्माण कार्यों में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराने के लिए सी.बी.आई./केन्द्रीय सतर्कता आयोग के लिए कोई सूची भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अधिकारियों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) जी नहीं। तथापि, दिसम्बर 1999 में शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया। कुछ मामलों में स्थानीय अधिकारियों की सांठ-गांठ का संदेह है। इन मामलों में पॉस कालोनियों में बड़े स्तर पर खुलेआम अवैध निर्माण हुआ। कुल मिलाकर 33 मामले सी.बी.आई. को समय-समय पर इस अनुरोध के साथ सौंपे गए कि इनकी जाँच-पड़ताल की जाए तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए। जिन तिथियों को यह मामले सी.बी.आई. को भेजे गए हैं वे इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	तिथि	मामलों की संख्या
1.	10.1.2000	31
2.	29.1.2000	1
3.	10.5.2000	1

पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण

291. श्री जयभद्र सिंह:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए राज्यों को कुछ निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महिलाओं को यह आरक्षण देने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि चुनी हुई महिलाओं के अलावा अन्य व्यक्ति पंचायतों में शिरकत कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243घ के अनुसार पंचायतों की कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। इसलिए राज्यों को अलग से निर्देश देने की कोई जरूरत नहीं है।

(ग) मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्य जहां 73वां संशोधन अधिनियम लागू नहीं है, जम्मू व कश्मीर, जहां यह अधिनियम लागू नहीं किया गया है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर सभी राज्य/संघ क्षेत्रों के पंचायती राज अधिनियमों में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में (मुख्यत: उत्तर प्रदेश से) कुछ अलग रिपोर्ट थी जिसके लिए राज्य सरकार ने सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं। भारत सरकार ने भी सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की

सरकारों को सभी स्तरों की पंचायतों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए लिखा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पंचायती राज संस्थाओं की महिला सदस्य केवल नाम के लिए नहीं हैं और उनकी जगह अन्य व्यक्ति बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकें।

[अनुवाद]

बांग्लादेशी प्रवासी

292. **श्री राम मोहन गाड्डे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली और देश के अन्य भागों में कितने बांग्लादेशी/प्रवासी अवैध रूप से रह रहे हैं;

(ख) क्या अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों की समस्या से निपटने के लिए हाल ही में राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों का एक सम्मेलन आयोजति किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें भाग लेने वाले सहभागियों ने समस्या के समाधान के लिए क्या सुझाव दिए; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) बंगलादेश से आए अवैध प्रवासियों की संख्या का वास्तविक अनुमान कठिन है क्योंकि वे चोरी-छिपे प्रवेश करते हैं और जातीय और भाषाई समानताओं के कारण स्थानीय लोगों के साथ आसानी से घुल-मिल जाते हैं।

(ख) और (ग) 28.6.2000 को आन्तरिक सुरक्षा पर मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिश की गई है:-

सीमा क्षेत्रों में प्रशासन, पुलिस और आसूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण।

(घ) भारत में बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें बनाना, सीमा चौकियों के बीच के अन्तर को कम करना, भू और नदीय सीमा, दोनों पर गश्त तेज करना, सीमा सड़क निर्माण और कंटीले तार की बाड़ लगाने के कार्यक्रम को तेज करना, सीमा निगरानी बुर्जों की संख्या में वृद्धि करना तथा निगरानी रखने के उपलब्ध कराना, उत्या शामिल है। मामले को विभिन्न अवसरों पर बंगलादेश सरकार साथ भी उठाया गया है। इन उपायों की प्रगति की समीक्षा विभि स्तरों पर नियमित रूप से की जाती है। राज्य सरकारों और शासित क्षेत्र प्रशासनों को विदेशियों विषयक अधिनियम, 194 (असम के मामले में आई.एम.डी.टी. अधिनियम, 1983) के प्रावधा को कड़ाई से लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

भारतीय दंड संहिता, 1860

293. **श्री तिरूनावकरसु:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृ करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय दंड संहिता, 1860 अत्यंत पुराने होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसके स्थान कोई नई भारतीय दंड संहिता लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) खामियों को दूर करने और संहिता के कतिपय प्रावधा को और प्रभावी बनाने के लिए, भारतीय दंड संहिता, 1860 विभिन्न प्रावधानों को, समय-समय पर, संशोधित किया जाता यह एक सतत प्रक्रिया है।

ग्रामीण सफाई योजना

294. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने की सरका योजनाओं को किस हद तक सफलता मिली है;

(ख) क्या अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देने के लिए ग्रामी क्षेत्रों में सफाई कार्यों की उपेक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जिस उद्देश्य से सफा व्यवस्था की गई उसकी प्राप्ति के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित कि है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कार्यों को बढ़ावा देने हेतु अंतिम रूप दी गई विशेष योजना यदि कोई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (च) देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज का अनुमान कुल ग्रामीण परिवारों के 16 से 20 प्रतिशत तक लगाया गया है। नवीं योजना अवधि के अंत में योजना आयोग ने ग्रामीण स्वच्छता कवरेज के 25 प्रतिशत के लक्ष्य का सुझाव दिया है। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों को सर्वप्रथम 1986 में शुरू किया गया था। पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल, 1999 से पुनर्गठित कर दिया गया है। पुनर्गठित कार्यक्रम गरीबी मानदंड पर आधारित पहले वाले राज्य-वार आबंटन के सिद्धांत से हटकर ''मांग आधारित'' दृष्टिकोण की ओर ले जाता है। यह समुदाय द्वारा चलाया जाने वाला और जनकेंद्रित है। आबंटन आधारित कार्यक्रम को धीरे-धीरे समाप्त किया जाएगा। पुनर्गठित कार्यक्रम में सम्पूर्ण अभियान को देश के पहचान किए गए 58 जिलों में ''प्रोजेक्ट मोड'' के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में सूचना, शिक्षा, संचार, विद्यालय स्वच्छता, वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्र, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय एवं महिलाओं के लिए स्वच्छ शौचालय कम्प्लेक्स के साथ-साथ स्थानीय जरूरतों के मुताबिक विभिन्न प्रौद्योगिकी विकल्पों पर जोर दिया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत केन्द्रीय बजट आबंटन को 110 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 140 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

भुखमरी से मौतें

295. श्री कोडीकुन्नील सुरेश: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को किसी राज्य सरकार से जनजातीय क्षेत्रों में भुखमरी के कारण हुई मौतों के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार कितने आदिवासियों की भूख के कारण मौतें हुई;

(घ) विभिन्न राज्यों ने उक्त अवधि के दौरान जनजातीय विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति दिखाई है; और

(ङ) देश के जनजातीय क्षेत्रों में भुखमरी की स्थिति को टालने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी सर्वेक्षण

296. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर से मिली मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी शिकायतों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 1998-99 और 1999-2000 में क्रमश: 40724 तथा 50634 शिकायतें प्राप्त की हैं। ऐसी शिकायतों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गत दो वर्षों अर्थात 1998-99 और 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दर्ज/प्राप्त मामलों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 1998-99 के दौरान दर्ज/प्राप्त शिकायतों की संख्या (शिकायतें)	वर्ष 1999-2000 के दौरान दर्ज/प्राप्त शिकायतों की संख्या (शिकायतें)
1	2	3	4
1.	अन्ध्र प्रदेश	527	614
2.	अरूणाचल प्रदेश	21	42
3.	असम	157	178
4.	बिहार	4080	4409
5.	गोवा	25	42
6.	गुजरात	479	533

1	2	3	4
7.	हरियाणा	1282	1661
8.	हिमाचल प्रदेश	156	120
9.	जम्मू और कश्मीर	269	209
10.	कर्नाटक	382	659
11.	केरल	400	297
12.	मध्य प्रदेश	2065	2189
13.	महाराष्ट्र	1463	2178
14.	मणिपुर	42	43
15.	मेघालय	22	22
16.	मिजोरम	26	1
17.	नागालैंड	9	19
	उड़ीसा	532	641
19.	पंजाब	557	851
20.	राजस्थान	1833	1946
21.	सिक्किम	4	6
22.	तमिलनाडु	962	1321
23.	त्रिपुरा	17	53
24.	उत्तर प्रदेश	22043	28598
25.	पश्चिम बंगाल	851	804
26.	संघ शासित क्षेत्र	2520	3198
	कुल योग	40724	50634

लिट्टे और नक्सलवादियों के बीच सांठ-गांठ

297. श्री एन. जर्नादन रेड्डी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जून, 2000 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में लिट्टे-नक्सलियों के बीच सांठ-गांठ के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पीपुल्स वार ग्रुप संगठन के कार्यकर्ता लिट्टे के गिरोहों को हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति कर उनकी सहायता कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में पीपुल्स वार ग्रुप की गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस संबंध में कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं है।

(ग) ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं। इन परिस्थितियों में, राज्यों में वामपंथी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न उपाय करने और ठोस कदम उठाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, कुछ राज्यों में वामपंथी उग्रवाद ने कुल मिलाकर जो स्वरूप अख्तियार कर लिए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए यह केन्द्र सरकार के लिए भी चिन्ता का विषय बन गया है। अत: केन्द्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों पर अंकुश लगाने, प्रत्येक राज्य-वार उठाए गए कदमों की मानिटरिंग करने के लिए इन राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा तथा समन्वय करने तथा विकास और समस्या के सुरक्षा पहलू, दोनों पर सिफारिशें करने हेतु केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय केन्द्र का गठन किया है। गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक इस केन्द्र के सदस्य बनाए गए हैं।

समन्वय केन्द्र की आवधिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं जैसे कि वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए केन्द्र की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करना, पहचान की गई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण/सुधार करना, समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करना, नियमित रूप से आसूचना का आदान-प्रदान करना, आवश्यकता के आधार पर अर्ध-सैनिक बलों की सहायता उपलब्ध कराना आदि। इन निर्णयों पर प्रभावी रूप से अनुवर्ती कार्रवाई भी की गई है।

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता भी दी जा रही है और वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए राज्यों द्वारा किए गए व्यय की 50% राशि, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना के अन्तर्गत, राज्यों को अदा की जा रही है।

[हिन्दी]

अतिरिक्त पुलिस चौकियों की स्थापना

298. मोहम्मद अनवारूल हक: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत-नेपाल सीमा वाले क्षेत्रों के लिए पुलिस की अतिरिक्त चौकियां स्थापित करने का है;

(ख) क्या इस संबंध में बिहार सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की राज्य सरकारों के भारत-नेपाल सीमा पर पुलिस चौकियों को स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव हैं।

(ख) बिहार सरकार से एक व्यापक प्रस्ताव, जिसमें अन्य बातों के साथ, राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त पुलिस चौकियाँ स्थापित करना शामिल है, केन्द्र को प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ग) और (घ) इस बारे में कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है कि इस प्रस्ताव के कब तक पास होने की संभावना है।

आंतरिक सुरक्षा संबंधी एजेंसी

299. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आंतरिक सुरक्षा संबंधी कोई एजेंसी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) इस समय, आन्तरिक सुरक्षा एजेंसी गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एक केन्द्रीय विधि प्रवर्तन एजेन्सी के गठन की सम्भावनाओं की जांच एक समिति कर रही है।

पंचायत चुनाव

300. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो वर्ष पूर्व पंचायतों को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह कानून अब तक राज्य-वार किस सीमा तक लागू किया गया है;

(ग) कौन-कौन से राज्य अब तक समय पर पंचायतों का चुनाव कराने में विफल रहे हैं; और

(घ) किन-किन राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है और किन-किन राज्यों ने राज्य-वार अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) जी, नहीं। संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 40) में पंचायतों को प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करने का प्रावधान है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) असम, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, पांडिचेरी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायत चुनावों का पहला चरण पूरा हो गया है। अनुसूची-V क्षेत्रों में पंचायत चुनावों के संबंध में, आंध्र प्रदेश और बिहार को छोड़कर सभी राज्यों में पहले चरण के चुनाव हो गये हैं।

(घ) इस संबंध में एक विवरण संलग्न है।

छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें

301. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक स्तर तक की सभी छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा सहायताप्राप्त या मान्यताप्राप्त विद्यालयों में पढ़ रही छात्राओं को भी इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) यद्यपि प्राथमिक स्तर पर छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें प्रदान करने के लिए अलग से कोई केन्द्रीय योजना संचालित नहीं है, फिर भी अधिकांश राज्यों में चल रही उनकी वर्तमान योजनाओं के अन्तर्गत छात्राओं को प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं।

वैस्टर्न कोलफील्ड्स

302. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वैस्टर्न कोलफील्ड्स के मामले में कितना अत्यधिक भार है;

(ख) क्या सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल उपाय अपनाकर डंपिंग क्षेत्र का उपयोग करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के मामले में अत्यधिक भार की मात्रा निम्नानुसार है:-

(मिलियन घन मीटर में)

1999-2000	95.530
1998-1999	91.588
1997-1998	85.302

(ख) और (ग) ऊपरी मलबे को कोयले के कर्षण के कारण उत्पन्न खाली स्थानों को दोबारा भरने के लिये यथासंभव उपयोग किया जाता है और यह भू-खनन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है तत्पश्चात् इसको समतल करके विभिन्न प्रजातियों के पौधों से हरा-भरा बनाया जाता है।

पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल उपायों का प्रयोग करते [illegible] ऊपरी मलबे के ढ़ेर को उपयोग में लाए जाने की कोई निश्चि[illegible] योजना नहीं है। तथापि, सभी स्थानों पर ऊपरी मलबे के [illegible] उपयुक्त वृक्षारोपण के माध्यम से वनरोपण करके हरियाली लाई [illegible] रही है। जैसाकि ओपन कास्ट खनन परियोजनाओं की पर्यावरण[illegible] प्रबन्धन योजनाओं में व्यवस्था है।

[अनुवाद]

जनजातीय विकास पर व्यय की गई राशि

303. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या जनजातीय कार्य [illegible] यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान आज [illegible] तिथि तक मणिपुर को जनजातीय विकास के लिए कोई वि[illegible] केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और योजना-वार [illegible] क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य हेतु प्राप्त धनराशि से वर्ष-वार और योजना-वार कितनी धनराशि खर्च की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, [illegible]

(ख) और (ग) अपेक्षित ब्यौरा निम्नलिखित है:

(रुपये लाख [illegible]

वर्ष	निर्मुक्त राशि	सूचित व्यय
1997-98	950.00	762.10
1998-99	779.52	943.39
1999-2000	608.65	सूचित नहीं

कोयले पर उत्पाद शुल्क

304. श्री रघुनाथ झा: क्या कोयला मंत्री यह बताने [illegible] कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयला खानों से निकाले गए और [illegible] गए कोयले पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन खानों [illegible] कितना राजस्व एकत्रित किया गया;

(ग) देश में अवैध रूप से कितनी कोयला खानें कार्य कर रही हैं;

(घ) क्या उनके द्वारा उत्पाद शुल्क बचाने के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनसे उत्पाद शुल्क को वसूलने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत कोयला कंपनियों द्वारा निकाले गए और भेजे गए सारे कोयले तथा भारत में सभी कोलियरियों से उत्पादित और भेजे गए सारे कोक पर उत्पाद शुल्क लगाया और एकत्र किया जाता है, जो धारा 9 के प्रावधानों के अंतर्गत कोयला खानों के मालिकों, एजेंटों और प्रबंधकों को कोयला संरक्षण अथवा कोयले के विकास अथवा वहन या संबद्ध कार्यों आदि के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा बांटा जाना होता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला कंपनियों ने जिस लगाए गए उत्पाद शुल्क का भुगतान किया वह निम्नलिखित है:-

वर्ष	राशि (अनंतिम) (करोड़ रुपये में)
1997-98	91.90
1998-99	89.29
1999-2000	93.29
	274.48

(ग) से (ङ) देश में कोयला खनन क्षेत्रों से चोरी-छुपे कोयला निकालना तथा छोड़ी गई, बन्द और अप्रयुक्त खानों एवं आउट क्रॉप क्षेत्र से कोयले की उठाईगीरी की प्रकृति की अवैध खनन की गतिविधियों की समय-समय पर रिपोर्ट की गई है। तथापि, ऐसी कथित गतिविधियां चोरी-छिपे और आँख बचा कर की गई हैं तथा इसलिए सही संख्या और मांग गये अन्य विवरण की शिनाख्त संभव नहीं है।

सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा-करकट फैलाना

305. श्री अनन्त नायक: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** 9 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6566 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा-करकट फैलाने के विरुद्ध कार्यक्रम शुरू किए जाने से अब तक दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ख) इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन) (क) दिल्ली नगर निगम व नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा 32.568 मामले दर्ज किए गए हैं?

(ख) दोषी पाये गये व्यक्तियों से 50/-रु. प्रति व्यक्ति की दर से जुर्माने की रकम 16,28,400/-रु. वसूल की गई है।

एलिवेटिड लाइट रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम

306. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हडको ने एलिवेटिड लाइट रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों से संसाधन जुटाने तथा समन्वय करने की जिम्मेदारी ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) यह कब तक पूरा हो जाएगा?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) परियोजना के वित्तपोषण की संभावना के संबंध में हुडको बंगलौर जन द्रुतगामी परिवहन लि. (बी.एम.आर.टी.एल.) से बातचीत करता रहा है। बी.एम.आर.टी.एल. के अनुरोध पर हुडको में अन्य वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों के साथ सहायता व्यवस्था करके परियोजना का मुख्य व्यवस्थापक बनाने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) हुडको ने 25.5.2000 को बी.एम.आर.टी.एल. तथा विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ बैठक की व्यवस्था की। बी.एम.आर.टी.एल. द्वारा वित्तीय संस्थानों के समक्ष योजना प्रस्तुत की गई थी। इस बैठक में यह निश्चय किया गया कि परियोजना की वित्तीय रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए बी.एम.आर.टी.एल. द्वारा एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) परियोजना का अधिक वित्तपोषण करने में पहले ही रुचि जता चुकी है। हुडको यह मुद्दा अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ भी उठा रहा है।

[हिन्दी]

मानव अधिकार आयोगों का गठन

307. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से नागरिक अधिकारों के हनन से निपटने के संबंध में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु आयोग को और अधिकार देने के संबंध में कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सभी राज्यों ने अपने यहां मानव अधिकार आयोग गठित कर लिये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम — हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, की विभिन्न धाराओं में संशोधन करने का सुझाव देते हुए एक प्रस्ताव भेजा है। आयोग ने प्राप्त प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग गठित कर लिए हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने भी राज्य आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। केन्द्र सरकार समय-समय पर, उन राज्य सरकारों को जल्दी निर्णय लेने के लिए लिखती रही है, जिन्होंने राज्य आयोग गठित नहीं किए हैं।

[अनुवाद]

छोटे और मध्यम स्तर के शहरों के समन्वित विकास संबंधी योजना

308. श्री जी.एस. बसवराज: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में छोटे और मध्यम स्तर के शहरों के समन्वित विकास संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना अच्छी तरह चल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य सरकार द्वारा इस योजना में शामिल करने के लिए अब तक किन शहरों को चुना गया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए राज्य शहरीकरण नीति संबंधी दस्तावेज जिसमें प्राथमिकता वाले शहरों की सूची दी गई, पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी हाँ। कर्नाटक राज्य में छोटे एवं मझोले दर्जे के कस्बों के समन्वित विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना की प्रगति संतोषजनक है। अब तक केन्द्रीय अंश के रूप में 32.37 करोड़ रु. तथा राज्य अंश के रूप में 22.20 करोड़ रु. प्रदान किए गए हैं जिनमें से 34.81 करोड़ रु. का व्यय सूचित किया गया है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए तथा योजना में शामिल किए गए कस्बे संलग्न विवरण-I में हैं।

(घ) और (ङ) आई.डी.एस.एम.टी. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा शहरी विकास नीति दस्तावेज के साथ कस्बों की प्राथमिकता सूची प्रस्तुत करना अपेक्षित है। कर्नाटक सरकार ने आई.डी.एस.एम.टी. में शामिल करने के लिए 22 कस्बों की प्राथमिकता सूची भेजी है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर हैं। इनमें से निम्नलिखित 8 कस्बों की परियोजना रिपोर्टें राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित की गई हैं:-

1. अथानी
2. अलंद
3. बिरूर
4. देवानाहल्ली
5. चमाराजानगर
6. मुन्दरागी
7. केरूर, तथा
8. हनागल

सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत पहले से शामिल कस्बों की सहायता को प्राथमिकता दी जाएगी। तत्पश्चात् धनराशि की उपलब्धता के आधार पर नये कस्बों को शामिल किया जाएगा।

विवरण-I

आई.डी.एस.एम.टी के अंतर्गत शामिल कस्बे : कर्नाटक

छठी योजना

1. हासन
2. चित्रदुर्ग
3. टुम्कूर
4. रायचूर
5. होसपेट
6. चन्नापटना
7. कनकापुरा
8. मगाडी
9. होम्नाबाद
10. होलेनरसीपुर
11. सागर
12. शाहपुर
13. जामखंडी
14. कुशलनगर
15. रानीबेन्नूर
16. कराकल

सातवीं योजना

17. चिकबालापुर
18. रामनगरम्
19. सिरसी
20. हरिहर
21. सिंधनुर
22. कोलेगल
23. गोकाक

1990-91

24. बसवाकल्यान
25. कोलार
26. उडुपी
27. शिकारीपुर

1991-92

28. मालावल्ली
29. राबकवि-बानहट्टी
30. डाडेली
31. चिंतामणी
32. चिकमगलूर

आठवीं योजना

33. तिपतूर
34. गौरी बिदानूर
35. बादामी
36. गुरूमितकर
37. सोनदती
38. बयादगी
39. करवर
40. बिदार
41. हवेरी
42. बेल्लारी
43. मधुगिरी
44. के.आर. नगर
45. इलकल
46. निपानी
47. डोडाबालापुर
48. बेलहोगल
49. मुदालगी
50. मुलबागल
51. लिंगसुगुर
52. मंडया
53. बीजापुर

54. लक्ष्मेश्वर
55. शिगांव
56. सावनूर
57. गडग-बेटागेरी
58. कोटूरू
59. मलूर
60. शोरापुर
61. कुंदापुरा
62. सडलाघाटा
63. अरसीकेर
64. हुंसुर
65. गजेन्द्रगढ़
66. सीरा
67. बंगरापेट
68. कोप्पल

[illegible]डर

[illegible]लनरसीपुर-1

71. चिंचोली
72. मुदेबिहाल
73. हारापानाहल्ली
74. चेन्नागिरि
75. रेन
76. हसान

9वीं योजना

77. शिमोगा
78. होसकोटे
79. गुडलपेट
80. नवलगुंद
81. मनवी
82. देवनगेरी
83. गुलबर्गा

*संशोधित आई.डी.एस.एम.टी. दिशानिर्देश, अगस्त, 1995 के अंतर्गत शामिल कस्बे

विवरण-II

आई.डी.एस.एम.टी. के तहत शामिल किए जाने वाले कस्बों की प्राथमिकता सूची—कर्नाटक

क्र. सं.	कस्बों का नाम	प्राप्त रिपोर्ट हाँ/नहीं
1	2	3
1.	अथानी	हाँ
2.	अलन्द	हाँ
3.	बिरूर	हाँ
4.	देवनाहल्ली	हाँ
5.	चमारजानगर	हाँ
6.	मुंदरागी	हाँ
7.	केरूर	हाँ
8.	हानागल	हाँ
9.	अनेकल	नहीं
10.	इंडी	नहीं
11.	खानेपुर	हाँ
12.	यादगिरि	नहीं
13.	चनारायापटना	हाँ
14.	श्रीनिवासपुरा	नहीं
15.	भालकी	नहीं
16.	संकेश्वर	नहीं
17.	कोन्नूर	नहीं
18.	चित्तगुप्पा	नहीं
19.	होन्नावरा	नहीं
20.	अराकलागुड़	नहीं
21.	महालिंगपुर	नहीं
22.	मुलगुंद	हाँ

*परियोजनाएं जो पूरी नहीं हुई।

जेलों में उग्रवादी

309. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने उग्रवादी विभिन्न जेलों और पूछताछ केन्द्रों में बंद हैं; और

(ख) उन पर कुल कितना वार्षिक खर्च हो रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) केन्द्र सरकार इस संबंध में सूचना नहीं रखती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु योजना

310. श्रीमती रीना चौधरी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं;

(ख) केन्द्र सरकार के पास आज की तारीख के अनुसार लंबित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अब तक कितनी योजनाएं मंजूर की गई हैं; और

(घ) शेष योजनाओं को कब तक मंजूरी प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ग्रामीण आवास, सुनिश्चित रोजगार योजना, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं।

(ख) से (घ) विशेष स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 6 परियोजनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 3 को मंजूरी दी जा चुकी है। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान 24 परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी थी और 13 परियोजनाओं को वर्ष 2000-2001 के दौरान मंजूरी देने की संभावना है बशर्ते कि निधियों की उपलब्धता हो तथा वे कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रायोगिक जिलों के लिए चार परियोजनाएं मंजूर की गई थीं जबकि संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एक परियोजना लंबित है। ग्रामीण आवास के अंतर्गत अभिनव योजना के अंतर्गत पांच परियोजनाएं लंबित हैं। संबंधित कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मंजूरी के लिए लंबित परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

वर्षा जल की भंडारण योजना

311. श्री रामशकल: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्षा जल का भंडारण करने तथा इसका पेयजल के लिए और सिंचाई संबंधी उद्देश्यों हेतु उपयोग करने हेतु एक योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी नहीं। वर्षा जल का संग्रहण करने और इसका पेयजल के रूप में तथा सिंचाई संबंधी प्रयोजनों हेतु उपयोग करने के लिए योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। तथापि, विभिन्न मंत्रलयों/विभागों के वाटरशेड विकास कार्यक्रमों और वनीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत चलायी जा रही परियोजनाओं में मृदा और नमी संरक्षण उपायों से वर्षा जल के संरक्षण और एकत्रीकरण में तथा भूमिगत जल स्रोतों, कुओं और जलाशयों की पुनः भराई में सहायता प्राप्त होती है जिससे पेयजल के लिए और सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलती है।

महाविद्यालयों की स्थापना

312. श्री ब्रजमोहन राम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में राज्य-वार कितने महाविद्यालयों की स्थापना की गई है; और

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार कितने महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) कॉलेजों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

महिलाओं के उत्थान हेतु योजना

313. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान और उनके स्वरोजगार हेतु कोई योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को इस उद्देश्य होतु कोई वित्तीय सहायता दी है; और

यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास विभाग दो स्कीमों, नामत: महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार सहायता कार्यक्रम (स्टेप) तथा महिला आर्थिक कार्यक्रम (नोराड) के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वयन संगठनों, अर्थात् महिला विकास निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों और स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करता है, ताकि वे निर्धन तथा जरूरतमंद महिलाओं को सतत् रोजगार प्रदान करते के उद्देश्य से प्रशिक्षण दे सकें।

(ग) इन स्कीमों के अंतर्गत, राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में ग्रामीणों का प्रव्रजन

314. श्री अवतार सिंह भड़ाना: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक, 29 जून 2000 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स नियर दि लाइन आफ कंट्रोल इन दि जम्मू एण्ड कश्मीर टू पाकिस्तान'' **शीर्षक** से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया **है;**

(ख) यदि हां, तो उसमें **प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;** और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे प्रवास की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्, सरकार को प्रकाशित समाचारों की जानकारी है। कुछ वरिष्ठ उग्रवादी कमाण्डरों की सहायता से पाक आई एस आई बेहतर पुनर्वास और वित्तीय सहायता का वादा करके नियंत्रण रेखा के समीप लोगों को लुभाकर प्रवासन को प्रोत्साहित कर रही है जैसाकि गत कई वर्षों के दौरान पाक अधिकृत कश्मीर में मस्जिदों से जन सम्बोधन प्रणाली के द्वारा भड़काकर पाक सेना द्वारा भारी गोलीबारी की चेतावनी देकर, घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों आदि द्वारा डरा-धमका कर किया गया था।

(ग) राज्य सरकार को ऐसे प्रवासन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का परामर्श दिया गया है।

सी.बी.एस.ई. से असम्बद्ध स्कूल

315. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की **कृपा** करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में खुद को **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से सम्बद्ध** बताकर **कई असम्बद्ध स्कूल** पनप रहे **हैं;**

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने स्कूलों का पता चला है;

(ग) इन स्कूलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने **का प्रस्ताव है; और**

(घ) विद्यार्थियों को इन स्कूलों के बारे में जागरूक बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) से प्राप्त सूचना के अनुसार देश के विभिन्न भागों में अब तक कुल 15 असंबद्ध स्कूलों का पता लगाया गया है जो सी.बी.एस.ई. से सम्बद्ध होने का गलत दावा करते हुए चलाए जा रहे हैं। 8 मामलों में कारण बताओ नोटिस भेजा गया है जबकि बाकी मामलों में चूककर्ता संस्थाओं के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई शुरू की गई है।

(घ) बोर्ड ने देश के सभी प्रमुख अखवारों में सी.बी.एस.ई. के नाम का दुरूपयोग कर रहे स्कूलों के बारे में छात्रों/अभिभावकों को सतर्क करने वाली सार्वजनिक नोटिस छपवाए हैं।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची भेजी गई है ताकि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार में चल रहे असंबद्ध स्कूलों की पहचान कर सकें।

सी.बी.एस.ई. से संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों को यह हिदायत दी गई है कि वे अपनी भावी प्रेस विज्ञप्ति/अधिसूचना में सी.बी.एस.ई. से संबद्धन का कोड नं. उल्लिखित करें।

[हिन्दी]

कोयले की बकाया धनराशियां

316. श्री थावरचन्द गहलोत: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन संस्थानों के नाम क्या हैं जिन पर मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार कोयले की आपूर्ति के फलस्वरूप बकाया धनराशि देय थी तथा उन पर कितनी-कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) इस संस्थानों से बकाया राशियों की वसूली करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने इन चूककर्ता संस्थानों को कोयले की आपूर्ति रोकने के लिए कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) उन उपभोक्ता इकाइयों के नाम, जिन पर 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार कोइंलि द्वारा कोयले की आपूर्ति के फलस्वरूप बकाया धनराशि देय थी तथा उन पर बकाया धनराशि, संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) इन संस्थानों से बकाया देय वसूल करने हेतु सरकार और कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) कोइंलि (सी.आई.एल.) को परामर्श दिया गया है कि वह केवल अग्रिम भुगतान अथवा साख-पत्र पर ही विद्युतशक्ति उपयोगकर्ताओं को कोयले की आपूर्ति करे।

(2) कोइंलि और इसकी सहायक कोला कंपनियां देयों के निपटारे हेतु उपभोक्ताओं के साथ लगातार अनुवर्तन बनाए है।

(3) कुछ विद्युतशक्ति उपयोगकर्ताओं के संबंध में विद्युतशक्ति बिलों पर समायोजन के तरीके से भी देयों की वूसली की जा रही है।

(4) कोयला कंपनियों और राज्य विद्युत मंडलों के बीच विवादित देयों का समाधान करने हेतु निर्णेताओं को नियुक्त किया गया है।

(5) सरकार ने 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार, कोइंलि के बकाया देयों को कुछ सीमाओं की शर्त पर राज्य सरकारों को केन्द्रीय योजना सहायता से समायोजन की क्रियाविधि के माध्यम से वसूल करने का भी निर्णय किया है।

(6) राज्य विद्युत मंडलों द्वारा विभिन्न कोयला कंपनियों तथा केन्द्रीय विद्युतशक्ति उत्पादक उपयोगकर्ताओं को देय भुगतान राशियों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा एक प्रस्ताव हाल ही में अनुमोदित किया गया है।

(ग) से (ङ) कोयला कंपनियां, उपभोक्ताओं के साथ बातचीत के माध्यम से बकाया देयों की वसूली का प्रयास करती हैं। तथापि, कुछ चूककर्ताओं से जवाब की कमी है, वे संबद्ध दल तथा राज्य सरकार को पूर्व सूचना के साथ कोयले की आपूर्ति को नियमित करती हैं।

विवरण

क्र.सं.	कंपनी/विद्युत उपयोगिताओं के नाम	31.3.2000 को कुल देय (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	286.34
2.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	458.06
3.	पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड	250.67
4.	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	318.21
5.	हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	67.04
6.	राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	32.85
7.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	874.89
8.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	754.67
୨	ग़ुजरात राज्य विद्युत बोर्ड	617.59
	्न बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	187.20
11.	पश्चिम बंगाल पावर डेव. कारपोरेशन	524.49
12.	आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड	15.10
13.	असम राज्य राज्य विद्युत बोर्ड	-1.25
14.	कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.	4.67
15.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि	155.78
16.	दामोदर वैली कारपोरेशन	157.74
17.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	23.10
18.	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	526.85
19.	नेशनल थर्मल पावर स्टेशन	136.52
20.	कलकत्ता विद्युत सप्लाई कंपनी	4.72
21.	अहमदाबाद इलैक्ट्रिक कंपनी	22.57
22.	बम्बई सबर्बन इलैक्ट्रिक कंपनी (बी.एस.ई.एस.)	-0.72
23.	डी.पी.एस.	2.31
24.	तेनुघाट टी.पी.एस.	-4.53
25.	हीराकुड पावर कारपोरेशन लि.	0.05
26.	उडीसा पावर ग्रिड कारपोरेशन	3.37
27.	टाटा हाइड्रो	-0.03
	जोड़: (विद्युत)	5418.26
28.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.	405.35
29.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी	106.52
30.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी	1.39
31.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	62.35
	जोड़: (इस्पात)	575.61
32.	अन्य	106.62
	कुल जोड़:	6100.49

[अनुवाद]

वीरप्पन गिरोह

317. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वीरप्पन गिरोह द्वारा दक्षिणी राज्यों के जंगलों में लूटपाट जारी है;

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह काबू पाने और वीरप्पन तथा उसके साथियों को पकड़ने के प्रयासों पर अभी तक कितना खर्च हुआ है;

(ग) अभी तक इस प्रयोजन हेतु राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई और प्रदान की गई है; और

(घ) इस समस्या से निपटने के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण, इस संबंध में सूचना केन्द्र द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) विशिष्ट रूप से वीरप्पन और उसके गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक और राज्य सरकारों ने कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है।

(घ) चूंकि कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी मुख्यत: संबंधित-राज्य सरकारों की हैं अत: इस संबंध में तरीके निकालना और ठोस कदम उठाने का कार्य राज्य सराकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करती है और जब कभी आवश्यक होता है तो केन्द्रीय सरकार अर्ध सैनिक बलों की सहायता उपलब्ध कराती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध है।

बारूदी सुरंग-रोधी वाहन

318. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अर्ध-सैनिक बलों के लिए बारूदी सुरंग-रोधी वाहनों के आयात का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन वाहनों का आयात किन-किन देशों से किए जाने की संभावना है; और

(घ) आयात खरीद को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में आवास सुविधायें

319. श्री जे.एस. बराड़: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली को साफ-सुथरा बनाने और इसका पर्यावरण स्वास्थ्यवर्धक बनाने हेतु यहां समुचित आवास सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में लक्ष्य हासिल करने हेतु कोई कार्रवाई शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली को अस्वास्थ्यकर बनाने के लिए उत्तरदायी कारकों का पता लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) दिल्ली में इन कारकों के होने के पीछे क्या कारण है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) (1) डी.डी.ए. ने 2.88 लाख रिहायशी मकानों का निर्माण किया है और योजनाबद्ध व सहकारी आवास विकास के लिए भूखंड आंबटित करके 7.79 लाख रिहायशी मकानों के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की है।

(2) हरियाली को बनाये रखने, बढ़ावा देने तथा उसके बचाव पर बल दिया गया है।

(3) बेहतर कचरा प्रबंधन पद्धति शुरू की गई है।

(4) झुग्गी-झौंपड़ी वासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए दिल्ली नगर निगम के स्लम व जे.जे. विभाग के जरिए एक त्रि-आयामी कार्यनीति क्रियान्वित की जा रही है। स्कीमें इस प्रकार हैं:-

(1) शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार

(2) स्व स्थने सुधार

(3) झुग्गी झौंपड़ी समूहों का पुनर्वसाल

(घ) से (च) दिल्ली में अस्वास्थ्यकर स्थिति उत्पन्न होने के लिए जिम्मेदार कुछ कारक निम्नलिखित हैं:-

(1) भवन और योजना मानकों का उल्लंघन करके स्लमों और अनधिकृत कालोनियों में बढ़ोत्तरी।

(2) औद्योगिक प्रदूषण।

(3) घरेलू और औद्योगिक कचरे आदि से उत्पन्न ठोस और सरल अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन की कमी।

(4) शहर के विभिन्न भागों—मैदान, पटरियों, रेल लाइनों और खुले क्षेत्रों में अत्यधिक लोगों द्वारा खुला शौच किया जाना।

(5) घनी आबादी वाले तथा आपार्याप्त सेवाओं वाले पुराने कटरा।

(6) पेय जल की अपर्याप्त उपलब्धता।

(7) सीवर रहित क्षेत्र।

(8) शहर के अन्दर पशुओं की बड़ी आबादी।

(9) दिल्ली के हर साल भारी मात्रा में रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाओं के लिए लोगों का प्रवसन।

[अनुवाद]

"सेल" द्वारा उर्वरकों का उत्पादन

320. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का कितना उत्पादन किया गया और बिक्री की गई;

(ख) प्रत्येक उर्वरक के संबंध में कितनी लाभ और हानि हुई; और

(ग) इन्हें लाभकारी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ...99-2000 के दौरान उत्पादित और बिक्री किए गए अमोनियम सल्फेट और कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा और उससे हुई हानि नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	उत्पाद का नाम टन	उत्पादन (टन)	बिक्री (अनन्तिम)	हानि करोड़ रुपये
1.	अमोनियम सल्फेट	87926	84380	35
2.	कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	36113	38120	18

(ग) सेल द्वारा अपनी उर्वरक और अमोनियम सल्फेट इकाइयों के निष्पादन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(1) सघन लागत नियंत्रण अभियान जिससे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिक-आर्थिक प्राचलों में सुधार हुआ है, अर्थात्।

- उत्पादन में सुधार और अमोनियम सल्फेट के उत्पादन में सल्फुरिक एसिड की खपत में कमी हुई।
- राउरकेला उर्वरक संयंत्र में नेप्था की विशिष्ट खपत में कमी हुई।

(2) माल-सूची में कमी।

(3) 1998 और 1999 में स्टाफ कम किया गया।

[हिन्दी]

दिल्ली में सरकारी मकान

321. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये सरकारी मकानों की श्रेणीवार संख्या क्या है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में सरकारी आवास हेतु प्रतीक्षा अवधि कितनी है;

(ग) विभिन्न श्रेणियों में सरकारी मकान के आवंटन की प्राथमिकता तिथि क्या है;

(घ) वर्तमान पंचवर्षीय योजना में श्रेणीवार और राज्यवार कितने सरकारी मकानों का निर्माण किया जायेगा; और

(ङ) ये मकान कब तक निर्मित/आवंटित हो जायेंगे?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासों की संख्या, वर्ग-वार इस प्रकार है:-

टाइप	दिल्ली	फरीदाबाद	गाजियाबाद
I	16698	478	176
II	24460	832	480
III	16356	304	132
IV	5811	140	24
IV विशेष)	494	-	-
V ए (डी-2)	1574	52	08
V बी (डी-1)	389	-	-
VI ए (सी-2)	495	16	-
VI बी (सी-1)	101	-	-
VII	89	-	-
VIII	105	-	-

(ख) और (ग) 1.1.2000 से प्रारंभ चालू आबंटन वर्ष के दौरान सीमित संख्या में आमंत्रित आवेदन-पत्रों के आधार

पर दिल्ली में सामान्य पूल सरकारी आवास मिलने की प्रतीक्षावधि तथा 1.7.2000 के अनुसार कवर पूर्विकता की तारीख इस प्रकार है:-

टाईप	पूर्विकता की तारीख	प्रतीक्षावधि (जहाँ लागू है)
1	2	3
I	15.06.87	13 वर्ष
II	03.07.72	28 वर्ष
III	08.11.70	29 वर्ष
IV	10.03.69	30 वर्ष

1	2	3
IV विशेष	वेतन 16,300/-रु.	(1.11.99 को)
V ए	वेतन 19,400/-रु.	-(वही)-
V बी	वेतन 20,900/-रु.	-(वही)-
VI ए	वेतन 21,400/-रु.	-(वही)-
VI बी	वेतन 26,000/- रु.	-(वही)-
VII तथा VIII	वेतन 26,000/-रु.	(-वही)

(घ) सूचना इस उत्तर के संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ङ) मार्च, 2002 तक।

विवरण

पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्ण होने वाले सम्भावित सामान्य पूल आवासों की राज्य-वार संख्या

आवासों के टाइप

राज्य	I	II	III	IV	V	VI	योग
दिल्ली	-	-	-	410	493	-	903
राजस्थान	28	42	52	18	4	-	144
महाराष्ट्र	16	120	112	32	52	-	332
मध्य प्रदेश	-	42	60	10	-	-	112
उत्तर प्रदेश	328	402	384	66	28	2	1210
तमिलनाडु	-	48	200	44	16	4	312
हिमाचल प्रदेश	24	90	132	18	-	-	264
केरल	16	16	80	24	12	-	148
आंध्र प्रदेश	-	72	32	-	-	-	104
कर्नाटक	128	240	200	58	14	3	641
सिक्किम	24	24	40	12	-	-	100
असम	24	16	72	24	-	-	136
योग:-	588	1112	1364	714	619	9	4406

नगर परिवहन परियोजनाएं

322. श्री सुरेश चन्देल: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय नगर योजना संस्थान की सिफारिशों के अनुरूप नगर परिवहन परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन नगरों के लिए उक्त परियोजनाओं की सिफारिश की गई हैं तथा आज की तारीख के अनुसार प्रत्येक परियोजना की स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं हेतु कितनी विदेशी सहायता मांगी जा रही है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) नगर परिवहन परियोजनाओं के बारे में राष्ट्रीय नगर नियोजन संस्थान द्वारा की गई किसी भी सिफारिश की जानकारी इस मंत्रालय को नहीं है। इसलिए इस बारे में कोई भी परियोजना करने का प्रश्न नहीं उठता।

बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों का प्रतिशत

323. श्री जोरा सिंह मान:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा जुलाई 1995 से जून 1996 के बीच किए गए अध्ययन के बाद प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि प्रति हजार विद्यार्थियों में से केवल 34 विद्यार्थी ही उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या अनुमान लगाया है; और

(ग) देश में प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतर स्तरों पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या है और प्रत्येक स्तर पर इसके क्या मुख्य कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के बावनवें दौर जुलाई, 1995-जून, 1996 में पारिवारिक सर्वेक्षणों के आधार पर शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले विद्यार्थियों के आंकड़े दिए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र किए गए डाटा के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा ये आंकड़े संकलित किए जाते हैं। हालांकि परिकलन की पद्धति अलग-अलग है, फिर भी दोनों रिपोर्टों में स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले विद्यार्थियों का उल्लेख किया गया है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा निदेशालयों से चुनिंदा शैक्षिक आंकड़े 1998-99 में पहली से बारहवीं कक्षा में दिए गए प्रवेश संबंधी अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार भारत में स्कूल की शिक्षा में वर्ष 1998-99 में स्कुल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निम्नवत् है:

कक्षा	बालक	बालिकाएं	कुल
प्राथमिक (पहली से पाँचवीं)	38.62	41.22	39.74
मिडिल (छठी से आठवीं)	54.40	60.09	56.82
माध्यमिक (पहली से दसवीं)	65.44	70.22	67.44
उच्चतर माध्यमिक (पहली से बारहवीं)	86.00	88.39	87.00

शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा के उच्चतर स्तर पर पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले छात्रों के आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं। स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

- सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक कारक
- उपलब्ध कराए गए स्कूलों की संख्या पर्याप्त नहीं होना तथा स्कूलों में पर्याप्त शिक्षण की कमी।
- पाठ्यचर्या बोध का स्थानीय जरूरतों के अनुरूप न होना।
- बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में अभिभावकों की उदासीनता।
- पृथक पीढ़ी के शिक्षार्थियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयां, और
- स्थानीय स्कूलों में समुदाय की सहभागिता में कमी।

यह विभाग अधिक से अधिक स्कूलों की स्थापना करके, अधिकारिक शिक्षकों की व्यवस्था करके, पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार करके, पंचायती राज्य संस्थाओं के ढांचे के भीतर स्कूल

प्रबंध में स्थानीय समुदायों को सहभागी बनाकर तथा पाठ्यपुस्तकें और यूनिफार्म, खाद्यान्य, छात्रवृत्ति आदि जैसे अन्य प्रोत्साहन देकर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की दर कम करने के लिए प्रयासरत हैं।

[अनुवाद]

पेयजल परियोजनाएं

324. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय पेयजल और सफाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इनके अन्तर्गत इन परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिए राज्य-वार कितना धन आबंटित किया गया और इनके अन्तर्गत कितनी प्रगति हुई;

(ग) क्या सरकार को तमिलनाडु में धर्मपुरी और सेलम से ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर कुल कितनी लागत आयेगी और इन प्रस्तावों की परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी पर्यटकों के प्रति अपराध

325. श्री उत्तम राव ढिकले:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री प्रभात सामन्तराय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में विदेशी पर्यटकों के प्रति अपराधों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस द्वारा कुछ पर्यटकों की, जिनके साथ दिल्ली में बलात्कार और छेड़खानी की गयी थी मीडिया के सामने परेड करायी गयी थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी;

(घ) क्या दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश परिचालित/तैयार नहीं किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) एक दृष्टांत हुआ था जिसमें दो विदेशी पर्यटकों जिनके साथ कथित रूप से बलात्कार और छेड़छाड़ हुई थी, ने तत्कालीन पुलिस उपायुक्त (केन्द्रीय जिला) द्वारा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में स्वेच्छा से भाग लिया। यह एक अविवेकपूर्ण कार्य था जिसके लिए संबंधित अधिकारी को उचित रूप से फटकार लगाई गई और उनका तबादला किया गया।

(घ) और (ङ) दिल्ली पुलिस द्वारा समय-समय पर बलात्कार के पीड़ितों के साथ व्यवहार के संबंध में बहुत से परिपत्र/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और अधिकारियों को इन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड के घाटों की समीक्षा

326. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों को हो रहे घाटे की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और आज तक कोल इंडिया लि. और इसकी सहायक कंपनियों, विशेषकर सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि. के परिवहन होटलों, अतिथि गृहों में अधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान किए जा रहे टी.ए./डी.ए. आदि पर किए जा रहे व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे खर्चों में कमी लाने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) प्रत्येक उपक्रम की अगले वर्ष की वार्षिक कार्य

योजना तैयार करते वक्त प्रत्येक वर्ष कोयला मंत्रालय, कोयला और लिग्नाइट के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक और वित्तीय (लाभ-हानि सहित) निष्पादन की समीक्षा करता है। कोल इंडिया लि. कुल मिलाकर वर्ष 1991-92 से निरन्तर लाभ कमा रहा है। कोल इंडिया लि. का टैक्स पूर्व लाभ वर्षवार इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	लाभ
1998-99	1451.79
1897-98	1803.99
1996-97	1137.42
1995-96	611.44
1994-95	29.73
1993-94	400.32
1992-93	291.27
1991-92	167.07

कोल इंडिया लि. की आठ सहायक कंपनियां है इनमें सा सात सहायक कंपनियां कोयला उत्पादन करती हैं। कोल इंडिया लि. की कोई अनुषंगी इकाई नहीं है। कोयला उत्पादन की सात सहायक कंपनियों में से तीन के नाम इस प्रकार है। ईस्टर्न कोलफील्ड लि. (ई.सी.एल.), भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) तथा सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) कंपनियां को घाटा रहा है। वर्ष 1999-2000 में सी.सी.एल. को सीमान्त हानि हुई और आशा है कि वर्ष 2001-2002 तक स्थिति बदल जाएगी। ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. को पर्याप्त घाटा हो रहा है। ई.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. कंपनियों की स्थिति को बदलने के लिये इनकी समीक्षा की जा रही है इन दो कंपनियों में हानि का मुख्य कारण अत्यधिक अधिशेष जनशक्ति और अभिव्ययी पुरानी भूमिगत खानों में उच्च लागत है।

(ग) यद्यपि कोल इंडिया लि. के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक दौरे के दौरान होटलों, अतिथि गृह और पहिवहन पर अलग-अलग इतना खर्च हुआ इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है तथापि कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों द्वारा वर्ष 1997-98 से लेकर पिछले तीन वर्षों के दौरान टी.ए./डी.ए. के अन्तर्गत किया गया कुल व्यय इस प्रकार है।

	वर्ष 1999-2000 (अनंतिम और लेखा परीक्षा के अधीन)	1998-99 (लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के वास्तविक आंकड़े)	1997-98 (लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के वास्तविक आंकड़े
ई.सी.एल.	251.73	284.36	329.76
बी.सी.सी.एल.	395.62	414.91	392.66
सी.सी.एल.	546.00	604.00	688.00
एन.सी.एल.	319.52	284.34	328.67
डब्ल्यू.सी.एल.	734.39	724.46	734.63
एस.ई.सी.एल.	843.45	832.81	866.76
एम.सी.एल.	313.71	323.44	306.40
सी.एम.पी.डी.आई.एल.	198.38	221.94	213.94
सी.आई.एल. मुख्यालय	248.36	299.14	336.45
कुल	3851.16	3989.41	4197.27

(घ) इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में दिये गए विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1999-2000 के दौरान टी.ए./डी.ए. के अन्तर्गत होने वाले खर्च में लगातार गिरावट आई है। कंपनियों द्वारा ऐसे खर्च पर कड़े नियंत्रण से ही खर्च में यह गिरावट संभव हो पाई है। वर्ष 1997-98 के दौरान खर्च 4197.27 लाख रु. था जो कि वर्ष 1999-2000 के दौरान घटकर 3851.16 लाख रु. रह गया। खर्च में इस प्रकार 346.11 लाख रु. की कमी आई। यह कमी मुद्रा स्फीति के निरन्तर दबाव के कारण ही हो पाई है।

[अनुवाद]

केरल में पेय जल परियोजनाएं

327. श्री टी. गोविन्दन: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार को राजीव गांधी पेय जल प्रौद्योगिकी मिशन अथवा किसी अन्य योजना के तहत केरल सरकार से पेय जल संबंधी कोई परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संघ सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) जल आपूर्ति राज्यों का विषय है। ग्रामीण विकास मंत्रालय पेय जल आपूर्ति विभाग राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन ने सूचित किया है कि राज्य क्षेत्र के न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम (एम.एन.पी.) के अन्तर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य सरकारें कर रही हैं। केन्द्र सरकार केवल, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता मुहैया कराकर राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है। सामान्य त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा उप मिशन के अंतर्गत अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों की योजना, स्वीकृति और कार्यान्वयन की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। अत: कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तथापि, पेय जल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश के चुनिन्दा पायलेट जिलों में कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी संस्थापित करने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय सुधार शुरू किए हैं। इन पायलेट जिलों के संबंध में क्षेत्रीय सुधार परियोजनाएं पेय जल आपूर्ति विभाग में प्राप्त हो रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि केरल सरकार ने राज्य के कसारगोड तथा कोल्लम नामक दो जिलों के संबंध में क्षेत्रीय सुधार परियोजना प्रस्ताव किए हैं। कसारगोड पायलेट परियोजना भारत सरकार ने मंजूर कर दी है, जिसकी स्वीकृत परियोजना लागत 4000.00 लाख रु. है और भारत सरकार के 3740.00 लाख रु. के अंश में से 1122.00 लाख रु. की पहली किश्त राज्य सरकार को जारी कर दी गई है। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि राज्य सरकार ने विश्व बैंक से सहायता के लिए 80 मिलियन अमेरिकी डालर की अनुमानित परियोजना लागत की एक शहरी जल आपूर्ति और पर्यावरणीय सफाई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें राज्य सरकार के 4 जिले शामिल हैं। प्रस्ताव विश्व बैंक को भेज दिया गया है।

1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों पर लागू केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पनियान्नूर (जिला कन्नूर), पुडुक्कड (जिला त्रिशुर) और कोराटी (जिला त्रिशुर) में तीन जल आपूर्ति स्कीमें भी इस मंत्रालय ने मंजूर की हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत 712.82 लाख रु. है। मराठाक्कारा है चेवूर (दोनों ही त्रिशुर जिले में) के लिए दो अन्य जल आपूर्ति स्कीमों की इस मंत्रालय ने तकनीकी जांच पड़ताल की है और टिप्पणियां केरल जल प्राधिकरण को व्यापक परियाजना रिपोर्ट के संशोधन के लिए भेज दी गई है, जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट

328. श्री विजय गोयल:
श्री शिवाजी माने:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भवन उप-नियमों पर मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौन-कौन सी सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों की जांच कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनमें से सरकार द्वारा कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं;

(ङ) समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं;

(च) इन्हें कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा; और

(छ) दिल्ली में अनधिकृत निर्माण कार्यों को रोकने के लिए क्या नये कदम उठाए गए हैं।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (च) एकीकृत भवन निर्माण उप-नियमों में संशोधन संबंधी विजय कुमार मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट का भाग-1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से सितम्बर, 1997 में प्राप्त हुआ था।

समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आलोक में संशोधन क्रमश: 23.7.1998 और 7.6.2000 की अधिसूचनाओं द्वारा जारी कर दिए गए हैं। स्थानीय निकायों द्वारा इनका अब क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अब सूचित किया है कि उपराज्यपाल के अनुमोदन से अब उक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय किया गया है।

(छ) स्थानीय निकायों और डी.डी.ए. द्वारा अनधिकृत निर्माण को जांच कर पता लगाने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं और इन संगठनों द्वारा कानून के संगत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

विवरण

रजिस्ट्री सं. डी.एल. 33004/99

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II–खण्ड 3–उप–खण्ड (2)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 387] नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 2000/ज्येष्ठ 17, 1922

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून 2000

का.आ. 557 (अ).– दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 349ए और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 260 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम अधिनियम की धारा 483 और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा 388 में यथा अपेक्षित एकीकृत भवन उप-नियम, 1983 उस सीमा तक उपांतरित समझे जाएंगे जिस सीमा तक मंत्रालय की 23 जुलाई, 1998 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुलग्नक के पैरा 1 से 3 में उल्लेख है। संशोधित भवन उप-नियमों के अनुसार स्वीकृत किए जाने वाले भवन नक्शे, विन्यास नक्शे और सर्विस नक्शे जो पहले से मंजूर हैं के अनुसार होंगे और ऐसे कोई भी विन्यास/सर्विस नक्शे तब तक संशोधित नहीं किए जाएंगे जब तक बढ़ी हुई निगम सेवाएं जैसे बिजली, पानी, गन्दे पानी की निकासी, सड़क चौड़ाई, परिचालन, वाहन ठहराव स्थल, उद्यान (हरित क्षेत्र) आदि के प्रावधान नहीं किए जाते। किसी भी भू-खण्ड आवास को समूह आवास में नहीं बदला जा सकता।

[सं. के.-12016/5/79-डी.डी.आई.ए./वी.ए./आई.बी. (भाग)]

आर.एस. गुसाईं, अवर सचिव

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 2000

का.आ. 558 (अ)– केन्द्रीय सरकार दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में प्रस्तावित निम्न संशोधन/उपांतरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है। इस सूचना के 30 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में अवर सचिव, दिल्ली प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेज सकता है। आपत्ति या सुझावकर्त्ता व्यक्ति द्वारा अपना नाम और पता भी दिया जाए।

उपांतरण:

फार्म हाउस की रूप-रेखा/विकास नियंत्रण मानक वही रहेंगे जो 23 जुलाई, 1998 की अधिसूचना से पहले थे। 23 जुलाई, 1998 की कथित अधिसूचना के पैरा 4 को लोप समझा जाएगा।

[सं. के.-12016/5/79-डी.डी.आई.ए./वीए/आई.बी. (भाग)]

आर.एस. गुसाईं, अवर सचिव

भारत का राजपत्र: असाधारण

[भाग-2-खण्ड 3(11)]

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

(शहरी विकास विभाग)

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1998

का.आ. 623 (ई).......जबकि भवन उपनियम 1983 की कुछ समय से जांच की जा रही थी

जबकि एकीकृत भवन उपनियमों और दिल्ली के मास्टर प्लान-2001 (एम.सी.डी.-2001) में संगत सुधारों की दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली सरकार द्वारा विशेषकर प्रो. वी.के. मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आलोक में विस्तृत जांच की गई है।

जबकि इस मंत्रालय द्वारा 20.5.98 को सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी, जिसमें दिल्ली के मास्टर प्लान-2001 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में सुझाव/आपत्तियां मांगी गई थी।

जबकि यह सूचना 24.5.98 के समाचार-पत्र में भी जारी की गई थी।

जबकि इस मंत्रालय में प्राप्त 290 आपत्तियों/सुझावों की मुख्य नियोजक टी.सी.पी.ओ. की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें डी.डी.ए., एम.सी.डी. और एन.डी.एम.सी. के प्रतिनिधि थे, द्वारा जांच की गई थी और समिति की रिपोर्ट सरकार को 17.7.98 को प्रस्तुत की गई।

और जबकि केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं की ध्यानपूर्वक जांच के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2001 में संशोधन करने का निर्णय लिया।

इसलिए अब दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 2क की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के मास्टर प्लान-2001 में अनुलग्नक के अनुसार संशोधन करती है।

सं. के-12016/5/79-डी.डी.-1ए/V/ए/1बी

सुरेन्द्र मोहन, डेस्क अधिकारी

संशोधन **अनुलग्नक**

1. दिनांक 1-8-90 के भारत के राजपत्र के पृष्ठ 159 (दाहिनी ओर) पर दिनांक 15-5-95 की अधिसूचना के अधिक्रमण में रिहायशी प्लाट-प्लाटिड आवास (001) के अधीन तालिका और पादटिप्पणियाँ निम्नलिखित अनुसार संशोधित की गई हैं:

क्र.सं.	प्लाट का क्षेत्र (वर्ग मीटर)	अधिकतम भूमि (%)	फर्शी क्षेत्र अनुपात	रिहायशी यूनिटों की सं.	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)
1.	32 से कम	75	225	1	12.5
2.	32 से अधिक 50 तक	75	225	2	12.5
3.	50 से अधिक 100 तक	75	225	3	12.5
4.	100 से अधिक 250 तक	66.66	200	3	12.5
5.	250 से अधिक 500 तक	50	150	3 (4)	12.5
6.	500 से अधिक 1000 तक	40	120	6 (8)	12.5
7.	1000 से अधिक 1500 तक	33.33	100	6 (8)	12.5
8.	1500 से अधिक 2250 तक	33.33	100	9 (12)	12.5
9.	2250 से अधिक 3000 तक	33.33	100	12 (16)	12.5
10.	3000 से अधिक 3750 तक	33.33	100	15 (20)	12.5
11.	3750 से अधिक	33.33	100	18 (21)	12.5

टिप्पणी: दिनांक 15-5-95 की अधिसूचना द्वारा अनुमत फर्शी क्षेत्र औसत पर उपर्युक्त तालिका द्वारा बेसमेन्ट सहित अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र औसत पर कर की अनुमति होगी, भवन-निर्माण उप नियमों में यथा निर्धारित दरों पर और समय-समय पर यथा संशोधित सरकार के आदेशों के माध्यम से विकास प्रभार वसूला जाएगा।

(2) 250 वर्ग मीटर से अधिक के रिहायशी के प्लाटों के मामले में जो 24 मीटर और अधिक की सड़क के सामने हैं (क) फर्शी क्षेत्र औसत अधिकतम ग्राउन्ड फ्लौर कवरेज द्वारा बढ़ाया जाएगा, (ख) अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर, और (ग) मकानों की संख्या कोष्ठकों में दी गई अनुसार होगी।

(IV) (क) बेसमेन्ट

(1) प्लाटिड डेवलपमेन्ट कन्सट्रक्टिड के मामले में बेसमेन्ट फर्शी क्षेत्र औसत में शामिल नहीं होगा।

(2) बेसमेन्ट क्षेत्र ग्राउन्ड फ्लौर कवरेज से अधिक नहीं होगा और ग्राउन्ड फ्लौर से कम होगा। तथापि बेसमेन्ट

क्षेत्र को आन्तरिक कोर्टयार्ड और शैफ्ट के नीचे बढ़ाया जा सकता है। अर्थात शेष पादटिप्पणियां दिनांक 15-5-95 की अधिसूचना की (I) और (V) से (XI) बनी रहेंगी।

2. भारत का राजपत्र, दिनांक 1.8.90 के पृष्ठ 160 (बायीं तरफ) रिहायशी प्लाट समूह आवास (002), के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन/परिवर्द्धन किए जाते हैं:-

अधिकतम फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.)	167
अधिकतम ऊंचाई	33 मीटर

नोट: अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर शुल्क (लेवी) और/अथवा अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए विकास प्रभार सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित दर पर लिया जाएगा।

अन्य नियंत्रण (कंट्रोल):

(1) अनुमत्य नेट आवास घनत्व किसी भी तरफ 15% के अंतर सहित 175 रिहायशी यूनिट प्रति हैक्टेयर होगा। क्षेत्र के लिए निर्धारित सकल रिहायशी घनत्व को ध्यान में रखते हुए इसे जोनल प्लान/विन्यास नक्शे (प्लान) में दर्शाया जाना चाहिए। अनुमत्य स्तर पर घनत्व में अधिकतम अंतर 5% होगा बंगला क्षेत्र (पार्ट डिवीजन डी) और सिविल लाइन्स क्षेत्र (पार्ट डिवीजन सी) के मामले में समूह आवास पाकेटों में कोई भी रिहायशी घनत्व विस्तृत स्कीम के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(22/) सामुदायिक/मनोरंजन हाल, क्रेच, पुस्तकालय, वाचन कक्ष और सोसाइटी कार्यालय जैसी सामुदायिक जरूरतों के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. अधिकतम 400 वर्ग मीटर तक अनुमत्य होगा।

पृष्ठ 155 पर (बायी तरफ) रिहायशी प्लाट-समूह आवास (022) के नीचे उपयोग परिसरों (यूज प्रेमिसेस) में अनुमत्य प्रयोग/उपयोग क्रियाकलापों के अन्तर्गत क्रेच और डे-केयर सेंटर के तहत प्रविष्टि को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

समुदाय/मनोरंजन हॉल, पुस्तकालय, वाचन कक्ष और सोसाइटी कार्यालय भूतल पर अनुमत्य है।

3. भारत का राजपत्र, दिनांक 1.8.90 में पृष्ठ 166 पर व्यवसायिक क्रियाकलाप के अन्तर्गत प्रावधान को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

रिहायशी प्लाटों और फ्लैटों में किसी भी तल पर व्यवसायिक क्रियाकलाप निम्नलिखित शर्तों पर अनुमत्य होंगे:

परिसर के भाग, अधिकतम एफ.ए.आर. का 25% अथवा 100 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, का उपयोग व्यवसायिक कौशल पर आधारित सेवा देने के लिए गैर-रिहायशी लेकिन ''नान-न्यूसेंस'' क्रियाकलाप के लिए अनुमत्य होगा।

फार्म हाउस (135)

4. भारत के राजपत्र दिनांक 1-8-90 के पृष्ठ 164 (दाहिनी ओर) पर तालिका निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:-

(1) फार्म हाउस का न्यूनतम आकार	0.8 हेक्टे.
(2) अधिकतम ग्राउन्ड कवरेज	5%
(3) अधिकतम फर्शी क्षेत्र औसत	5 (500 वर्ग मीटर की अधिकतम शर्त के अधीन फार्म का आकार कुछ भी हो)
(4) मंजिलों की संख्या	दो
(5) अधिकतम ऊंचाई	8 मीटर

बेसमेन्ट सहित सभी निर्माण, यदि कोई हों, की गणना फर्शी औसत क्षेत्र में की जाएगी।

भूमि मालिकों द्वारा विन्यास नक्शे के अनुसार अवस्थापना आवश्यकताओं और सर्कुलेशन नेटवर्क हेतु भूमि मुफ्त सौंपी जाएगी ताकि वे कुल क्षेत्र पर फर्शी क्षेत्र औसत का लाभ उठा सके।

दिनांक 1-8-90 की भारत की राजपत्र की अधिसूचना द्वारा अनुमत से अधिक अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र औसत पर कर लगाना और/या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा तय की गई दरों पर विकास प्रभार वसूला जाएगा।

कोयला भण्डार और उत्पादन

329. **श्रीमती शीला गौतम:**
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयले का गणवत्ता-वार कुल कितना उत्पादन हुआ और इसके वर्तमान भंडार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश कोयला उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है; और

(ग) सरकार द्वारा कोयला के खनन में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने और इसके लदान के दौरान होने वाले घाटे को कम से कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में कोयला उत्पादन का विवरण तथा 1.1.2000 को देश में, कोयला भंडार का विवरण नीचे दिया गया है:-

उत्पादन 1999-2000

क्र.सं.	मात्रा	उत्पादन मिलियन टन में (अनंतिम)
1.	कोककर	32.97
2.	अ-कोककर	267.12
3.	जोड़:	300.09

कोयले के भंडार

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार 1200 मी. की गहराई पर 1.1.2000 को देश में कोयले का 2,11,594 मिलियन टन है।

(ख) यद्यपि उपभोक्ताओं की अ-कोककर कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने में देश आत्मनिर्भर है तथापि अपेक्षित मात्रा के कोककर कोयले का उत्पादन मांग से कम है।

(ग) कोयला उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कोयला कंपनियों ने कुछ कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सम्मिलित हैं। नई परियोजनाओं को शुरू करना और नई खानों को खोलना, वर्तमान खानों का आधुनिकीकरण करना और तकनीक को अपग्रेड करना। सी.आई.एल. की कुछ बड़ी ओपनकास्ट खानों में कोयला लदान के दौरान, कोयले की क्षति को न्यूनतम करने के लिए कोयला रख-रखाव संयंत्र सहित रैपिड लोडिंग सिस्टम आदि को स्थापित किया गया है। सी.आई.एल. को बहुत सी ओपनकास्ट खानों में कोयला साइजिंग के लिए फीडर ब्रेकर लगा दिए गए हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में परियोजनाएं

330. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं में अधिक समय लग रहा है और उनकी लागत बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार और परियोजना-वार प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए कोई निगरानी एजेन्सी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में समय पर परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्। कुछ परियोजनाओं में अधिक समय और अधिक लागत लग रही है।

(ख) संलग्न विवरण-I के अनुसार।

(ग) संलग्न विवरण-II के अनुसार।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

(ङ) राज्य सरकार, सीमा सड़क संगठन, नीपको, पावर ग्रिड आदि जैसी कार्यकारी एजेन्सियों तथा संबंधित परियोजना प्रधिकारियों द्वारा परियोजनाओं की सावधिक मानीटरिंग की जाती है। पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा तिमाही प्रगति की भी संवीक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय, योजना आयोग और विद्युत मंत्रालय भी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(छ) 50% व्यय हो जाने के समय परियोजनाओं की अनिवार्य पुनरीक्षा की जा रही है। परियोजनाओं की सावधिक मॉनिटरिंग भी की जाती है।

विवरण-I

क्र.सं.	परियोजना का नाम		समय और लागत वृद्धि के कारण
1	2		3
1.	रंगानदी जल विद्युत परियोजना	(1)	डैम की डिजाइन में परिवर्तन
		(2)	प्रतिकूल भूवैज्ञानिक परिस्थितियां
		(3)	कानून एवं व्यवस्था की समस्या
2.	रंगानदी ट्रांसमिशन लाइन परियोजना	(1)	कमजोर व्यवहार्यता रिपोर्ट
		(2)	मूल्य वृद्धि
		(3)	अनुमोदित मात्रा में वृद्धि
		(4)	परियोजनाओं में नये परिवर्धन
3.	पैस्सइट गरमपानी रैफलोंग असम पोर्शन रोड		विद्रोह
4.	लाइसांग-राजाबाजार रोड		विद्रोह
	...य आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल	(1)	परियोजना में वास्तविक अंतर
		(2)	राज्य लो.नि.वि. द्वारा परियोजना का धीमा निष्पादन
6.	सन्सक-टेंगनौपल रोड		विद्रोह
7.	सिंघट सिंजावल रोड		विद्रोह
8.	तामेंगलोंग-तोसेम हाफलोंग रोड	(1)	एलाइनमेंट समस्या
		(2)	विद्रोह
9.	वोखा-बोथाजान रोड	(1)	एलाइनमेंट समस्या
		(2)	विद्रोह
10.	आखेगो-वाजेहो-बशेलो रोड		विद्रोह
11.	पूंग्रो-मोवा-निम्मी रोड	(1)	विद्रोह
		(2)	बी.आर.ओ. द्वारा धरातल को और समतल बनाने के कार्य की स्थानीय लोगों ने अनुमति नहीं दी।
12.	कोहिमा-लैके-लाइसोंग रोड		विद्रोह
13.	अंगूरी-मोंगकोलेम्बा-तछंग ए ट्रली रोड		विद्रोह
14.	दोयांग पनबिजली परियोजना	(1)	विद्रोह
		(2)	भयंकर बाढ़
		(3)	परिकल्पना में बदलाव

1	2		3
15.	दोयांग ट्रांशमिशन लाइन प्रोजेक्ट	(1)	कमजोर व्यवहार्यता रिपोर्ट
		(2)	मूल्यों एवं अनुमोदित मात्रा में वृद्धि
		(3)	परियोजना में नये परिवर्धन
16.	मनु-चमानु-गोविन्दाबाड़ी-पुलडुन्गसी रोड		विद्रोह
17.	पेचरथल चेबरी रोड		विद्रोह
18.	रूखिया गैस बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट		संशोधित लागत अनुमान को अंतिम रूप न दिया जाना

विवरण-II

क्रमांक	राज्य	परियोजना का नाम	विगत तीन वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि		
	अरूणाचल प्रदेश	रंगानदी जल-विद्युत परियोजना	7118.00	8800.00	9300.00
		रंगानदी ट्रांशमिशन लाइन प्रोजक्ट	2300.00	1100.00	1100.00
	असम	पास्सविह-गरमपानी राफलोंग असम पोर्शन रोड	--	80.00	300.00
		लाइसोंग-राजा बाजार रोड	60.00	53.00	10.00
	मणिपुर	क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल	1449.00	1090.00	1600.00
		संसक-टेंगनौपल रोड	15.00	205.12	98.56
		सिंघाट सिंजावल रोड	2.00	450.52	445.57
		तमेंगलोंग-टॉसेस हाफलोंग रोड	-	41.53	63.24
	नागालैंड	वोखा-बोथाजान रोड	400.00	359.57	251.04
1.		आखेगो-वाजेहो-वशेलो रोड	42.00	-	-
.		घुंगो मोवा निम्मो रोड	-	-	-
2.		कोहिमा लेक लाइसोंग रोड	100.00	115.00	29.46
3.		अंगूरी-मोंगकोलेन्बा तर्छेग ए टूली रोड	-	35.00	-
4.		दोयांग जल विद्युत परियोजना	6415.70	5400.00	10000.00
5.		दोयांग ट्रांशमिशन लाइन परियोजना	1460.00	1000.00	1000.00
6.	त्रिपुरा	मनुचमानु-गोविन्दाबाडी पुल्डंगसि रोड	-	-	-
7.		पेछरथल-चेबरी रोड	100.00	195.00	400.00
8.		रोखिया गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना	1832.00	0.00	0.00

म्यांमार नागरिकों की गिरफ्तारी

331. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जून, 2000 के दौरान गुजरात के कच्छ तट से पाकिस्तान में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे म्यांमार के नागरिकों को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

लिग्नाइट का खनन

332. कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के बाड़मेर जिले में गार्ल, कपूर्डी और जालिपा में लिग्नाइट का विशाल भंडार पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में लिग्नाइट के खनन हेतु कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां। नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. द्वारा दिये गए विवरण नीचे दिये गए हैं:-

क्रम सं.	ब्लॉक	भूवैज्ञानिक भंडार (मिलियन टन में)
1.	गिराल	101.90
2.	कपूरडी	150.40
3.	जालिपा	316.28

(ख) और (ग) गिराल ब्लॉक पहले से ही प्रचलन में है और मैसर्स आर.एस.एम.डी.सी. मई, 1995 से गिराल में लिग्नाइट का खनन कर रहा है। इसके विस्तार के प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है I कपूरडी और जालिपा ब्लॉकों का पहले ही अन्वेषण किया जा चुका है और बिजली उत्पादन के लिये सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि एक स्वतन्त्र पॉवर प्रौड्यूसर (आई.पी.पी.) को यह ब्लॉक आबंटित किये जाएं। ऊर्जा मंत्रालय से नियमानुसार निकासी मिलने पर तथा आई.पी.पी. द्वारा नेवेली लिग्नाइट निगम लि. द्वारा अन्वेषण प्रभार देने पर या देने के लिये सहमत होने पर उसे प्रस्तुत करने के उपरांत प्रस्ताव की जांच की जाएगी।

सड़क दुर्घटनाएं

333. श्री रामसागर रावत:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या गृह मंत्री सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में 13-12-1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2111 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली यातायात पुलिस से सड़क दुर्घटनाओं के घायलों को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने को कहने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति मारे गये?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अपराधियों को हथियारों के लाइसेन्स

334. श्री पवन कुमार बंसल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्री मंडलीय सचिवालय कुछ समय पहले देश के कुछ भागों में अपराधियों को हथियारों के लाइसेंस जारी किये जाने से संबंधित मामला उनके ध्यान में लाया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। मंत्रिमंडल सचिवालय में नागालैंड राज्य में लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा कुछ ऐसे व्यक्तियों जोकि नागालैंड के नहीं थे और महाराष्ट्र के निवासी थे को अविवेकता से शस्त्र लाइसेंस जारी करने के बारे में सूचित किया था। भारत सरकार ने पहले ही इस मामले के संबंध में राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और 2-2-2000 को समुचित अनुदेश जारी किए हैं।

आवास को मूल अधिकारों में शामिल करना

335. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास को प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

336. **श्री बृज भूषण शरण सिंह:**
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान मंत्री के विवेकाधीन कोटे से कितने छात्रों को केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश दिया गया;

(ख) ऐसे छात्रों के चयन हेतु कौन से मानदण्ड अपनाए गए;

(ग) क्या ऐसे संसद सदस्यों की सिफारिशों पर केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश दिया गया है जिनके निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे विद्यालय नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संसद सदस्यों द्वारा की गई कितनी सिफारिशों को अस्वीकृत कर दिया गया है तथा इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में 758 बच्चों के लिए आदेश जारी किए हैं।

(ख) विवेकाधीन कोटा के लिए ऐसे बच्चों की संख्या सीटों के राज्यवार आवंटन पर आधारित है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) संसद सदस्यों की 184 सिफारिशों को स्वीकर नहीं किया गया क्योंकि ये केन्द्रीय विद्यालयों में ऐसे बच्चों के दाखिले के लिए थीं जो या तो संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र/राज्य से बाहर के थे अथवा जवाहर नवोदय विद्यालयों के बच्चों से संबंधित थीं।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय शिक्षा का विस्तार

337. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय शिक्षा के विस्तार हेतु अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और छोटे विश्वविद्यालयों के वित्तपोषण हेतु मांगें किस सीमा तक पूरी होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह निहित है कि संस्थाओं में चहुंमुखी सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव सुविधाओं के समेकन और विस्तार पर दिया जाएगा।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों ने दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से विभिन्न विधाओं में बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस प्रकार देश के प्रत्येक भाग में उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी पात्र विश्वविद्यालयों को निर्धारित मानदण्डों और सहायता पैटर्न के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि

338. **श्री राजो सिंह:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन [illegible] प्रत्येक वर्ष तथा जून, 2000 तक राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में उक्त कार्यक्रम के उचित क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) 1997-98 और 1998-99 के दौरान पूर्ववर्ती समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान जून, 2000 तक वर्तमान स्व-रोजगार कार्यक्रम अर्थात् स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राज्य-वार केन्द्रीय निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन के लिए व्यापक तथा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दिशा-निर्देशों में मुख्य गतिविधियों का चयन, स्वसहायता समूहों का गठन तथा उनकी क्षमता बढ़ाने, ऋण, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास, प्रौद्योगिकी तथा विपणन जैसे कार्यक्रम के विभिन्न घटकों का विस्तृत वर्णन किया गया है। राज्यों में कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:-

(1) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य, जिला तथा ब्लाक स्तरों पर सतर्कता और निगरानी समितियां बनाई गई हैं। स्थानीय संसद सदस्य तथा विधायक जिला एवं ब्लाक स्तरीय समितियों के सदस्य होते हैं।

(2) प्रत्येक राज्य में राज्य/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्त्ताओं और बैंक कर्मचारियों को कार्यक्रम के बारे में प्रशिक्षण और जानकारी देने के कार्य किए जा रहे हैं।

(3) स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार मेलों में भी भाग लेते हैं।

(4) राज्य स्तर पर कार्यक्रम की मासिक, छमाही तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर नियमित निगरानी की जाती है।

(5) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में भी कार्यक्रम की समीक्षा की जाती है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियां

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	समन्वित ग्रामीण विकास		स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार.	
		1997-98 केन्द्रीय रिलीज	1998-99 केन्द्रीय रिलीज	1999-2000 केन्द्रीय रिलीज	2000-2001 केन्द्रीय रिलीज
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5434.85	3870.32	8372.804	1709.91
2.	अरूणाचल प्रदेश	424.45	202.78	92.139	15.14
3.	असम	1728.48	5246.36	3606.834	-

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	4954.02	6608.31	11918.05	–
5.	गोआ	53.97	24.43	59.78	–
6.	गुजरात	2097.64	1455.67	2903.055	69.73
7.	हरियाणा	593.06	692	1784.177	133.04
8.	हिमाचल प्रदेश	225.68	323.26	719.741	–
9.	जम्मू कश्मीर	499.9	319.2	411.685	–
10.	कर्नाटक	2542.58	2439.51	2348.33	–
11.	केरल	1249.35	1346.69	2083.346	–
12.	मध्य प्रदेश	5316.69	6421.25	10857.33	525.52
13.	महाराष्ट्र	4566.8	5772.63	9284.113	939.35
14.	मणिपुर	206.72	87.76	119.097	–
15.	मेघालय	186.29	144.49	131.516	–
16.	मिजोरम	140.97	104.25	58.152	–
17.	नागालैंड	208.71	86.7	102.087	–
18.	उड़ीसा	3404.37	4384.65	7222.672	725.00
19.	पंजाब	484.23	416.18	664.977	–
20.	राजस्थान	2080.12	2084.45	3566.336	810.14
21.	सिक्किम	49.92	90.57	68.38	47.07
22.	तमिलनाडु	4959.13	3463.58	7548.455	1511.94
23.	त्रिपुरा	429.01	635.03	488.117	–
24.	उत्तर प्रदेश	10077.72	13889.5	14509.837	–
25.	पश्चिम बंगाल	2383.83	2321.76	3952.84	–
26.	अंडमान निकोबार	41.7	63	29.90	–
27.	दादरा व नगर हवेली	31.13	21.88	29.89	–
28.	दमन व दीव	28.91	13.72	29.89	–
29.	लक्षद्वीप	17.78	3.43	29.89	–
30.	पांडिचेरी	83.52	29.93	29.89	–
	एन.वाई.के.एस.	–	–	200.00	–
	कुल:	54501.53	62563.29	93223.31	6486.84

*नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा असम में विशेष परियोजना के कार्यान्वयन के लिए।

[अनुवाद]

जे.आर.वाई. के अन्तर्गत प्रखंडों का शामिल किया जाना

339. श्री दिलीप संघाणी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी प्रखंडों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और प्रखंड-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शेष प्रखंडों को कब तक शामिल कर लिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) से (ख) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) जिला स्तरीय पंचायत, मध्य स्तरीय पंचायत तथा ग्राम पंचायत के जरिए दिल्ली [illegible]गढ़ के संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में कार्यान्वित [illegible] है। उनके द्वारा 15:15:70 के अनुपात में निधियों का उपयोग किया गया था। इसलिए जे.आर.वाई. देश के ग्रामीण ब्लाकों में कार्यान्वित थी। अप्रैल 1999 से जे.आर.वाई. को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में पुनर्गठित, कारगार तथा पुनःनामित किया गया है। अब समस्त निधियां (100 प्रतिशत) ग्राम पंचायतों को आबंटित की जाती हैं क्योंकि योजना ग्राम सभा के परामर्श से ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पुनर्गठित जे.आर.वाई. का उद्देश्य ग्राम स्तर पर आवश्यकता आधार पर ग्रामीण ढांचे का सृजन करना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसंधान और विकास

340. श्री राशिद अलवी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनुसंधान और विकास अत्यन्त लक्ष्यहीन है और कुछ बिना किसी विशेष समयसीमाबद्ध उद्देश्यों के यह चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) जी नहीं। देश में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां मुख्यतः विभिन्न वैज्ञानिक विभागों/ऐजेन्सियों द्वारा उनकी प्रयोगशालाओं, स्वायत्तशासी तथा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से की जाती हैं। अनुसंधान एवं विकास प्रयास लक्ष्य को सामने रखकर किए जाते हैं और इनका उद्देश्य स्पष्ट होता है। देश में अनुसंधान एवं विकास प्रयास का, विशिष्ट समय-निर्धारित उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए, कठोर सतत समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से, लगातार अनुवीक्षण किया जाता है।

दिल्ली में अवैध निर्माणों को गिराने का अभियान

341. श्री प्रियरंजन दासमुंशी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अवैध निर्माणों के गिराए जाने के संबंध में जनता तथा उनके प्रतिनिधियों द्वारा गंभीर विरोध प्रकट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों में कौन-कौन से मुख्य मुद्दे उठाये गये हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने भवन निर्माण कानून का उल्लंघन करने पर कुछ डी.डी.ए. फ्लैटों/प्लाटों का आबंटन निरस्त कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार डी.डी.ए. फ्लैटों/प्लाटों के आबंटियों द्वारा अवैध निर्माण को हटा दिए जाने पर आबंटन को निरस्त करने के अपने निर्णय को वापस लेने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार के विचार में कि यह बीमारी पूरे देश में फैल गई है तथा इसके विरुद्ध कदम उठाए जाने की आवश्यकता है;

(ज) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ञ) क्या इस प्रकार के अभियान अन्य राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य में प्रारंभ किया गया है; और

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) स्थानीय निकायों/डी.डी.ए. द्वारा उनके अधिनियमों/नियमों के अनुसार अनधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों को हटाने संबंधी की गई कार्रवाई के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि इन अनधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों के विरुद्ध भी कुछ लोगों ने अभ्यावेदन किया है और उन्हें हटाने के लिए कहा है। इस मामले को हल करने के लिए दिनांक 25-6-2000 को कुछ रेजिडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें उनसे 31-7-2000 तक अपने विशिष्ट प्रस्ताव देने के लिए कहा गया था। तब से डी.डी.ए. फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण को गिराने की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए शिकायतकर्त्ताओं, वास्तुकों, दुखी पार्टियों, व्यवसायिकों आदि के विचारों पर गौर किया जाएगा।

(ग) से (च) जी, हां। डी.डी.ए. ने 45 फ्लैटों और 72 प्लाटों का आबंटन रद्द किया है। तथापि, 12 प्लाट धारकों द्वारा अनधिकृत निर्माण हटाने के बाद उन्हें प्लाट लौटा दिए गए हैं।

(छ) से (ट) राज्यों के शहरी और आवास मंत्रियों के साथ 26-27 जून, 2000 को हुई बैठक में सरकारी भूमि पर बढ़ते हुए अतिक्रमण की समस्या पर विचार किया गया और इस बात पर बल दिया गया कि सभी राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों को बढ़ते हुए अतिक्रमण और भूमि/भवन निर्माण ''माफिया'' की गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।

आदर्श नगर निगम अधिनियम बनाना

342. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक आदर्श नगर निगम अधिनियम बनाने का निर्णय किया है जो राज्यों के लिए पथ-प्रदर्शक के रूप में कार्य कर सके;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों के एक दल को भेजने का निर्णय किया है जो राज्यों का दौरा करेगा और 74वें संविधान संशोधन को कार्यान्वित करने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महापौरों के हाल ही के राष्ट्रीय सम्मेलन में महापौरों ने यह शिकायत की कि उन्हें कोई अधिकार और विशेषाधिकार नहीं दिये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राज्यों ने राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया था;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या तथ्य है; और

(ज) 74वें संविधान संशोधन को पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) नई दिल्ली में 29-30 अप्रैल, 2000 को आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में महापौरों के साथ विचार-विमर्श के बाद राज्य सरकारों के लिए पथ-प्रदर्शक के रूप में काम करने के लिए एक आदर्श नगरनिगम अधिनियम तैयार करने का निर्णय लिया गया। इसी बीच एक आदर्श नगरनिगम अधिनियम तैयार करने के लिए वित्तीय संस्थान सुधार तथा विस्तार (एफ.आई.आर.ई.) परियोजना के तहत अध्ययन आरंभ किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न के उत्तर के भाग (क), (ख) एवं (ग) में उद्धृत दो दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में शहरी विकास और पालिका प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में उपस्थित महापौरों ने मौजूदा नगरपालिका कानूनों के अन्तर्गत उनको दिए गए अपर्याप्त अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी उठाए। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पर्याप्त प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां दी जाएं ताकि वे लोगों की आशाओं को पूरा कर सकें।

(च) और (छ) शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों द्वारा गठित राज्य वित्त आयोगों में से अधिकांश ने संबंधित राज्यों के राज्यपालों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित करने की कार्रवाई कर रही हैं। नगरपालिका राज्य का विषय होने के कारण राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्णय संबंधित राज्य सरकार द्वारा लिया जाना है।

(ज) संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1 जून, 1993 को लागू हुआ। अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार राज्य पालिका कानूनों को संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाने के लिए उन्हें अधिनियम लागू होने की तारीख से

एक वर्ष के अन्दर संशोधित किया गया। बिहार और पाण्डिचेरी, जहां मुकदमों के कारण चुनाव नहीं हो सके, के अलावा अन्य सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में नगर पालिका चुनावों का पहला दौर समाप्त हो चुका है। भारत सरकार संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रही है। इस प्रयोजनार्थ शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली, हैदराबाद, मुम्बई और कलकत्ता में निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षेत्रीय सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2000 में नई दिल्ली में पालिका प्रशासन तथा शहरी विकास मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में राज्य सरकारों से संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए कहा गया।

[हिन्दी]

इन्दिरा आवास योजना

343. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "इन्दिरा आवास योजना" के अन्तर्गत [illegible]नों की गुणवत्ता की जांच करने हेतु कोई मशीनरी [illegible]त की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने भवन घटिया गुणवत्ता वाले पाये गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रारंभ से ही लाभार्थियों को स्वयं ही मकानों का निर्माण करना होता है। निर्माण के लिए लाभार्थी स्वयं ही व्यवस्था कर सकते हैं और स्वयं ही कुशल श्रमिकों में शामिल हो सकते हैं तथा लाभार्थियों को अपने ढंग से मकानों का निर्माण करने की पूर्ण आजादी है।

मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम की नियमित निगरानी के अलावा योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, जिसने 1992-93 में इंदिरा आवास योजना का तीव्र अध्ययन किया था, द्वारा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है योजना आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों के 86.4 प्रतिशत पर लोगों का कब्जा है और वे इनमें रह रहे हैं। पुन: परिवारों के लगभग 84 प्रतिशत ने इंदिरा आवास योजना के मकानों के प्रति संतोष/आंशिक संतोष व्यक्त किया। इंदिरा आवास योजना के प्रति उनके संतोष का मुख्य कारण सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं "जीवन के रहन-सहन के अनुकूल", "अच्छा निर्माण" आदि का होना है।

(ग) जैसे ही अनियमितताएं ध्यान में आती हैं वैसे ही ग्रामीण विकास मंत्रालय समुचित कार्रवाई के लिए संबधित राज्य सरकार के साथ मामले को उठाता है।

[अनुवाद]

एन.सी.ई.आर.टी. की शाखा

344. डॉ. वी. सरोजा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का एक शाखा कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की योजना कोई शाखा कार्यालय खोलने की नहीं है। तथापि, बंगलौर में इसका एक उत्पादन-सह-वितरण केन्द्र है जो दक्षिणी राज्यों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की पुस्तकों की आपूर्ति को पूरा करता है।

कारगिल में ग्रामीणों का पुनर्वास

345. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कारगिल के गांवों के आस-पास रहने वाले कितने परिवारों के मकान कारगिल युद्ध में तबाह हो गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन विस्थापित लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन लोगों को पुनर्वास प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) राज्य सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार हाल ही के कारगिल संघर्ष में सीमा पार से हुई गोलाबारी/शैलिग के कारण कारगिल से लगभग 3574 परिवार, लेह से 540 परिवार और जम्मू से 20000 परिवार विस्थापित हो गए थे। इन परिवारों के पुनर्वास के आशय से, राज्य सरकार ने एक राहत पैकज की घोषणा की। कारगिल और लेह के लिए घोषित राहत पैकज में मुख्य मदें निम्नानुसार हैं:-

- प्रत्येक ऐसे घर/परिवार, जिन पर सीमा से भारी गोलाबारी हुई हो, को बी.ए.डी.पी./ई.ए.एस. के अधीन बंकर का निर्माण करने हेतु 20,000/-रु.।

- उन गांवों के निवासियों, जिनकी फसल पूर्णत: नष्ट हो चुकी हो, को 7 कि.ग्रा. चावल तथा 2 कि.ग्रा. आटा प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से नि:शुल्क राशन।

- उन गांवों के निवासियों, जिनकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई हो, को 200/- प्रतिमाह की दर से अनिवार्य वस्तुओं हेतु नगद राहत।

- प्रति परिवार प्रतिमाह 10 लिटर की दर से नि:शुल्क मिट्टी का तेल।

- गंभीर रूप से प्रभावित उन गांवों में रह रहे परिवारों, जहां किसानों द्वारा फसलों की बुआई/उगाई करना संभव न हो सका हो, को बड़े पशु के लिए 150/-रु. तथा छोटे पशु के लिए 30/-रु. प्रतिमाह की दर से चारे के लिए नकद राहत, लेकिन इसकी अधिकतम राशि 1000 रु. प्रतिमाह प्रति परिवार है।

- द्रास, कारगिल और बटालिक सैक्टरों में उन 16 अत्यंत असुरक्षित गांवों में रहने वाले परिवारों, जिन्हें लगातार बमबारी होने के कारण भविष्य में घर छोड़कर अन्यत्र जाना पड़े को 200 रु. प्रतिमाह की दर से मकान भाड़ा।

- सीमा पर बमबारी होने के कारण मृत्यु के मामले में एक लाख रुपये की दर से अनुग्रह राहत तथा अचल सम्पत्ति के नुकसान होने की स्थिति में, आँकलन के 50% की दर के भुगतान लेकिन उसकी प्रति मामले में अधिकतम राशि एक लाख रुपये होगी।

- विस्थापित हो गए व्यक्तियों को दवाओं की लागत समेत नि:शुल्क चिकित्सा, जब तक कि वे अपने घरों को वापस नहीं चले जाते तथा सीमावर्ती इलाकों में उन परिवारों को बुआई के अगले सत्र तक पशुधन के लिए भी नि:शुल्क चिकित्सा जो सीमा पर बमबारी/गोलीबारी होने के कारण फसल की बुआई/उगाई न कर सके हों।

- सीमावर्ती गांवों में रह रहे 14 वर्ष से अधिक की आयु के सभी पुरुषों को पहचान-पत्र जारी करना।

इस मद के लिए राज्य सरकार को राष्ट्रीय रक्षा निधि और केन्द्रीय सरकार की निधियों से प्रतिपूर्ति की जा रही है।

कारगिल और लेह जिलों के सभी विस्थापित व्यक्ति अब अपने घरों को वापिस लौट चुके हैं।

कोयला खनन में निजी भागीदारी

346. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयला खनन और लिग्नाइट में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए व्यापक सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए विनियामक ढांचा तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो इस समीक्षा के क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है;

(च) क्या इस संबंध में लागू कानूनों में संशोधन किया गया है;

(छ) यदि हां, तो कोयला क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी हेतु कितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है;

(ज) इन निजी कंपनियों द्वारा प्रत्येक वर्ष कितना कोयला निकाले जाने की संभावना है; और

(झ) निजी क्षेत्र द्वारा कोयला क्षेत्र में भागीदारी हेतु अन्य क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन बिल, 2000, जो 24.4.2000 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 में निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु संशोधन की मांग करता है:-

(1) भारतीय कोयला कंपनियों को ग्रहीत खपत के मौजूदा प्रतिबंध के बिना कोयला और लिग्नाइट के खनन की अनुमति देना।

(2) भारतीय कंपनियों को, देश में कोयला और लिग्नाइट संसाधनों के अन्वेषण में लगाना।

(ग) से (ञ) भारत में "कोयला उद्योग के विनियामक ढांचे की समीक्षा" परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋण के साथ, निम्नलिखित उद्देश्यों से ली गई थी:-

(1) खनन पर्यावरणीय और श्रम कानून, विनियम एवं नियंत्रण पद्धतियां, जिनके अंतर्गत कोयला उद्योग प्रचालनरत है; की समीक्षा;

मुख्य कोयला उत्पादक देशों में खनन प्रचालनों में शासी खनन, पर्यावरणीय और श्रम कानूनों एवं विनियमों की समीक्षा; और

(3) भारत में कोयला खनन हेतु विनियामक ढाँचे में सुधारों के लिए सिफारिश।

परियोजना के अन्तर्गत परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत की गई अन्तिम रिपोर्ट में भारतीय कोयला क्षेत्र में विभिन्न सुधारों का सुझाव देते हुए कई सिफारिशें की गई हैं। कोयला मंत्रालय ने रिपोर्ट में उचित सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की है। इस कार्य योजना के क्रियान्वयन में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन बिल, 2000 के प्रावधानों में कोई परिवर्तन अंतर्निहित नहीं है। संसद द्वारा बिल के अनुमोदन की अवस्था में, भारतीय कंपनियों की कोयला और लिग्नाइट के अग्रहीत खनन तथा उनके द्वारा कोयला और लिग्नाइट संसाधनों के अन्वेषण में भागीदारी हेतु क्षेत्रों का कोई विशेष आरक्षण नहीं किया गया है। इस बिल में, अग्रहीत कोयले एवं लिग्नाइट खंडों की अवस्थिति और मात्रा निर्धारित करने तथा कोयला एवं लिग्नाइट के अग्रहीत खनन हेतु अन्य आवश्यक निबंधन और शर्तें निर्धारित करने के लिए केन्द्र सरकार को अधिकार देने का प्रावधान भी है। भारतीय कंपनियों द्वारा अग्रहीत खनन में निकाले जाने वाले कोयले की मात्रा इस प्रयोजन हेतु निजी निवेश की मात्रा पर निर्भर होगी।

अनधिकृत निर्माण को गिराया जाना

347. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनधिकृत निर्माण को गिराने के संबंध में डी.डी.ए. फ्लैटों के आबंटियों को रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आर.डब्ल्यू.ए.) के अध्यक्षों और उनके बीच हाल ही में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों/सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनें बड़े और छोटे अतिक्रमणों के बारे में कुछ सुझाव देना चाहती थी। उनके अनुरोध पर नए अवैध निर्माण के मामलों को छोड़कर डी.डी.ए. फ्लैटों में अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही कार्रवाई 31 जुलाई, 2000 तक रोक दी गई है।

दूसरी ओर जिन लोगों को डी.डी.ए. फ्लैटों में अवैध निर्माण के कारण परेशानी हुई है, उनसे भी अनुरोध मिले हैं। ये अनुरोधकर्ता कार्रवाई जारी रखवाना चाहते हैं। यह कार्रवाई निम्नलिखित के संबंध में की जा रही थी:-

(1) जहां सार्वजनिक स्थान को घेरकर निर्माण किया गया।

(2) फ्लैट/निर्माण का व्यापारीकरण कर लिया गया।

(3) जहां छत पर अतिरिक्त मंजिल अथवा कमरा बना लिया गया।

(4) जहां पड़ोसी ने अपनी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के बारे में तर्क सहित शिकायत की है।

(5) जहां दो अथवा अधिक फ्लैटों को मिला दिया गया है।

मामले पर अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए 31 जुलाई, 2000 के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी:-

(1) रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशनों द्वारा दिए जाने वाले सुझाव।

(2) उन लोगों के अनुरोध, जिन्हें अवैध निर्माण के कारण परेशानी हुई है।

(3) व्यवसायिकों के विचार।

(4) ग्रुप हाउसिंग फ्लैटों की इंजीनियरी सुरक्षा और वास्तु सम्पूर्णता।

जे.एच.आर.एस. के तहत फ्लैट्स

348. डॉ. बलिराम: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जे.एच.आर.एस. 1996 (सामान्य) योजना के तहत जनता फ्लैट्स के लिए कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया;

(ख) इस योजना के तहत कितने व्यक्तियों को अब तक जनता फ्लैट्स आबंटित किए गए हैं; और

(ग) कितने व्यक्तियों को अभी फ्लैट्स आबंटित किए जाने हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) डी.डी.ए. ने सूचित किया है कि जनता आवास पंजीकरण स्कीम 1996 के अन्तर्गत जनता फ्लैट के आबंटन के लिए 20,000 व्यक्तियों को पंजीकृत किया गया।

(ख) अब तक 7,088 पंजीकृतों को जनता फ्लैट के आबंटन हो गए हैं।

(ग) इस स्कीम के अन्तर्गत अभी 12,912 पंजीकृत को फ्लैट आबंटित किए जाने हैं।

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक सहायता

349. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र राज्य सरकारों तथा नगरपालिका, सरकारी एजेन्सियों की मदद करने के लिए 49 मिलियन डालर का अंतरिम न्यास निधि ऋण देने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ऋण राशि कब तक जारी किये जाने की संभावना है;

(ग) उक्त ऋण राशि किन-किन राज्यों को उपलब्ध कराये जाने की संभावना है;

(घ) क्या राज्य सरकारों का दायित्व इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का भी होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) परियोजना के कार्यान्वयन का समय 2000 से 2005 तक है।

(ग) अभी तक उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा और गुजरात राज्य की इस ऋण का हिस्सा लेने की योजना है।

(घ) और (ङ) जी, हां। राज्य सरकारें, मानव विकास और अवस्थापना के 90 प्रतिशत से अधिक प्रावधान के लिए जिम्मेदार है, उनके प्रयास गरीबी को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस परियोजना के ज़रिए तकनीकी सहायता निधियां पहले उन राज्यों को मिलेगी जिन्होंने सुधार करने का वादा किया है। तथापि केन्द्रीय और म्युनिसिपल सरकारी एजेंसियां भी उस निधि के लिए आवेदन की पात्र हैं, जिसका उद्देश्य गरीबी की मानिटरिंग में सुधार, सिविल सेवा में सुधार और स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी सेवाएं देना है।

नक्सलवादी गतिविधियां

350. श्री नरेश पुगलिया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सलवाद से प्रभावित राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में नक्सलवादी गतिविधियों की रोकथाम करने और उन्हें समाप्त करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और केन्द्र सरकार इस कार्ययोजना को कब तक स्वीकृति प्रदान कर देगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) वामपंथी गतिविधियों की समीक्षा के लिए की गई

विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में, राज्यों से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में, महसूस की जा रही समस्याओं के विकासात्मक और सुरक्षा पहलुओं को सम्मिलित करके एकीकृत कार्य योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया है। आन्ध्र प्रदेश (1299.77 करोड़ रु.) मध्य प्रदेश (615 करोड़ रु.), उड़ीसा (254.98 करोड़ रु.), और महाराष्ट्र (838 करोड़ रु.) की योजनाओं को संस्तुत करके योजना आयोग को भेजा गया था। बिहार सरकार ने 27,334.39 करोड़ की धनराशि की कार्य योजना भेजी थी जिसे धनराशि और कतिपय ब्यौरे सम्मिलित करने के बारे में पुनर्विचार करने हेतु राज्य सरकार को वापिस भेज दिया गया है। उन राज्यों, जिनकी योजनाओं को संस्तुत करके योजना आयोग को भेजा गया है, से मामले को आगे बढ़ाने के लिए योजना आयोग के साथ सम्पर्क करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु दिशानिर्देश

351. श्री राधा मोहन सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को एक ही समूह में वर्गीकृत करके और उनकी परस्पर प्राथमिकता समाप्त करके प्रवेश के लिए अपने दिशानिर्देशों में परिवर्तन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अपने ताखिला संबंधी दिशानिर्देशों में परिवर्तन किया है। पारस्परिक प्राथमिकता के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को दो श्रेणियों अर्थात् स्थानांतरणीय (श्रेणी 1) और गैर-स्थानांतरणीय (श्रेणी 2) में रखा गया है। सिविल/रक्षा क्षेत्रों के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालयों में प्राथमिकताओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. भूतपूर्व सैनिकों सहित स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे,
2. गैर-स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे,
3. भारत सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उच्च अध्ययन संस्थाओं के स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे,
4. राज्य सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे,
5. राज्य सरकार के गैर-स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे,
6. राज्य सरकार के स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, उच्च अध्ययन संस्थाओं के स्थानांतरणीय और गैर स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे,
7. किसी अन्य श्रेणी के बच्चे।

प्रवेश प्राथमिकताओं को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लक्ष्यों के अनुरूप लाने के लिए तथा प्रवेश प्रक्रिया में सम्पूर्ण सुधार लाने के लिए उपर्युक्त परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया था।

[अनुवाद]

पत्रकारों द्वारा सूचनाओं का आदान-प्रदान करना

352. श्री आर.एल. भाटिया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आतंकवादी गतिविधियों को सीमित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की सहायता करने हेतु पत्रकारों पर ऐसी गतिविधियों के संबंध में जुटाई गई/प्राप्त की गई जानकारियों को सुरक्षा एजेंसियों को उपलब्ध कराने के लिए उन्हें बाध्य करने वाले एक विधेयक को लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के कानून को कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) विधि आयोग द्वारा तैयार किए गए आतंकवाद निवारण विधेयक, 2000 के मसौदे में, इस प्रकार के उपबन्ध हैं, जिनके तहत विधेयक के अंतर्गत परिभाषित किसी अपराध के बारे में सूचना बताना प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी बतायी गयी है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1860 और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में भी इसी प्रकार के उपबन्ध मौजूद है। सरकार ने इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों पर सभी राज्य सरकारों के विचार मांगे हैं। सरकार, इस मामले में अंतिम मत निर्धारित करने से पूर्व राजनैतिक पार्टियों, अन्य ग्रुपों इत्यादि के साथ विचार-विमर्श करेगी। इस आशय की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है कि विधेयक को संसद द्वारा विचारण के लिए कब प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

मुआवजे की राशि में बढ़ोत्तरी

353. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार डी.डी.ए. द्वारा अधिगृहीत भूमि के लिए दिये जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण किसानों को इस समय उनकी अधिगृहित भूमि के बदले किस दर पर मुआवजे का भुगतान कर रहा है और मुआवजे की राशि किस तारीख से संशोधित की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि गुण-दोष आधार पर जांच हेतु इस बारे में दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(च) भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा भूमि अधिगृहित की जाती है और उसके बाद विकास हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) को सौंप दिया जाता है। डी.डी.ए. सीधे भूमि अधिगृहित नहीं कर रहा है। तथापि, दिल्ली सरकार ने भूमि अधिगृहित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:-

कृषि भूमि (अग्रिम बन्द के बीच नवीतल में स्थित भूमि को छोड़कर) का न्यूनतम इंगित मूल्य अग्रिम बन्द के बीच नदीतल में स्थित भूमि के लिए प्रति एकड़ 11.20 लाख रुपये और प्रति एकड़ 3.60 लाख रुपये है। दरों को अंतिम बार 24.9.98 को संशोधित किया गया और यह 1-4-1998 से प्रभावी है।

[अनुवाद]

इंजीनियरिंग कालेजों को आई.आई.टी. का दर्जा देना

354. श्री ए. ब्रह्मनैया:
श्री साहिब सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्पूर्ण देश में वर्तमान क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों को आई.आई.टी. के समान संस्थान में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ सलाहकार समिति द्वारा कौन-कौन से कालेज सुझाए गए हैं; और

(ग) इन इंजीनियरिंग कालेजों को आई.आई.टी. का दर्जा कब तक देने की संभावना है और इन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित एक सलाहकार समिति ने अनुशंसा की है कि सूचना प्रौद्योगिकी में उच्चतर अध्ययन एवं उत्कृष्टता वाले और अधिक संस्थान खोले जाने चाहिएं जो आई.आई.टी. स्तर के हों तथा उन प्रमुख इंजीनियरी कॉलेजों, जहां पहले से ही अच्छी सुविधाएं हैं, को स्तरोन्नत करने पर विचार किया जा सकता है। समिति ने स्तरोन्नयन हेतु सभी क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों समेत कुछ इंजीनियरी कॉलेजों को भी अभिनिर्धारित किया है। समिति के सुझावों पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

एक अतिरिक्त मंजिल बनाना

355. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मल्होत्रा समिति की सिफारिशों पर दिल्ली में साढ़े तीन मंजिल तक एक और मंजिल बनाने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत, जल, पार्किंग स्थल, वर्तमान सीवर लाइन पर पड़ने वाले भार को, इस प्रकार की स्वीकृति देने से पहले ध्यान में रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली में जल और विद्युत की भारी कमी है; और

(ङ) यदि हां, तो झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों, अनधिकृत कालोनियों आदि द्वारा खम्भे से विद्युत की चोरी, जिससे वास्तविक उपभोक्ताओं को बिजली की अनुपलब्धता बनी रहती है, को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आलोक में सरकार ने दिनांक 23.7.1998 की अधिसूचना द्वारा संलग्न विवरण के अनुसार एफ.ए.आर., आवासीय एककों की संख्या एवं अधिकतम ऊँचाई बढ़ा दी है। यह ले-आऊट प्लान, इत्यादि के संबंधित डी.एम.सी. अधिनियम के अधीन है।

(ग) जी, हां। इस मंत्रालय के दिनांक 25.9.98 के पत्र सं.-के-12016/5/79-डी.डी.आई.ए./वी.ए./आई.बी. एवं दिनांक 7.6.2000 की अधिसूचना के द्वारा दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(घ) 800 एम.जी.डी. पेयजल की आवश्यकता की जगह केवल 640 एम.जी.डी. पेयजल उपलब्ध है, इस प्रकार कमी हो रही है।

अति आवश्यकता (पीक आवर्स) में 2670 मेगावाट की आवश्यकता के विपरीत टी. एंड डी. नुकसान, कम वोल्टेज एवं लो फ्रीक्वेंसी के कारण कमी हो जाती है।

(ङ) दिल्ली विद्युत बोर्ड ने ऊर्जा की चोरी सहित अन्य नुकसानों को घटाने के लिए कदम उठाए हैं। दिसम्बर, 1998 से जून, 2000 की अवधि के दौरान दिल्ली विद्युत बोर्ड ने झुग्गी-झोंपड़ी समूहों सहित पूरी दिल्ली में 98642 कनेक्शनों की जांच की है एवं चोरी के लिए 23467 मामले दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 40874 अनधिकृत टैपिंग्स हटा दिए गए हैं।

विवरण

आवासीय प्लॉट-प्लॉटिड आवास

क्र.सं.	प्लाट का क्षेत्र (वर्ग मी.)	सर्वाधिक भूमि क्षेत्र	एफ.ए.आर.	आवासीय एककों की संख्या	सर्वाधिक ऊँचाई (मीटर में)
1	2	3	4	5	6
1.	32 से नीचे	75	225	1	12.5
2.	32 से ऊपर 50 तक	75	225	2	12.5
3.	50 से ऊपर 100 तक	75	225	3	12.5
4.	100 से ऊपर 250 तक	66.66	200	3	12.5
5.	250 से ऊपर 500 तक	50	150	3 (4)	12.5
6.	500 से ऊपर 1000 तक	40	120	6 (8)	12.5
7.	1000 से ऊपर 1500 तक	33.33	100	6 (8)	12.5
8.	1500 से ऊपर 2250 तक	33.33	100	9 (12)	12.5
9.	2250 से ऊपर 3000 तक	33.33	100	12 (16)	12.5
10.	3000 से ऊपर 3750 तक	33.33	100	15 (20)	12.5
11.	3750 से ऊपर	33.33	100	18 (24)	12.5

24 मीटर एवं इससे अधिक वाली सड़क की ओर के 250 वर्ग मीटर से अधिक वाले आवासीय प्लॉटों के मामले में एफ.ए.आर. सर्वाधिक भूतल क्षेत्र के हिसाब से बढ़ाई जाएगी; महत्तम ऊँचाई 15 मीटर होगी; एवं आवासीय एककों की संख्या कोष्ठक में दिए अनुसार होगी।

2. आवासीय प्लॉट-समूह आवास
अधिकतम एफ.ए.आर.—167
अधिकतम ऊँचाई—33 मीटर

अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर कर (ले भी) और/या अतिरिक्त एफ.ए.आर. के लिए विकास शुल्क समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार लिया जाएगा।

[हिन्दी]

कोयला खानों को बिहार राज्य खान विकास निगम को सौंपना

356. श्री मोहम्मद अनवारूल हक: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) की बहुत-सी कोयला खानों को बिहार राज्य खान विकास निगम को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं।

(ख) कोयला मंत्रालय ने बिहार सरकार को सूचित किया था कि सैंट्रल कोलफील्ड्स लि. के कमांड क्षेत्र में निम्नलिखित नौ खानों/खंडों को बिहार सरकार के उपक्रम बिहार राज्य खनिज विकास निगम (बी.एस.एम.डी.सी.) को पट्टे पर दिए जाने पर कोल इंडिया लि. को कोई आपत्ति नहीं है:-

(1) जगलदगा

(2) जयन्ती सेन्ट्रल

(3) जयन्ती खास

(4) यजन्ती जैन

(5) विलार्डस

(6) विलार्डस (पी) लि. 1

(7) विलार्डस (पी) लि. 2

(8) बेलगारा

(9) सदामपुरा

बिहार सरकार को जगलदगा खानों का पट्टा 17.6.99 को सौंपा गया, जबकि जयन्ती सैंट्रल और जयन्ती खास खानों के पट्टे 26.6.2000 को सौंपे गये। खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957, की धारा 5(1) के अंतर्गत विलियर्डस खान के संबंध में भी खान पट्टे के अनुदान के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन सूचित कर दिया गया था। खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार शेष खानों/खण्डों के बारे में आवश्यक कार्रवाई बिहार राज्य खनिज विकास निगम द्वारा अभी की जानी बाकी है।

(ग) इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मकानों का निर्माण

357. श्री ए. नरेन्द्र:
डॉ. जसवंत सिंह यादव:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 20 लाख अतिरिक्त मकानों के निर्माण हेतु शुरू किए गए कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तरी राज्यों का निष्पादन अपेक्षाकृत काफी निराशाजनक रहा है जबकि दक्षिणी राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने में बहुत अच्छा काम किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा आवास क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) दो मिलियन आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1998-99 और 1999-2000 के दौरान उत्तरी और दक्षिणी राज्यों की उपलब्धियां विवरण-I और II के रूप में संलग्न हैं। उत्तरी राज्यों से स्कीम की कम स्वीकृत के मुख्य कारण यह है कि उत्तरी राज्यों की सरकारें संभवत: अपने स्वयं के कार्यक्रमों के अनुसार स्कीमों को प्राथमिकता दे रहे हैं और क्योंकि उत्तरी राज्य सरकारी गारंटी भी नहीं दे रहे हैं।

(ग) और (घ) नई दिल्ली में 26-27 जून 2000 को आयोजित राज्य आवास मंत्रियों के सम्मेलन में इस कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था। यह निर्णय लिया गया कि मूलभूत, विशेषकर भूमि एवं नगर अवस्थापना स्कीम से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए प्रत्येक राज्य एक विशेष कार्य बल का गठन करेगा।

विवरण-I

2 मिलियन आवास कार्यक्रम

उत्तरी राज्यों की उपलब्धियां

		1998-99			1999-2000 (संचयी स्थिति)		
क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य	स्वीकृति	प्रगति पर/पूर्ण	लक्ष्य	स्वीकृति	प्रगति पर/पूर्ण
1.	जम्मू तथा कश्मीर	5382	0	0	5382	0	0
2.	पंजाब	8935	0	0	8935	0	0
3.	हरियाणा	6113	2046	0	6113	664	2710
	हिमाचल प्रदेश	1645	0	0	1645	0	0
	[illegible]स्थान	25071	0	0	25071	0	0
[illegible]	उत्तर प्रदेश	40995	44550	0	40995	0	8800
7.	बिहार	22535	383	45	22535	0	45
	कुल	110676	46979	45	110676	664	11555
प्रगति पर/पूर्ण किए गए का अखिल भारतीय प्रतिशत				0.12%			4.99%

विवरण-II

2 मिलियन आवास कार्यक्रम

दक्षिणी राज्यों की उपलब्धियां

		1998-99			1999-2000 (संचयी स्थिति)		
क्र.सं.	राज्य	लक्ष्य	स्वीकृति	प्रगति पर/पूर्ण	लक्ष्य	स्वीकृति	प्रगति पर/पूर्ण
1.	आन्ध्र प्रदेश	29388	33063	0	29388	34316	16835
2.	कर्नाटक	23923	133708	1840	23923	55900	38962
3.	केरल	12090	67568	26480	12090	64725	90260
4.	तमिलनाडु	33750	18142	0	33750	30600	19820
	कुल	99151	252481	28325	99151	185541	165877
	प्रगित पर/पूर्ण किए गए का अखिल भारतीय प्रतिशत:			73.82%			71.63%

विश्वविद्यालयों में फीस ढांचा

358. श्री सुबोध मोहिते: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों अथवा कॉलेजों के फीस ढांचे को तर्कसंगत बनाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों में फीस ढांचे के प्रारूप को तैयार करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित छात्रों को क्या सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कोयला खानों के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए योजनाएं

359. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खानों के नजदीक रहने वाले लोगों की पुनर्वास योजना के लिए सरकार द्वारा राज्यों को प्रतिवर्ष धनराशि जारी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य ऐसी राशि को पाने के अर्ह हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन्हें वास्तविक रूप से कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) इस संबंध में इस योजना के अनुसार उक्त राज्यों में वास्तविक रूप से कितना कार्य किया गया?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं। कोयला खानों के नजदीक रहने वाले लोगों के कल्याण और पुनर्वास योजनाओं के अन्तर्गत कोयला मंत्रालय, राज्यों हेतु कोई धनराशि जारी नहीं करता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

वर्षा के कारण खराब स्थिति

360. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानसून की पहली ही वर्षा ने न केवल संबद्ध विभागों की तैयारी की पोल खोली है बल्कि लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली की नगर निकायों की खोखली तैयारी तथा पैसे की बर्बादी की जांच करने तथा संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, यह सही है कि बरसात के कारण शहर के कुछ भागों में पानी का जमाव हुआ। एम.सी.डी. ने सूचित किया है कि शहर के विभिन्न स्थानों में 1173 नालों, 35746 बेल-माउथ, 42012 गली ग्रेटिंग, 2069 वर्टिकल चेम्बरों और 994.7 कि.मी. जल मल नालियों की सफाई करके इससे निपटने के लिए तैयारियां मार्च, 2000 से शुरू कर दी गई थी। कुल मिलाकर नालों से लगभग 7 लाख मीट्रिक टन गाद (सिल्ट) निकला एम.सी.डी. ने तिलक ब्रिज, मिंटो ब्रिज, शक्ति नगर अंडर ब्रिज सेतु तले सड़क (रोड अंडर ब्रिज) बदरपुर सेतु तल सड़क अशोक विहार और सेतु तले सड़क जखीरा जैसे निचले क्षेत्रों, जहां बाढ़ संभावना बनी रहती है, में अतिरिक्त मोबाइल पंप भी लगाए हैं। तथापि कुछ क्षेत्रों में पानी जमाव हुआ क्योंकि नालियां कूड़े से बंद हो कई थी अथवा बिजली आपूर्ति बंद हो गई। इकट्ठे हुए पानी को हटाने के लिए कार्रवाई की गई।

एन.डी.एम.सी. क्षेत्रों में नालियों के अवरुद्ध होने से भी कुछ समय के लिए पानी निकालने की कार्रवाई प्रभावित हुई।

(ख) नागरिक निकायों को अपनी तैयारियों में सुधार के लिए और निष्क्रियता के मामले में जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. में कोयले की कमी

361. श्री रघुनाथ झा: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1995 के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. में कोयला भंडार में कमी की जांच करने के लिए अनुशासनिक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) वर्ष 1995 के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) में कोयले के भंडार में कमी की जांच करने के लिये सरकार द्वारा किसी अनुशासनिक समिति का गठन नहीं किया गया था। तथापि, 7.10.94 को कोयला मंत्रालय द्वारा श्री आर.एन. मिश्रा, तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईकोलि की अध्यक्षता में सेकोलि में 1994-95 में कम कोयला प्रषण की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट, कोयला मंत्रालय को 5.1.96 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों की स्वीकृति, कोयला मंत्रालय द्वारा 3.6.96 को कोईलि ...चित की गई थी।

(ख) और (ग) आर.एन. मिश्रा समिति द्वारा कोई परियोजना प्रस्ताव नहीं किया गया था। इस समिति ने कुछ कार्यपालकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सिफारिशें की थीं। समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, की गई कार्रवाई पर 1.7.2000 को नवीनतम स्थिति रिपोर्ट इस प्रकार है:-

सी.सी.एल. (1.7.2000 की स्थिति के अनुसार) आर.एन. मिश्रा समिति रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई की स्थिति:-

उन मामलों की संख्या, जिनमें अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व कोयला अधिकारियों की मृत्यु हो गई अथवा वे सेवानिवृत्त हो गए।	-	39
उन मामलों की संख्या, जिनमें ऐसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई, जिसके लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।	-	26
उन मामलों की संख्या जिनमें आरोप-पत्र जारी करने के बाद अनुशासनिक कार्यवाही बंद कर दी गई।	-	2
उन मामलों की संख्या, जिनमें अनुशासनिक कार्यवाही पूरी कर लेने के बाद आरोपित किए गए।	-	139
उन मामलों की संख्या, जिनमें अनुशासनिक कार्यवाही पूरी कर लेने के बाद आरोप-पत्र प्राप्त अधिकारियों को आरोप-मुक्त कर दिया गया।	-	27
उन मामलों की संख्या, जिनमें अनुशासन संबंधी मामले अभी भी लंबित है।	-	18
उन मामलों की संख्या, जिन पर समिति की सिफारिशों के आधार पर संवीक्षा की गई।	-	261

बंगलौर शहर में भीड़-भाड़ कम करना

362. श्री जी.एस. बसवराज: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सैटेलाइट टाउनशिप्स का विकास करके बंगलौर शहर में भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रायोजित कर्नाटक शहरी मूलभूत ढांचा विकास परियोजना की क्या स्थिति है;

(ख) यदि हां, तो क्या तुमकर को इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले सैटेलाइट शहरों में से एक के रूप में पहचान की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस ऋण की निर्धारित बंद होने की तिथि 30 जून, 2002 है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इसके बंद होने से पहले मुख्य निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे; और

(च) यदि हां, तो तुमकर शहर के विकास हेतु परियोजना की क्या विशेषताएं हैं और इसके अंतर्गत कार्य की प्रगति क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) एशिया विकास बैंक (ए.डी.बी.) से सहायता प्राप्त कर्नाटक नगर अवस्थापना विकास परियोजना कार्यान्वयन चरण में है।

(ख) जी हां।

(ग) टुमकूर में के.यू.आई.डी.पी. के तहत विभिन्न घटक जल आपूर्ति और सीवरेज, कचरा प्रबंध, सड़कें, नालियां, ट्रक/बस अड्डा, गरीबी में कमी, औद्योगिक स्थल और सेवाएं हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) इसके बंद होने से पहले मुख्य निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाने की अपेक्षा है।

(च) टुमकूर में ली गई परियोजनाएं उपर्युक्त (ग) में दिए गए के अनुसार है। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कार्य की कुछ मदें पूरी कर ली गई हैं तथा शेष मदों पर कार्य चल रहा है और वर्ष 2000/2001 में पूरे होने की संभावना है।

प्रतिबन्धित संगठनों की गतिविधियां

363. श्री पोन राधाकृष्णन्: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे आतंकवादी संगठनों/राष्ट्र विरोधी गिरोहों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनकी गतिविधियों से प्रभावित राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रतिबन्धित किये गये अथवा किये जाने वाले आतंकवादी संगठनों/राष्ट्र विरोधी गिरोहों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन देशों के साथ आतंकवादी संगठनों/ राष्ट्र विरोधी गिरोहों को प्रदान की जा रही मदद/सहायता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) उनकी गतिविधियों को प्रभावी रूप से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) इस बारे में मुख्य चिन्ता, जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में उग्रवादी ग्रुपों की आपस में जुड़ी और बाहर से समर्थित विघटनकारी गतिविधियों पर केन्द्रित रही। ऐसी रिपोर्टें भी हैं कि कुछ उग्रवादी ग्रुपों पर पंजाब में उग्रवाद को पुनः जागृत करने के लिए दबाव पड़ रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में सक्रिय प्रमुख आतंकवादी गुट निम्नलिखित हैं और इनमें से कुछ को विदेशों से समर्थन मिल रहा है:-

1. हिजब-उल-मुजाहिद्दीन
2. हरकत-उल-मुजाहिद्दीन
3. लश्कर-ए-तोयबा
4. अल बर्क
5. जम्मू और कश्मीर लिब्रेशन फ्रन्ट
6. अल जेहाद
7. जमाएत-उल-मुजाहिद्दीन
8. तेहरीक-उल-मुजाहिद्दीन
9. तेहरीक-ए-जेहाद
10. अल-बदर
11. हरकत-उल-जेहाद-ए-इस्लामी
12. अल-उमर
13. बब्बर खालसा इन्टरनेशनल
14. दल खालसा इन्टरनेशनल
15. इन्टरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (रोड़े)
16. इन्टरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (चहेरू)
17. खालिस्तान कमाण्डो फोर्स (पंजवार)
18. खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स
19. खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स
20. खालिस्तान नेशनल आर्मी
21. कामा गाटा मारू दल
22. यूनाईटिड लिब्रेशन फ्रन्ट आफ असम
23. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट आफ बोडोलैण्ड
24. नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट आफ त्रिपुरा
25. आल त्रिपुरा टाईगर फोर्स
26. नेशनल सोसलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालैण्ड (आई/एम. एण्ड के)
27. नागा नेशनल कौंसिल

28. मणिपुर पीपल्स लिब्रेशन फ्रन्ट

29. युनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट

30. पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी

31. लिब्रेशन टाईगर आफ तमिल ईलम।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, इनमें से निम्नलिखित उग्रवादी गुट/संगठन केन्द्र/राज्य कानूनों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित हैं:

असम

यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट आफ असम (उल्फा)

मणिपुर

पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पी.एल.ए.)

यूनाइटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट (उल्फा)

नागालैंड

नेशनल सोसलिस्ट कौन्सिल आफ नागालैंड (आइजेक/मुहवाह एन.एस.सी.एन./आई. एम.)

नेशनल सोसलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंड/खापलौंग (एन.एस. सी.एन./के.)

त्रिपुरा

आल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए.टी.टी.एफ:

नेशनल लिब्रेशन फ्रन्ट आफ त्रिपुरा (एन.एल.एफ.टी.)

तमिलनाडु

लिब्रेशन टाईगर आफ तमिल ईलम (एल.टी.टी.ई.)

(घ) और (ङ) सरकार ने, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान उचित और प्रभावी तरीके से पाकिस्तान द्वारा सीमा-पार से समर्थित आतंकवाद और भारत के अन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के प्रयासों की ओर दिलाया है। आतंकवाद को पाकिस्तान के सरकारी समर्थन के बारे में तथ्यों को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों के समक्ष रखा गया है और विश्व स्तर के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत में भी उठाया गया है। सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ भी उठाया है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने, जम्मू और कश्मीर में और भारत में अन्य आतंकवाद को पाकिस्तान के सरकारी समर्थन और हमारे देश और क्षेत्र की सुरक्षा पर इसके पड़ने वाले प्रभाव को अब खुले तौर पर स्वीकारा है। यह व्यापक जागरूकता, विभिन्न सरकारों के राजकीय प्रवक्ताओं के बयानों और पाकिस्तान पर अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया की कवरेज से प्रतिबिम्बित होती है।

(च) सरकार, सभी राज्य सरकारों को आतंकवादियों/अतिवादियों की गतिविधियों के बारे में नियमित रूप से सुग्राही बनाती रहती है। आसूचना का आदान-प्रदान सतत आधार पर किया जाता है और राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों की तैनाती के रूप में सहायता दी जाती है। घुसपैठ की रोकथाम के लिए गश्त के अलावा, भारत, पाकिस्तान और भारत-बंगलादेश सीमाओं से लगे हिस्सों के साथ-साथ बाड़ और तेज रोशनी की व्यवस्था की गई है। सीमा पार के आतंकवाद की रोकथाम के लिए संबंधित देशों के साथ राजनयिक पहलें भी की गई हैं।

उड़ीसा में इन्दिरा आवास योजना

364. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानसून प्रारम्भ होने के बावजूद उड़ीसा में इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान नहीं बनाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन लोगों को जो गत वर्ष चक्रवात के कारण तटीय क्षेत्रों में बेघर हो गए थे, को वैकल्पिक आश्रय उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) जी नहीं, उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार चक्रवात से प्रभावित 12 जिलों में 56,953 मकानों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है जिनमें से 7,273 मकान पूरी तरह बन चुके हैं तथा 99680 मकान निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ख) उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उन परिवारों को आवास निर्माण सहायता के रूप में 271.31 करोड़ रुपये दिए गए हैं जिनके मकान पूरी तरह बह गये हैं/ढ़ह गये हैं या आंशिक रूप से ढ़ह गये हैं। प्रभावित व्यक्तियों ने सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सहायता से कच्चे मकान बनाये हैं।

इं.गां.रा.मु.वि.वि. में बी.सी.ए. पाठ्क्रम

365. श्री चिंतामन वनगा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के बी.सी.ए. पाठ्यक्रम की देश या विदेश में रोजगार हेतु कहीं भी मांग नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली के छात्रों को आवंटित अध्ययन और प्रायोगिक केन्द्रों में क्षमता से अधिक छात्र, पुराने कम्प्यूटर और कम योग्यता प्राप्त अध्यापक हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या पाठ्क्रम शुरू होने के बाद से इग्नू के अधिकारियों ने इस केन्द्रों का कभी निरीक्षण नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बी.सी.ए. कार्यक्रम का पाठ्यक्रम शैक्षिक विशेषज्ञों और उद्योग के प्रतिनिधियों के परामर्श से बनाया गया है ताकि यह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस विश्वविद्यालय के सभी कार्यक्रम उच्च स्तर के हैं और सैद्धान्तिक विषयों तथा व्यावहारिक अनुप्रयोगों दोनों को शामिल करने के लिए तैयार किये जाते हैं जो कि रोजगार बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(ग) जी, नहीं। यह विश्वविद्यालय कम्प्यूटर विज्ञान कार्यक्रमों के लिए कार्य केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों को स्थापित करने तथा परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने में मानक मानदण्डों का अनुसरण करता है। बी.सी.ए. कार्यक्रम आयोजित करने के लिए परामर्शदाता की न्यूनतम अर्हता कुछ अनुभव सहित कम्प्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री है। बी.सी.ए. कार्यक्रम के प्रत्येक कार्य केन्द्र में कम्प्यूटरों और अर्हता प्राप्त शिक्षकों सहित सभी पर्याप्त सुविधाओं वाले कार्यक्रम प्रभारी होते हैं। विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय सेवा प्रभाग विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नियमित आधार पर इन केन्द्रों के कार्यकलापों का अनुवीक्षण करता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भूमि का आबंटन

366. श्री रामसागर रावत: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री भूमि का आबंटन के बारे में 18.12.1995 और 14.12.1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3162 और 2170 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ही गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सूचना किस तारीख तक एकत्रित करके सभा पटल पर रख दिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि मामला विभिन्न जिला उपायुक्तों/कलक्टरों के पास लंबित है और उन्होंने अब तक कोई रिपोर्ट/अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को 30.9.2000 तक जांच पड़ताल पूरी करने को कहा जा रहा है।

भारत-पाक सीमा पर रहने वाले व्यक्तियों को पहचान-पत्र

367. श्री चन्द्रकांत खैरे:
डॉ. रमेश चन्द तोमर:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:
प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में भारत-पाक सीमा की पांच कि.मी. की पट्टी के भीतर रहने वाले सभी लोगों को पहचान-पत्र जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह पहचान-पत्र अन्य राज्यों के उन सीमा क्षेत्रों में जहां से घुसपैठ की रिपोर्ट मिली है के अन्य लोगों को भी जारी किए जाएंगे;

(घ) यदि हां, तो पहचान-पत्र जारी करने का कार्य कब तक शुरू हो जायेगा; और

(ङ) सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए वर्तमान उपाय किस सीमा तक पर्याप्त हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर की सरकार को जम्मू और कश्मीर कार्य योजना, 1998 के एक भाग के रूप में नियंत्रण रेखा/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के 25 किलोमीटर के भीतर रह रहे 16 से 60 वर्ष की आयु के सभी पुरुष संवासियों को फोटो पहचान-पत्र जारी करने का परामर्श दिया गया है।

(ग) और (घ) देश में सभी नागरिकों के अनिवार्य पंजीकरण और उन्हें बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एम.एन.आई.सी.) जारी किए जाने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है जिसके लिए इस स्कीम के व्यवहार्यता पहलू का आकलन करने का कार्य एक प्राईवेट कंसलटैंसी फर्म को दिया गया है।

(ङ) घुसपैठ तथा हथियारों/विस्फोटकों इत्यादि की तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने जम्मू सेक्टर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवरोधक प्रणाली खड़ी करने के लिए हाल ही में एक बहु-रूपात्मक दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है घुसपैठ की [illegible]न करने के लिए किए गए कुछ अन्य उपायों, में सीमा [illegible] मजबूत करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, गहन गश्त लगाकर सीमा पर कड़ी चौकसी रखना, विशेष अभियान, नाका और घात लगाना तथा नाईट विजन डिवाईस जैसे विशेष उपकरण उपलब्ध कराना, शामिल है।

प्रतिनिधिमंडल का विदेश दौरा

368. श्री जे.एस. बराड़:
श्री पी.डी. एलानगोवन:
श्री उत्तमराव ढिकले:
श्री नवल किशोर राय:
डॉ. जसवंतसिंह यादव:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री के. येरननायडू:
श्री ए. कृष्णास्वामी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इज्रायल, ब्रिटेन और फ्रांस का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है तथा दौरे के दौरान कौन-कौन से मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा कौन-कौन से निर्णय लिये गये;

(ग) दौरे के दौरान हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) ये समझौते ज्ञापन कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) इस कार्यान्वयन पर कुल कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें केन्द्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक और संयुक्त सचिव (सुरक्षा) थे, ने 14 जून से 24 जून, 2000 तक इज्रायल, फ्रांस और इंगलैण्ड का दौरा किया। राष्ट्रपति यासर अराफात ने मुलाकात करने के लिए 17 जून को गाजा (फिलीस्तीन) का दौरा किया गया। यह दौरा, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या पर विचार-विमर्श करने और इस खतरे से निपटने में द्विपक्षीय सहयोग की सम्भावना का पता लगाने के मूल उद्देश्य से किया गया था।

इसराईल में, प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति इजर वियेजमन, प्रधानमंत्री इहूद बराक, क्षेत्रीय सहयोग मंत्री शिमोन पेरेस, रक्षा उप मंत्री एफेरियम स्नेह और पुलिस और सुरक्षा एजेन्सियों से बातचीत की। इस यात्रा से, भारत और इसराईल के बीच अधिक प्रौद्योगिकी, तकनीकी और आसूचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की संभावनाएं बन गई हैं। दोनों पक्ष, दोनों देशों के बीच जल्दी ही एक संयुक्त कार्य दल स्थापित करने पर सहमत हुए हैं।

फ्रांस में इस प्रतिनिधिमंडल ने आन्तरिक मंत्री श्री जोन पियरे चेवेनमेन्ट से मुलाकात की। इस बैठक के परिणामस्वरूप फ्रांस, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रायोजन के खिलाफ भारत के ड्राफ्ट यू.एन. रिगूलेशन को समर्थन देने पर सहमत हो गया है। भारत अपनी तरफ से आतंकवाद को धन देने के खिलाफ के ड्राफ्ट रिज्यूलेशन को समर्थन देगा। दोनों देशों के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में एक संयुक्त कार्य दल गठित करने पर भी सहमति हुई है। प्रतिनिधिमंडल ने, लियोन में, इन्टरपोल मुख्यालय का दौरा भी किया और जाली मुद्रा, मनी-लाऊन्डरिंग और अन्य ट्रांस-नेशनल क्राईम की समस्याओं पर भी विचार-विमर्श किया।

इग्लैंड में, प्रतिनिधिमंडल ने जैंक स्ट्रा, सैक्रेटरी आफ स्टेट फार होम अफेयर और श्री राबिन कुक, सैक्रेटरी फार फोरन एण्ड कॉमनवेल्थ अफेयर के साथ बैठकें की। इन बैठकों में, सीमा पार में आतंकवाद के मामले पर भारत की चिन्ता पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस बात पर सहमति हुई कि आतंकवाद के खिलाफ विश्व जनमत तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है, आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए एक संयुक्त कार्य दल के संस्थागत प्रबन्ध के बारे में भारत के सुझाव का स्वागत किया गया क्योंकि इस प्रकार का प्रबन्ध अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सन्देश देगा और आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों को लज्जित करेगा।

(ग) से (ङ) इस दौरे के दौरान किसी भी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। अत: इसके कार्यान्वयन के लिए समय और व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सरकारी प्रेसें

369. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
मोहम्मद शहाबुद्दीन:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मई, 2000 के "नवभारत टाइम्स" में सरकारी छापाखानों से सस्ते पड़ते हैं बाहर के छापाखाने शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) देश में कितनी सरकारी मुद्रण प्रेसें हैं;

(घ) इन्हें किन-किन मुख्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है;

(ङ) किन कारणों से ये मुद्रण प्रेस प्राइवेट प्रेसों की तुलना में ज्यादा महगें हैं;

(च) प्राइवेट प्रिंटिंग मशीनों की तुलना में सरकारी मशीनों की क्षमता कितनी है;

(छ) क्या दिल्ली रिंग रोड पर प्रिंटिंग मशीनों की क्षमता अलीगढ़, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर में इस तरह की मशीनों के समान है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) इन्हें प्राइवेट प्रेसों के समतुल्य लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ञ) क्या सरकार का विचार भारत सरकार के 21 मुद्रणालयों के कम उपयोग हेतु उत्तरदायी कारणों संबंधी जांच कराने का है;

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ठ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। समाचार मद में यथासूचित तथ्य 17.5.2000 को संसद में रखी गई सी. एण्ड ए.जी. की 2000 की रिपोर्ट सं. 2 (सिविल) पर आधारित प्रतीत होती हैं।

(ग) और (घ) 21 भारत सरकार मुद्रणालय हैं जिनका उपयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के मुद्रण कार्य के लिए किया जाता है।

(ङ) भारत सरकार मुद्रणालयों में मुद्रण की लागत ज्यादा होने के निम्नलिखित कारण हैं:-

(1) सरकारी मुद्रणालय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के रूप में कार्य नहीं करते बल्कि मॉडल नियोक्ता की भूमिका निभाते हैं जिसमें अपने कर्मचारियों को वाहन भत्ता, मंहगाई भत्ता आदि दिया जाता है।

(2) सभी सुविधाओं के रखरखाव पर नियमित खर्च किया जाता है और फैक्टरी अधिनियम के तहत सरकारी नियमनों और सरकारी आदेशों का अनुपालन किया जाता है।

(3) उपरिव्यय (ओवर हेड एक्सपेंसेस) तुलनात्मक रूप से ज्यादा हैं।

(4) मुद्रणालयों को सभी प्रकार के कार्य मुद्रित/निष्पादित करने होते हैं जिनमें "शार्ट-रन जॉब" सम्मिलित हैं यद्यपि इस प्रकार के "जॉब" किफायती नहीं होते।

(5) भारत सरकार मुद्रणालयों में प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी नहीं है।

(च) निजी मुद्रण मशीनों के बारे में डाटा अनुपलब्धता की स्थिति में इस प्रकार की तुलना संभव नहीं है।

(छ) और (ज) भिन्न-भिन्न मुद्रणालयों में लगाई गई एक ही प्रकार की मशीनों की आकलित क्षमता, मशीन की आयु और स्थिति तथा निष्पादित कार्य की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।

(झ) सरकारी मुद्रणालय सेवा विभाग के रूप में कार्य कर रहे हैं इन्हें व्यवसायिक आधार पर नहीं चलाया जा रहा है। मुद्रण गुणता को सुधारने के लिए कुछ मुद्रणालयों को आफसेट टैक्नोलॉजी द्वारा आधुनिक बनाया गया है।

(ञ) जी, नहीं।

(ट) प्रश्न नहीं उठता।

(ठ) भारत सरकार मुद्रणालयों का पूर्ण-उपयोग न होने के निम्नलिखित कारण पाए गए हैं:-

(1) मशीनों के संदर्भ में आपरेटिव्स अनरूप न होना (मिसमैच)

(2) कुछ भारत सरकार मुद्रणालयों में पुरानी प्रौद्योगिकी

(3) शार्ट-रन जॉब; और

(4) पॉवर की कमी।

[हिन्दी]

राजभाषा समिति

370. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजभाषा संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट के क्रियान्वयन की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को तीस वर्षों के बाद भी प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ग) राजभाषा संवर्ग के कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति प्रदान करने के लिए अभी तक कोई प्रभावशाली कदम न उठाए जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के पांच खण्डों पर राष्ट्रपति के आदेश सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेजे जा चुके हैं।

(ख) मंत्रालय/विभाग, राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। विभाग में प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर मंत्रालयों/विभागों के कार्य की समीक्षा की जाती है और पाई गई कमियों के बारे में उन्हें अवगत कराया जाता है। सरकार की नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना से हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की है।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति दी जाती है।

ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों का विकास

371. श्री सुरेश चन्देल:
श्री राजीव प्रताप रूडी:
डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री जोरा सिंह मान:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए निधियों के आबंटन के क्या मानदंड हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ग) क्या राज्यों से इस संबंध में धनराशि में बढ़ोत्तरी करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(च) अब तक राज्य-वार कितने गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है;

(छ) शेष गांवों में यह कार्य कब तक पूरा कर लिये जाने का लक्ष्य है और इस पर कितना खर्च आने का अनुमान है;

(ज) क्या सरकार का विचार इस योजना को एक केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के रूप में कार्यान्वित करने का है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (झ) ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़कों के निर्माण की व्यवस्था करने के लिए हाल ही में एक राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क कार्यक्रम

बनाया जा रहा है। इस मामले पर राज्य प्राधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया है जो अपेक्षित मास्टर-योजनाएं बना रहे हैं तथा जिन्होंने कार्यक्रम के वित्त पोषण के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए निधियां

372. श्री जोरा सिंह मान:
श्री नवल किशोर राय:
डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री के. मुरलीधरन:
श्री रामजीलाल सुमन:
मोहम्मद शहाबुद्दीन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यों को निधियां आबंटित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित हैं;

(ख) यह मानदंड कब निर्धारित किए गए थे;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान, जून, 2000 तक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य-वार, योजना-वार कितनी निधियां आबंटित की गई;

(घ) प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन पर अभी तक प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार बिहार जैसे बिल्कुल पिछड़े राज्यों के उत्थान हेतु उक्त आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों को निधियों के आबंटन के लिए मानदंड तथा वह वर्ष जब यह मानदंड निर्धारित किया गया था, नीचे दिए गए हैं:-

क्र. सं.	कार्यक्रम/योजना का नाम	आबंटन के लिए मानदंड	जिस वर्ष निर्धारित किया गया
1.	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.)	राज्यों में गरीबी की स्थिति	1.4.1999
2.	स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)	राज्यों में गरीबी की स्थिति	1.4.1999
3.	सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.)	देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में राज्य में ग्रामीण गरीब लोगों का अनुपात	1.4.1999
4.	इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	गरीबी अनुपात तथा आवास की कमी (50:50 वैटेज)	1.4.1999
5.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.)	ग्रामीण लोगों के लिए 40 प्रतिशत वैटेज दी गई, मरूभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की दृष्टि से विशेष श्रेणी के पर्वतीय राज्यों के लिए 35 प्रतिशत, कवर न किए गए/आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों (2:1 अनुपात) के लिए 10 प्रतिशत, गुणवत्ता से प्रभावित गांवों को 5 प्रतिशत तथा समस्त जल संसाधन की उपलब्धता के लिए 10 प्रतिशत (सिंचित क्षेत्र की तुलना में असिंचित क्षेत्र)	1.4.1999
6.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.)	राज्यों में गरीबी की स्थिति के लिए 45 प्रतिशत वैटेज दी गई, ग्रामीण लोगों के लिए 45 प्रतिशत वैटेज दी गई तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 10 प्रतिशत वैटेज दी गई	1.4.1999

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा जून, 2000 तक प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के राज्यवार आबंटन तथा खर्च की गई धनराशि का विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च) बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए आबंटन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का आबंटन उपर्युक्त मानदंड पर आधारित है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का आबंटन

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस.जी.एस.वाई.	जी.जी.एस.वाई.	ई.ए.एस.	जे.आर.वाई.	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	सी.आर.एस.पी.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4559.77	11636.45	8117.40	14714.67	11600.00	203.67
2.	अरूणाचल प्रदेश	251.07	609.19	432.52	969.15	3492.00	11.50
3.	असम	6523.63	15828.99	11242.39	21806.39	5898.00	303.95
4.	बिहार	14937.28	38119.67	26591.67	51464.00	9380.00	565.60
5.	गोवा	66.67	171.21	18.71	90.67	1404.00	2.31
	गुजरात	1716.39	4380.17	3055.55	4324.00	7085.00	126.79
7.	हरियाणा	1009.77	2576.93	1797.64	1561.33	1943.00	63.87
8.	हिमाचल प्रदेश	425.25	1085.24	757.05	686.67	5091.00	25.17
9.	जम्मू व कश्मीर	526.32	1343.14	935.98	824.00	8788.00	31.34
10.	कर्नाटक	3443.27	8787.17	6127.85	7864.00	10350.00	164.51
11.	केरल	1544.99	3942.77	2750.41	4736.00	5746.00	106.41
12.	मध्य प्रदेश	7571.32	19321.86	13477.00	12244.00	11109.00	312.54
13.	महाराष्ट्र	6806.51	17370.07	12117.08	14113.33	16933.00	287.11
14.	मणीपुर	437.33	1061.17	753.31	1155.53	1282.00	20.31
15.	मेघालय	489.99	1188.89	845.31	1535.28	1373.00	22.04
16.	मिजोरम	113.39	275.10	197.33	368.56	981.00	5.67
17.	नागालैंड	204.13	815.53	579.00	991.08	1020.00	15.27
18.	उड़ीसा	5215.44	13309.70	9284.62	12205.33	6213.00	188.31
19.	पंजाब	490.75	1252.37	873.63	993.33	2383.00	55.36
20.	राजस्थान	2614.59	6672.39	4653.22	4310.67	16361.00	170.61

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम	125.53	304.60	216.26	265.71	650.00	5.64
22.	तमिलनाडु	4031.84	10289.17	7177.55	7794.67	7308.00	202.33
23.	त्रिपुरा	789.64	1915.97	1360.31	2241.64	1216.00	35.63
24.	उत्तर प्रदेश	16438.61	41951.03	29264.36	31420.00	14775.00	699.94
25.	पश्चिम बंगाल	5795.92	14791.07	10318.01	16085.33	7895.00	304.12
26.	अंडमान निको. द्वीप समूह	50.00	84.64	32.38	129.00	13.00	4.88
27.	चंडीगढ़	-	0.00	-	-	-	0.00
28.	दादरा व नगर हवेली	50.00	55.87	32.38	69	7.00	3.88
29.	दमन व दीव	50.00	27.07	1.08	27.00	0.00	0.77
30.	दिल्ली	-	0.00	-	-	5.00	2.31
31.	लक्षद्वीप	50.00	42.43	2.16	3.00	0.00	0.48
32.	पांडिचेरी	50.00	86.00	41.02	67.00	5.00	2.68
	अखिल भारत	86379.38	219295.86	153053.17	215060.33	160306.00	3945.00

वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का आबंटन और उपयोग

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एस.जी.एस.वाई.		जे.जी.एस.वाई.		ई.ए.एस.	
		आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8792.73	10044.08	12426.03	9954.72	13717.06	14595.07
2.	अरूणाचल प्रदेश	182.32	377.09	2733.20	461.48	301.61	1360.57
3.	असम	4737.45	4503.96	7096.69	6619.20	7836.76	5043.05
4.	बिहार	27166.08	10067.96	40706.24	35324.14	44938.57	25956.42
5.	गोवा	79.71	8.43	1828.2	114.34	31.63	102.07
6.	गुजरात	3121.53	2448.03	4677.39	3089.08	5163.68	4652.86
7.	हरियाणा	1836.48	1963.41	2751.79	2666.86	3037.90	3974.75
8.	हिमाचल प्रदेश	773.41	667.38	1158.90	1163.94	1279.38	2163.69

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू व कश्मीर	957.20	787.32	1434.28	811.66	15[illegible]3.40	2203.56
10.	कर्नाटक	6262.20	3532.70	9383.41	10191.73	10359.02	10090.82
11.	केरल	2809.83	2506.81	4210.38	3652.85	4648.06	4688.09
12.	मध्य प्रदेश	13769.77	9918.36	20832.82	20841.39	22778.18	24019.00
13.	महाराष्ट्र	12378.81	10204.07	18548.90	18748.46	20477.26	33258.20
14.	मणिपुर	317.59	0.00	475.89	23.87	525.37	766.44
15.	मेघालय	355.83	75.02	533.17	180.98	588.61	465.47
16.	मिजोरम	82.33	9.98	123.38	182.29	136.21	354.90
17.	नागालैंड	204.13	0.00	365.73	222.99	403.75	714.97
18.	उड़ीसा	9485.20	7457.65	14212.82	13751.69	15690.57	14025.60
19.	पंजाब	892.51	987.57	1337.34	1014.24	1476.39	2289.88
	राजस्थान	4755.12	6270.68	7125.14	8149.69	7865.94	7300.22
21.	सिक्किम	91.17	81.62	136.60	156.26	150.80	132.06
22.	तमिलनाडु	7332.59	10234.93	10987.33	13391.37	12129.70	14164.47
23.	त्रिपुरा	573.44	813.62	859.24	643.70	948.60	1201.46
24.	उत्तर प्रदेश	29896.51	6628.31	44797.57	35804.80	49455.30	40846.19
25.	पश्चिम बंगाल	10540.91	3741.63	15794.71	7683.96	17436.92	9981.08
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	59.78	42.89	93.87	14.29	54.73	14.01
27.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-
28.	दादरा व नगर हवेली	59.78	2.34	61.96	0.85	54.73	2.94
29.	दमन व दीव	59.78	750	30.02	0.00	1.82	0.91
30.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	59.78	0.25	47.06	10.43	3.65	49.84
32.	पांडिचेरी	59.78	81.77	91.91	41.9	69.32	47.89
	अखिल भारत	147193.75	93465.39	220568.39	194988.10	243145.86	204469.46

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.ए.वाई.		ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.		सी.आर.एस.पी.	
		आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	14714.67	16793.91	9143.26	9480.80	570.77	2231.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	1005.33	732.02	2476.00	1209.38	30.00	8.65
3.	असम	20877.33	6184.05	4180.00	5629.21	792.82	5.00
4.	बिहार	51464.00	35852.08	9380.00	335.48	1585.89	185.98
5.	गोवा	90.67	44.90	352.92	112.18	6.46	0.00
6.	गुजरात	4324.00	4480.92	6028.52	2385.49	250.00	12.21
7.	हरियाणा	1561.33	1708.73	1883.91	22476.96	179.05	6.87
8.	हिमाचल प्रदेश	686.67	931.12	2275.77	35298.72	70.56	136.90
9.	जम्मू व कश्मीर	824.00	733.05	6381.44	5573.87	87.86	0.00
10.	कर्नाटक	7864.00	8089.57	8402.25	48318.48	461.14	576.23
11.	केरल	4736.00	3920.97	4307.88	6407.40	298.26	275.03
12.	मध्य प्रदेश	2244.00	6228.74	444.68	44882.96	876.21	290.23
13.	महाराष्ट्र	14113.33	20073.90	13614.41	83146.69	804.89	852.38
14.	मणिपुर	924.00	78.41	987.00	675.89	52.98	3.48
15.	मेघालय	1409.33	93.18	974.00	665.34	57.48	19.91
16.	मिजोरम	346.67	320.38	696.00	573.05	74.79	1.00
17.	नागालैंड	870.67	872.21	724.00	362.00	39.84	0.00
18.	उड़ीसा	12205.33	11525.98	4067.93	2646.61	527.98	4.76
19.	पंजाब	993.33	1001.14	1920.64	2456.18	165.13	0.00
20.	राजस्थान	4310.67	5342.69	125675.22	5562.74	478.23	0.00
21.	सिक्किम	162.67	84.15	460.83	348.94	74.70	5.00
22.	तमिलनाडु	7794.67	16165.86	6334.66	1085.47	567.17	286.74
23.	त्रिपुरा	1910.67	2012.15	862.00	386.00	92.92	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	31420.00	27957.70	14775.00	14052.46	1962.33	6633.49
25.	पश्चिम बंगाल	16085.33	8382.78	7608.15	4222.26	852.60	254.86

1	2	9	10	11	12	13	14
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	129.00	0.50	12.50	0.00	5.00	0.32
27.	चंडीगढ़	–	–	12.5	0.00	5.00	0.06
28.	दादरा व नगर हवेली	69	23.7	12.50	0.00	5.00	0.00
29.	दमन व दीव	27.00	0.57	0.00	0.00	5.00	0.00
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	3.00	5.99	12.50	0.00	5.00	1.66
32.	पांडिचेरी	67	25.48	5.00	6.00	5.00	2.15
	अखिल भारत	213233.66	187666.83	130112.47	167406.58	10865.58	5622.91

वर्ष 1998-99 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का आबंटन और उपयोग

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.आर.डी.पी.		जे.आर.वाई.		ई.ए.एस.	
		आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
	आंध्र प्रदेश	7734.30	8906.70	14629.93	14710.40	29340.33	25245.32
..	अरूणाचल प्रदेश	403.82	566.62	321.65	326.12	647.77	2327.96
3.	असम	10492.72	3907.11	8357.73	10967.57	19325.30	14522.95
4.	बिहार	25336.66	14222.45	47925.96	41851.12	89777.08	28469.20
5.	गोवा	17.82	89.11	215.25	166.80	382.05	261.48
6.	गुजरात	2911.34	3279.96	5506.98	5958.62	11465.60	6613.24
7.	हरियाणा	1712.78	1319.13	3239.85	2908.76	6148.61	2704.38
8.	हिमाचल प्रदेश	721.32	504.40	1364.43	1083.72	2448.15	3048.8
9.	जम्मू व कश्मीर	892.74	893.09	1688.66	1489.06	3177.72	5163.92
10.	कर्नाटक	5840.48	5353.60	11047.66	11288.71	22336.37	13482.60
11.	केरल	2620.60	2769.01	4957.05	4089.65	9046.70	5425.26
12.	मध्य प्रदेश	12842.50	11645.05	24292.41	22760.65	47053.06	32960.40
13.	महाराष्ट्र	11545.22	10301.92	21838.53	20780.48	42619.01	10979.33

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	703.42	188.19	560.30	430.78	991.08	1340.12
15.	मेघालय	788.10	267.34	627.74	348.96	976.70	583.33
16.	मिजोरम	182.36	227.24	145.26	318.37	463.63	1161.29
17.	नागालैंड	540.60	473.37	430.60	956.77	1387.37	2123.65
18.	उड़ीसा	8846.44	7366.17	16733.63	15218.63	31952.26	17341.91
19.	पंजाब	832.40	794.65	1574.54	1381.15	2955.69	2969.16
20.	राजस्थान	4434.88	4530.66	8388.86	9780.60	18169.46	15277.04
21.	सिक्किम	201.90	132.13	160.83	411.41	572.24	580.43
22.	तमिलनाडु	6838.82	8181.67	12936.06	14974.42	27910.48	24449.66
23.	त्रिपुरा	1270.06	1045.32	1011.64	2296.83	3308.47	2181.08
24.	उत्तर प्रदेश	27883.22	24885.62	52742.94	55507.20	108250.14	588816.72
25.	पश्चिम बंगाल	9831.06	4264.22	18596.09	12372.19	30968.28	10031.17
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	69.58	38.12	117.89	37.07	154.96	35.04
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
28.	दादरा व नगर हवेली	41.53	9.39	77.81	36.75	114.56	9.47
29.	दमन व दीव	27.43	12.41	37.70	6.04	43.74	1.14
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	6.85	3.32	59.10	29.29	88.39	88.29
32.	पांडिचेरी	56.83	49.94	115.42	72.83	188.25	24.14
	अखिल भारत	145627.78	116227.75	259702.47	252560.95	512263.42	288218.49

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.ए.वाई.		ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.		सी.आर.एस.पी.	
		आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	10463.01	12555.62	3991.36	9991.36	642.15	2928.30
2.	अरूणाचल प्रदेश	230.04	276.05	3623.00	1408.12	45.00	4.49
3.	असम	5977.28	7172.73	6120.00	3222.87	559.00	45.0

1	2	9	10	11	12	13	14
4.	बिहार	34275.65	41130.78	11768.50	850.24	564.42	66.53
5.	गोवा	24.00	28.20	283.75	14.83	9.36	0.00
6.	गुजरात	3938.48	4726.17	5860.51	6310.99	200.00	610.61
7.	हरियाणा	2317.08	278.49	2190.91	2186.43	104.84	71.63
8.	हिमाचल प्रदेश	975.80	1170.96	1967.07	1992.50	101.09	154.13
9.	जम्मू व कश्मीर	1207.70	903.55	5514.58	2735.37	140.48	28.05
10.	कर्नाटक	7901.06	9481.28	9177.40	9472.45	520.43	769.36
11.	केरल	3545.25	4254.30	4673.49	3158.62	400.62	673.96
12.	मध्य प्रदेश	17373.43	20848.46	11063.07	10488.04	750.69	519.72
13.	महाराष्ट्र	15618.46	18742.16	13301.46	41891.94	821.83	3209.46
14.	मणिपुर	400.71	480.86	1330.00	357.07	65.00	2.50
15.	मेघालय	448.95	538.74	1425.00	1157.05	70.00	8.33
16.	मिजोरम	103.89	124.67	1018.00	1200.40	30.00	20.99
-	नागालैंड	307.95	369.54	1058.00	482.23	48.00	0.00
	उड़ीसा	11967.54	14361.05	5236.47	4352.52	451.17	13.88
19.	पंजाब	1126.08	1351.05	1668.62	891.62	106.71	37.11
20.	राजस्थान	5999.54	7199.45	10954.54	10686.04	387.52	187.28
21.	सिक्किम	115.03	138.03	434.00	411.12	40.00	25.00
22.	तमिलनाडु	9251.63	11101.95	7922.54	13151.14	679.56	571.73
23.	त्रिपुरा	723.50	868.20	1262.00	2128.95	120.00	32.67
24.	उत्तर प्रदेश	27720.65	45264.78	18537.93	18198.87	1594.99	1700.00
25.	पश्चिम बंगाल	13299.53	15959.43	7169.63	5862.21	304.21	81.36
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	44.40	44.40	12.50	0.00	5.00	0.10
27.	चंडीगढ़	-	-	-	-	5.00	-
28.	दादरा व नगर हवेली	43.8	43.8	12.5	0	5.00	0.26

1	2	9	10	11	12	13	14
29.	दमन व दीव	1.82	1.82	12.50	0.00	5.00	0.19
30.	दिल्ली	–	–	5.00	–	5.00	–
31.	लक्षद्वीप	3.65	3.65	12.50	0.00	5.00	0.32
32.	पांडिचेरी	56.57	56.57	5.00	1.79	5.00	4.26
	अखिल भारत	185462.44	219477.23	143611.83	152604.77	8791.96	11726.92

वर्ष 1997-98 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का आबंटन और उपयोग

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई.आर.डी.पी.		जे.आर.वाई.		ई.ए.एस.	
		आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8612.23	11499.85	19410.49	18745.52	20923.00	29448.56
2.	अरूणाचल प्रदेश	644.07	363.71	199.21	241.82	2362.50	2586.93
3.	असम	2834.27	3561.33	6389.03	5546.71	10740.00	12756.22
4.	बिहार	16754.81	12422.08	38073.25	36250.75	22792.50	29085.62
5.	गोवा	146.57	161.16	275.15	155.77	125.00	246.90
6.	गुजरात	3160.43	3396.75	7124.30	6999.43	5400.00	6608.27
7.	हरियाणा	759.67	811.98	1711.53	1995.94	3337.50	2906.18
8.	हिमाचल प्रदेश	247.71	414.89	683.98	693.88	3187.50	2871.59
9.	जम्मू व कश्मीर	1032.15	788.84	1389.86	1475.73	5950.00	9266.22
10.	कर्नाटक	5780.01	5470.83	13033.90	12578.33	13250.00	16628.22
11.	केरल	2103.50	2531.96	4742.08	3655.38	4986.25	4371.43
12.	मध्य प्रदेश	10914.93	11995.66	24597.23	24574.06	26884.81	32326.96
13.	महाराष्ट्र	9388.40	9396.08	21159.28	21438.52	14168.14	14935.95
14.	मणिपुर	464.47	286.88	255.34	114.80	1012.50	1047.01
15.	मेघालय	493.36	374.82	298.78	247.74	275.00	447.58
16.	मिजोरम	208.50	213.58	125.86	124.18	1000.00	901.24
17.	नागालैंड	346.81	221.49	320.26	383.06	2625.00	4516.95

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	उड़ीसा	6987.62	6037.88	15746.50	15073.72	18401.98	18865.57
19.	पंजाब	538.77	572.29	1217.19	1310.34	2300.00	1055.11
20.	राजस्थान	4533.18	3929.19	10219.44	10330.83	11581.25	14485.71
21.	सिक्किम	57.79	112.41	116.60	185.97	275.00	552.96
22.	तमिलनाडु	7786.50	9283.85	17547.45	20699.98	23400.00	29363.46
23.	त्रिपुरा	662.64	736.08	331.65	351.51	1800.00	2904.92
24.	उत्तर प्रदेश	20988.66	21266.38	47301.56	48122.11	39310.08	40665.55
25.	पश्चिम बंगाल	7719.41	4778.49	17395.93	12404.99	9737.50	11467.13
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	73.29	36.89	94.31	14.36	80.00	13.64
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
28.	दादरा व नगर हवेली	15.49	12.37	51.18	46.94	30.00	62.52
29.	दमन व दीव	28.90	13.69	30.16	30.28	0.00	21.64
30.	दिल्ली	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	7.22	3.83	47.28	78.98	0.00	78.98
32.	पांडिचेरी	59.87	56.73	93.34	66.55	60.00	7.71
	अखिल भारत	113351.23	110954.01	249921.12	243938.18	246047.59	290496.89

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जे.आर.वाई.		ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.		सी.आर.एस.पी.	
		आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
1	2	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	11212.93	14792.02	7964.80	8782.08	642.00	1534.15
2.	अरूणाचल प्रदेश	108.89	210.49	1444.00	1899.24	15.00	5.00
3.	असम	3691.04	4174.86	2438.00	1861.31	243.00	0.00
4.	बिहार	21996.36	38755.80	9380.00	877.36	829.00	0.00
5.	गोवा	109.54	88.47	227.00	38.27	9.00	0.00
6.	गुजरात	4116.21	4354.57	4672.00	5365.45	290.00	233.33
7.	हरियाणा	988.70	976.51	1746.00	182.44	105.00	74.18
8.	हिमाचल प्रदेश	345.50	452.00	1568.00	154.71	101.00	165.19

1	2	9	10	11	12	13	14
9.	जम्मू व कश्मीर	703.33	968.16	4395.00	2339.20	840.00	2.54
10.	कर्नाटक	7530.54	9206.40	7325.00	9186.56	520.00	813.65
11.	केरल	2739.81	2975.78	3724.00	4117.72	401.00	292.42
12.	मध्य प्रदेश	14210.73	17020.99	8817.00	5112.81	751.00	486.93
13.	महाराष्ट्र	12224.69	16856.95	10602.00	1006.00	822.00	3108.72
14.	मणिपुर	129.71	229.78	529.00	577.96	30.00	37.20
15.	मेघालय	151.34	58.88	568.00	730.94	32.00	16.60
16.	मिजोरम	63.41	66.54	406.00	490.08	9.00	7.25
17.	नागालैंड	161.43	294.12	422.00	209.35	19.00	0.00
18.	उड़ीसा	9097.18	8844.81	4173.00	3468.91	451.00	179.68
19.	पंजाब	703.31	829.90	1330.00	1784.28	107.00	68.52
20.	राजस्थान	5904.80	5874.66	8732.00	10470.46	388.00	175.68
21.	सिक्किम	59.09	86.88	372.00	435.60	9.00	25.00
22.	तमिलनाडु	10137.75	20881.44	6314.00	7947.00	680.00	613.48
23.	त्रिपुरा	168.63	266.55	505.00	994.62	49.00	40.00
24.	उत्तर प्रदेश	27328.99	19859.83	14775.00	12663.00	1595.00	1597.09
25.	पश्चिम बंगाल	10049.84	7852.57	5704.00	4422.36	608.00	199.28
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	47.27	20.28	12.50	0.00	5.00	2.23
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	5.00	–
28.	दादरा व नगर हवेली	25.37	14.18	12.50	0.00	5.00	0.78
29.	दमन व दीव	14.99	9.95	12.50	0.00	5.00	2.26
30.	दिल्ली	–	–	5.00	–	5.00	–
31.	लक्षद्वीप	24.21	18.52	12.50	0.00	5.00	2.25
32.	पांडिचेरी	47.27	125.96	5.00	1.84	5.00	5.21
	अखिल भारत	144685.22	159147.85	108190.00	97502.05	9180.00	9688.66

सेलम इस्पात संयंत्र

373. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सेलम इस्पात संयंत्र, तमिलनाडु का निजीकरण करने हेतु मंत्रालय द्वारा किए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए जन प्रतिनिधियों अथवा तमिलनाडु राज्य सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सेलम में समेकित इस्पात संयंत्र विकसित करने की कोई संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त संयंत्र के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): और (ख) जी, हां। इन अभ्यावेदनों में कर्मचारियों और सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त करने के साथ-साथ सुझाव दिया गया है कि सेलम इस्पात संयंत्र का निजीकरण करने के लिए सेल द्वारा उठाए गए कदम को रोक लेना चाहिए तथा सरकार द्वारा इसे वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए तथा इसमें निवेश करना चाहिए ताकि इसे लाभकारी इकाई बनाया जा सके।

(ग) सरकार ने इन अभ्यावेदनों में व्यक्त की गई चिन्ता को नोट कर लिया है।

(घ) और (ङ) सरकार के पास इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

(च) सेल के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय सरकार ने यह निर्धारित किया है कि मौजूदा कर्मचारियों की नौकरियों को सुरक्षित रखा जाएगा।

उच्च श्रेणी के कोयले को निम्न श्रेणी के कोयले में बदलना

374. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोकिंग कोल को नॉन-कोकिंग कोल में बदलने के वर्तमान नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. की खानों में उच्च श्रेणी (कोकिंग कोल) की कितनी मात्रा के कोयले को निम्न श्रेणी (नॉन-कोकिंग कोल) में बदला गया;

(ग) क्या उच्च श्रेणी के कोयले को कम मूल्य पर बेचने के कारण कंपनी को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस घपले की एक उच्चस्तरीय जांच कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह जांच कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) दिनांक 16.6.94 की सरकारी अधिसूचना सं. 28012/7/93-सी.ए. के अनुसार "सारणी-1 में दर्शाई गई श्रेणियों से अलग कोकिंग कोल, निम्न कोकिंग कोल तथा सेमी कोकिंग कोल को कीमतों के उद्देश्य से नॉन कोकिंग कोल माना जाएगा और उन्हें तदनुसार वर्गीकृत किया जाएगा"।

इस संबंध में मार्ग निर्देशों के अनुसार, 35% से अधिक राख वाले कोकिंग कोल को वाशरी-4 ग्रेड कोयला नहीं माना जा सकता। इसलिए इसे पुनः ग्रेड दिया जाना अपेक्षित है। तदनुसार कारो-ओ.सी.पी.-1 में कारो-7 सीम, खास महल परियोजना (के.एम.पी.) में कारो-7 सीम और परेज ईस्ट प्रोजेक्ट में द्वितीय निचली सीम नामक तीन सी.सी.एल. मामलों में इसे वाशरी-4 ग्रेड से बदलकर नॉन कोकिंग कोल कर दिया गया है। तथापि ग्रेडिंग संबंधी यह कार्य कोयला नियंत्रक के अनुमोदन से किया गया है।

(ख) सी.सी.एल. के कमान क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी उच्च ग्रेड कोकिंग कोल सीम/खानों को निम्न ग्रेड नॉन कोकिंग कोल में परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि सी.सी.एल. ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कारो ओ.सी.पी.-1 में कारो-2 सीम, के एम.पी. में कारो-7 सीम और परेज ईस्ट में दूसरी निचली सीम नामक तीन खानों में प्रत्येक में एक सीम के मामले में केवल निम्न ग्रेड कोकिंग कोल (उदाहरणस्वरूप वाशरी-4) को नॉन कोकिंग कोल के रूप में वर्गीकृत किया है। क्योंकि उपर्युक्त कोयले में राख का प्रतिशत कोकिंग कोल की तुलना में काफी अधिक था।

(ग) यह सच नहीं है कि उच्च ग्रेड कोयले को कम कीमत पर बेचा जा रहा है।

(घ) से (च) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

फर्जी जाति प्रमाणपत्र जारी करना

375. श्री रामजीत ठाकुर: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय कल्याण विभाग के कर्मचारियों द्वारा फर्जी प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को राज्यों की आदिवासी एसोसिएशनों से विशेषकर महाराष्ट्र की आदिवासी एसोसिएशन से इस संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा फर्जी जाति प्रमाणपत्र जारी करने में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (ग) संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जाति प्रमाणपत्र के द्वारा उचित सत्यापन के बाद जारी किए जाते हैं। तथापि, मंत्रालय में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद् से एक अभिवेदन महाराष्ट्र राज्य से संबंधित कुछ कथित रूप से नकली जनजाति कर्मचारियों, जो भारत सरकार में कार्यरत हैं, के जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए प्राप्त हुआ है। अभिवेदन को महाराष्ट्र राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया है।

[अनुवाद]

टाइटेनियम का उत्पादन

376. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में इण्डिया स्टिल टु टैप इट्स रिच रिजर्व्स आर्फ वन्डर मेटल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो टिटेनियम का उपयोग अंतरिक्ष, विद्युत और जैवचिकित्सा में किया जाता है और यह इस्पात की तरह मजबूत किन्तु वजन में काफी हल्की होती है;

(ग) क्या रक्षा धातुकर्मीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद के अनुसंधान संयंत्र में टाइटेनियम का प्रायोगिक उत्पादन शुरू किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो स्वदेशी टाइटेनियम के उत्पादन हेतु 1000 टन संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और आकलन परिषद् (टैक्नोलॉजी इनफार्मेशन फोरकास्टिंग एण्ड एसैसमेंन्ट काउन्सिल) की सिफारिशों पर विचार हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) रक्षा धातुकर्म अनुसन्धान प्रयोगशाला (डी.एम.आर.एल.) हैदराबाद नाभिकीय ईंधन परिसर (एन.एफ.सी.) और इन्दिरा गांधी परमाणु अनुसन्धान केन्द्र (आई.जी.सी.ए.आर.) के सहयोग से टी.आई.सी.एल.-4 को औद्योगिक माप बैच आकार के टाइटेनियम स्पंज में बदलने की प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है जिसे टाइटेनियम स्पंज का उत्पादन करने के लिए एक व्यापारिक संयंत्र स्थापित करने में सीधे ही उपयोग में लाया जा सकेगा। प्रौद्योगिकी विकसित करने के क्रियाकलाप डी.एम.आर.एल. में आरम्भ से ही शुरू कर लिए गए थे जिसे पहले 2-टन बैच आकार में और अब नवीनतम संयुक्त प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के द्वारा 3.5 टन बैच आकार में स्थापित कर दिया गया है। जनवरी 2000 में प्रक्रिया सम्बन्धी पैरामीटरों को श्रेष्ठतम बना दिया गया है और टाइटेनियम स्पंज की उत्पादन शुद्धता अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों के स्तर की प्राप्त कर ली गई है। कुछ टाइटेनियम स्पंज गलाने के लिए तथा मिल उत्पादों के रूप में रूपान्तरित करने के परीक्षणों हेतु पहले ही मै. मिधानी, हैदराबाद को उपलब्ध करा दिए गए हैं।

(घ) एक 1000 टन प्रति वर्ष वाले टाइटेनियम स्पंज संयंत्र लगाने की आवश्यकता पर 1986 में विचार किया गया। भारत के लिए 1000 टन प्रति वर्ष वाले संयंत्र के साथ अग्रसर होने की आवश्यकता को प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद् द्वारा "टाइटेनियम-भविष्य के लिए एक पदार्थ" नामक अपनी रिपोर्ट में दोहराया गया। एक 400 टन प्रति वर्ष वाले संयंत्र स्थापित करने की व्यावहारिकता सुनिश्चित करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा एक अध्ययन कार्य सम्पन्न कर लिया गया है।

फर्जी विश्वविद्यालय

377. श्री अशोक ना. मोहोल:
डॉ. रमेश चंद तोमर:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार ऐसे विश्वविद्यालय कौन-कौन से हैं; और

(ग) छात्रों में इन विश्वविद्यालयों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) इस समय देश में 18 विश्वविद्यालय/संस्थाएं हैं जिन्हें "जाली" घोषित किया गया है और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का उल्लंघन करके कार्य कर रही हैं। मई, 2000 की स्थिति के अनुसार जाली विश्वविद्यालयों और उनके स्थापना की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय संघ जाली विश्वविद्यालयों की उपस्थिति और उनके कार्यकरण पर निगरानी रखते हैं। देश में जाली विश्वविद्यालयों की उपस्थिति/कार्यकरण से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अनाचार प्रकोष्ठ के नाम से जाना जाने वाला एक विरोध प्रकोष्ठ इस उद्देश्यार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय संघ में स्थापित किया गया है। इस प्रकार से स्थापित प्रकोष्ठ केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेन्सियों के साथ संबंध बनाए रखता है और जाली संस्थाओं के खतरे की जांच करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले उपाय करता है। प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है जिसके द्वारा देश के विभिन्न भागों में अप्राधिकृत रूप से कार्य कर रहे स्वयंभू विश्वविद्यालयों में उच्चतर शिक्षा/पाठ्यक्रम जारी न रखने के लिए आकांक्षी छात्रों, बच्चों और जनता को सलाह दी जाती है।

विवरण

1 मई, 2000 की स्थिति के अनुसार जाली विश्वविद्यालयों की सूची

1. मैथिली विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार
2. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग, इलाहाबाद (उ.प्र.)
3. वार्ष्णेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.)/जगतपुरी, दिल्ली
4. कामर्शियल यूनिवर्सिटी लिमि., दरियागंज, दिल्ली
5. इण्डियन एजुकेशन काउंसिल आफ यूपी, लखनऊ (उ.प्र.)
6. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद (उ.प्र.)
7. नैशनल यूनिवर्सिटी आफ एलेक्ट्रो काम्पलैक्स होम्योपैथी, कानपुर
8. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस यूनिवर्सिटी (मुक्त विश्वविद्यालय) आचलताल, अलीगढ़ (उ.प्र.)
9. डी.डी.बी. संस्कृत यूनिवर्सिटी, पुटुर, त्रिची, तमिलनाडु
10. सेन्ट जीन्स यूनिवर्सिटी, किशनाट्टम, केरल
11. युनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली
12. वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली
13. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसीकला, मथुरा (उ.प्र.)
14. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रताप[illegible] (उ.प्र.)
15. राजा अरबी विश्वविद्यालय, नागपुर
16. केसरवानी विद्यापीठ, जबलपुर (म.प्र.)
17. दिल्ली विश्वविद्यालय विद्यापीठ, 233, टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-110009
18. बडगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसायटी, गोकक, बेलगाम (कर्नाटक)

पेयजल मिशन

378. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में पेयजल मिशन पेयजल की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है;

(ख) क्या पेयजल मिशन में धीमी प्रगति हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पेयजल मिशन के कार्यकरण को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) चूँकि पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती रही हैं। राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन सभी ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुलभ कराने का कवरेज सुनिश्चित करने के प्रमुख उद्देश्य के साथ त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करता है। व्यक्तिगत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को प्लान करने, मंजूर करने और उसका कार्यान्वयन करने की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई हैं। देश के विभिन्न भागों में सूखा, चक्रवात बाढ़ आदि के कारण पेयजल की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल राहत उपाय शुरू करने के लिए आपदा राहत कोष से प्रत्येक वर्ष राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है। इस कोष से रिलीजें कृषि मंत्रालय द्वारा जारी की जाती हैं।

मिशन के प्रयासों से लाई गई प्रगति का इस तथ्य से अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य सरकारों द्वारा 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार प्रस्तुत की गई अद्यतन जानकारी के अनुसार देश की 14,22,664 ग्रामीण बसावटों में से 11,72,728 बसावटों को कार्यक्रमों के मानदंडों के अनुसार पेयजल सुविधाओं से पूर्णतः कवर कर लिया गया और 2,22,493 बसावटें आंशिक रूप से कवर हैं।

(घ) पांच वर्षों में सभी गांवों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के सरकार के राष्ट्रीय एजेंडा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु इस विभाग में कार्य कर रहे राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के साथ एक नया पेयजल आपूर्ति विभाग गठित किया गया है।

संघीय विधि प्रवर्तन एजेंसी

379. श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री जी.जे. जावीया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार "संघीय अपराधों" की जांच करने के लिए केन्द्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसी सृजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसी के सृजन से कानून व्यवस्था के विषय का राज्य सूची से समवर्ती सूची में आने से कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो जायेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) "संघीय अपराध" की संकल्पना और संघीय विधि प्रवर्तन एजेंसी होने की जरूरत की जांच की जा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो इस बारे में उचित विधि निर्माण के प्रश्न पर उचित समय पर विचार किया जाएगा।

ईसाइयों के प्रतिनिधियों से वार्तालाप

380. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ईसाइयों पर हो रहे हमलों के बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न ईसाई संगठनों, जन प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे पर विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ईसाइयों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अधिकांश घटनाएं कानून एवं व्यवस्था/अपराध से संबंधित हैं। जहां तक आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा राज्यों में हाल ही में बम विस्फोटों की श्रृंखला का संबंध है, इनमें दीनदार अंजुमन नामक संगठन की संलिप्तता पाई गई है।

(ङ) यद्यपि, कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है, फिर भी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अल्पसंख्यकों और उनकी संस्थाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराये तथा उनके विरुद्ध हिंसा करने वालों से सख्ती से निपटें।

साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अक्टूबर, 1997 में विस्तृत संशोधित दिशानिर्देश जारी किये हैं। सम्बन्धित राज्य सरकारों का साथ आसूचना का आदान-प्रदान किया जाता है और उन्हें समय-समय पर सतर्क रहने के लिए संदेश तथा सलाह भेजी जाती है। विशेष अनुरोध पर उन्हें के.अ.सै. बल भी उपलब्ध कराये जाते हैं और केवल साम्प्रदायिक दंगों से ही निपटने के लिए त्वरित कार्यबल नामक एक विशेष बल का गठन किया गया है। पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए भी सहायता दी जाती है। स्थिति की पुनराक्षा करने के लिए 4.7.2000 को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गयी थी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

381. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अगले 15-20 वर्षों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सुचारू विकास हेतु कोई नीति अथवा कार्यक्रम बनाया है;

यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और उसके संतुलित विकास की योजना तैयार करने के लिए तथा इस योजना के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विधानमंडलों की सहमति से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:-

(1) बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना तैयार और अधिसूचित की है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत छः दिल्ली महानगर क्षेत्र कस्बों और आठ प्राथमिकता कस्बों तथा क्षेत्र की सीमाओं से बाहर स्थित पांच समसुविधा सम्पन्न कस्बों के विकास की संकल्पना की गई है।

(2) बोर्ड ने भागीदारी राज्यों को अवस्थापना सृजन परियोजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता दी है।

(3) बोर्ड द्वारा शहरी सुविधाओं के विस्तार हेतु अनेक व्यवहार्यता अध्ययन/कार्यात्मक योजनाएं योजनाएं तैयार की गई हैं।

(4) बोर्ड ने अपनी 12.7.2000 की 25वीं बैठक में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास हेतु नीतियों और कार्यक्रमों सहित वर्ष 2021 तक की नई क्षेत्र-योजना तैयार करने के लिये शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

(ग) इन नीतियों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, भागीदार राज्यों की सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा किया जाना है, जो 2021 तक की समय सीमा के भीतर किया जाना है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद को महानगर का दर्जा

382. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जून, 2000 के "नवभारत टाइम्स" में अहमदाबाद को मेगा सिटी का दर्जा देने पर विचार के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन नगर निकायों को अधिक धनराशि आबंटित करने का है जिनकी सीमाओं में बढ़ोत्तरी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे नगर निकायों का ब्यौरा क्या है और अभी तक इस संबंध में आबंटित की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी हां।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में संदर्भित समाचार-मद शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन राज्य मंत्री के कुछ कथनों से संबंधित है जो मेगा सिटी स्कीम के अंतर्गत अहमदाबाद को शामिल करने के प्रस्ताव, राष्ट्रीय स्लम नीति, स्लम सुधार के लिए बजट प्रावधान 350 करोड़ रु. से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए करने और वाजपेई नगर विकास योजना के अन्तर्गत 20 लाख मकान मुहैया कराने की स्कीम आदि के बारे में है।

मेगा सिटी स्कीम में अहमदाबाद को सम्मिलित करने के प्रस्ताव के बारे में गुजरात सरकार से प्राप्त संदर्भों पर विचार किया गया और इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि मानदण्ड के अनुसार स्कीम में शामिल करने के लिए 1991 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन और उससे अधिक आबादी की तुलना में अहमदाबाद (शहरी समूह) की आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से कम थी।

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्लम सुधार कार्यक्रम के लिए समाचार-पत्र में यथासूचित अनुसार बजट नियतन 350 करोड़ रुपये से 1000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के बारे में सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

"वाजपेयी नगर विकास योजना के अंतर्गत आवास प्रावधान के बारे में राज्य सरकार ने वाजपेयी नगर विकास योजना नामक एक नई स्कीम शुरू करने की सूचना दी थी। इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते समय राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में शुरू किए गए बड़े पैमाने पर आवास कार्यक्रम के लिए भी कुछ वित्तीय सहायता की मांग की थी। तथापि, कार्यक्रम के कोई ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए। ऐसा कोई केन्द्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम नहीं है, जिसके अन्तर्गत आवास कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा सके।

राष्ट्रीय स्लम नीति के संबंध में संसद में नीति पेश करना राज्य सरकारों, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों से और विचार-विमर्श करने के अध्यधीन होगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मानवाधिकार अधिनियम, 1993 में संशोधन

383. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री जय प्रकाश:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मानवाधिकार अधिनियम, 1993 को और अधिक औचित्यपूर्ण बनाने हेतु इसमें संशोधन किए जाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम के जिन-जिन विषयों पर संशोधन किए जाने की आवश्यकता है उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसमें कब तक संशोधन कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (घ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संरक्षण अधिनियम, 1993 की विभिन्न धाराओं में संशोधनों का सुझाव देते हुए एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्तावित संशोधन, आयोग की संरचना और शक्तियों, राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन, राज्य आयोगों की शिकायतों/जांचों के हस्तांतरण इत्यादि से संबंधित है।

आयोग से प्राप्त प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की जा रही है। क्योंकि इस प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ बातचीत अपेक्षित है, इसलिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

गुजरात में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां

384. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र की भांति गुजरात में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त एजेंसियों के कर्मचारियों को पेंशन और उपदान देने के लिए अंशदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी संगठन और इसके प्रशासन के लिए दिल्ली तथा चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामान्य दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी दिशानिर्देश के अनुसार, प्रत्येक जिले की अपनी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी होगी। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार गुजरात में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं। गुजरात में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) दिशानिर्देशों के अनुसार, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों में स्थायी कर्मचारियों का प्रावधान नहीं है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी कर्मचारियों को अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया जाता है। इसलिए कर्मचारियों को पेंशन के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

गुजरात में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां

क्र.सं.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी
1	2
1.	अहमदाबाद
2.	अमरेली
3.	बनासकांठा
4.	भड़ौच
5.	भावनगर
6.	डांग्स-अहवा
7.	गांधीनगर
8.	पंचमहल
9.	जामनगर
10.	जूनागढ़
11.	कच्छ
12.	खेडा
13.	मेहसाना
14.	राजकोट
15.	साबरकांठा
16.	सूरत
17.	सुरेन्द्रनगर
18.	बड़ोदरा
19.	बलसाड
20.	आनंद
21.	दाहोद
22.	नर्मदा
23.	नवसारी
24.	पोरबंदर
25.	पाटन

[हिन्दी]

गांवों से उत्प्रवास

385. श्री रामदास आठवले: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार एक रोजगारोन्मुखी ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू करके गांवों से महानगरों में ग्रामीणों के उत्प्रवास को रोकने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन तथा ग्रामीण विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है:

(1) सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.)

(2) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)

(3) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.)

सुनिश्चित रोजगार योजना ग्रामीण गरीबों के लिए मजदूरी रोजगार की अत्यधिक कमी के दौरान मजदूरी रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।

(ग) 1999-2000 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित धनराशि तथा वास्तविक उपलब्धि निम्नानुसार है:-

योजना	आबंटित धनराशि (करोड़ रुपये में)	वास्तविक उपलब्धि
सुनिश्चित रोजगार योजना	1824.10	2,566.39 रोजगार के लाख श्रमदिन
जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	1655.00	2,486.18 रोजगार के लाख श्रमदिन
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	1105.00	579502 सहायता प्राप्त वैयक्तिक

बिहार पुलिस का आधुनिकीकरण

386. मोहम्मद अनवारूल हक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 92 करोड़ रुपए की मांग संबंधी ज्ञापन लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार में बढ़ रहे उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए इस ज्ञापन को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

आंध्र प्रदेश में गरीबी उन्मूलन

387. श्री ए. नरेन्द्र: क्या शहरी और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में गरीबी उन्मूलन के लिये किन जिलों की पहचान की गई है;

(ख) इन जिलों में गरीबी उन्मूलन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त मद में जिलेवार कितनी धनराशि खर्च की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 1.12.1997 से शुरू की गई गरीबी उपशमन स्कीम, स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना आंध्र प्रदेश राज्य सहित भारत से सभी शहरी कस्बों पर लागू है।

(ख) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत प्रगति की मानिटरिंग केवल राज्य स्तर पर ही की जाती है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्कीम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत संचित उपलब्धियां इस प्रकार हैं:-

(1) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत लघु उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या: 14576

(2) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित श्रमदिवस: 7.17 लाख

(3) सामुदायिक संरचनाओं के अंतर्गत शामिल लाभार्थी: 34.93 लाख

(ग) स्कीम का वित्त पोषण केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 आधार पर किया जाता है। चूंकि जिला स्तर पर मानिटरिंग नहीं की जाती है इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य स्तरीय व्यय इस प्रकार है:-

वर्ष	सूचित व्यय (लाख रु. में)
1997-98	44.56
1998-99	411.88
1999-2000	1825.16

[अनुवाद]

हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण

388. श्री सुबोध मोहिते: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र से हुडको के पास वित्तीय सहायता हेतु राज्यवार कितनी योजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(ख) क्या हुडको के पास दिये गये ऋणों के उपयोग की निगरानी के लिये कोई एजेंसी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) हुडको के पास लंबित आवास एवं नगर अवस्थापना स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। हुडको के क्षेत्रीय कार्यालय और मुख्यालय में लंबित महाराष्ट्र को आवास एवं नगर अवस्थापना स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) हुडको का अपना स्वतंत्र बहु-विषयक (मल्टी-डिसिप्लीनरी) परियोजना मूल्यांकन और निगरानी दल है और सभी स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी, सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में, निकटस्थ क्षेत्रीय कार्यालय और आंचलिक कार्यालय द्वारा की जाती है।

विवरण-I

हुडकों के पास लंबित आवास एवं नगर अवस्थापना स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु. में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	लंबित आवास स्कीमें		लंबित शहरी अवस्थापना कुल स्कीमें			
	स्कीमों की संख्या	मांगी गई ऋण राशि	स्कीमों की संख्या	मांगी गई ऋण राशि	स्कीमों की संख्या	मांगी गई ऋण राशि
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	1	25.00	45	88592.78	46	88617.78
असम	0	0.00	8	12179.99	8	12179.99
बिहार	1	42.24	1	119.15	2	161.39
दिल्ली	22	21072.95	2	1048.34	24	22121.29
गोवा	0	0.00	2	3100.00	2	3100.00
गुजरात	10	5964.73	3	367.09	13	6331.82
हिमाचल प्रदेश	1	36.92	1	2374.06	2	2410.98
हरियाणा	0	0.00	7	23422.90	7	23422.90
जम्मू तथा कश्मीर	0	0.00	1	365.65	1	365.65
केरल	18	5466.95	21	32702.65	39	38169.60
कर्नाटक	31	11402.02	15	48584.24	46	59986.26
मेघालय	0	0.00	1	700.00	1	700.00

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	20	20749.94	18	45740.12	38	66490.06
मध्य प्रदेश	13	3932.76	25	29090.73	38	33023.48
उड़ीसा	5	1777.38	2	2835.00	7	4612.36
पांडिचेरी	0	0.00	1	284.61	1	284.60
पंजाब	0	0.00	9	7293.03	9	7293.04
राजस्थान	2	5.85	4	1349.99	6	1355.80
सिक्किम	1	38.75	0	0.00	1	38.70
तमिलनाडु	9	1101.39	17	31352.96	26	32454.05
त्रिपुरा	0	0.00	4	118.40	4	118.00
उत्तर प्रदेश	11	3156.34	22	31395.12	33	34551.06
पश्चिम बंगाल	9	2940.95	3	7315.00	12	10255.03
कुल	154	77714.17	212	370331.81	366	448045.90

विवरण-II

महाराष्ट्र की लंबित आवास स्कीमों का ब्यौरा

(लाख रु. में)

एजेंसी के पास लंबित स्कीमें		क्षेत्रीय कार्यालय में लंबित स्कीमें		मुख्यालय में लंबित स्कीम		कुल लंबित स्कीमें	
स्कीमों की संख्या	ऋण राशि	स्कीमों की संख्या	ऋण राशि	स्कीमों की संख्या	ऋण राशि	स्कीमों की संख्या	ऋण राशि
6	2198.80	6	12982.78	8	5568.36	20	20749.94

महाराष्ट्र की लंबित नगर अवस्थापना स्कीमों का ब्यौरा

(लाख रु. में)

हडको की शहरी अवस्थापना समिति द्वारा अनुमोदित स्कीमें और जिन्हें स्वीकृत किया जाना है						प्रक्रियाधीन स्कीमें		कुल
स्कीमों की संख्या	परियोजना लागत	ऋण राशि	स्कीमों की संख्या	परियोजना लागत	ऋण राशि	स्कीमों की संख्या	परियोजना लागत	ऋण राशि
1	6500.00	4500.00	17	59470.64	41240.12	10	65971.64	45740.12

मानव जीनोम

389. श्री उत्तमराव ढिकले:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जीनोम की खोज कर ली है;

(ख) क्या कुछ वर्ष पहले इंस्टीट्यूट ऑफ मोलीक्यूलर बायोलोजी ने भी इस संबंध में प्रस्ताव भेजा था;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस क्षेत्र में भारत किस स्थान पर है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): (क) 26 जून, 2000 को मानव जीनोम अनुक्रमण की कार्ययोजना का मसौदा घोषित किया गया था। इस अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में 6 देशों ने भाग लिया जिनके नाम हैं:- अमरीका, यू के, जर्मनी, [illegible] और जापान।

(ख) से (घ) देश के कुछ वैज्ञानिकों ने 1989-90 को एक प्रस्ताव सरकार को दिया था। उसके पश्चात् मानव जीनोम पहल की प्रक्रिया को बनाने के लिए वैज्ञानिकों के बीच विचार-विमर्श किया गया था। तद्नुसार, तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात मानव जीनोम-एक भारतीय शुरूआत मानव जीनोम विविधता और जीन चिकित्सा तथा जैवनैतिकता पर कार्यक्रम शुरू किए गए थे। देश में प्रचलित आम आनुवांशिक विकृत्तियों के लिए प्रभावित परिवारों को प्रसवपूर्व निदान और परामर्श प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 14 आनुवंशिक-व-परामर्श एककों की स्थापना की गई थी। फंक्शनल जीनोमिक्क और मानव जीनोम विविधता के संबंध में कार्यक्रम कार्यान्वयन के अधीन है जिसके अनुसंधान संकेत उत्साहवर्धक है। साथ ही 1995 से कोशकीय और आण्विक जीवविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद द्वारा मानव "वाई" क्रोमोसोम के संबंध में अनुक्रमण पर एक अनुसंधान प्रस्ताव कार्यान्वित किया गया है। भारत में फंक्शनल जीनोमिक्स और संबंधित क्षेत्रों में एक सुदृढ़ अवसंरचना और विशेषज्ञता सृजित की गई है।

सेन्ट्रल कोलफील्ड लि. को घाटा

390. श्री रघुनाथ झा:
श्री रामजी मांझी:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत कितनी कोयला खानें घाटे में चल रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक को कितना घाटा हुआ;

(ग) तत्संबंधी कोयला खान-वार कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कोयला खानों में घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) की घाटे में चल रही कोयला खानों की संख्या नीचे दी गई है:-

	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनन्तिम)
सी.सी.एल. की घाटे में चल रही खानें	50	50	53

सी.सी.एल. के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखों की अभी लेखा-परीक्षा की जाती है। सी.सी.एल. और कोल इंडिया लि. की अन्य सहायक कंपनियों के लेखे पूरे एक वित्तीय वर्ष के तैयार किए जाते हैं और इसलिए सी.सी.एल. की घाटे में चल रही कोयला खानों की संख्या और उनके 1.4.2000 से 25.7.2000 के दौरान घाटे संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, पिछले तीन वित्तीय वर्षों 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 (अनन्तिम) के दौरान सी.सी.एल. की खानों के घाटे संबंधी खान-वार विवरण संलग्न है।

(ग) संलग्न विवरण में सूचीबद्ध सी.सी.एल. की 53 कोयला खानों में घाटे के कारण आमतौर पर एक जैसे हैं। इन खानों में घाटे के मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं:-

(1) उच्च ग्रेड उपलभ्य सामग्री की तुलना में निम्न ग्रेड कोयला रिजर्व से उत्पादन अधिक होना जिसके कारण प्रतिकूल उत्पाद-मिश्रण की स्थिति उत्पन्न होना।

(2) भू-अधिग्रहण, वन भूमि संबंधी स्वीकृति और गांवों के पुनर्वास में विलंब के कारण उपयोगी कोयला रिजर्व कम मिलना, जिसके कारण कोयला उत्पादन में कमी रही।

(3) उपयोगी कोयला रिजर्व में कमी होने के कारण मध्यम श्रेणी के कोकिंग कोयले का उत्पादन कम होना।

(4) सी.सी.एल. के कार्यक्षेत्र में सात क्षेत्रों में पुरानी और अपेक्षाकृत कम उत्पादक खाने हैं जहां काफी अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं। इस प्रतिकूल उत्पादन-जनशक्ति अनुपात के कारण कंपनी की लाभदायकता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। विशेष रूप से सीसीएल की अमितव्ययी भूमिगत खानों में काफी अधिक जनशक्ति लगी हुई है। अनुबन्ध में सूचीबद्ध सी.सी.एल. की घाटे में चल रही 53 खानों में से 32 भूमिगत खाने हैं। कंपनी की घाटे में चल रही खानों में से 60.38% भूमिगत खाने हैं और इसलिए कंपनी की घाटे में चल रही खानों में से अधिकांश भूमिगत खाने हैं।

(5) सी.सी.एल. में पुराने उपस्करों की संख्या काफी अधिक होने के परिणामस्वरूप हैवी अर्थ मूविंग मशीन की कार्यक्षमता कम होने के कारण उपलब्धता एवं समुपयोजन की स्थिति खराब रही है इससे संबंधित उपस्कर की उत्पादकता कम रही है।

सी.सी.एल. के घाटे का एक मुख्य कारण, पिछले तीन वर्षों के दौरान पुराने विविध देनदारों संबंधी लगभग 215 करोड़ रु. की राशि को बट्टे खाते डालना/समायोजन करना है।

(घ) सी.सी.एल. की कोयला खानों में घाटे को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं:-

(1) अत्यधिक अमितव्ययी एवं अव्यवहार्य खानों को बंद करना और शेष विद्यमान अमितव्ययी खानों को पुनः संगठित करना या उनकी पुनर्रचना करना ताकि इन खानों के उत्पादन तथा इनकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सके।

(2) स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के माध्यम से कार्मिकों में कमी करना और मौजूदा कार्मिकों को प्रशिक्षित करके एवं उनकी कार्यक्षमता में बढ़ौतरी करने उन्हें योजनाबद्ध रूप से पुनः तैनात करना।

(3) झारखंड ओपनकास्ट तथा तोपा ओपनकास्ट जैसी नई खानों का विकास करना और फुसरो जारंगदीह रेल लाइन का मार्ग बदलना। इससे न केवल उत्पाद मिश्रण में सुधार होगा बल्कि कोकिंग कोयले का उत्पादन भी बढ़ेगा जिसके फलस्वरूप वाशरीज की समुपयोजन क्षमता में सुधार होगा।

(4) पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण तथा वन संबंधी स्वीकृति जैसे मामलों पर विशेष ध्यान देना। खानों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जा रहा है जिससे आने वाले वर्षों में सी.सी.एल. के उत्पादन एवं इसकी उत्पादकता में वृद्धि होगी।

(5) चालू वर्ष तथा 9वीं योजना के अंतिम वर्ष के दौरान हैवी अर्थ मूविंग मशीन के प्रतिस्थापन के माध्यम से हैवी अर्थ मूविंग मशीन की कार्यक्षमता में सुधार करने संबंधी सुधारात्मक कदम उठाना। इससे उपलब्धता तथा समुपयोजन में सुधार होगा। वास्तव में, हैवी अर्थ मूविंग मशीन का क्षमता समुपयोजन जो तीन वर्ष पहले लगभग 64% था, वर्ष 1999-2000 में लगभग 77% हो गया है।

विवरण

सी.सी.एल. की खानों में पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के दौरान उठाई गई हानि का विवरण-पत्र

(लाख रुपये में)

खान का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनंतिम)
1	2	3	4
भुरकुंदा ओ.का.	840.00	719.00	1725
भुरकुंदा भू.ग.	913	721	576

1	2	3	4
लापंगा भू.ग.	488	488	467
सौंदा - डी.भू.ग.	1468.00	1343.00	1270.00
सौंदा-डी.ओ.का.	618.00	740.00	905.00
सेंट्रल सौंदा भू.ग.	1150.00	965.00	989.0
सौंदा भू.ग.	797.00	1255.00	1373.00
हिंदेगिर भू.ग.	531.00	656.00	896.00
सयाल-डी.भू.ग.	2082.00	2529.00	2465.00
उरीमरी भू.ग.	255.00	210.00	172.00
गिद्दी-सी.ओ.का.	शून्य	730.00	1203.00
रेलीगारा भू.ग.	85.00	121.00	194.00
रेलीगारा ओ.का.	683.00	शून्य	621.00
सिरका भू.ग.	807.00	740.00	789.00
— ओ.का.	1885.00	439.00	286.00
	210.00	344.00	430.00
मंकीचुरी भू.ग.	144.00	82.00	40.00
हुटार भू.ग.	261.00	219.00	190.00
राजहरा ओ.का.	305.00	490.00	411.00
बचरा-रे.भू.ग.	557.00	622.00	111.00
कुजू भू.ग.	959.00	1423.00	1299.00
कुजू ओ.का.	274.00	160.00	226.00
अरा भू.ग.	710.00	499.00	469.00
अरा ओ.का.	568.00	881.00	860.00
सरूगेरा भू.ग.	576.00	630.00	790.00
सरूगेरा ओ.का.	543.00	486.00	415.00
टोपा भू.ग.	809.00	932.00	1174.00
पिद्रा भू.ग.	660.00	706.00	689.00
पिद्रा ओ.का.	210.00	625.00	384.00
केडला भू.ग.	501.00	483.00	311.00

1	2	3	4
तपिन (एस) भू.ग.	27.00	95.00	110.00
तपिन (एस) ओ.का.	शून्य	शून्य	214.00
झारखंड ओ.का.	13.00	254.00	534.00
लेयो भू.ग.	531.00	635.00	459.00
बोकारो ओ.का.	1043.00	765.00	1316.00
कारगली भू.ग.	338.00	316.00	357.00
कारगली ओ.का.	119.00	1485.00	2771.00
कारो- भू.ग.	396.00	366.00	436.00
खासमहल भू.ग.	419.00	435.00	570.00
कारो स्पे. भू.ग.	695.00	815.00	714.00
गिरडीह भू.ग.	139.00	157.00	172.00
गिरडीह ओ.का.	1633.00	2275.00	2432.00
धोरी ओ.का.	1241.00	743.00	586.00
अमलो ओ.का.	शून्य	शून्य	171.00
एन.एस.धोपी भू.ग.	659.00	675.00	549.00
धोरी (के) भू.ग.	269.00	211.00	134.00
धोरी (के) ओ.का.	18.00	416.00	234.00
कथारा ओ.का.	1797.00	2798.00	2272.00
जारंगडीह भू.ग.	1111.00	1412.00	1141.00
सवांग भू.ग.	752.00	993.00	874.00
सवांग ओ.का.	670.00	520.00	311.00
गोविंदपुर भू.ग.	878.00	956.00	1019.00
गोविंदपुर ओ.का.	752.00	975.00	1104.00

कर्नाटक में परियोजनाएं

391. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक से दी जा रही सहायता वाले कर्नाटक नगरपालिका विकास तथा शहरी बुनियादी संसाधन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना में शामिल करने हेतु शहरों/नगरों के वरीयता क्रमवार पर आधारित कोई सूची प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो इन शहरों/नगरों के नाम क्या हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) परियोजना को नया नाम "कर्नाटक जल एवं नगर (अरबन) प्रबंध परियोजना" (के.डब्ल्यू.यू.एम.के.) दिया गया है और प्रारंभिक अध्ययन चल रहा है। तथापि, इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए अभी विश्व बैंक की ओर से कोई बचनबद्धता नहीं है।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले निम्नलिखित नगरों/कस्बों की सूची प्रस्तुत की है:-

बेलगांव, बेल्लारी, बिदर, बीजापुर, भद्रावती, चित्रदुर्ग, देवनगिरि, गुलबर्गा, हास्पेट, हुबली-धारवाड़, रायचूर, शिमोगा, गडग-बेतगिरि।

[हिन्दी]

दिल्ली में बम धमाके

392. श्री जे.एस. बराड़:
श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में गत तीन वर्ष के दौरान आज तक प्रति वर्ष बम विस्फोटों की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) इसमें जान-माल का कितना नुकसान हुआ है;

(ग) प्रत्येक घटना के संबंध में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और दण्डित किया गया; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं—आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना; बीट गश्त गहन करना; अपराधियों और आतंकवादियों के छुपने के संदिग्ध ठिकानों पर नजर रखना और निरंतर छापे मारना; विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाले बजारों और मनोरंजन के स्थानों में व्यक्तियों और सामान की जांच करना; और हरेक पुलिस जिले में आतंकवादी-निरोधक प्रकोष्ठ बनाना।

विवरण

वर्ष	घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	नष्ट हुई संपत्ति	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	दंडित व्यक्तियों की संख्या
1997	24	11	दो बसें, एक जीप, बसों की खिड़कियों के शीशे, "छोले-भटूरे" का एक स्टाल, बस का फर्श और सामने का विंड ग्लास, एक सोफा सेट, एक रेफ्रिजरेटर, इत्यादि।	7	-
1998	5	4	चार कारें, एक साईकिल, एक स्कूटर, इमारतों के खिड़कियों के शीशे, सात बसें, दो साईकिल रिक्शा, एक मोटर साईकिल, एक आईस-क्रीम ट्राली और एक तीन सीटों वाला रिक्शा।	-	-
1999	2	2	तीन कारें, तीन स्कूटर, एक मोटर साईकिल, एक रिक्शा और पुलिस चौकी का हिस्सा।	2	-
2000 (30.6.2000)	5	2	रेल के डिब्बे की खिड़कियों के शीशे और फर्श, गेस्ट हाउस की पूरी इमारत, पिआओ का एक दरवाजा, बस के खिड़कियों के शीशे, डी.टी.सी. का एक पूछताछ बूथ और दिल्ली नगर निगम का एक कूड़ादान।	2	-

सी.सी.एस. के सहायकों को ओपन पास (मान्य प्रवेश पत्र) जारी करना

393. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लिपिकीय सेवा संवर्ग के सहायकों को नीतिगत मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए "ओपन पास" जारी करने की प्रथा बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारी संघ द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों के अनुसरण में पुनः ऐसे "ओपन पास" जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) जून 1998 से सरकारी कर्मचारियों के ओपन फोटो पास, जिसके धारक को सचिवालय सुरक्षा संगठन के सुरक्षा कवर के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अबाध प्रवेश का अधिकार हैं, केवल राजपत्रित अधिकारियों को ही जारी किए जाते हैं। सहायकों वैयक्तिक सहायक आदि सहित गैर-राजपत्रित अधिकारियों को ओपन फोटो पास जारी करने की प्रथा समाप्त कर दी गई है। यह निर्णय विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के कार्यों के स्वरूप और जिम्मेदारियों के मूल्यांकन और उनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन में विभिन्न सरकारी भवनों जहां वे कार्य कर रहे हैं उसे छोड़कर में उनके आने-जाने की आवश्यकता के आधार पर लिया गया है। तथापि उपयुक्त मामलों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों की विशिष्ट सिफारिशों पर प्रत्येक मामले के गुण-दोष और आवश्यकता के आधार पर गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को भी ओपन फोटो पास जारी किए जाते हैं।

(ग) जी नहीं श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती

394. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती के बदले धनराशि वसूल करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से इस मद के अंतर्गत वसूल की जाने वाली बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बकाया राशि की वसूली करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) तैनाती लागत की वसूली की जा रही है लेकिन विभिन्न राज्यों की वित्तीय कठिनाईयों के कारण इसे पूरी तरह वसूल नहीं किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बकाया के मामले में, बकाया राशि को वसूल किया जा रहा है। तथापि, कुछेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है क्योंकि उनमें कुछ तो रुग्ण हो गए या बंद हो गए या वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) यह मंत्रालय, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए योजनाओं के अन्तर्गत रिलीज की गई राशि में से किया जा रहा है।

विवरण

केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा दी जाने वाली बकाया राशि का विवरण

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	सीमा सुरक्षा बल	के.रि.पु.बल/आर.ए.एफ. (रुपये करोड़ों में)	सी.आई.एस.एफ.	आई.टी.बी.पी.	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	असम	1,75,98,867	43,86,49,161	-	-	45,62,48,028
2.	आन्ध्र प्रदेश	5,16,04,900	85,81,24,350	-	68,85,416	91,66,14,666

1	2	3	4	5	6	7
3.	बिहार	45,700	67,51,79,556	4,05,24,366	5,75,15,415	77,32,65,038
4.	दिल्ली	–	129,27,23,419	140,51,59,149	–	269,78,82,568
5.	गोवा	–	14,80,886	17,150	–	14,98,036
6.	गुजरात	–	93,68,215	–	–	93,68,215
7.	हरियाणा	–	57,38,715	4,12,99,401	16,05,15,066	20,75,53,182
8.	केरल	–	12,70,760	–	–	12,70,760
9.	कर्नाटक	–	2,75,47,115	1,05,207	–	2,76,52,322
10.	महाराष्ट्र	–	–	6,44,154	–	6,44,154
11.	मध्य प्रदेश	–	57,77,172	(–2185)	–	57,77,172
12.	उड़ीसा	–	21,66,854	–	–	21,66,854
13.	पांडिचेरी	–	1,11,00,597	–	–	1,11,00,597
14.	पंजाब	29,83,44,230	203,85,83,772	4,27,61,417	23,83,91,611	261,80,81,030
	राजस्थान	–	39,51,123	–	–	39,51,123
	तमिलनाडु	–	75,83,70,522	1,42,52,331	–	77,26,22,853
17.	उत्तर प्रदेश	3,98,848	125,47,70,004	1,50,35,170	83,43,350	127,85,47,372
18.	पश्चिम बंगाल	–	1,95,24,184	–	–	1,95,24,184
	कुल	36,79,92,546	740,43,26,405	1,55,97,98,345	47,16,50,858	980,37,68,154

टिप्पणी: छूट प्राप्त राज्य

(क) जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणीपुर, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश और मेघालय

(ख) असम, 1.4.98 से 10/

(ग) बिना विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्र।

मार्च 2000 के लिए चूककर्ता उपक्रमों की सूची

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	मासिक औसतन बिल	अंतिम शेष	मौजूदा शेष
1	2	3	4	5
1.	बी.सी.सी.एल. झारिया	353.11	1513814204	1568675400
2.	एच.ई.सी. रांची	70.66	387113314	391894448

1	2	3	4	5
3.	आर.एस.पी. राऊरकेला	142.67	352437167	352657203
4.	डी.एस.पी दुर्गापुर	145.89	283260279	290283521
5.	बी.एस.पी. भिलाई	151.71	186592276	190635956
6.	वी.एस.पी. विशाखापत्तनम	75.40	155591405	157938328
7.	ई.सी.एल. सीतलापुर	100.34	160004985	147915053
8.	आई.आई.एस.सी.ओ. बर्नपुर	82.21	136357114	127630700
9.	ए.एस.पी. दुर्गापुर	42.61	109790979	113236917
10.	सी.सी.एल. बिहार	75.93	99674864	103932033
11.	एस.ए.एम.सी. दुर्गापुर	14.03	92879637	94979140
12.	सी.सी.डब्ल्यू.ओ. धनबाद	19.98	84070056	85608130
13.	आई.डी.पी.एल. ऋषिकेश	10.58	57311300	58247651
14.	के.सी.सी. खेतरी (डब्ल्यू/डी)	0.00	50652644	50652644
15.	टी.एस.एल. नैनी	9.71	46134463	46764465
16.	एच.एफ.सी.एल. नामरूप	20.05	48114006	46692858
17.	एफ.सी.आई. सिंदरी	22.31	44181745	44662026
18.	ओ.टी.एच.पी.पी.	50.16	43919921	43485816
19.	एच.एम.टी. श्रीनगर	7.28	37150342	39180862
20.	ए.टी.पी.पी. अन्नपारा	38.00	36652086	35018198
21.	एच.एफ.सी.एल दुर्गापुर	13.43	34718626	33375973
22.	एच.एफ.सी.एल. हल्दिया	14.36	33516664	32094535
23.	एम.एम.टी. रानीबाग	8.10	30996182	31645134
24.	एच.टी.पी.पी. हरदुआगंज	33.87	29208275	29356249
25.	एन.पी.पी.सी.एल. नागालैंड	13.19	27008607	27175904
26.	पी.टी.पी.एस. पनकी	26.04	22365993	23712298
27.	एच.ए.एल. पीम्परी (पुणे)	8.48	22632247	22730041
28.	बी.ओ.एम. बोलानी (आर.एस.पी.)	12.48	22369360	22378915
29.	पी.टी.पी.पी. परीछा	26.68	24352559	22223191
30.	एन.पी.पी. नौगांव	18.83	22787659	22200949

1	2	3	4	5
31.	टी.टी.पी.पी. टांडा	20.06	21105927	21998723
32.	आई.डी.पी.एल. हैदराबाद (डब्ल्यू/डी)	0.00	21844340	21844340
33.	एच.एफ.सी.एल. बरूनी	9.83	22234218	20703699
34.	एफ.सी.आई. रामागुंडम	11.18	19106864	20328724
35.	आई.डी.पी.एल. मुजफ्फरपुर	6.73	18394667	18394667
36.	एफ.सी.आई. गोरखपुर	8.08	17167611	18031624
37.	एच.ओ.सी. रासायनी	13.56	17191204	17973159
38.	आई.डी.पी.एल. गुड़गांव	3.81	17353380	17570827
39.	बी.ओ.जी.एल. दुर्गापुर	3.14	16920352	16962294
40.	एफ.सी.आई. तिलचर	10.28	15602170	16566098
41.	रोहतास इंडस्ट्रिज	5.32	15893562	16410821
42.	एस.पी.ई.सी. कोवयूर	2.99	14302943	14547719
	एफ.ए.सी.टी. कोचीन	23.46	12962036	14409297
	बी.पी.सी.एल. नैनी	7.72	12174256	12637918
45.	डी.सी.सी. दानकुनी	9.30	12206193	12412701
46.	बी.एल.एस.एम. भवनाथापुर	6.84	12407930	11550179
47.	सी.पी.पी. कच्छार	17.05	9728585	11405568
48.	राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली	7.31	10480910	11100009
49.	आई.टी.आई. रायबरेली	12.59	10427997	11093998
50.	आई.टी.आई. नैनी	17.70	11931193	11005439
51.	टी.एस.पी. तुंगभद्रा	3.79	10489145	10826912
52.	आर.सी.पी. राका (डब्ल्यू/डी)	0.00	10579336	10579336
53.	एच.आई.एल. रासायानी	8.98	8996217	9664876
54.	बी.एच.ई.एल. झांसी	13.59	8177398	9514373
55.	के.आई.ओ.एम. क्रीबोरू	9.85	10764016	9430896
56.	एन.आई.एल. जादवपुर (डब्ल्यू/डी)	0.00	8685418	8685418
57.	एम.एफ.एल. मनाली	12.18	6744040	7601815
58.	एस.ए.आई.एल. (एस.वाई.) पहाड़पुर	9.70	4995871	5976696

1	2	3	4	5
59.	एच.आई.एल. (यू.डी.एल.)	5.53	5461870	5951747
60.	बी.आर.एल. रामगढ़ (डब्ल्यू/डी)	0.00	5268981	5268981
61.	एच.आई.एल. दिल्ली	4.30	4300938	4683572
62.	एस.आई.आई.एल. पलांक्षा (डब्ल्यू/डी)	4.30	4583385	4583385
63.	पी.टी.पी.एस. पानीपत	6.68	4247139	4105906
64.	एस.ए.आई.एल./हैसी विजग	2.79	1485045	1676908
65.	एस.सी.एल. मोहाली (डब्ल्यू/डी)	0.00	1493375	1493375
66.	ओ.एन.जी.सी. मद्रास (डब्ल्यू/डी)	0.00	1449543	1449543
67.	पी.जी.सी.आई.एल. मोंगा (पंजाब) (डब्ल्यू/डी)	0.00	8295	9363
	कुल	1886.73	4602825304	4675435444

मार्च 2000 के लिए चूककर्ता उपक्रमों की सूची

क्र. सं.	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	तैनाती की तारीख	पदों की संख्या	औसतन बिल लाख	अंतिम शेष	बिल राशि	कुल रुपये	प्राप्त राशि	वास्तविक शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ए.बी.पी.पी./एन.टी.पी.सी. अंता कोटा	30/12/88	146	12.56	997463	845090	18442553	997463	34509
2.	ए.एल.एक्स. नीमच	11/06/70	46	4.41	345296	305705	651001	345296	305701
3.	ए.एस.पी. दुर्गापुर	20/09/70	498	42.61	109790979	3445938	113236971	0	11323691
4.	ए.टी.पी.पी. अनपारा	01/12/85	474	38.00	38652086	2531308	39183394	4165196	35016198
5.	ए.यू.बी.पी.पी. इटावा	07/12/88	168	13.40	1115458	1036546	2152004	1113458	1036548
6.	बाल्को कोरबा	11/05/73	273	19.44	0	1912749	1932749	0	1932745
7.	बी.ए.आर.सी./टेप्स तारापुर	15/12/99	287	0.00	3406350	2516084	1932749	0	5922434
8.	बी.सी.सी.एल. झरिया	11/09/72	4521	353.11	1513814204	54861196	1568675400	0	1568675400
9.	बी.सी.पी.पी. कोरबा	15/04/98	128	8.69	723371	685250	1408621	1335666	72953
10.	बी.डी.एल. भानोर	15/05/89	217	16.07	2279650	1408318	3687968	0	3687968
11.	बी.ओ.सी. कंचनबाग	04/03/93	165	12.26	2348704	1625253	3973957	0	3973957
12.	बी.एच.ई.एल. बंगलौर	01/07/97	90	7.58	3194948	705110	3900058	1084999	2815059
13.	बी.एच.ई.एल. भोपाल	18/11/81	753	55.66	11856955	3574743	15431698	0	15431698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	बी.एच.आई.एल. हरिद्वार	28/12/75	579	43.28	10417906	3724662	14142568	6436608	7705960
15.	बी.एच.ई.एल. झांसी	29/09/75	181	13.59	6177398	1336975	9514373	0	9514373
16.	बी.एच.ई.एल. रामाचन्द्रापुरम	12/04/88	470	36.96	12696571	1896951	14595522	4428432	10167090
17.	बी.आई.ओ.पी. डीप-14 (क्रीडोल)	05/05/73	179	13.45	5696064	1129591	6825655	1094132	5731523
18.	बी.आई.ओ.पी. डीप-5 (बैचेली)	10/01/73	142	10.83	5875461	2547303	8422764	7468803	953961
19.	बी.के.पी.एल. बरौनी	01/01/82	24	1.98	177673	144245	321918	321918	0
20.	बी.एल.एस.एम. भवनथापुर	25/04/85	109	6.84	12407930	477571	12885501	1335322	11550179
21.	बी.एन.पी. देवास	03/02/72	386	30.63	0	2143708	2143708	2143708	0
22.	बी.ओ.जी.एल. दुर्गापुर	05/11/70	41	3.14	16920352	141942	17062294	100000	16962294
23.	बी.ओ.एम. बोलानी (आर.एस.पी.)	20/04/85	154	12.48	22369360	1112974	23482334	1103419	22378915
24.	बी.पी.सी.एल. बम्बई	30/03/90	209	16.98	4634785	1194898	5829683	1359210	4470473
	पी.सी.एल. नैनी	09/11/74	91	7.22	12174256	463662	12637918	0	12637918
26.	बी.आर.एल. रामगढ़ (डब्ल्यू/डी)	//	0	0.00	5268981	0	5268981	0	5268981
27.	बी.आर.पी.एल. बोंगईगांव	16/11/76	397	32.71	9314780	3086148	12400928	4383637	8017291
28.	बी.एस.एल. बोकारो	02/11/69	1830	160.79	103942968	11430170	115373138	23428189	91944949
29.	बी.एस.पी. भिलाई	15/10/71	1759	151.71	186592276	4043680	190635956	0	190635956
30.	बी.एस.पी. सूरनगंनी (एच.पी.)	15/7/85	134	10.85	5132832	1052994	6185826	15366212	4649205
31.	बी.टी.एन. माईन्स	26/7/92	80	6.59	522	483765	484287	522	483765
32.	बी.टी.पी.एस. बदरपुर	01/01/85	390	29.28	9261247	3019959	12281206	5898468	6382718
33.	बी.टी.पी.एस./डी.वी.सी. बोकारो	20/9/89	392	30.04	5984940	1834649	7819589	0	7819589
34.	सी.सी.आई.एल. तुगलकाबाद	15/9/97	125	9.88	3025554	939273	3964827	0	3964827
35.	सी.सी.एल. बिहार	08/01/96	1654	75.93	99674864	9112557	106787421	4855368	103932033
36.	सी.सी.डब्ल्यू.ओ. धनबाद	21/04/72	311	19.98	84070056	1538074	85608130	0	85608130
37.	सी.एच.ई.पी. कमेरा	31/03/94	160	7.82	1799028	864962	2663990	1357242	1306748
38.	सी.एल.जेड.एस. चित्तोड़गढ़	10/08/91	186	12.91	3481980	768897	4250877	3480780	770097
39.	कोच्चीन शिपयार्ड	01/03/71	122	12.81	7469165	719154	8188319	6301855	1886464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	सी.पी.पी. कच्छार	15/09/82	200	17.05	9728587	1676981	11405568	0	11405568
41.	सी.पी.टी. कलकत्ता	21/02/71	1341	109.04	36232676	7280479	43513155	0	43513155
42.	सी.पीटी कोच्चीन	01/03/71	509	37.73	8017245	1687289	9704533	3108682	6595851
43.	सी.टी.पी.एस. चन्द्रपुरा	17/02/92	405	29.92	5767036	1703959	7470995	0	7470995
44.	डी.सी.सी. डंकुनी	09/02/83	113	9.30	12206193	1371726	13577919	1155218	12412701
45.	डी.ई.एस.यू. नई दिल्ली	05/06/87	114	8.94	826995	762307	1609302	826995	582307
46.	डी.एच.ई.पी. डलहस्ती	01/12/91	602	49.66	12794867	4405873	17200760	12795267	4405473
47.	डी.एच.ई.पी.पी. दोयांग	06/04/94	185	14.19	8774621	0	8774621	2818260	5956361
48.	डी.आई.ओ.एम. डोनीमलाई	11/01/72	80	6.82	535715	574389	1110104	1110104	0
49.	डी.एम.पी. पन्ना	07/01/72	79	5.21	0	541221	541221	0	541221
50.	डी.ओ.एस.ईसरो बंगलौर	/ /	0	0.00	330278	61783	392061	0	392061
51.	डी.एस.पी.एस. दुर्गापुर	03/08/70	1598	145.89	283260279	7023242	290283521	0	290283521
52.	डी.टी.पी.एस. दुर्गापुर	02/03/82	395	27.00	16870744	2215393	19086137	5335338	13750795
53.	डी.वी.सी. हैडक्वाटर (कलकत्ता)	01/01/82	63	6.16	3892	388739	392631	0	392631
54.	ई.सी.एल. सीतलपुर	15/07/83	1100	100.34	160004985	5252075	165257060	17342007	147915053
55.	एफ.ए.सी.टी (यू.डी.एल.)	01/04/73	364	25.22	13024227	2355705	15379932	2230695	13149237
56.	एफ.ए.सी.टी. कोच्चीन	15/04/70	307	23.46	12962036	1447261	14409297	0	14409237
57.	एफ.बी.पी. फरक्का	03/02/77	602	45.86	18605126	3909252	22514378	0	22514378
58.	एफ.सी.आई. डिंगाघाट	13/10/70	65	6.47	1266307	0	1266307	1266307	0
59.	एफ.सी.आई. गया	20/04/71	55	4.34	2378039	0	2378039	2027069	350970
60.	एफ.सी.आई. गोरखपुर	08/09/72	124	8.08	17167611	864013	18031624	0	18031624
61.	एफ.सी.आई. मुखमेह	13/10/70	68	5.85	2846237	0	2846237	1752298	1093939
62.	एफ.सी.आई. नई जलपाईगुड़ी	12/05/72	119	8.37	1271679	819599	2091278	712817	1378461
63.	एफ.सी.आई. फुलवारीशरीफ	20/04/71	38	3.34	498093	0	498093	498093	0
64.	एफ.सी.आई. रामागुंडम	19/12/71	173	11.18	19106864	1221860	203268724	0	20328724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65.	एफ.सी.आई. सिंदरी	12/01/72	357	22.31	44181745	2189911	46371656	1709630	44662026
66.	एफ.सी.आई. तिलचर	13/02/72	133	10.28	15602170	963928	16566098	0	15566098
67.	एफ.जी.पी.पी/एन.टी.पी.सी. फरीदाबाद	13/04/99	94	0.00	589942	1096642	1686584	0	1686584
68.	एफ.जी.यू.पी.सी./एन.टी.पी.सी. ऊंचाहार	30/11/87	396	29.58	0	2277666	2277666	2277666	0
69.	पी.एस.टी.पी.सी. फरक्का	15/06/81	654	45.52	4253961	0	4253961	4253961	0
70.	जी.ए.आई.एल. ईटावा (पट्टा)	10/05/95	216	13.37	1531236	1899716	3430952	1531236	1899716
71.	जी.ए.आई.एल. त्रिपुरा	/ /	180	6.66	1999067	0	1999067	0	1999067
72.	जी.ए.आई.एल. उसेर (एम.एस.)	25/09/98	72	4.27	565432	549116	1114548	1114548	0
73.	गोवा शिपयार्ड	26/01/96	113	8.11	1216341	825337	2041678	801765	1239913
74.	जी.ओ.एफ. गाजीपुर	06/11/70	123	10.59	1113577	53438	1167015	0	1167015
	ओ.एफ. नीमच	06/11/70	104	5.00	376757	311515	688272	376757	311515
76.	एच.ए.एल. पीम्परी (पुणे)	26/01/75	79	8.48	22632247	514559	23146806	416765	22730041
77.	एच.डी.सी. हल्दिया	22/09/71	443	32.60	2690380	2591607	5281987	2690380	2592607
78.	एच.ई.सी. रांची	20/11/71	1088	70.66	387113314	4781134	391894448	0	391894448
79.	एच.ई.पी. ऊड़ी बारामूल्ला	10/04/92	9685	43.57	1413361	9065426	10478787	5907227	4571560
80.	एच.एफ.सी.एल. बरूनी	08/01/70	136	9.83	22234218	611669	22845887	2142168	20703699
81.	एच.एफ.सी.एल. दुर्गापुर	22/12/72	197	13.43	34718626	925760	35644386	2268413	33375973
82.	एच.एफ.सी.एल. हल्दिया	01/08/72	200	14.36	3351664	1014490	34531154	2436619	32094535
83.	एच.एफ.सी.एल. नामरूप	13/09/75	199	20.05	48114005	1844172	49958178	3265320	4669285
84.	एच.आई.एल. (यू.डी.एल.)	12/04/73	72	5.53	5461870	489877	5951747	0	595174
85.	एच.आई.एल. दिल्ली	27/04/72	50	4.30	4300938	362634	4683572	0	468357
86.	एच.आई.एल. रासायनी	15/03/80	97	8.96	8996217	668659	9664876	0	966487
87.	एच.एम.टी. रानीबाग	10/12/94	112	8.10	30996182	648952	31645134	0	31645134
88.	एच.एम.टी. श्रीनगर	16/12/71	99	7.28	37150342	2030520	39160862	0	3918086
89.	एच.एन.एल. कोट्टयम	10/02/88	202	14.53	3820732	1130872	4951604	0	4951604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.	एच.ओ.सी. रसायनी	08/04/73	167	13.56	17191204	781955	17973159	0	17973159
91.	एच.पी.सी.एल. बम्बई	14/12/88	251	20.07	8461630	1451651	10913281	1662413	925086
92.	एच.पी.सी.एल. बोटलिंग प्लांट	20/09/94	38	2.86	496418	339233	835651	319[illegible]	516135
93.	एच.पी.सी.एल.-वीअर-विजंग (वी.ए.सी.)	20/11/87	214	16.14	1367581	1734557	3102138	1532455	156968
94.	एस.एस.एल. (एस/वाई) दुर्गापुर	01/07/87	36	2.00	738701	195187	933888	386728	547164
95.	एच.टी.पी.पी. हरदुआगंज	18/06/83	407	33.87	29206275	2270279	31578554	2222305	2935624
96.	एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरू	14/12/87	241	17.08	1623831	1487503	3111334	1623831	1487503
97.	एच.डब्ल्यू.पी. तिलचर	07/11/77	32	2.19	198550	261685	460236	198550	2616665
98.	एच.जेड.एल. अग्निगुंडाला	15/12/71	47	3.32	458316	227370	685686	685686	0
99.	एच.जेड.एल. भिलवाड़ा	10/07/81	117	8.24	1972569	781557	2754126	2754126	0
100.	एच.जेड.एल. सरगईपल्ली	19/01/87	71	5.38	2276842	509705	2786547	2786547	0
101.	एच.जेड.एल. टुंडो	22/12/72	72	6.65	1265442	599715	1865157	599715	1265442
102.	एच.जेड.एल विंजग (वी.एस.पी.)	14/11/74	176	12.60	0	985111	985111	985111	0
103.	आई.डी.पी.एल. गुड़गांव	01/06/81	49	3.81	17353380	217447	17570827	0	17570827
104.	आई.डी.पी.एल. हैदराबाद (डब्ल्यू/डी)		0	0.00	21853380	0	21844340	[redacted]	
105.	आई.डी.पी.एल. मुजफ्फरपुर	15/10/81	35	6.73	18394667	0	18394667	0	18394667
106.	आई.डी.पी.एल. ऋषीकेश	26/03/77	149	10.58	57311300	936351	58247651	0	58246651
107.	आई.एफ.एफ.सी.ओ. ओनला	25/05/94	137	10.54	1012818	1120822	2133640	1012818	1120822
108.	आई.एफ..एफ.सी.ओ. फुलपुर (यू.पी.)	23/07/95	182	14.73	4654218	934230	5588448	0	5588448
109.	आईबी. मिंट हैदराबाद	01/03/80	163	13.74	4517131	1014408	5531539	3582554	1948898
110.	आई.आई.एस.सी.ओ. बरनपुर	10/11/89	942	82.21	136357114	4707323	141064437	13433737	127630700
111.	आई.ओ.सी. बरूनी	20/09/73	400	32.33	7233904	0	7233904	7233903	0
112.	आई.ओ.सी. फरीदाबाद	14/08/85	57	4.40	351033	543118	894151	351033	543118
113.	आई.ओ.सी. गुवाहाटी	14/01/77	337	29.84	6524692	2849992	9374684	6524692	2849992
114.	आई.ओ.सी. मथुरा	02/10/75	389	30.25	13224640	5480623	18705263	18705263	0
115.	आई.ओ.सी. पानीपत	05/08/96	186	13.85	0	1339415	1339415	1339415	0
116.	आई.ओ.सी. शकूरबस्ती	22/09/86	488	39.80	5934656	3947089	9881745	5934656	3947089

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117.	आई.ओ.सी. (जी.आर.) बड़ौदा	20/05/72	457	30.86	5931823	2480139	8411962	6135475	2276467
118.	आई.ओ.सी./एच.आर.पी. हल्दिया	20/01/70	180	13.26	4264633	1893895	6158528	5842938	315590
119.	आई.ओ.सी./एल.पी.जी. गैल लखवा	04/08/93	133	4.52	1596709	7566348	2363057	1596709	766348
120.	आई.ओ.सी./एल.पी.जी. टिकरीकलां	19/02/90	141	11.13	3330509	874421	4204930	2389773	1815157
121.	आई.पी.जी.एच.ई.एल. जगदीशपुर	20/10/86	72	6.28	1659043	493304	2152347	1031998	1120348
122.	आई.पी.सी.एल. बड़ौदा	17/07/72	602	43.51	1250337	6959225	82095562	4008907	4200655
123.	आई.पी.सी.एल. दहेज	21/04/99	323	0.00	2075217	1301781	3376998	2075217	1301781
124.	आई.पी.सी.एल./एम.जी.सी.सी. नागोथाने	01/11/89	411	31.47	12953166	2237923	15191089	0	15191089
125.	आई.एस.आर.ओ. बंगलौर	15/04/85	169	14.47	5691773	1461895	7153668	2800113	4353555
126.	आई.एस.आर.ओ. लखनऊ	08/10/99	23	0.00	170761	-60	170701	170701	0
	-ाई.टी.आई. मनकपूर	15/04/85	207	17.37	6749457	1532555	8282012	3430403	485160
128.	आई.टी.आई नैनी	11/10/71	199	17.70	1[illegible]931193	1070357	13001550	1996111	11005439
129.	आई.टी.आई. पालघाट	19/02/76	82	6.44	[illegible]335	590147	590482	590147	338
130.	आई.टी.आई. रायबरेली	18/01/85	161	12.59	10[illegible]997	666001	11093996	0	11093996
131.	जे.एल.एम. जग्गापेटा (डब्ल्यू/डी)	/ /	0	0.00	167[illegible]	[illegible]6173	1684429	678247	806181
132.	जे.एन.पी.टी. शिवा बाम्बे	01/12/84	336	20.14	7286748	0	7286748	0	7286748
133.	के.ए.पी.पी. सूरत	16/06/86	261	20.25	5116485	2468778	7585263	1452517	6132748
134.	के.सी.सी. खेतरी (डब्ल्यू/डी)	/ /	0	0.00	50652644	0	50652644	0	50652644
135.	के.सी.सी.पी.पी. कायामकुल्लम	17/11/96	92	8.05	915201	810719	1725920	875112	850806
136.	के.जी.पी.पी./एन.टी.पी.सी. सूरत	10/08/89	152	12.60	2203418	1820932	4024350	891133	3133217
137.	के.आई.ओ.सी.एल. कुद्रेमुख	15/01/77	345	24.92	2251212	1806380	4057592	4057592	0
138.	के.आई.ओ.सी.एल. कीरीबूरू	02/04/72	109	9.85	10764016	435976	11199992	1769096	9430896
139.	के.पी.टी. कांडला	12/05/99	654	0.00	0	2639223	263223	2639223	0
140.	के.एस.टी.पी.पी. कोरबा	02/12/81	416	31.01	2718586	2336179	5054765	2718586	2336179
141.	के.टी.पी.एस. कोटा	04/09/96	172	9.75	6946065	1260312	8206377	2921527	5284850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142.	कुद्रेमुख माईन्स	21/10/87	79	6.44	4815978	427122	5243100	30755522	2167548
143.	के.एच.एच.टी.पी.पी. कहलगांव	04/07/87	415	27.53	11487471	2278254	13765725	13765731	-6
144.	एल.आई.एल. थाने बाम्बे	16/01/85	99	7.11	618692	677525	1296417	618892	677525
145.	एल.पी.जी. विजयपुर (गेल)	07/08/93	154	10.96	0	806594	806594	806594	0
146.	एम.ए.एम.सी. दुर्गापुर	20/09/70	180	14.03	92879637	2099503	94979140	0	94979140
147.	एम.ए.पी.पी. कलपक्कम	25/09/72	572	39.48	14781745	4170221	18951966	0	18951966
148.	एम.सी.एफ. हसन	06/12/82	58	4.56	403602	443059	846661	8466612	0
149.	एम.डी.एल.ई/वाई बम्बई	17/09/84	245	48.78	2156025	2730690	4886715	2156025	2730690
150.	एम.डी.एल.एन/वाई बम्बई	15/05/85	47	3.30	0	425897	425897	0	425897
151.	एम.डी.एल.बी. मद्रास	15/09/72	33	2.07	368222	209135	577357	416593	160764
152.	एम.एफ.एल. मनाली	25/11/70	160	12.18	6744040	857775	7601815	0	7601815
153.	एम.आई.ओ.पी. मेघातालुरु	21/04/72	113	9.70	5566292	513095	[illegible]	[illegible]	2111303
154.	एम.पी.टी. गोवा	03/03/71	275	23.03	10478435	1479227	[illegible]	[illegible]	3102560
155.	एम.पी.टी. मद्रास	31/08/72	807	68.52	29619799	4764468	34384267	11983609	22400658
156.	एम.आर.एल. मनाली	15/02/73	248	18.64	0	1489500	1489500	1489500	0
157.	एम.टी.पी.एस. मेजिया	11/07/93	266	21.28	9957101	0	9957101	8730653	1226446
158.	एन.ए.एल.सी.ओ. अंगुल	01/05/83	657	37.02	9846549	4575313	14421862	10496423	3935439
159.	एन.ए.एल.सी.ओ. दमनजोडी	27/08/86	415	31.33	3256828	2387501	5644329	2387501	3256528
160.	एन.ए.पी.पी.ए नरोरा	16/05/85	347	29.01	2448403	2433234	4881637	2448403	2433234
161.	राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली	01/05/90	63	7.31	10480910	619099	11100009	0	11100009
162.	एन.एफ.सी. हैदराबाद	24/07/87	413	30.48	13630931	3169420	16800351	13211597	3568754
163.	एन.एफ.एल. भटिंडा	18/06/75	213	15.69	5444590	114293	5558883	1615080	3943803
164.	एन.एफ.एल. नांगल	15/04/73	264	21.89	6109912	1205667	7315579	4178388	3137191
165.	एन.एफ.एल. पानीपत	08/03/76	219	16.84	9744844	161918	11426762	2605967	6620798
166.	एन.एफ.एल. विजयपुर	05/02/85	218	16.09	1333924	1497033	2830957	1333924	1497033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167.	एन.आई.एस. कलपक्कम (डब्ल्यू/डी)	/ /	0	0.00	8685418	0	8685418	0	8685418
168.	एन.जे.पी.सी.एस. झाकरी	02/09/94	112	8.95	1402555	808276	2210933	1402655	808276
169.	एन.एल.सी.एस. नेवली	18/05/94	1248	82.82	38343778	8100271	46444049	38343778	8100271
170.	एन.एम.पी.टी. मंगलौर	10/04/80	197	13.86	0	2072220	2072220	2072220	0
171.	एन.एन.पी. मैसूर	01/11/94	200	9.03	200015	1265245	1285160	1285160	0
172.	एन.एन.पी. सलबौनी	27/12/92	186	12.03	0	1605217	1605217	1605217	0
173	एन.पी.सी. कैगा	10/11/92	182	9.78	2867742	1144011	4011753	1710452	2301301
174.	एन.पी.पी. नौगांव	07/03/83	225	18.83	22787659	166085	24448344	2247395	22200945
175.	एन.पी.पी.सी.एस. नागालैंड	25/02/77	155	13.19	27006607	1167297	28175904	1000000	27175904
176.	एन.आर.एन. नुमालीगढ़	30/11/97	92	8.23	409374	2442278	2851652	1107536	1744116
177	एन.आर.एस.ए. बालानगर हैदराबाद	03/07/85	100	7.79	1025173	1220704	2245877	726448	1519429
	न.टी.पी.सी. दादरी	12/02/88	341	23.35	3068507	2178027	5246534	3052028	2194506
179.	एन.टी.पी.सी. कनीहा	03/09/91	407	25.89	4840029	2590735	7430764	7430764	0
180.	एन.टी.पी.सी./के.वाई.जी.पी.पी. झनौर	05/07/94	174	6.96	1635542	1171191	2806733	1135576	1671157
181.	ओ.आई.एल. दुलियाजान	18/02/85	1550	130.42	17516028	13322615	30838643	9959742	20878901
182.	ओ.एन.जी.सी. अहमदाबाद	28/06/91	307	21.85	65491.76	1696041	8245217	8245217	0
183.	ओ.एन.जी.सी. अंकलेश्वर	25/06/91	169	14.77	4411426	1264211	5675637	4411426	1264211
184.	ओ.एन.जी.सी. हजीरा	15/08/88	369	23.54	0	2204704	2204704	2204704	0
185.	ओ.एन.जी.सी. मेहसाना	17/06/91	339	26.34	8197265	2147557	10344822	10142165	202657
186.	ओ.एन.जी.सी. बम्बई	21/02/78	706	47.95	2160677	4261116	25867193	17093709	8773484
187.	ओ.एन.जी.सी. देहरादून	10/10/86	163	11.78	2717280	1113111	3830391	2162139	1648252
188.	ओ.एन.जी.सी. गंधार	05/01/96	103	7.94	2455125	651769	3106984	1501990	1604994
189.	ओ.एन.जी.सी. जोरहाट	30/07/89	845	66.21	19782398	19053859	38836257	5977203	32859054
190.	ओ.एन.जी.सी. (डब्ल्यू/डी)	/ /	0	0.00	1449543	0	1449543	0	1449543
191.	ओ.एन.जी.सी. नरसापुर	05/08/88	87	6.67	1960622	389337	2349959	604414	1745545
192.	ओ.एन.जी.सी. हजीरा असम	13/03/86	1439	122.74	70668731	10315231	80983962	27422232	53561730
193.	ओ.एन.जी.सी. त्रिपुरा	19/02/90	324	45.43	14651286	5766588	20417876	8565832	11852044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
194.	ओ.टी.एच.पी.पी. ओबरा	16/04/89	729	50.16	43919921	4055996	47975917	4490101	43485816
195.	पी.जी.सी.आई.एल. मोंगा (पंजाब) (डब्ल्यू/डी)	/ /	0	0.00	8295	1068	9363	0	9363
196.	पी.जी.सी.आई.एल. वागुरा	05/01/96	86	7.79	2165615	846995	3012610	646930	2365680
197.	पी.पी.एल. पारादीप	11/03/88	160	12.37	6381325	877006	7256331	0	7258331
198.	पी.पी.टी. पारादीप	11/03/88	499	43.98	24854488	10322335	35176823	14718265	20458538
199.	पी.आर.एल. अहमदाबाद	7 /	35	6.81	292290	183938	476228	292290	183938
200.	पी.टी.पी.पी. परीछा	20/05/83	329	26.68	24352552	2417034	26769586	454395	22223191
201.	पी.टी.पी.एस. पानीपत	08/03/96	85	6.68	4247139	829022	5076161	970255	4105906
202.	पी.टी.पी.एस. पांकी	15/06/84	336	26.04	22365993	3346305	25712298	2000000	23712296
203.	पी.टी.पी.एस. पथरातू	17/05/89	362	31.53	15318619	2439107	17757726	0	17757726
204.	रज़ा रामपुर लाइब्रेरी	/ /	0	2.37	1655939	0	1655939	1655939	0
205.	आर.ए.पी.एस. कोटा	10/02/66	506	42.66	10009868	-1274717	8735151	0	8735151
206.	आर.सी.एफ.एल. थाल	04/07/79	170	11.21	0	0	0	0	0
207.	आर.सी.एफ.एल बम्बई	01/11/69	442	33.92	0	2538945	2538946	2538946	0
208.	आर.सी.पी. रक्सा (डब्ल्यू/डी)	/ /	0	0.00	10579336	0	10579336	0	10579336
209.	आर.ओ.एम. उदयपुर	22/09/82	131	9.87	889155	788312	1677467	869155	786312
210.	आर.एच.ई.पी. रिहन्द (पी.आई.पी.आर.आई.)	28/11/87	164	11.66	5690806	910751	6601559	636920	5814639
211.	आर.एच.एस.टी.पी.पी. रीहन्द	15/01/85	378	27.44	11877365	2501799	14379164	10077443	430.721
212.	रोहतास इंडस्ट्री	11/05/95	0	5.32	15893562	517259	16410821	0	16410621
213.	आर.एस.पी. राउरकेला	08/11/71	1619	142.67	352437167	10713397	363150564	10493361	352657203
214.	आर.एस.टी.पी.पी रामागुंडम	29/03/81	525	34.60	0	3256879	3256879	0	325679
215.	एस.ए.सी. अहमदाबाद	08/04/76	146	8.32	877765	496115	1373880	1323656	50024
216.	एस.ए.आई.एल.ई/वाई बिंबग	04/09/77	60	3.86	781792	330015	1111807	0	1111807
217.	एस.ए.आई.एल. (एस.वाई) पहाड़पुर	04/09/77	97	9.70	4995871	960625	5976696	0	5976696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218.	एस.ए.आई.एल/एच.एस.एस.वाई विंबग	04/09/77	30	2.79	1485045	191863	1676908	0	1676906
219.	सालरबंग संग्रहालय	03/05/98	91	12.48	2977981	1317331	4295312	2980915	1314397
220.	एस.बी.एस.एस. सालाकटी	20/01/96	81	7.64	2752787	632232	3385019	1767241	1617778
221.	एस.सी.सी.एल. बेलमपट्टी	06/05/91	1564	121.07	66325465	10390122	76715587	10450968	66264619
222.	एस.सी.एल. मोहाली (डब्ल्यू/डी)	/ /	0	0.00	1493375	0	1493375	0	1493375
223.	एस.एच.ए.आर केन्द्र	16/04/73	645	44.96	5841791	2931236	8773027	8773027	0
224.	एस.एच.ई.पी. सलाल	15/07/85	339	25.47	8179323	2746474	10925797	8179313	274684
225.	एस.आई.आई.एल. पलांजा (डब्ल्यू/डी)	/ /	0	43.0	4583385	0	4583385	0	4583385
226.	एस.एम.पी.एल. राजकोट	10/12/86	198	14.69	2752326	1270647	4022973	4022973	0
227.	एस.एम.पी.एल. बडीनर	01/12/81	99	7.85	2375385	58383	2959268	2375375	583893
	़ी.ई.सी. कोयमूर	04/11/87	38	2.99	14302943	244776	14547719	0	14547719
229.	एस.पी.एम. होशंगाबाद	15/06/75	400	29.65	8788723	1907314	10696037	8788723	1907314
230.	एस.एस.पी. सेलम	01/03/73	256	19.96	0	1333446	1333446	1333446	0
231.	एस.एस.टी.पी.पी. शक्तिनगर	30/07/79	475	30.68	0	6068755	6068755	6068755	0
232.	एस.टी.पी.पी. सीमाधारी विंबग	14/10/99	70	0.00	899785	1031760	1931545	968195	963350
233.	टी.एच.डी.सी. टेहरी	02/07/90	161	11.63	0	2358515	2358515	960550	1397965
234.	टी.एच.ई.पी. बनवासा	23/11/87	125	8.77	7813091	375093	8688184	3524581	5163603
235.	टी.पी.आई. तूतीकोरिन	16/09/71	248	19.40	5080565	1522883	6603448	3384360	3219088
236.	टी.एस.एल. नैनी	08/02/88	130	9.71	46134463	630002	46764465	0	46764465
237.	टी.एस.पी. तुंगभदरा	05/09/72	46	3.79	10489145	337767	10626912	0	10826912
238.	टी.एस.टी.पी.पी./एन.टी.पी.सी. तिलचर	03/06/95	235	9.68	4480797	1298949	5779746	0	5779746
239.	टी.टी.पी.पी. टांडा	10/04/85	280	20.06	21105927	1824356	22930283	931560	21996723
240.	यू.सी.आई.एल. जादूगुड़ा	19/05/72	165	13.46	2769710	534512	3304222	159660	3144562
241.	यू.टी.पी.एस. यूकई	23/07/92	180	12.81	6972012	1642813	8614825	4059441	4555364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
242.	बी.पी.टी. विशाखापत्तनम	25/08/71	965	56.11	29212530	6378524	35591054	22922620	12666434
243.	बी.एस.पी. विशाखापत्तनम	10/08/83	1077	75.40	155591405	7019345	162610750	4672422	157938324
244.	बी.एस.एस.सी. मुंबा	17/11/81	526	65.67	27092195	5666489	32758684	0	32758684
245.	बी.एस.टी.पी.पी./एन.टी.पी.सी. सिंद्रि	16/12/85	364	33.11	9222955	3036727	12259682	2420139	9839543
246.	जवार माईन्स (उदयपुर)	15/02/85	172	15.19	0	2272146	2272146	0	2272146
147.	जेड.एस.ओ. उदयपुर (देबारी)	17/07/80	144	11.05	1317559	674644	1992203	1317559	674644
	कुल			5790.35	5747570136	528332461	6275902597	706218556	5569684041

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद

395. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:
श्री आर.एल. भाटिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घाटी में सुरक्षा बलों, उनकी टुकड़ियों, गश्ती दलों और सिविलियन लोगों पर उग्रवादी हमले बढ़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक कितने सुरक्षा कार्मिक/सिविलियन मारे गए और घायल हुए; और

(ग) घाटी में कानून और व्यवस्था की स्थिति पुन: बहाल करने के लिए क्या कदम गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) पाक आई.एस.आई. और पाक समर्थित उग्रवादी गुटों द्वारा, हिंसा बढ़ाने की दृष्टि से जम्मू एवं कश्मीर में सीमा पार से और ज्यादा भाड़े के सैनिकों को प्रवेश कराने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है।

(ख) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं/हताहतों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

	1999	2000 (30 जून तक)
जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं की संख्या	3071	1395
मारे गये सुरक्षा बलों की संख्या	356	170
घायल हुए सुरक्षा बलों की संख्या	741	357
मारे गये सिविलियनों की संख्या	821	361
घायल हुए सिविलियनों की संख्या	1119	489
मारे गये उग्रवादियों की संख्या	1082	663

(ग) जम्मू व कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने पहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबन्ध मजबूत करना, उग्रवादियों के खिलाफ भीतरी प्रदेश में प्रतिकारी कार्रवाईयों के द्वारा उनके इरादों को निष्क्रिय करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सभी स्तरों पर एकीकृत मुख्यालय के आपरेशन ग्रुप और आसूचना ग्रुप के संस्थागत ढांचे के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण, सुरक्षा बलों इत्यादि के लिए उन्नत प्रोद्योगिकी, हथियार और उपस्कर उपलब्ध कराना, शामिल है।

[हिन्दी]

दिल्ली जल बोर्ड के निजी वाहन

396. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में आम जनता को जल आपूर्ति के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सेवा में लगाए गए निजी वाहन पेय जल की आपूर्ति करने में विफल रहे हैं जिसके कारण दिल्ली जल बोर्ड को लाखों रुपयों का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राजधानी में इन वाहनों के द्वारा पेय जल की आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी परिणाम क्या निकाला;

(घ) क्या इन निजी वाहनों द्वारा दिल्ला वासियों को प्रदूषित जल की आपूर्ति की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): बोर्ड की सूचना के अनुसार ऐसी कोई विफलता नहीं

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जल बोर्ड की सूचना के अनुसार प्रदूषित जल की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला खानों में खनन कार्य का आधुनिकीकरण

397. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गत तीन वर्षों के दौरान कोयला खानों में खनन कार्यों के आधुनिकीकरण में बड़ी मात्रा में संसाधनों और धनराशि का निवेश किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस कार्य के लिए मशीनों की खरीद के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या ऐसी सारी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए उक्त निवेश से कोयला खानों की उत्पादकता में किस सीमा तक वृद्धि हुई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) कोयला कंपनियां कोयला खनन प्रचालनों के आधुनिकीकरण के लिए अपने योजना परिव्यय से पृथक संसाधनों का आवंटन नहीं करती हैं। कंपनी के योजना परिव्यय में कोयला खनन प्रचालनों के आधुनिकीकरण के लिए निधियां शामिल हैं, जोकि एक सतत प्रक्रिया है। कोयला कंपनियों के पिछले तीन वर्षों के योजना परिव्यय निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपये में)

कंपनी	वर्ष	योजना परिव्यय
कोल इंडिया लि.	1997-98 (वास्तविक)	1824.55
	1998-99 (अनंतिम)	1831.97
	1999-2000 (अनंतिम)	2804.28
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	1997-98 (वास्तविक)	208.28
	1998-99 (अनंतिम)	206.09
	1999-2000 (अनंतिम)	141.07
नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लि.	1997-98 (वास्तविक)	186.34
	1998-99 (अनंतिम)	581.93
	1999-2000 (अनंतिम)	614.03

(ग) और (घ) कोयला खनन प्रचालनों के आधुनिकीकरण के परिणाम-स्वरूप, कोयला खानों की उत्पादकता (जिसे प्रति व्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन के जरिए मापा जाता है) बढ़ गई है तथा उसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

उत्पादकता (प्रति व्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन)

(टन में)

वर्ष	कोल इंडिया लि.	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.
1997-98 (वास्तविक)	1.93	1.45
1998-99 (अनंतिम)	2.03	1.42*
1999-2000 (अनंतिम)	2.05	1.55

*एस.सी.सी.एल. ने 1998-99 को छोड़कर, जोकि हड़तालों के कारण था, उत्पादकता में वृद्धि दर्शायी।

सरपंचों/पंचों को वेतन

398. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पंचायती राज के तहत सरपंचों तथा पंचों को वेतन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में संसद में विधेयक कब तक लाए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत अप्रयुक्त निधियां

399. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लगभग 38,000 अतिरिक्त पद रिक्त हैं तथा आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत जारी की गई निधियां अप्रयुक्त पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन निधियों का प्रयोग न करने के राज्य-वार क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने तथा अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों की होती है। तथापि, आपरेशन ब्लैड बोर्ड योजना के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार ने उन प्राथमिक स्कूलों जिनमें नामाकंन 100 से अधिक है, में तीसरे शिक्षक के राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अपर प्राथमिक स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अपर प्राथमिक स्कूलों के लिए अध्ययन-अध्यापन सामग्री के लिए भी राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों का राज्यवार विवरण क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है। राज्य सरकारों के पास खर्च न की गई निधियां दर्शाने वाला विवरण-III संलग्न है।

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार तथा संघ राज्य प्रशासन के साथ सतत तालमेल है। इस मंत्रालय के अधिकारियों तथा राज्य शिक्षा सचिवों द्वारा आवधिक तौर पर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट ली जाती हैं तथा इनकी समीक्षा की जाती है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना जिसमें आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना भी शामिल है, के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्र अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

विवरण-I

वर्ष 1994-95 से 2000-2001 तक विस्तारित आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत उन प्राथमिक स्कूलों जिनमें नमांकन 100 से अधिक है, के लिए संस्वीकृत/नियुक्त तीसरे शिक्षक के पदों का विवरण

(21.7.2000 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत शिक्षकों की कुल सं.	नियुक्त किए गए शिक्षकों की कुल सं.	नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की सं.
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	20849	20849	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	225	225	–
3.	असम	1723	–	1723

1	2	3	4	5
4.	गोवा	2	1	1
5.	हरियाणा	199	199	–
6.	हिमाचल प्रदेश	838	838	–
7.	जम्मू व कश्मीर	1200	1200	–
8.	कर्नाटक	3855	3855	–
9.	मध्य प्रदेश	22163	22163	–
10.	महाराष्ट्र	4200	4200	–
11.	मेघालय	200	200	–
12.	मिजोरम	171	171	–
13.	नागालैण्ड	95	–	95
	उड़ीसा	5258	5258	–
	...थान	1692	1692	–
16.	तमिलनाडु	4613	1602	3011
17.	त्रिपुरा	210	210	–
18.	उत्तर प्रदेश	11800	11800	–
19.	पश्चिम बंगाल	3750	712	3038
20.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	–	2
	कुल	83045	75175	7870

विवरण-II

वर्ष 1994-95 से 2000-2001 तक विस्तारित आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत संस्वीकृत/नियुक्त उच्च प्राथमिक स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों के पदों का विवरण

(21.7.2000 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत शिक्षकों की कुल सं.	नियुक्त किए गए शिक्षकों की कुल सं.	नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की सं.
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	5380	5074	306
2.	असम	6730	2378	4352

1	2	3	4	5
3.	हरियाणा	1204	–	1204
4.	हिमाचल प्रदेश	347	347	–
5.	जम्मू और कश्मीर	2668	2668	–
6.	कर्नाटक	18916	18916	–
7.	मध्य प्रदेश	6445	6445	–
8.	महाराष्ट्र	10969	7064	3905
9.	मेघालय	733	733	–
10.	नागालैण्ड	161	–	161
11.	उड़ीसा	10023	–	10023
12.	पंजाब	1687	1353	334
13.	राजस्थान	1903	1903	–
14.	त्रिपुरा	435	435	–
15.	पश्चिम बंगाल	2353	–	2353
16.	उत्तर प्रदेश	5310	–	5310
17.	दिल्ली	196	196	–
18.	पांडिचेरी	44	44	–
	कुल	75504	47556	27948

विवरण-III

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत खर्च न की गई निधियां

(रु. लाख में)
(21.7.2000 तक)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	जारी की गई निधियां	प्रयुक्त की गई निधियां	खर्च न की गई शेष राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	23397.42	19550.20	3847.22
2.	अरूणाचल प्रदेश	782.14	727.68	54.46
3.	असम	13535.39	10842.40	2692.99

1	2	3	4	5
4.	बिहार	21300.54	16153.21	5147.33
5.	गोवा	274.51	274.51	–
6.	गुजरात	9682.98	8550.40	1132.58
7.	हरियाणा	1316.64	835.04	481.60
8.	हिमाचल प्रदेश	4980.73	4980.73	–
9.	जम्मू व कश्मीर	6237.89	5865.74	372.15
10.	कर्नाटक	31768.79	27202.25	4566.54
11.	केरल	1691.89	1691.89	–
12.	मध्य प्रदेश	17943.71	13076.89	4866.82
13.	महाराष्ट्र	33182.01	30876.80	2305.21
14.	मणिपुर	457.00	276.80	180.20
	ालय	2730.32	2658.32	72.00
16.	मिजोरम	623.71	623.71	–
17.	नागालैण्ड	324.11	295.11	29.00
18.	उड़ीसा	24890.04	18934.38	5955.66
19.	पंजाब	3900.13	3431.47	468.66
20.	राजस्थान	22299.75	21793.16	506.59
21.	सिक्किम	124.66	112.51	12.15
22.	तमिलनाडु	6842.54	5277.26	1565.28
23.	त्रिपुरा	843.57	816.70	26.87
24.	उत्तर प्रदेश	25654.15	25654.15	–
25.	पश्चिम बंगाल	6318.34	4511.47	1806.87
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	30.09	12.09	18.00
27.	चण्डीगढ़	1.17	1.17	–
28.	दादरा व नगर हवेली	36.46	17.96	18.50
29.	दमन व दीव	21.44	19.68	1.76

1	2	3	4	5
30.	दिल्ली	427.83	373.84	53.99
31.	लक्षद्वीप	2.48	2.46	0.02
32.	पांडिचेरी	103.73	103.38	0.35
	कुल	61726.16	225543.36	36182.80

नोट: प्रयुक्त न की गई निधियां, अपर प्राथमिक स्कूलों के लिए राज्य सरकारों को पठन-पाठन सामग्री के लिए संस्वीकृत निधियों में से बची हैं।

समेकित स्लम सुधार आवास परियोजना

400. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी एजेंसियों ने राजधानी के विभिन्न हिस्सों में बसी लगभग 10,000 मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए उत्तरी दिल्ली में नरेला में एक महत्वाकांक्षी समेकित मलिन बस्ती सुधार आवास परियोजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो समिति के निदेश पद क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने मलिन बस्ती वासियों को काम दिलाने के लिए इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना भी बनाई है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हाँ। स्लम एवं झुग्गी-झोपड़ी विभाग (एम.सी.डी.) को स्क्वेटरों के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए नरेला के विभिन्न सेक्टरों में लगभग 35 हेक्टेयर भूमि आबंटित की गई है। लगभग 8909 स्क्वेटर परिवारों का वहां पुनर्वास किए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) नरेला उप नगर का नियोजन 1.2 मिलियम आबादी के लिए वाणिज्यिक क्रियाकलापों, सरकारी कार्यालयों, फ्रेट कंप्लेक्स, गोदाम, ट्रांसपोर्ट टर्मिनलों, उद्योगों आदि जैसे कार्य केन्द्रों युक्त एकीकृत उपनगर (टाउनशिप) के रूप में किया गया है। दिल्ली सरकार (डी.एस.आई.डी.सी.) ने भी एक इंडस्ट्रियल एस्टेट (247.0 हे.) विकसित किया है और एक बड़े औद्योगिक परिसर अर्थात् "नरेला-बवाना औद्योगिक परिसर" का प्रस्ताव किया है जिसकी योजना 703 हे. (फेज-1) क्षेत्रफल में की गई है। इससे पुनर्वासित स्लम निवासियों के लिए पर्याप्त रोजगार अवसर बनेंगे।

[हिन्दी]

पहाड़िया आदिवासी

401. श्री रामदास आठवले: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 2000 के "जनसत्ता" में 'पहाड़िया आदिवासी अपने हक के लिए बगावत की डगर पर, शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या आदिवासी सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यों में ग्राम सभा में भागीदारी की मांग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ङ) आदिवासियों की भूख, गरीबी और शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

खानों में आग/धंसान का प्रभाव

402. मोहम्मद अनवारुल हक: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि. झरिया और रामगंज कोलफील्ड्स द्वारा खानों में आग लगने और इनके धंसने से लोगों पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप अब तक कितने लोग प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित लोगों का पुनर्वास करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) और (ख) बी.सी.सी.एल. में खानों में आग लगने के नैदानिक अध्ययन सहित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि बी.सी.सी.एल. में आग और धंसक के लगभग 22000 मकान/बैरकें अत्यधिक संकटग्रस्त क्षेत्र में है और इन्हें शिफ्ट करना आवश्यक है।

(ग) से (ङ) ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (1998-99) सहित कई अध्ययन दलों तथा समितियों ने पूर्व में इस मामले की जांच की थी, उन्होंने कोयला खानों में आग तथा धंसक के नियंत्रण की भी जांच की थी, उन्होंने कोयला खानों में आग तथा धंसक के नियंत्रण की भी जांच की थी। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट 22.3.1999 को प्रस्तुत की गई थी और उस पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट भी संसद में प्रस्तुत कर दी गई है। इससे पहले झरिया तथा रानीगंज कोलफील्ड्स से आग लगने तथा धंसक संबंधी समस्याओं पर विचार करने तथा उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए दिसम्बर, 1996 में सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1998 में प्रस्तुत कर दी थी और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत समिति की सिफारिशों का विवरण संलग्न है।

विवरण

समिति की सिफारिशें

(1) जहां संभव हो, सभी अस्थिर क्षेत्रों की बस्तियों को गैर-कोयले वाले क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए कोलफील्ड्स से धंसक की घटनाओं के हल के रूप में उपग्रह टाउनशिपों की स्थापना एक दीर्घकालिक उपाय है।

(2) कोलफील्ड्स में घोषित असुरक्षित क्षेत्रों में नए निर्माण पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। बिहार सरकार को असुरक्षित क्षेत्रों में निर्माण को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में विद्यमान विधान की तरह उपयुक्त विधान लागू करना चाहिए।

(3) झरिया कोलफील्ड्स तथा रानीगंज कोलफील्ड्स में आग तथा धंसक की समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन की सहायता एवं भागीदारी आवश्यक है। आर.सी.एफ. तथा एफ.सी.एफ. में आग तथा धंसक के लिए उपचारात्मक उपाय करने वाली एजेंसी में उपर्युक्त प्राधिकारियों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

(4) आग और धंसक को रोकने के लिए उपचारात्मक उपायों में काफी लागत निहित होती है और एक अलग कार्यकारी एजेंसी के माध्यम से ही इनका फलदायक कार्यान्वयन संभव है जोकि स्कीमों को तैयार करने/उनके कार्यान्वयन और निधियों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी तथा इस बारे में निर्णय शीघ्र लिया जाना चाहिए। संबंधित राज्य सरकारों तथा सरकारी कंपनियों के परामर्श से इन कार्यकारी एजेंसियों की रूपरेखा तैयार की गई है।

(5) आर.सी.एफ. में कुछ स्थानों पर इस समय इस्तेमाल की जा रही इनोवेटिव हाइड्रो-न्यूमैटिक स्टोविंग टैक्नोलाजी एक अत्यधिक धीमी प्रक्रिया पाई गई है। बी.सी.सी.एल. में कुछ स्थानों पर अप्राप्य अस्थिर भूमिगत निर्माणों के स्थिरीकरण हेतु भूमिगत खाली स्थानों को भरने के लिए उच्च दाब स्लरी पम्पिंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

(6) रानीगंज टाउन जहां लोगों को शिफ्ट नहीं किया जा सकता जैसे अस्थिर क्षेत्रों में व्यापक स्थिरीकरण कार्य किया जाना चाहिए और अधिक खतरे वाले परन्तु कम सघनता वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को चरणबद्ध रूप से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए।

(7) धंसक वाले क्षेत्रों के स्थिरीकरण और प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु निधियों की व्यवस्था के लिए राशि या तो योजना आयोग द्वारा अनुमोदित नियोजित व्यय के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए अथवा उपयुक्त संशोधनों के बाद कोयला संरक्षण एवं विकास अधिनियम निधि में से अभियोजित व्यय के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(8) अति-आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संस्थागत व्यवस्था की स्थिति पर विचार किए बिना ई.सी.एल. तथा बी.सी.सी.एल. द्वारा कोयला विभाग के पास उपलब्ध नियोजित निधियों से एक-एक स्कीम शुरू की जानी चाहिए ताकि लोगों को असुरक्षित क्षेत्रों से शिफ्ट किया जा सके।

(9) इस समस्याओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए प्राथमिकतावार स्कीमें तैयार करते समय बी.सी.सी.एल. तथा ई.सी.एल. द्वारा राज्य प्राधिकारियों के सहयोग से प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जिसमें आग और धंसक वाले क्षेत्रों में संभावित प्रभावित लोगों और वित्तीय कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है।

सी.सी.एल. द्वारा हल्के वाहनों को चलाना

403. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. अपनी स्कूल बसों और हल्के वाहनों को स्वयं ही चलाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक उनकी खरीदारी पर कितनी धनराशि खर्च की गई और इस समय ऐसे वाहनों की संख्या कितनी है;

(ग) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. की ऐसी परियोजनाओं और इकाइयों की संख्या कितनी है जहां स्कूल बसें उपलब्ध कराई गई हैं;

(घ) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. में इस समय ऐसे वाहनों को अनुबंधित भी किया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के कोष से उक्त वाहनों को खरीदने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) के पास 120 स्कूल बसें हैं जो सी.सी.एल. की लगभग सभी इकाइयों की आवश्यकता पूरी कर रही हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूल बसों को प्राप्त करने हेतु 43.94 लाख रु. खर्च किए गए हैं जोकि बॉडी-निर्माण सहित है। सी.सी.एल. के पास 683 हल्के वाहन हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान हल्के वाहनों को प्राप्त करने हेतु 210.02 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है। सी.सी.एल. द्वारा सभी यूनिटों में अपनी स्कूल बसों की व्यवस्था की गई है।

(घ) सामान्यत: सी.सी.एल. के पास अपने कर्मचारियों के बच्चों को ले जाने हेतु अपनी स्कूल बसें हैं। तथापि, स्कूल बसों के खराब होने पर, जांच हेतु भेजे वाहनों के साथ-साथ प्राय: कार्रवाई में विलंब तथा बस की बॉडी संबंधी कार्य के कारण आवश्यकता होने पर किराए पर बसें ली जाती हैं।

(ङ) वर्तमान में 2 स्कूल बसें और 52 हल्के वाहन हैं।

(च) जैसाकि भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में बताया गया है, सी.सी.एल. द्वारा बसों पर 43.94 लाख रु. खर्च किए गए हैं, इसलिए सी.सी.एल. की निधियों से वाहन खरीदने संबंधी प्रश्न सही प्रतीत नहीं होता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में बी.ई./बी.टैक. पाठ्यक्रम शुरू करना

404. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में खाद्य प्रौद्योगिकी में बी.ई./बी.टैक. पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त पाठ्यक्रमों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार उसे अनुप्रयुक्त विज्ञान कॉलेज से दिल्ली विश्वविद्यालय में खाद्य प्रौद्योगिकी में वर्तमान बी.एस.सी. (ऑनर्स) पाठ्यक्रम को बी.ई./बी.टैक पाठ्यक्रम में परिवर्तित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव दिल्ली विश्वविद्यालय के विचाराधीन है। सरकार द्वारा इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा का निजीकरण

405. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा का निजीकरण करने से गरीब छात्र नेजी शिक्षा का खर्च वहन करने में असमर्थ हो जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए समाज के सभी वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) सरकार का उच्चतर शिक्षा का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार उच्चतर शिक्षा को सहयोग देने के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है जहां कुल परिव्यय 8वीं योजना के दौरान 800 करोड़ रुपये से बढ़कर 9वीं योजनावधि में 2500 करोड़ रुपये हो गया है। तथापि, शिक्षा राष्ट्रीय विकास से अभिन्न रूप से संबद्ध है जहां निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता को प्रोत्साहित करना भी आवश्यक होगा ताकि वित्तीय, भौतिक तथा बौद्धिक संसाधनों को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। ऐसा शैक्षिक परिप्रेक्ष्य तैयार करने के संदर्भ में भी आवश्यक है।

औपचारिक शिक्षा पद्धति के अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा अधिक से अधिक सुलभ कराने के प्रति इसकी वचनबद्धता के भाग के रूप में सुदूर शिक्षा पद्धति का और उपयोग किया जा रहा है। ...गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शैक्षिक रूप से पिछड़े ...तक सुलभ हो सके इसके लिए सक्रिय उपाय कर रहा है जिससे लाभवंचित लोगों की शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी की जा सकेंगी।

शिक्षा संबंधी रिपोर्ट कार्ड

406. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 44वें एशियाई पैसिफिक देशों के प्रतिनिधियों ने बैंकाक में जनवरी, 2000 में हुई बैठक में "सभी के लिए शिक्षा" विषय पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बैठक में गत दशक के दौरान शिक्षा संबंधी प्रावधानों की रिपोर्ट कार्डों की समीक्षा की गई;

(ग) यदि हां, तो वे मुख्य बिन्दु क्या हैं जिन पर चर्चा की गई और सहमति हुई; और

(घ) देश में शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) यूनेस्को और इसके सभी के लिए शिक्षा मंच सहभागियों द्वारा सभी के लिए शिक्षा 2000 आकलन संबंधी एशिया/प्रशान्त सम्मेलन 17 से 20 जनवरी, 2000 तक बैंकाक में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के 41 देशों की राष्ट्र आकलन रिपोर्टों के आधार पर पिछली दशाब्दी के दौरान सभी के लिए शिक्षा लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

इस सम्मेलन में 1990 में जोमतियन (थाईलैण्ड) में आयोजित सभी के लिए शिक्षा संबंधी विश्व सम्मेलन में निर्धारित लक्ष्यों और प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता तथा सतत शिक्षा में उभरती चुनौतियों के संदर्भ में सभी के लिए शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें शिक्षा की कोटि में सुधार, महिला-पुरुष असमानताओं को दूर करने तथा संसाधन जुटाने संबंधी उपायों पर भी चर्चा की गई। इस सम्मेलन में "एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय कार्य ढांचा: सभी के लिए शिक्षा" को स्वीकार किया गया। सरकार सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति वचनबद्ध है जैसाकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में अद्यतन बनाए गए के अनुसार), एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय कार्य ढांचे, अप्रैल, 2000 में विश्व शिक्षा मंच में स्वीकार किए गए दकार कार्य-ढांचे में प्रतिपादित किया गया है।

मंत्री का मास्को दौरा

407. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने हाल ही में दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को और बढ़ाने के उद्देश्य से मास्को का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे के दौरान हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में हस्ताक्षर किए गए समझौते ज्ञापन का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, हां।

(ख) रूसी गणराज्य के उपप्रधान मंत्री, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा शिक्षा मंत्री के साथ विचार-विमर्श किए गए। भारत एवं रूस के बीच चल रहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के एकीकृत दीर्घावधि कार्यक्रम (आई.एल.टी.पी.) को अगले 10 वर्षों तक बढ़ाए जाने और उद्योग को व्यापक रूप से शामिल कर सहयोग में और अधिक तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की गई।

दौरे के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) तथा रूसी अनुसंधान केन्द्र (कुर्चाटोव संस्थान) के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने मास्को में स्थापित सुपर कम्प्यूटर परम-10000 का उपयोग कर भारत-रूसी उन्नत कम्प्यूटिंग अनुसंधान केन्द्र का भी उद्घाटन किया।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

408. श्री रामदास आठवले: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न वर्गों के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत इन विभागों के कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है और नई भर्ती भी की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस दौरान और चालू वर्ष में अब तक विभिन्न श्रेणियों में की गई नई भर्तियों का वर्ष-वार श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भर्ती तथा पदोन्नति में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी वर्ग के व्यक्तियों हेतु निर्धारित नियमों का अनुपाल किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से विभाजन के परिणामस्वरूप, जनजातीय कार्य मंत्रालय का सृजन किया गया तथा यह अक्टूबर, 1999 के दौरान अस्तित्व में आया। जनजातीय कार्य मंत्रालय के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हैं और जनजातीय कार्य मंत्रालय का कोई अलग संवर्ग नहीं बनाया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संवर्ग में अनुसूचित जन जातियों/अनुसूचित जातियों के संबंध में रिक्त पदों की स्थिति का उल्लेख नीचे दिया गया है:-

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह "क"	शून्य	शून्य
समूह "ख"	01	शून्य
समूह "ग"	शून्य	शून्य
समूह "घ"	शून्य	शून्य

(ग) से (च) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान

409. मोहम्मद अनवारूल हक:
श्री अनादि साहू:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और उड़ीसा के कितने जिलों को जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत और उपलब्ध कराई गई; और

(ग) राज्य के बाकी जिलों को उक्त योजना में कब तक सम्मिलित कर लिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) शिक्षक शिक्षा की पुन: संरचना तथा पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बिहार के 33 जिले तथा उड़ीसा के 13 जिले शामिल किए गए हैं।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा को पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में दी गई धनराशि निम्नवत है:

1997-98	-	300.00 लाख रु.
1998-99	-	228.21 लाख रु.
1999-2000	-	342.59 लाख रु.
2000-2001	-	359.45 लाख रु.

पिछले तीन वर्षों में बिहार को कोई निधि प्रदान नहीं की गई है क्योंकि राज्य सरकार ने इससे पूर्व जारी की गई निधियों के उपयोग की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी है।

(ग) यह परिकल्पना की गई है कि नौवीं योजना के अन्त तक देश के 500 जिले इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिए जाएंगे। बिहार तथा उड़ीसा के शेष जिलों को शामिल करने की प्रक्रिया इन राज्यों में पहले से सम्मिलित किए गए जिलों में इस योजना के संतोषजनक कार्यान्वयन की प्रगति पर निर्भर करेंगी।

एकीकृत कर्मशाला परिसर का निर्माण

410. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत "कठारा ओपनकास्ट प्रोजेक्ट" के पुनर्गठन हेतु वर्ष 1991 में एक एकीकृत कर्मशाला परिसर के निर्माण हेतु सरकार की मंजूरी नहीं ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य सरकार की मंजूरी लिए बिना शुरू किया गया;

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त परियोजना की मंजूरी नहीं प्राप्त होने के कारण सी.सी.एल. द्वारा जुटायी गई 1.80 करोड़ रुपए की धनराशि चार वर्षों से अधिक समय तक अप्रयुक्त पड़ी रही;

(ङ) यदि हां, तो उक्त परियोजना में कुल कितनी धनराशि का दुरुपयोग हुआ; और

(च) मंजूरी प्राप्त किए बिना परियोजना को शुरू करने और धनराशि का अपव्यय करने हेतु अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) सी.सी.एल. के निदेशक मंडल ने दिनांक 20.7.1993 को हुई अपनी 262वीं बैठक में कठारा क्षेत्र पर आधारित कार्यक्रम के लिए योजना 12.05 करोड़ रुपए के मूल्य के ठेके पर अनुमोदित की थी। चूंकि योजना का कुल मूल्य केवल 12.05 करोड़ रुपए था जोकि सी.सी.एल. बोर्ड की प्रदत्त शक्तियों के भीतर था, सी.सी.एल. से अथवा सरकार से किसी प्रकाल का पृथक रूप से अनुमोदन प्राप्त नहीं था।

(ख) यह कार्य सक्षम प्राधिकारी, सी.सी.एल. निदेशक मंडल के नियत अनुमोदन के साथ प्रारंभ हुआ था।

(ग) यह कार्य 12.05 करोड़ रुपए की लागत पर करने हेतु प्रदान किया गया था। परियोजना पर आरंभ से अंत तक खर्च हुई राशि निम्नानुसार है:-

1.	रेखाचित्र और डिजाइन के लिए भुगतान	-	27.56 लाख रुपए
2.	गतिशीलता अग्रिम	-	120.50 लाख रुपए
	जोड़		148.06 लाख रुपए

उपर्युक्त के अतिरिक्त चार दिवारी के निर्माण हेतु भी 52.13 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है, जोकि अपव्यय नहीं है, क्योंकि सी.सी.एल. की भूमि बड़े खंड को अनधिकृत कब्जे से बचाया गया है, जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है।

(घ) यह सही नहीं है कि कथित परियोजना के अनुमोदन रहित होने का कारण सी.सी.एल. की गतिशील निधि का 1.80 करोड़ रु., चार वर्ष से अधिक के लिए रुका रहा।

ऊपर भाग (क) के उत्तर के तहत जैसाकि पहले कहा गया है, यह योजना 12.05 करोड़ रुपए के ठेका मूल्य हेतु यथाविधि अनुमोदित की गई थी। सी.सी.एल. द्वारा 1.20 करोड़ रुपए की एक गतिशील निधि ठेकेदारों (मेसर्स ब्रेथवेट एण्ड कंपनी, भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) को उनसे उसी राशि हेतु बैंक गारंटी पर दी गई थी। यह, उनसे दूसरी बैंक गारंटी के रूप में 0.60 करोड़ रु. के सुरक्षा जमा के अतिरिक्त है।

कार्य की बहुत धीमी प्रगति के कारण इस ठेके को समाप्त करने पर सी.सी.एल. ने इस दल से 1.20 करोड़ रुपए (गतिशील निधि+0.60 करोड़ रु. सुरक्षा) यानि कुल 1.80 करोड़ रु. अवमुक्त कराने का विचार किया, किन्तु सफल नहीं हो सकी, चूंकि दल ने इसके विरुद्ध अलीपुर न्यायालय, कलकत्ता से आदेश प्राप्त कर लिया था।

अत: यह मामला न्यायाधीन है।

(ङ) इस अवस्था में इसे परिमाषित नहीं किया जा सकता, चूंकि मामला न्यायाधीन है। तथापि, साइट पर सुलभ ढांचागत स्टील के कुछ अंश को झारखंड वर्कशाप में उपयोग करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए एन.आई.टी. प्रारम्भ कर दी गई है और रेखाचित्र तैयारी के अंतर्गत है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भू-स्वामियों को मुआवजा

411. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसे लोगों जिनकी जमीन देश की विभिन्न कोलफील्ड्स कंपनियों द्वारा खनन हेतु अधिग्रहीत कर ली गई थी, को मुआवजा राशि का भुगतान न करने और उन्हें रोजगार न प्रदान करने के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार कोल इंडिया लि. के पास ऐसे कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) इन मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) से (ग) ऐसे व्यक्ति जिनकी जमीन कोल इंडिया लि. की विभिन्न कोलफील्ड्स कंपनियों द्वारा खनन हेतु अधिग्रहीत कर ली गई थी, की मुआवजा राशि का भुगतान न करने और उन्हें रोजगार न प्रदान करने के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं, जिनका कंपनीवार विवरण निम्न प्रकार है:-

कंपनी	प्राप्त शिकायतें		लंबित मामले	
	मुआवजा	रोजगार	मुआवजा	रोजगार
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	शून्य	66	शून्य	66
भारत कोकिंग कोल लि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सैंट्रल कोलफील्ड्स लि.	22	38	8	6
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	शून्य	117	शून्य	66
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	शून्य	306	शून्य	260
महानदी कोलफील्ड लि.	शून्य	23	शून्य	23

(घ) जहां तक मुआवजे के भुगतान का संबंध है, इस बारे में कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती क्योंकि यह पूर्ण रूप से कोयला कंपनियों पर निर्भर नहीं है। भू-वंचितों को भूमि के बदले रोजगार देने संबंधी मामलों की जांच और इस संबंध में आगे कार्रवाई, कंपनी में रोजगार देने संबंधी प्रचलित मानकों के अनुसार की जाती है जोकि सही दावे संबंधी विवाद यदि कोई हो, के निपटान, अपेक्षित दस्तावेजों की प्रस्तुति, दावेदारों की आयु, उपयुक्तता आदि पर निर्भर करता है।

कोयला खनन का मशीनीकरण

412. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैंट्रल कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत कोयला खनन के कार्य का त्वरित मशीनीकरण होने से भारी बेरोजगारी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में संतुलित मशीनीकरण करने पर विचार करेगी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) सैंट्रल कोलफील्ड्स लि. में त्वरित मशीनीकरण नहीं किया गया है, सी.सी.एल. में कोयला खनन के मशीनीकरण से कोई बेरोजगारी नहीं होती है, चूंकि मशीनीकरण उतनी मात्रा तक किया जाता है, जिससे सुरक्षा के दृष्टिगत सी.सी.एल. दक्ष एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक बनी रहती है। सी.सी.एल. की जनशक्ति, कुछ श्रेणियों में आवश्यकता से अधिक है। अधिशेष जनशक्ति कम नहीं की जा रही है। जहां कहीं आवश्यकता होती है, उन्हें कार्यों के लिए पुनः प्रशिक्षित किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का बिक्री मूल्य

413. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1997 से विभिन्न श्रेणियों के कोयले की कीमतों में कितनी बार संशोधन किया गया है;

(ख) ऐसा करने का अधिकार किसके पास है और कोयले की कीमतें निर्धारित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है;

(ग) क्या खान के मुहाने पर एक ही श्रेणी के कोयले का अलग-अलग खानों में अलग-अलग मूल्य है; और

(घ) यदि हां, तो खान के मुहाने पर खान-वार और श्रेणी-वार प्रति टन कोयले के विक्रय मूल्य का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) कोल इंडिया लि. (सी.सी.एल.) की विभिन्न कोयला कंपनियों के कोयले के बिक्री मूल्य को जनवरी, 1997 से विभिन्न अवसरों पर संशोधित किया गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(1) 31.3.1997 को सभी सहायक कोयला कंपनियों के डी, ई, जी एवं जी ग्रेडों के अ-कोककर कोयले की कीमतों में संशोधन किया गया।

(2) 30.9.1997 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) के ए, बी, सी ग्रेडों वाले अ-कोककर कोयले, भारत कोकिंग कोल लि. (बी.सी.सी.एल.) के कोककर कोयले और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) के ग्रेड सी अ-कोककर कोयले की कीमतों में संशोधन किया गया था।

(3) 21.8.1998 को सभी कोयला कंपनियों की कीमतों को संशोधित किया गया था।

(4) 5.1.1999 को ई.सी.एल. के ग्रेड ए, बी, सी तथा डी ग्रेड अ-कोककर कोयले की कीमतों में संशोधन किया गया था।

(5) 31.5.1999 को सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सी.सी.एल.) और नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एन.सी.एल.) में उत्पादित होने वाले कोयले के सभी ग्रेडों की कीमतें संशोधित की गई थी।

(6) 11.4.2000 को बी.सी.सी.एल. के सभी ग्रेडों वाले कोयले की कीमतों में संशोधन किया गया था।

(7) 20.4.2000 को ई.सी.एल. में उत्पादित होने वाले कोयले के सभी ग्रेडों की कीमतें संशोधित की गई थीं।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सी.आई.एल. को नीचे दिए गए अनुसार सभी प्रकार के कोयले की कीमतों को संशोधित करने का अधिकार दिया गया था:-

(1) सरकार द्वारा सी.आई.एल. को अनियंत्रित कोयले की कीमतें स्वयं निर्धारित करने का अधिकार दिया गया।

(2) सी.आई.एल. को ब्यूरो आफ इंडस्ट्रीयल कोस्ट्स एंड प्राइसिस की 1987 की रिपोर्ट में निहित वृद्धि फार्मूले के अनुसार लागत सूची को अद्यतन करके 1 जनवरी, 2000 तक प्रत्येक छह महीने में एक बार कोयले की नियंत्रित किस्मों की कीमतें निर्धारित करने का भी अधिकार दिया गया था।

(3) 1 जनवरी, 2000 से सरकार ने सी.आई.एल. को सभी प्रकार के कोयले की कीमतों को बाजार मूल्य पर निर्धारित करने की अनुमति दी है।

(ग) पिट मुहाने पर कोयले का मूल्य, विभिन्न सहायक कंपनियों में अलग-अलग होता है। तथापि ई.सी.एल. बी.सी.सी.एल. तथा एस.ई.सी.एल. में विभिन्न कोलफील्ड्स और खानों में भी कीमतें अलग-अलग होती है।

(घ) कोल इंडिया लि. की विभिन्न सहायक कंपनियों के पिट मुहाने पर कोयले के वर्तमान बिक्री मूल्यों का (आधार मूल्य) कोलफील्डवार तथा खान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

20 अप्रैल, 2000 से प्रभावी कोल इंडिया लि. की विभिन्न कोयला कंपनियों का बिक्री मूल्य (आधार मूल्य)

अनुषंगी कंपनियां	कोयले का ग्रेड	स्टीम और रूबल रु./टन	स्लैक रु./टन	रन आफ माइन रु./टन
1	2	3	4	5
तालिका-1 (अ-कोककर कोयला)				
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	कोयला उत्पादन करने वाली कोलियरियों की सूची अनुबंध-1 में दी गई है			
	ए	1362	1274	1262
	बी	1293	1204	1193
	सी	1116	1028	1016
	डी	923	830	823
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (रानीगंज)	रानीगंज कोयला क्षेत्रों की अन्य कोयला उत्पादन करने वाली कोलियरियां (क) लम्बी लौह वाला कोयला			
	ए	1248	1158	1148
	बी	1184	1094	1084
	सी	1025	935	925
	डी	849	755	749
	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	1176	1086	1076
	बी	1114	1024	1014
	सी	954	864	854
	डी	780	686	680
	ई	576	482	476
	एफ	479	385	379
	जी	371	277	271

1	2	3	4	5
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (सालनपुर)	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	1170	1080	1070
	बी	1063	973	963
	सी	891	802	791
	डी	731	637	631
	ई	576	482	476
	एफ	479	386	379
	जी	371	278	271

नोट: संबद्ध क्षेत्रों के स्टीम कोयले के सूचित मूल्य के अतिरिक्त, अनुबंध-IV में सूचित ई.सी.एल. की खानों से उत्पादित स्टीम कोयले का 25.00 रु. प्रति टन का अतिरिक्त प्रभार लिया जाएगा।

[illegible] कोलफील्ड्स माइन्स)	कोयला उत्पादन करने वाली कोलियरियों की सूची अनुबंध-1 में दी गई है			
	ए	1299	1210	1199
	बी	1184	1095	1084
	सी	1005	916	905
	डी	832	742	736
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.पी. माइन्स)	लम्बी लौह वाला कोयला			
	ए	1190	1101	1090
	बी	1086	997	986
	सी	923	834	823
	डी	768	675	668
	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	1118	1028	1018
	बी	1015	925	915
	सी	853	763	753
	डी	700	606	600
	ई	576	482	476
	एफ	479	385	379
	जी	.371	277	271

1	2	3	4	5
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (मुग्मा)	लम्बी लौह वाला कोयला			
	ए	1190	1100	1090
	बी	1086	996	986
	सी	923	833	823
	डी	768	674	668
	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	1118	1029	1018
	बी	1015	926	915
	सी	853	764	753
	डी	700	606	600
	ई	576	482	476
	एफ	479	386	379
	जी	371	278	271
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजमहल प्रोजेक्ट)	लम्बी लौह वाला कोयला			
	डी	932	838	832
लम्बी लौह रहित कोयला				
	ई	739	646	639
	एफ	643	550	543
	जी	535	441	435
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	लम्बी लौह वाला कोयला			
	ए	1096	1046	1036
	बी	1038	968	978
	सी	974	924	914
	डी	923	869	863
	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	1033	983	973
	बी	975	925	915
	सी	912	862	852
	डी	859	805	799
	ई	685	671	665
	एफ	574	560	554
	जी	438	424	418

1	2	3	4	5
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	कोयला उत्पादन कोलियरियों की सूची अनुबंध-1 में दी गई है			
	ए	1134	1079	1068
	बी	1032	977	966
	सी	872	817	806
	डी	748	694	688
	लम्बी लौह वाला कोयला			
	ए	1030	980	970
	बी	938	888	878
	सी	793	743	733
	डी	685	631	625
	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	967	917	907
	बी	875	825	815
	सी	730	680	670
	डी	621	567	561
	ई	465	451	445
	एफ	375	361	355
	जी	274	260	254
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लि.	लम्बी लौह वाला कोयला			
	ए	1079	1029	1019
	बी	982	932	922
	सी	830	780	770
	डी	716	662	656
	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	1012	962	952
	बी	916	866	856

1	2	3	4	5
	सी	764	714	704
	डी	649	595	589
	ई	487	473	467
	एफ	393	379	373
	जी	287	273	267
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	लम्बी लौह वाला कोयला			
	ए	1088	1038	1028
	बी	991	941	931
	सी	837	787	777
	डी	723	669	663
	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	1021	971	961
	बी	924	874	864
	सी	770	720	710
	डी	655	601	595
	ई	492	478	472
	एफ	396	382	376
	जी	289	275	269
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	लम्बी लौह वाला कोयला			
	ए	992	942	932
	बी	903	853	843
	सी	765	715	705
	डी	663	609	603
	लम्बी लौह रहित कोयला			
	ए	929	879	869
	बी	840	790	780
	सी	702	652	642
	डी	599	545	539
	ई	448	434	428
	एफ	361	347	341
	जी	263	249	243

1	2	3	4	5
तालिका-2 (कोककर कोयला)				
भारत कोकिंग	इस्पात ग्रेड 1	1800	1750	1740
कोल लिमिटेड	इस्पात ग्रेड 2	1513	1463	1453
(अनुबंध-3	वाशरी ग्रेड 1	1319	1269	1259
में कोलियरियों की	वाशरी ग्रेड 2	1103	1053	1043
सूची दी गई है)	वाशरी ग्रेड 3	831	781	771
	वाशरी ग्रेड 4	777	727	717
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	इस्पात ग्रेड 1	1601	1551	1541
	इस्पात ग्रेड 2	1347	1297	1287
	वाशरी ग्रेड 1	1175	1125	1115
	वाशरी ग्रेड 2	984	934	924
	वाशरी ग्रेड 3	743	693	683
	वाशरी ग्रेड 4	965	645	635
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (मुग्मा)	वाशरी ग्रेड 1	1293	1203	1193
	वाशरी ग्रेड 2	1088	990	988
	वाशरी ग्रेड 3	830	741	730
	वाशरी ग्रेड 4	779	690	679
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	वाशरी ग्रेड 1	1175	1125	1115
	वाशरी ग्रेड 2	984	934	924
	वाशरी ग्रेड 3	743	693	683
	वाशरी ग्रेड 4	695	645	635
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	वाशरी ग्रेड 1	1084	1034	1024
	वाशरी ग्रेड 2	908	858	848
	वाशरी ग्रेड 3	687	637	627
	वाशरी ग्रेड 4	644	594	584

1	2	3	4	5
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	वाशरी ग्रेड 1	1084	1034	1024
	वाशरी ग्रेड 2	908	858	848
	वाशरी ग्रेड 3	825	775	765
	वाशरी ग्रेड 4	688	638	628
तालिका-3 (अर्द्ध-कोककर और कम तापीय कोककर कोयला)				
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (कोलियरियों की सूची अनुबंध-3 में दी गई है)	अर्द्ध कोककर ग्रेड-1	1274	1224	1214
	अर्द्ध कोककर ग्रेड-2	1065	1015	1005
भारत कोकिंग कोल लि.	अर्द्ध कोककर ग्रेड-1	1135	1085	1075
	अर्द्ध कोककर ग्रेड-2	950	900	890
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (रानीगंज)	अर्द्ध कोककर ग्रेड-1	1336	1247	1236
	अर्द्ध कोककर ग्रेड-2	1124	1034	1024
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	अर्द्ध कोककर ग्रेड-1	1135	1085	1075
	अर्द्ध कोककर ग्रेड-2	950	900	890
भारत कोकिंग कोल लि.	अर्द्ध कोककर ग्रेड-1	1084	1034	1024
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के अतिरिक्त सभी अनुषंगी कंपनियां	अर्द्ध कोककर ग्रेड-2	908	858	848

तालिका-4 (प्रत्यक्ष फीड कोककर कोयला)

कोयले का ग्रेड	स्टीम और रूबल रु./टन	स्लै रु./टन	रन-आफ-माइन रु./टन
राख 20% से अधिक किन्तु 21% से अधिक नहीं वाली प्रत्यय फीड कोककर कोयले की कोलियरियों को अनुबंध-2 में दर्शाया गया है।	1786	1736	1726

(नोट:- बोनस/दंड—राख में कमी बढ़त के अनुसार 119 रु. की दर पर प्रति टन प्रति प्रतिशत)

नोट:- एस.ए.आई.एल. (सेल) के लिए आपूर्ति हेतु यह मूल्य लागू नहीं होगा, जब तक कि ऐसे कोयले के मूल्य को करार द्वारा समाविष्ट न कर लिया गया हो।

तालिका–5 (असम कोयला)

यूनिट	कोयले का ग्रेड और यू.एन.वी. रेंज (कि. कैलो./कि.ग्रा.)	स्टीम और रूबल रु./टन	स्लैक रु./टन	रन-आफ-माइन रु./टन
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	ए 6200-6299	984	934	924
	बी 5600-6199	801	751	741

नोट:–1. ग्रेड "ए" में 6299 कि. कैलो. प्रति कि.ग्रा. से अधिक पर 100 कि.कैलो. प्रति कि.ग्रा. के प्रत्येक अतिरिक्त यू.एच.वी. हेतु ग्रेड "ए" के मूल्य में 60 रु. प्रति मि.ट. अतिरिक्त जोड़ा जाएगा।

2. 7099 कि. कैलो. प्रति कि.ग्रा. से अधिक यू.एच.वी. हेतु आर.ओ.एम. कोयले के लिए कोयले का मूल्य 1700 रु. होगा और स्टीम, स्लैक तथा रन-आफ-माइन कोयले के बीच मूल्य का अंतर वही रहेगा।

अनुबंध-I

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. दालुरबंद
2. पांडेवश्वर
3. केन्द्रा
4. खोटाडीह भू.ग.
5. खोटाडीह ओ.सी.पी.
6. खोटाडीह सी.एच.पी.
7. समला
8. पुरूषोत्तमपुर ओ.सी.पी.
9. दालुरबंद ओ.सी.पी.
10. नूतनडंगा
    (क) पनसुली (नूतनडंगा 1 और 2 पीट्स)
    (ख) पूरे समला (5 और 6 पीट्स)
    (ग) दरुला (साउथ समला)
11. गंगारामचक
12. जोरेकुरी/पलासथली
13. झांजरा प्रोजेक्ट
    (क) झांजरा 1 और 2 इन्क्लाइन
    (ख) झांजरा 3 और 4 इन्क्लाइन
    (ग) एम.आई.सी.
14. नकरकोंदा
15. सोनपुर बाजारी प्रोजेक्ट (कुमारखेला ओ.सी.पी.)
16. सोनपुर बाजारी प्रोजेक्ट (कुमारखेला ओ.सी.पी.) सी.एच.पी.
17. न्यू केन्दा
    (क) न्यू केन्दा भू.ग.
    (ख) केन्दा वेस्ट ओ.सी.पी. यूनिट
18. न्यू केन्दा सी.एच.पी.
19. कृष्णानगर
20. बहुला
21. बहुला सी.एच.पी.
22. लोअर केन्दा
23. हरीपुर
24. हरीपुर ओ.सी.पी.
25. चोरा
26. चोरा ओ.सी.पी.
27. सिदुली
28. सी.एल. जामबाद
29. मधईपुर

30. मंदेरबोनी
31. बंकोला
32. सेंचुरी इन्क्लाइन
33. श्यामसुंदरपुर
34. कुमारडीही "ए"
    (क) 3 और 4 पिट्स
    (ख) नार्थ इन्क्लाइन
35. टीलाबोनी
36. मोरिया
37. खन्द्रा
38. कुमरडीही बी
    (क) 5 और 6 पिट्स
    (ख) कोयंका काजोरा ए और बी पिट्स
    (ग) सी. पिट
39. शंकरपुर
40. शंकरपुर (3 और 4 पिट्स)
41. शंकरपुर (बोनबहल)
42. शंकरपुर ओ.सी.पी.
43. नाबा काजोरा
44. मधबपुर
45. मधबपुर 10 और 11 पिट्स
46. धनदरडीह ओ.सी.पी.
47. लाचीपुर
48. घनश्याम
49. खास काजोरा
50. घनश्याम ओ.सी.पी. (क्वैरी नं. 4)
51. मधुजोरे
52. मधुसुदनपुर
53. पारसकोले
54. पारसकोले ओ.सी.पी.
55. जामबाद
56. जामबाद ओ.सी.पी.
57. सेंट्रल काजोरा
58. अमृतनगर
59. अमृतनगर सी.एच.पी.
60. महाबीर
61. नार्थ सियरसोल
62. कुनुस्टोरिया
63. कुनुस्टोरिया सी.एच.पी.
64. बंसरा
65. बंसार ओ.सी.पी.
66. टोपोसी
67. टोपोसी निबोन पुनर्निर्माण प्रोजक्ट/ओ.सी.पी.
68. चोरा ब्लाक खान
69. परासिया
70. परासिया ओ.सी.पी.
71. परासिया 6 और 7 इन्क्लाइन
72. बेलबेद
73. अमरासोता इन्क्लाइन ए और बी
74. भनोरा
75. भनोरा वेस्ट
76. ब्लाक खान
77. गिरीमिंट
    (क) एडज्वाय 1
    (ख) कुसाडंगा इन्क्लाइन
78. श्रीपुर
79. जमूरिया (ए और बी पिट)
80. निंघा
81. एस.एस. इन्क्लाइन

82. राणा

83. राणा जी.जी.एफ.

84. घुसिक

85. न्यू घुसिक

86. मुसलिया

87. कालीपहाड़ी

88. डमरा

89. रामजीबनपुर

90. बरमोंदिया

91. चाकवलवपुर

92. मनोहरबहल

93. तीरत

कौरडीह

तोबती

96. रतीबती प्रोजेक्ट (7 पिट)

97. चपुई खास

98. जे.के. नगर

99. जेमेहारी

100. निमचा

101. निमचा ओ.सी.पी.

102. सतग्राम प्रोजेक्ट

103. बेनाली

104. मीथापुर

105. पूरे सियरसोल

106. सतग्राम इन्क्लाइन

107. कालीदासपुर प्रोजेक्ट

108. अर्द्धग्राम ओ.सी.पी.

109. जे.के. नगर फायर प्रोजेक्ट का सीतलदासजी क्षेत्र

110. रानीपुर

111. परबेला

112. दुवेश्वरी

113. भमूरिया

114. सीतलपुर

115. सोदेपुर

116. माठथडीह

117. पौएडीह भू.ग.

118. पौएडीह ओ.सी.पी.

119. चीनाकुरी 1 और 2 पिट्

120. चीनाकुरी 3 पिट

121. पटमोहना पिट

122. बेजडीह

123. मेथानी भू.ग.

124. मेथानी ओ.सी.पी.

125. धेमोमेन

126. नरसमुडा

127. बी.सी. इन्क्लाइन

128. नागेश्वर

129. कंकरताला

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1. चुर्चा (विस्तार और वेस्ट)
2. कथोना (3 और 4)
3. पांडवपारा
4. बिसरामपुर ओ.सी.पी.
5. जयनगर 3 और 4
6. जयनगर 5 और 6
7. कुम्दा 1 और 2
8. कुम्दा 7 और 8
9. बलरामपुर

10. दुग्गा ओ.सी.एम.

11. भालगांव

12. कल्याणी भू.ग.

13. महामाया

14. चिरीमिरी ओ.का.

15. वेस्ट चिरीमिरी ओ.का.

16. कोरिया ओ.का./भू.ग.

17. कुरासिया भू.ग./ओ.का.

18. अजंता इन्क्लाइन

19. चिरीमिरी भू.ग.

20. दुमन हिल भू.ग. (कोटमा)

21. न्यू चिरीमिरी पोनरी हिल (एन.सी.पी.एच.)

22. नार्थ चिरीमिरी (धोरघेला/बिजोरा)

23. सोनावानी

24. वेस्ट चिरीमिरी भू.ग.

(क) कंचन इन्क्लाइन

(ख) मेन सीम

25. नार्थ चिरीमिरी कपारती/नं. 1

26. राजनगर ओ.सी.एम.

27. बिजुरी

28. झीमर-2 (14-15)

29. कपीलधारा

30. कुरजा

31. मलगा

32. न्यू राजनगर (जे.के.डी. ए-1)

33. राजनगर (जे.के.डी. 4ए)

34. राजनगर 7 और 8 (जे.के.डी. 4ए)

35. राजनगर 7 और 8 (जे.के.डी. ए-2)

36. सोमना

37. साउथ जे.के.डी. (5 और 6)

38. वेस्ट जे.के.डी.

39. वेस्ट जे.के.डी. (बी.सीम/पलकीमारा)

40. बेहराबंद पायलट खान

41. दैखल एच.ओ.सी. (जमूना ओ.सी.पी.)

42. कोटमा वेस्ट ओ.सी.एम.

43. भद्रा 7 और 8 (नारायण इन्क्लाइन)

44. गोविंदा

45. हरद इन्क्लाइन

46. जमूना 1 और 2

47. जमूना 3 और 4

48. जमूना 7 और 8

49. जमूना 9 और 10

50. जमूना 11 और 12

51. कोटमा

52. मीरा इन्क्लाइन

53. अमलई ओ.सी.एम.

54. बैगा ओ.सी.एम.

55. धनपुरी ओ.सी.एम.

56. अमलई भू.ग.

57. बंगवार

58. धनपुरी इन्क्लाइन

59. नवगांव

60. न्यू अमलई भू.ग.

61. न्यू चचई इन्क्लाइन

62. राजेन्द्र भू.ग.

63. सुभाष इन्क्लाइन

64. बीरसिंहपुर

65. नौरोजाबाद ईस्ट (सं. 8)

66. नौरोजाबाद वेस्ट (सं. 5 और 10)

67. पाली

68. पिनौरा

69. पिपरिया

70. उनारिया

71. विंध्या

72. शिवानी भू.ग.

73. झिलमिरी भू.ग.

74. भासकरपारा भू.ग.

75. नार्थ चिरीमिरी (देवा इन्क्लाइन)

76. बारतरई भू.ग.

77. शारदा ओ.सी.एम.

अनुबंध-II

फीड कोयला उत्पादन करने वाली कोलियरियों की सूची

[illegible] (एन)	XIV (एल.ओ.सी. XIII) XVIII टी XVIII बी, XVII, XIV, XIII
भंवरा (एस)	XVII
बलिहारी	XI/XII, XV
पी.बी. प्रोजेक्ट	XI/XII
भागबंद	XV
पुटकी	XI/XII
कुस्टोरे	XI/XII
बुरारगढ़	XIV
सिमलाबहल	XI/XII
हुरिलाडीह	XIV,XI,XVI
भालगोरा	XI/XII
मधुबन	XVI सी. (एंल.ओ.सी. एक्स.वी.टी.)
बेगुनिया	चांच सीम
विक्टोरिया वेस्ट	लैकडीह

अनुबंध-III

कोककर कोयला संयोजित से वाशरियों तक उत्पादन करने वाली कोलियरियों की सूची

कोलियरी	सीम
1	2
मुरलीडीह 20/21	III (मोह. टी)
भटडीह	III (मोह. टी)
मुनीडीह	XVII
	XVII टी
	XVII बी
	XVI टी एण्ड बी
एन. तिसरा	IX/X (लोकल X)/I(लोकल ओ)
जयरामपुर	VIII ए (एल.ओ.सी. IX)
लोडना	IX/X (एल.ओ.सी. X) /VIII ए (एल.ओ.सी. IX)
	XI/XII
	VIII
	VII
बगडीगी	XI/X (एल.ओ.सी. X) /VIII
जीलगोरा	XIIIए (एल.ओ.सी. XII)/ XIIIबी/XI/XII/XIV
बरारी	XIIIए/XI/XII/XIII/IX/ VIII
भंवरा (एन.)	VII (लोकल VII)
	XII (लोकल XI)
	X (लोकल IX)
	X/XII (एल.ओ.सी. XII)
भंवरा (एस.)	IX/X (एल.ओ.सी. X/XI)
	VIII ए (एल.ओ.सी. IX बी)
	IV टी.

1	2
भंवरा ओ.सी.पी.	XIV/XV (XIII/XIV)
3 पिट ओ.सी.पी.	IX/X (एल.ओ.सी. X/XI)
नार्थ अमलाबाद/	XVए (एल.ओ.सी. XV)
अमलाबाद	XVI एम (एल.ओ.सी. टी)
सुदामडीह	VIII ए
(शाफ्ट)	IX/X
	XI/XII लोकल
सुदामडीह (इन्क.)	VI
	VIII
	लोकल
	VIII र
पाथरडीह	VIII ए
	VII ए
	VI
चंदन ओ.सी.पी. (सुदामडीह क्षेत्र)	ईब
दोबारी	1 (लोकल ओ.)
कुया	1 (लोकल ओ.)
दामोदा	X
	XI/XII
	XIII
मधुबद	XVI ए / ए. बी. (एल.ओ.सी. XVB)
फुलारीटांड	XI/XII
	X
बीएल-III ओ.सी.पी.	X
बी.एल.-II ओ.सी.पी.	X/IX स्पे. (एल.ओ.सी. IX)/ XI/XII
महेशपुर	X

1	2
खरखरी	एल-12
	XVII टी
	XIV
जोगीडीह	VIII ए (एल.ओ.सी. X ए)
बी.एल.-IV ओ.सी. (कोक)	X
साउथ गोविंदपुर	X (ए) (टा आर बी)/एक्स.बी.
कुरीडीह बजरंग	[illegible]
सालनपुर	X (डी और बी)
अंगरथरा	IX (लोकल X स्पे.)/X (टी एण्ड बी)
कटरास छोटुडीह	X
	IX (लोकल एक्स. ए.)
	VIII बी. (लोक. एक्स. टी.)
कटरास प्रोजेक्ट	X
	VIIIबी (लोक. एक्स टी.)
बंसदिओपुर	XII
	XI
कनकनी	X /XI
	XII
मूडीडीह	IX (Xए)
	X (टी. एण्ड बी)
	X
	VIII बी (IX टी)
	VIII ए (IX बी)
लोयाबाद	XVI ए
	XVI
	XII
	XI
	X

1	2
ईस्ट भगतडीह	X
ऐना ओ.सी.पी.	XI/XII/XV
सिमलाबहल	एक्स बी
	एक्स एम
लैकडीह दीप	जोगरत
गंगा ओ.सी.पी.	X
गोंडुडीह ओसीपी	X
कुसुंदा ओ.सी.पी.	X
गोधुर भू.ग. ओर ओ.का.	X
गोपालीचक	X XI VIII (लोकल IX)
	X
गोपालीचक 5/6	XIV X
भागबंद	XVIIबी
	XVIए

अनुबंध-IV

प्रीमियम स्टीम अ-कोककर कोयला उत्पादन करने वाली कोलियरियों की सूची

फील्ड	एरिया	कोलियरी
1	2	3
रानीगंज	काजोरा	जामबाद भू.ग.
		नाबा काजोरा
		मधवपुर
		परासिया ओ.सी.पी.
		पूर्णदीप इन्क्लाइन
		बंसरा ओ.सी.पी.
		6 और 7 परासिया
		बेलबेद
रानीगंज	सोदेपुर	पटमोहना
रानीगंज	पांडेश्वर	खोट्टाडीह ओ.सी.पी.
		चापापुर-II
		बदजना
		श्यामपुर बी
		राजपुरा ओ.सी.पी.
		निरशा ओ.सी.पी.
मुग्मा	मुग्मा	मंडमान इन्क्लाइन
		खुदिया
		कापासरा
		लक्ष्मीमाटा
		कुमारधुबी
		बरमूरी प्रोजेक्ट

"सेल" का संयुक्त उपक्रम

414. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने अपनी अनुषंगी इकाई इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी में संयुक्त उपक्रम की सहभागिता के लिए विश्व स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय और विदेशी कम्पनियों से अलग-अलग प्राप्त निविदाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संयुक्त उपक्रम को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी और इसमें कुल कितना निवेश अंतर्ग्रस्त है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) सेल ने अपनी सहायक कंपनी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) में संयुक्त उद्यम भागीदारी हेतु "एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट" (ई.ओ.आई.) आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन

जारी किया है। ई.ओ.आई. प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 31 अगस्त, 2000 है तथा ई.ओ.आई. का ब्यौरा उसके पश्चात् ज्ञात होगा।

(ग) इस्को को जून, 2001 तक संयुक्त उद्यम में परिवर्तित कर लिए जाने की योजना है। संयुक्त उद्यम को अंतिम रूप देते समय निवेश की मात्रा का पता लगेगा।

[हिन्दी]

भूमिगत जल निकासी योजना

415. श्री रामानन्द सिंह: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सतना और कटनी शहरों के लिए भूमिगत जल निकासी योजना मंजूरी हेतु भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजनाओं को कब तक मंजूर कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) सतना और कटनी शहरों की भूमिगत जल निकासी योजनाओं हेतु इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस के कार्मिक

416. श्री जयभद्र सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जून, 2000 को "द टाइम्स ऑफ इंडिया" "में 70 देहली पोलीस पर्सोनिल हैव कम अंडर ए क्लाउड फौर देयर अलेज्ड लिंक्स विद क्रिमिनल्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट अथवा उसमें वर्णित तथ्यों की प्रामाणिकता की पुष्टि कर ली है कि उक्त कार्मिकों ने अपराधियों से संबंध विकसित कर लिए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस ने अपने रैंकों में अवांछित तत्वों की छंटनी करने की कवायद के एक भाग के रूप में, ऐसे 36 पुलिस कार्मिकों की पहचान की है जिनके बारे में आपराधिक तत्वों के साथ संबंध होने का संदेह है। इन संदिग्ध कार्मिकों की गतिविधियों की गहन रूप से छानबीन की जा रही है। इसी बीच, इन सभी 36 पुलिस कार्मिकों को असंवेदनशील कार्य सौंपे गए हैं। इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान दस अन्य पुलिस कार्मिक उनके आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने की वजह से सेवा से निकाल दिए गए थे।

हॉट रोल्ड क्वायल्स की मांग/निर्यात

417. डॉ. जसवंत सिंह यादव: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हॉट रोल्ड क्वायल्स की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप लाभ में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा हॉट रोल्ड क्वायल्स का कितना उत्पादन किया गया; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितने क्वायल्स का निर्यात किया गया?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, हां। एच.आर. क्वायलों के अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू मूल्य 1999-2000 की अन्तिम तिमाही के दौरान स्थिर होने शुरू हुए थे। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एच.आर. क्वायलों की मांग में हुई वृद्धि की पुष्टि करने के लिए कोई पक्के आंकड़े उपलब्ध नहीं

है। पिछले चार वर्षों की एच.आर. क्वायलों की घरेलू मांग और प्रत्यक्ष खपत नीचे दी गई है:-

(हजार टन)

सूचना	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 (अनन्तिम)
घरेलू मांग/प्रत्यक्ष खपत	4721	4969	5238	6141

(ग) तप्त बेल्लित क्वायलों का उत्पादन और बिक्री बढ़ने से लाभ बढ़ेगा।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान और जून, 2000 तक सेल के एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित तप्त बेल्लित क्वायलें नीचे दी गई हैं:-

वर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 अप्रैल-जून
एच.आर. क्वायलें राउरकेला और बोकारो उत्पादन बिक्री के लिए	1161	866	1546	467

(ङ) 1997-2000 और अप्रैल-जून, 2000 के दौरान सेल निर्यात की गई एच.आर. क्वायलें नीचे दी गई हैं:-

	टन (अनन्तिम)
1997-98	31348
1998-99	21250
1999-2000	246617
अप्रैल-जून, 2000	32624

आवास योजनाएं

418. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषरूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मकानों के निर्माण तथा आंध्र प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के सृजन हेतु 1197 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या आवासीय योजना से संबंधित निर्माण कार्य अल्प लागत वाली सफाई योजना और राष्ट्रीय मलिनबस्ती विकास योजना शुरू की जा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्य प्रगति की स्थिति क्या है;

(घ) क्या "हडको" ने भी आंध प्रदेश राज्य पुलिस आवास निगम को 2.65 लाख मकानों के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये मंजूर करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विकास केन्द्रों/व्यावसायिक परिसरों का निर्माण

419. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **शहरी विकास** और **गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) यमुना पार क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने विकास केन्द्रों/व्यावसायिक परिसरों का निर्माण कराया जा रहा है और पूरा होने की लक्षित तिथि क्या है;

(ख) परियोजना-वार कार्य निष्पादन में विलम्ब के कारण प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत वृद्धि आएगी; और

(ग) सरकार द्वारा क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं के कार्य के शीघ्र निष्पादन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित किया है कि यमुना पार क्षेत्र में कोई विकास केन्द्र निर्माणाधीन नहीं है। तथापि, छः व्यवसायिक केन्द्रों अर्थात् लक्ष्मी नगर, मयूर प्लेस जिला केन्द्र, शास्त्री पार्क में जिला केन्द्र/सुविधा केन्द्र, सब सी.बी.डी. शाहदरा, यमुना विहार में सामुदायिक केन्द्र और कड़कड़डूमा में सामुदायिक केन्द्र है जिनका यमुना पार क्षेत्र में डी.डी.ए. द्वारा निर्माण किया जा रहा है वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) लक्ष्मी नगर जिला केन्द्र चरण-1 की निर्माण लागत 182.73 लाख रुपये से बढ़कर 823.55 लाख रुपये हो गयी है। प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दिए गए अनुसार अन्य वाणिज्यिक केन्द्र की लागत में आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ है।

इन परियोजनाओं की लम्बी गर्भावधि और चरणबद्ध कार्यान्वयन के कारण आंकलन में संशोधन और विलम्ब हुआ है।

(ग) प्लाटों के शीघ्र निपटान/नीलामी और आबंटन की शर्तों और निबंधों के अनुसार संबंधित आबंटियों द्वारा उनके शीघ्र निर्माण के लिए डी.डी.ए. द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

क्र.सं.	वाणिज्यिक परिसर का नाम	चरण-1 में सेवाओं के पूरा होने की तारीख	चरण-2 कार्यकलाप के पूरा होने की संभावित तारीख	अभ्युक्तियां
1.	लक्ष्मीनगर जिला केन्द्र	पूरा हो गया है	2001	प्रथम चरण में सेवाएं पहले ही पूर्ण हो गयी हैं। चरण-2 में विकास गतिविधियां चल रही हैं और उनका, शेष प्लाटों में भवन निर्माण गतिविधि के पूरा होने पर ही, 2001 तक पूरा होने की संभावना है।
2.	मयूर प्लेस जिला केन्द्र	दिसम्बर 2002	-	इस स्थिति में चरण-2 के कार्य के पूरा होने की निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती चूंकि सभी प्लाट की आबंटित/नीलामी नहीं की गई है।
3.	शास्त्री पार्क में जिला केन्द्र/सुविधा केन्द्र	दिसम्बर, 2001	- -	-वही-
4.	सबसी.बी.डी. शाहदरा	जून, 2000	-	-वही-
5.	यमुना विहार में सामुदायिक केन्द्र	दिसम्बर 2001	-	-वही-
6.	कड़कड़डूमा में सामुदायिक केन्द्र	दिसम्बर 2001	-	-वही-

कोयले की आर्थिक रूप से अव्यवहार्यता

420. श्री जय प्रकाश: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खानों द्वारा उत्पादित कोयला रेलवे द्वारा अधिक भाड़ा वसूले जाने के कारण घरेलू बाजार के लिए आर्थिक रूप से अलाभप्रद बन चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले को रेलवे के साथ उठाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) भारतीय खानों में उत्पादित कोयला लागत की दृष्टि से मंहगा

पड़ता है जिसमें रेलवे की अत्यधिक मालभाड़ा दरें शामिल हैं। आयातित कोयले की तुलना में भारतीय कोयले के गैर-प्रतिस्पर्धी होने के मुख्य कारणों में से एक कारण, विशेष रूप से कुछ तटीय क्षेत्रों में लम्बी दूरी के लिए अधिक रेल माल-भाड़ा होना है।

(ख) और (ग) कोयला मंत्रालय ने रेलवे मंत्रालय से रेल माल-भाड़ा के स्वरूप में असंतुलन को दूर करने का अनुरोध किया है जोकि घरेलू कोयले की वाणिज्यिक व्यवहार्यता की तुलना में बहुत अधिक है। इस मामले को रेलवे मंत्रालय के साथ सशक्त रूप से उठाया जा रहा है।

मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट

421. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मल्होत्रा समिति की सिफारिशों और फार्म हाऊसों को तोड़ने संबंधी सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के बारे में विवाद पैदा हो गया है;

यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ फार्म हाऊसों को तोड़ दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या फार्म हाऊसों के बारे में नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 7.6.2000 की अधिसूचना के द्वारा दिनांक 23.7.98 को यथा अधिसूचित फार्म हाऊसों के भवन मानकों को स्थगित कर दिया है क्योंकि इन मानकों के बने रहने के परिणामस्वरूप हरित क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूप से आवासीय कालोनियों में बदल जाता है। रिपोर्टों से यह खुलासा हुआ है कि कई मामलों में शायद ही कोई कृषि कार्य हो रहा है एवं अक्सर इन फार्म हाऊसों का रिहायशी व्यावसायिक एवं अन्य असंगत उद्देश्यों के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) इस संबंध में संक्षिप्त सूचना एम.सी.डी. और डी.डी.ए. आदि से एकत्रित की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी। 23 जुलाई, 1998 से पूर्व के नियोजन मानकों में वापिसी (रिवर्ट) का प्रस्ताव किया गया है। सार्वजनिक अधिसूचना के जवाब में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की जांच की जाएगी।

पटरी पर रहने वाले लोग

422. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ लोग चण्डीगढ़ में हरित क्षेत्र स्थित सड़कों के साथ लगी पटरियों पर रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो पटरियों पर रहने वाले इन व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) शहरी पटरियों से उन्हें हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विश्वविद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा संसाधन केन्द्र

423. श्री अनादि साहू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कितने जनसंख्या शिक्षा संसाधन केन्द्र और जनसंख्या शिक्षा क्लब खोले गए हैं;

(ख) क्या उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में ऐसे केन्द्र खोले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालयों में 17 जनसंख्या शिक्षा अनुसंधान केन्द्र और कालेजों में 1400 जनसंख्या शिक्षा क्लब स्थापित किए गए हैं।

(ख) और (ग) उत्कल विश्वविद्यालय में 1996 में एक जनसंख्या शिक्षा अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया था।

पेटेंट फेसिलिटेटिंग फंड

424. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोई 'पेटेंट फेसिलिटेटिंग फंड' स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा मुख्य उद्देश्य क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त निधि के उपयोग हेतु कोई नीति/दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसका घरेलू व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में जवाहर रोजगार योजना का तीसरा चरण

425. श्री राजो सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में जवाहर रोजगार योजना का तीसरा चरण किस तारीख को शुरू किया गया था;

(ख) इस चरण के अन्तर्गत अब तक कितने कार्यक्रम/परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ग) इस चरण के लिए राज्य के किन-किन जिलों का चयन किया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में इस संबंध में राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन का निष्पादन क्या रहा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) बिहार में जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) का तीसरा चरण नाम की कोई योजना नहीं थी। तथापि, वर्ष 1993-94 में बिहार सहित पूरे देश में तीसरा चरण (अभिनव जवाहर रोजगार योजना) नामक एक उप-योजना शुरू की गई थी। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य दूर-दराज और अत्यधिक पिछड़े हुए ऐसे क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार प्रदान करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचा का सृजन करना था जिन्हें कि सामान्य चालू ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में नजरन्दाज किया गया था। यह योजना राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजनाओं के आधार पर कार्यान्वित की जाती थी। इस उपयोजना को 1.4.1999 से बन्द कर दिया गया है। देश के विभिन्न राज्यों में कुल 92 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं जिनमें से बिहार के लिए 9 परियोजनाएं थीं।

(ग) से (ङ) बिहार में स्वीकृत की गई 9 परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रमांक	परियोजना का नाम	सूचित माह	परियोजना अवधि	स्वीकृत करने की तारीख	कुल परियोजना लागत	अनुमोदित केन्द्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश	कुल उपलब्ध निधियां	सूचित व्यय	कुल उपलब्ध निधि के व्यय का प्रतिशत	परियोजना लागत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1993-94											
1.	मधुबनी जिले में मत्स्य पालन विकास हेतु विशेष परियोजना	मार्च, 97	2	28.3.94	135.69	108.55	54.78	68.47	63.60	92.89	46.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	लोहरदगा जिले के आदिम आदिवासियों के लिए आवास और आय सूचांक कार्यक्रम	नवम्बर, 99	3	28.5.94	92.15	73.72	73.72	92.15	59.25	64.30	64.30
1994-95											
3.	पश्चिम सिंहभूम के आदिम आदिवासियों (बिरहोर) का उत्थान	मार्च, 96	2	28.8.94	73.00	37.90	18.95	23.69	13.32	56.23	18.25
4.	पूर्णिया प्रमंडल के चार जिलों (पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार जिले) में बम्बू बोरिंग के जरिए अनु. जातियों/जन जातियों के लिए 100% सिंचाई	नवम्बर, 98	3	14.9.94	600.00	480.00	400.20	500.25	495.24	99.00	82.54
5.	रांची प्रमंडल में बिहार के आदिम आदिवासियों समूहों का विकास	अप्रैल, 98	3	23.12.94	1695.65	1365.53	904.36	1130.45	436.57	38.62	26.75
6.	रांच प्रमंडल का उप योजना में उद्यान विकास	दिसम्बर, 98	2	23.12.94	46.73	37.42	18.71	23.39	17.97	76.83	38.41
1995-96											
7.	सुपौल में बम्बू बोरिंग के जरिए 100% सिंचाई	-	3	22.3.96	144.96	115.97	57.98	72.47	-	-	-
8.	सहरसा में बम्बू बोरिंग के जरिए 100% सिंचाई	-	3	22.3.96	28.50	22.80	22.80	28.50	18.70	65.61	65.61
9.	मधेपुरा में बम्बू बोरिंग के जरिए 100% सिंचाई	-	3	22.3.96	172.00	137.00	68.80	86.00	-	-	-
	कुल				2988.73	2373.89	1620.3	2025.37	1104.65		

[अनुवाद]

पंचायती राज प्रणाली

426. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने मौजूदा पंचायती राज प्रणाली में परिवर्तन करने के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निचले स्तर के शासन संबंधी शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) से (ग) कुछ राज्य वर्तमान पंचायती राज प्रणाली को बदलने के पक्ष में नहीं हैं और उनकी राय है कि चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर हुई चर्चा के बाद संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 को अंगीकार किया गया था इसलिए किसी भी प्रकार के प्रस्तावित बदलाव से निचले स्तर पर लोकतंत्र कमजोर होगा।

2. निचले स्तर पर शासन का मुद्दा मुख्यत: पंचायतों को वित्तीय और कार्यकारी शक्तियां सौंपने और ग्राम सभाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने से जुड़ा है जो कि एक सतत् प्रक्रिया है तथा इस दिशा में केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने पहल की है। भारत सरकार ने कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का परामर्श दिया है।

[हिन्दी]

खुले मुहाने वाली खदानें

427. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स ने खुले मुहाने वाली खदानों में खनन के लिए निजी कंपनियों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस समझौते के खंडों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में शौचालयों का निर्माण

428. श्री राजो सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार में शौचालयों के निर्माण के लिये कौन-कौन सी योजनायें मंजूर की गई हैं;

(ख) केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार इस कार्य हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी है;

(ग) ऐसी योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यवार चयनित शहरों और चालू करने के बाद लाभान्वित शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्यवार लाभान्वित होने वाले शहरों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) के जरिए चलाई जा रही केन्द्र प्रवर्तित किफायती सफाई स्कीम (एल.सी.एस.) के अन्तर्गत 30.6.2000 की स्थिति अनुसार 826 स्कीमें स्वीकृत की गई हैं जिनकी परियोजना लागत 1340.22 करोड़ रुपये है जिसमें 467.99 करोड़ रुपये की केन्द्र सरकार सब्सिडी और हडको से 610.82 करोड़ रुपये का ऋण सम्मिलित है। इन स्कीमों में से 9 स्कीमें बिहार में स्वीकृत की गई हैं जिनकी परियोजना लागत 26.07 करोड़ रुपए है जिसमें 11.07 करोड़ रुपए की केन्द्र सरकार सब्सिडी और हडको से 12.71 करोड़ रुपए का ऋण सम्मिलित है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी की गई भारत सरकार सब्सिडी और हडको ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) एल.सी.एस. के तहत चुने हुए शहरों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) चूंकि एल.सी.एस. एक मांग आधारित स्कीम है इसलिए एल.सी.एस. के अंतर्गत भविष्य की स्वीकृतियों, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करती हैं।

विवरण-I

30.6.2000 की स्थिति के अनुसार किफायती सफाई स्कीम के अन्तर्गत हडको द्वारा जारी राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी
1.	आन्ध्र प्रदेश	406.87	80.52	3985.10	794.27	4270.18	3625.59
2.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	गोवा	400.00	0.00	400.00	0.00	160.00	0.00
5.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[illegible]र्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[illegible]	करल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	100.55	0.00	55.00	95.51
10.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	79.82	0.00	299.95
11.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.24
12.	मेघालय	10.43	8.47	19.54	0.00	0.00	0.00
13.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
14.	उड़ीसा	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	153.94	722.23
16.	राजस्थान	0.00	164.63	0.00	166.48	0.00	38.47
17.	तमिलनाडु	0.00	19.69	105.87	31.11	0.00	0.00
18.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	58.79	0.00	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	1244.92	972.25	0.00	0.00	0.00	602.19
20.	पश्चिम बंगाल	376.45	388.15	270.00	0.00	1279.77	764.41
21.	अंडमान एवं निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	2442.17	1633.71	4881.06	1130.47	5918.89	6164.59

विवरण-II

एस.सी.एस. के अन्तर्गत शामिल कस्बे

क्र.सं.	राज्य का नाम	शामिल कस्बों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	113
2.	असम	27
3.	बिहार	42
4.	गोवा	1
5.	हरियाणा	76
6.	जम्मू व कश्मीर	27
7.	कर्नाटक	52
8.	केरल	15
9.	मध्य प्रदेश	112
10.	महाराष्ट्र	224
11.	मणिपुर	5
12.	मेघालय	2
13.	मिजोरम	1
14.	उड़ीसा	63
15.	पंजाब	75
16.	राजस्थान	156
17.	तमिलनाडु	89
18.	त्रिपुरा	12
19.	उत्तर प्रदेश	69
20.	पश्चिम बंगाल	107
21.	अंडमान एवं निकोबार	1
	कुल	1269

[अनुवाद]

कोल इंडिया की रुग्ण सहायक इकाईयां

429. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया की कितनी सहायक इकाईयां रुग्ण हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान इन इकाईयों को कितना आर्थिक घाटा हुआ है;

(ग) इनके कार्यकरण को सुधारने और घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन सहायक इकाईयों से विनिवेश करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.सी.एल.) ही केवल कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.) की इकाई है। जिसका रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा 15(1) के अंतर्गत रुग्ण औद्योगिक कंपनी के रूप में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण मंडल हेतु हवाला दिया गया है।

(ख) ई.सी.एल. द्वारा पिछले पांच वर्षों में उठाई गई हानि, जिसके लिए लेखाओं की लेखा परीक्षा की गई, नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	ई.सी.एल. की हानि
1994-95	575.54
1995-96	391.22
1996-97	341.15
1997-98	541.89
1998-99	472.47

(ग) से (ङ) दिनांक 24.10.1998 को ई.सी.एल. के निदेशक मंडल ने ई.सी.एल. की अधिक हानि उठा रही 64 खानों को बंद करने हेतु संकल्प जारी किया। ई.सी.एल. के पुनरुद्धार के लिए श्रमिक संघों को कई विकल्पी उपायों के प्रस्ताव दिए गए जिन्होंने उनमें से कोई भी स्वीकार नहीं किया। आई.सी.आई.सी.आई. लिमिटेड, ई.सी.एल. के लिए पुनरुद्धार उपायों के सुझाव में लगे थे। आई.सी.आई.सी.आई. लिमिटेड ने अपनी रिपोर्ट में 64 हानि उठा रही खानों को बंद करने की भी सिफारिश की है। आई.सी.आई.सी.आई. की रिपोर्ट, कंपनी हेतु पुनरुद्धार उपाय तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय के विचाराधीन है। ई.सी.एल. के सी.आई.एल. शेयरों के अपनियोजन का कोई प्रस्ताव नहीं है। ई.सी.एल. के सभी शेयर नियंत्रक कंपनी सी.आई.एल. द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

सरकारी क्वार्टरों में अतिरिक्त निर्माण

430. **श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उप नियमों और विद्यमान नक्शे/मकानों के अनुसार टाइप-II क्वार्टरों में अतिरिक्त निर्माण पर विचार किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इन उप नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी स्थान के साथ सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा अन्य उप नियमों को ध्यान में रखते हुए नक्शे में छेड़छाड़ किए बिना अतिरिक्त निर्माण की अनुमति दी जा सकती है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने मामलों में अनुमति प्रदान की गई है;

(ङ) इस संबंध में उक्त अवधि के दौरान सरकार को कितने [illegible] प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई;

क्या एल.बी.जैड. जहां स्वयं सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बंगलों में अतिरिक्त निर्माण किया गया है, में भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो अवैध और अनधिकृत निर्माण के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. और आबंटियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) भवन उपनियम एक समान नहीं है। एक शहर से दूसरे शहर और एक ही शहर के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इनमें भिन्नता है। टाइप-II क्वार्टरों में अतिरिक्त निर्माण की अनुमति है यदि यह स्थानीय क्षेत्र के उप नियमों के अनुकूल है। तथापि सामान्यतः ऐसे निर्माण अनुमत्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक टाइप के क्वार्टरों के फर्शी क्षेत्र आदि के अपने स्पष्ट विनिर्देश हैं।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान टाइप-II क्वार्टरों में अतिरिक्त निर्माण के लिए ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है।

(च) एल.बी.जेड. क्षेत्र के बंगलों में किसी अतिरिक्त निर्माण की अनुमति नहीं है। तथापि, के.लो.नि.वि. को मंत्रियों/उच्चतम न्यायालय/उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों/भारत सरकार के सचिवों के बंगलों में उनकी कार्यात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त निर्माण कार्य करने की अनुमति है यदि बंगले का कुल कुर्सी क्षेत्रफल अधिभोक्ता (ऑक्यूपेंट) की पात्रता से कम हो।

(छ) के.लो.नि.वि. ने अतिरिक्त निर्माण कार्य अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार किए हैं और इसलिए मामले में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

कामकाजी लोगों के लिये हॉस्टल और शैक्षिक केन्द्र

431. **श्री राजो सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से पिछले तीन वर्षों के दौरान कामकाजी लोगों के लिये हॉस्टल और औपचारिक शैक्षणिक केन्द्र स्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कितने हॉस्टल और शैक्षिक केन्द्र खोलने की मंजूरी मिली है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एन.सी.ई.आर.टी. में यूनेस्को का केन्द्र

432. **श्री तूफानी सरोज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को (यू.एन.ई.एस.सी.ओ.) ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में एक केन्द्र खोला है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके खर्च के लिए किस प्रकार धनराशि जुटाई जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, यूनेस्को ने प्रशिक्षण के लिए विशेष आवश्यकता संबंधी शिक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने, संसाधन का विकास करने और एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में विशेष आवश्यकता संबंधी शिक्षा के लिए अनुसंधान और नेटवर्किंग करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

आई.पी.एस. अधिकारी

433. श्री अशोक अर्गल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कितने आई.पी.एस. अधिकारी हैं;

(ख) क्या कुछ आई.पी.एस. अधिकारियों की किसी भी विभाग में तैनाती नहीं की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा कितने आई.पी.एस. अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है एवं उनके नाम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) 3309 हैं, श्रीमान जी।

(ख) और (ग) आई.पी.एस. अधिकारियों की तैनाती उस काडर राज्य, जिससे अधिकारी संबंधित हैं, का विशेषाधिकार है। इस बारे में सूचना इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है और इसलिए, यह उपलब्ध नहीं है। जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, किसी ऐसे अधिकारी, जो केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर है, का बिना तैनाती के रहने का प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

गत 3 वर्षों के दौरान आई.पी.एस. अधिकारियों के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है:

1.	मामलों की कुल संख्या	23
2.	जांच/न्यायालय आदेशों के पश्चात् आरोप हटा लेना	5
3.	नियमित अनुशासनात्मक कार्रवाई के पूरा हो जाने के पश्चात् समुचित दण्ड दिया गया	8
4.	अनुशासनात्मक कार्यवाही की विभिन्न अवस्थाओं में लम्बित मामले	10

निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्र में प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान भ्रष्टाचार और अन्य कदाचार के विभिन्न आरोपों के लिए चार्ज शीट किया गया:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम
1.	सुश्री रेखा खरे, आई.पी.एस. (प्रोब)
2.	श्री ए.ए. खान, आई.पी.एस. (डब्लू बी 77)
3.	ए. रामू, आई.पी.एस. (ओ आए)
4.	श्री अनिल खन्ना, आई.पी.एस. (आर जे 81)
5.	श्री बी.बी. सान्याल, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त)
6.	श्री सी.एम. रविन्द्रन, आई.पी.एस. (एस के 77)
7.	श्री जी.आर. मीणा, आई.पी.एस. (एम पी 90)
8.	श्री के. नारायण, आई.पी.एस. (के टी के)
9.	श्री के.एस. ढिल्लो, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त)
10.	श्री एम.के. नारायण, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त)
11.	श्री एम.के. सिघल, आई.पी.एस. (प्रोब)
12.	श्री एम. शेखर, आई.पी.एस. (जी जे 83)
13.	श्री मैथ्यु जान, आई.पी.एस. (एम टी 69)
14.	श्री पी.ए. रेड्डी, आई.पी.एस. (ए पी 68)
15.	श्री पी.एम. सावन्त, आई.पी.एस. (एम टी 77)
16.	श्री पी. पांडियन, आई.पी.एस. (टी एन 79)
17.	श्री आर.बी. श्रीकुमार, आई.पी.एस. (जी जे 71)
18.	श्री आर. वराल, आई.पी.एस. (एम टी 82)
19.	श्री आर.के. सच्चर, आई.पी.एस. (ओ. आर 65)
20.	श्री एस.पी. पाण्डे, आई.पी.एस. (एम पी-74)
21.	श्री टी. कोरय्या, आई.पी.एस. (एम पी 69)
22.	श्री यू.एन. बिस्वास, आई.पी.एस. (डब्ल्यू बी 68)
23.	श्री वाई.पी. सिंह, आई.पी.एस. (एम एच 85)

उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित अधिकारियों के विरुद्ध पी.सी. अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति जारी की गई

क्र.सं.	अधिकारी का नाम
1.	बी.एन. जेना, आई.पी.एस. (ओआर 78)
2.	ई. हरिहरने, आई.पी.एस. (टीएन-63)
3.	श्री वीराराघवन, आई.पी.एस. (टीएन-68)
4.	श्री एम.डब्ल्यू. चित्ताले
5.	श्री गुरूदयाल सिंह, आई.पी.एस. (जीजे-69)
6.	श्री एस.पी. पाण्डे

निम्नलिखित अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच-पड़ताल लम्बित है

क्र.सं.	अधिकारी का नाम
1.	श्री ब्रिजेन्द्र राय, आई.पी.एस. (एच वाई 74)
	श्री आर.के. शर्मा, आई.पी.एस. (पी बी 62)

नीलांचल इस्पात निगम

434. कुमारी भावना पुंडरिककराव गवली : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नीलांचल इस्पात निगम के द्वारा उड़ीसा में इस्पात संयंत्र की स्थापना करने से कितने लोग विस्थापित होंगे;

(ख) क्या विस्थापितों के पुनर्वास के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) उड़ीसा सरकार और मैसर्स नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड से प्राप्त जानकारी के अनुसार उड़ीसा में डुबरी स्थित नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एन.आई.एन.एल.) द्वारा इस्पात संयंत्र लगाने के कारण 634 परिवार विस्थापित हुए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा जारी व्यापक मार्ग निर्देशों के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाने के प्रयास किए गए हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा पुनर्वास के अतिरिक्त बहुत से विस्थापितों को निर्माण-स्थल पर ही अप्रत्यक्ष रोजगार मुहैया कराया गया है। एन.आई.एन.एल. द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार विस्थापित परिवारों के 634 नामजद काम मांगने वालों में से 288 व्यक्ति विभिन्न ठेकेदारों के साथ परियोजना-स्थल पर ही कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 17 विस्थापित एन.आई.एन.एल. के खर्चे पर कटक स्थित आई.टी.आई. में आई.टी.आई. प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अन्य 17 विस्थापित, जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, को आई.टी.आई. प्रशिक्षण देने पर विचार किया जा रहा है। 634 विस्थापितों की अद्यतन स्थिति इस प्रकार है:

-	ठेकेदारों के अधीन विभिन्न कुशल और अकुशल कार्यों में नियोजित विस्थापितों की संख्या	-	288
-	विस्थापितों के संबंधियों में से नियोजितों की संख्या	-	8
-	आई.टी.आई. में दो बैचों में प्रशिक्षण हेतु प्रायोजितों की संख्या जो एन.आई.एन.एल./ के.एम.सी.एल. में रखे जाएंगे	-	34
-	वे विस्थापित व्यक्ति जिनका अता-पता नहीं है और जो या तो मर गए हैं अथवा शारीरिक रूप से विकलांग हो गए हैं	-	34
-	वृद्धावस्था के कारण काम करने के अनिच्छुक विस्थापितों की संख्या	-	110
-	अभी तक काम पर न लगाए गए विस्थापितों की संख्या	-	160
			634

[अनुवाद]

कोयले का उत्पादन और आयात

435. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ और उक्त अवधि के दौरान कोयले की कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार कोयले के आयात में कमी लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कोयले का कुल उत्पादन और आयात की मात्रा नीचे दी जा रही है:-

(मिलियन टन में)

वर्ष	कुल उत्पादन	कुल आयात		
		कोककर कोयला	अ-कोककर कोयला	जोड़
1997-98	297.17	10.65	6.56	17.21
1998-99	292.27	9.64	6.00	15.64
1999-2000 (अनंतिम)	300.09	10.00	7.50	17.50

(ख) और (ग) सरकार कोयले का आयात नहीं करती है। कोयले का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अधीन है और यह ग्राहकों के द्वारा उनकी जरूरतों के आधार पर किया जाता है।

बिजली का लोड

436. श्री रघुनाथ झा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में टाइप-दो के सरकारी मकानों में कितनी बिजली का लोड संस्वीकृत किया गया है और यह लोड किस वर्ष में संस्वीकृत किया गया था;

(ख) क्या आधुनिक जीवन के रहन-सहन और आवश्यकताओं को देखते हुए यह लोड पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस लोड को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) 1950 तथा उसके बाद निर्मित सरकारी कालोनियों में टाइप-II आवासों के लिए स्वीकृत लोड 0.5 किलो वॉट से 1.8 किलो वॉट प्रति क्वार्टर के बीच है। बहुत पुराने निर्माण के मामलों में स्वीकृत लोड 1.00 किलो वॉट से कम है। आधुनिक बिजली उपकरणों के आगमन के साथ आधुनिक जीवन के रहन-सहन को देखते हुए यह लोड पर्याप्त नहीं है तथा इसे बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

(ग) और (घ) धनराशि की उपलब्धता तथा क्षेत्रों की परस्पर प्राथमिकता को ध्यान में रखकर बिजली का लोड चरणों में बढ़ाया जा रहा है।

झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां

437. श्री रामसागर रावत : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में रंगपुरी छोटी पहाड़ी में झुग्गी-झोपड़ी बस्तियां तेजी से बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कोई कदम न उठाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या एक अंतिम तारीख के पश्चात् झुग्गी-झोपड़ियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने के लिए पालिका निकायों को अनुदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए कौन सी अंतिम तिथि अधिसूचित की गई है;

(च) क्या झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों, जो अवैध रूप से बंगलादेश छोड़कर भारत में बस गए हैं, की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) भूमि अधिग्रहण समाहर्ता (लैंड एक्विजिशन कलेक्टर) से 5.7.2000 को वास्तविक कब्जा लेते समय रंगपुरी गांव के खसरा सं. 1337 में बने अनधिकृत ढांचे को गिराया गया। खसरा नं. 1338 में अनधिकृत ढांचों को कानून और व्यवस्था की कठिनाई तथा बरसात के कारण नहीं हटाया जा सका और इसलिए डीडीए द्वारा भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं लिया जा सका। कुछ क्षेत्र के निवासियों द्वारा 18.7.2000 को शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री से किए गए अनुरोध पर प्रमुखतः बरसात के कारण यह निर्णय लिया गया है कि ढहाने का कार्य अगले आदेश होने तक आस्थगित रखा जाए। किसी भी नए आने वाले को समूह (क्लस्टर) में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) दिल्ली पुलिस गैर-कानूनी बंगलादेशी आप्रवासियों की पहचान के लिए सर्वे कर रही है। सर्वे के दौरान ... गैर-कानूनी आप्रवासी बांगलादेशियों की पहचान की गई है ... 276 को वापस भेज दिया गया है और 10 बांगलादेशियों ... फॉरिनर्स एक्ट'' के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। शेष वापस भेजे जाने के लिए प्रतीक्षारत हैं।

[हिन्दी]

भारतीय विज्ञान स्तर

438. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि भारतीय विज्ञान का स्तर पिछले कई वर्षों से गिरा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों में लिए गए मुख्य निर्णयों से वैज्ञानिकों को अवगत कराया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) विभिन्न मंचों पर यह विचार व्यक्त किए गए हैं कि विगत वर्षों में भारतीय विज्ञान के मानकों में कमी आई है। हालांकि यह सही नहीं है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं जिसे अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय द्वारा मान्यता प्रदान की गई। ये विकास कार्य कृषि, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, जैवप्रौद्योगिकी, महासागर विकास, औद्योगिक अनुसंधान, औषधि एवं जैवचिकित्सा अनुसंधान इत्यादि और सूचना प्रौद्योगिकी व सॉफ्टवेयर इंजीनियरी के विशेष क्षेत्रों में किए गए हैं।

(ग) और (घ) नीतिगत निर्णय लेने सम्बन्धी अधिकांश उच्च स्तरीय बैठकों में सरकार द्वारा कार्यशील मंच स्तर के वैज्ञानिकों के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा औद्योगिक क्षेत्र के परिषत्सदस्यों व प्रौद्योगिकीविदों की भागीदारी ही सुनिश्चित की गई है। जिन क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य जैवप्रौद्योगिकी औषधि एवं भेषज, प्रौद्योगिकी विकास, यंत्र विकास, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि विशेष औद्योगिकी क्षेत्रों की ओर उन्मुख हैं, उनमें सम्बद्ध उद्योग क्षेत्र परिसंघ के प्रतिनिधियों के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र को कार्यशील स्तर के वैज्ञानिकों की भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार होती है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों तथा इंजीनियरी अकादमियों व अन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यावसायिक निकाय, जो कि इन निर्णय लेने वाली समितियों में प्रतिनिधि होते हैं, कार्यशील-मंच स्तर के वैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों व प्रौद्योगिकी समुदाय में नीतिगत निर्णयों का प्रचार-प्रसार करने में भी कुल मिलाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड

439. श्री अशोक अर्गल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस बोर्ड के क्या लक्ष्य हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बोर्ड द्वारा किन-किन कम्पनियों को ऋण या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(घ) ऐसी सहायता किन-किन उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराई गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 के तहत गठित प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड में 11 सदस्य हैं जिनमें से 6 केन्द्र सरकार के

वैज्ञानिक तथा सामाजिक-आर्थिक विभागों/मंत्रालयों में शामिल किए गए पदेन सदस्य हैं जैसा कि नीचे दिया गया है—

(1)	सचिव, भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	- पदेन अध्यक्ष
(2)	सचिव, भारत सरकार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	- सदस्य
(3)	सचिव, भारत सरकार, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	- सदस्य
(4)	सचिव, भारत सरकार रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग	- सदस्य
(5)	सचिव, भारत सरकार औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन विभाग	- सदस्य
(6)	सचिव, भारत सरकार ग्रामीण विकास विभाग	- सदस्य

इसके अतिरिक्त बोर्ड में 4 गैर-सरकारी सदस्य हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों के बीच से नियुक्त किया जाता है जिन्हें प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग, बैंकिंग एवं वित्त, उद्योग, कृषि और ग्रामीण विकास में अनुभव प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त सचिव, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड भी इस बोर्ड में पदेन सदस्य हैं।

(ख) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड की स्थापना स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास एवं वाणिज्यिक अनुप्रयोग अथवा घरेलू अनुप्रयोगों के लिए आयातित प्रौद्योगिकी अपनाने तथा उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों में प्रयासरत औद्योगिकी इकाइयों तथा अन्य एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए की गई है।

(ग) जिन कंपनियों/एजेंसियों को बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा कृषि, इंजीनियरी, इलैक्ट्रानिक्स तथा दूरसंचार, पर्यावरण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन आदि जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी प्रौद्योगिकीय प्रयासों के माध्यम से नए उत्पादन, प्रक्रियाओं एवं अनुप्रयोगों के विकास एवं वाणिज्यीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन कंपनियों/एजेंसियों को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा ऋण अथवा वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई, के नाम

क्र.सं.	कंपनी/एजेंसी का नाम	स्वीकृत की गई ऋण अथवा वित्तीय सहायता की राशि (लाख रुपए में)
1	2	3
I. 1997-98 के दौरान		
1.	शान्ता बायोटैक्निक्स प्रा. लिमिटेड	300.00
2.	ए.पी. कोऑपरेटिव आयल सिड्स ग्रोवर्स फेडरेशन लिमिटेड, हैरदाबाद	340.00
3.	निक्को कार्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता	562.00
4.	ए.बी.एल. बायोटैक्नोलोजीज लि., चेन्नई	179.00
5.	भारत बायोटेक इंटरनैशनल लि., हैदराबाद	325.00
6.	ऊषा (इंडिया) लि., जगदीशपुर, उ.प्र.	222.00

1	2	3
7.	अल्फा एमिन्स प्रा. लिमिटेड, चेन्नई	150.00
8.	रेनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि., जिला-रोपड़, पंजाब	155.00
9.	रेनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि., जिला-रोपड़, पंजाब	193.00
10.	इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद	154.00
11.	प्रतिष्ठा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिंकदराबाद	70.00
12.	इड्डी करंट कंट्रोल (इंडिया) लि., चालाकुडी, केरल	115.00
13.	गुजरात ऑलिमो केम लिमिटेड, अहमदाबाद	333.00
14.	कौशिक मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लि., कोयम्बतूर	43.00
15.	अजय बाटोयेक (इंडिया) लि., पुणे	175.00
16.	नवीन ऐडिटिव्स लि., हैदराबाद	270.00
--	जे. के. ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लि., कलकत्ता	150.00
	आयशर्स मोटर्स लि. इन्दौर	400.00
19.	शान्ता बायोटेक्निक्स प्राइवेट लि., हैदराबाद	550.00
20.	एमल्गम लेदर प्राइवेट लि., चेन्नई	460.00
II. 1998-99 के दौरान		
1.	कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लि., अहमदाबाद	450.00
2.	हाइवे साईकल इंडस्ट्रीज लि., लुधियाना	100.00
3.	ए.वी. एलोएस लि., हैदराबाद	480.00
4.	अवरा लेबोरेट्रीज प्राइवेट लि. हैदराबाद	200.00
5.	मनुकीर्ति बॉयोजैम्स (प्राइवेट) लि., बंगलौर	57.00
6.	मल्टी-आर्क इंडिया लि., मुम्बई	180.00
7.	ए.टी.वी. प्रोजेक्टस इंडिया लि., मुम्बई	383.00
8.	इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., हैदराबाद	693.00
9.	मार्क मेडिसिन्स (प्राइवेट) लि., नई दिल्ली	700.00
10.	दि एसोसिएटिड सीमेंट कंपनी लि., मुम्बई	360.00
11.	सेल्को इन्टरनैशनल लि., हैदराबाद	455.00
12.	इनोमिडिया टेक्नोलोजिज (प्राइवेट) लि., बंगलौर	245.00

1	2	3
13.	कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली	100.00
14.	गुडविल आरगेनिक्स प्राइवेट लि., मुम्बई	185.00
15.	प्रतिष्ठा बॉयोटेक लि., सिकन्दराबाद	370.00
16.	दि धामपुर शुगर मिल्स लि., धामपुर, उ.प्र.	400.00
17.	सैमटेल कलर लि., नई दिल्ली	495.00
18.	साउदर्न पेट्रोकेमिकल इंडिस्ट्रिज़ कार्पोरेशन लि., चेन्नई	196.00
19.	ऊषा इंडिया लि., जगदीशपुर, उ.प्र.	40.00
20.	सोमैया आरगेनिक्स (इंडिया) लि., मुम्बई	150.00
21.	जे.के. ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि., कलकत्ता	218.00
III.	1999-2000 के दौरान	
1.	मेडटेक प्रौडक्ट्स लि., चेन्नई	400.00
2.	अल्फा अमीन्स प्राइवेट लि., चेन्नई	100.00
3.	पुष्कर कैम लि., मुम्बई	162.00
4.	साऊथ इंडिया ड्रग्स एण्ड डिवाइसिज़ प्राइवेट लि. चेन्नई	40.00
5.	गुजरात ओलिओ कैम लि., पनोली, गुजरात	130.00
6.	आयशर मोटर्स लि., पीथमपुर, मध्य प्रदेश	1500.00
7.	निक्को कार्पोरेशन लि., कलकत्ता	1869.00
8.	वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद	6530.00
9.	श्रीराम कोकोनट प्रोडक्ट्स लि., कोयम्बतूर	300.00
10.	सोमैया मेडिकेयर इन्टरनेशनल लि., टेडपल्ली, आंध्र प्रदेश	480.00
11.	श्रीपेट इंडस्ट्रीज लि., चेन्नई	50.00
12.	सोमैया आर्गेनो कैमिकल्स लि., समीरवाडी, कर्नाटक	350.00
13.	शान्ता बायोटेकनिक्स प्राइवेट लि., हैदराबाद	1300.00
14.	नेड इनर्जी लि., हैदराबाद	400.00
15.	एक्मे मेटल पाउडर प्राइवेट लि., पाण्डिचेरी	200.00
16.	सागरिक प्रासेस एनालिस्ट्स प्राइवेट लि., नई दिल्ली	57.00
17.	युनाईटिड फास्फोरस लि., वापी, गुजरात	489.00

1	2	3
18.	गुंजन पेंटस लि., अहमदाबाद	57.00
19.	प्रतिष्ठा इंडस्ट्रीज लि., सिकन्दराबाद	489.00
20.	एक्सटेल सोफ्टेक लि., हैदराबाद	130.00
21.	एम.पी.आर. एग्लोमिरेट्स लि., हैदराबाद	490.00
22.	टवेन्टी फर्स्ट सेन्चरी बैटरी लि., एस.ए.एस. नगर, पंजाब	590.00
23.	भारत बायोटेक इंटरनेशनल लि., हैदराबाद	1100.00
24.	बेनियन नेटवर्क्स प्राइवेट लि., चेन्नई	200.00

[अनुवाद]

महानदी कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत कोयले के ग्रेड

440. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष महानदी कोलफील्ड्स अंतर्गत विभिन्न ग्रेड के कोयले का कुल कितना उत्पादन और खरीद की गई;

(ख) 1 जनवरी, 1997 से आज की तारीख तक अलग-अलग समय पर विभिन्न ग्रेड के कोयले का मुहाने पर प्रतिटन मूल्य कितना रहा है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान मुहानों से निकाले गए अलग-अलग ग्रेड के कोयले की कीमतो में कितनी बार वृद्धि की गई; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को कितना मुनाफा और नुकसान हुआ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) वर्ष 1997-98 से वर्ष 1999-2000 के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लि. में कोयले के ग्रेड-वार उत्पादन और कुल खरीद का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(मिलियन टन में)

ग्रेड	1997-98		1998-99		1999-2000	
	उत्पादन	उठान	उत्पादन	उठान	उत्पादन	उठान
ग्रेड-ए	0.13	0.11	0.01	0.03	0.00	0.00
ग्रेड-बी	0.22	0.22	0.30	0.24	0.27	0.35
ग्रेड-सी	0.93	1.02	0.32	0.60	0.34	0.60
ग्रेड-डी	1.66	1.44	2.18	1.85	1.80	1.63
ग्रेड-ई	0.83	0.70	1.27	1.29	2.60	2.51
ग्रेड-एफ	38.40	39.69	39.43	37.82	38.54	37.04
जोड़	42.17	43.28	43.51	41.83	43.55	42.13

(ख) एम.सी.एल. द्वारा 1.1.1997 से अब तक उत्पादित कोयले के विभिन्न ग्रेडों का प्रति टन पिटहैड मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लि. द्वारा उत्पादित कोयले के विभिन्न ग्रेडों के पिटहैड मूल्यों में तीन बार वृद्धि की गई है।

(घ) एम.सी.एल. द्वारा अर्जित वर्षवार लाभ नीचे दिया गया है:

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

वर्ष	कर अदायगी पूर्व निवल लाभ
1996-97	326.65
1997-98	654.11
1998-99	601.31

विवरण

(रु. प्रति टन)

ग्रेड	स्टीम	स्लैक	आर.ओ.एम.
1	2	3	4
	1.1.1997 से प्रभावी		
ए	908.00	898.00	888.00
बी	823.00	813.00	803.00
सी	708.00	698.00	671.00
डी	486.00	472.00	466.00
ई	342.00	328.00	322.00
एफ	277.00	263.00	257.00
जी	203.00	189.00	183.00
	1.4.1997 से प्रभावी		
ए	908.00	898.00	888.00
बी	823.00	813.00	803.00
सी	708.00	698.00	671.00
डी	584.00	570.00	564.00
ई	420.00	406.00	400.00
एफ	399.00	325.00	319.00
जी	247.00	233.00	227.00
	1.10.1997 से प्रभावी		
ए	948.00	898.00	888.00
बी	863.00	813.00	803.00

1	2	3	4
सी.	731.00	698.00	671.00
डी	624.00	570.00	564.00
ई	420.00	406.00	400.00
एफ	339.00	325.00	319.00
जी	247.00	233.00	227.00
		22.8.1998 से प्रभावी	
ए	992.00	942.00	932.00
बी	903.00	853.00	843.00
सी	765.00	715.00	705.00
डी	663.00	609.00	603.00
ई	448.00	434.00	428.00
	361.00	347.00	341.00
	263.00	249.00	243.00

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को घाटा

441. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार सेल को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटे के क्या कारण हैं; और

(घ) घाटे को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, हां। 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) को 1720 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

(ग) और (घ) 1999-2000 के दौरान अत्यधिक हानि मुख्यत: इस्पात की मांग में कमी के कारण लाभ पर दबाव, आयात से और अधिक प्रतिस्पर्धा, घरेलू बाजार में आपूर्ति में वृद्धि और राउरकेला, दुर्गापुर तथा बोकारो स्थित इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के पूंजीकरण के कारण अधिक ब्याज और मूल्य-ह्रास - लागत के कारण हुई है।

सरकार ने सेल की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और इसे लाभप्रदता के रास्ते पर लाने के लिए उसके कारोबार एवं वित्तीय पुनर्संरचना हेतु एक योजना को हाल ही में मंजूरी दी है। सरकार सेल के साथ निरंतर बातचीत कर रही है और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता तथा क्षमता बढ़ाने के लिए आवधिक रूप से इसके निष्पादन की समीक्षा करती है।

लिग्नाइट की रायल्टी दर में संशोधन

442. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :
श्रीमती कान्ति सिंह :
क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने कोयले की रायल्टी दर निर्धारित करने की वर्तमान व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अभ्यावेदन दिया है;

(ख) क्या सरकार का विचार रायल्टी की दरों में संशोधन करने हेतु विशेषज्ञों का एक सांविधिक निकाय बनाने का है;

(ग) क्या प्रत्येक तीन वर्ष में लिग्नाइट की रायल्टी दर में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1990 में दरों में संशोधन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त निर्णय को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) कोयला मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात राज्य में कोई कोयले का भंडार नहीं है। अत: गुजरात सरकार से कोयले की रायल्टी दर निर्धारित करने की व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु किसी अभ्यावेदन की प्राप्ति का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, गुजरात सरकार ने लिग्नाइट की रायल्टी दर निर्धारित करने की व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु कोयला मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है।

(ख) से (ङ) कोयला मंत्रालय ने लिग्नाइट की रायल्टी दर में संशोधन पर विचार के लिए दिनांक 16.3.1995 को एक अध्ययन दल का गठन किया। अध्ययन दल ने दिनांक 14.9.1997 को अपनी सिफारिश में सुझाव दिया कि लिग्नाइट की रायल्टी दर, कोयला की रायल्टी दर के साथ संयोजित होनी चाहिए। अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर कोयला मंत्रालय, लिग्नाइट की रायल्टी की दर में एक उचित स्तर तक वृद्धि करने के लिए विचार कर रहा है। लिग्नाइट सहित खनिजों की रायल्टी दरों में संशोधन का कोई आवत्रन विधि में निर्धारित नहीं किया गया है। खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) की शर्त यह निर्धारित करती है कि किसी भी तीन वर्ष की अवधि के दौरान खनिजों की रायल्टी दर में एक बार से अधिक कोई वृद्धि नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

राजनीतिक दलों को आवासीय आबंटन

443. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राजनीतिक दलों को आबंटित आवास रद्द कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राजनीतिक दलों के कर्मचारियों को सामान्य पूल से आबंटित रिहायशी आवास भी रद्द कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों के कर्मचारियों को रिहायशी आवास आबंटित करने से संबंधित स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) जी, हां। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को आबंटित सरकारी वास के आबंटन का निरस्तीकरण राजनीतिक पार्टियों को सामान्य पूल के वास के आबंटन के लिए सरकार द्वारा तय किए गए संशोधित दिशानिर्देशों के निबंधनों के अनुसार किया गया है।

(घ) और (ङ) उच्चतम न्यायालय ने सिविल रिट याचिका (सी.डब्ल्यू.पी.) सं. 585/94 में दिनांक 23.12.96 के अपने निर्णय में संशोधित दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था और राजनीतिक पार्टियां तैयार की जाने वाली नीति के अनुसार आबंटन की पात्र होंगी। नीति तैयार हो जाने के बाद संशोधित नीति के अनुसार पात्रता से ज्यादा यूनिट रखने वाली या पात्रता न रखने वाली उन राजनीतिक पार्टियों को वास खाली करने के लिए यथोचित समय दिया जाएगा।

(च) संशोधित दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं और जारी कर दिए गए हैं, दिशानिर्देशों की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(1) राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां जिन्हें भारत के चुनाव आयोग द्वारा ऐसी मान्यता मिली है, को दिल्ली में अपने कार्यालय के लिए एफ.आर. 45 ए. के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति शुल्क अर्थात् सामान्य अनुज्ञप्ति शुल्क पर सामान्य पूल से एक मकान यूनिट रख सकेंगी/आबंटन ले सकेंगी।

(2) इस प्रकार का आवास तीन वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा जिसके दौरान पार्टी सांस्थानिक क्षेत्र में भूमि का कोई प्लाट लेगी और पार्टी कार्यालय के लिए भवन का निर्माण करेगी।

(3) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के पार्टी अध्यक्ष को एक रिहायशी आवास आबंटित किया/रखने दिया जाएगा यदि पार्टी अध्यक्ष के पास दिल्ली में अपना या सरकार द्वारा उन्हें किसी भी अन्य रूप में आबंटित मकान न हो।

(4) भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों को भी कार्यालीय सुविधा दी जाएगी बशर्ते कि कैबिनेट की आवास समिति की राय में संसद से उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो और उनका मामले को आवास कैबिनेट समिति द्वारा उसकी योग्यता के आधार पर आबंटन के लिए अनुमोदित किया जाए।

(5) किसी भी राजनीतिक पार्टी को आबंटित या उनके कब्जे वाले अन्य भवनों को रद्द कर दिया गया है। तथापि, पार्टी को वैकल्पिक व्यवस्था करने और सरकारी आवास खाली करने के लिए छह माह की अवधि या किए गए आबंटन की समयावधि तक, जो भी पहले हो, तक का समय दिया जाएगा।

[अनुवाद]

हर्रा संयंत्र की क्षमता

444. श्री जी.एस. बसवराज : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंगलौर स्थित कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड द्वारा चालू किया गया हर्रा संयंत्र अपनी क्षमतानुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान के.आई.ओ.सी.एल. के निर्यात निष्पादन में निरन्तर वृद्धि दर्ज की गई है;

(घ) संबंधित क्षेत्रों में उत्पादन के विविधीकरण की कौन-कौन सी योजना शुरू की जाने वाली है; और

(ङ) के.आई.ओ.सी.एल. किस सीमा तक अपना संचालन बनाये रख पायेगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, हां। पिछले 3 वर्षों के दौरान पैलेट संयंत्र का क्षमता उपयोग निम्न प्रकार रहा:-

वर्ष	क्षमता उपयोग की प्रतिशतता
1999-2000	110
1998-1999	84
1997-1998	97

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड (के.आई.ओ.सी.एल.) का निर्यात संबंधी निष्पादन इस प्रकार रहा है:-

(मात्रा : दस लाख टन में) (मूल्य लाख रुपए में)

वर्ष	सान्द्रण		पैलेट्स	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1999-2000	2.819	20731	3.235	41348
1998-1999	2.376	18407	2.650	36369
1997-98	3.315	23310	2.830	36081

(घ) विविधीकरण उपाय के रूप में के.आई.ओ.सी.एल. ने मंगलौर में पिग आयरन और डक्टाइल आयरन स्पन पाइप संयंत्र की स्थापना करने के लिए मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सलटेंट (इण्डिया) लिमिटेड और मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम में मैसर्स कुद्रेमुख आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड नामक एक अलग कंपनी बनाई है। इस परियोजना के कच्चे लोहे से सम्बन्धित अवयवों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इसे चालू करने का कार्य चल रहा है। के.आई.ओ.सी.एल. की कारवाड़ में कोक ओवन संयंत्र स्थापित करने की भी योजना है।

(ङ) मौजूदा खान में उपलब्ध शेष अपक्षीण अयस्क भण्डारों की और 6-7 वर्ष तक रहने की संभावना है। खान के भण्डारों और उसके प्रचालनों को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने लौह अयस्क सान्द्रणों के उत्पादन को 55 लाख टन प्रति वर्ष तक सीमित करने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया है। इसी खान में उपलब्ध प्राथमिक अयस्क की 3400 लाख टन तक खनन की आर्थिक व्यवहार्यता को स्थापित करने के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं।

प्रबंधन कालेज

445. श्री अशोक अर्गल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने प्रबंधन कालेजों की स्थापना की गई;

(ख) ऐसे कालेज शुरू करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने छात्रों को एम.बी.ए. की उपाधि प्रदान की गई; और

(घ) निकट भविष्य में ऐसे कितने कालेजों की स्थापना का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अनुमोदन से स्थापित प्रबंधन संस्थानों की संख्या इस प्रकार है:-

1997-98	-	75
1998-99	-	75
1999-2000	-	59

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् विधिवत् निर्धारित विनियमों और वित्तीय व्यवहार्यता, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता आदि को भी ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों पर विचार करती है।

(ग) संबंधित विश्वविद्यालय जिनसे संस्थान संबद्ध है, एम.बी.ए. की डिग्री प्रदान करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा यथानिर्धारित एम.बी.ए. कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या निम्नलिखित है:-

1997-98	-	एस-4330
1998-99	-	2706
1999-2000	-	7293

(घ) संस्थाओं की स्थापना प्राप्त आवेदन-पत्रों पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 2000-2001 के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने 15 संस्थाओं को व्यवहार्यता संबंधी पत्र जारी किया है।

[हिन्दी]

प्रशिक्षण कैम्प

446. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तानी युवाओं को भी सिख आतंकवादियों के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पाकिस्तान देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी/हिंसक गतिविधियां करवाने के लिए उग्रवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है। बताया गया है कि पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर में अनेक प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए गए हैं जहां पर आतंकवादियों को शस्त्र और विस्फोटक के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) और (घ) इस संबंध में कोई पुष्ट रिपोर्टें नहीं हैं।

(ङ) आतंकवाद की समस्या से निपटने के उद्देश्य से, सरकार ने बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों

के साथ-साथ सीमा प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, प्रतिकारक कार्रवाई करके उग्रवादियों की योजनाओं को निष्क्रिय करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, और सुरक्षा बलों को विकसित हथियार और उपस्कर उपलब्ध करना शामिल है।

[अनुवाद]

मकानों का निर्माण

447. श्री रामजीलाल ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :
डा. जसवन्त सिंह यादव :

क्या शहरी और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्य आवास बोर्डों का पुनर्गठन ... और सहकारी गृह निर्माण आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए ... न बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गृह निर्माण क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए हाल ही में राज्यों के आवास मंत्रियों और सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो उसमें विचार किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उसमें दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार उन सिफारिशों से किस सीमा तक सहमत है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। सरकार का राज्यों में आवास एजेंसियों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है और उसमें राज्यों को नए आवास बोर्ड अधिनियम तैयार करने के लिए कहा है। प्रस्तावित अधिनियम किसी निगम निकाय को निर्णय लेने में प्राप्त लोचनीयता और गति जैसे लाभों के साथ-साथ, राज्य की भू-अधिग्रहण तथा भू-राजस्व की बकाया देय राशियों की वसूली बाबत सम्प्रभुता शक्तियों से सम्पन्न एजेंसी को सहज प्राप्त लाभ प्रदान करने वाला भी होगा।

(ग) और (घ) राज्यों के आवास मंत्रियों और सचिवों का एक सम्मेलन 26-27 जून, 2000 को नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन में विचारार्थ कार्यसूची मदें थीं:-

(1) राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति, 1998 का अनुवर्तन।

(2) आवास क्षेत्र में वित्तीय रियायतें।

(3) आवास क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए जरूरी कानूनी सुधार।

(4) किफायती आवास प्रौद्योगिकी को बढ़ावा।

(5) 20 लाख मकान निर्माण कार्यक्रम प्रगति की समीक्षा।

(6) राज्य आवास बोर्डों का विस्तार।

(ङ) और (च) सम्मेलन की मुख्य सिफारिशों में निम्नलिखित का समावेश है:-

- देश में आवास एजेंसियों का पुनर्गठन और नया आवास बोर्ड अधिनियम तैयार करना।
- सहकारी आवास समितियों के लिए अलग कानून बनाना।
- राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम को केन्द्र प्रवर्तित स्कीम में बदलना और नए कार्यक्रम के साथ उसे जोड़ना।
- ऐसी नूतन और किफायती प्रौद्योगिकियां अपनाना जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हों।
- राज्य सरकारों द्वारा भूमि बैंक स्थापित करने पर विचार करना और उसका विकास के स्रोत के रूप में उपयोग करना तथा विवेकपूर्ण भू-उपयोग और उसके सामान वितरण पर विचार करना।
- ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. मकानों को स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने पर राज्य सरकारों द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करना।

सरकार मोटे तौर पर इन सिफारिशों से सहमत है।

चक्रवात संबंधी खतरे को कम करने वाली परियोजना

448. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने चक्रवात संबंधी खतरे को कम करने वाली अपनी परियोजना हेतु उच्च वियोजन वाले

प्रतिबिंबों का उपयोग किए जाने के संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्यां राज्य सरकार ने इन प्रतिबिंबों को अमरीका स्थित आईकोन्स कंपनी के उपग्रह से प्राप्त करने की योजना बनाई थी;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इस परियोजना हेतु 50 करोड़ रुपए का ऋण दिया है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने विश्व बैंक को यह सूचित किया है कि विदेशी उपग्रह प्रतिबिंबों की प्राप्ति तथा वितरण संबंधी केन्द्र की नीति की घोषणा में विलंब होने के कारण इस परियोजना का क्रियान्वयन रुका हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इस परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब के अन्य क्या कारण हैं; और

(च) क्या इस परियोजना को त्याग दिया गया है अथवा यह अभी भी विचाराधीन है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 'सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्रों' संबंधी विषय लेगी।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आपने अल्पसंख्यकों पर हमले, विनिवेश और अन्य बातों के संबंध में स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। मैंने इन नोटिसों को अस्वीकार कर दिया है। आज, कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक है। सरकार इन बातों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हम इस बारे में कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, हमने भी स्थगन प्रस्ताव के लिए एक नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव संबंधी नोटिस को अस्वीकार कर दिया है।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, कृपया नियम 60 के उप-खंड (1) के अंतर्गत मेरी बात सुनें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, मैं आपसे सहमत हूं क्योंकि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर नोटिस दिया है। सरकार भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार नेताओं की बैठक में इस विषय पर चर्चा करने के लिए सहमत हो गई है। आज हम कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में समय और अन्य बातों के बारे में निर्णय लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, हमारे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, कृपया नियम 60 देखें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, हम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में समय और अन्य बातों के बारे में निर्णय लेंगे *...(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, नियम 60 के अंतर्गत मेरी बात सुनी जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज अपराह्न 3 बजे कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक है। हम इस पर वहां चर्चा करेंगे।

अब सभा, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी विषय लेगी।

श्री जगमोहन।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री जगमोहन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2057/2000]

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2058/2000]

[हिन्दी]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सैन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सैन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2059/2000]

अपराह्न 12.02 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 17 अप्रैल, 2000 को सभा को सूचित करने के पश्चात् तेरहवीं लोक सभा के तीसरे सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 10 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विनियोग (रेल) संख्यांक 2, विधेयक, 2000;

(2) वित्त विधेयक, 2000;

(3) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2000;

(4) खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 2000;

(5) गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) निरसन विधेयक, 2000;

(6) राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2000;

(7) राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक, 2000;

(8) सूती वस्त्र उपकर (निरसन) विधेयक, 2000;

(9) प्रत्यक्ष कर विधि (प्रकीर्ण) निरसन विधेयक; 2000 और

(10) महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 2000

मैं संसद की दोनों सभाओं में द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित नौ विधेयकों की महासचिव, राज्य सभा

द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक, 2000;

(2) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2000;

(3) मिजोरम विश्वविद्यालय विधेयक, 2000;

(4) डिजाइन विधेयक, 2000;

(5) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2000;

(6) संसद में मान्यता प्राप्त दलों और समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2000;

(7) सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक, 2000;

(8) संविधान (अस्सीवां संशोधन) विधेयक, 2000; और

(9) संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 2000

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा मद संख्या-5 पर चर्चा करेगी। माननीय नागर विमानन मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, यह क्या है? *...(व्यवधान)* यह इतना महत्वपूर्ण मामला है *...(व्यवधान)* और प्रभारी माननीय मंत्री सभा में उपस्थित नहीं हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं! आज फ्लाइट लेट थी और इसलिए मंत्री जी को देर हुई है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री के वक्तव्य के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

17 जुलाई, 2000 को पटना में हुई एलाइंस एयर के बोइंग-737 विमान की दुर्घटना

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): अध्यक्ष महोदय, दूसरे सदन में मेरा अंतिम सवाल था, मैं उसका जवाब दे रहा था। मुझे बहुत खेद है कि मैं इस सदन में विलम्ब से पहुंचा हूं और मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से माफी चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं गहरे दुख और वेदना के साथ इस हादसे के बारे में माननीय सदन को सूचित कर रहा हूं। कलकत्ता-पटना-लखनऊ-दिल्ली सैक्टर पर एलाइंस एयर की उड़ान सीडी-7412 का बोइंग-737 विमान दिनांक 17 जुलाई, 2000 को लगभग 7.35 बजे प्रातः पटना हवाई अड्डे के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

इस विमान ने कैप्टन एम.एस. सोहनपाल के कमाण्ड में सुबह 6.51 बजे कलकत्ता से उड़ान भरी। विमान में कुल 52 यात्री और छः कर्मीदल सवार थे। पटना हवाई अड्डे के करीब पहुंचने तक उड़ान सामान्य थी। प्रातः 7.31 बजे पटना ए.टी.सी. ने विमान को 1700 फीट तक नीचे आने की अनुमति दी। इसके बाद विमान चालक ने रिपोर्ट किया कि वे एक चक्कर लगाना चाहते हैं। इसकी अनुमति ए.टी.सी. ने दे दी और पूछा कि क्या हवाई अड्डा दिखाई दे रहा था, जिसकी पुष्टि पायलट ने की। इसी चक्कर लगाने की प्रक्रिया में विमान नीचे आ गया तथा पेड़ों और मकानों से टकराते हुए रन-वे के टच डाउन क्षेत्र से लगभग एक किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में केवल छः यात्री ही बच पाए और 46 यात्रियों तथा छः कर्मीदल के सदस्यों की मृत्यु हो गई। दुर्घटनाग्रस्त विमान के गिरने के कारण वहां मौजूद पांच व्यक्ति भी मारे गए तथा अन्य पांच घायल हो गए।

दुर्घटना का समाचार पाते ही मैं और डा. सी.पी. ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री, डी.जी.सी.ए., इंडियन एयरलाइंस के सी.एम.डी., एलाइंस एयर के एम.डी., एयरपोर्ट्स अथोरिटी के अध्यक्ष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी संभव कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा राहत कार्यों के निरीक्षण के लिए तुरन्त पटना के लिए रवाना हो गए।

परिवार-जनों को सभी प्रकार की सहायता तथा सूचना प्रदान करने के लिए कलकत्ता, पटना, लखनऊ तथा दिल्ली हवाई अड्डों

[श्री शरद यादव]

पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संचालित नियंत्रण-कक्ष तुरंत स्थापित किए गए। उस दुर्भाग्यपूर्ण विमान में सवार सभी यात्रियों के परिवार-जनों को तुरंत सूचित किया गया। यात्रियों तथा कर्मीदल के परिवार-जनों के साथ-साथ डाक्टरों व डी.जी.सी.ए. और इंडियन एयरलाइंस आदि के अधिकारियों को ले जाने के लिए कलकत्ता तथा दिल्ली से राहत उड़ानें भी शुरू कर दी गईं।

बचाव तथा राहत कार्य तुरंत आरम्भ किए गए। घायल व्यक्तियों को राज्य सरकार के सहयोग से तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई तथा पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। तत्पश्चात् छः घायल यात्रियों को दिल्ली लाया गया और अपोलो अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक यात्री को कलकत्ता के बेले व्यू नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपने खर्चे पर सभी घायल व्यक्तियों की चिकित्सा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। दुर्भाग्यवश श्री रोहित रंजन, जिनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया ...ाया नहीं जा सका और उनकी 22 जुलाई को मृत्यु

इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मृत व्यक्तियों के शवों को दुर्घटना-स्थल से निकाल लिया गया। इंडियन एयरलाइंस तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा मृतकों की पहचान तथा शवों को ले जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई। साथ ही 12 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक मृत यात्री के निकटतम रिश्तेदार को 7.50 लाख रुपए तथा 12 वर्ष से कम उम्र के मृत यात्री के निकटतम रिश्तेदार को 3.75 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार प्रत्येक घायल यात्री को 1.50 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुर्घटना के कारण घायल हुए या मारे गए अन्य स्थानीय व्यक्तियों को भी इतनी ही धनराशि का भुगतान किया जाएगा एवं उनकी सम्पत्ति को हुए नुकसान के लिए भी उपयुक्त भुगतान किया जाएगा।

विमान के कमाण्डर कैप्टन सोहनपाल एक अनुभवी विमान चालक थे, जिनको 4361 घंटे का उड़ान अनुभव था। इसी प्रकार सह-विमान चालक, ए.एस. बग्गा एक अनुभवी विमान चालक थे, जिनको कुल 4085 घंटे का उड़ान अनुभव था।

यह दुर्भाग्यपूर्ण विमान जून, 1980 में निर्मित किया गया था। विमान के रख-रखाव के लिए निर्धारित सभी कार्यवाही समयबद्ध तरीके से बराबर की जा रही थी जिसके अंतर्गत अनुसूची के अनुसार अन्य कार्यों के साथ-साथ विमान के 20 साल बाद किए जाने वाले एजिंग-मोडिफिकेशन, मरम्मत आदि चैक भी 29 जनवरी, 2000 को कर लिए गए थे। कलकत्ता से उड़ान आरम्भ करने के समय विमान में किसी खराबी की सूचना नहीं थी।

इस दुर्भाग्यपूर्ण विमान के ब्लैक बॉक्स प्राप्त कर लिए गए हैं। एटीसी टेप, एटीसी यूनिट एवं सेफ्टी सेवाओं के लॉग बुक तथा विमान अनुरक्षण रिकार्ड भी प्राप्त कर लिए गए हैं।

दुर्घटना के तुरंत बाद, डी.डी.सी.ए. ने जांच आरम्भ करने के लिए एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 71 के अधीन श्री पी. शॉ, क्षेत्रीय नियंत्रक विमान सुरक्षा, कलकत्ता को दुर्घटना के निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया। दुर्घटना की गंभीरता तथा मारे गए लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित करने का निर्णय लिया है तथा तदनुसार पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 75 के अधीन जांच करने के लिए एक वर्तमान न्यायाधीश नामित करने का अनुरोध किया गया है।

अंत में, मैं माननीय सदन की ओर से शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना तथा गहरी सहानुभूति प्रकट करना चाहूंगा और इस हादसे पर अपने आपको दुखी और व्यथित मानता हूं तथा क्षमा चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 6 - डा. मुरली मनोहर जोशी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री द्वारा व्यक्तव्य के बाद, प्रश्न करने का कोई प्रावधान नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर प्रश्नचिन्ह हैं और कई मैम्बरान इस दुर्घटना पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं जिससे उन प्रश्नचिह्नों का जवाब मिले। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले पर कोई चर्चा हो और अगर तत्काल समय न हो तो कार्यक्रम में इसको सम्मिलित

किया जाये और इस मामले पर भी चर्चा के लिए कुछ समय दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष जी, पायलट मर गया है और उस पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा रही है, यह बड़ा ही अमाननीय कार्य है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारा है। माननीय सदस्यगण कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम सभी इससे चिंतित हैं। मुझे लगता है कि दो-तीन लोगों के प्रश्न पूछने के स्थान पर यदि उचित नियम के अनुसार इस पर चर्चा करेंगे तो सभी सदस्य इसमें सहभागी हो सकते हैं। आप तय करें, सरकार की तरफ से चर्चा के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, इस विमान दुर्घटना के बारे में हो रही जांच के दौरान भी विभिन्न वक्तव्य दिए जा रहे हैं। इससे भ्रम पैदा हो रहा है ...*(व्यवधान)* मंत्री जी सहित अनेक प्राधिकारी इस दुर्घटना, हवाई जहाज की स्थिति आदि के बारे में अपने-अपने मत व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी बातों को तुरन्त रोका जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सर, मेरी रिक्वैस्ट है कि पायलट के खिलाफ जो एफ.आई.आर. कराई है, वह अमानवीय है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें चर्चा के लिए समय देंगे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2060/2000]

अपराह्न 12.14 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद्

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31(2) (ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31(2) (ट) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न $12.14^1/_2$ बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि वह लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में श्री ई. बालानन्दन

[श्री वीरेन्द्र कुमार]

के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण उत्पन्न रिक्ति में एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रणाली के अनुसार राज्य सभा के एक सदस्य को निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि वह लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में श्री ई. बालानन्दन के राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के कारण उत्पन्न रिक्ति में एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रणाली के अनुसार राज्य सभा के एक सदस्य को निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा 'शून्य काल' आरम्भ करेगी।

मैं अब श्री माधवराव सिंधिया को बुलाता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, पश्चिम बंगाल को एक बड़ा खतरा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री माधवराव सिंधिया को बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): महोदय, मैंने सूचना दी है

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी को एक-एक करके बुलाऊंगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास तीस से अधिक सूचनाएं हैं। मैं आप सभी को बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैंने नियम 184 और 193 दोनों के तहत दूरगामी महत्व के एक मामले पर सूचना दी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंधिया जो बोल रहे हैं, उसे छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

श्री माधवराव सिंधिया : जम्मू कश्मीर विधान सभा ने राज्य स्वायत्ता समिति की सिफारिशों का समर्थन करते हुए एक संकल्प पारित किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद आपको भी बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : जो मैंने कहा है उसे दोहराना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*। माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे बुलाया है। आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको एक-एक करके बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कमजोर वर्ग की महिला के साथ बलात्कार हुआ ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : आपको अपनी बारी मिल जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री माधवराव सिंधिया जो कह रहे हैं उसे छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री बंद्योपाध्यायजी, मैं आपको बोलने के लिए बुलाऊंगा। आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 184 और 193 दोनों के तहत देश के लिए दूरगामी महत्व के एक मामले पर सूचना दी है।

जम्मू-कश्मीर विधान सभा ने जम्मू-कश्मीर स्वायत्तता समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों का समर्थन किया है और केन्द्र सरकार से उनका कार्यान्वयन करने के लिए कहा है। इस पूरे मुद्दे के विस्तृत पहलुओं पर मुझे जोर नहीं देना है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि नियम 184 के तहत मेरी सूचना या नियम 193 के तहत मेरी सूचना स्वीकार की जाएं। इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए ताकि पूरे मुद्दे पर पूरी बहस हो सके क्योंकि इसका संबंध हमारे देश के भावी कल्याण, इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैंने केन्द्र सरकार के निर्णय पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश करने हेतु एक सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, हमने भी ऑटोनमी पर नोटिस दिया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, क्या आपने इसी सब्जैक्ट पर नोटिस दिया है?

श्री मुलायम सिंह यादव : जी हां, इसी पर दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप अपनी बात बाद में कह सकते हैं। अब श्री मुलायम सिंह यादव।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, कश्मीर की स्वायत्तता के सवाल को लेकर आज सम्पूर्ण देश में एक चिन्ता का विषय इसलिये बन गया है कि सरकार ने अपनी तरफ से न कोई पहल की है और न ही इस समस्या के बारे में गम्भीरता से विचार किया है। जो समाचार-पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है, उसके अनुसार जम्मू कश्मीर विधान सभा में प्रस्ताव पेश होने के पहले वहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी मिले हैं लेकिन लगता है कि उस बात को गम्भीरता से नहीं लिया गया है और यह असेम्बली में पास हो गया। जब यह प्रस्ताव असेम्बली में पास हो गया तो प्रधानमंत्री जी की तत्काल प्रतिक्रिया आई कि यह संविधान के तहत है, संविधान के पर्दे में आता है। गृह मंत्री जी ने कहा कि हम संसद में इस पर विचार कर सकते हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल ने तत्काल फैसला किया। हम जानते हैं कि वह क्यों किया गया। वह इसलिये किया गया कि चारों तरफ से सब दल एक हो गये कि इसमें केवल कश्मीर की स्वायत्तता का सवाल नहीं, वह केवल कश्मीर तक ही सीमित नहीं रहेगा और देश के कई सूबों ने यह प्रतिक्रिया जाहिर की कि हम भी स्वायत्तता चाहते हैं।

अब सवाल इस बात का है कि जहां तक कश्मीर की जनता की भावनायें हैं, उस बारे में हम 1996-97 में बोल चुके हैं कि उनको वे सब सुविधायें मिलें। सारी सीमा पर जो गोली-बारी होती है, उसके चलते वहां निरक्षरता, बेरोजगारी है, इसलिये वहां आवागमन की सुविधा मिलनी चाहिये, हम लोग इस पक्ष में हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम सरकार से तीन बातें जानना चाहते हैं कि इस मामले को कौन देख रहा है - प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी या रक्षा मंत्री या श्री जगमोहन जी देख रहे हैं क्योंकि उनके अलग-अलग बयानों से ऐसा आभास हो रहा है। उसके साथ-साथ यह सवाल भी उठता है कि जो हुर्रियत के लोग छोड़े गये हैं, वे पूरी तरह से पाकिस्तान के समर्थक हैं जब कि डा. फारुख चाहे स्वायत्तता के बारे में कितना भी सवाल उठाते रहें लेकिन कम से

[श्री मुलायम सिंह यादव]

कम वे हिन्दुस्तान की बात करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो हुर्रियत के लोग छोड़े गये हैं, क्या इस मामले में मुख्यमंत्री को विश्वास में लिया गया था? हमें ऐसा लगता है कि इस मामले में मुख्यमंत्री जी से कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने जो बयान दिया और कहा कि अगर सरकार बात करे तो रास्ता निकल सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो स्वायत्तता का प्रस्ताव पास हुआ है, सरकार उससे कितनी सहमत अथवा असहमत है? सरकार की तरफ से कोई उत्तर न आने पर हम कांग्रेस के मित्रों से यह जानना चाहते हैं कि स्वायत्तता समिति का चेयरमैन कौन था? चेयरमैन कांग्रेस के नेता थे।

श्री माधवराव सिन्धिया : उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : लेकिन उन्होंने त्याग-पत्र बाद में दिया है।

श्री माधवराव सिन्धिया : मुलायम सिंह जी, आप क्या बात हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव : जब आपसे पार्लियामेंट के लिये सौदा हो गया और राज्य सभा के लिये उधर हो गया और इधर पार्लियामेंट की टिकट का फैसला हो गया, तब क्यों नहीं बात करेंगे?

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह बुनियादी मुद्दों पर बात करें।

श्री मुलायम सिंह यादव : हम बुनियादी मुद्दों पर ही हैं। आपको ऐतराज क्यों है। जब चर्चा करेंगे तो सच्चाई सबके सामने आयेगी। नेशनल कान्फ्रेन्स में जो मंत्री हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन मंत्री के बेटे ने सबसे ज्यादा समर्थन स्वायत्तता का किया है। यह कैसे छिपाया जा सकता है। हम उतना संकेत इसलिए करना चाहते हैं *...(व्यवधान)* आप भी सफाई दीजिए, आपको सफाई देनी पड़ेगी। आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आप बहस में सफाई दीजिए। इसलिए आज जो सत्ता का सवाल है। कश्मीर की जनता की समस्याओं का समाधान निकले, उनके लिए ज्यादा सुविधाएं दी जाएं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह सवाल क्यों उठा? 1953 के पहले की मांग क्यों उठी। बीच में बिल्कुल शांति हो गई थी। संयुक्त मोर्चा की भी सरकार थी, उस समय यह सवाल क्यों नहीं आया, आखिर अभी यह सवाल क्यों आया?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): माननीय अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर के कुछ लेड डाउन रूल्स हैं जिन पर बहस होती है *...(व्यवधान)* इन्होंने जीरो ऑवर में अपनी बात उठाई, आगे बहस करने के लिए एक मुद्दा उठाया है, हमने भी रिक्वेस्ट की है *...(व्यवधान)* सब लोग उस पर विस्तार से अपनी बात कहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इसका क्या महत्व है *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : तभी तो स्वीकार किया जायेगा कि इसका महत्व क्या है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सर, अगर यह इस तरह से कंट्रोवर्शियल बातें उठायेंगे तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (मवेलीकारा): आपको इस पर सभी को बोलने की अनुमति देनी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्य भी हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने हेतु सूचनाएं दी हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आखिर इसका महत्व क्या है। *...(व्यवधान)* इसलिए हमें यह समझ में आता है कि इसमें परेशानी सरकार को होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेसी मित्रों को परेशानी क्यों है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह, 'शून्य काल' में मामले उठाने के लिए 37 सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप सफाई क्यों दे रहे हैं। आपको क्या परेशानी है, परेशानी सरकार को होनी चाहिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : हमें परेशानी बिल्कुल नहीं है। अगर आप इस पर पूरी बहस करवाना चाहते हैं तो अभी करवा लें *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अब गृह मंत्री जी ने खंडन किया है। लेकिन यह महत्वपूर्ण सवाल क्यों है। गृह मंत्री जी ने यह

खंडन किया है कि हमने तीन टुकड़ों में बंटवारे की बात नहीं कही। लेकिन साथ में यह भी कहा कि संघ परिवार चाहता है। संघ परिवार से जो अखबार में आया कि संघ परिवार से आपका रिश्ता है, संघ परिवार से रिश्ता प्रधान मंत्री जी का भी है। आप कह चुके हैं कि मुझे फख्र है कि 14 साल की उम्र से आप लगातार संघ परिवार में है। इसलिए आपको क्या परेशानी है, आप परेशान क्यों है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह, आपको 'शून्य काल' में बहुत संक्षिप्त बोलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : इन्हें क्या ऐतराज है। इन्हें क्या परेशानी है?

श्री माधवराव सिंधिया : सर, इतना लम्बा बोलने की क्या जरूरत है। अगर आप इजाजत दें तो हम भी बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह जीरो ऑवर सबमिशन है डिबेट नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : आप शुरू करिये, कौन रोकता है, आपको नहीं रूकना चाहिए, आप शुरू कर दीजिए। इसके बाद घंटों बोलिये, मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन आपको ऐतराज क्यों है। आर.एस.एस. से आपको क्यों परेशानी हो रही है। मैं आर.एस.एस. पर बोल रहा हूं।

श्री माधवराव सिंधिया : पार्लियामेंट की परम्परा के अनुसार हम कार्य करना चाहते हैं। जो स्पीकर साहब इजाजत दे रहे हैं वह जीरो ऑवर की इजाजत होती है, उस पर बहस नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे लोग भी बोलना चाहते हैं, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : इसलिए हम जानना चाहते हैं कि संघ परिवार से आपका क्या रिश्ता है। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी का है, कैबिनेट का भी है, आपका भी है। आप छुपाते नहीं हैं। पटवा साहब कह रहे हैं कि हमारा भी है। हम कह रहे हैं कि सबका है। लेकिन आप इस देश से खिलवाड़ मत कीजिए। आप शुरूआत से कर रहे हैं कहीं सूबों का बंटवारा, कहीं स्वायत्तता का सवाल। जो सवाल कहीं नहीं थे, उन सवालों को उठाया गया है और इसलिए उठाया गया है कि सरक. . की गलत नीतियों के कारण मंत्रिमंडल में एकता नहीं है और इसीलिये यह सवाल उठाया गया है। इस सवाल को सामने रखकर आज देश में ऐसी बहस छिड़ी है कि आज देश की एकता को बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस पर नियम 193 या नियम 184 के तहत चर्चा कराई जाए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है जो देश को उद्वेलित कर रहा है। हम अपने विचार देंगे क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल के इस पर अपने विचार हैं। स्वायत्तता का प्रश्न केवल जम्मू-कश्मीर तक सीमित नहीं है स्वायत्तता के विभिन्न प्रकारों और विभिन्न संकल्पनाओं को सामने रखा जा रहा है। इसके लिए लम्बे समय से मांगें की जा रही हैं सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है। निस्संदेह, भारतीय जनत पार्टी अपना रवैया समय-समय पर बदलती रही है क्योंकि वे अ सरकार में हैं ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, क्य यहां भारतीय जनता पार्टी पर चर्चा हो रही है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। नेतागण अपने विचार रख रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, इस प्रकार के मामले में, हम जो पूरे देश की चिन्ता का विषय है, देखते हैं कि विपक्ष और संसद की पूरी तरह और बारबार उपेक्षा की जा रही है। हम देखते हैं कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वायत्तता प्रस्ताव का बिना किसी से परामर्श किए प्रत्युत्तर दिया और फिर इसे पूरी तरह अस्वीकार करके अपने पैर खींच लिए। इसके बाद, उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री को स्वयं प्रधानमंत्री से वार्ता करने के लिए बुलाया सरकार की यह कैसी नीति और कैसा रवैया है? वे यह केवल इसलिए कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कुछ समस्य है और विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन के कुछ भागीदारों जिनमें हमारे अच्छे मित्र, श्री वैको के अस्थायी मित्र, श्री करूणानिधि भी शामिल हैं और साथ ही अकाली मुख्यमंत्री द्वारा कुछ असंतोष व्यक्त किया गया है। मैं कहूंगा कि एक-एक करके मुख्यमंत्री को बुलाकर

[हिन्दी]

दिखावा चल रहा है, तमाशा चल रहा है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

[अनुवाद]

लेकिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद में कोई चर्चा नहीं की जाती है। विपक्ष से परामर्श नहीं किया जाता है। क्या यह केवल सरकार का मामला है जो वे विभिन्न आवाजों में बोल रहे हैं? इसलिए, यह एक बहुत गंभीर मामला है जिस पर जितनी जल्दी हो सके चर्चा होनी चाहिए ताकि प्रत्येक राजनीतिक दल अपने विचार दे सके और सरकार संसद से परामर्श करे और वे संसद की उपेक्षा न कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : आज 3 बजे हमारी कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक है।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले के गुण-दोषों में नहीं जाना चाहता। इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। राज्यों की भारी मांग है। उन्हें भी स्वायत्तता में ... है। इसलिए, मेरी पार्टी की भी इसमें दिलचस्पी है।

वैको (शिवकाशी): महोदय, मैं इस मुद्दे पर सभा में चर्चा किए जाने का समर्थन करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद नहीं है। हम लोग इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री अली मोहम्मद नायक (अनन्तनाग): महोदय, आपने अन्य सदस्यों को अनुमति दी है। कृपया मुझे भी बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी नेताओं को अनुमति नहीं दी है। कृपया समझें।

[हिन्दी]

श्री अली मोहम्मद नायक : यह हमारे साथ जुल्म है। मेरी पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझें। हर कोई चाहता है कि इस मामले पर सभा में चर्चा हो।

श्री अली मोहम्मद नायक : महोदय, इस मामले पर चर्चा होनी चाहिएं। महोदय, जब आपने दूसरों को अनुमति दी है, मुझे भी बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इस विषय पर चर्चा के समय बोल सकते हैं। आपने सूचना नहीं दी है।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष महोदय, माननीय माधव राव जी ने जो सीमित सवाल उठाया कि जम्मू-कश्मीर की विधान सभा ने जो प्रस्ताव पारित किया, वह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस पर बहस होनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने मुझे अभी बताया कि कल पहले दिन ही जब नेता इकट्ठे हुए थे तो सरकार की ओर से कहा गया था कि हम इस विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिस रूप में आप स्वीकार करेंगे, हम उस पर पूरी बहस चाहेंगे, लेकिन इसी दौरान मेरे मित्र मुलायम सिंह जी ने कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जिसमें मुझे लगता है कि मैं न कहूं तो उसके कारण गलतफहमी हो सकती है। एक बात यह कि यह जो प्रस्ताव था, वह बहुत विस्तृत प्रस्ताव है क्योंकि रिपोर्ट बहुत लंबी है।

लेकिन, उसके दो प्रमुख हिस्से हैं और उनमें से एक हिस्सा यह है कि हमारे अधिकार बढ़ने चाहिए, कोई उसको स्वायत्तता कहता है, कोई कहता है कि केन्द्र के पास इतने अधिकार न होकर राज्य के पास इतने अधिकार होने चाहिए, लेकिन उसका जो दूसरा प्रमुख हिस्सा है वह यह है कि जम्मू-कश्मीर की सांवैधानिक स्थिति 1953 के पूर्व की होनी चाहिए और यह जो थ्रस्ट था, उस पर भारत सरकार को लगा कि हमारी प्रक्रिया में विलम्ब नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हम अपनी बात तुरन्त कह दें, यह आवश्यक होगा और उन्होंने अपनी बात तुरन्त कह दी।

मुझे याद है, मैं बाहर से आया था, मुझसे इस प्रस्ताव के बारे में जब पूछा गया, तो मैंने कहा कि गृह मंत्री के नाते मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि यह विधान सभा का प्रस्ताव है और मैं चाहूंगा कि इस पर पूरी की पूरी सरकार, मंत्रिमंडल के रूप में टिप्पणी करे और वह उन्होंने की, लेकिन टिप्पणी करते हुए हमने इस बात पर बल दिया कि जब यह सरकार 1999 में बनी थी, तब जो मैनीफैस्टो हमने देश को दिया था, तब हमने कहा था कि केन्द्र के पास बहुत अधिकार हैं, जिनमें से बहुत सारे अधिकार राज्यों को दिए जाएं, जो लोकतंत्र अधिक स्वस्थ होगा और हम इस दिशा में बढ़ने लगेंगे। हमने इंटर स्टेट कौंसिल में सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इस दिशा में कई कदम उठाए हैं और उठाते रहेंगे। हमने उस बात को दोहराते हुए प्रदेश सरकार को भी कनवे किया कि जहां तक आपके अधिकार बढ़ाने का सवाल है, हम उसके बारे में चर्चा करने को तैयार हैं। बाकी प्रदेशों से भी करते हैं, तो आपसे क्यों नहीं। इसलिए इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जिस अखबार में यह खबर छपी, उसकी सबसे ज्यादा तीखे शब्दों में कंट्राडिक्शन अगर किसी ने की, तो डा. फारूख अब्दुल्ला ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सारी बातें जो केन्द्र सरकार के जिम्मे मढ़ी जा रही हैं या गृह मंत्री जी के जिम्मे मढ़ी जा रही हैं, ये सरासर गलत हैं। गृह मंत्री ने अनेकों बार इस बात को साफ किया है कि मजहब के नाम पर देश का एक बार विभाजन 1947 में हो गया। अब हम दूसरा बंटवारा मजहब के नाम पर देश का तो क्या किसी प्रदेश का भी नहीं होने देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने छह केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द किए जाने पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके बुला रहा हूं। लेकिन आप सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : केन्द्र सरकार द्वारा जिस ढंग से विनिवेश किया जा रहा है, उन्होंने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के छह उपक्रमों को बन्द करने का निर्णय लिया है, नामतः माइनिंग एलाएड मशीनरी कॉरपोरेशन, नेशनल बाइसिकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लि., वे बर्ड इंडिया लि., रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन तथा फुटवियर एंड टैनरी कॉरपोरेशन लि.।

इस प्रश्न की जांच के लिए मार्च, 1999 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई। उस विशेषज्ञ समिति ने सितम्बर 1999 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन इसने कहीं भी इन सार्वजनिक क्षेत्र के छह उपक्रमों में से किसी को भी बन्द किए जाने की सिफारिश नहीं की। बल्कि, इस विशेषज्ञ समिति ने संयुक्त उद्यम, आदि जैसे अन्य विकल्पों का पता लगाने की सिफारिश की थी।

अपराह्न 12.39 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

बिना अन्य विकल्पों की तलाश किए, बिना कोई अन्य प्रयास किए, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के इन सभी महत्वपूर्ण उपक्रमों के पुनरुद्धार की बिना कोशिश किए, भारत सरकार ने उन्हें बन्द करने का निर्णय लिया है। हालांकि उद्योग मंत्रालय से संबंधित परामर्शदात्री समिति भी मामले पर चर्चा कर रही है, फिर भी भारत सरकार ने चर्चा के बीच में ही ऐसा आकस्मिक फैसला लिया। इसका वस्तुतः पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की रोजगार की स्थिति और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन उपक्रमों में हजारों कामगारों को रोजगार प्राप्त हैं। यदि इन सार्वजनिक क्षेत्र के छह उपक्रमों को बन्द कर दिया जाता है तो वे रोजगार हो जाएंगे। सरकार अन्य विकल्पों की तलाश किए बिना, जैसा विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था, उन्हें बन्द करने का निर्णय कैसे ले सकती है? तब, एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति का क्या उपयोग है जिसने इनमें से किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को स्पष्ट तौर पर बन्द करने की सिफारिश नहीं की है? एम.एम.टी.सी., पश्चिम बंगल राज्य में भूमिगत खनन मशीनरी का निर्माण करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रमुख उपक्रम है। यदि इस उद्योग को बन्द कर दिया जाता है, तो हमें इस मशीनरी का बहुराष्ट्रीय निगमों से आयात करना होगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल ने सूचना दी है। श्री आचार्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : इसी तरह, पुनर्वास उद्योग निगम भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए स्थापित किया गया था। यदि इस उद्योग को बन्द कर दिया जाता है, तो इन लोगों का क्या होगा? ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं मांग करता हूं कि सरकार उन्हें बन्द करने के अपने निर्णय की समीक्षा करे। मेरी यह भी मांग है कि इस सरकार द्वारा जिस ढंग से विनिवेश किया जा रहा है और बिना मूल्यांकन किए महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूरी तरह बिक्री की जा रही है, उस पर भी चर्चा की जाए ...*(व्यवधान)* नए मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है कि इस संबंध में श्वेत-पत्र प्रकाशित नहीं किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के संबंध में कोई श्वेत-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ...*(व्यवधान)* वे संसद की उपेक्षा कर कैसे निर्णय ले रहे हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। लाखों लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ रहा है और आप यह कह रहे हैं कि वह इस मामले को नहीं उठा सकते ...*(व्यवधान)* यह अत्यंत असंवेदनशील और जन-विरोधी सरकार है, जो इस प्रकार की बातें होने दे रही है। क्या हमें इस मामले को न उठाकर चुप रहना चाहिए? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे के संबंध में नोटिस दिया है। अतः, मैं श्री रूपचन्द पाल जी का नाम पुकार रहा हूं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, संसद की उपेक्षा कर, सरकार अनर्थकारी निर्णय ले रही है, जिनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में, देश के अग्रणी उपक्रमों के शेयरों का मूल्यांकन किए बगैर और किन्हीं मानदंडों का पालन किए बिना ही उन्हें आंख बंद करके बेचा जा रहा है। उनकी कुछ विदेशी कंपनियों और भारतीय कंपनियों के साथ साठगांठ है। इस नवरत्न और मिनी रत्न उपक्रमों को न केवल कमजोर किया जा रहा है, बल्कि इन्हें हस्तांतरित किया जा रहा है और बेचा जा रहा है। यहां तक कि सरकार के भीतर भी महत्वपूर्ण और सामान्य उद्योग के बारे में कोई मतैक्य नहीं है। एक मंत्री का यह कहना [illegible] नेल क्षेत्र महत्वपूर्ण उद्योग है और कोई दूसरा मंत्री इससे [illegible] व्यक्त कर रहा है। राज्य एकाधिकार को अर्थव्यवस्था [illegible] बुलंदियों तक ले जाने के बजाय, वह इसे व्यापारिक संघ बना रही है, जैसा कि आई.पी.सी.एल. के मामले में ऐसा हो रहा है। वास्तव में, रिलायंस कम्पनी प्रतिष्ठित आई.पी.सी.एल. को खरीदने जा रही है। यहां तक कि जबकि दूरसंचार के संबंध में रिपोर्ट अभी अक्तूबर में प्रस्तुत की जानी है, प्रधानमंत्री स्वयं यह घोषणा कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक लम्बी दूरी की दूरसंचार लाइनें अमुक-अमुक निजी क्षेत्र को सौंप दी जाएंगी।

इस सरकार का विनिवेश के संबंध में कोई एक समान सर्वसम्मत दृष्टिकोण नहीं है। विनिवेश आयोग का गठन नहीं किया गया है। इस संबंध में हम पूरी चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। हमारी मांग है कि इस प्रक्रिया को बंद किया जाए। उन्हें इस तरीके से नहीं बेचा जाना चाहिए। संसद को इस मुद्दे पर चर्चा करने दी जाए और विनिवेश की विधि के संबंध में आवश्यक निदेश दिए जाएं। सरकार को इस संबंध में एक श्वेत-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। हम विनिवेश नीति के संबंध में एक श्वेत-पत्र प्रस्तुत किए जाने की मांग करते हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री चन्द्रशेखर जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री चन्द्रशेखर जी को बोलने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री चंद्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): उपाध्यक्ष जी, अभी जो सवाल हमारे मित्र ने उठाया है, एक अहम सवाल हो गया है। पिछले बजट में सरकार ने कहा कि जो सार्वजनिक विभाग के प्रतिष्ठान हैं, उनके शेयर्स को बेच कर 10 हजार करोड़ रुपये हम बजट के लिए लाएंगे। देश को यह नहीं मालूम कि किस आधार पर ये 10 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। उस समय यह कहा गया कि जो घाटे की कम्पनियां हैं, उनके शेयर्स बेचे जाएंगे। आज से चार हफ्ते पहले डिसइन्वैस्टमैंट मिनिस्टर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने यह कहा कि अगर केवल घाटे की कम्पनियां बेची जाएंगी तो 10 हजार करोड़ रुपया पूरा नहीं होगा। इसलिए मुनाफे वाली कम्पनियों को भी बेचना होगा। अब मैं यह नहीं समझता कि कोई भी सरकार इस तरह का नीति परिवर्तन अपने भाषणों में किस तरह से कर सकती है। मैं कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता, केवल दो उदाहरण देना चाहूंगा। माडर्न बेकरी बेची गई जिसमें सरकार की ओर से 126 करोड़ रुपये में उस प्रतिष्ठान को बेच दिया जबकि उसकी कम्पनी के लोगों ने कहा कि इसकी कीमत 2000 करोड़ रुपये है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो हल्ला करेंगे, मैं उनको चांस नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, आप बैठिए।

श्री चंद्रशेखर : न वहां के अधिकारियों से बात हुई, न वहां के कर्मचारियों से कोई बात की गई। मुझे कहते हुए दुख होता है कि और लज्जा का अनुभव होता है कि सरकार की रिपोर्ट में लिखा गया है कि उस कम्पनी को बेचते समय वहां की भूमि की कीमत को नहीं देखा गया। उसके लिए जो बहाने दिए गए हैं, वे अत्यन्त हास्यास्पद हैं। एयर इंडिया को बेचने के लिए सवाल उठा। अखबारों में कहा गया कि हमारे मित्र श्री शरद यादव, जो उस विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने उसका विरोध किया। उनसे और डिसइन्वैस्टमैंट मिनिस्टर से समझौता हुआ कि 25 फीसदी शेयर बेचे जाएंगे लेकिन वहां जाकर उसको 26 फीसदी किया गया इसलिए कि किसी विदेशी कम्पनी को उसका प्रबंधन दिया जा सके। हमारे विभाग के मंत्री जी विवश होकर चुपचाप वहां बैठे रहे।

अभी हमारे मित्र ने 6 और कम्पनियों की बात कही है। यह 10 हजार करोड़ रुपया किसने तय किया था और किस आधार

पर तय किया है? अब तक घाटे वाली कम्पनी बेचने का था, अब उन कम्पनियों को भी बेचा जा रहा है जो मुनाफा कमाती हैं।

मैं केवल एक और उदाहरण देता हूं। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसने अपने एयर कैरिअर को बेचा हो। अकेला देश श्रीलंका है, उसने विशेष परिस्थितियों में बेचा था। हिन्दुस्तान पहला देश होगा जो यह कहेगा कि हमारे एयर इंडिया के लोग, जो तिरंगे को दुनिया के 36 देशों में ले जाते थे, उनके शेयर भी बेचे जा रहे हैं। इसी पार्लियामेंट में इससे पहले की सरकार ने कहा था कि प्राईवेटाईजेशन नहीं होगा। एक दूसरी एयरलाइन्स को हमने इजाजत नहीं दी थी और वही एयरलाइन्स एयर इंडिया को लेने की कोशिश कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह क्यों हो रहा है। मैं कोई आलोचना के लिए आलोचना नहीं करता हूं। दस्तावेज के बाद दस्तावेज साबित किए जा सकते हैं कि जहां देश के मौलिक सवालों पर सरकार विदेशियों द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलने के लिए अपने ...*(व्यवधान)* ये दस्तावेज यहां की सरकार द्वारा जानकारी में बनाए गए हैं। मैं नहीं कहता कि केवल आपकी सरकार ने किया, इसके पहले की सरकारों ने भी इसमें अपनी भूमिका अदा की है। मैं बराबर यह सवाल उठाता रहा हूं। आज स्थिति ऐसी पहुंच गई है कि एक दिन संसद् का अधिवेशन नहीं होगा और संसद् के सदस्य यह सोचेंगे कि भारत देश को किसी के हाथों गिरवी रख दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री जी, आप नाराज मत होइएगा, आपके ऊपर यह कलंक का टीका लगने वाला है। हमारे मित्र मुरली मनोहर जोशी जी को हमने अभी सदन शुरू होने के पहले तुलसीदास की एक चौपाई लिखकर भेजी, जो उन्होंने कृष्ण के बारे में लिखी थी:

> "मोर मुकुट, कटि काछनी हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे,
> जब धनुष बाण हो हाथ।"

पता नहीं, वह धनुष कब उठेगा या वह शिखंडी के जैसे क्लीव बनकर रह जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, देश आज खतरे में है और इस खतरे से देश को बचाने की जरूरत है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शिवराज वी. पाटील जी को बोलने के लिए कहा है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय जी, आपका नाम सूची में है। मैं आपका नाम पुकारूंगा। कृपया सभा का समय बर्बाद मत कीजिए। आपको बोलने का मौका मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं, अत: क्या आप बैठने का कष्ट करेंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है। मैंने श्री शिवराज वी. पाटील को बोलने के लिए कहा है। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। मैं खड़ा हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा पर नियंत्रण करना अत्यंत मुश्किल है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हम सभा का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं, ताकि प्रत्येक को बोलने का अवसर मिले। यदि आप खड़े होकर इस तरह से आग्रह करेंगे, तो न आपको और न ही अन्य सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमारा नोटिस किसी के नीचे है क्या?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नम्बर आयेगा, आपका नोटिस मेरे पास है। आपको बुलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

डा. जसवन्त सिंह यादव (अलवर): राजस्थान में हरिजन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : राजो सिंह जी, आप तो सीनियर मैम्बर हैं।

[अनुवाद]

कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने श्री शिवराज वी. पाटील जी को बोलने के लिए कहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): हमारा भी नोटिस है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप का नोटिस है, सबको बोलने का मौका मिलेगा। आप बैठिये न।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वी. पाटील (लातूर): मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा *...(व्यवधान)* मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि विनिवेश का यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर इस समय न केवल चर्चा की जानी चाहिए, बल्कि विनिवेश के संबंध में अलग से और व्यापक चर्चा होनी चाहिए। इस संबंध में सरकार द्वारा किसी नीति का पालन नहीं किया जा रहा है जो किया जा रहा है, वह अत्यंच क्षोभकारी है और इसका देश की समूची अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा तथा अन्ततः इसका देश की प्रभुसत्ता पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए हमें इस संबंध में शान्तचित्त होकर विचार करना होगा कि क्या किया जाना चाहिए और यह किस तराके से किया जाना चाहिए तथा क्या नहीं किया जाना चाहिए। यदि घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश नहीं किया जा सकता और यदि सरकार सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का विनिवेश करने की कोशिश कर रही है, जो लाभ अर्जित कर रहे हैं, तो हमारी समझ में यह नहीं आता कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रबंधन किस प्रकार किया जाएगा। मैं यह समझना चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा न होने के कारण विदेश में सोना बेचे जाने, और घाटा होने के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को देश में ही बेचे जाने में क्या अन्तर है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इन दोनों में क्या अंतर है? हम अपनी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं, इसीलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। इस मुद्दे के संबंध में हमें एक सुस्पष्ट नीति अपनानी होगी। इस संबंध में यदि कोई नीति नहीं है और यदि नीति बार-बार बदलती रहती है, तो हम सभी, यह पूरी सभा और सभी लोग उद्विग्न रहेंगे। यदि हम कुछ महीनों की अवधि के भीतर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश कर रहे हैं, जिन्हें स्थापित होने में 50 वर्ष का समय लगा है, और हम कुछ ही सप्ताहों और महीनों के भीतर सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों का विनिवेश किए जाने पर गर्व करते हैं, तो देश यह नहीं समझ पाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है।

अतः हमारा यह निवेदन है कि इस संबंध में पूर्ण चर्चा कराई जाए और इसमें सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले भाषणों और उनके द्वारा व्यक्त किए जाने वाले विचारों पर कोई रोक हो। इस संबंध में सरकार द्वारा नहीं, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा एक नीति तैयार की जाए और उस नीति को कार्यान्वित किया जाए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर बोलने के लिए कुछ और सदस्यों ने नोटिस दिया है। मैं उनका नाम पुकारूंगा और तत्पश्चात् मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए कहूंगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : डिसइंवैस्टमेंट को सारे देश की जनता देख रही है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): उपाध्यक्ष महोदय, जब इस विषय पर पूर्ण चर्चा होने जा रही है, तो अब कुछ और सदस्यों को बोलने की अनुमति दिये जाने की क्या आवश्यकता है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने नोटिस दिए हैं और उनके नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। मैं उन्हें बोलने का अवसर दूंगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, वरिष्ठ नेतागण इस विषय पर पहले ही बोल चुके हैं। अन्य सदस्यगण उनके द्वारा व्यक्त विचारों से अपने आपको जोड़ सकते हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्यवश, परम्परा यह रही है कि सभी सदस्य शून्य काल के दौरान भाषण देते हैं। मैं उन्हें यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि वे अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त किए जा चुके विचारों से स्वयं को जोड़ें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, आपको अन्य माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए जा चुके विचारों से स्वयं को जोड़ना होगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, अब वह बोलेंगे और उसके बाद कोई और सदस्य बोलेगा। इस प्रकार, हमें तो बोलने का अवसर ही नहीं मिलेगा। वे अन्य सदस्यों द्वारा कही गई बातों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, आप केवल सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, इस विषय पर कितने सदस्य और बोलेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, यदि आप इस तरह आग्रह करते रहेंगे, तो हम कार्यवाही रोक देंगे और सभा को मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित कर देंगे तथा इस प्रकार आप में से किसी को भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बोलने का मौका देना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां सभा को नियंत्रित करने के लिए बैठा हूं। जब मैं खड़ा हूं, तो आप क्यों खड़े हो रहे हैं? इस संबंध में, मैं मुख्य सचेतक से सहयोग चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वरिष्ठ सदस्य खड़े होकर सभा की कार्यवाही में इस तरह से व्यवधान उत्पन्न करेंगे, जबकि मैं खड़ा हूं, तो ऐसा करना ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, गुस्सा मत कीजिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव, आप एक वरिष्ठ नेता हैं। आपको मूल नियमों के बारे में जानना चाहिए। मैं खड़ा हूं। मैं सभा को नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। परन्तु, आप भी खड़े हो गए हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप केवल अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से स्वयं को जोड़ें। बस इतना ही। इसके बाद मैं मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी ने सिखा दिया है। माडर्न फूड इंडस्ट्री को बेचने वाले भी यही लोग हैं ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने मंत्री जी पर आरोप लगाया है कि इन्होंने पैसा खाया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उन्होंने अभी-अभी क्या कहा है? क्या आप ऐसी बातों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलत करने की अनुमति दे सकते हैं? यह अत्यंत आपत्तिजनक बात है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने कोई ऐसी बात कही है, तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी आपत्तिजनक बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी। यदि उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित भी कर लिया गया है, तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, आप उन्हें बोलने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आज, यह इस सत्र का पहला शून्य काल है। जैसा मैंने कहा कि आप एसोशिएट कीजिए नहीं तो मैं मंत्री महोदय का नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक ही सेंटेंस में अपनी बात कहिए।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमने भी सूचना दी। मॉडर्न फूड को बेचने के संबंध में देश भर से हल्ला है कि पांच हजार करोड़ रुपये की सम्पत्ति को 120 करोड़ रुपये में इन लोगों ने बेच लिया है *...(व्यवधान)** और उस मंत्री का विभाग बदल दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी आपत्तिजनक बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसको रिकार्ड से निकाल दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन सभी आपत्तिजनक बातों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : बिल्कुल एक्सपंज करने की जरूरत है। गलत बात है। आज प्रातः काल भी माननीय स्पीकर महोदय ने उनकी बात को एक्सपंज किया था और फिर चंद्रशेखर जी ने भी आपत्ति की थी। इसके बाद भी वह इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कृपया करके उनको एक्सपंज किया जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यदि यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित हो भी गया, तो भी मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री प्रमोद महाजन जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): उनको चुप होने दीजिए, उसके बाद आप खड़े होइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): महोदय, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने भारतीय विमानपत्तनों को पट्टे पर देने का निर्णय लिया है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, मैंने श्री महाजन को बोलने के लिये कहा है।

श्री पी.एच. पांडियन : यह रिकार्ड में होना चाहिये *...(व्यवधान)* मैंने सूचना दी थी *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दूसरी बार उन्हें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई स्थित विमानपत्तनों को निजी एजेन्सियों को पट्टे पर देने का निर्णय लिया है *...(व्यवधान)*

मैंने भी संसद सदस्य के नाते हड़ताल में भाग लिया *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, यह क्या है? मैंने श्री प्रमोद महाजन को बोलने के लिये कहा है।

श्री प्रमोद महाजन : सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं और मैंने बार-बार इस बात को स्पष्ट किया। केवल यही नहीं, गुरूवार को राज्य सभा में सरकार की विनिवेश नीति पर चर्चा होनी है। अत: पहली बात तो यह है कि सरकार को विनिवेश नीति पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है। चर्चा का समय और उसके स्वरूप के बारे में आपको निर्णय लेना है *...(व्यवधान)*

मुझे यह देखकर वास्तव में हैरानी और दुख हुआ है कि जिन राजनीतिक दलों ने देश में प्रथम विनिवेश आयोग के गठन में हिस्सा लिया था, वे अब विनिवेश नीति की अवधारणा को चुनौती दे रहे हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री के कथन के अतिरिक्त अन्य किसी सदस्य की कोई भी बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रमोद महाजन: दूसरी बात यह है कि विनिवेश आयोग गठन के बाद देश में अस्तित्व में आयी अन्य गठबंधन सरकार ने भी देश में विनिवेश को समाप्त नहीं किया *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए कहूंगा

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.05 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.05 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.07 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.07 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): अध्यक्ष महोदय, आज महाराष्ट्र के अंदर जो घटना घटी है, शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार ने जो कदम उठाया था, वह गैर-कानूनी था। कोर्ट ने उसका फैसला भी दे दिया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र की सरकार ने बालासाहेब ठाकरे जी के खिलाफ जो गैर-कानूनी कार्यवाही करने की साजिश की थी, उसका जवाब आज न्यायालय ने दे दिया। माननीय शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी बार-बार यह कहते आए हैं कि हम कानून मानते हैं और न्यायालय का सम्मान भी करते हैं। आज शिवसेना प्रमुख स्वयं न्यायालय में गए और वह इसलिए न्यायालय में गए, क्योंकि पिछले 10-12 दिन से पूरे महाराष्ट्र के अंदर अशांति थी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट का सब्जैक्ट है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : मुंबई और महाराष्ट्र की जनता के दिल में भय था कि क्या होगा। लोग अपने कारोबार के लिए भी नहीं जाना चाहते थे। शिवसेना प्रमुख ने पूरे देश को दिखा दिया कि हम कानून को मानते हैं और कानून के मुताबिक चलते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो चुनी हुई सरकार थी, जिनकी जिम्मेदारी थी कानून के मुताबिक चलना, *...(व्यवधान)* कानून के मुताबिक सरकार को चलाना।

अध्यक्ष महोदय : यह हो गया है।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : यदि सरकार ही कानून तोड़ने लगेगी तो महाराष्ट्र में, पूरे देश में क्या होगा। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि जो महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, *...(व्यवधान)** उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। *...(व्यवधान)* केवल उप-मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि बार-बार मुख्य मंत्री जी भी इस बात को दोहराते गए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह जीरो ऑवर नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : वह कह रहे हैं कि जो कार्यवाही की जा रही है वह कानूनी है। यह मंत्रिमंडल का निर्णय है, मुख्य मंत्री जी बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए मैं मांग करता हूं कि गैर-कानूनी काम करने वाली महाराष्ट्र सरकार से भारत सरकार को रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि उसने किसलिए इस तरह का कदम उठाया। हम बार-बार कहते रहे हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल किया गया है और कानून के नाम पर महाराष्ट्र सरकार को व्यक्तिगत बदले के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए तथा महाराष्ट्र की सरकार को भी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र [illegible] मुम्बई में दंगे करवाना चाहती थी। वहां पर साढ़े चार [illegible] नहीं हुआ था लेकिन यह सरकार दंगे करवाना चाहती [illegible] हाराष्ट्र सरकार के लॉ-सैक्रेट्री ने बयान दिया था कि यह गैर-कानूनी है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : अब इस सारे केस की जांच भारत सरकार को करनी चाहिए।

श्री मोहन रावले : हम भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने मुम्बई से लेकर दिल्ली तक हमारा साथ दिया, हम उनके आभारी हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सभा द्वारा विधायी कार्य आरम्भ करने से पूर्व मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से संबंधित तीन राज्य पुनर्गठन विधेयक पुरःस्थापित किये जाने के लिए आज की कार्य सूची में सूचीबद्ध है।

कुमारी मायावती और सर्वश्री त्रिलोचन कानूनगो, रघुवंश प्रसाद सिंह, रामजी लाल सुमन, बसुदेव आचार्य और रूपचंद पाल ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करने की सूचनाएं दी हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): इस समय शरद पवार जी हाउस में दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हीं का चेला छगन भुजबल हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कैसा आंखों देखा हाल सुनाया जा रहा है?

कुमारी मायावती और सर्वश्री त्रिलोचन कानूनगो, रघुवंश प्रसाद सिंह, रामजी लाल सुमन, बसुदेव आचार्य और रूपचंद पाल ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करने की सूचनाएं दी हैं; और

कुमारी मायावती और सर्वश्री त्रिलोचन कानूनगो, प्रसन्ना आचार्य, पद्मानाव बेहरा, रघुवंश प्रसाद सिंह, रामजी लाल सुमन, के.पी. सिंह देव, बसुदेव आचार्य और रूपचंद पाल ने बिहार पुनर्गठन विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करने की सूचनाएं दी हैं।

माननीय सदस्यों ने यह सभी सूचनाएं निर्धारित समय के भीतर अर्थात् आज पूर्वाह्न 10.00 बजे तक दी हैं। मैं मंत्री द्वारा विधेयक विशेष को पुरःस्थापित किये जाने हेतु सभा की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् उस विधेयक पर संक्षिप्त वक्तव्य देने के लिए सदस्यों को अनुमति प्रदान करूंगा।

ये विधेयक सदस्यों को पिछले सत्र के दौरान 17 मई, 2000 को चैम्बर में परिचालित किए गये थे। पर्याप्त सावधानी बरतने के पश्चात् इन विधेयकों को पुनः मुद्रित कराया गया और इन्हें 22 जुलाई, 2000 को सदस्यों को पुनः भेजा गया। इन विधेयकों के संबंध में नियमों और निदेशों संबंधी सभी औपचारिकताएं अब पूरी कर ली गई हैं। माननीय सदस्यों को भी इन विधेयकों के उपबंधों का अध्ययन करने के लिये पर्याप्त समय मिला है मैं इन विधेयकों संबंधी कार्यवाही को सुचारू रूप से निपटाने के सभा के सभी वर्गों के सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

अब श्रीमती वसुन्धरा राजे विधेयक पुरःस्थापित करने हेतु अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह एक पृथक विधेयक है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंह पुर): जहां तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयकों का संबंध है, मैं इनका विरोध नहीं करूंगा।

अपराह्न 2.14 बजे

सूचना स्वातंत्र्य विधेयक*

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही का संप्रवर्तन करने के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन लोकहित से संगत सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय, सूचना स्वातंत्र्य विधेयक 2000 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और विधेयक में विनिर्दिष्ट अन्य सरकारी प्राधिकरणों द्वारा सूचना का यथासंभव सार्वजनिक करने का प्रावधान है। प्रस्तावित विधेयक का आशय व्यक्तिगत संस्थाओं को संविधान के अनुच्छेद 19(1) और 19(2) के अधीन अनुमत प्रतिबंधों और जनहित में प्रदत्त अपवादों के अध्यधीन लोक प्राधिकारी से वांछित सूचना प्राप्त करने का सांविधिक अधिकार, प्रदान करता है।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, मैं, आपको एक मिनट बाद बुलाऊंगा कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही संप्रवर्तन करने के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन लोकहित में संगत सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री राधाकृष्णन, अब आप अपने विचार रख सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं इस चरण में विधेयक पुर:स्थापित किये जाने का विरोध करता हूँ। प्रथम चरण में यह विधेयक एक ढकोसला मात्र है। जहां मैं विधेयक में निहित सिद्धान्त का स्वागत करता हूँ वहीं मैं कतिपय कारणों से विधेयक का विरोध करने के लिए बाध्य हूँ।

यदि मैं सही वर्णन करूं तो इस विधेयक का स्वरूप अच्छा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति शुल्क का भुगतान करने पर वांछित आदेश अथवा सूचना की प्रति प्राप्त कर सकता है। हम न्यायालय में आवेदन देते हैं और शुल्क जमा करने पर हमें उत्तर मिल जाता है। इसी प्रकार सभी सरकारी कार्यालयों में अब भी हम शुल्क का भुगतान करने पर वांछित सूचना अथवा आदेश की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान विधेयक में भी यही उपबंध है।

अब यदि हम सूचना का अधिकार प्रदान करने के लिये ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं तो मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और इसे मौलिक अधिकार बनाया जाये। अत: माननीय मंत्री को सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिये संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। ऐसा किए बिना वे दूसरा विधेयक ला रहे हैं, जिसकी कानूनी जांच नहीं होगी इसके अलावा विधेयक में एक खामी है कि मामले को न्यायालय में ले जाने की लिये कोई उपबंध नहीं है। पहला प्राधिकरण विधि द्वारा विहित होगा दूसरा अपील प्राधिकरण भी, जैसा भी मामला हो, केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाएगा। अत: वर्तमान मामले में यह केवल प्रचार प्रयोजन के लिये है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार ने सूचना के अधिकार को शिक्षा का अधिकार बनाने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया है। लेकिन यह उचित नहीं है।

यदि इसे अधिकार बनाना है तो संविधान में मूलभूत संशोधन करने होंगे और जैसा कि मैंने पहले भी सुझाव दिया था, मैं माननीय मंत्री से यह कहूंगा कि इस अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने हेतु संविधान में संशोधन किये जाने हेतु प्रस्ताव लायें क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इससे किसी भी सूचना को यह कह कर कि यह राज्य के हित में है, कम किया जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है। अत: कौन सा प्राधिकरण इसका निर्णय करेगा? ऐसा कोई उपबंध नहीं है। अत: मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि यह विधेयक मात्र प्रचार के प्रयोजन से लाया गया है और प्रयोजन केवल संविधान में संशोधन कर सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से ही पूरा हो सकेगा। अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2 दिनांक 25-7-2000 में प्रकाशित।

श्रीमती वसुन्धरा राजे: सर्वप्रथम, मैं यह कहने को विवश हूँ कि इसका पुरः स्थापन के स्तर पर ही विरोध किया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहती हूँ कि इन सभी मुद्दों को सभा में उठाया जाएगा और चर्चा के दौरान इन पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा और यदि इनमें कोई कमियां होंगी तो उन पर भी चर्चा की जायेगी।

बहरहाल, लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 72(1) में यह प्रावधान है कि जब विधान लाने के प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि विधान लाने वाला विधेयक सभा की विधायी सक्षमता से बाहर है तो अध्यक्ष इस पर सम्पूर्ण चर्चा की अनुमति दे सकता है।

जहां तक सरकार का संबंध है, हमारा यह मत है कि संसद, विधेयक में उल्लिखित सभी मामलों पर विधान बनाने हेतु सक्षम है। भारत के विद्वान महान्यायवादी ने भी इस मत की पुष्टि की है कि संसद विधेयक में उल्लिखित मामलों पर विधान बनाने हेतु सक्षम है। इस सम्पूर्ण विधेयक का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 19 को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और प्रस्तावित विधेयक के बीच कोई विषमता नहीं है।

जहां तक अपीलीय प्रावधान के माध्यम से न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के प्रश्न का संबंध है, चूंकि न्यायिक समीक्षा संविधान का एक अभिन्न अंग है अत: प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत न तो यह विधिक दृष्टि से संभव है और न ही यह अभिप्रेत है। वास्तव में, सूचना की स्वतंत्रता विधेयक में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में कतई बाध्य नहीं है। और इसके अलावा हमने सूचना पर रोक लगाने हेतु समक्ष प्राधिकारी के किसी भी निर्णय की समीक्षा करने और प्रशासनिक अपील करने का प्रावधान किया है।

मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि इस विधेयक पर विभिन्न सरकारों द्वारा नियुक्त मंत्रियों के तीन पृथक-पृथक दलों ने विचार किया है और मंत्रियों के दलों ने इस विधेयक को तैयार करते समय इसका गहन अध्ययन किया है।

प्रस्तावित विधेयक कनाडा, अमरीका और आस्ट्रेलिया जैसे विभिन्न देशों में ऐसे कानूनों के अनुरूप है और इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावित विधेयक अन्य देशों में ऐसे विधान की भांति ही लाभकारी है और यह संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप है।

अत:, इस चरण में, विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध करने वाले माननीय सदस्य के नोटिस को निरस्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें विधेयक पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही का संप्रवर्तन करने के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन लोकहित से संगत सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करती हूं।

सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक**

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक**

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 25.7.2000 में प्रकाशित।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): महोदय, मैं उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के सृजन सम्बन्धी तीनों विधेयकों का समर्थन करता हूं। परन्तु साथ ही मैं पुरजोर मांग करता हूं कि भारत सरकार बोडोलैंड बनाने संबंधी लम्बे समय से चली आ रही मांग के संबंध में संसद में अविलंब एक ऐसा ही विधेयक पुर:स्थापित करे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बैसीमुथियारी, आप सभा की कार्यवाही में हमेशा व्यवधान उत्पन्न करते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (अकबरपुर): माननीय अध्यक्ष जी, आज भारत सरकार की ओर से माननीय गृहमंत्री जी तीन राज्यों में से कुछ हिस्से निकालकर अलग राज्य बनाने से संबंधित विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं। मुझे इन तीनों विधेयकों के बारे में कुछ कहना है। वैसे हमारी पार्टी छोटे राज्यों के खिलाफ नहीं है और जो बड़े राज्य हैं, उनमें से कुछ हिस्सा निकालकर यदि छोटा राज्य बनाया जाता है तो हमारी पार्टी उसकी पक्षधर है। इतना ही नहीं, जिन प्रदेशों में बड़े जिले हैं, यदि उस में से छोटे जिले किये जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़िया चलाने के लिये, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया कंट्रोल करने के लिये छोटे जिलों के हक में है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल प्रदेश बनाने का सवाल है, हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है लेकिन उत्तरांचल के जिन दो जिलों - हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को लेकर मामला विवादित है, इसके बारे में हमारी पार्टी का यह कहना है कि इस विधेयक को पास करने से पहले इन दोनों जिलों के बारे में यह फैसला हो जाना चाहिये कि इनको मैदानी भाग में रखना है या इन्हें उत्तरांचल को देना है। मेरी माननीय गृह मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि इन दोनों जिलों के लिये डैमोक्रेटिक वे से फैसला करना चाहिये। आप इन दोनों जिलों के मामले में कोई कमीशन गठित कर सकते हैं और वह कमीशन सर्वे करे कि क्या हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों की जनता उत्तरांचल में रहना चाहती है या उत्तर प्रदेश में रहना चाहती है। दोनों जिलों की जनता के बारे में सर्वे की जो रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर आप फैसला लें। यदि वह उत्तरांचल में रहना चाहती है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों के लोग सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर यदि उत्तरांचल में रहना चाहते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है और यदि वे उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इन दोनों जिलों का फैसला डेमोक्रेटिक वे के आधार पर होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सर, अभी तो संवैधानिक मुद्दे उठाने चाहिए, जब इस पर बहस होगी, तब इन मुद्दों को उठायें।

कुमारी मायावती : इसके साथ-साथ जो दूसरे प्रदेश जैसे बिहार प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार में वनांचल है ...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जैसे बिहार में अलग से वनांचल प्रदेश बनाने का सवाल है मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का सवाल है, हमारी पार्टी इनका समर्थन करती है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि तीनों विधेयकों पर जो भी आपत्तियां हैं, उन्हें देखते हुए तीनों विधेयकों को पास करने से पहले उन आपत्तियों को दूर कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। आज आप तीनों विधेयक प्रस्तुत करने वाले हैं। हमारी पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है। हम खुले दिल से इसका समर्थन कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन इन विधेयकों को प्रस्तुत करने के बाद जब ये तीनों विधेयक हाउस में दोबारा बहस के लिए आयें और जब इन पर वोटिंग हो तो उससे पहले विवादित मामलों का फैसला कर लिया जाए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। फिलहाल हम तीनों विधेयकों के पक्ष में हैं, हम इनका विरोध नहीं करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, नियम 72 के अधीन प्रारम्भ में हमें विरोध करने का अधिकार है और फिर उसके प्रोविजन में टैक्नीकल मामले पर कोई बहस हो तो आपकी कृपा से उस पर बहस हो सकती है और तब इजाजत दी जा सकती है। हमारा देश सौ करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है और यह विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है। आसाम में बोडोलैंड की मांग उठ रही है कि बोडोलैंड बनाओ। श्री सुभाष घीशिंग बोल रहे हैं कि गोरखालैंड बनाओ। गेंगड़ेकर नागालैंड का सवाल उठा रहे हैं। हमारे बिहार में मिथिलांचल का सवाल उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में अवध का सवाल और पूर्वांचल का सवाल उठ रहा है। श्री अजित सिंह जी अभी यहां नहीं हैं, उनके यहां हरित प्रदेश का सवाल, महाराष्ट्र में विदर्भ का सवाल, गुजरात में सौराष्ट्र का सवाल, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का सवाल और जम्मू-कश्मीर में आर.एस.एस. के नेता बोलते तीन खड़ी बातें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख का सवाल उठ रहा है। ये सारे सवालात हैं। यह सरकार देश को किधर ले जाना चाहती है, क्या देश को आंदोलन की आग में झोंकना चाहती है। इसलिए हमने कहा था कि सन् 1956 में स्टेट रीऑर्गिनाइजेशन कमीशन बना था। इस देश की तमाम समस्याओं को देखते हुए स्टेट रीऑर्गिनाइजेशन कमीशन बनाना चाहिए और

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

देश तथा जनता की आकांक्षाओं के मुताबिक इसका काम होना चाहिए। लेकिन सरकार देश को तोड़ने पर उतारू है। राजनीतिक स्वार्थ साधन के चलते कहती है कि हमारा कमिटमेंट है। इसीलिए पिक एंड चूज के आधार जो इन्हें सूट करता है, उस तरह उस विधेयक को लाई है। इसीलिए हम इसका विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें केवल मध्य प्रदेश का सवाल उठा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में नाम रखा गया है छत्तीसगढ़, लेकिन उसमें असल में 24 गढ़ हैं, 12 गढ़ को यह सरकार कहां ले गई। वह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। भाजपा और कांग्रेस के लोग मिले हुए हैं कि वहां आदिवासियों का बाहुल्य हो जायेगा। कहीं वहां आदिवासी राज न हो जाए, इसलिए डिवाइड एंड रूल, बांटों और राज करो, मैली कुश्ती वहां करो।

अध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर आपकी कृपा होगी, मैं आपके यहां इसे दाखिल कर रहा हूं। इस पर मध्य प्रदेश के 50 एम.एल.एज. [illegible] स्ताक्षर हैं, जो प्रधान मंत्री के नाम से उन्होंने दिया [illegible] र करीब 15 सांसदों के हस्ताक्षर भी हैं। यह उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री जी को प्रस्तुत किया है। उसमें सत्तापक्ष के ज्यादा सदस्य हैं जिन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश से जो खंडित करके छत्तीसगढ़ बनाया जा रहा है, असली छत्तीसगढ़ तब होगा जब उसमें सीधी, शहडोल, ढिंढरी, उमरिया, बालाघाट, मंडला ये छ: आदिवासी बाहुल्य जिले शामिल हों। प्राथमिक काल में आजादी की लड़ाई के बाद जब राज्यों का बंटवारा हो रहा था तो वहां पर आदिवासियों का गोंड इलाका था जिसके नाम से प्रदेश बनना था लेकिन लोगों ने नहीं बनने दिया और मध्य प्रदेश नाम रख दिया, उत्तर प्रदेश नाम रख दिया लेकिन दक्षिण प्रदेश और पूर्व प्रदेश नहीं रखवाया ताकि आदिवासियों का राज्य कहीं न बन जाए। इसलिए जो दबे हुए आदिवासी, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, वहां के आदिवासी नेता एक दर्जन की संख्या में हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि सत्तापक्ष के लोग भी नहीं बोल पाते हैं और नहीं कह पाते हैं लेकिन उनके हस्ताक्षर हमारे पास हैं। करीब 12 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। ...*(व्यवधान)* मुझे इजाजत देंगे तो मैं नाम पढ़ दूंगा। आप कहें तो मैं इसको सभा पटल पर रख देता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश जी, यह इंट्रोडक्शन स्टेज है, यह डिसकशन नहीं है। आपकी ऑब्जेक्शन क्या है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मेरे पास कागज हैं। उसमें हस्ताक्षर हैं, आप चाहें तो उनकी जांच करा लें मगर गरीबों पर जुल्म करने से रोका जाए। गरीब आदिवासियों को दबाने का काम हो रहा है और गरीब आदिवासी का सवाल मैं उठा रहा हूं और इसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता। यह कागज़ सुबूत है, दस्तावेज है। इसमें पता चल जाएगा कि किनके हस्ताक्षर हैं। ...*(व्यवधान)* तकनीकी सवाल उठाना चाहते हैं। यह संविधान के संशोधन वाला विधेयक है। कानून की किताब में लिखा है पेज 812, कौल एंड शकधर में—

[अनुवाद]

> "निम्नलिखित मामलों में विधेयकों को पुर:स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है:
>
> नए राज्यों के निर्माण तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक........"

[हिन्दी]

इसमें प्रेजीडेंट का रेकमंडेशन अनिवार्य है। फिर पेज 813 में कानून की किताब बोल रही है–

[अनुवाद]

> "विधेयकों पर सिफारिश का मुद्रण:
>
> किसी विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने या उस पर विचार किए जाने के संबंध में राष्ट्रपति की प्रत्येक मंजूरी या सिफारिश विधेयक के साथ छापी जाती है जिससे कि सदस्यों को उसकी जानकारी मिले। सम्बद्ध मंत्री महासचिव को वह सिफारिश भेजते समय जो चिट्ठी लिखता है, वह विधेयक में उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के बाद अक्षरश: छापी जाती है। उन मामलों में सिफारिश समय पर नहीं मिलती और विधेयक के साथ छापी नहीं जा सकती, उसे संसदीय समाचार में प्रकाशित कर दिया जाता है। यहां भी सिफारिश की चिट्ठी अक्षरश: छापी जाती है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन बिलों को उलट-पलटकर देखा है। कानून में लिखा है कि इस तरह के बिल में प्रेजीडेंट का रेकमंडेशन अनिवार्य है। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टिव्स एंड रीजन्स के बाद प्रेजीडेंट का रेकमंडेशन अनिवार्य है, यह कानून की किताब में लिखा है। लेकिन उसमें हमने देखा कि प्रेजीडेन्ट का रेकमंडेशन

उसमें नहीं है। इसलिए कानून की नजर में, नियम-परंपरा की नजर में इस विधेयक को इंट्रोड्यूस करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

अध्यक्ष महोदय, इन सभी बातों के अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस प्रकार से यह बिल सदन में प्रस्तुत करना नियमानुकूल नहीं है। पिछले सदन के समय एक बुलेटिन आया था जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति की मंजूरी इस हेतु अनिवार्य है, लेकिन वह पिछले सत्र के संबंध में थी और वह सत्र निकल गया। इस संबंध में कानून में स्पष्ट लिखा है—

[अनुवाद]

> "परन्तु किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति का प्रस्ताव रखने के लिए नयी सूचना की आवश्यकता है......"

[हिन्दी]

अब इन्होंने फ्रैश नोटिस दिया है, लेकिन उसे मूव करने की इजाजत नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि इसके संबंध में नियम कहता है—

[अनुवाद]

> "परन्तु किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति का प्रस्ताव रखने के लिए नयी सूचना की आवश्यकता है जिसके संबंध में राष्ट्रपति की मंजूरी या सिफारिश आवश्यक हो और ऐसी मंजूरी या सिफारिश प्रभावी न रही हो।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को देख कर कानून की नजर में यह साबित होता है कि सरकार जो विधेयक लाई है, उसमें प्रैसीडेंट की रिकमेंडेशन नहीं है, जो विधेयक के उद्देश्य और कारण हैं, उसमें जिन बातों का उल्लेख होना चाहिए, उनका उल्लेख नहीं है। मैंने तीनों विधेयकों को उलट-पलट कर देखा है, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं मिली।

अध्यक्ष महोदय, पूरे देश की बहुत बड़ी आबादी के राज्यों के संबंध में यह विधेयक हैं। मध्य प्रदेश के संबंध में मेरी आपत्ति है कि यह विधेयक नियम, कायदे, कानून, परंपरा और संविधान को ताक पर रखकर लाया जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो फैसला करेंगे वह हमें शिरोधार्य होगा, परन्तु हमारा एक ही निवेदन है कि गरीबों, अछूतों, आदिवासियों, वनवासियों, पिछड़ी जाति के लोगों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को दबाया जा रहा है। वे लोग वर्षों से शोषित और दबे-पिसे रहे हैं। यदि उन्हें फिर दबाया जाएगा, तो वह सहन नहीं किया जा सकता।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल और बिहार से झारखंड काटकर तीन नए राज्य बनाने वाले विधेयक माननीय गृह मंत्री प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मेरा इन विधेयकों के प्रस्तुतीकरण के समय विरोध है। सिद्धान्ततः समाजवादी पार्टी भी छोटे-छोटे राज्यों की पक्षधर है, लेकिन इस परिस्थिति में इन राज्यों का बनाया जाना सामयिक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में तनाव की स्थिति व्याप्त है। कश्मीर की विधान सभा ने स्वायत्तता का प्रस्ताव पास किया है। इससे पहले तमिलनाडु विधान सभा भी इसी प्रकार का प्रस्ताव पास कर चुकी है। उड़ीसा विधान सभा में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ है कि बिहार के जिन भागों में उड़िया भाषा बोली जाती है, उन भागों को उड़ीसा में शामिल किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि इन 3 राज्यों के बावजूद भी यह सिलसिला खत्म नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश को आप चार-पांच हिस्सों में बांट दें, तो भी काम नहीं चलेगा। जैसा डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा, उ.प्र. के एक हिस्से से बुंदेलखंड बनाने की मांग की जा रही है। इसी प्रकार दूसरे प्रान्तों, जैसे पूर्वोत्तर प्रान्तों से बोडोलैंड और गोरखालैंड बनाने की मांग की जा रही है जब कश्मीर में स्वायत्तता का प्रस्ताव पास किया गया, तो असम एवं पंजाब से भी इसी प्रकार की आवाजें उठीं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह सब इसलिए कह रहा हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार देशी और विदेशी कर्जे में डूबी हुई है। सरकार पर 99 बिलियन रुपये का विदेशी कर्जा है। नए राज्य की विधान सभा, सिविल सचिवालय, हाइकोर्ट आदि अनेक बिल्डिंगें बनानी पड़ेंगी। यह सरकार इतनी दौलत कहां से लाएगी, यह मेरी समझ से परे है।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के राज्यों को बनाकर जो काम किया जा रहा है यह पूरे देश को बांटने और तोड़ने की साजिश की जा रही है जिसका समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से विरोध करेगी।

[श्री रामजीलाल सुमन]

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस सवाल के बाद पूरे हिन्दुस्तान में जगह-जगह आन्दोलन होंगे, खून-खराबा होगा। विभिन्न प्रांतों से इस प्रकार की और मांगे उठेंगी जिनकी पूर्ति करना असंभव है। मैं पूरी सख्ती के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 की पुरःस्थापना का विरोध करता हूं। मेरे विरोध के कुछ वैध आधार हैं। वर्ष 1950 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 1956 से पूर्व मेरा जिला बिहार में था और 1 नवम्बर 1956 को इसका पश्चिम बंगाल में विलय कर दिया गया था। मानभूम को धनबाद और पुरूलिया, दो जिलों में विभाजित कर दिया गया था। उस समय राज्यों के पुनर्गठन का

उस समय भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन

परन्तु अब इसका आधार क्या है? उद्देश्य और कारणों के कथन में क्या कहा गया है? यहां कारणों अथवा उद्देश्यों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अब वह मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक क्यों ला रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग इसकी मांग कर रहे हैं। यदि आप यह कहते हैं कि विभिन्न राज्यों की ओर से इसकी मांग की जा रही है तो भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों नहीं किया? इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन का आधार क्या है।

इसके उद्देश्य और कारणों के कथन में यह बताया गया है:

"राष्ट्रपति ने 25 अक्तूबर, 1999 को संसद में दिए गए अपने अभिभाषण में यह घोषणा की थी कि नया छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र ही आरम्भ की जाएगी। विधेयक उस प्रतिबद्धता को प्रभावी बनाने के लिए है।"

माननीय राष्ट्रपति द्वारा संसद में दिए गए अभिभाषण में महिलाओं को आरक्षण देने सहित कई मामलों के बारे में वायदे किए गए थे। उन्होंने लगभग दस माह पहले एक विधेयक पुरः स्थापित किया था। अब वे विधेयक को पारित नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार कई वायदे किए गए थे। सरकार इस प्रकार वायदों को चुनकर क्यों पूरा कर रही है? मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके उद्देश्य और कारण क्या हैं?

"1. इस विधेयक का उद्देश्य विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य को दो पृथक राज्यों में पुनर्गठित करने के लिए है।

2. यह विधेयक दोनों राज्यों के राज्य क्षेत्रों के लिए उपबन्ध करता है तथा संसद और राज्य विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व से संबंधित आवश्यक अनुपूरक और आनुषंगिक उपबंध करता है।

3. विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य का प्रस्तावित पुनर्गठन छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा करेगा।"

इसका यही एकमात्र कारण हो सकता है और इसके अलावा राज्यों के पुनर्गठन का कोई और वैध कारण नहीं है।

मेरी पार्टी छोटे राज्यों के गठन के खिलाफ है। हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इस सभा में शायद संयुक्त मोर्चे की सरकार द्वारा गृह मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को राज्य का दर्जा देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में विधेयक पुरःस्थापित किया था और गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक पर वाद-विवाद के उत्तर में ऐसा आश्वासन दिया गया था। एक वादा किया गया था परन्तु अब तक यह पूरा नहीं हो पाया है। अतः इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का कोई वैध कारण नहीं है।

महोदय, इसके अलावा, मेरे सहयोगी श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक प्रासंगिक बात कही है कि इस विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं ली गई है। हम यह कैसे जान सकते हैं कि राष्ट्रपति ने इस विधेयक की सिफारिश की है? गत सत्र में जब माननीय गृह मंत्री ने इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रयास किया था तो उस समय विधेयक में राष्ट्रपति की सिफारिश थी। परन्तु अब इस विधेयक को पुनः मुद्रित किया गया है - यह वही विधेयक नहीं है जिसे माननीय गृह मंत्री पिछले सत्र में पुरःस्थापित करना चाहते थे और इस पुनः मुद्रित विधेयक में राष्ट्रपति की सिफारिश को अंतर्विष्ट नहीं किया गया है।

महोदय, राज्यों के पुनर्गठन से अनेक समस्याएं खड़ी हो जायेंगी। विभिन्न अन्य राज्य जैसे आंध्र प्रदेश भी इसी प्रकार की मांग करेंगे - मैं नहीं जानता कि आंध्र प्रदेश के सदस्य चुप क्यों हैं - पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से भी इसी प्रकार

की मांगें आयेंगी। अब उत्तर प्रदेश के एक और विभाजन की मांग पहले ही है। बिहार राज्य में पहले से ही मिथिलांचल के लिए मांग है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में पृथक बुंदेलखंड की मांग है।

[हिन्दी]

कितने आ जाएंगे। इसलिये हम इसका विरोध करते हैं। हम गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस तरह का बिल न लाएं। उसे वापिस ले लें। हमारे देश में ऐसी समस्या मत खड़ी कीजिए।

[अनुवाद]

इस देश का विभाजन मत कीजिए। हम एक संगठित भारत चाहते हैं। राज्यों के पुनर्गठन से अनेक समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, और विघटनकारी प्रवृत्तियां सिर उठाएंगी और विभिन्न राज्यों से भी मांगें आयेंगी। हमारे समक्ष पहले से ही अनेक समस्याएं हैं और इस कारण से और नई समस्याएं खड़ी हो जायेंगी।

महोदय, सामान्यत: इस सरकार के समक्ष और विशेषत: माननीय गृह मंत्री के समक्ष मेरा यह विनम्र निवेदन है कि उन्हें इस प्रकार के विधेयक प्रस्तुत नहीं करने चाहिए।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मैं इस विधेयक का प्रस्तुत किये जाने के स्तर पर ही विरोध करता हूं। इससे हमारे देश को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। इससे देश की एकता और अखण्डता कमजोर होगी। वर्तमान सरकार के हाथों में इस देश की एकता और अखण्डता खतरे में है। यह सच है।

महोदय, विधायी सक्षमता और माननीय राष्ट्रपति की सिफारिश के अतिरिक्त, जैसा कि मेरे माननीय सहयोगियों ने उल्लेख किया है - मैं उन सब बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री इसमें सिफारिश के न होने और ऐसी अन्य बातों जिनसे देश की एकता और अखण्डता खतरे में है के संदर्भ में उत्तर देंगे। ऐसा इसलिये है क्योंकि इस देश की जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाएं कई वर्षों से विभिन्न तरीकों से व्यक्त की जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर भाषा संबंधी आकांक्षाओं का मामला लें। विभिन्न वर्गों के लोगों की मांगें है कि उनकी मातृभाषा को मान्यता प्रदान की जाये। किन्तु इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और ऐसे अन्य स्थानों की जनता निरंतर ही राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग कर रही है। किन्तु उन्हें प्रत्युत्तर नहीं दिया जा रहा है यद्यपि इसी सभा में इस बारे में आश्वासन दिया गया है। इसके कारण अनेक समस्याएं खड़ी हो जायेंगी। इससे राज्यों के विकास में सहायता नहीं मिलेगी। इससे जनता की उचित लोकतांत्रिक अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता नहीं मिलेगी। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, इससे केवल और समस्याएं ही खड़ी होंगी। आज की स्थिति में जब साम्राज्यवादी शक्तियां इस देश में अस्थिरता का वातावरण बनाने का प्रयास कर रही हैं, छोटे राज्यों का उपयोग परोक्ष उद्देश्यों के लिये किया जायेगा। ऐसा समाचार पत्रों में दिया गया है कि अमरीकी साम्राज्यवादी शक्तियों के इशारे पर जम्मू और कश्मीर राज्य में कुछ घटनाएं घटी हैं। आप जानते हैं कि ऐसी बातें किस प्रकार हो रही हैं। ऐसा समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है। माननीय गृह मंत्री सभा में इनसे इंकार कर सकते हैं लेकिन ऐसा समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि यह उन्हीं का प्रस्ताव था कि जम्मू और कश्मीर को तीन राज्यों में बांटा जाना चाहिए।

हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार दिल्ली में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने गोरखालैण्ड आंदोलन को बढ़ावा दिया था और किस प्रकार पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार की सहायता से स्वशासी परिषद बना कर आंदोलन कर रहे व्यक्तियों की लोकतांत्रिक अपेक्षाओं को पूरा किया था ...*(व्यवधान)* यदि यह कार्यान्वयन कर दिया गया तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बहुत से स्थानों से छोटे राज्यों की बहुत सी मांगे आयेंगी। इससे देश की एकता और अखण्डता मजबूत नहीं होगी। अत: मेरी पार्टी छोटे राज्य बनाए जाने का विरोध करती है। छोटे राज्य बनाए जाने से बेरोजगारी की समस्या हल करने में मदद नहीं मिलेगी। सरकार हमारी अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। उद्योग समाप्त हो रहे हैं। इस सरकार द्वारा छोटे और कुटीर उद्योगों को तबाह किया जा रहा है। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि देश को और बिखरने न दिया जाये और देश में विघटनकारी और अलगाववादी शक्तियों को बढ़ावा न दिया जाये। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यह विधेयक वापस ले लिया जाये। हम इस मुद्दे पर सभा में विचार करें और यह पता लगाएं कि जनता की लोकतांत्रिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये क्या सही है और किस प्रकार हम उनकी अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमति देती है तो गृह मंत्री तीनों विधेयकों पर एक साथ उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे सबसे पहले सभा की राय जानने दीजिए।

...(*व्यवधान*)

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महोदय, आप इस विधेयक के बारे में राष्ट्रपति की सिफारिश न होने के प्रश्न के संबंध में अपना निर्णय दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल): अध्यक्ष महोदय, हमें भी दो मिनट दे दें।

[अनुवाद]

ोदय : अब मंत्री महोदय अपना उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उसके बाद रिप्लाई दे देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस स्थिति में मैं केवल उन सदस्यों को बुला सकता हूं जिन्होंने नोटिस दिये हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : यह बहुत गम्भीर सवाल है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): यह राज्यों के बंटवारे का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया, फिर कैसे बुला सकता हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह : मान्यवर, उत्तर प्रदेश के विभाजन का सवाल है। हम आपसे आग्रह करते हैं। आज पूरे देश के अंदर स्वायत्ता की बात छिड़ी हुई है। जिस तरह से जम्मू-कश्मीर की विधान सभा में वहां का स्वायत्ता प्रस्ताव पारित हुआ ...(*व्यवधान*)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : हमें भी बोलने का मौका दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति की सिफारिश के संबंध में डा. रघुवंश प्रसाद सिंह की आपत्ति के संबंध में, नियम 348 के अंतर्गत विधेयक के संबंध में यदि राष्ट्रपति की सिफारिश, विधेयक के मुद्रित हो जाने के बाद प्राप्त होती है तो उसे बुलेटिन भाग-दो, में अधिसूचित किया जाना चाहिये। इन तीनों विधेयकों को प्रस्तुत किये जाने के लिए आवश्यक राष्ट्रपति की सिफारिश माननीय गृह मंत्री से प्राप्त हो गई थी और 16.5.2000 के लोक सभा बुलेटिन भाग-दो के पैराग्राफ संख्या 888, 889 और 890 में सम्मिलित कर ली थी।

अतः डा. रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा की गई आपत्ति नामंजूर की जाती है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसे फिर से मुद्रित किया गया है ...(*व्यवधान*) महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है ...(*व्यवधान*)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ऐसा '*संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार*' पुस्तक में दिया गया है जिसमें कहा गया है:

> "परन्तु किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये अनुमति का प्रस्ताव रखने के लिये नयी सूचना की आवश्यकता है, जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति की मंजूरी या सिफारिश आवश्यक हो और पहले दी गई मंजूरी या सिफारिश प्रभावी न रही हो।"

जो पिछले सत्र में हुआ ...(*व्यवधान*) वह खत्म हो गया।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। आपकी आपत्ति नामंजूर की जाती है।

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानल): महोदय, कृपया मुझे भी बोलने का अवसर दें। मैं एक सर्वथा भिन्न प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अवसर दूंगा।

अब क्या हम मद संख्या 11—उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा करें?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और इससे संबंधित मामलों का प्रावधान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब, कुमारी मायावती।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्या मैं तीसरा विधेयक भी प्रस्तुत कर सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : हां, आप तीसरा विधेयक भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : या तो यह एक-एक करके प्रस्तुत किया जाए अथवा मैं तीनों विधेयक एक साथ प्रस्तुत करूंगा और जब उन पर वाद-विवाद होगा तो मैं उत्तर दूंगा। मैं पूरी तरह से आपकी इच्छानुसार चलूंगा। जैसा आप उचित समझें।

श्री के.पी. सिंह देव : विधेयक एक-एक करके प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि जो विधेयक का विरोध करने के लिये खड़े हुए हैं उनमें से बहुत से सदस्यों ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। किन्तु वे बिहार पुनर्गठन विधेयक और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के बारे में बोल रहे थे। अत: मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है कि मैं वैसे ही करूंगा जैसा आप उचित समझें।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया एक-एक करके उत्तर दें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं इसका उत्तर देता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): जी हां, महोदय, एक-एक करके ही उत्तर दिये जाने चाहिये। पुर:स्थापना भी एक-एक करके ही की जानी चाहिये क्योंकि मुद्दे अलग-अलग हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, अब आप मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के संबंध में उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान से सभी सदस्यों को सुन रहा था जिन्होंने इस मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के पुर:स्थापित होने पर भी आपत्ति उठाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अधिकांश सदस्यों ने सिद्धांतत: इसका विरोध नहीं किया। कुछ लोगों ने किया। कुछ लोगों ने तो कहा कि छोटे राज्य बनना यानि देश का विघटन होना है। कुछ ने कहा कि छोटे राज्यों के हम पक्ष में हैं लेकिन जिस प्रकार इन बिलों द्वारा प्रावधान किया जा रहा है, उसमें हमारे कुछ रिजर्वेशंस हैं और उसमें निर्णय करने से पहले कुछ सलाह-मशविरा करके करना चाहिए। ये जो दो अलग-अलग दृष्टिकोण आये और उसमें यह माना गया कि कुछ लोगों ने कहा कि आखिर देश भर में कई भागों में छोटे राज्यों की मांग है तो सरकार ने पिक एंड चूज क्यों किया? सरकार चयन क्यों कर रही है, बसुदेव आचार्य जी ने कहा। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा और मैं इस बात से परिचित हूं कि देश के अलग-अलग भागों में अलग-अलग कारणों से काफी राज्यों की मांग है। इतना हम सब जानते हैं कि सन् 1956 में जब राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद द्वारा पारित हुआ तो उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करते हुए हमने कहा था कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल वॉयबिलिटीज का ध्यान रखा जाएगा लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर उस समय लैंग्वेज था। निश्चित तौर पर भाषा को आधार मानकर राज्य का पुनर्गठन किया गया था।

कुंवर अखिलेश सिंह : लैंग्वेज को आधार माना गया।

अपराह्न 3.00 बजे

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बात पूरी कह लेने दीजिए। ...*(व्यवधान)* 1956 के बाद हमारे देश का जो नक्शा बना, वह आज तक चला है। उसके परिणामस्वरूप कुछ प्रदेश, खास तौर से हिन्दी भाषी प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बहुत बड़े प्रदेश बने, क्योंकि हिन्दी भाषी प्रान्त कोई था ही नहीं। इस कारण कहीं-कहीं विकास का कार्य असंतुलित हो गया और मांग खड़ी हुई कि हमारी उपेक्षा हो रही है। उत्तरांचल के आप किसी भी भाग में जाकर देखिए, वहां की जनता में प्रबल इच्छा है कि उत्तरांचल अलग राज्य बनना चाहिए। वही इच्छा छत्तीसगढ़ में भी है और वही इच्छा झारखण्ड में भी है। ...*(व्यवधान)* मैं पूरी बात कहूंगा।

श्री सानसुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : यही इच्छा बोडोलैंड के लोगों की है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यह स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि हमने न कोई चुना न चयन किया है।

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)* बात पूरी करने दीजिए।

हम कोई सिलैक्टिव नहीं हुए हैं। हमने एक कसौटी बनाई, जो मैं आपको बताता हूं। मैं अपनी पार्टी की बात सोचता, तो मेरी पार्टी हमेशा विदर्भ के पक्ष में रही है। ...*(व्यवधान)* प्रकाश अम्बेडकर जी इसकी मांग कर रहे हैं। हमने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका एक कारण है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया आप एक सैकंड के लिये मेरी बात सुनेंगे?

श महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, वे अपनी बात नहीं । आप पहले ही बोल चुके हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : एक भूतपूर्व गृह मंत्री ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को राज्य का दर्जा देने का वचन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही बोल चुके हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : उस द्वीपसमूह के लोग भी इंसान हैं। उनकी भी आकांक्षाएं हैं। आपने उनके लिये क्या किया है? लक्षद्वीप का भी मामला है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। वे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय; पहले तो मैं मध्य प्रदेश रिआर्गेनिजेशन बिल; जिसको मैंने इन्ट्रोड्यूस करने की मांग की है, उसका जिक्र करूंगा, क्योंकि मुझे कहा गया है कि बाकी दो के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। उस संदर्भ में अगर किसी ने अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप समूह की बात कही है, इसका जिक्र भी मैं उत्तर में कर दूंगा। इस समय तो मैं इतना ही कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में वहां की जनता की इच्छा है। यह बात सही है कि देश के और भागों में भी यही इच्छा है। हमने, इस सरकार ने, आरम्भ से लेकर एक कसौटी बनाई, अगर किसी एक क्षेत्र में इच्छा है कि वहां अलग प्रदेश बनना चाहिए और बाकी सारा प्रदेश उसके खिलाफ है, तो उसका मतलब है कि वहां पर कोई आम सहमति नहीं है। लेकिन अगर किसी एक प्रदेश में झारखण्ड में इच्छा है और वहां की विधान सभा ने भी कहा है कि झारखण्ड बनना चाहिए, मध्य प्रदेश की विधान सभा ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ बनना चाहिए, उत्तर प्रदेश की विधान सभा भी कहती है कि उत्तरांचल बनना चाहिए, तो हम अपने घोषणा पत्र में केवल उन्हीं राज्यों का उल्लेख करेंगे और किसी का उल्लेख नहीं करेंगे। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं यह बात नहीं सुन रहा हूं। यह उचित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर की विधान सभा ने भी दो-तिहाई बहुमत से स्वायत्तता का प्रस्ताव पारित किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। कृपया स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश सिंह, कृपया स्थान ग्रहण करें। यह क्या है? यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं उसका तर्क दे रहा था कि हमने क्यों पिक एंड चूज़ किया है। हमने एक निश्चित कसौटी के आधार पर निर्णय किया है और वह निर्णय पहले दिन से, जब से यह सरकार बनी तब से लेकर हमारा रवैया कंसिस्टेंट रहा है। यहां तक हमारे अपने जो अलग-अलग मत हैं - जैसे आज उड़ीसा का ज़िक्र किया, ठीक किया। उनकी विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया होगा, लेकिन उसके लिए अलग नहीं किया। मैंने उन्हें कहा कि इस समय हम उन्हीं चीजों को करेंगे, जिनके बारे में सारा का सारा एन.डी.ए. कमिटिड है, उसके बारे में हम जरूर पारित करेंगे।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, ये दृष्टिकोण हैं— एक तरफ मांग की गई कि स्टेट्स रीआर्गनाइजेशन कमीशन बनाना चाहिए और दूसरी तरफ मांग की गई कि किसी भी अलग राज्य को नहीं बनाना चाहिए। अगर कुछ करना चाहिए तो अंडमान और लक्षद्वीप को स्टेट का दर्जा दिया जाए, ये परस्पर विरोधी दृष्टिकोण हैं। जहां तक इस सरकार का सवाल है, सरकार का मत यह है आज की स्थिति में स्टेट रीआर्गनाइजेशन कमीशन निर्माण करना, एक प्रकार से पैंडोरास बॉक्स खोलना होगा, जो हम करना नहीं चाहते। लेकिन जहां निश्चित रूप से एकमत बना हुआ है, जनमत बना हुआ है, उसकी पुष्टि विधान सभा ने भी की है। ये वे तीन राज्य हैं। उनमें छत्तीसगढ़ के बारे में किसी भी प्रकार का अलग-अलग इलाकों पर कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उन पर चर्चा करते समय, जिस समय हम कंसीडरेशन के लिए लेंगे उस समय संबंधित सांसदों से सलाह करके हम कोई निर्णय करेंगे। हम चाहेंगे कि वहां की जनता की जो इच्छा है कि उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड बने, यह अवश्य पूरी हो। धन्यवाद।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित* करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी क्या आपत्ति है?

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वे इसे एक दलगत मुद्दा बना रहे हैं जबकि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है *...(व्यवधान)*। उन्होंने यह कहा है कि चूंकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ऐसा चाहता है इसलिए वे यह कर रहे हैं *...(व्यवधान)* क्या यह एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है? क्या यह एक दलगत मुद्दा है? उन्होंने यह कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यह चाहता है और इसलिए वे यह कर रहे हैं *...(व्यवधान)* यह हमें स्वीकार्य नहीं है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे *...(व्यवधान)* वे हमें उपयुक्त अवसर दिए बिना हम पर यह थोप रहे हैं। इसका विरोध करते हुए हम सभा से बाहर जाते हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.09 बजे

(इसके बाद, श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए)

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, हमारा दल इसके प्रति वचनबद्ध है ...*(व्यवधान)* गृह मंत्री ने कहा है कि समस्त राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को विश्वास में लिया गया था ...*(व्यवधान)* किंतु गृह मंत्री की उपस्थिति में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक घटक दल ने यह कहा है कि इस पर सर्वसम्मति नहीं हुई थी ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): नहीं। वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के ... हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह समता पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है, इसलिए हम इससे सहमत नहीं हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने जो बातें सदन के पटल पर रखी हैं, उनकी बातों का खंडन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्य माननीय प्रभुनाथ सिंह जी ने किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश, मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। आप बार-बार वैल में आ रहे हैं, क्यों?

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, राज्यों के विभाजन के जो विधेयक आ रहे हैं उनके हम विरोधी हैं। यह ठीक है कि माननीय गृह मंत्री जी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में आपने भी इसे पास किया। लेकिन जब हरिद्वार को अलग कर रहे हैं तो हरिद्वार का प्रस्ताव तो कहीं भी पास नहीं था। जब उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने हरिद्वार का प्रस्ताव पास नहीं किया तो आपने कैसे उसे शामिल कर लिया। उधमसिंह नगर के बारे में हमारी शुरू से मांग थी और माननीय गृह मंत्री जी ने भी जनता की भावना का आदर करते हुए कई बार इस बात को कहा था और जब 90 प्रतिशत ग्राम पंचायतें और वहां की जनता उत्तर प्रदेश में उधमसिंह नगर को रखना चाहती है तो आप उनकी भावनाओं के प्रतिकूल उसको उत्तराखंड में क्यों शामिल कर रहे हैं। इस तरह से तो तमाम सूबों की बात होगी। उपक्रम आप बेच रहे हैं। आप राजधानी नहीं बनाएंगे, गवर्नर हाउस नहीं बनाएंगे। पानी और बिजली को लेकर झगड़े पैदा होंगे। आपने पंडारा-बॉक्स तो खोल ही दिया है। उच्चतम न्यायालय आप कहां बनाएंगे?

अध्यक्ष महोदय : यह तो अभी इंट्रोडक्शन स्टेज है, चर्चा नहीं है। मुलायम सिंह जी, जब इस पर चर्चा होगी, तब आप बोलियेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : ठीक है, हम नियम का पालन करेंगे। लेकिन यह देश का बंटवारा है, इससे अलगाव पैदा होगा। ...*(व्यवधान)* उत्तराखंड कहां-कहां मिला हुआ है, आपको पता है, सोचा है आपने। पूरे के पूरे देश में अलगाव पैदा करने वाला यह प्रस्ताव है। इससे नयी-नयी मागें उठेंगी। आप कहां से राजधानी बनाएंगे, कहां से सचिवालय बनाएंगे।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक*

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:

> "कि विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल विधेयक का मैं समर्थन करती हूं। उसके विरोध में मैं खड़ी नहीं हुई हूं। मेरी पार्टी इस विधेयक का समर्थन करती है। हरिद्वार जिला और उधमसिंह नगर के बारे में जो मैंने माननीय गृह मंत्री जी से कहा था कि जब आप इनको पेश कराएंगे, इनको पास कराएंगे, तो इनके ऊपर रास्ता डैमोक्रेटिक तरीके से निकालेंगे, ऐसी मेरी रिक्वैस्ट है। फिर मेरी कोई आपत्ति नहीं है और मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड दो, दिनांक 25.7.2000 को प्रकाशित।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, उधमसिंह नगर को उत्तराखंड में रखने के सम्बन्ध में बड़ा भारी विरोध हुआ।**

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात नहीं है। यह गलत बात कह रहे हैं कि** अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाए।

श्री प्रमोद महाजन: **ये शब्द कार्यवाही में शामिल नहीं किए जाएं।

अध्यक्ष महोदय : हम इन्हें कार्यवाही से निकाल देंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): इसे लेकर जार्ज फर्नान्डीज कमेटी बैठी। उस कमेटी की रिपोर्ट कहां गई? उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्री इसके सदस्य थे। सरकार ने महसूस किया ...*(व्यवधान)* उधमसिंह नगर का मामला प्राइमाफेसी का बनता है। सरकार ने एक काबीना मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी। इस कमेटी की रिपोर्ट कहां गई? वह रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। सरकार इसे इंट्रोड्यूस कराने की जिद क्यों कर रही है? मैं यहां तकनोकी मामले फिर से पढ़ना चाहता हूं। पेज नम्बर 811 में लिखा है:

[हिन्दी]

> "सूचनाओं का व्यपगत होना - सभा के सत्रावसान पर विधेयक पुर:स्थापित करने के अनुमति के प्रस्ताव की सूचना को छोड़, सभी लंबित सूचनायें व्यपगत हो जाती हैं और यदि सम्बद्ध सदस्य अगले सत्र में इसको उठाना चाहें, तो उन्हें वही सूचनाएं फिर से देनी पड़ती है"।

[हिन्दी]

माननीय आडवाणी जी ने फ्रैश नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

"परन्तु किसी ऐसे विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए अनुमति का प्रस्ताव रखने के लिए नयी सूचना की आवश्यकता है-

[हिन्दी]

इन्होंने अभी लीव मांगा है-

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

जिसके संबंध में राष्ट्रपति की मंजूरी या सिफारिश आवश्यक हो और यदि ऐसी मंजूरी या सिफारिश-

[हिन्दी]

पहले जो प्रेजीडैंट का रिकमंडेशन आया, वह पूर्व सत्र में इन्होंने बुलेटिन में प्रकाशित किया है-

[अनुवाद]

प्रभावी न रही हो।

[हिन्दी]

कानून कह रहा है कि वह ऑपरेटिव नहीं रहेगा। प्रिंटिंग ऑफ दी रिकमंडेशन ऑफ बिल के बारे में मैं फिर से प्रार्थना कर रहा हूं।

[अनुवाद]

"किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने अथवा उस पर विचार करने हेतु राष्ट्रपति की प्रत्येक सिफारिश सदस्यों की सूचना के लिए विधेयक के साथ छापी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : आप उसी आपत्ति को उठा रहे हैं जिसके लिए पहले ही निर्णय दे दिया गया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसमें कहा गया है:

> "सम्बद्ध मंत्री महासचिव को वह सिफारिश भेजते समय जो पत्र लिखता है, वह विधेयक में उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के बाद अक्षरश: छापी जाती है। उन मामलों में जब सिफारिश समय पर नहीं मिलती और विधेयक के साथ नहीं छापी जा सकती, उसे संसदीय समाचार में प्रकाशित कर दिया जाता है। यहां भी सिफारिश का पत्र अक्षरश: छापा जाता है।"

[हिन्दी]

वह रिकमंडेशन कहां है? ऑबजैक्ट्स एण्ड रीजन्स के बाद इसे रहना चाहिए। इसमें एक पैरा और है।

[अनुवाद]

> "किसी विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए आवश्यक, राष्ट्रपति की सिफारिश उस स्थिति में वापिस ले ली जाती है जब विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है।"

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

[हिन्दी]

यह इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा तो कानून कहता है कि इसे वापस लेना होगा। मेरी प्रार्थना है कि आप सरकार के पाप में भागीदार न बनें। आप देश और जनतंत्र को देखने वाले हैं। आप लोकतंत्र की परम्परा और संसदीय प्रणाली के संरक्षक हैं। कानून की किताब के पेज नम्बर 811, 812 और 813 में जो उल्लेख किया गया है, उस नियम की धज्जियां उड़ाने की इजाजत इस सरकार को न दी जाए। आप इन्हें कि वह इस बिल को वापस ले ले और इस पर कनसैंसस बनाएं। इसके बाद राष्ट्रपति की रिकमंडेशन मंगा कर विचार करना उचित होगा। यही मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

[अध्य]क्ष **महोदय** : अपनी आपत्ति के समर्थन में आपने कौल [और शक]धर की किताब के पृष्ठ–811, 812 और 813 को उद्धृत किया है। किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव रखने संबंधी लंबित सूचना व्यपगत नहीं होती है। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने नियम 335 का उल्लेख किया है जिसमें यह बताया गया है कि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव रखने हेतु एक नई सूचना देने की जरूरत तब होगी यदि विधेयक पुरःस्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश प्रभावी न रही हो।

तीनों विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की सिफारिश प्रभावी है। अतः इन विधेयकों के पुरःस्थापित करने के लिए किसी नई सूचना की जरूरत नहीं है। इन विधेयकों को केवल इसलिए पुनः छापा गया है क्योंकि इन विधेयकों की प्रतियां पूर्व संसद सत्र के दौरान सभा में वितरित की गई थीं, ये प्रतियां समाप्त हो गई हैं तथा और प्रतियों की मांग की गई है।

अब श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे। इन्होंने एक अलग सूचना दी है।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोज़ाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैंने छत्तीसगढ़ राज्य का विरोध किया और उत्तरांचल प्रदेश का भी घोर विरोध करता हूं। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जब हम राज्यों को बना रहे थे तो सब लोगों से सलाह-मशविरा किया था लेकिन श्री प्रभुनाथ सिंह जी, जो उनके सहयोगी दल के सम्मानित सदस्य हैं, ने बीच में कहा कि जो सरकार में शामिल घटक दल हैं, उनमें से किसी से कोई बात नहीं की गई, किसी को विश्वास में नहीं लिया गया। जैसा श्री मुलायम सिंह जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में जो उत्तरांचल विधेयक पास हुआ था तथा राज्य पुनर्गठन किया गया, उससे इसकी शक्ल में फर्क है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर अभी तक विवादास्पद हैं। यह 100 करोड़ लोगों का देश है। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को इसमें इतनी जल्दी क्यों थी कि 100 करोड़ लोगों को विश्वास में लेने का काम सरकार ने नहीं किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ही पूरा देश नहीं है। अगर सभी राजनैतिक दलों से सलाह-मशविरा किया होता, लोगों के इस सवाल पर विचार किया जाता और अगर सर्वसम्मत चर्चा होती तो बात समझ में आ सकती थी। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश और हिन्दी भाषी प्रदेशों में सरकारी कर्मचारियों को देने के लिये वेतन नहीं है, विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। यह जो खरबों रुपये का खर्चा होने वाला है, इसे कौन वहन करेगा? सरकार पर खरबों रुपया विदेशी कर्ज बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी कीमत पर इन राज्यों का पुनर्गठन किया जाना सामयिक नहीं है। सरकार पहले इन बातों पर विचार करे, उसके बाद सदन में बिल लाये तो बेहतर होता। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूं। पहले विधेयक के उत्तर में गृह मंत्री जी ने मेरे द्वारा उठाए गए किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं उद्देश्य और कारणों के बारे में जानना चाहता हूं। उन्होंने इसका कारण लोगों की इच्छा और राज्य विधान सभा द्वारा पारित संकल्प बताया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा ने उत्तरांचल के गठन के बारे में एक संकल्प पारित किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संकल्प में विशेष रूप से यह बताया गया है कि ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार को भी नए उत्तरांचल राज्य में शामिल किया जाए? अब यदि ऐसा है तो सरकार ने रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त क्यों की? उन्होंने भी एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की। हमने समाचार-पत्रों में यह पढ़ा है कि उन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें की हैं। किंतु उस समिति द्वारा क्या निर्णय लिया गया? गृह मंत्री ने इसका उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख नहीं किया है कि क्या रक्षा मंत्री ऊधमसिंह नगर के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए। आज, संसद भवन आते समय, मैंने हजारों लोगों को दिल्ली की गलियों में भारी प्रदर्शन करते देखा। वे नए उत्तरांचल राज्य में ऊधमसिंह नगर को शामिल करने का विरोध कर रहे थे। गृहमंत्री जी ने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, उत्तर

प्रदेश का पुनर्गठन करने का क्या आधार है? ऐसा क्यों किया गया? वे यह कह रहे हैं कि किसी राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है तो इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाएंगी। किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन का एक औचित्य तो है क्योंकि यह एक आधार की सिफारिश करेगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पर आपकी क्या आपत्ति है?

श्री बसुदेव आचार्य : उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग का आधार भाषा था। किंतु अब आधार क्या है? यहां तक कि राजग भी एकमत नहीं है। राजग के घटक दलों के बीच सर्वसम्मति नहीं है। श्री प्रभुनाथ सिंह पहले ही आपत्ति कर चुके हैं और मेरे मित्र, श्री देवेन्द्र यादव भी समर्थन नहीं कर रहे हैं और तेलुगु देशम पार्टी मूक है। वे प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन नहीं कर रहे हैं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम्): हमने इसके लिए नोटिस नहीं दिया है। किंतु चर्चा के समय हम अपनी नीति का खुलासा करेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : किंतु आप राज्यों के पुनर्गठन का पूरा समर्थन नहीं कर रहे हैं। आपकी एक अलग राय है। इसी प्रकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की भी एक राय नहीं है। फिर, सरकार ऐसा पक्षपातपूर्ण कदम क्यों उठा रही है? यह देश की एकता और अखंडता को बर्बाद कर देगा। इससे अनेक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इस सभा में यह वचन दिया गया था और यह इस सभा की इच्छा है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप को राज्य का दर्जा दिया जाए ...*(व्यवधान)* हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी लक्षद्वीप के हैं। अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप को राज्य का दर्जा दिया जाए। यह इस सभा की इच्छा थी। किंतु वर्तमान गृहमंत्री, श्री आडवाणी जी पूर्व गृहमंत्री द्वारा इस सभा में दिए गए वंचन को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कृपया अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप को राज्य का दर्जा देने में अपनी कठिनाई बताएं। मैंने विधेयक पुर:स्थापित किया था और उस समय उपस्थित सभी दलों में इस मुद्दे पर सर्वसम्मति थी। उसे लागू नहीं किया जा रहा है अपितु एक पक्षपातपूर्ण राय - जोकि सारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राय नहीं है क्योंकि इसे गठबंधन के समक्ष नहीं लाया गया - को लागू किया जा रहा है। श्री जार्ज फर्नान्डीज, आपकी समिति का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और आप नियमों और प्रक्रिया को भली-भांति जानते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : श्री जार्ज फर्नान्डीज, आपको समिति का सभापति बनाया गया और आपने मुख्यमंत्री से मुलाकाल भी की। आपने क्या किया? इसका ब्यौरा यहां नहीं दिया गया। मैं गृह मंत्री से इस पक्षपातपूर्ण विधेयक को पेश न करने का अनुरोध करता हूं। यह अनेक समस्यायें पैदा करेगा। यह देश को विभाजित कर देगा। कृपया ऐसा न करें। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं पांच आधारों पर विधेयक का विरोध करता हूं। प्रथम, यह भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण है। यह देश के लोगों की प्रजातांत्रिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं करता है। द्वितीय, इस विशेष मुद्दे पर लोगों के बीच या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के भागीदारों के बीच कोई आम राय नहीं है। तृतीय, यह इस विशेष राज्य, उत्तर प्रदेश या नए प्रस्तावित राज्य के विकास में मदद देने नहीं जा रहा। चतुर्थ, अनुमति के इस पिटारे के खुलने से देश की एकता और अखण्डता गंभीर खतरे में होगी जिसका इस्तेमाल विदेशी एजेन्सियों द्वारा देश को अस्थिर करने के लिए किया जाएगा। पंचम, सरकार ने इस समस्या की तह तक जाने और ब्यौरे जानने के लिए एक समिति गठित की है। इस सभा को सिफारिशों की जानकारी दी जानी चाहिए। इस सभा को उनके बारे में जानने का हक है। केवल एक पूर्ण चर्चा और सभा के विभिन्न पक्षों के बीच आम राय के बाद, और ऐसे लोगों की आकांक्षाओं के भी अनुकूल जो इन चीजों की मांग कर रहे हों, हम एक ऐसा विधेयक ला सकते हैं जो देश के लिए मददगार हो।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, बाकी विषयों की तो मैंने पहले चर्चा की है लेकिन मुलायम सिंह जी ने और रूपचन्द पाल जी ने जो बातें कहीं, उनके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में बंटवारा केवल 1947 में हुआ। 1956 में कोई बंटवारा नहीं हुआ। देश का बंटवारा 1947 में अवश्य हुआ। उस समय पता नहीं रूपचन्द पाल नहीं होंगे, लेकिन उनकी पार्टी का क्या दृष्टिकोण था, उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा। लेकिन 1956 में जब देश भर के राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उसको कोई बंटवारे का नाम दे तो मैं कहूंगा कि यह भारी अन्याय है। उसी प्रकार से ये जो तीन विधेयक हैं, उन तीन विधेयकों में उन क्षेत्रों की इच्छा, वहां की विधान सभा की इच्छा, उसमें थोड़ी बहुत मतभेद हो सकता है कि हरिद्वार जाए या न जाए लेकिन उत्तरांचल बनना चाहिए और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति उसके खिलाफ नहीं है और शायद इस सदन में भी मार्क्सवादियों को छोड़कर कोई इसके खिलाफ नहीं है। आज हम इस बिल की

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

मेरिट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं और साधारणतः जब इंट्रोडक्शन होता है तो इंट्रोडक्शन पर आपत्तियां उठती हैं तो केवल मात्र कांस्टीट्यूशनल और लीगल उठती हैं और इसीलिए जिस समय कहा गया कि राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत थी, नहीं ली गई तो मुझे तुरंत लगा कि मुझे देखना चाहिए कि इसमें कौन सी कमी रही और स्वयं आपने रूलिंग दी। मैं समझता हूं कि उससे बात स्पष्ट हो जानी चाहिए थी। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं सिवाय इसके कि मैं चाहूंगा कि जिस समय ये तीनों विधेयक पारित हों तो उस समय जितनी सहमति बन सके उतनी सहमति बनाकर हम इन्हें पारित करें। उस समय कोई जल्दबाजी करने का सवाल नहीं है। लेकिन इन तीनों क्षेत्रों की जो इच्छा है उसमें हमें बहुत ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए और उत्तरांचल राज्य बनाना चाहिए।

सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : बोडोलैण्ड का क्या करेंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपकी बात का आदर करता हूं। उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण जल्दी हो, यह मैं आशा करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है:

"विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे सम्बन्धित मामलों हेतु विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

बिहार पुनर्गठन विधेयक**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मद सं. 12 पर चर्चा करेगी। श्री एल.के. आडवाणी।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड 2, दिनांक 25.7.2000 में प्रकाशित।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यमान बिहार राज्य के पुनर्गठन तथा उससे सम्बन्धित मामलों हेतु विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के समर्थन में हूं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है और मैंने जैसा पहले बताया, यदि कुछ आपत्ति भी है तो जब विधेयक पास किया जाएगा तो उस आपत्ति को विधेयक पास करने से पहले दूर कर लिया जाए और मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ी हुई हूं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 का, जिसे माननीय गृह मंत्री द्वारा पेश करने की अनुमति मांगी गई है, दो कारणों से विरोध करता हूं।

प्रथमतः, इतिहास ने उड़ीसा को, वहां की अर्थव्यवस्था, भाषा, संस्कृति आदि को काफी हानि पहुंचायी है और हम आशा करते हैं कि यह सम्मानित सभा देश के इस बड़े क्षेत्र को हुई हानियों में से कुछ की भरपाई करेगी। यहां के लोग बेहद शान्त हैं। इस बिहार पुनर्गठन विधेयक के अन्तर्गत, सरकार एक नए झारखण्ड राज्य के सृजन का प्रस्ताव रखती है। सरायकला और खर्सावान के लोग उड़ीसा के साथ थे जब बिहार और उड़ीसा राज्य एक साथ थे। ऐसा नहीं था कि बिहार उड़ीसा के अन्तर्गत था, बल्कि यह बिहार-उड़ीसा राज्य था। यह उड़ीसा प्रभाग के अन्तर्गत था और 1936 में भी यह उड़ीसा के अन्तर्गत एक सहयोगी राज्य था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी, सरायकला और खर्सावान उड़ीसा में सम्मिलित हुआ। 1948 में, मयूरभंज चूंकि कुछ कारणों से उड़ीसा में सम्मिलित नहीं हुआ था, इसे अस्थायी तौर पर केन्द्र सरकार को सौंप दिया गया। केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से कुछ समय के लिए इसे बिहार के सुपुर्द कर दिया। चालाक राजनीतिज्ञों ने उड़ीसा को काफी नुकसान पहुंचाया है और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबन्धन के भागीदार के रूप में, इस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई होगी।

महोदय, मैं मांग करता हूं जब झारखंड का नया राज्य का सृजन किया जाए तो सरायकला और खर्सावान उड़ीसा को हस्तान्तरित किया जाए। अभी, उड़ीसा राज्य पर बीजद और भाजपा की गठबंधन सरकार का शासन है। उड़ीसा की विधान सभा ने सरायकला और खर्सावान को उड़ीसा को हस्तान्तरित किए जाने की मांग करते हुए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है। उड़ीसा में, भाजपा, बीजद और अन्य सभी राजनीतिक दलों ने भी इनके हस्तान्तरण की

मांग करते हुए सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किए हैं। वस्तुत:, सरायकला तथा खर्सावान बड़े क्षेत्र नहीं हैं। वे पश्चिमी सिंहभूम जिले के बहुत छोटे क्षेत्र हैं। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है, तो हमें निराशा होगी। इसलिए, मैं गृह मंत्री को सावधान करता हूं और उन्हें ड्राइडेन के प्रसिद्ध उद्धरण जिन्होंने इसे 300 वर्ष पूर्व कहा था, की याद दिलाना चाहता हूं। मैं इसे यहां उद्धृत करता हूं:

> ''शान्त व्यक्ति के क्रोध से सावधान रहो; एक दिन आएगा जब शान्त व्यक्ति अत्यन्त क्रुद्ध हो जाएगा और परमाणु बम की तरफ फूट पड़ेगा।''

इसलिए, सरायकला और खर्सावान—उड़ीसा को वापस हस्तान्तरित किया जाना चाहिए। मैं झारखंड राज्य के सृजन के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं उस विधेयक के खिलाफ हूं जिसमें सरायकला और खर्सावान उड़ीसा को हस्तान्तरित किए जाने का उपबंध शामिल नहीं है।

दूसरा कारण काफी विशिष्ट है जिससे मैं विधेयक पेश किए जाने पर आपत्ति कर रहा हूं। मैं आपका ध्यान लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 69 की ओर दिलाना चाहता हूं:

> ''(1) जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खण्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।''

कृपया मुझे वह विधेयक दिखाएं जिसमें वित्तीय ज्ञापन का उल्लेख है और क्या नियम 69 की भाषा और भावना को सम्मिलित किया गया है। यदि इसे सम्मिलित नहीं किया गया है तो यह नियमों के विरुद्ध है। कृपया इसकी घोषणा यहां और अभी कीजिए। यदि मैं गलत हूं, तो मुझे भी सुधारिए यदि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम में उल्लिखित नियम के विपरीत कोई अन्य निर्णय हो उसे भी सुधारें। इसलिए, मैं आपसे नियमों को पढ़ने का अनुरोध करता हूं। कृपया विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति न दें। इस तरह, इसका सत्यापन किया जाना चाहिए और सरायकला और खर्सावान उड़ीसा को हस्तान्तरित किया जाना चाहिए। झारखंड का सृजन तभी हो सकता है।

वित्तीय ज्ञापन में क्या समाविष्ट होना चाहिए। उस विशिष्ट क्षेत्र में, कितने राजस्व की उगाही की जा रही है? कितनी राशि उस क्षेत्र में खर्च की जा रही है? उस राज्य के सृजन के तत्काल बाद, उस क्षेत्र में कितनी राशि खर्च की जाएगी। ये सभी चीजें—दोनों आवर्ती और अनावर्ती व्यय दर्शाने वाली - सम्मिलित की जानी चाहिए। कम से कम एक सांकेतिक राशि अवश्य होनी चाहिए। लेकिन यह वहां नहीं है। कृपया वित्तीय ज्ञापन पूरा पढ़ें। इसमें उस भाषा और भावना में वैसा नहीं कहा गया है। इसलिए, कृपया विधेयक को अस्वीकृत कर दें और विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति न दें।

[हिन्दी]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं सैद्धांतिक रूप से बिहार रिआर्गनाइजेशन बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। पिछले कई दशकों से बिहार के आदिवासी, जनजाति लोग मुख्यतया इसी झारखंड प्रदेश के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। यह ऐतिहासिक कार्य आज सरकार करने जा रही है। मैं इस बिल का इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि 53 साल पहले जो अन्याय उड़ीसा के साढ़े तीन करोड़ लोगों के प्रति हुआ और सिंहभूम जिले के सराइकलां और खरस्वां प्रिंसली स्टेट जहां लाखों उड़िया लोग रहते हैं, उनके प्रति जो अन्याय हुआ था, उस अन्याय को दूर करने के लिए यह जो ऐतिहासिक मौका है, उस मौके का उपयोग सरकार नहीं करना चाहती। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

जैसा अभी कानूनगो जी ने कहा कि सराईकलां और खरस्वां जिले की संस्कृति उड़िया है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां ज्यादातर उड़िया भाषा-भाषी लोग रहते हैं, उनकी परम्परा उड़ीसा की परम्परा है। वह टेक्नीकली एक है, ऐथिकली एक है, कल्चरली एक है। वह उड़ीसा का एक अभिन्न अंग है। जब आजादी के बाद सरदार पटेल के नेतृत्व में उस स्टेट का उड़ीसा में मर्जर हुआ तब सराईकलां के राजा ने और खरस्वां के राजा ने इसी शर्त पर यूनियन गवर्नमैंट के साथ मर्जर किया कि उनका राज्य उड़ीसा प्रदेश में रहना चाहिए लेकिन शायद सराईकलां और खरस्वां दो ऐसे प्रिंसली राज्य हिन्दुस्तान में थे जिनके राजा की मर्जी के खिलाफ, शर्त के खिलाफ उड़ीसा से निकालकर बिहार में मिला दिया गया और यह कारण दिखाया गया कि उनका टेरीटोरियल कनेक्शन उड़ीसा के साथ नहीं है क्योंकि मयूरभंज का जो राजा था उसने उड़ीसा के साथ मर्जर के लिए देरी की। जब एस.आर.सी. हुआ, सीमा आयोग बना, सीमा आयोग की जो रिपोर्ट है, वह भी यूनेनीमस रिपोर्ट नहीं है। उस समय भारत के राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद जी थे जो कि बिहार के थे। मैं यह सब नहीं कहना चाहता लेकिन किस कारण के लिए उड़िया भाषा-भाषी इलाके को उड़ीसा से छीनकर ले लिया गया? अभी गृह मंत्री जी बता रहे

[श्री मुलायम सिंह यादव]

थे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा ने उत्तरांचल राज्य के लिए प्रस्ताव पारित किया, मध्य प्रदेश विधान सभा ने भी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रस्ताव पारित किया है, बिहार विधान सभा ने भी झारखंड राज्य के लिए प्रस्ताव पारित किया है। इन विधान सभाओं के प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को इज्जत देनी चाहिए, यह सही बात है। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि उड़ीसा की विधान सभा ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है और उड़ीसा की कैबिनेट ने भी प्रस्ताव पारित किया है। उड़ीसा की हर पोलीटिकल पार्टी, स्टेट लैवल की पोलीटिकल पार्टी, ऑल इंडिया नैशनल लैवल की पोलीटिकल पार्टी, मैं दोहराना चाहता हूं–

[अनुवाद]

> ''उड़ीसा में प्रत्येक राजनीतिक दल ने सरायकला और खर्सावा [illegible] में शामिल करने की मांग करते हुए सर्वसम्मत पारित किए हैं।''

[हिन्दी]

इस प्रस्ताव को भी, उड़ीसा के साढ़े तीन करोड़ लोगों की इस भावना को भी केन्द्र सरकार को मान्यता देनी चाहिए। आज सवाल उठता है, हमसे पूछा जाता है कि पचास साल तक आप चुप क्यों रहे। आज ये सवाल उठा रहे हैं। हम कभी चुप नहीं रहे। आपको याद होगा, यदि आप इतिहास का पन्ना देखेंगे तो सन् 1956 में, जब एस.आर.सी. की रिपोर्ट आई, 1955 और 56 में सारे उड़ीसा में आग सी लग गई थी, लोग मरे। हजारों लोग पुलिस की लाठी चार्ज में जख्मी हुए, हजारों लोग जेल गए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या आपत्ति है?

[हिन्दी]

श्री प्रसन्न आचार्य : जैसा मैंने कहा, झारखंड राज्य बनाने का सरकार एक ऐतिहासिक कार्य कर रही है। इसी तरह उड़ीसा के प्रति जो ऐतिहासिक भूल की गई थी, उस भूल में संशोधन करने का ऐतिहासिक कर्तव्य भी केन्द्र सरकार का है। इसलिए मेरा माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन है कि आज इस बिल को इंट्रोड्यूस न करें, इसे डैफर कर दें और आवश्यक परिवर्तन के साथ कि सराईकला और खरसवां का उड़ीसा में भी मर्जर होगा, इस संशोधन के साथ इस बिल को इंट्रोड्यूस करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कानूनगो, वित्तीय ज्ञापन भी विधेयक के पृष्ठ 47 पर है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : जी हां, यह वहां है, लेकिन क्या यह नियम 69 की भाषा और भावना के अनुसार है? मैंने अपने भाषण में यह कहा है।

अध्यक्ष महोदय : वह भी उसमें है।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : लेकिन आवर्ती और अनावर्ती व्यय के संबंध में स्थिति गलत हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आप पृष्ठ 9 भी देख सकते हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : मैंने उसे पढ़ा है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम बयान, व्यवहार और काम से देख रहे हैं कि सरकार के वचन और काम में मेल नहीं है। सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है और कहती कुछ और है। अभी गृह मंत्री जी बोल रहे थे कि विधान सभा ने इनको कह दिया। बिहार विधान सभा ने बिहार विभाजन के प्रस्ताव को, राष्ट्रपति जी ने जब मांग की थी, तो खारिज भी कर दिया था। उसके बाद जितनी जिद आप अभी इंट्रोड्यूस करने के लिए किए हुए हैं, उससे कम जिद उस समय नहीं की थी। आपकी नजर में विधान सभा क्या होती है। बिहार विधान सभा पास करती है तो कुछ बात को आप आधार बनाते हैं। मैं क्रिया दूंगा कि आप बिहार विधान सभा की बात मान लीजिए, अक्षर-अक्षर मानिए, उसमें पीछे हटें तो कहा जाए। ...*(व्यवधान)* जम्मू कश्मीर ने भी विधान सभा में पास कर दिया है। उस समय भी हम देखेंगे कि विधान सभा को प्रस्ताव पारित करने की आपके मन में क्या इज्जत है। आप डैमोक्रेसी चलाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। वे डिस्टर्ब हो गए तो प्रौब्लम हो जाएगी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : झारखंड के सवाल पर सौ वर्षों से आंदोलन है। अंग्रेजी सल्तनत ने कहा, उसका औचित्य नहीं है, कौन्सटीटूऐंट असैम्बली में बहस हुई, उसने कहा, उसका औचित्य नहीं है, पंडित जवाहर लाल नेहरू के राज में कहा गया, उसका औचित्य नहीं है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के राज में कहा गया,

उसका औचित्य नहीं है, राजीव गांधी जी के राज में भी कहा गया, उसका औचित्य नहीं है। लेकिन आंदोलन जारी रहा। मांग उठती रही। जब श्री नरसिंह राव थे, झारखंड पार्टी के समर्थन की आवश्यकता थी तो राजनैतिक कारणों से बिहार के बंटवारे को हवा दी गई। उसके बाद भाजपा की हुकूमत आ गई। ये लोग अब तो झारखंड पर तैयार हैं, वृहद झारखंड की मांग हो रही थी कि आदिवासियों का राज होगा, बंगाल के आदिवासी बहुल इलाके, उड़ीसा के आदिवासी बहुल इलाके, बिहार और मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों को मिलाकर वृहद झारखंड बनाया जाए। मध्य प्रदेश में गोंडवाना था। उसके दो खंड कर रहे हैं। गोंडवाना जो आदिवासी बहुल इलाका था, उसको दो भागों में बांटने के लिए और भविष्य में उस पर हुकूमत चलाने के लिए कर रहे हैं। बिहार विधान सभा ने इसे खारिज किया था और उसके बाद भी जिद की हुई थी और आपके यहां बैठकें हुई थी, कहा-सुनी हुई थी, झड़प हुई थी। उस दिन पहले बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सका था और जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो लैप्स हो गया। पिछले समय में ऐसी कोशिश हुई थी। अभी कहते हैं कि विधान सभा की मैं इज्जत करता हूं और जनतांत्रिक हूं। विधान सभा और विधान परिषद की कार्यवाही मैं आपकी सेवा में सुपुर्द करता हूं और इसे मैं सदन की मेज पर रखता हूं। वह भी सोवराइन विधान मंडल है। 1912 में बिहार और उड़ीसा, बंगाल से अलग हुए थे। बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेम्बली बने थे। 1937 में उड़ीसा अलग हुआ था। उसके बाद बिहार विधान मंडल चल रहा है। विधान विधान परिषद की कार्यवाही में लोगों ने बहस की है। बिहार में जो विधेयक भेजा गया, उसमें उद्देश्य और हेतु गायब था। वहां भी पच्चीस-तीस वर्ष पुराने विधायक हैं, इनकी पार्टी से भी हैं और सब पार्टी के लोग हैं। सभी ने आश्चर्य प्रकट किया। भारत सरकार का इतना काबिल मंत्रालय *...(व्यवधान)* डिस्टर्ब होने से हम और फायदे में हो जाते हैं। कम से कम 26 पृष्ठों में बहस की गई। भारत सरकार का गृह मंत्रालय इतनी काबिलियन का दावा करता है लेकिन उद्देश्य उस विधेयक से गायब क्यों है? 26 पृष्ठों में उस पर बहस हुई है। उन लोगों ने चिंता प्रकट की। वहां की सरकार को भी बार-बार सोचना पड़ा कि कैसे उस विधेयक पर लोगों की राय ली जाये। फिर भी बिहार विधान सभा ने पारित कर दिया। इस बार हाल में *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बाद में डिसकस करेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : गृह मंत्री जी के मन में बिहार विधान सभा के निर्णय के प्रति इज्जत है और इनकी पार्टी का तो और ज्यादा का प्रस्ताव है। मैं अलग से बता देता हूं कि सर्वसम्मत प्रस्ताव है - 1,89,900 करोड़ रुपये का तथा बाकी बिहार को दिया जाये जिसकी आर्थिक हालत बदतर हो जाएगी और यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): बिहार के आदिवासियों के लिए अभी रोना कैसे बंद कर दिया? रोइए न।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आदिवासियों का भला हो जाये और यह झारखंड प्रदेश हो जाये। है कोई माइका लाल जो चुनौती स्वीकार करेगा? है कोई जो आदिवासियों के लिए लड़े? बिहार विधान मंडल आदिवासियों का प्रांत बने और गोंडवाना मध्य प्रदेश में आदिवासियों को क्यों बांटकर रखे हो? मैं भेद खोल दूंगा और ढोल की पोल खुल जाएगी तथा मैं असलियत बता दूंगा कि आदिवासियों का भला करने वाले कौन हैं। विधान सभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। उस इकॉनोमिकल पैकेज का संशोधन इसमें आ रहा है। इसका जिक्र इन्होंने नहीं किया बल्कि यह कहा कि उद्देश्य हेतु प्लानिंग कमीशन ने रख दिया, खटाई में डाल दिया। इस राज्य के द्वारा बिहार का सत्यानाश करने की तैयारी है। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार विधान सभा ने जो सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया और बिहार विधान परिषद ने इसे पारित किया है, हमारा सर्वसम्मत प्रस्ताव 1,89,900 करोड़ रुपये का है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2,10,000 करोड़ कर दिया है। इसमें सबूत भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया प्रस्ताव है जिसमें 2,10,000 करोड़ रुपये है। मैं कहना चाहता हूं *...(व्यवधान)* आप लोगों से तो पूछा भी नहीं जाता है। श्री कानूनगो और श्री प्रसन्ना आचार्य, जो एनडीए के सदस्य हैं, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। आपकी हैसियत आपत्ति दर्ज कराने की है? श्री प्रभुनाथ जी ने असलियत का सवाल उठाया है। एनडीए के आपस की मन की पीड़ा के बारे में हमको बताते हो। पक्ष में खड़े होते हैं, चापलूसी बन्द करिए *...(व्यवधान)* महोदय, मैं एक सवाल उठा रहा हूं। बिहार की दस करोड़ आबादी का शोषण हुआ है। भारत सरकार द्वारा शोषण जारी है। हमारा 6 करोड़ 85 लाख रुपया रुका हुआ है *...(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : बीस साल हो गए, पंचायत के चुनाव नहीं हुए है और 15 साल आपकी सरकार को हो गए हैं। *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया): आप अपने दामन में झांक कर देखिए, बिहार में आपकी सरकार क्या कर रही है। *...(व्यवधान)* विकास के लिए पैसा नहीं है। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : बिहार के विभाजन से वहां की जनता का विकास नहीं होगा। केन्द्रीय सरकार अपनी बदनियती और दोहरे मापदंड को छोड़ दे। अन्याय की कार्यवाही को छोड़ दे और विधान सभा ने जो पारित किया है, उस प्रस्ताव को अक्षरशः गृह मंत्री जी मान लें, तब मैं देखूंगा कि मर्यादा क्या कहती है, जनतंत्र क्या कहता है।"

महोदय, इस विषय में अन्य माननीय सदस्यों को भी सुना जाए, लेकिन तकनीकी फैसला जो आपने दिया है, वह हमको उचित नहीं लगता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पद्मनाव बेहरा (फूलबनी): महोदय, मैं अपने माननीय [illegible] त्रिलोचन कानूनगो और श्री प्रसन्न आचार्य के साथ हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, राज्यों के गठन के संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने जो भाषण दिया है, उसमें उन्होंने दो बातें मुख्य कही हैं। एक बात यह कि विधान सभाओं ने प्रस्ताव पारित किया है और दूसरे यह कि जिन राज्यों का हम गठन कर रहे हैं, वहां के लोग इससे सहमत हैं, इसके पक्ष में हैं। लगता है कि गृह मंत्री जी को यह गलतफहमी हो गई है कि हिन्दुस्तान की हर समस्या का इलाज नए राज्य बनाना है। इस देश में बेबसी, लाचारी, भूख, प्यास, बेरोजगारी और विकास में कमी, जिनका जनता की जिन्दगी से रिश्ता है, न तो सदन के अन्दर और न सदन के बाहर उस पर चर्चा हो रही है। अलग राज्य बनाए जाने से वहां के लोगों का कायाकल्प नहीं हो सकता है, वहां के लोगों की हालत नहीं बदल सकती है। हिन्दुस्तान की बुनियादी समस्याओं की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। लोगों की माली हालत कैसे बेहतर हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो, रोजगार के अवसर कैसे पैदा हों, सड़कें कैसे बनें, विकास कैसे हो, इन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे जल्दबाजी न करें, देश की जनता को विश्वास में लें, तो उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे।

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर): महोदय, इनकी कथनी और करनी में अन्तर है। इनके दल की कार्य समिति का राष्ट्रीय अधिवेशन पांच-सितारा होटल, आगरा में हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.00 बजे

ये गरीबों की बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, हम लोग तो कभी-कभी फाइव स्टार होटल में मीटिंग कर लेते हैं, यहां 80 फीसदी लोग फाइव स्टार होटल में ही रहने वाले हैं, यही फर्क है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंहदेव : मैं विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किसी भाषाई दृष्टि से नहीं करता जिस पर 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था और ना ही राज्यों के बड़ा या छोटा होने की दृष्टि से। बल्कि मेरा मुद्दा पूर्णतया भिन्न है और मैं सभा को 1947 के पीछे ले जाना चाहूंगा जिस दौरान रजवाड़े समाप्त किए गए थे।

जब रजवाड़े समाप्त हुए 14 अगस्त, 1947 को, तब सरायकला और खर्सावान, उड़ीसा के अन्य रजवाड़ों के साथ, 544 में से 26 भारतीय संघ में सम्मिलित होने वाले प्रथम राज्य थे और उसके बाद 1948 में जब विलय सन्धि हुई तब मेरे पिता प्रथम कलेक्टर बने थे और 1948 तक बालासोर के कलेक्टर सरायकला और खर्सावान की देखरेख करते थे। लेकिन कुछ कार्यवश बाद में एक सहमति द्वारा सरायकला और खर्सावान का प्रशासन बिहार के किसी व्यक्ति द्वारा किया गया था। इसे संघ न्यायालय जो संविधान सभा के दिनों के दौरान था, में उठाया गया। जब संविधान लागू हुआ। संघ न्यायालय की जगह सर्वोच्च न्यायालय ने ले ली। संघ न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को दबा दिया और तब हमने अचानक पाया कि इस्रायल जैसा आक्रमणकारी जिस तरह अरब देशों के क्षेत्र को कुचल रहा था, उसी तरह आक्रमणकारी ने सरायकला और खर्सावान को हथिया लिया।

मैं भाषा अथवा अन्य किसी की बात नहीं कर रहा। अन्यथा, मैं जगदलपुर जाऊंगा, मैं श्रीकाकुलम, आपके अपने राज्य जाऊंगा। वहां 40 प्रतिशत उड़ीया बोलने वाले लोग हैं और मैं भाषा, संस्कृति या अन्य किसी चीज की बात नहीं करता। आज कश्मीर भारत में है और ऐसा महाराजा हरि सिंह के हस्ताक्षर के कारण है। इसी तरह, सरायकला और खर्सावान का उड़ीसा के साथ विलय हुआ, उड़ीसा के रजवाड़ों का एक भाग, उनमें से 26 पूर्वी राज्यों का अभिकरण में विलय हुआ था। मयूरभंज जो उड़ीसा का एक भाग है, इससे पूर्व तक त्रिपुरा के साथ-साथ बंगाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था।

[श्री के.पी. सिंह देव]

इसलिए, इस विधान में, जो बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 लाया गया है, उड़ीसा की न्यायसंगत मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। चूंकि 1956 के बाद कोई राज्य पुनर्गठन आयोग गठित नहीं किया गया है, अतः इस सभा या उड़ीसा विधान सभा या किसी के लिए कोई शिकायत सामने लाने का कोई अवसर नहीं था। अब जबकि यह विधान माननीय गृह मंत्री द्वारा पेश किया गया है - माननीय मंत्री बहुत ही सक्षम और समर्थ गृह मंत्री हैं - मुझे विश्वास है कि जो मैंने कहा है वे उस पर पूरी तरह ध्यान देंगे और यदि मैंने कुछ ऐसा कहा है जो तथ्यपरक नहीं है तो वे उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन यदि मैंने जो कहा है, वह सत्य है तो मुझे गृह मंत्री से पूर्व में हुई गलती को सुधारने की और सरायकला और खर्सावान उड़ीसा को लौटाने की अपेक्षा है।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : हम बिहार पुनर्गठन विधेयक-2000 का विरोध कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले राज्य पुनर्गठन आयोग बनाकर इसे किया जाये जोकि नहीं किया है। इसके जो कारण बताये जा रहे हैं वे भी कोई सही कारण नहीं हैं। एक कारण बताया गया कि बिहार विधान सभा में सर्वसम्मति से हुआ है। हमारी पार्टी ने वहां भी इसका विरोध किया था। इसलिए यह सर्वसम्मति से नहीं बहुमत से हुआ है। क्या विधान सभा में जो भी सर्वसम्मति से पारित होगा, उसे आप लागू करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि यह सिलैक्टिव है। क्या अंडमान-निकोबार की जो प्रांतीय कौंन्सिल है उसने यह पारित नहीं किया है कि अंडमान-निकोबार को राज्य का दर्जा दिया जाये। उस पर अमल नहीं है लेकिन आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार का विभाजन करने की बात चल रही है। इसमें पूरे हाउस की भी राय नहीं ली गयी है, राजनैतिक दलों की भी राय नहीं ली गयी है और जो एन.डी.ए. के कांस्टीट्यूएंट दल हैं उनसे भी कोई राय नहीं ली गयी है। अभी प्रभुनाथ सिंह जी और देवेन्द्र जी बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं और वे बोलेंगे।

उड़ीसा से मांग आ रही है कि उन्हें खरस्वॉन औ़र सरायकला लौटा दो। बंगाल से भी मांग आ सकती है कि खाली पुरलिया नहीं, पूरा धनबाद जिला हमें लौटा दो, क्योंकि पुरलिया बंगला भाषा के कारण चला गया, लेकिन वहां बंगला-भाषियों की भी बहुत आबादी है। लेकिन हम विभाजन नहीं चाहते हैं, हम बंटवारा नहीं चाहते हैं, हम तो देश की अखंडता की रक्षा चाहते हैं। लेकिन जो कदम आप उठा रहे हैं उससे देश में ऐसी मांगें दूसरे प्रदेशों से भी आयेंगी और आप उनको रोक नहीं सकेंगे। हमारे विरोध का यही कारण है।

दूसरा, आप विधान सभा के प्रस्ताव के बारे में जिक्र कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ तो वह पैकेज भी जुड़ा हुआ है, वह अलग नहीं है। जो 1 लाख 79 हजार 900 करोड़ रुपये अलग नहीं हैं। उनका इस विधेयक में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। आप इसके ऊपर विचार करें। वहां की विधान सभा ने इसे बहुमत से पास किया है। बी.जे.पी. ने 2 लाख 10 हजार करोड़ रुपए की मांग की थी। आप इस बारे में अपने जवाब के समय बोलें। इसलिए हम कहते हैं कि यह सिलेक्टिव है। आप राज्य का विभाजन करना चाहते हैं। इसके साथ जुड़े मामले अलग नहीं हैं। वह प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ है। आपने उसे छोड़ दिया। दक्षिण बिहार अलग हो गया तो उत्तर बिहार का क्या होगा? हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार ने इस बारे में सोचा नहीं है। उसने इतना ही सोचा कि विभाजन कर दो और यदि इस बारे में मांग हुई है तो इसे ले आओ। इसका कोई आधार नहीं है? इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। हम गृह मंत्री से आग्रह करेंगे कि वह इस विधेयक को न लाएं और इसे वापस ले लें। ऐसा करके वह देश को बचाएं और बिहार का बंटवारा न करें।

एक माननीय सदस्य : यह बंटवारा नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : हम भी हिन्दी जानते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे : यह अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं। यह दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार का गुलाम बनाना चाहते हैं और उसके बाद पैकेज लाना चाहते हैं। दक्षिण बिहार में कौन लोग रहते हैं? वहां के आदिवासियों का सैंकड़ों वर्षों से शोषण हो रहा है। यह बिहार को अपने पैरों पर खड़ा होने नहीं देना चाहते। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : हम सब बातें अच्छी तरह से जानते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अपना भाषण अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : आप बिल्कुल नहीं जानते। आप पुरुलिया नहीं जाते हैं। कुछ बातें केवल घर में बैठ कर कही जाती हैं। आज आप देश के सामने बोल रहे हैं। आप इन्हें कब तक गुलाम बनाए रखेंगे? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, आप अनावश्यक रूप से उन्हें उत्तेजित कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : यह राष्ट्र विरोधी काम है। आप देश का बंटवारा करना चाहते हैं। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। इस बिल को वापस लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, जब मैं यह कहता रहा हूं कि इस सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में इस देश में कोई आम राय नहीं है, बाद में इसकी केवल पुष्टि हुई है कि उड़ीसा में, जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबन्धन सरकार के कुछ भागीदार शासन कर रहे हैं, राज्य विधान सभा ने सरायकला तथा खर्सावान के संबंध में प्रस्ताव स्वीकार किया है। लेकिन यह सरकार उड़ीसा विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव में अभिव्यक्त अत्यन्त न्यायसंगत और लोकतांत्रिक मांगों को नहीं सुन रही है। जब मानीय गृह मंत्री सरकार में आम राय के बारे में कहते रहे हैं, उस मुद्दे पर भी हमने पाया कि श्री प्रभुनाथ सिंह, जिनकी पार्टी इस सरकार में भागीदार है, उस पर आपत्ति करते रहे हैं, यह कहते हुए कि यहां कोई आम राय नहीं थी और यह निर्णय एक तरफा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मंडल, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, यह सरकार एक दूसरे के विरुद्ध तरीके जैसा बर्ताव कर रही है। एक ओर वे राज्यों के अधिकार और प्राधिकार हड़प रहे हैं और राज्यों को प्राधिकारों से वंचित कर रहे हैं और दूसरी ओर संकट की स्थिति में राज्यों को जरूरत के समय सहायता देने में असफल रहे हैं जिसे हमने हाल में ही महाराष्ट्र राज्य में देखा है जब राज्य ने इस सरकार से केन्द्रीय बलों के रूप में कुछ मदद मांगी है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह सरकार वर्तमान राज्यों के प्राधिकारों और अधिकारों को क्षीण कर रही है। दूसरी ओर वे यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वे लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। वे ऐसा कुछ दलगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कर रहे हैं और वे इसे चुनिन्दा अंदाज में कर रहे हैं। इसलिए, मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह और श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, कृपया समझें। आपने कोई सूचना नहीं दी है। इस स्थिति में, बिना सूचना के, अध्यक्षपीठ आपको अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है, चाहे थोड़ा विलम्ब से दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैंने विलम्ब से दिया है। बिहार का सवाल है, मैं दो मिनट समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आपने नोटिस नहीं दिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमने दिया है।

अध्यक्ष महोदय : सुबह 10 बजे नोटिस देना था, अभी नहीं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में अपनी भावना आपके सामने रख देना चाहता हूं। अभी बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक आया है...

श्री लालमुनि चौबे : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने नोटिस नहीं दिया, फिर भी उन्हें बोलने दिया जाये, यह बात सब लोगों के साथ एक जैसी होनी चाहिये। इन्होंने नोटिस लिखित नहीं दिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमने नोटिस विलम्ब से दिया है।

श्री लालमुनि चौबे : विलम्ब से हम लोग भी तो दे सकते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक यहां आया है। हम यह मानकर चलते हैं कि एन.डी.ए. के मैनिफैस्टों के अनुसार वनांचल राज्य बनाने की बात थी, जबकि इसमें झारखंड के नाम से बात चल रही है। बिहार में भी कई वर्षों से झारखंड की डिमांड हो रही थी....

अध्यक्ष महोदय : इस बिल के बारे में आपको क्या आब्जैक्शन है, उस बारे में बोलिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब तक पूरी भूमिका नहीं बांधेंगे, आब्जैक्शन कोई समझ नहीं सकेगा। हम यह कहना चाहते हैं कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को शान्त होने दीजिए। हम लोग विपक्ष में हैं। हम भ्रमित हैं कि वे क्या कर और कह रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, यह इंट्रोडक्शन स्टेज है, कंसीड्रेशन की बात नहीं है। उसी समय आप कह सकते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम भाषण नहीं दे रहे हैं, अपनी आपत्ति कह रहे हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि श्री जॉर्ज फर्नान्डीज के नेतृत्व में एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी से मिला था और उनसे कहा था कि अगर बिहार का बंटवारा होगा तो उसे विशेष पैकेज देने की बात थी लेकिन इस बिल में वह विशेष पैकेज देने की बात को बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया गया है कि बचे हुये बिहार के लिये पैकेज क्या दिया जायेगा। हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब तक बचे हुये बिहार के पैकेज की बात साफ-सुथरी न हो जाये, इस विधेयक को नहीं लाना चाहिये अन्यथा बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ होगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के प्रति सिद्धान्ततः खिलाफ नहीं हूं और इस विधेयक के खिलाफ इसलिये भी नहीं हूं कि इससे आदिवासी और दबे-कुचले लोगों का विकास हो, यह मैं चाहता हूं। इस विधेयक का जो हेतु और उद्देश्य हैं, पूरे देश में इतनी मेहनत, रिहर्सल और एक्सरसाइज़ करके इस बिल को लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप देख सकते हैं कि जो इसके हेतु और उद्देश्य हैं, माननीय सदस्य श्री प्रभुनाथ सिंह ने ठीक ही कहा था कि जो स्पेशल पैकेज देने की बात थी, वह इसमें बिल्कुल लुप्त नजर आ रही है, कहीं उसका स्पष्ट जिक्र नहीं है और प्लानिंग कमीशन में डिप्टी चेयरमैन को भेज दिया गया। क्या बिहार के शेष नौ करोड़ लोगों की नीड्स को, उनकी गरीबी को, उनकी फ्लड डिवास्टेशन को, बिहार में नदी और बालू में छोड़ देने का यह प्लान बनाया जा रहा है। बिहार को उपनिवेश कालोनी नहीं बनने दिया जाए, बिहार के हृदय को नहीं बांटा जाए। हम सब लोग एक हैं। आदिवासी और शेष बिहार के नौ करोड़ लोग हम सब एक हैं। हम उनकी भावना से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं ...*(व्यवधान)* मैं इन-प्रिंसिपल इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन बिहार के जो नौ करोड़ लोग हैं, जहां छः करोड़ लोग छः महीने बाढ़ और छः महीने सुखाड़ में रहते हैं - क्या उन लोगों के जीवन के बारे में कभी सोचा गया है, क्या उनके बारे में कभी कल्पना की गई है कि शेष बिहार की क्या हालत है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा प्रभुनाथ सिंह जी ने ठीक ही कहा था और मैं भी अपने आपको उनसे सम्बद्ध करता हूं कि एन.डी.ए. के सभी माननीय सदस्यों की बैठक नहीं बुलाई गई, इसे मैं प्रोसीडिंग्स में दर्ज करता हूं, एन.डी.ए. के सभी सदस्यों को विश्वास में नहीं लिया गया और कुछ नेताओं से बात करके यह बिल लाया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक कांप्रीहेन्सिव बिल लाया जाए। निश्चित रूप से इस तरह का बिल आये। हम लोग बिल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बिहार विधान सभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है, उसके मात्र 25 प्रतिशत भाग को इसमें अंगीकार करके, समाहित करके यहां लाया गया है, 75 परसेंट जो बिल का कान्सेप्ट था, उद्देश्य था, हेतु था, एम्स और ऑब्जेक्ट्स था, उसे नहीं रखा गया है। इसमें बी.जे.पी. के माननीय सदस्य, जो बिहार में रहते हैं, उन्हें भी मालूम है और हमारे माननीय सदस्यों को मालूम है कि कौन लोग किस तरह से बृहद झारखंड राज्य के पक्षधर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव, यह पुरःस्थापना की अवस्था है। यह क्या है?

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : ठीक है, इंट्रोडक्टरी स्टेज है, मैं इस बात को जानता हूं। विषय आने पर हम बोलेंगे। लेकिन मेरा आपके माध्यम से सरकार से नम्र निवेदन है कि इस बिल को इस रूप में, प्रेजेन्ट फोर्म में न लाया जाए, इसे अभी तत्काल वापिस किया जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी सरकार से अपील है कि भविष्य में सरकार कोई विधेयक पेश करना चाहती है तो – यह एक भिन्न मुद्दा है कि हम सहयोग करते हैं या नहीं – उन्हें उसे अपने घटक दलों के बीच मुद्दे का हल निकाल कर यहां लाना चाहिए और हमें सरकार के कामकाज की पारदर्शिता के बारे में और अधिक भ्रम में न डालें ...*(व्यवधान)* यह उनकी पारदर्शिता पर प्रश्न चिह्न है ...*(व्यवधान)* नहीं, वे नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन में सभी नेताओं द्वारा इस पर सहमति थी।

...*(व्यवधान)*

महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया व्यवधान न डालें। इसमें पहले ही दो घंटे लग गए हैं।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, बिहार के इस पुनर्गठन विधेयक के संबंध में जो चर्चा हुई है, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो मुद्दा उभरा है वह यह है कि जब दो राज्य बनेंगे – झारखंड और बिहार, तो उस समय बिहार की वित्तीय स्थिति कैसी होगी और इस कारण जो स्पेशल पैकेज की बात यादव जी ने कही, प्रभुनाथ सिंह जी ने कही या विपक्ष की ओर से कही गई, उसके बारे में मैं इतना बता सकता हूं कि तब से लेकर, आज नहीं, 1998 में पहली बार जब इस अलग राज्य के गठन की बात सोची गई, प्रभुनाथ सिंह जी ने सही कहा कि हम इसे उस समय वनांचल कहते थे, झारखंड नहीं कहते थे। चूंकि झारखंड का आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस आंदोलन में केवल मात्र दक्षिण बिहार को झारखंड बनाने की कल्पना नहीं थी। जिन लोगों ने वह आंदोलन शुरू किया, उन्होंने कहा कि छोटा नागपुर संथाल परगना बिहार का हिस्सा, एक हिस्सा पश्चिम बंगाल का, एक हिस्सा उड़ीसा का और एक हिस्सा मध्य प्रदेश का, ये सारे हिस्से मिलाकर, जिसमें वनवासी बाहुल्य जनसंख्या हो, उन्हें एक झारखंड राज्य के रूप में बनाया जाए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : वृहद् झारखंड राज्य।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, ठीक है। लेकिन वनांचल की कल्पना बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई तब वह इस रूप में की गई कि यह हमें संभव नहीं लगता कि बाकी प्रदेश अपने राज्यों का हिस्सा दे देंगे और एक नया राज्य बन जायेगा। यह व्यावहारिक नहीं है और यह बात तब तक प्रमाणित भी हो गई जब एक-एक राज्य ने पश्चिम बंगाल ने, उड़ीसा ने और मध्य प्रदेश ने कहा कि हम किसी भी सूरत में झारखंड का हिस्सा नहीं बनना चाहते – तब हमने कहा कि छोटा नागपुर संथाल परगना का जो क्षेत्र है, उसे हम वनांचल राज्य के रूप में रखें। हमने नाम इसलिए रखा क्योंकि उस समय झारखंड की कल्पना वृहद् झारखंड की थी, इसीलिए अलग रखा। उसमें हमने कहा कि इस नाम पर झगड़ा मत करो। आखिर यहां की जनता ने आंदोलन किया है झारखंड के रूप में खासकर वनवासियों ने झारखंड के नाम पर आंदोलन किया है। इसलिए अगर वे मानते हैं कि हम छोटा नागपुर, संथाल परगना के क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की कल्पना करते हैं तो आप नाम पर झगड़ा मत करिये और इसलिए उस समय 1998 में जब हम वनांचल की बात कर रहे थे तब भी हमको इस बात की चिन्ता थी कि आखिर बिहार राज्य के अधिकांश संसाधन यहां पर हैं। मिनिरल्स हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं तो उत्तर बिहार का क्या होगा। हम चाहेंगे कि दो राज्य जब बनें तो दोनों राज्य सुखी, सम्पन्न और समृद्ध हों। किसी में कमी न रहे और इसलिए स्पेशल पैकेज के नाम पर लोगों ने इतने लाख करोड़ रुपये मांगे, बड़ा मुश्किल है इस समय कहना और इतने लाख करोड़ रुपये शायद कुल मिलाकर पूरे बिहार के पास भी होंगे या नहीं, नहीं कह सकते लेकिन पहली बार राज्य पुनर्गठन की कल्पना करते हुए 1998 में मंत्रिमंडल ने निर्णय किया और मैं उस निर्णय को पढ़कर सुनाना चाहता हूं क्योंकि आज की इस चर्चा के संदर्भ में वह समीचीन है।

[अनुवाद]

> "नए वनांचल राज्य के गठन के परिणामस्वरूप शेष बिहार राज्य में कार्य करने वाले कुछ मानकीय आर्थिक कारकों के मद्देनजर, योजना आयोग में एक समर्पित एकक योजना आयोग के उपाध्यक्ष के प्रत्यक्ष प्रभार में अनन्य रूप से बिहार के वास्ते स्थापित किया जाए। यह एकक अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करेगा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन और केन्द्र से निधियों के पर्याप्त हस्तान्तरण की सहायता से, क्षेत्र का चहुंमुखी विकास विशेषकर मूल बुनियादी ढांचे के सन्दर्भ में हो।"

श्री बसुदेव आचार्य : यह बहुत अस्पष्ट है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह निर्णय है और आपकी अनुमति से मैं यहां विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति ले रहा हूं क्योंकि यह अभी कानून नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में पैराग्राफ 3 में यह बात लिखी है।

[अनुवाद]

"पैरा 3 में कहा गया है,

सरकार ने झारखंड राज्य के गठन के परिणामस्वरूप शेष बिहार के विकास से संबंधित मामलों के अनन्य रूप से निपटान हेतु योजना आयोग के उपाध्यक्ष के प्रत्यक्ष प्रभार के अन्तर्गत योजना आयोग में एक एकक स्थापित किया है।

[हिन्दी]

मैं इन चीजों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह सरकार इसके प्रति उदासीन नहीं है कि इस प्रकार का विभाजन ही होगा कि जिस विभाजन में काफी संसाधन दक्षिण बिहार के पास पहुंच जाएंगे अर्थात् झारखंड के पास पहुंच जाएंगे। उत्तर बिहार भी संपन्न रहे, उत्तर बिहार भी प्रगति करता रहे, वह भी समृद्ध बने, यह भी जिम्मेदारी भारत सरकार की है और उसके प्रति हम जागरूक हैं। बाकी जितनी बातें कही गई हैं, उनके बारे में कुछ कहना होगा तो जिस समय बहस होगी, मैं जवाब दूंगा और जिस समय कंसिडरेशन के लिए लिया जाएगा मैं जवाब दूंगा। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.28 बजे

तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि:

"वर्तमान बिहार राज्य के पुनर्गठन तथा उससे सम्बन्धित मामलों के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित* करता हूं।

अपराह्न 4.30 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कम शक्ति के और ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के मेरे लोक सभा क्षेत्र हमीरपुर के जिला बिलासपुर एवं उसके आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र की जनता आज तक दूरदर्शन के स्पष्ट कार्यक्रम देखने के लिए तरस रही है। श्री नैना देवी जी की पहाड़ी पर वी.एल.पी.टी. लगाना प्रस्तावित है, लेकिन उसकी स्थापना संबंधी कोई प्रगति अभी तक देखने में नहीं आई है। इस क्षेत्र की जनता को दूरदर्शन के कार्यक्रम देखना सुलभ करने हेतु मेरा सुझाव है कि हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के ग्राम 1. रतनपुर, 2. कोटधार (ग्राम चमेलू या बचरातु) और 3. बिलासपुर (बंदला) में एक-एक एल.पी.टी. स्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः मेरा आग्रह है कि इस बारे में आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और पहाड़ी, दूरदराज एवं पिछड़े क्षेत्र की जनता को दूरदर्शन के कार्यक्रम डीडी-1 और डीडी-2 दिखाने हेतु एल.पी.टी. के निर्माण हेतु निरीक्षण, परीक्षण एवं सर्वेक्षण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को वांछित निर्देश देकर मुझे की-गई-कार्रवाई से अवगत कराने की अनुकंपा करें।

बिलासपुर शहर में एक स्टडी एवं रिले सेंटर (आकाशवाणी केन्द्र) बनाना भी अनिवार्य प्रतीत होता है जिससे बिलासपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में आकाशवाणी के कार्यक्रम सुलभता से सुने जा सकें। मेरा सुझाव है कि यदि बंदला में एफ.एम. रिले सेंटर स्थापित कर दिया जाए, तो उससे बहुत बड़े क्षेत्र में आकाशवाणी के कार्यक्रम सुने जा सकेंगे। अतः कृपया इस बारे में भी सर्वेक्षण कराने हेतु वांछित कार्रवाई करें।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 4.32 बजे

[डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय *पीठासीन* हुए]

(दो) देश में जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): महोदय, देश में बढ़ती हुई जनसंख्या पर सरकार को तुरन्त जांच करनी चाहिए और इस जनसंख्या को कम करने में स्वयंसेवी संस्थाओं को शामिल कर शीघ्र ही योजना बनानी चाहिए।

जनसंख्या को सीमित करने के लिए छोटे परिवारों का नियोजन करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनानी चाहिए। यदि हम जनसंख्या पर काबू पाने में सफल होते हैं, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा एवं जितना योजनाओं पर खर्च होगा, उससे कहीं अधिक हम जनसंख्या कम कर के आर्थिक बचत कर

(तीन) गुजरात में राधनपुर और दिशा में टी.वी. रिले केन्द्रों को शीघ्र शुरू करना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान उत्तर गुजरात के राधानपुर टी.वी. केन्द्र और दिशा टी.वी. केन्द्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। इन दोनों केन्द्रों पर आधुनिक किस्म के उपकरण कई करोड़ रुपए खर्च करके स्थापित हो चुके हैं, किन्तु अभी तक इनको पूरी तरह चालू नहीं किया गया है जिसके कारण हम अपने साधनों का पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में सरकार का ध्यान दिलवाया गया, तो हमको आश्वासन मिला है कि इन्हें शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा, परन्तु अभी तक इसको चालू नहीं किया गया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों टी.वी. रिले केन्द्रों को पूरी तरह से शीघ्र चालू किया जाए।

(चार) गुजरात में बडोदरा के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को अनवरत जलापूर्ति करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): सभापति महोदय, बडोदरा गुजरात में 70 कि.मी. की पट्टी शुरू होती है जिसे गुजरात का औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें अधिकांश रासायनिक कारखाने हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए की पूंजी लगी है। राज्य या केन्द्र सरकार इन कारखानों पर गर्व करती है। इन्हें हटाया या बंद नहीं किया जा सकता है। इनको सुचारू रूप से चलाने में काफी अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। जमीन से हर रोज करोड़ों लीटर पानी इन कारखानों के लिए निकाला जाता है। इन कारखानों को चलाने के लिए अभी तक पानी का कोई विकल्प नहीं ढूंढा जा सका है। ऐसे में (सूखाग्रस्त परिस्थिति में) जलस्तर का लगातार नीचे गिरते-गिरते शून्य तक पहुंच जाना निश्चित है।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्र को जीवित रखने हेतु अन्य जल विकल्प का प्रबन्ध करें। इसके लिए या तो केन्द्र सरकार कोई योजना तैयार करे अथवा राज्य सरकार को आवश्यक धन उपलब्ध कराए ताकि कारखानों को बंद होने से बचाया जा सके।

(पांच) प्राथमिक शिक्षा प्रणाली की समग्र समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, मैं सरकार का ध्यान देश भर में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा, विशेषकर बिहार के औरंगाबाद जिले में, चलाए जा रहे विद्यालयों की शोचनीय दशा की ओर दिलाना चाहूंगी।

केन्द्र सरकार की देश में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली संबंधी नीतियां और कार्यक्रम सफल नहीं रहे हैं। केन्द्र सरकार ने राज्यों में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के उचित कार्यान्वयन की जांच के लिए पिछले कई वर्षों के दौरान कोई कदम भी नहीं उठाए हैं। राज्य सरकारों को प्राथमिक शिक्षा हेतु आवंटित निधियां या तो दूसरे उद्देश्यों हेतु खर्च कर दी गई हैं अथवा उनका बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए जो मार्गदर्शन या दिशानिर्देश दिए हैं, उनका अनुपालन नहीं किया गया है। परिणाम यह है कि जहां विद्यालय के भवन हैं, वहां कोई शिक्षक नहीं हैं और जिन विद्यालयों हेतु शिक्षक हैं वहां कोई भवन ही नहीं है।

पिछले एक दशक से ज्यादा से बिहार के औरंगाबाद जिले में विद्यालयों की स्थिति बद से बदतर हुई है। न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकार इसे ठीक करने हेतु कोई पर्याप्त कदम उठा रही है। प्राथमिक शिक्षा संबंधी नीतियां और कार्यक्रम जिनका प्रभाव चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किया गया है, मैं सरकार से देश के प्रत्येक गांव और जिले में इसका उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह करती हूं। सम्पूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रणाली जो ठीक से काम नहीं कर रही है उसे केवल राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्र सरकार के ईमानदार प्रयासों से बचाया जा सकता है।

(छह) कर्नाटक सरकार को इंजीनियरिंग कालेजों में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाने की अनुमति देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार (मैसूर): कर्नाटक राज्य में 77 इंजीनियरी महाविद्यालय हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रमों की अत्यधिक संभावना है, अधिक संख्या में इंजीनियरी महाविद्यालयों की राज्य में स्थापना की आवश्यकता है। यह एक मान्य तथ्य है कि सूचना प्रौद्योगिकी सभी के दिन प्रतिदिन के जीवन का एक अविभाज्य अंग बन गयी है। इसे संसार भर में विस्तृत स्वीकृति दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रमों में वृद्धि न केवल कर्नाटक बल्कि पूरे भारत के छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाएगा। सभी राज्यों के छात्र अध्ययन परिवेश, शिक्षा देने के उच्च स्तर तथा राज्य सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने के कारण इंजीनियरी पढ़ने कर्नाटक आते हैं। इंजीनियरी महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले हजारों छात्र भारत में नौकरी पाते हैं और प्रति वर्ष विदेश जाते हैं। इसलिए, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रमों में बढ़ी हुई शैक्षणिक संभावनाएं केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं रहेंगी, विभिन्न राज्यों से आने वाले छात्र भी लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उस राज्य में इंजीनियरी महाविद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रमों की शुरूआत को बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी है।

मैं मामले में भारत सरकार के हस्तक्षेप की मांग करता हूं और संबंधित मंत्रालय से कर्नाटक की राज्य सरकार को वर्तमान जरूरत के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित इंजीनियरी पाठ्यक्रमों को बढ़ाने की अनुमति देने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को निदेश दिये जाने का अनुरोध करता हूं।

(सात) स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसके कार्यनिष्पादन की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री विजय हान्दिक (जोरहाट): महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य क्षेत्र की समीक्षा हेतु रूपरेखा उपलब्ध कराने के लिए अपनी वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट में एक नए क्षेत्र को सम्मिलित किया है। पहली बार रिपोर्ट में पूरे संसार में स्वास्थ्य संरक्षण प्रणालियों के कार्य निष्पादन पर एक विश्लेषण शुरू किया गया है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न देशों में स्वास्थ्य स्थिति के सामान्य मानकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्तर के अतिरिक्त, इसमें प्रत्येक देश में जनसंख्या के भीतर स्वास्थ्य असमानताओं अथवा विषमताओं और जनसंख्या के भीतर स्वास्थ्य प्रणाली के वित्तीय भार के वितरण पर भी ध्यान दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, इसमें स्वास्थ्य संरक्षण प्रणाली की अनुक्रियाशीलता, रोगी की संतुष्टि और प्रणाली के कामकाज तथा जनसंख्या के अन्दर अनुक्रियाशीलता के वितरण, अथवा भिन्न-भिन्न आर्थिक स्थिति के लोग कितनी अच्छी तरह यह पाते हैं कि उनकी स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा सहायता हो रही है आदि बातों पर विचार किया गया है।

भारत का प्रदर्शन लगभग प्रत्येक मापदंड में खराब रहा है - स्वास्थ्य संरक्षण प्रणाली की अनुक्रियाशीलता के स्तर हेतु 108वां, समग्र स्वास्थ्य स्थिति के संदर्भ में कार्य-निष्पादन हेतु 118वां, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय के संदर्भ में 133वां और स्वास्थ्य असमानताओं के संदर्भ में 153वां स्थान रहा है। इस तरह, एक मापदंड, अर्थात् वित्तीय योगदान में निष्पक्षता जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को 42वां दर्जा दिया, को छोड़कर भारत का प्रदर्शन देश के लिए चिन्ता का कारण है। इस तरह, रिपोर्ट में वर्ष 2000 में सभी के लिए स्वास्थ्य के देश के संकल्प को विश्वसनीय नहीं माना गया है। यही समय है जब सरकार रिपोर्ट के विश्लेषण को गंभीरता से ले ताकि प्रत्येक मापदंड में कम से कम प्रदर्शन पर्याप्त रूप से सुधर सके।

(आठ) केरल की कुरियरकुट्टी-करप्पड़ा जलविद्युत परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, केरल में कुरियारकुट्टी-करप्पड़ा जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया था। केरल सरकार ने प्रस्ताव के साथ सभी आवश्यक ब्यौरे भी प्रस्तुत किये थे। किन्तु मामला अभी भी स्वीकृति के लिये मंत्रालय के पास लम्बित है। यह राज्य की जनता की चिरप्रतीक्षित मांग है। केरल सरकार वनों की हानि की प्रतिपूर्ति के लिये वन क्षेत्र के विस्तार सहित सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिये तैयार है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस परियोजना को अविलम्ब स्वीकृति दिलाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जायें ताकि इस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास हो।

(नौ) आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के लिए एलाइंस एयरलाइन्स की उड़ानें नियमित रूप से चलाए जाने की आवश्यकता

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): महोदय, इंडियन एयरलाइन्स, इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक विमान कम्पनी, एलायन्स एयरलाइन्स के विमान दिल्ली-मुम्बई, हैदराबाद, चेन्नई

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

और कलकत्ता, दिल्ली-भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम के लिए प्रतिदिन; मुम्बई-हैदराबाद-विशाखापत्तनम के लिये प्रतिदिन और चेन्नई-विशाखापत्तनम-कलकत्ता के लिये सप्ताह में चार दिन उड़ान भरते हैं। पिछले कुछ दिनों से कम रोशनी और विमानों की अनुपलब्धता आदि के कारण विशाखापत्तनम के लिये उड़ानों के संबंध में अनिश्चितता रहती है।

मैं नागर विमानन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे उड़ानें रद्द किये जाने के मामले की जांच करें और उड़ानें नियमित किये जाने के आदेश दें।

एयरबस 320 को उतरने में सुविधा प्रदान करने के लिये यह आवश्यक है कि बर्तमान रनवे को 7,500 फीट तक विस्तृत किया जाये ताकि विशाखापत्तनम जो कि देश के पूर्वी तट का महत्वपूर्ण व्यापार के अवसरों को बढ़ाया जा सके।

(दस) देश में आलू उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, आलू उत्पादकों की दशा अत्यधिक दयनीय हो रही है। आज आलू की कीमत लागत मूल्य से भी कम है। विगत कई वर्षों से उचित भाव न मिलने के कारण आलू किसान कंगाल हो गया है। आगरा जनपद में स्थित खंदौली गांव में एक किसान ने खुदकुशी कर ली है, सरकार की ओर से आवश्यक संरक्षण न मिलने के कारण आलू किसान की स्थिति बदतर हुई है। आलू को अब तक सिर्फ साग-सब्जी के रूप में माना जाता रहा है। शिमला स्थित सैंटर ऑफ पटाटो रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने आलू पर जो शोध किया है उससे आलू के उत्पादन में तो वृद्धि हुई है लेकिन अधिक देर तक इसको तरोताजा रखने के विषय को शोध में सम्मिलित नहीं किया गया। पर्याप्त मात्रा में शीतगृह न होने के कारण आलू का जो सुरक्षित रख-रखाव संभव है वह भी नहीं हो सका है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आलू को खाद्य पदार्थ के रूप में मान्यता दें और इसको समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत लाएं ताकि इसके भाव में स्थायित्व आए। उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिले जिससे देश में आलू किसानों के हितों का संरक्षण हो सके।

(ग्यारह) सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल (समस्तीपुर): महोदय, देश को स्वतंत्र हुए पचास वर्ष से अधिक और संविधान लागू हुए पचास वर्ष हो गए हैं। हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया लेकिन उसे राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयास नहीं के बराबर हुए। जो हुए वे करीब-करीब विफल हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो छः भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं वे हैं - चीनी, अरबी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी और स्पेनिश। विश्व की आबादी का छठा हिस्सा होते हुए भी हमारे देश की भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में नहीं है। अधिकांश देश विश्व के अन्य देशों के साथ अपनी राष्ट्रभाषा में राजकीय और शासकीय व्यवहार करते हैं पर हम पिछले पचास वर्षों में विश्व के अन्य देशों के साथ राजकीय और शासकीय व्यवहार हिन्दी में न कर अंग्रेजी में ही करते रहे हैं।

हिन्दी को संविधान में राष्ट्रभाषा कहने के साथ यह भी कहा गया था कि अंग्रेजी का उपयोग पन्द्रह साल तक थोड़ी सुविधा के लिए देश के अन्तर्गत प्रशासन में स्वीकृत होगा। अब बहुत समय गुजर गया।

अतः मैं भारत सरकार से पुरजोर आग्रह करता हूं कि अब तक जो विलम्ब हुआ सो हुआ अब शीघ्र से शीघ्र ऐसा कदम उठाये जिससे हिन्दी केवल संविधान में ही राष्ट्रभाषा नहीं रहे बल्कि व्यवहार में भी राष्ट्रभाषा के रूप में कार्य करे।

अपराह्न 4.45 बजे

मोटर यान (संशोधन) विधेयक

[हिन्दी]

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि मोटर यान अधिनियम 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये। इस प्रस्ताव पर माननीय सदस्य विचार किया जाए।"

इससे पहले मैं कुछ शब्दों में यह व्यक्त करना चाहूंगा कि इस विधेयक में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों हुई? हम सभी

जानते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट सैन्ट्रल एक्ट है और इस सैन्ट्रल एक्ट के माध्यम से सड़क परिवहन को रेगुलेट करते हैं। एक बहुत ही पुराना मोटर व्हीकल एक्ट 1939 था लेकिन जब कुछ तकनीकी प्रगति होने लगी तो प्रदूषण का संकट बढ़ने लगा, सुरक्षा का संकट बढ़ने लगा तब यह आवश्यकता महसूस की गई कि मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में कुछ संशोधन किया जाना चाहिए और 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में संशोधन किया गया। तब से मोटर व्हीकल एक्ट 1988 चला आ रहा था लेकिन 1994 में फिर से यह आवश्यकता महसूस की गई कि इसमें कुछ और संशोधन किये जाने चाहिए। एक नया एक्ट फिर संशोधन के बाद बना। 1988 के बाद वह 1994 में बना था लेकिन अब फिर बढ़ते हुए प्रदूषण के संकट को देखते हुए और साथ ही साथ कुछ सुरक्षा कारणों से 1994 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है, इसमें कुछ और संसोधन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हम यह जो विधेयक लेकर इस सदन के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, केवल इसलिए कि जो कुछ आवश्यकताएं महसूस की जा रही हैं, वे 1994 के एक्ट में संशोधन करने के लिए है और यह सदन उन संशोधनों पर अपनी सहमति, अपनी स्वीकृति प्रदान करे। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): माननीय मंत्री जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

1988 अधिनियम अब पुराना हो चुका है। हमने इसमें कई बार संशोधन किये हैं। अतः कम्प्युटर युग के अनुरूप विस्तृत संशोधन विधेयक लाने में सरकार के समक्ष क्या समस्या है? यातायात के नियमों का रोज ही उल्लंघन किया जा रहा है और वर्तमान अधिनियम आवश्यकताएं पूरी करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

सभापति महोदय : आप बाद में बोल सकते हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : उन्हें उत्तर देने दें। हम रोज ही सड़क दुर्घटनाओं के विषय में सुनते हैं जिनमें दर्जनों लोग हताहत होते हैं। हम प्रतिदिन समाचार-पत्र में किसी न किसी सड़क दुर्घटना की दुखद खबर पढ़ते हैं जिनमें कई व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी होती है। वर्तमान अधिनियम पर्याप्त नहीं है अतः हम स्थिति से नहीं निपट सकते। इसीलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं।

श्री राजनाथ सिंह : माननीय सदस्य, मैं आपके प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा।

[हिन्दी]

मैं अनुरोध कर रहा था कि 1994 का जो मोटर व्हीकल एक्ट था, उसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई, इसीलिए हम इस सदन के समक्ष यह संशोधन विधेयक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं किया गया है। जो भी संशोधन हैं, वे बहुत ही माइनर हैं, जैसे हमारे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सैक्शन 52(1) में ऑल्टरेशन के संबंध में कुछ व्यवस्था की गई है। किसी भी मोटर व्हीकल में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा जो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन से भिन्न हो। अब यह व्यवस्था क्यों करनी पड़ रही है, वह इसलिए करनी पड़ रही है कि अनकंट्रोल्ड ऑल्टरेशन होता था, जो जैसा चाहता था, जिस इंजन से चाहता था, वह अपना परिवर्तन कर लेता था। उसके कारण प्रदूषण का भी संकट पैदा होता था और उसके कारण एक्सीडेंट्स भी होते थे। सुरक्षा का भी संकट पैदा होता था। इस कारण यह परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई ताकि ऑल्टरेशन जो होगा, वह केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन मोटर व्हीकल ईंधन आदि में इस प्रकार का परिवर्तन किया जा सके। जिससे उनका आपरेशन इकोफ्रेन्डली फ्युल के यूज के द्वारा फैसिलिटेट हो सके यानि इकोफ्रेन्डली फ्युल यूज कर सके। सभी माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल इकोफ्रेंडली फ्युल यदि कोई माना जाता है तो वह एलपीजी माना जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फर्रुखाबाद): महोदय, जिस तकनीकी भाषा में वे बोल रहे हैं, उसे समझना बहुत कठिन है। कृपया उनसे सरल भाषा में स्पष्ट करने के लिए कहें।

सभापति महोदय : कृपया उनके भाषण में बाधा न डालें।

श्री चन्द्रभूषण सिंह : मैं बाधा नहीं पहुंचा रहा हूं। मैं सिर्फ एक स्पष्टीकरण मांग रहा हूं।

सभापति महोदय : आप स्पष्टीकरण बाद में भी मांग सकते हैं। आप अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : इस संशोधन के माध्यम से हम एलपीजी के प्रयोग की सुविधा मुहैया कराने जा रहे हैं। आल्ट्रेशन के बारे

[श्री राजनाथ सिंह]

में यह भी सुविधा सुनिश्चित कर रहे हैं, जिनके पास दस से अधिक गाड़ियां हैं, वह अपने वैहिकल का इंजन सेम-मेड-एंड-सेम-टाइप से बदल सकता है। इसकी अनुमति राज्य सरकारों के द्वारा, जो भी कंडीशन्स निर्धारित होंगी, उन कंडीशन्स के तहत दी जा रही है। अब इन वैहिकल्स में आल्ट्रेशन की सूचना रजिस्ट्रिंग अथारिटी को 14 दिनों के अन्दर देनी होगी। इसके साथ-साथ किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के द्वारा इस धारा के अधीन आल्ट्रेशन के लिए निर्धारित पद्धति से भिन्न प्रकार के आल्ट्रेशन करने की छूट दी जा रही है। इसके अतिरिक्त इस मौटर वैहिकल एक्ट के सैक्शन 58 सबसैक्शन 4 में संशोधन कर रहे हैं। इस सैक्शन में हाई कैपेसिटी के टायर बदलने की व्यवस्था है, जिसका दुरुपयोग प्रायः ओवर-लोडिंग के लिए किया जाता है। हमने यह व्यवस्था की है, हाईकैपेसिटी टायर की जो व्यवस्था थी, जिसका दुरुपयोग किया जाता था, उस सैक्शन को डिलीट कर रहे हैं, ताकि वैहिकल में निर्धारित लोड कैपेसिटी के [illegible] जाए जा सकें और सुरक्षा की दृष्टि से भी यह [illegible], ऐसा हम मानते हैं।

इस मोटर वैहिकल एक्ट के सैक्शन 66 के सब सैक्शन-3, क्लाज-एच को डिलीट करने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस धारा के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं में जो बसें चलती हैं, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए और घर पहुंचाने के लिए, पहले उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि परमिट लेना आवश्यक होगा। इसके अलावा हम एक नया सैक्शन 217(ए) जोड़ रहे हैं। यह एक सेविंग क्लाज हैं। इस सेविंग क्लाज के माध्यम से मोटर वैहिकल एक्ट, 1939 के अन्तर्गत निर्गत लाइसैंस, परमिट आदि के लिए रिन्युअल की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। कारण यह कि 1994 के एक्ट के रहते हुए यदि 1939 में किसी ड्राइवर ने लाइसैंस ले लिया है, रजिस्टर करा लिया है, तो उसको हम रिन्युअल नहीं कर रहे हैं। इस नए सैक्शन 217(ए) के माध्यम से हम व्यवस्था कर रहे हैं।

महोदय, संक्षेप में मैंने कुछ बातें माननीय सदस्यों के सामने रखी हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करें और इस विधेयक को पारित करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि मोटर यान अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): महोदय, माननीय मंत्री जी ने मोटर वैहिकल एक्ट, 2000 में संशोधन करने के लिए विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। माननीय मंत्री जी ने अपने इन्ट्रोडक्टरी रिमार्क्स में इस बिल में संशोधन करने के लिए जो भावना व्यक्त की है, वह मुख्य रूप से दो-तीन बिन्दुओं पर ही केन्द्रित है। पहली चीज यह है कि प्रदूषण की वजह से वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। उस पर कोई नियंत्रण हो, कंट्रोल हो और उसे इस ढंग से रेगुलेट किया जा सके, जिससे कि पर्यावरण से होने वाले नुकसान को सीमित किया जा सके, रोका जा सके। इसका एक उद्देश्य यह भी है। मैं समझता हूं कि ऐसे उद्देश्य के साथ अगर कोई विधेयक लाया जाता है तो उसमें कोई आपत्ति किसी व्यक्ति को नहीं हो सकती।

दूसरा, आपने बताया कि इसमें सुरक्षा के उपाय करने का प्रावधान संशोधन के जरिए से किया गया है। आपने ऐसा यहां कई प्रतिबंधों को लागू करने के लिए किया है। मनमाने तरीके से जो वाहनों में परिवर्तन कर लिए जाते थे, उनके डिजाइन और स्वरूप में परिवर्तन किए जाते थे, वे परिवर्तन न किया जा सकें और उनका दुरुपयोग न हो सके, वे जितनी क्षमता के लिए निर्मित हैं, उतनी ही क्षमता से उनसे काम लिया जा सके, जिससे कि दुर्घटनाओं की संभावना घटे। आप जो प्रावधान कर रहे हैं उसका संभवतः हर तरफ स्वागत ही होगा, इसकी मूल भावना से किसी को विरोध नहीं हो सकता।

तीसरे, आपने बताया कि ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जैसे एल.पी.जी. गैस के उपयोग की आप इसमें अनुमति देंगे जिससे कि पर्यावरण को कम नुकसान हो सके। उसकी अनुमति की शक्तियां अभी आपको मिलेंगी और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में केन्द्र सरकार को इस विधेयक के जरिए ऐसी शक्तियां दी जा रही हैं, जिससे कि वे किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इन वाहनों में जो निर्धारित डिजाइन हैं, क्या उसके अतिरिक्त उसमें परिवर्तन, परिवर्धन और परिमार्जन करने की अनुमति देने की स्थिति में केन्द्र सरकार होगी। फिर अन्य जिन बिन्दुओं पर आपने चर्चा की, 1939 में दिए गए रजिस्ट्रेशंस को रिन्यूवल करने का अधिकार दिया जाए - ये तो रूटीन किस्म की चीजें हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहां तो बातों पर आपत्ति है और शायद ज्ञान की कमी के कारण मेरी यह आपत्ति उपजी हो। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस मामले में सदन को विश्वास में लें और बताएं कि ऐसा करना क्यों जरूरी था। अभी जो बहुत सी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, वे आर्थिक रूप से कोई बड़ी समर्थ शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं। उन शिक्षण संस्थाओं में किसी न किसी प्रकार से बच्चों को दूर-दूर के क्षेत्रों

से लाने और ले जाने के लिए किसी तरह गाड़ियों की व्यवस्था बनाई हुई थी और कई जगह ऐसा था कि एक गाड़ी या एक बस विभिन्न समय-अंतराल के बाद विभिन्न संस्थाओं में जाकर बच्चों को ले जाने और पहुंचाने का काम करती थी और इसलिए सब कुछ संभव हो पाता था। उन वाहनों को कोई परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होती थी और वे चलाई जा सकती थीं। बच्चों को एक सस्ती सुविधा उपलब्ध थी। खासतौर से मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को यह सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन आपने अब प्रावधान किया है कि ऐसे वाहनों को भी अब परमिट लेना आवश्यक होगा। आपके इस नये संशोधन का औचित्य मेरी समझ से थोड़ा परे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके सदन को विश्वास में लें। हमें इस बारे में जानकारी दें कि ऐसा करने के पीछे आपकी मंशा एवं तर्क क्या है। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, उससे क्या लाभ होगा, यह सब जानकारी हमें मिलनी चाहिए।

मैं आपका ध्यान विशेष रूप से दो बातों की तरफ दिलाना चाहूंगा। देखिए, कानून हमेशा भली मंशा और नेक नीतयों के साथ बनाया जाता है - चाहे वह असेम्बली में बने या सदन में बने। कानून बनाने के पीछे मंशा कभी भी दूषित नहीं होती और अच्छे से अच्छा कानून सदन ने बनाया है, इसके बावजूद हम देखते हैं कि उस कानून के बन जाने मात्र से व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाता, क्योंकि व्यवस्था में सुधार के पीछे एक और बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु है कि कानून होते हुए भी उसे अमल में लाने वाली मशीनरी अगर सक्षम और निष्पक्ष है, ईमानदार है तो उस कानून के लागू करने में सक्षमतापूर्वक सरकार और प्रशासन को सहायता मिलती है।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं कोई ज्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं लेकिन इस मोटर-यान अधिनियम को लागू करने के लिए जो पृष्ठभूमि है उससे हम सभी परिचित हैं। इस मशीनरी को आपने ठीक नहीं किया, पारदर्शी नहीं बनाया, ईमानदार नहीं बनाया, तो आपके प्रावधान अधिनियम की किताबों में ही रह जायेंगे। इस मशीनरी से उन्हें लागू करवाने की आपकी मंशा पूरी नहीं होगी।

आपने जो संशोधन के जरिये प्रावधान किये हैं, उनसे गाड़ी के मूल डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इसको सुनिश्चित कौन करेगा? क्या इसके पहले भी हमने अनेक कानून नहीं बनाए हैं और क्या वे लागू हो रहे हैं? अगर इन्हें सुनिश्चित करने का कोई व्यवहारिक और सही तरीका नहीं बनाया गया तो मैं नहीं समझता हूं कि इसका कोई लाभ होगा। इसलिए लागू करने वाली मशीनरी को कैसे ठीक किया जा सकता है, पहले इसको आप देखें।

दूसरी चीज पर्यावरण है। पर्यावरण में जो गिरावट आ रही है और जिसके प्रति आपको चिंता भी है। उस गिरावट को रोकने के लिए केवल इतना प्रावधान कर देना पर्याप्त नहीं होगा। आप सरफेस ट्रांसपोर्ट के भी मिनिस्टर हैं। पिछले दिनों मैंने रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ी थी। उस पर कई टिप्पणियां और विशेषज्ञों ने अपनी राय जाहिर की है। निष्कर्ष यह निकलता है कि मोटर-व्हिकल की सारी डिजाइन, इंजन, तकनीकी को आप चाहे जितना परिमार्जित कर लीजिए, जब तक सड़कों की दशा को आप नहीं सुधारेंगे, तब तक सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों का संचालन सुरक्षित नहीं हो पायेगा। सड़कों की स्थिति ऐसी है कि वाहनों के चलने से जितना धुआं निकलना चाहिए और गाड़ी का जितना घिसाव होता है उसको अगर हम एकांउंट में नहीं लायेंगे तो हम एक बहुत बड़ी चूक करेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि न केवल इसमें आप कानून बनाएं, उनमें संशोधन करें, बल्कि प्रभावी ढंग से आप उन्हें लागू भी करें। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप सड़कों के स्तर में, उनकी स्थिति में सुधार लाएं। ऐसा होगा तभी हमारी भूल भावना पूरी होगी।

अंतिम बात मैं सुझाव के रूप में रखना चाहता हूं। अनेक सदस्य जानते हैं और मैंने भी एक मैग्जीन में एक लेख पढ़ा कि दिल्ली शहर में मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास के कुल वाहनों से भी ज्यादा गाड़ियां हैं। वर्षों से हम देख रहे हैं और मीडिया भी लिख रहा है कि दिल्ली में पर्यावरण की समस्या गंभीर होती चली जा रही है। इसलिए ऐसा भी प्रावधान करने की जरूरत है कि ये जो बड़े-बड़े महानगर और जिले हैं इनमें यह तय हो कि अधिकतम वाहनों की संख्या क्या हो? उसके क्षेत्रफल और जनसंख्या को देखते हुए, अधिकतम संख्या वाहनों की निर्धारित करके कोई उपाय, प्रक्रिया, तौर-तरीका ऐसा निकालना होगा कि इससे अधिक रजिस्ट्रेशन उस शहर में न हो सके, इससे अधिक वाहनों की संख्या न हो सके क्योंकि किसी भी शहर का पर्यावरण एक सीमा से अधिक प्रदूषण को सहन नहीं कर सकता, उसे रैगुलेट नहीं कर सकता, उसे साफ नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि इस चीज को ध्यान में रखा जाए।

इन तीन-चार सुझावों के साथ मैं समझता हूं कि यदि इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे, इस बारे में गम्भीर हैं और वास्तव में चाहते हैं कि यात्रा सुरक्षित हो, पर्यावरण में सुधार हो तो निश्चित रूप से इन विचारों को ध्यान में रखें। मैं समझता हूं कि जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, इसकी मूल भावना से किसी को आपत्ति नहीं है, कम से कम मुझे आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बहरामपुर, उड़ीसा): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के संशोधनकारी उपबन्धों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से इंगित किया है, सड़क परिवहन प्रौद्योगिकी, वर्षों से यात्री और माल ढुलाई की पद्धति, सड़क नेटवर्क के विकास और मोटरयान प्रबंधन में उन्नत तकनीक को ध्यान में रखते हुए, 1939 अधिनियम के स्थान पर 1988 अधिनियम लाया गया था।

सड़क प्रबंधन की तकनीक और सुरक्षा उपाय नये अधिनियम की मुख्य बातें थी। वर्षों से यह बात ध्यान में आयी थी कि अपनायी गई तकनीकें पर्यावरण के अनुकूल नहीं है और सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं है। अत: 1994 में कुछ खामियों को सुधारने का प्रयास किया गया था। किन्तु वह भी पर्याप्त नहीं था। इसी कारण उपाय और प्रदूषण नियंत्रण उपाय इनमें से सबसे महत्वपूर्ण

जैसा कि दिये गये उपबन्धों से देखा जा सकता है कि यहां पर तीन मुद्दे हैं। पहला है खण्ड 52(1) परन्तुक (1) में संशोधन करना। दूसरा है खण्ड (2) में संशोधन और तीसरा है खण्ड 3 में संशोधन करना। मैं इन संशोधनकारी उपबन्धों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। किन्तु उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्यारोही उपबन्ध है जो कि स्पष्टीकरण में ही दिया गया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिये परिवर्तन का अर्थ है यान के ढांचे में परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप मूल आकृति में परिवर्तन होता है। अत: यान की मूल आकृति में परिवर्तन नहीं होना चाहिये। इस कारण खण्ड 1 में यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी मोटरयान का स्वामी यान में ऐसा परिवर्तन नहीं करेगा कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र में अंतर्विष्ट विवरण निर्माता द्वारा मूलत: विनिर्दिष्ट विवरण से भिन्न हों मोटर यान अधिनियम की धारा 110, 113 और 212 में इन बातों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। धारा 194 में दण्डात्मक उपबन्ध हैं। मैं पुलिस द्वारा उत्पीड़न के संबंध में बाद में चर्चा करूंगा। यह उपबन्ध दिये गये हैं।

यह पता चला है कि एक बेड़े का मालिक कुछ हिस्सों को बदलते आ रहे हैं और ज्वलन की प्रक्रिया भी बदली गई है। पिछले अधिनियम में मानित उपबंध थे। "कैनिनलाइजेशन" समाप्त करने के लिये - कैनिनलाइजेशन सशस्त्र बलों और पुलिस द्वारा उपयोग किया जाने वाला शब्द है जिसका अर्थ है यानों को सड़क पर चलने योग्य बनाने के लिये विभिन्न हिस्सों को अन्य वाहनों में लगाना - जहां तक बेड़े के मालिकों का प्रश्न है इस प्रक्रिया को उचित महत्व दिया जा रहा है। पंजीकरण करने वाले प्राधिकारियों को सूचित करने के लिये 14 दिनों का समय दिया गया है। यह एक अच्छी बात है। किन्तु एक समस्या खड़ी होगी जिस पर माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिये। यह धारा 58 के खण्ड (1) के उपखण्ड 4 का लोप करने के संबंध में है। जहां तक टायर और अन्य भाग बदलने का प्रश्न है यह ठीक है। किन्तु इसके और दुरुपयोग की संभावनाएं हो सकती हैं। किन्तु मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिनांक 18 मार्च, 1999 की सा.का.नि. संख्या 214 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने संबंधित अधिकारियों का ध्यान कुछ आपत्तिजनक बातों की ओर आकर्षित किया था। जैसा कि सामान्यत: होता है। जब भी किसी बात पर आपत्ति उठाई जाती है तो अधिकारीगण टाल-मटोल से, बच निकलने का कोई मार्ग ढूंढ कर या अन्य किसी तरीके से स्थिति से निपटने का प्रयास करते हैं। इस पर मेरी आपत्ति थी। मेरी आपत्ति टायरों की "प्लाई रेटिंग" के संबंध में थी। केन्द्र सरकार द्वारा 1989 में बनाये गये नियमों के अंतर्गत, प्लाई रेटिंग्स का 1999 में संशोधन किया गया था। "प्लाई रेटिंग्स" में यह संकेत दिया गया है कि किसी विशेष अनुमत लादे हुए भार के लिये प्लाई रेटिंग की विशिष्ट मात्रा होगी। एकल टायरों के मामले में 410 किलोग्राम दोहरे टायरों के मामले में 1250 कि.ग्रा. के अधिकतम भार के लिये, इस सा.का.नि. में अधिकतम 14 प्लाई रैटिंग दी थी। किन्तु इसी सा.का.नि. में सरकार ने अपनी बुद्धिमत्ता दर्शाते हुए उपखण्ड 3 में यह बताया है कि राजमार्ग के वाहनों में उपयोग हेतु किसी भी टायर की 20 से अधिक प्लाई रेटिंग नहीं होगी। इसका अभिप्राय है किसी वाहन की 20 प्लाई रेटिंग हो सकती है, यद्यपि 14 प्लाई रेटिंग को विनिर्दिष्ट किया गया है दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि हम इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि वाहनों में अधिक प्लाई रेटिंग वाले टायर हों ताकि राजमार्गों पर और माल ले जाया जा सके और राजमार्गों पर और माल ले जाने का अर्थ है और दुर्घटनाएं। अत: सुरक्षा उपाय जिन्हें कि उद्देश्यों और कारणों के कथन और संशोधनकारी प्रावधानों में इंगित किया गया है, सरकार द्वारा एक या दो वर्षों के बाद संसद के समक्ष प्रस्तुत किये गये नियमों में दिये गये कुछ उपबन्धों के कारण बेकार सिद्ध होंगे। यह आवश्यक है कि जब भी कोई नियम बनाये जायें तो उन्हें तुरन्त संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये। सामान्यत: यह देखा जाता है कि उप नियमों को एक वर्ष या उससे अधिक समय के बाद संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि ये नियम जिन्हें मैं उद्धृत कर रहा हूं, मार्च, 1999 में परिचालित किये गये थे किन्तु संसद के समक्ष हाल ही में प्रस्तुत किये गये हैं। हमारे पास इन बातों पर चर्चा करने का समय नहीं है। अपनी पृष्ठभूमि के कारण मैंने सोचा कि जहां तक मोटरयानों का संबंध है जो सा.का.नि. आ रही हैं उन्हें पढ़ना चाहिये। इन संशोधनकारी उपबन्धों

को पारित करने में, यह अच्छा है कि वे पर्यावरण के अनुकूल वातावरण चाहते हैं और बेड़े के मालिकों को हानि नहीं होगी और वे इंजन में परिवर्तन कर सकते हैं। इंजन परिवर्तित करते समय, आंतरिक ज्वलन प्रणाली को ध्यान में रखना चाहिये और वे तरल गैस या अन्य किसी प्रकार की ऊर्जा या बैटरी इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। किन्तु सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इंजन की शक्ति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। यदि इंजन की शक्ति में परिवर्तन किया जाता है तो यह निश्चित है कि जो व्यक्ति निर्माण कर रहा है या कैनिबलाइजिंग कर रहा है, वह धुरी पर अधिक भार डालेगा और धुरी पर अधिक भार लादने से राजमहेन्द्री-हैदराबाद रोड पर भारी दुर्घटना हुई थी। एक दस पहियों वाला यान पिछले धुरे पर अधिक भार ले जा रहा था। वह एक पुल पार कर रहा था और पुल पार करते समय धुरी पर अधिक भार होने के कारण संतुलन बिगड़ गया। यह तो आपने देखा ही होगा कि पुलों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। स्लैब के नीचे कुछ लोहे के पुर्जे थे जिनसे तख्ते में थोड़ा लचीलापन था। धुरी पर अत्यधिक भार के कारण, एक ही पल में संतुलन बिगड़ गया और पुल टूट गया। इसके साथ ही ट्रेलर भी गिर गया। यह ठीक है कि हम धारा 58(1) को समाप्त कर रहे हैं। किन्तु हमें उन उपबन्धों पर ध्यान देना चाहिये जो कि अधिनियम में पहले ही दिये गये हैं ...*(व्यवधान)* जब हम उपबन्धों में संशोधन पर विचार कर रहे हैं तो माननीय मंत्री को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 को ध्यान में रखना चाहिये जहां यह दिया गया है कि केन्द्र सरकार को नियमों के द्वारा मोटरयानों के निर्माण, उपकरण और रखरखाव को विनियमित करना चाहिये। माननीय मंत्री जी, आपने व्याख्यात्मक प्रावधान में कहा है कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संविधान के मूल स्वरूप को नहीं बदलना चाहिये, उसी तरह आप कहते हैं कि यान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करना चाहिये। अत: बाद में इस विधेयक को पारित करते समय माननीय मंत्री को यान की चौड़ाई, ऊंचाई, लम्बाई, ओवरहैंग और लोड फैक्टर और टायरों का आकार स्वरूप और स्थिति को ध्यान में रखना चाहिये। ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चूंकि हम धारा 58(1)(4) को समाप्त कर रहे हैं, अत: यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति के अधीन एक विस्तृत सा.का.नि. बनाया जाये। राज्य सरकारों को इसमें नहीं शामिल किया जाना चाहिये क्योंकि इसमें अनेक समस्याएं होंगी। उदाहरण के तौर पर, एक राज्य से आने वाले यान को दूसरे राज्य से गुजरना होगा। इससे समस्याएं उत्पन्न होंगी। अत: केन्द्र सरकार को इस संबंध में विस्तृत नियम बनाने चाहिये। बहुत से यानों जो कि 10 वर्ष या 15 वर्ष पुराने हैं को परिवर्तित किया जा रहा है और सवारी गाड़ी के रूप में उपयोग के लिये मेरे राज्य उड़ीसा लाया जा रहा है। अत: सरकार जब तक बेड़े के मालिकों के साथ सख्त कार्यवाही नहीं करेगी तो जिस प्रयोजन के लिए ये संशोधन लाये गये हैं, वह पूरा नहीं होगा।

महोदय, ये मेरे सुझाव हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का एक बार फिर समर्थन करता हूं।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): सभापति महोदय, यह विधेयक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में दो अथवा तीन संशोधन करने हेतु लाया गया है। उपरोक्त अधिनियम को 1994 में पुन: संशोधित किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य वाहन से होने वाले प्रदूषण को रोकना और सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित विधेयक में अधिक क्षमता वाले टायर बदलने सहित वाहन के स्वरूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। इस विधेयक के द्वारा कतिपय विशेष प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार को वाहन के स्वरूप में परिवर्तन करने की अनुमति देने की भी शक्ति प्रदान की गई है। जबकि राज्य सरकारों को ऐसी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। यह बहुत अनुचित है।

एक अन्य पहलू है जिस पर आपत्ति व्यक्त की गई है। वर्तमान में, शैक्षणिक संस्थाओं के वाहनों के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से परमिट प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। संशोधन करने वाले विधेयक में ऐसी 'परमिट' अनिवार्य रूप से प्राप्त करने की व्यवस्था है। परमिट को आवश्यक बनाया जाना उचित ही है। परन्तु विद्यालयों में बच्चे विभिन्न स्थानों से आते हैं। यदि परमिट की आवश्यकता होती है तो यह तो ठीक ही है। परन्तु, विद्यालय के वाहनों के लिए कर की वसूली नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इसमें विभिन्न स्थानों से निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के बच्चे विद्यालय आते हैं। यदि इस पर कर लगाया जाता है तो अंतत: इसका बोझ बच्चों के अभिभावकों और माता-पिता को उठाना पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप उन्हें कठिनाई होगी। अत: इसमें परिवर्तन किया जाये। अत:, सरकार इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करे।

एक अन्य उपबंध है जिसके अंतर्गत ऐसे वाहन मालिक, जिनके पास दस से अधिक वाहन हों, राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करके किसी वाहन के ढांचे में परिवर्तन कर सकते हैं। यह कार्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके करना होगा। ऐसे लोगों, जिनके पास काफी संख्या में वाहन हैं, को बचाने हेतु उपबंध है। परन्तु जिनके पास केवल एक ही वाहन है उनका क्या होगा? सरकार सम्पन्न लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रही है न कि निर्धन लोगों को। यह रवैया ठीक नहीं है। अत:, मैं एक वाहन वाले लोगों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग करता हूं।

[श्री सुनील खां]

पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय अत्यधिक उचित है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे सभी वाहनों को सड़क से हटाने का निदेश दिया है जो बहुत ही पुराने हैं और जो प्रदूषण की समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। यह ठीक है। परन्तु, अधिकांश राज्य सरकारों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को गम्भीरता से नहीं लिया है। भारी संख्या में राज्य सरकार के वाहन प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। अतः, इन्हें सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमारे देश में भारी संख्या में निर्धन लोग रह रहे हैं और जब वे सड़क पर निकलते हैं तो उन्हें प्रदूषित वातावरण में श्वास लेना पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप वे कई बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। उनके पास इलाज करवाने के लिए धन नहीं हैं और सरकार उन्हें सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु तैयार नहीं है। मैं इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

[illegible]दय, प्रतिदिन सभी स्थानों पर कई सड़क दुर्घटनाएं होती [illegible] ये दुर्घटनाएं वाहनों की संख्या अधिक होने के कारण नहीं होती बल्कि ये सड़कों की खराब हालत के कारण होती हैं क्योंकि जलभूतल परिवहन मंत्रालय इनका समुचित रख-रखाव नहीं कर रहा है। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और सड़कों का उचित रखरखाव किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, ऐसे सभी कारों और अन्य वाहनों, जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं, पर प्रतिबंध लगाने का उपबंध है। बसों और ट्रकों के कुछ मामलों में तो यह ठीक है परन्तु निजी कार मालिकों और टैक्सियों के संबंध में विशेषकर उन बेरोजगार युवाओं, जो टैक्सी के रूप में चलाने के लिए पुरानी कारें खरीदते हैं, को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे मामलों में ईंजन के 'कम्बशन' की हालत देखनी चाहिए। यदि वह ठीक हो तो ऐसी स्थिति में इन गाड़ियों को सड़क पर चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए और ऐसी गाड़ियों को बसों और ट्रकों के समतुल्य नहीं समझना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): सभापति महोदय, देश को एनडीए ब्रांड वाले वाहन के कारण बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

श्री सुनील खां : इसी तरह क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार हेतु कदम उठाने चाहिए और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में दलालों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लोग वाहन चलाने में सही ढंग से प्रशिक्षित न होने पर भी, दलालों को थोड़े पैसे देकर दलालों से लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए क्योंकि इससे सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। मोटर वाहन निरीक्षक और पुलिस अधिकारी पैसे लेकर ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं। ऐसे वाहनों का फोटोग्राफ लेने और इनकी पंजीकरण संख्या को नोट करने पर भी सरकार इन्हें छोड़ देने की अनुमति दे रही है क्योंकि ये एनडीए नेताओं के बहुत करीबी लोग हैं। यदि वाहन एनडीए के सदस्यों के होंगे तो इनकी जांच नहीं की जायेगी। अतः, सरकार इस संबंध में व्यापक विधेयक लाये। मैं आशा करता हूं कि यदि इसे संसद की स्थायी समिति को भेज दिया जाएगा तो इस पर विशद चर्चा हो पाएगी। यह हमारे लिए अच्छा होगा। हम इस पर यहां भी चर्चा कर सकते हैं। अतः यह विधेयक व्यापक और पर्यावरणानुकूल होगा।

मैंने पर्यावरणानुकूल मानदंडों का पहले ही उल्लेख कर दिया है जिस पर आपके मंत्रालय ने विचार किया है। इस संबंध में माननीय न्यायालय ने भी निर्णय दिया है। यदि व्यापक विधेयक लाया जाएगा तो उन मानदंडों का उचित अनुपालन हो पाएगा। मेरे विचार से वर्तमान विधेयक व्यापक नहीं है। उसे स्थायी समिति को सौंप दिया जाये ताकि 'यूरो' मानदंडों और सुरक्षा के उपाय पर ध्यान दिया जा सके। आटोमोबाइल के संबंध में, निःस्राव से सीसायुक्त जहर फैल रहा है। यह समाचार-पत्रों में पहले ही प्रकाशित हो चुका है कि हैदराबाद के पर्यावरण में सीसायुक्त जहर के फैलने के कारण खतरा है। स्वास्थ्य के जोखिम का अनुपात आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और घनी आबादी वाले शहरों में भी स्वीकार्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भी अधिक पाया गया है। अतः, इस पर विचार करना होगा।

इसमें सीसायुक्त जहर के संबंध में भी कुछ उपबंध हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में वाहनों के लिए सीसा रहित पेट्रोलियम उपलब्ध कराया जाता है। यदि ऐसा है तो ऐसी स्थिति से हमारी भलाई ही होगी। तब तो वाहनों का चलना पर्यावरणानुकूल होगा।

इसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए उपबंधों की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। राज्य सरकार के द्वारा ऐसे कुछ नियम बनाए जाने चाहिए ताकि वे इन्हें कार्यान्वित कर सकें। जब बसें एक राज्य से दूसरे राज्य तक चलायी जाती हैं तो कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप उन बसों को उन राज्यों में परमिट नहीं मिलती है। यदि ऐसा कोई उपबंध है और यदि वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं तो संबंधित अधिकारी परमिट देखकर तदनुसार कर वसूल सकते हैं। राज्य सरकारों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा): सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रसन्नचित्त मुद्रा में आप इस आसन पर विराजते हैं उसे देखकर हमारे बोलने की शैली और शक्ति वैसे ही बढ़ जाती है। मेरा अन्य सभापतिगण से भी आग्रह है कि वे इसी प्रसन्नचित्त मुद्रा में आसन को सुशोभित किया करें। विशेष रूप से डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि जब वे आसन पर विराजमान हुआ करें, तो प्रसन्नचित्त मुद्रा बनाए रखें।

महोदय, मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया गया है। इसके बहुत सारे तथ्यों पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पिछले 50 वर्षों में सभी देश विकसित हुए हैं। भारत के विकास की दर भी बढ़ती गई है और इस विकास की दर में यातायात की एक अलग भूमिका रही है। इस विधेयक के माध्यम से आज यह तीसरा संशोधन है। इसमें सुरक्षा एवं पर्यावरण, इसके दो मूल उद्देश्य दर्शाए गए हैं। पर्यावरण विषय में यह विख्यात है कि प्रदूषण से पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके बारे में आए दिन चर्चा हुआ करती है। दिल्ली की चर्चा हमारे माननीय सदस्यों ने की। पूरे विश्व में इस विषय पर लोगों ने ध्यान केन्द्रित किया है। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि ये कानून पहले भी बने हुए थे। इन कानूनों के माध्यम से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रित करने का प्रस्ताव और नियम पहले भी थे। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है। आज भी इस देश में यूरो टू और यूरो वन के नार्म्स लागू किये जा रहे हैं। वे प्रयास आपके विभाग के प्रयास से नहीं हो रहे हैं बल्कि इसमें भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है। इसके पश्चात् इस पूरे देश में यूरो टू और यूरो वन के नार्म्स लागू किये जा रहे हैं।

मंत्री जी इस विभाग में नये आये हैं लेकिन यह विभाग ऐसा है जिसमें इस एक्ट को देखते समय आपको एक दर्शन में प्रवेश करना पड़ेगा। इससे भारत का नक्शा, इस पूरे विभाग के जो मूलभूत मुद्दे हैं, और इसमें क्या करने की आवश्यकता है, वह भी देखना होगा। एक तरफ आपने देखा कि कहीं न कहीं किसी पदाधिकारी के दिमाग में यह बात आई होगी कि स्कूल की गाड़ियों में भी परमिट होना चाहिए। मुझे याद है कि दिल्ली की ही एक बस दुर्घटना में छोटे-छोटे बच्चे मारे गये थे। तब यह सोचा गया कि स्कूलों को भी परमिट लेना चाहिए लेकिन इस देश में गाड़ी चलाने का लाइसेंस कैसे मिलता है, उस पर भी तो चर्चा करनी चाहिए। मेरे जिले में पता नहीं संभवतः सभी जगह इसी प्रकार की प्रक्रिया होगी कि ड्राइविंग लर्नर्स लाइसेंस की कीमत अलग, उसके अगले चरण में बिना परीक्षा दिये जाना है तो इस लाइसेंस की कीमत अलग, उसके बाद रिन्यूल की कीमत अलग। इस तरह देश के किसी कोने में कोई भी व्यक्ति जाकर लाइसेंस बना सकता है। आदमी के जान की कीमत केवल उतनी ही है। आज पूरे देश में, मैं आंकड़ें तो नहीं दे सकता लेकिन जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जिस प्रकार से लोग बड़ी-बड़ी बसों या ट्रकों को चलाते हैं, उनके चलाने की जो शैली है, उससे बहुत से निर्दोष लोग मारे जाते हैं। भारत का एक भी लाइसेंस अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर खरा नहीं उतरता। अगर हम विदेश में जाकर उस लाइसेंस पर वाहन चलाना चाहें तो कोई गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं होता। इस विषय मर हम कब विचार करेंगे?

आज रोड सेफ्टी की बात होती है। भारत में रोड सेफ्टी के लिए लाइसेंस कैसे दिये जाते हैं, उस पर कब कोई शुरूआत करेंगे, उसका मूल मापदंड क्या होगा, आदि के बारे में सोचना चाहिए। यहां रोड पर किस तरह से ट्रक चलता है, बस चलती है, गाड़ी चलती है और जीप चलती है, इस विषय की ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

पौल्यूशन के बारे में चर्चा होती है कि वह लेड से या कार्बन मोनाक्साइड के कारण होता है और उसमें प्रयास किये जा रहे हैं कि सी.एन.जी. का उपयोग किया जाये, एल.पी.जी. का उपयोग किया जाये। निश्चित रूप से कहीं न कहीं फर्क दिख रहा है। लेकिन इसमें उन सब स्थानों तक आप कैसे पहुंचेंगे? आपके नियम उन स्थानों को, उन वाहनों को कैसे पकड़ेंगे इस पर भी आपको दूर तक दृष्टि दौड़ानी पड़ेगी। मैं जब बिहार असेम्बली में था तब मैं प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य था। वहां वाहनों में तिपहिये या थ्रीव्हीलर स्कूटर होते थे। उसमें तीन पैसेंजर आगे और पीछे से भी खुला रखकर तीन पैसेंजर पीछे होते थे। इस तरह से तीन और तीन छः तथा ड्राइवर सहित सात आदमी उस तिपहिये पर चढ़ते थे। यदि ड्राइवर के बगल में एक और आदमी आ जाये तो आठ और अगर किसी मतवाले आदमी ने ऊपर कैरियर लगा दिया है तो उस पर भी दो आदमी सवार हो जाते थे। इस परिस्थिति में जिस तरह से गाड़ी को चलाया जाता है, वह बहुत खतरनाक है। इसके साथ-साथ उस तिपहिये का इंजन भी उतनी क्षमता का नहीं होता। थोड़े दिनों के बाद वह इंजन बैठ जाता है

[श्री राजीव प्रताप रूडी]

और बैठने के बाद उसकी मरम्मत कराकर उसको चलाया जाता है। आजकल बिहार में यह देखा जाता है कि अधिकांश लोग पेट्रोल में केरोसीन तेल मिलाकर गाड़ी को चलाते हैं। जब वह वाहन रोड पर चलता है तो उसके धुएं से आदमी बिल्कुल चाक हो जाता है। दिल्ली के स्तर पर हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। आज जब मैं आ रहा था तो मेरी बगल से एक सी.एन.जी. की गाड़ी जा रही थी। उसमें एकदम धुंआ नहीं था और ड्राइवर शांति से गाड़ी चला रहा था। मुझे यह देखकर बड़ा अच्छा लगा लेकिन हमको पूरे देश के बारे में सोचना है। हमारे नियमों में बहुत ताकत होनी चाहिए। जब हम यहां नियम बनाते हैं तो उसकी ताकत इतनी होनी चाहिए कि अंडमान निकोबार आईलैंड से लक्षद्वीप, कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल और गुजरात तक उसका प्रभाव क्षेत्र हो। इसमें हमें इस बात का ध्यान देना होगा।

महोदय, रोड सेफ्टी की बात करते हैं। मैं मोटर सेफ्टी एक्ट जोड़ना नहीं चाहूंगा लेकिन हमें इस देश में पाठ्यक्रमों में कुछ पर्यावरण के प्रति संवेदना जगाने के लिए भी कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इस विभाग की तरफ से, मानव संसाधन विकास विभाग से भी समन्वय स्थापित करके काम होना चाहिए। आज जिस प्रकार हम अपने जीवन में चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सड़क पार करते हैं, कहीं न कहीं हमारे गार्जियन या पूर्वजनों ने बताया था कि इसे किस तरह से चलाया जाए। इसी प्रकार से पाठ्यक्रम में भी रोड सेफ्टी, रोड स्टैन्डर्ड, पौल्यूशन स्टैन्डर्ड, इन सब चीजों को अगर किसी प्रकार से समाविष्ट किया जाए तो आने वाली हमारी पीढ़ियों को इस बात का संतोष होगा कि इस देश में हम लोगों ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिसके कारण इस देश के लोगों को खुशहाल जिन्दगी मिली। अब भारतवर्ष में इकोनौमिक डायवर्सीफिकेशन के कारण अच्छी-अच्छी गाड़ियां आ रही हैं। निश्चित रूप से उनकी कीमतें ज्यादा होंगी लेकिन पौल्यूशन का प्रभाव कम पड़ेगा।

जब मैं ऐक्सीडेंट की तरफ देख रहा था तो भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 70 हजार लोग दुर्घटनाओं में मरते हैं। ऐसा नहीं है कि अमरीका में यह दर कुछ कम है। मैं अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की भी तुलना करके देख रहा था कि बाहर के देशों में भी लोग ऐक्सीडेंट्स में मरते हैं, भारत में भी मरते हैं, लेकिन जो ऐक्सीडेंट्स का रेट भारत में आज है, उसे हम निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। जितने लोग इन्जर्ड होते हैं, जख्मी होते हैं, उसे भी निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जहां आपने इन मुद्दों पर विशेष तौर से संशोधन किया है, यह सदन हमेशा इंतजार में रहेगा, यदि पूरी परिस्थिति में आप और कोई संशोधन करके, और कोई विचार जोड़ कर, इस देश के यातायात, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कोई संशोधन लाना चाहते हैं तो इस सदन में आपका स्वागत है।

इस बिल के प्रति अपनी सहमति जताते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फरूखाबाद): मान्यवर मंत्री जी ने जो मोटर यान (संशोधन) बिल पेश किया है, मैं उसका विरोध तो नहीं करता लेकिन यह जरूर मेरा सुझाव, निवेदन, आग्रह है कि कुछ मुद्दे जो मैं दे रहा हूं, यदि उन्हें भी समायोजित कर लेंगे तो निश्चित ही आम आदमी को उससे राहत मिलेगी। सर्वप्रथम जैसा कि आपका उद्देश्य है, एक अमैंडमैंट के जरिए पर्यावरण एवं सुरक्षा की व्यवस्था आपको देखनी है, यह बहुत अच्छी बात है और सरकार को उस तरफ गौर करना चाहिए। आपने उसकी तरफ गौर किया, निश्चित ही आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इससे बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं, जिससे आम जनता को लाभ नहीं होगा। यदि मैं सही हूं तो अब से तीन या चार साल पूर्व ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जिसमें प्राईवेट ओनर्स पैट्रोल की जगह डीजल के इंजन नहीं लगा सकते। वह व्यवस्था आपके यहां आज भी है। इसमें मेरा आपसे सवाल है। क्या डीजल इंजन को मना करने के बाद, आपकी दुर्घटनाओं में कमी आई या पर्यावरण में कुछ फर्क पड़ा? हां, इससे नुकसान बहुत बड़ा हुआ। हम ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां धनी मानी बस्तियां हैं, धनी लोग हैं। क्या मैंने उस चीज की भी परिकल्पना की कि गांव का किसान, छोटे शहर में रहने वाला आम आदमी पुरानी गाड़ी खरीद कर डीजल इंजन लगाकर अपना गुजारा करता था? हम, आप सब जानते हैं, आज भी छोटे शहरों में टैक्सियों की कमी है। थोड़ी-थोड़ी पूंजी लगा कर पुरानी गाड़ियों में डीजल इंजन लगा लेते थे और आम आदमी को उससे सुविधा मिलती थी। यह सही है कि आपने कानून बना दिया। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि डीजल के इंजन तो बदले जा रहे हैं क्योंकि आपने कानून ही ऐसा बनाया है। भले ही आपके रजिस्ट्रेशन सैर्टीफिकेट में इंजन न बदले गए हों लेकिन डीजल के इंजन बदले जा रहे हैं और लोग आज भी उसका उपयोग कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसा कानून बने जो सामयिक हो, जिससे आम आदमी को लाभ पहुंचे। डीजल के इंजन से जैसा कि सभी जानते हैं, पैट्रोल के इंजन में ज्यादा

कार्बनमोनोआक्साइड गैस निकलती है और डीजल के इंजन से यह कम निकलती है। मेरा निवेदन है कि उसमें निश्चित परिवर्तन करके डीजल इंजन लगाने के लिए एक आम आदमी को अनुमति दें। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपने एल.पी.जी. गैस की बात की। बहुत अच्छी बात है, इससे निश्चित ही पर्यावरण को लाभ मिलेगा और खर्च भी आदमी का कम होगा। लेकिन क्या कानून आपने दिल्ली या बड़े शहरों के लिए बनाया है? आज एल.पी.जी. गैस की किट यदि कोई छोटे शहर का आदमी पैट्रोल की गाड़ी में लगवा भी लेता है तो सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि उसके पास एल.पी.जी. गैस भरने के लिए कोई सुविधा नहीं होती है। नतीजा यह है कि खाना बनाने वाली गैस का सिलिंडर वह अपनी डिक्की में रखते हैं और यदि आप गौर करें कि यदि वह सिलिंडर किसी वजह से लीक होता है और उस गाड़ी में यदि कोई आदमी सिगरेट या बीड़ी पीता है तो उस गाड़ी में आग लगने की पूरी संभावना होती है। यदि दिल्ली में बैठकर दिल्ली के लिए कानून बनाया जा रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। तब तो इसमें कोई कहने की बात भी नहीं है लेकिन यदि पूरा देश आपके आगे है तो निश्चित ही सुरक्षा व्यवस्था की बात भी देखनी चाहिए और इससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इस पर निश्चित रूप से आपको गौर करना चाहिए।

आपने उन लोगों को परमिट कर दिया जिनके पास दस गाड़ियां हैं लेकिन इसमें आपका यह प्रावधान नहीं दिखाई देता कि यह क्या कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए आपने व्यवस्था की है या लाइट व्हीकल्स के लिए भी व्यवस्था की है? यदि आपने कॉमर्शियल के लिए की है तब तो उसमें कोई असुविधा वाली बात नहीं है, आपने ठीक काम किया है। लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं कि जब दस लाइट व्हीकल्स किसी आदमी के पास हों तब वह डीजल का इंजन उसी कैपेसिटी का बदल सकेगा? यह बात समायक नहीं दिखती। चूंकि इसमें मैं देख रहा था, हो सकता है इसमें पहले हमारी कुछ चूक रही हो, वह मैं आपसे नहीं कहता लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें आपको एकरूपता रखनी चाहिए कि चाहे एक व्हीकल हो या दस व्हीकल्स हों, उसमें यदि डीजल इंजन बदलने का परमिट आप देते हैं तो आम आदमी को भी उसी कैपेसिटी का बदलने का मौका आप दें। यह आपके ऊपर नुस्सर करता है कि जब वह आर.टी.ओ. ऑफिस में दर्ज कराए जाएं तो वहां के अधिकारी उसकी गुणवत्ता और कैपेसिटी को अवश्य देखें। उसमें किसी किस्म की शिथिलता न हो, मैं इस बात से सहमत हूं। एक और दूसरी बात आपने पोल्यूशन की कड़ी। बड़े शहरों में आप डीजल की गाड़ियां बंद कर दें। लीड युक्त पैट्रोल की गाड़ियों के बंद करने की भी व्यवस्था आप कर दें। वे सारी गाड़ियां आप बंद कर दें क्योंकि यहां के तो आदमी इतने धनवान हैं कि यदि आज ही आप आदेश दीजिए, सुबह ही यूरो टु वाली गाड़ियां खरीद लेंगे, उनको कोई कठिनाई नहीं होती। मैं दिल्ली शहर की बात कर रहा हूं क्योंकि कानून दिल्ली के हिसाब से बन रहा है, हम लोगों के हिसाब से नहीं बन रहा है। इसमें मेरा निवेदन यह है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। एक बार जब आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे तो लखनऊ में बड़े वाले टैम्पो बंद कर दिये गये थे और उसमें एक तिहाई मुन्नु बाबू के क्षेत्र फरूखाबाद शहर में पहुंच गए थे। आपने लखनऊ का पोल्यूशन बचा लिया और फरूखाबाद का क्या हश्र हुआ? क्या इसकी भी कुछ व्यवस्था है? इसके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि आप अपने बड़े शहर को तो साफ-सुथरा कर लें और हम लोगों को ऐसे ही छोड़ दें, हमें लगता है कि इसमें भी कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। एक बात और लिखी है, आपके अधिनियम में है। आपने कहा कि उस गाड़ी का आकार नहीं बदल सकते, यह बात आपकी ठीक लगती है क्योंकि बड़े-बड़े इंजीनियर्स उसमें अपना समय बर्बाद करते हैं और उनका यह दृष्टिकोण होता है कि कैसे गाड़ी सुरक्षित रहे और उसमें बैठने वाला व्यक्ति कैसे सुरक्षित रहे? यह आपकी बहुत ही उपयोगी बात है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गांव के दूरदराज के इलाके में आज भी यदि कोई आदमी जीप खरीद पाता है, जो हिंदुस्तान में सबसे सस्ती गाड़ी है और उसमें भी कपड़े का हुड है और यदि वह साल दो साल में फट जाता है तो किसी तरीके से प्रयोग करके टीन लगाकर वह उसे ढक लेता है जिससे सवारियों को भी आराम होता है और पानी में बरसात से भी वह बचता है। इसमें आपको क्या ऐतराज हो सकता है, हमको लगता है कि कोई ऐतराज नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी गुणवत्ता के आधार पर ही मैन्युफैक्चरर गाड़ी देता है। हमको लगता है कि सोफ्टटोप गाड़ियों में आपको डिजाइन में परिवर्तन करने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि आम आदमी को उससे लाभ और राहत मिल सके।

[श्री चन्द्रभूषण सिंह]

महोदय, मैं दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। कामर्शियल वैहिकल में टायर चेंज की बात बहुत सामयिक है। एक गाड़ी में यदि 11 टन माल ले जाने की अनुमति है लेकिन बड़े टायर लगाकर वह 16-17 टन माल ले जाते हैं, तो यह बहुत गलत है। लेकिन मैं इस विषय में एक निवेदन करना चाहता हूं, लाइट मोटर वैहिकल में रेडियल टायर डालकर और प्रैशर कम करके गाड़ी चलाता है, तो यात्रा थोड़ी कम्फर्टेबल कर लेता है। यह व्यवस्था अगर आपने कामर्शियल वैहिकल के लिए की है, प्रतिबन्ध लगाया है, तो ठीक है, लेकिन लाइट वैहिकल के लिए यह प्रतिबन्ध न लगायें।

इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन और भी करना चाहता हूं। जो हिन्दुस्तान की सड़कों के लिए वाजिब नहीं है। आपने ऐसी-ऐसी कम्पनियों को ट्रक बनाने की इजाजत दी है, जो 32-32 टन माल को ढोह सकते हैं और नतीजा यह हो रहा सड़कें टूट रही हैं। मान लीजिए, ट्रक मालिकों ने टायर ले और छह टायर की जगह दस टायर लगाकर 32 टन माल ढोने लगे, तो सड़कों की क्या हालत होगी। इस पर आपको विचार करना चाहिए। ज्यादा टायर बढ़ाकर, वजन ज्यादा लादेगा, तो सड़कें टूटेंगी।

एक निवेदन मैं शिक्षण संस्थाओं के बारे में करना चाहता हूं। पब्लिक स्कूलों में जो बसें चलती हैं, उनके लिए परमिट की व्यवस्था कर आपने ठीक काम किया है। इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है। इस संबंध में मेरा निवेदन है, नए खुलने वाले स्कूलों के लिए परमिट की व्यवस्था, दो-तीन-चार साल जैसा भी आप उचित समझें, परमिट की छूट अवश्य दें। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं, जिनको सीबीएससी या आईएससीई से रिकागनिशन मिल गई है, ऐसे स्कूलों पर आप परमिट की व्यवस्था लागू अवश्य करें। यह निश्चित ही एक अच्छी बात होगी। लेकिन जिनको रिकागनिशन नहीं मिली है, उनको छूट देना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में खुलने वाले स्कूल, जो हिन्दी पद्धति या क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाते हैं, उनको भी परमिट की व्यवस्था से अलग रखना चाहिए। कारण यह कि दूरदराज के इलाकों में गरीब आदमियों के बच्चों के लिए स्कूल खुलते हैं, वे किसी न किसी तरीके से बस या छोटी गाड़ी का इन्तजाम कर लेते हैं, उनको परमिट की व्यवस्था से मुक्त करना चाहिए। इसके साथ-साथ आश्रम या गुरुकुल पद्धति पर स्कूल खुलते हैं, उनको भी इस परिधि में नहीं लेना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): महोदय, मैं मोटरवाहन (संशोधन) विधेयक 2000 का स्वागत करता हूं। मैं यह महसूस करता हूं कि यह विधेयक अत्यावश्यक था। जैसा कि दोनों ओर से विचार व्यक्त किए गए हैं और मेरी भी यह राय है कि इस विधेयक में कुछेक संशोधन किए जाने चाहिए। इस पर और चर्चा एवं विचार-विमर्श किया जाना चाहिए था और अपूर्ण विधेयक रखने की बजाए व्यापक विधेयक रखना चाहिए था। मैं इसे अधूरा विधेयक नहीं कहूंगा क्योंकि यह तो वस्तुतः अधूरा है क्योंकि भारत में वाहनों के प्रवेश के बाद सौ वर्ष बीत चुके हैं और पूरी दुनिया में भी सौ वर्ष बीत चुके हैं हमने इन्हें एक सौ वर्षों तक रखा है। अब पूरी संकल्पना ही बदल रही है। पहले ये वाहन सिर्फ धनी लोगों के पास ही होते थे; बड़े रईस लोग ही इनका इस्तेमाल करते थे। राजा, महाराजा, राजकुमारियां ही वाहन रखते थे। परन्तु अब तो एक आम आदमी भी इनका इस्तेमाल कर रहा है।

यह विधेयक सबसे पहले 1939 में बना। अगला विधेयक, जैसाकि आपने ठीक ही कहा था, 1988 में बना, जो 1994 अधिनियम था। यह विधेयक अब लाया गया है।

अब वाहन अत्यधिक तेजी से चल रहे हैं। अब निर्बाध मार्ग है और वाहन काफी तीव्र गति से चल रहे हैं।

जब हम अपने किसी सहयोगी को खो बैठते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। कल ही हमने अपने एक अत्यंत प्रिय सहयोगी के निधन पर शोक प्रकट किया था।

सड़क सुरक्षा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। वस्तुतः हमें इन विधेयक से क्या लाभ होगा? एक सी.एन.जी. और एल.पी.जी.। किसी माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही बताया है कि ये केवल महानगरों तक ही सीमित हैं। गांवों में कितने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? शहरी क्षेत्रों से अलग ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित विधेयक क्यों नहीं है? वहां प्रदूषण की समस्या नहीं है। यदि प्रदूषण की समस्या है तो यह केवल हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली अथवा ऐसे महानगरों तक ही सीमित

है। सभी पर्यावरणानुकूल बातें गांवों पर क्यों थोपी जा रही हैं? वहां वाहनों की संख्या बहुत कम है और वहां ऐसी समस्या भी नहीं है। आप इन दोनों बातों को अलग क्यों नहीं कर सकते?

उद्देश्य और कारणों संबंधी वक्तव्य में अधिक क्षमता वाले टायरों को बदलने जैसी बातों का भी उल्लेख किया गया है। सभी ओ.ई. विनिर्माता अपने वाहनों को, उसमें घटिया टायर लगाकर बेचते हैं। यदि वे अच्छे दर्जे का टायर लगाना चाहते हैं तो समस्या किस बात की है? आप उन पर रोक क्यों लगा रहे हैं? ये और अधिक मील तक चलेंगे। ये निर्बाध मार्ग पर बेहतर साबित होंगे।

महोदय, तीव्र गति के लिए हमें बेहतर टायरों, बेहतर प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी और यह ओ.ई. द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। आप इन पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं? यहां तक कि यदि इस पर प्रतिबंध लगाना है तो, जैसा कि सही इंगित किया गया है कि, हल्के वाहनों की बजाय भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाये।

टायर बदलने के संबंध में यह कहूंगा कि आप रिम नहीं बदल सकते। आप बड़ा टायर नहीं लगा सकते। उसी रिम पर अधिक दूरी तक चलने वाले बेहतर दर के टायर लगाने से ये सड़क पर अधिक तेजी से चलेंगे।

मैं उद्देश्य और कारणों के वक्तव्य के वक्तव्य के तीसरे बिंदु पर बसों के संचालन के बारे में कही गई आपकी बात का स्वागत करता हूं। उनके पास परमिट होनी चाहिए। यह एक बहुत अच्छा कदम है। हर बार जब हमारे छोटे बच्चे विद्यालय जाते हैं तो हमें यह चिंता लगी रहती है कि वे सुरक्षित घर लौट पाएंगे अथवा नहीं। सभी माता-पिता इसी बात से चिंतित रहते हैं। मेरे विचार से यह कदम स्वागतयोग्य है। परन्तु, इसके साथ मैं यह अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक बस यूरोपीय और अन्य देशों की बसों की तरह एक समान होनी चाहिए। उन्होंने अपनी बसों पर पीला रंग किया है ताकि लोगों को यह पता चल सके कि उन बसों में बच्चे यात्रा कर रहे हैं और इससे लोग ज्यादा सावधान रहेंगे। यूरोपीय देशों में पीले रंग वाली बस, जब वह रुकी हुई हो और उसमें से बच्चे उतर रहे हों, उस बस से आगे निकलने वाले वाहन के चालक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। भारत में इस बात को कितने लोग जानते हैं?

एक बात यह है कि बच्चों को लाने-ले-जाने वाले बसों के मालिकों को परमिट भी पीले रंग का दिया जाना चाहिए। भारत को छोड़कर विश्व के सभी देशों में यह बात पायी जाती है। इसे इस देश में भी लागू क्यों नहीं किया जाता? मैंने यह बात राजस्थान विधान सभा के समक्ष रखी थी और राजस्थान विधान सभा ने इस अधिनियम को पहले ही पारित कर दिया है।

एक अन्य बात जो मैं बताना चाहता हूं, जिसे मेरे मित्र और सहयोग माननीय श्री रूडी ने सही ढंग से बताया है, यह है कि आप सभी तरह के कानून बना सकते हैं परन्तु इसका कार्यान्वियन बहुत गलत ढंग से किया जाता है। अधिकांश वाहनचालक मद्यपान करके वाहन चलाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो इसे रोकना चाहते हैं? मद्यपान करके गाड़ी चलाना गम्भीर अपराध है। अन्य देशों में, मद्यपान करके वाहन चलाने वाले वाहन चालक को पकड़े जाने पर, लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया जाता है। अमरीका में ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जब अमरीका में किसी राज्य के गवर्नर का मद्यपान करके वाहन चलाने के आरोप में लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया गया था। परन्तु यहां राजनीतिक संबंधों के चलते हम इस सबसे बच निकलते हैं। अतः क्या हम इस बारे में भी कुछ कर रहे हैं?

एक अन्य बात केवल शिक्षित लोगों को ही लाइसेंस देने के बारे में है। चालक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है परन्तु अधिकांश चालक यह भी नहीं जानते कि 'पीली लाइन' क्या है और 'दोहरी पीली लाइन' क्या है। पीली लाइन का मतलब है आप इसे पार नहीं कर सकते और दोहरी पीली लाइन का मतलब है आप इसे कभी भी पार नहीं कर सकते हैं और यदि आप इसे पार करते हैं तो आपका लाइसेंस तत्काल रद्द हो जायेगा। राजमार्ग पर गश्ती पुलिस इन सबकी जांच करने में रुचि नहीं लेती। वे तो सिर्फ वाहन को कहीं भी रोककर, कोई भी गलती निकालकर और शाम के गुजारे के लिए कुछ प्राप्त करने में रुचि लेते हैं। शाम के लिए वे चिकन अथवा शराब की बोतल प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं वे ऐसे वाहन चालकों को वास्तव में दण्डित करने में रुचि नहीं लेते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : ठीक है महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं निर्बाध मार्गों के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। लोग गलत रास्ते पर वाहन चलाते हैं। वे यह नहीं

[श्री विजयेन्द्र पालसिंह बदनोर]

जानते कि निर्बाध रास्ता कैसा होना चाहिए। जब एक ट्रैक्टर चालक एक गांव से दूसरे गांव जाना चाहते हैं तो उन्हें सड़क पर माइड लाइन नहीं मिलती। जहां जाने का निर्बाध रास्ता होता है वहां एक गांव से दूसरी गांव को जोड़ने के लिए एक मार्ग होना चाहिए जो निर्बाध रास्ते से अलग होना चाहिए। परन्तु हमारे यहां ऐसी कोई प्रणाली नहीं है। अत: मेरा यह अनुरोध है कि वे इस संबंध में एक व्यापक विधेयक लाएं।

इस अधूरे, टुकड़ों में विधेयक से काम नहीं चलेगा। अन्यथा मैं इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मोटर-यान संशोधन विधेयक-2000 हम लोगों के सामने ...या है। इस संशोधन में 1939 में जो संशोधन किया गया ...नियमावली क्या बनी, उसकी जानकारी सदन को नहीं है। हम जब कोई एक्ट या विधेयक बनाते हैं तो उसके बाद नियमावली बनाते हैं। सन् 1939 में जो एक्ट बना उसकी नियमावली आज तक नहीं बनी। सन् 1988 में इसमें संशोधन किया गया और अब 1994 में संशोधन करने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने इसे यहां प्रस्तुत किया है। मुझे बड़ा भरोसा था कि माननीय राजनाथ बाबू गांव की पृष्ठभूमि से आये हैं और छोटे-छोटे कस्बों का ज्ञान भी इनको बहुत होगा। भारत वर्ष के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की एक अच्छी संस्था के भी ये अध्यक्ष रहे हैं। मैं नहीं समझ पाया कि आपने जो इस बिल में लिखा है वह ठीक है। आप जो क्लॉज 52 की जगह संशोधन करने जा रहे हैं, उसमें लिखा है कि ''उसके किसी पुर्जे में कोई परिवर्तन, संपरिवर्तन किट लगा कर करता है, वहां उक्त परिवर्तन ऐसी शर्तों के अधीन किए जाएंगे जो विहित किए जाएं।''

आप जैसे आदमी को आपके विभाग के ऑफिसर गलत रास्ते पर क्यों लेकर आए?

सभापति महोदय : राजो सिंह जी, आप कितना समय और लेंगे?

श्री राजो सिंह : अभी तो मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा की बैठक कल दिनांक 26 जुलाई, 2000 को 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, बुधवार, 26 जुलाई, 2000/4 श्रावण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
मंगलवार, 25 जुलाई, 2000/3 श्रावण, 1922 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
2	14	संसाधन मंत्री	जल संसाधन मंत्री
6	4	रायल्ट	रायल्टी
55	23	दमन एवं दीयू	दमन और दीव
129	17	श्री ईश्वर दयाल स्वोमी	श्री ईश्वर दयाल स्वामी
571	2	पीठासान	पीठासीन
574	22	श्री एन॰एस॰कृष्णदास	श्री एन॰एन॰कृष्णदास

पी.एल.एस.–48/8/2/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।